मातृभूमि अब्दकोश १९२९

भारत सम्बन्धी हिंदी भाषा का
एक मात्र सर्वाङ्ग पूर्ण ज्ञान का अपूर्व भण्डार ।

सम्पादक—
श्रीयुत रघुनाथ विनायक धुळेकर एम. ए.

भूत-पूर्व सम्पादक उत्साह, मातृभूमि (दैनिक) व फ्री इंडिया (अंग्रजी साप्ताहिक)
वर्तमान सम्पादक मातृभूमि (मासिक), अनुवादक नेहरू कमेटी रिपोर्ट
लेखक "कांग्रेस", "कौंसिल सुधार", "राष्ट्रीय गीतावली"
तथा अन्य पुस्तकें ।

मातृभूमि कार्यालय झांसी।

भूमिका ।

हिन्दी साहित्य में यह ग्रन्थ अपने ढङ्ग का अनूठा है यह बात विषय सूची से स्पष्ट हो जावेगी। इस प्रकार के ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता थी इसमें भी सन्देह नहीं। जहाँ तक सम्भव था सब विषयों का विवेचन पर्याप्त रूप से करने का प्रयत्न किया गया है और यह भी बात ध्यान में रक्खी गई है कि ऐसे सब विषय इस पुस्तक में दिये जावें जो सब श्रेणी के पाठकों के उपयोगी हों।

यह ग्रन्थ नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होगा और यह चेष्टा की जावेगी कि जो विषय इस आरम्भिक ग्रन्थ में नहीं दिये जा सके वे भी दिये जावें। मुख्य उद्देश्य इस ग्रन्थ का यह है कि समष्टि रूप में भारत की सामाजिक धार्मिक राजनैतिक तथा अन्य सब प्रकार की हलचलों का विश्वसनीय वर्णन पाठकों को दिया जावे। पाठकों से प्रार्थना है कि इस ग्रंथ की उपयोगिता को बढाने के निमित्त अपनी सूचनायें लेखक के पास भेजे जिन पर आदर पूर्वक विचार होकर ग्रन्थ में समावेश करने का प्रयत्न किया जावेगा।

ग्रन्थ की तैयारी में श्री० वी. डी. धुलेकर, बी. ए. और श्री० मनसुखदास अग्रवाल जी से बड़ी सहायता मिली है जिसके लिये लेखक उनका कृतज्ञ है।

र. वि. धुलेकर.

मातृभूमि अब्दकोश १९२९

विषय सूची

विषय — पृष्ठ

मातृभूमि अब्दकोश १९२९।

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास।

मातृभूमि अब्दकोश जैसे वार्षिक ग्रन्थ के लिए भारतवर्ष के इतिहास का स्वरूप विस्तृत नहीं हो सकता है। और न उसकी आवश्यकता ही है। पाठकों की सुविधा के लिए घटनाओं को क्रमानुसार लिख दिया है। जहाँ तक सम्भव है हमने कोई महत्व-पूर्ण घटना छोड़ी नहीं है। अल्प प्रयत्न से किसी भी घटना का वर्ष जाना जा सकता है। और यदि आद्योपान्त पढ़ लिया जावे तो भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान भी बहुत कुछ हो सकता है।

भारत के आधुनिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले इतिहास बहुधा बौद्ध काल से आरम्भ होते हैं उसके पूर्व की घटनाएँ पाश्चात्य इतिहासकार दन्त कथाएँ कह कर टाल देते हैं। यदि देखा जावे तो भारत की सभ्यता का उत्कृष्ट-काल उसके पूर्व ही समाप्त हो जाता है। बौद्धकाल के पश्चात् विदेशियों के आगमन से भारतीय सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है, यहाँ तक कि मुसल्मानों के इस देश में आने की तिथि से तो देश में दो सभ्यताओं के द्वंद्वज से भारतीयों की प्रगति बन्द हो जाती है और भारतीय वैदिक संस्कृत, भारतीय कला-कौशल भारतीय विज्ञान इत्यादि के जीवन की इतिश्री सी हो जाती है। मुसल्मानी काल से आज तक भारतीयों को अपनी प्राण रक्षा और धर्म रक्षा के प्रयत्नों से अवसर नहीं मिला कि वे अपनी असली आर्य सभ्यता को जो उपनिषद् काल में उन्नति की सर्वोच्च शिखर पर चढ़ चुकी थी क़ायम रखकर सारे जगत को उसका लाभ देते।

भारतीय विद्वानों के मतानुसार आज तक नौ अवतार—मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध—हो चुके हैं और दसवाँ अवतार कल्की भविष्यत में होगा सृष्टिकाल कृतयुग से आरम्भ होता है और क्रमानुसार त्रेता और द्वापर होकर कलियुग में प्रवेश होता है जो इस समय वर्तमान है। वेद अनादि हैं परन्तु सृष्टि में उनका आगमन कृतयुग ही में कहा जा सक्ता है क्योंकि श्रीराम का अवतार त्रेता में हुआ और वे वैदिक पुरुष थे ऐसा स्पष्ट है। विदेशी इतिहासज्ञों के मत भिन्न भिन्न हैं। कोई वैदिककाल को ई० स० के पूर्व ५००० वर्ष बताते हैं। कोई श्रीरामचन्द्र के काल को इतना ही समय व्यतीत होना बताते हैं। कोई इतिहासज्ञ महाभारत के काल को २००० वर्ष ई० स० के पूर्व अनुमान करते हैं। हम इन प्रश्नों के सुलझाने का प्रयत्न न कर केवल भारतीय प्राचीन मत को भी अंकित कर देते हैं उद्देश्य यह है कि भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित होकर कोई निश्चयात्मक अवधि बताई जा सके।

सृष्टि का आरम्भ।

१७,२८,००० कृतयुग (सतयुग) का प्रमाण मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह अवतार। महर्षियों द्वारा वेदों का जगत में आगमन। भारतीय सभ्यता का उन्नति काल।

१२,९६,००० त्रेता युग का प्रमाण। सूर्यवंश क्षत्रियों का प्राबल्य। राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी। वामन परशुराम और श्री रामचन्द्र का अवतार। रावण लङ्काधीश का पराजय। आर्य जाति का दक्षिणी भारत में विस्तार।

८,६४,००० द्वापरयुग का प्रमाण। यदुवंश क्षत्रियों का प्राबल्य। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार और श्रीकृष्ण द्वारा मरण। कौरव पाण्डवों का महाभारत नामक महा युद्ध। युधिष्ठिराब्द का आरम्भ।

४,३२,००० कलयुग का प्रमाण जिसमें ५०२९ वर्ष व्यतीत हुए।

—— :०: ——

आधुनिक विद्वानों के मतानुसार ऐतिहासिक घटनाओं का काल क्रम इस प्रकार है।

ई० पू०

५००० वैदिक काल का आरम्भ।

४००० श्रीरामावतार।

३१०२ युधिष्ठिराब्द का आरम्भ। कौरव पाण्डवों का महाभारत नामक युद्ध

श्रीकृष्ण द्वारा भगवद्गीता उपदेश ।

१५०० रामायण तथा महाभारत ग्रन्थों का निर्माण होना ।

७८० यूनान के साथ भारत का व्यापार ।

६०० दारा का भारत पर आक्रमण ।

५५७ महात्मा बुद्ध का जन्म ।

५२२ महात्मा बुद्ध ने प्रचार आरम्भ किया।

४७७ महात्मा बुद्ध की मृत्यु ।

३२७ सिकन्दर का भारत पर आक्रमण।

३२२ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और सीरियन्स को हराना ।

३०६ मेगस्थनीज (यूनानी प्रवासी) का भ्रमण । भारत की प्राचीन सभ्यता का विश्वसनीय वर्णन ।

२९७ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ।

२६९ सम्राट अशोक का राज्यारोहण। ब्रिटिश सम्राज्य से अधिक विस्तृत सम्राज्य ।

२५० सम्राट अशोक ने शस्त्रों द्वारा विजय बन्द कर दी ।

२२४ सम्राट अशोक की मृत्यु ।

२२० आन्ध्र राज्य का स्थापन ।

५० विक्रम सम्वत् आरम्भ ।

ई० सन् का आरम्भ ।

६८ यहूदी लोग रोम से पीड़ा पाकर भारतवर्ष की ओर भाग आये और मलाबार में बस गये ।

१०० महाराज कनिष्क ने बौद्धों की बड़ी सभा की ।

३२० गुप्तराजवंश का उत्थान ।

३४० समुद्र गुप्त भारत के महाराजाधिराज स्वीकृत हुए ।

४०५–११ चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण ।

४७६ आर्यभट्ट ज्योतिष के जन्म दाता का जन्म पृथ्वी अपने धुरे पर घूमती है यह सिद्ध किया और सूर्य व चन्द्र ग्रहणों का कारण बताया ।

४८०-९० गुप्त राजवंश का टूटना ।

५०५ वराहमिहिर ज्योतिषी का जन्म ।

५५० राजपूतों ने एक राज्य दक्षिण में स्थापित किया जो ११९० तक चला ।

६०६ हर्षवर्धन का राज्यारोहण ।

६२२ इस्लाम धर्म की स्थापना । हिजरी सन् आरम्भ ।

६२९–४५ चीनीयात्री ह्यून सांग का भ्रमण ।

६४४ हर्षवर्धन ने ७५ दिन का मेला प्रयाग में आरम्भ किया जिसमें प्रतिदिन १०,००० बौद्ध भिक्षुओं को १०० सुवर्ण मुद्रा, १ मोती और एक कपड़ा दिया जाता था ।

६४८ महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु ।

७०३ नेपाल व तिरहुत प्रदेश तिब्बत से निकल गये ।

७१२ अरबों ने तुरान और सिंध पर कब्जा कर लिया।

७१७ पारसियों का संजन बंदर (बम्बई से ६० मील उत्तर) पर पहुंचना।
७५० पालवंश बंगाल में स्थापित हुआ
७८८ जगद्गुरु शंकराचार्य का जन्म।
९३२ दिल्ली शहर की स्थापना।
९७३-१०४८ प्रसिद्ध इतिहास कार व वैज्ञानिक अलबरोनी।
९८६ पेशावर में सुलतान गजनी ने कब्ज़ा किया
१००१ मुहम्मद गज़नी का पहिला आक्रमण। जैपाल की हार।
१००९ महमूद गज़नी ने नगर कोट (कांगड़ा) को लूटा जहां उसे ७ लाख सुवर्ण मुद्रा ७०० मन सुवर्ण, थाल २०० मन सुवर्ण की ईंट २००० मन चांदी और बीस मन जवाहिरात, मोती, हीरे और लाल प्राप्त हुए।
१०२४ महमूद गजनी का १२ वां आक्रमण। सोमनाथ (गुजरात) की लूट और मूर्ति का तोड़ना।
१०१८-६० राजा भोज (पवार) ने मालवा में राज्य किया।.
१०३८ राजा न्यायपाल (बंगाल) ने अतीसा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिये तिब्बत भेजा।
१०४९-११ चन्देल राज्य. चन्देल राज्य के मुख्य स्थान खजराहो (छतरपुर स्टेट) महोवा (हमीरपुर) कालिन्जर (बांदा) इस राज्य को जेजाक भुक्ति (जिझौती) भी कहते थे.
११५८-७ वल्लालसेन ने बगाल के एक भाग पर राज्य किया.
११८२ परमाल चन्देल को पृथ्वी राज ने प्रतस्त किया.
११८४ मुहम्मद गौरी का आक्रमण।
११९२ पृथ्वीराज की हार (मुहम्मद गोरी द्वारा) और उनकी हत्या। तराईं का युद्ध।
११९९-१२०० बखत्यार खिलजी ने १८ घोड़ सवारों से बंगाल फतह किया।
१२०६ कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश का राज्य स्थापित किया। उर्दू भाषा का जन्म।
१२३० कुतुब मीनार तैयार हुई।
१२३६ रज़िया बेगम का राज्यारोहण।
१२९० खिलजी वन्श का आधिपत्य।
१२९८ अलाउद्दीन ने सोमनाथ को लूटा।
१३०३ चित्तौर गढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई। रानी पद्मिनी की वीरता
१३१० खिलजियों ने मैसूर पर आक्रमण किया।
१३२० तुग़लक वन्श का आरंभ।
१३३६ विजया नगर में (हिन्दू राज्य) की स्थापना।
१३४२ भारतवर्ष भर में दुर्भिक्ष।
१३४७ दक्षिण भारत में बहमनी राज्य मुसलमानों की स्थापना।
१३९८ तैमूरलंग का आक्रमण।
१४१३ गुजराती कवि नरसिंह मेहता का जन्म।

१४५१ लोदी राज वंश की स्थापना।
१४६९ गुरु नानक का जन्म।
१४९८ वेस्कोडी गामा का आगमन।
१५२६ पानीपत का युद्ध। बाबर का राज्यारोहण। मुगल राज्य की स्थापना।
१५३० बाबर की मृत्यु।
१५३९ गुरु नानक की मृत्यु जलधर के पास।
१५४० हुमायूं दिल्ली से भगाया गया। शेरशाह पठान का राज्यारंभ।
१५४२ अकबर का जन्म (अमरकोट)।
१५५५ हुमायूं का वापिस आना और अपना राज्य लेलेना।
१५५६ अकबर का राज्यारोहण। द्वितीय युद्ध पानीपत।
१५६५ जिजिया टैक्स का बंद होना।
१५७५ चांद बीबी का अहमद नगर पर राज्य।
१५७९ अकबर का नया धर्म।
१५८५ चांद बीबी ने वीरता से अहमद नगर के किले की रक्षा की।
१५९१ शाहजहां का जन्म।
१५९४ डच व्यापारियों का आगमन।
१६०० ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना चांद बीबी का कत्ल।
१६०१ आदिग्रन्थ गुरु अरजुन ने समाप्त किया।
१६०४ फ्रेंच व्यापारियों का आगमन।
१६०५ अकबर की मृत्यु जहांगीर का राज्यारोहण।
१६०८ तुकाराम महाराष्ट्र कवि का जन्म।
१६११ जहांगीर की शादी नूर जहां के साथ।
१६१३ जहांगीर ने अंग्रेजी व्यापारियों को भारत का द्वार खोल दिया। सूरत में प्रथम अंग्रेजी कोठी।
१६२३ तुलसीदासजी की मृत्यु।
१६२७ शिवाजी महाराजा का जन्म। शाहजहां का जहांगीर की मृत्यु राजयारोहण।
१६३० दक्षिण में और गुजरात में दुर्भिक्ष।
१६३४ तख्तताउस ७ वर्ष की मेहनत के बाद तैयार हुआ। ईस्ट इंडिया कम्पनी को गंगा जी के किनारों पर व्यापार करने की आज्ञा।
१६४८ शिवाजी ने तोरणा किला ले लिया।
१६५० शिवाजी ने कल्याण पर कबजा किया।
१६५७ शाहजहां के लड़कों में आपसी युद्ध।
१६५८ शाहजहां कैद हुए। औरंगजेब दिल्ली के बाहर बादशाह हुए।
१६५९ चन्द्राब्द फिर से आरंभ। औरंगजेब का राजयारोहण। अफजल खां का शिवाजी द्वारा वध।
१६६० शायिस्ता खां को शिवाजी ने परास्त किया।
१६६१ पोरतुगाल ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज में दी।
१६६६ शाहजहां की मृत्यु। शिवाजी मुगलदरबार में गिरफ्तार कर लिये गये लेकिन भागे।

१६६७ शिवाजी को औरंगजेब ने राजा माना और शिवाजी ने अपने सिक्के चलाये।

१६७४ शिवाजी के स्वतंत्र शासक होने की घोषणा तथा राज्यारोहण पांडूचेरी की स्थापना (फ्रेंचद्वारा)

१६७५ गुरु तेगबहादुर नवें गुरु औरंगजेब द्वारा बलि हुए।

१६८० शिवाजी महाराज की मृत्यु।

१६८६ ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने शासन आरंभ करने की चेष्टा की।

१६९० चारनौक ने कलकत्ता बसाया। औरंगजेब ने अंग्रेजी कम्पनी को दन्ड दिया।

१७०० राजाराम महाराज की मृत्यु पर ताराबाई ने मराठी सत्ता अपने हाथ में ली। यूनाइटेड ईस्ट इन्डिया कम्पनी बनी। भारत के छपेहुएकपड़े इङ्गलैंडमें पार्लीमेंट के एक्ट द्वारा बंद किये गये।

१७०७ औरंगजेब की मृत्यु और मुगल राज की इति श्री आरंभ।

१७०८ भारत की अंग्रेजी कम्पनियों का एकीकरण।

१७१० सिखों का सशस्त्र उभरना।

१७१२ बहादुरशाह मुगल बादशाह की मृत्यु।

१७१४-२० बालाजी विश्वनाथ। पहिले पेशवे।

१७१७ शाहु महाराजा का राज्यारोहण।

१७१९ मुगल बादशाह ने मराठों का चौथ वसूल करने का अधिकार स्वीकृत किया।

१७२० प्रसिद्ध बाजीराव प्रथम (पेशवा)।

१७२१ इंगलैंड में भारतीय वस्तुओं की मनाई की।

१७२४ बहुत से देशी राजयों का निर्माण

१७२५ फ्रेंच लोगों को माही मिला।

१७२७ शाहु महाराज ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिये।

१७३७ मराठों का दिल्ली पर आक्रमण।

१७३९ नादिरशाह का आक्रमण। पुरतगाल का भारतमें पतन।

१७४४ अंग्रेजों और फ्रेंचों की भारतवर्ष में लड़ाई।

१७४६ मद्रास फ्रांस के कबजे में।

१७४८ एक्सला चेपल की संधि इंगलैंड और फ्रांस के बीच।

१७४९ अंग्रेजी और फ्रांसीसी कम्पनियों के बीच युद्ध।

१७५१ आरकोट का अंग्रेजों द्वारा घेरा। ओड़ीसा मरेठों ने लिया।

१७५४ विदेशी कम्पनियों में समझौता। डुप्ले वापिस बुलाया गया।

१७५७ क्लाइव ने जाली संधि उमीचन्द को धोखा देने के लिये बनाई। प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश राज्य का आरंभ। मीरजाफर से अंग्रेजों को अटूट धन की प्राप्ति।

१७५८ क्लाइव गवरनर हुआ। हैदरअली मैसूर का राजा।

१७६० वांडीवाश की लड़ाई। फ्रेंच की हार।

१७६१ पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों की हार।

१७६३ फ्रेंच स्थान वापिस दिये गये।

१७६४ अंग्रेज़ी फ़ौज के देशी सिपाहियों का उभरना। २४ नेता तोप से उड़ा दिये गये।

१७६५ शाह आलम ने अंग्रेज़ों को दीवानी अख़्त्यारात दिये।

१७६९ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रयत्न आरम्भ किये कि बङ्गाल में कच्चा रेशम बटे लेकिन बिनावट का काम बन्द हो।

१६७० हैदर अली मरैठों से हार गया बङ्गाल में भयङ्कर दुर्भिक्ष। पहला बङ्क खुला।

१७७२ वारन हेस्टिंग्स गवर्नर बङ्गाल। राजा राममोहनराय, ब्रम्ह समाज के संस्थापक का जन्म।

१७७३ रेगुलेटिङ्ग ऐक्ट पास हुआ।

१७७४ गवर्नर जनरल का पद और सुप्रीम कोर्ट स्थापित। महाराजा नन्दकुमार की फाँसी। हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से धन लिया।

१७८० भारत में पहला समाचार पत्र "हिकीज़ गजेट" प्रकाशित हुआ। रणजीतसिंह का जन्म। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से स्वतन्त्र बनाने का ऐक्ट पास हुआ!

१७८२ अंग्रेज़ों द्वारा पहिली शिक्षण संस्था की स्थापना। 'हिकी' (सम्पादक पहिला समाचार पत्र) को जेल। हैदर अली की मृत्यु।

१७८८–९५ वारन हेस्टिंग्स पर पार्लीमैण्ट में मुक़दमा।

१७८९ बम्बई का पहिला पत्र 'बम्बई हैरल्ड' प्रकाशित 'कालीदास' के ग्रन्थों का अनुवाद विदेशी भाषा में।

१७९३ इसतिमरारी बन्दोबस्त ऐक्ट पास हुआ।

१७९४ महादजी सिंदे की मृत्यु।

१७९५ श्रीमहारानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु।

१७९९ चौथी मैसूर युद्ध का अन्त। टीपू की मृत्यु।

१८०० मराठा राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस की मृत्यु।

१८०२ बसीन की संधि। पेशवा ने महाराष्ट्र स्वातन्त्र्य का नाश किया।

१८०४ बङ्गाल स्टेट आफ़ेंसस रेग्युलेशन पास हुआ जिसमें मारशल्ला की आज्ञा देने का अधिकार सरकार से हुआ।

१८०६ वेलूर में बलवा।

१८१३ नया चार्टर ईस्ट इन्डिया कम्पनी। कम्पनी को मजबूर किया गया कि १ लाख रुपया देशी विद्या तथा पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा पर ख़र्च करे। हिन्दुस्तानी रुई के माल पर भारी कर इङ्गलैण्ड में लगाया गया।

१८१७ अन्तिम मराठा युद्ध ।

१८१८ बम्बई प्रान्त बनाया गया। 'समाचार दर्पण' पहिला देशी भाषा (बङ्गाली) का पत्र, रेग्युलेशन जिसके द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि किसी व्यक्ति को देश से बिना मुक़दमे के निकाल दे।

१८२० सिक्ख राज्य का उत्थान।

१८२४ स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म। एलफ़िन्स्टन की शिक्षा सम्बन्धी प्रसिद्ध चिट्ठी।

१८२५ दादा भाई नौरोज़ी का जन्म।

१८२६ प्रथम ब्रह्मयुद्ध।

१८२८ ब्रह्म समाज की स्थापना।

१८२९ सती प्रथा बन्द की गई।

१८३१ राजा मैसूर गद्दी से उतारे गये।

१८३३ ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया चार्टर। शासन विधान में परिवर्तन।

१८३४ कुर्ग अंग्रेज़ों ने लिया।

१८३५ कलकत्ता मैडीकल कालेज स्थापित। मुद्रकों की रजिस्ट्री का क़ानून पास हुआ। इसके पहिले गवर्नर जनरल से लाईसेन्स लेना पड़ता था।

१८३६ योरोपियन लोग भी दीवानी अदालत के अधिकार में किए गए। योरोपियनों का आन्दोलन निष्फल।

१८३७ पहिला सार्वजनिक डाकख़ाना खुला।

१८३९ रणजीतसिंह की मृत्यु।

१८४३ सिन्ध अंग्रेज़ों ने लिया।

१८४५ प्रथम सिक्ख युद्ध।

१८४८ द्वितीय सिक्ख युद्ध।

१८४९ पञ्जाब अंग्रेज़ों के क़ब्ज़े में। लगभग १२९,००० हथियार छीने गए।

१८५१ भारत में प्रथम टेलीग्राम लाईन।

१८५२ दक्षिणी ब्रम्ह देश पर क़ब्ज़ा।

१८५३ पहिली रेलवे लाईन २९ मील लम्बी बम्बई और थाना के बीच में। अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ।

१८५४ डाक के टिकट चलाये गये। शिक्षा विभाग की स्थापना। सर चार्लस् वुड का शिक्षा सम्बन्धी खलीता। व्यवस्थापक सभा की पहिली बैठक

१८५५ ई० आई० रेलवे खोली गई।

१८५६ लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक का जन्म।

१८५७–५८ स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध अथवा ग़दर (Sepoy Mutiny) महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की वीरता युक्त मृत्यु। मुग़ल बादशाह क़ैद करके रंगून भेजे गये। यूनिवरसिटी स्थापित हुई।

१८५८ भारत का शासन इङ्गलैण्ड राजा के हाथ में आया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयाग में पढ़ा गया। इण्डियन नेवी भारतीय जल सैना तोड़ दी गई।

१८५९ तांत्या टोपे को फाँसी।

१८६१ इण्डियन कौंसिल एक्ट पास हुआ। ग़ैर सरकारी सदस्य लिये गये। हाई कोर्ट स्थापित। कवि श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ टागोर का जन्म।

१८६५ ओड़ीसा में भयङ्कर दुर्भिक्ष। १० लक्ष मनुष्यों की मृत्यु।

१८६७ किताबों की रजिस्ट्री का ऐक्ट पास हुआ।

१८६८ अमृतबाज़ार पत्रिका का प्रकाशन। कटक में मारशल्ला की घोषणा।

१८६९ महात्मा गाँधी का जन्म।

१८७० दफ़ा १२४ ए पीनल कोड में जोड़ी गई।

१८७२ मालेर कोटला (पञ्जाब) में मारशल्ला की घोषणा।
प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ। लार्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या।

१८७५ महाराजा गायकवाड़ (बड़ौदा) गद्दी से उतारे गये। युवराज (एडवर्ड सप्तम) का भारत में भ्रमण। आर्य समाज स्थापित।

१८७६ रेल्वे कान्फ्रेन्स आरम्भ।
देश में दुर्भिक्ष।

१८७७ रानी विक्टोरिया ने 'महारानी' का पद ग्रहण किया। लगभग सवा पांच लाख अकाल पीड़ित मनुष्य मरे।

१८७८ अफ़ग़ानिस्तान से युद्ध। धोंड़-मनमाड रेल्वे आरम्भ। देशीभाषा के वर्तमान पत्रों का ऐक्ट पास हुआ। आर्म्स ऐक्ट पास हुआ।

१८७९ फ़ौजी कमीशन क़ायम हुई।

१८८० "केसरी" और "मराठा" का लो० तिलक द्वारा जन्म। प्रथम राष्ट्रीय पाठशाला पूना में स्थापित।

१८८१ मैसूर स्टेट रेल्वे खोली गई।

१८८२ देशी भाषा के पत्रों का ऐक्ट रद्द हुआ। श्री० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को अदालत के अपमान करने में जेल की सज़ा। रुई के कपड़ों की आयात पर कर बन्द किया गया।

१८८५ राष्ट्रीय महासभा का जन्म (बम्बई); तीसरा ब्रह्मदेश युद्ध। स्थानिक स्वराज ऐक्ट पास हुआ।

१८८६ गवालियर का क़िला सिंधिया को वापिस दिया गया। झाँसी शहर अंग्रेज़ों को मिला। शिक्षा विभाग का नूतन प्रबन्ध।

१८८७ महारानी विक्टोरिया की जुबिली।

१८९१ एज आफ़ कन्सेंट बिल (स्त्री द्वारा सम्भोग की अनुमति देने का आयु सम्बन्धी क़ानून) पास हुआ। मनीपुर का मामला। चीफ़ कमिश्नर आसाम की हत्या। ब्रिटिश फ़ौज भगा दी गई।

१८९२ इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।

१८९३ भारतीय टकसाल बन्द हुई। सरकारी सिक्का नीति का आरम्भ। महाराज बड़ौदा ने प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की।

१८९४ दादाभाई नौरोजी मैम्बर ब्रिटिश पार्लीमैण्ट चुने गये। भारती सूती कपड़ों पर कर लगाया गया।

१८९५ प्रान्तीय फ़ौजी विधान बन्द हुआ। सरकारी ख़र्च सम्बन्धी शाही कमीशन नियत हुआ।

१८९६ प्लेग का आरम्भ।

१८९७ ब्रह्म देश छोटे लाठ के आधीन किया गया। भारत में भूचाल। दुर्भिक्ष भयङ्कर।

१८९८ १५३ ए० पीनल कोड और दफ़ा १०८ ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बढ़ाई गई।

१८९९ लार्ड कर्ज़न वाइसराय हुए।

१९०० गोल्ड रिज़र्व फ़ण्ड बनाया गया।

१९०१ महारानी विक्टोरिया की मृत्यु। आबपाशी कमीशन नियत हुआ।

१९०२ बरार के ज़िले निज़ाम हैदराबाद से ब्रिटिश को मिले। लार्ड किचनर कमानडर-इन-चीफ़ हुए।

१९०३ एडवर्ड सप्तम बादशाह हुए। दिल्ली में राज्यारोहण दरबार बहुत ख़र्च करके किया गया। जनता ने ख़र्च का विरोध किया लेकिन निष्फल रहा।

१९०४ लार्ड कर्ज़न की म्याद बढ़ी। यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास हुआ। सहकारी संस्थाओं का आरम्भ। तिब्बत पर चढ़ाई।

१९०५ बङ्ग विच्छेद; विदेशी माल का बायकाट, सर्वेण्ट आफ़ इण्डिया सोसाइटी श्री० गोखले द्वारा स्थापित। लार्ड कर्ज़न और लार्ड किचनर में मतभेद। लार्ड कर्ज़न का इस्तीफ़ा। लार्ड मिण्टो वाइसराय नियत हुए।

१९०६ आल इण्डिया मुस्लिम लीग स्थापित। निकल की इकन्नी चलाई गई। बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

१९०७ इण्डिया कौंसिल में दो हिन्दुस्तानी नियत हुए।

राजद्रोही मीटिङ्ग ऐक्ट पास हुआ। कांग्रेस में फूट। दक्षिणी अफ्रीका में आन्दोलन। पञ्जाब में एण्टी-कौलोनाइज़ेशन आन्दोलन। ला० लाजपतिराय का देश निकाला। अरविन्द घोष और अन्य देशभक्त पकड़े गये। लोकमान्य तिलक को ६ साल की सज़ा राजद्रोह में।

१९०८ दमनकारी क़ानून—समाचार पत्र ज़ाब्ता फ़ौजदारी (समिति) और भ्रक से उड़ने वाले पदार्थों संबंधी—पास हुए।

सप्तम एडवर्ड का घोषणा पत्र। खुदीराम बोस द्वारा बङ्गाल के लाठ पर पहिला बम्ब का गोला चलाया गया।

१९०९ मार्ले-मिण्टो सुधार, श्री० गोखले ने बड़ी व्यवस्थापक सभा में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया जो अस्वीकृत हुआ।

१९१० प्रेस ऐक्ट पास हुआ। लार्ड हार्डिङ्ग वाइसराय हुए। सप्तम एडवर्ड की मृत्यु।

१९११ बङ्ग विच्छेद रद हुआ। आसाम प्रान्त बनाया गया। बिहार ओड़ीसा अलग नया प्रांत हुआ। दिल्ली राजधानी बनाई गई। पञ्चम जार्ज और महारानी का आगमन। निज़ाम हैदराबाद आसफ़जाह की मृत्यु।

१९१२ पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन नियत हुआ। लार्ड हार्डिङ्ग दिल्ली में बम्ब द्वारा घायल हुए।

१९१३ कानपुर में मसजिद का दङ्गा। श्री० टागोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला।

१९१४ कनाडा से लौटे हुए सिक्खों पर बज बज में सरकारी अत्याचार। योरोपीय महायुद्ध का आरम्भ। भारत की वीरता।

१९१५ हिन्दू विश्व विद्यालय का बिल पास हुआ। श्री० गोखले और श्री फीरोज़शाह मेहता की मृत्यु। प्रेस ऐसोसियेशन स्थापित, डिफेन्स आफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ। समाचार पत्रों की प्रथम प्रदर्शनी बड़ौदा में हुई।

१९१६ मैसूर में यूनीवर्सिटी होमरूल लीग स्थापित, लार्ड चेम्स फोर्ड वाइसराय, कांग्रेस—लीग स्कीम (सुधार विधान) बनाया गया

१९१७ रुई के कपड़ों पर आयात कर बढ़ाया गया। मि० वेलेण्ट नज़र बन्द हुईं। श्री० दादाभाई नौरोजी की मृत्यु; पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित। इण्डैनचर्ड लेबर (कुली प्रथा) सम्बन्धी विरोधी आन्दोलन। ब्रिटिश शासन नीति की घोषणा। मि० मानटेग्यू का आगमन, दो आने का निकल का सिक्का चलाया गया। इम्पीरियल कान्फ्रेन्स में भारतीय मैम्बर।

१९१८ अडयार में राष्ट्रीय विश्व विद्यालय। इन्फ्लूऐन्ज़ा का फैलना। सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित, रौलेट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, काँग्रेस व मुस्लिम लीग की ख़ास बैठकों ने सुधार पर विचार किये। आल इण्डिया माडरेट कान्फ्रेन्स स्थापित। बम्बई में सोने की टकसाल।

१९१९ रौलेट बिल जनता के घोर विरोध पर भी पास हुआ। सार्वदेशिक हड़तालें। सत्याग्रह का आरम्भ। महात्मा गांधी पलवल व कोसी रेल्वे स्टेशन के बीच रेल से उतारे गये। अनेक स्थानों में दङ्गे। पञ्जाब में मारशल्ला। जलियान वाला बाग़ हत्याकाण्ड। हार्नीमैन का देश निकाला। सर सङ्करन नैयर का इक्ज़िक्यूटिव कौंसिल की मैम्बरी से विरोधात्मक इस्तीफ़ा। सर रवीन्द्रनाथ टागोर ने ख़िताब

त्याग दिया। अफ़ग़ानिस्तान से युद्ध। पञ्जाब के दङ्गे के लिए कमेटी स्थापित हुई। शाही घोषणा। राजनैतिक क़ैदियों को माफ़ी। सत्येन्द्र प्रसन्नसिंह को लार्ड की पदवी मिली।

१९२० पञ्जाब दङ्गों पर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अपराधियों को निर्दोष ठहराया गया। जनता को इस निर्णय से असंतोष। ख़िलाफ़त आन्दोलन का ज़ोर। असहयोग की तैयारी। ख़ास बैठक काँग्रेस कलकत्ता। असहयोग पास हुआ। ट्रेड यूनियन काँग्रेस की स्थापना। नागपुर काँग्रेस में असहयोग देश व्यापी हुआ।

१९२१ मोपलाओं का मलाबार में दङ्गा। लार्ड रीडिङ्ग वाइसराय हुए। सुधार शासन का आरम्भ, जन संख्या की गणना हुई राष्ट्रीय कालेजों की स्थापना; श्री० शास्त्री पी० सी० बनाये गये; ब्रह्मदेश अलग गवर्नर के आधीन प्रान्त हुआ; तिलक स्वराज्य फ़ण्ड एक करोड़ जमा हुआ; देश भर में विलायती कपड़े जलाये गये; अली बन्धुओं पर मुक़दमा और सज़ा; युवराज का आगमन और उनका बायकाट; बम्बई में दङ्गा; स्वयं सेवक ग़ैर क़ानूनी हुए; सी० आर० दास प्रेसीडैण्ट काँग्रेस नियुक्त हुए; डा० लाजपति राय; मोती लाल नेहरू तथा अन्य नेताओं की गिरफ़्तारी; हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन; लार्ड सिंहा का इस्तीफ़ा; इम्पीरियल कान्फ्रेंस में उपनिवेशों में भारतीओं की अवस्था पर विचार।

१९२२ जनवरी सन् (१९२२) में बम्बई में राजनैतिक कॉन्फ्रेन्स और सर सङ्करन नैयर का कान्फ्रेन्स से उठ जाना; अहमदाबाद और सूरत म्यूनिसिपल्टियाँ सस्पैण्ड हुईं; बारडोली में सत्याग्रह की तैयारी; चौरी चौरा घटना; सत्याग्रह का स्थगित किया जाना; महात्मा गाँधी का उपवास; महात्मा गाँधी पर मुक़दमा और ६ साल की क़ैद का हुक्म; इण्डियन रेशियल डिस्टिङ्कशन कमेटी (रङ्गभेद कमेटी) की रिपोर्ट; सर माइकेल ओडायर का सर सङ्करन नैयर पर मुक़दमा; गया काँग्रेस में कौंसिल प्रवेश का प्रश्न; देशबन्धु दास का देश व्यापी प्रभुत्व।

सत्याग्रह जांच कमेटी और उसकी रिपोर्ट, कौंसिल पार्टी का जन्म, काँग्रेस में द्वंद—परिवर्त्तनवादी (Pro-changer) और अपरिवर्तनवादी (No-changer).

प्रेस ऐक्ट रद्द हुआ, माण्टेग्यु का इस्तीफ़ा, सिक्खों ने गुरु के बाग़ में सत्यागह किया, गुरुद्वारा आन्दोलन अकालियों द्वारा

१९२३ योरोपियन अफ़सरों की परिस्थिति की जाँच के लिए 'ली कमीशन' नामक रायल कमीशन की नियुक्ति (जून), टैरिफ़ बोर्ड की स्थापना; लार्ड रीडिङ्ग ने व्यवस्थापक सभा के मत के विरुद्ध नमक टैक्स को दुगना करने का सार्टीफ़िकेट दिया, जनता में असन्तोष, स्वराज्यपार्टी का ज़ोर, देशबन्धु सी० आर० दास की लोकप्रियता, स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि का झण्डा उठाया, मुसलमान मलकाना राजपूतों की शुद्धि, पं० मालवीय का संगठन कार्य और व्यायाम पर ज़ोर देना, बब्बर अकालियों द्वारा कुछ आदमियों का मारा जाना, महाराजा नाभा का देश निकाला और पदच्युत होना, अकाली दल और गुरुद्वारा कमेटी का गैर क़ानूनी क़रार दिया जाना, मोल ऐलिस (एक अँगेज़ी महिला) का सरहद्दी जातियों द्वारा ख़ून।

१९२४ महात्मा गाँधी को (Appendi-cites) रोग का आपरेशन, तदनन्तर रिहाई, ऐसेम्बली, सी० पी० और बङ्गाल कौंसिलों में बजट स्वराज्य पार्टी के प्रयत्नों से नामन्जूर हुआ। सुधार शासन की जाँच के लिए मुडिमैन कमेटी की नियुक्ति, ब्रिटिश अम्पायर प्रदर्शनी, औद्योगिक हड़तालें, कोहाट में मुसलमानों का दङ्गा और हिन्दुओं पर घोर अत्याचार। महात्मा गाँधी और सी० आर० दास प्रभृति स्वराजिस्ट नेताओं के बीच जुहू (बम्बई) में कान्फ्रेन्स और परस्पर विरोध; आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में स्वराजिस्टों द्वारा विरोध तदनन्तर एकता परन्तु कांग्रेस मेम्बर द्वारा २००० गज सूत दिये जाने की प्रतिज्ञा; बंगाल आर्डीनेंस तथा रेग्यूलेशन (१८१८) द्वारा गिरफ्तारियां; गांधी-स्वराजिस्ट पैक्ट (कलकत्ता) बेलगांव कांग्रेस (गाँधी सभापति) मौंट एवरेस्ट (कैलास) की चढ़ाई केवल ६०० फुट बाक़ी रही मेलोरी और अरविन इस उद्योग में मर गये।

१९२५ श्री सी० आर० दास की मृत्यु; श्री अरविन्द घोष को राजनैतिक कार्य के लिये निमंत्रण और उन की अस्वीकृति; श्री सेनगुप्त स्वराजिस्ट नेता बनाये गये। मुडिमैन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित (मार्च) श्री० तांबे (मध्य प्रांत के स्वराजिस्ट) कौंसिल के प्रेसीडेंट बन गये; मि० पटेल एसेम्बली के प्रेसीडेंट हुये; रिस्पाँसिव को-अपरेशन (प्रतियोगी सहकारिता) का बम्बई और मध्य प्रदेश में जोर जयकर, केलकर, और मुंजे का ऐसेम्बली से इस्तीफा; भारतीय टैक्स कमीशन का कार्य समाप्त

हुआ; करेन्सी कमीशन ने कार्य आरंभ किया; दक्षिणी अफ्रीका से शिष्ट मंडल का आगमन तथा एक शिष्टमंडल का भारत से जाना; एसेम्बली के स्वराजिस्ट मेम्बरों का विरोध सूचक उठकर चला जाना।

१९२६ लार्ड आयरविन की वायिसराय पर नियुक्ति, प्रांत से कौंसिलों तथा एसेम्बली के चुनाव, स्वराजिस्ट पार्टी का जोर काफी रहा, हिन्दू-मुसलिम दंगे कलकत्ते में तथा अन्य स्थानों में; करेन्सी कमीशन की रिपोर्ट जिसमें रुपया १ शि० ६ पेन्स किये जाने की सिफारिश की गई, भारतीय व्यापारियों का विरोध, रायल कृषि कमीशन की नियुक्ति, हिन्दू संगठन को वेगमयी प्रगति, रुई की मिलों संबंधी जांच के लिये टेरिफ बोर्ड कमेटी की नियुक्ति; भारत वासियों की अवस्था पर विचार के लिये दक्षिणी अफ्रीका को एक शिष्ट मंडल (सरजार्ज पैडिसन-सभापति) भारत सरकार ने भेजा; पटुआ खाली सत्याग्रह अबदुलरशीद द्वारा स्वामीश्रद्धानन्द की मृत्यु तथा अबदुलरशीद को फाँसी; कांग्रेस (गौहाटी)

१९२७ इंडियन सायन्स कांग्रेस (जनवरी) सर जे० सी० बोस सभापति, प्रथम अखिल भारतीय महिला परिषद् महारानी बड़ोदा अध्यक्ष, दक्षिणी अफ्रीका का समझौता और उस पर चर्चा, राजकुमारी पर अत्याचार के कारण खड्ग बहादुर युवक द्वारा हीरालाल का खून और ८ साल की सज़ा; रुपया का दाम १८ पेन्स; पददलित जातियों की महासभा यूरोप में और भारतीय प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना; काकोरी डकैती का मामला और अमानुषिक सज़ायें स्कीन कमेटी (अर्थात् फौजी सुधार कमेटी) की रिपोर्ट; श्री सुभाषचन्द्र बोस नज़र कैद से बीमारी की हालत में छोड़े गये; श्री० श्रीनिवास शास्त्री दक्षिणी अफ्रीका में भारत सरकार की ओर से एजेण्ट नियत हुये; पटुआ खाली सत्याग्रह में श्री० सचिन्द्रनाथ सेन की जेल यात्रा, "रङ्गीला रसूल" का मामला और राजपाल को सज़ा, वाइसराय द्वारा बिनातार द्वारा समाचार इत्यादि के भारत में प्रसार के लिये स्थान का उद्घाटन समारम्भ, मिस मेयो ने 'मदर इंडिया' नामक पुस्तक जिसमें भारत पर अपमानजनक आक्षेप किये गये हैं प्रकाशित की, शिमला में हिन्दू-मुसलिम एकता कान्फ्रेन्स, और वाइसराय का भाषण, श्री० हर बिलास शारदा द्वारा बिवाह बिल पेश होना, ओड़ीसा में भयंकर

... बाढ़ें, ब्रिटिश पार्लीमेंट द्वारा भारत के लिये स्टैचुटरी कमीशन की नियुक्ति (सरजान सायमन, अध्यक्ष) लार्ड वर्किन हेड (भारत मन्त्री) का भारत के लिये अपमानयुक्त भाषण, कमीशन का बायकाट देश को सुझाया गया, खड़गपुर के कर्मचारियों की हड़ताल, राष्ट्रीय कांग्रेस मद्रास। डा० अन्सारी अध्यक्ष। कांग्रेस का ध्येय बदल कर पूर्ण स्वातन्त्र्य रक्खा गया। मि० रलियाराम की अध्यक्षता में १४ वीं अखिल भारतीय कान्फ्रेन्स इलाहाबाद। बैकवे, बम्बई की फजूल खर्ची सम्बन्धी श्री० नरीमैन पर मि० हार्वी के मुकदमे की बहस दिसम्बर ३० तक। १९ वाँ अधिवेशन आल इंडिया मुसलिम लीग कलकत्ता श्री० मुहम्मद याकूब अध्यक्ष। लिबरल फिडरेशन (कलकत्ता) सर तेजबहादुर सप्रू अध्यक्ष। रिपबलिकन कांग्रेस मद्रास अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में सर मुहम्मद शफी की अध्यक्षता में प्रतिद्वंद्वी मुसलिम लीग की बैठक हुई। हकीम अजमलखां की मृत्यु।

———०———

समय

समय।

आर्यमतानुसार समय के विभाग

प्राचीन आर्यमतानुसार समय अथवा काल अनादि और अनंत है। उसका अनाद्यनंतत्व निम्न लिखित विवेचन से स्पष्ट होगा।

मनु तथा मनवंतर।

जगत का नियंता ब्रह्मदेव माना जाता है। मानवी काल गणनानुसार जब ४ अब्ज ३२ हजार वर्ष व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिवस होता है। जब इस प्रकार के दिवसों के १०० वर्ष व्यतीत होते हैं तब वह ब्रह्मदेव और उसकी सृष्टि लय को प्राप्त होती है। जग की उत्पत्ति होकर ब्रह्मदेव के ५० वर्ष हो चुके हैं। इस हिसाब से यह जगत कब उत्पन्न हुआ इसका पता चल सकता है। ब्रह्मदेव के एक दिवस के अंतगर्त १४ मनवंतर होते हैं उनमें से स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत व चाक्षुष समाप्त होकर वैवस्वत मनवंतर चालू है। इस के अनंतर सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, और इन्द्रसावर्णि ऐसे ७ मनवंतर होने वाले हैं।

युग।

प्रत्येक मनु ७१ महायुग तक रहता है। एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष चलता है। अब तक २७ महायुग हुये और २८ वां चल रहा है। इस महायुग में से कृतयुग (सतयुग) १७,२८,००० वर्ष, त्रेतायुग १२,९६,००० वर्ष, द्वापर युग ८,६४,००० वर्ष ऐसे तीन युग समाप्त हो चुके हैं और चतुर्थ युग अर्थात् कलियुग ४,३२,००० वर्ष चल रहा है जिसमें ५०२९ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

युगों की उत्पत्ति।

सतयुग की उत्पत्ति—कार्तिक शुक्ल ९, प्रथम प्रहर, चन्द्र श्रवण नक्षत्र, वृद्धि योग में हुई। इस युग में सूर्यग्रहण १६०० और चन्द्रग्रहण १०,००० हुये। मनुष्य आयुर्बल १ लाख वर्ष थी। उँचाई २१ हाथ। द्रव्य रत्न और पात्र सुवर्ण था। प्राण ब्रह्माण्डमय। तीर्थ पुष्कर।

त्रेता युग की उत्पत्ति—वैशाख शुक्ल ३, चन्द्र रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग; द्वितीय प्रहर, में हुई। इस युग में सूर्य ग्रहण १८०० और चन्द्रग्रहण ११००० हुये। प्राण अस्थिमय। मनुष्य आयुर्बल १०००० वर्ष और उँचाई १४ हाथ थी। द्रव्य सुवर्ण और पात्र चांदी था। तीर्थ नैमिषारण्य।

द्वापर युग की उत्पत्ति—माघ कृष्ण ३० शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र में चन्द्र, वरियसि योग वृष लग्न । सूर्यगृहण ३६००, और चन्द्रगृहण २०,००० इस युग में हुये। मनुष्य आयुर्बल १००० वर्ष, ७ हाथ उँचाई, और रुधिरगत प्राण चाँदी के सिक्कों का प्रयोग और ताम्र के पात्र बनना। तीर्थ कुरुक्षेत्र।

कलियुग की उत्पत्ति—भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार, चन्द्र अश्लेषा नक्षत्र, व्यतिपात योग अर्ध रात्रौ मिथुन लग्नोदय में हुई । मनुष्यायुर्बल १०० वर्ष, उँचाई ३॥ हाथ, अन्नमय प्राण। द्रव्य कूट और पात्र मिट्टी। अस्थिका व्यवहार तीर्थ गङ्गा।

वर्ष ।

वेद कालीन ज्योतिषशास्त्रज्ञों ने कालमान का माप निश्चित करके समय के छोटे विभाग इस प्रकार किये हैं:- वर्ष, ऋतु, मास, वार।

सूर्य के चारों ओर पृथिवी की एक प्रदक्षिणा समाप्त होने में जो काल व्यतीत होता हैं उसे सौरवर्ष कहते हैं। इस में ३६५ दिन, ५ घन्टे, ४८ मिनट और ४७॥ सेकंड होते हैं परंतु चन्द्र भी पृथ्वी की चारों ओर फिरता है उस में २७ दिन, १२ घंटे, ४८ मिनट और २८ सेकंड लगते हैं इसे चन्द्र का एक मास कहते हैं इस प्रकार १२ फेरे लगाने में जो कालक्षय होता है उसे चान्द्रवर्ष कहते हैं। चान्द्रवर्ष में ३५४ दिन, ९ घंटे, ४८ मिनटे, और ३३.५५ सेकंड होते हैं।

प्राचीन काल में कुछ समय तक ५ सौर वर्षों को एक लघुयुग और ५ गुरुवर्षों को अर्थात ६० वर्षों को १ युग कहने की प्रथा चलती रही। पंचवार्षिक युग के वर्षों के नाम इस प्रकार थे—संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इदवत्सर। ६० सौरमास अथवा ६२ चान्द्रमास का एक युग उसमें संवत्सर में ३५५ दिन, परिवत्सर में ३५४ दिन, इदावत्सर में ३८४ दिन अनुवत्सर में ३५४ दिन, और इदवत्सर में ३८३ दिन समझे जाते थे. इनके प्रीत्यर्थ यज्ञ में आहुति दी जाती थी। किंतु अब इन युगों के मानने की प्रथा नहीं है. बृहस्पति को सूर्य की चारों ओर फिरने में १२ वर्ष लगते हैं इस लिये यह वर्ष बार्हसपत्य अथवा गुरुवर्ष कहलाता है। इस प्रकार ५ गुरुवर्षों में ६० साधारण वर्ष अथवा संवत्सर होते हैं जिनमें प्रत्येक का एक नाम होता हैं जो प्रभव से आरंभ होकर क्षय तक हैं संवत्सरों के ये नाम आज तक प्रचलित हैं।

ऋतु ।

ऋतु ६ हैं. वसंत (चैत्र–वैशाख,) ग्रीष्म (ज्येष्ठ–आषाढ,) वर्षा (श्रावण-भाद्रपद,) शरद (आश्विन–कार्तिक) हेमन्त (मार्गशीर्ष–पौष) शिशिर (माघ–फालगुन,)। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऋतुओं का भेद शीतोष्ण में न्यूनाधिक्य के कारण होता है.

पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानामृतून प्रशासद्विदधावनुष्ठ ॥ ऋ० १—९५–३ ॥ सूर्य ऋतुओं का नियमन कर पृथ्वी की पूर्वादि दिशायें एक के बाद दूसरी निर्माण करता है. तैत्तिरेय संहिता में भी उपरोक्त षड्ऋतुओं के नाम दिये हैं. किसी २ स्थान पर हेमंत और शिशिर का एकीकरण करके केवल ५ ऋतु माने हैं. "वसंतो ग्रीष्मो वर्षाः. ते देवा ऋतवः शरद्धेमतः शिशिरस्ते पितरो·········स यत्रोद्गा वर्तते. देवेषु तर्हि भवति······यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवति." (शत–ब्राह्मण २–१.) वसंतादि पहिले तीन ऋतु देवों के माने जाते हैं और शेष पितरों के. इसी के कारण भीष्म पितामह ने दक्षिणायन में (अर्थात पितृ ऋतुओं के मध्य) प्राणत्यागना उचित न समझा.

मास ।

चंद्र की सांवतसरिक गति २७ नक्षत्रों द्वारा होती हैं उसमें से जो नक्षत्र जिस पौर्णिमा को उदय होता है उसी के अनुसार मास का नाम रखा गया है. उदाहारणार्थ, चित्र नक्षत्र युक्त पौर्णिमा वाला मास चैत्र. इसी प्रकार विशाखा, ज्येष्ठा, अषाढा, श्रवण नक्षत्रों युक्त पौर्णिमा से भिन्न २ मास के नाम हैं. कभी २ इन नक्षत्रों का उदय आगे पीछे भी होता है ।

वार ।

वारों के नाम वेदों में नहीं हैं। वार की जगह वासर शब्द मिलता है । अथर्व ज्योतिष में इस कार श्लोक हैः—

आदित्यः सोमो भौमश्च
तथा बुधबृहस्पती ।
भार्गवः शनैश्चरै श्चैव
एते सप्तदिनाधिपाः ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इस प्रकार श्लोक है ।

सूर्यः सोमो महीपुत्रः
सोमपुत्रों बृहस्पतिः ।
शुक्रः शनैश्चरो राहुः
केतुश्चेते ग्रहाः स्मृताः ॥

इस में नवग्रहों के नाम दिये हैं इससे पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि के समय में दिनों के नाम पूचलित हो गये होंगे ।

पंचाङ्ग ।

जिस में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये पाँच अंग हों उसे पञ्चाङ्ग कहना चाहिये । इसी कारण जिस पुस्तक में वर्ष सम्बन्धी ग्रहों तथा नक्षत्र राशि इत्यादि का ज्ञान रहता है उसे पञ्चाङ्ग कहने का प्रघात पड़ गया है ।

तिथि ।

आमावस्या के रोज सूर्य और चन्द्र एक स्थान में रहते हैं और फिर चन्द्र प्रतिदिन हटता २ दूसरी ओर पौर्णिमा तक जाता है और फिर वापिस आते २ आमावस्या को सूर्य के साथ एक स्थान

में आजाता है। इस गति के ३६० अंश होते हैं और इन ३६० अंशों में ३० तिथियाँ होती हैं अर्थात १ चांद्र मास में ३६० अंश और ३० तिथियां होती हैं। दूसरे अर्थ से १ तिथि में चन्द्र १२ अंश सूर्य से हट जाता है। ६३.९ दिनों में १ तिथि का लोप हो जाता है अर्थात १२ चाँद्रमास में ५-६ तिथियों का लोप हो जाता है। दोदिन सूर्योदय पर एक ही तिथि रहने से तिथि वृद्धि और सूर्योदय पर तिथि न रहने पर तिथि क्षय होती है।

वार।

सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते हैं।

नक्षत्र।

नक्षत्र मंडल के २७ भाग किये गये हैं जिस प्रत्येक भाग में ८०० कलायें होती हैं। इस प्रत्येक भाग के क्रमण करने में चन्द्र को जितना समय लगता है उस काल को नक्षत्र कहते हैं [नोट-ताराओं के कुछ विशिष्ट समूह को भी नक्षत्र कहते हैं] नक्षत्र २७ हैं वे इस प्रकार हैं- अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, अर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, सूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्टा, शततारका, पूर्वाभाद्र-पदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती। इन्हीं नक्षत्रों से मिलकर १२ राशियाँ बनती हैं जो इस प्रकार हैं-मेष, वृषभ, मिथुन कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन।

योग।

योग—चन्द्र सूर्य के भोगमान को योग (जोड़) करके उस पर से ८०० कलाओं के योग आने में जो काल व्यतीत होता है उसे योग कहते हैं।

करण।

करण—तिथि के आधे समय का अन्तर पड़ने के काल को करण कहते हैं।

ज्योतिष शास्त्र।

ज्योतिष शास्त्र को इस उच्चावस्था तक पहुंचाने का श्रेय आर्यभट्ट (शक ३९८) वराह मिहिर (शक ४२७) ब्रह्मगुप्त (शक ५२०) प्रभृति प्राचीन पंडितों को है। जयपुर, काशी, उज्जयनी मथुरा, तक्षशीला आदि स्थानों में आकाश में ग्रह तथा नक्षत्रों के वेध देखने के लिये वेध शालायें थीं।

जोतिष शास्त्र पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। १८ सिद्धान्त लिखे गये थे ऐसा कहते हैं जिनमें से पाराशर तन्त्र, गर्ग संहिता, ब्रह्मसिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त वसिष्ट सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, पुलिस्त सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं इन अंत के पाँच सिद्धांतों पर से वराह मिहिर ने पंचसिद्धान्तिका नामक ज्योतिष ग्रन्थ लिखा।

प्रचलित सन्।

भारत में अनेक सन जारी हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।

सप्तर्षि काल।

काल गणना की यह पद्धति काश्मीर तथा उसके निकटवर्ती प्रान्तों में चालू है। इसे "लौकिक काल" अथवा "शास्त्र काल" भी कहते हैं। ध्रुव नक्षत्र की चारों ओर १०० वर्ष में सप्तर्षि एक नक्षत्र आक्रमण करते हैं। इस प्रकार २७०० वर्ष में प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। इसी सिद्धान्त पर यह काल गणना निर्धारित है। प्रत्येक सौ वर्ष के अनंतर वर्षों के पहिले नाम का आरम्भ हो जाता है।

विक्रम सम्वत।

उत्तरी हिन्दुस्थान में (बङ्गाल छोड़कर) यह सम्वत् प्रचलित है। ईस्वी सन् के ५६ वर्ष पहिले इस सम्वत् का प्रारम्भ माना जाता है परन्तु उसके ६०० वर्ष पीछे तक भी इस सम्वत् का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता ऐसा विद्वानों का मत है। ऐसा भी कहते हैं कि लगभग ६०० ईस्वी में उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने परदेशी आक्रमण करने वालों को परास्त किया इस कारण उक्त विक्रमादित्य के नाम से यह सम्वत्सर जारी हुआ। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यह सम्वत् ईस्वी सन् के ५६ वर्ष पूर्व से मालव कुलोत्पन्न लोगों में जारी था और विक्रमादित्य के काल में मालव जाति की उन्नति हुई इस कारण उसका नाम इस सम्वत् से सम्बद्धित कर दिया गया।

शालिवाहन शक।

शालिवाहन नामक एक कुम्हार के पुत्र ने मिट्टी की सेना तैयार करके उसमें जीव भर दिया और इस मिट्टी की सेना से शक जाति को परास्त किया। स्पष्ट अर्थ यही है कि मृत्तिकावत निर्जीव प्रजा को उत्तेजना देकर शालिवाहन ने युद्ध करने पर तत्पर कर दिया और शक जाति के योद्धाओं को हरा कर नर्मदा के पार उत्तर की ओर भगा दिया। इसी विजय के उपलक्ष में शालिवाहन नृप शक आरम्भ किया गया। मलबार व तिन्नेवल्ली प्रदेश छोड़कर यह शक सारे दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसका वर्ष चांद्र व सौर है। भारत के उत्तरी प्रदेशों में से अनेक प्रदेशों में अन्य स्थानिक संवत्सरों के साथ शक सन का भी उपयोग किया जाता है। नर्मदा के उत्तर में इसके महीने पौर्णिमान्त हैं और दक्षिण भाग में अमान्त हैं। इसका आरम्भ ईस्वी सन के ७८ वें वर्ष में हुआ। कतिपय इतिहासकारों का कहना है कि ईस्वी सन की पहली शताब्दी में शक राजा कनिष्क के नाम से यह शक आरम्भ हुआ अर्थात् बौद्ध धर्मीय राजा के नाम का यह शक है। इस राजा ने काश्मीर और पश्चिमी भारत पर अपनी सत्ता

जमाई इस कारण यह शक प्रचलित हुआ। तिब्बत, ब्रह्मदेश, जावा, सिंहल द्वीप इत्यादि प्रदेशों में यह शक प्रचलित था। प्राचीन लेखों में "शक नृपकाल" "शकेन्द्र काल" ऐसा वर्णन है। बङ्गाल के पंचांगों में "शकनरपतेः अतिताब्द" वर्णन रहता है।

हिजरी सन्।

यह सन् अरबस्थान का है। मुसलमानी धर्म के स्थापक श्री मुहम्मद पैगम्बर को धर्म सम्बन्धी सुधारणायें करने के प्रयत्नों के कारण अपने प्राण रक्षा करने के निमित्त मक्का से मदीना भागना पड़ा। वह समय हिजरी अथवा पलायन काल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रारम्भ ई० स० ६२२ में ता० १५ जुलाई को हुआ शक शालिवाहन ५४४ (संवत् ५६६ वि.) श्रावण शुद्ध २ गुरुवार रात्रिकाल अथवा मुसलमानी शुक्रवार की रात्रि को आरम्भ हुआ। बारा चन्द्रमास मिलकर ३५४–५५ दिनों का हिजरी वर्ष होता है। वार का आरम्भ सूर्यास्त से होता है। यह सन् मुसलमानी शासन काल में भारत में आया।

बङ्गाली सन।

बङ्गाली सन् बङ्गाल में प्रचलित है। इसका आरम्भ ईस्वी सन् के ५९३ वर्ष बाद हुआ। वर्ष का आरम्भ मेष संक्रान्ति से (चैत्र-वैशाख) होता है। इस प्रारम्भिक मास को वैशाख कहते हैं।

विलायती सन व अमली सन।

उड़िया प्रान्त के राजा इन्द्रद्युम्न की जन्मतिथि भाद्र पद शुक्ल १२ से अमली वर्ष आरम्भ होता है। वर्ष चांद्र और सौर है।

विलायती सन बङ्गाल के कुछ भागों में और विशषतः उड़ीसा प्रान्त में प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है किन्तु मासों के नाम चांद्र हैं। वर्षारम्भ कन्या राशि की संक्रान्ति से (भाद्रपद से) आरम्भ होता है।

ये दोनों सन् ईस्वी सन् के पश्चात् ५९२ से आरम्भ हुये हैं।

फसली सन।

अकबर ने यह सन् आरम्भ किया। अकबर का राज्यारोहण ई० स० १५५६ में हुआ उसी समय से फसली सन् का प्रारम्भ है। वर्षारम्भ आश्विन कृष्ण १ से होता है। ई० सन् से फसली सन् ५९२–९३ वर्ष कम है। यह सन् फसलों के हिसाब से है।

सूर सन।

यह सन् मराठों के शासन काल में प्रचलित रहा। इस सन् को शाहूर सन् भी कहते हैं। कहीं २ अब भी जारी है। ईस्वी सन् से ५९९–६०० वर्ष कम है। महीनों के नाम मुसलमानी हैं।

मगी सन।

यह सन् चिटगाँव (पूर्वी बङ्गाल) की ओर प्रचलित है। बङ्गाली सन् से ४५ वर्ष कम है। अन्यथा दोनों एक से हैं।

कोल्लम अथवा परशुराम काल ।

यह सन् केरल देश अर्थात् मलाबार में जारी है । मङ्गलौर से रासकुमारी तक कोल्लम काल कहते हैं। मासों के नाम राशियों के अनुसार हैं जैसे कन्नी व चिंगम नाम कन्या व सिंह राशियों के अपभ्रंश हैं। मलाबार के उत्तर भाग में कन्या राशि में सूर्य आते ही (अर्थात् भाद्रपद में) वर्षारम्भ होता है। अन्य स्थानों में सिंह राशि में सूर्य आते ही (श्रावण में) वर्ष आरम्भ होता है। १००० वर्ष का एक चक्र इस प्रकार चौथा चक्र चालू है ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। ईस्वी सन् से ८२४-२५ वर्ष यह सन् कम है। केरल प्रदेश परशुराम ने समुद्र से मुक्त किया इस कारण यह काल उनके नाम से जारी हुआ ऐसी वदन्ता है।

राज शक ।

श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल १३ आनन्द नाम संवत्सर शके १५९६ को आरम्भ किया । यह वर्ष उसी तिथि से बदलता है। ई० सन् से यह वर्ष १६७३-७४ वर्ष कम है।

ईस्वी सन ।

अंग्रेज़ी राजसत्ता भारत में स्थापन होने के साथ ही यह सन् भारत में जारी हुआ । सुप्रसिद्ध धर्म संस्थापक येशूख्रिस्त की जन्मतिथि से यह सन् आरम्भ हुआ । पहिली जनवरी से आरम्भ होता है । प्रत्येक मास के दिन निश्चित हैं और यह वर्ष सौर वर्ष होने के कारण ४ वर्ष में फरवरी मास में १ दिन जोड़ दिया जाता है। किन्तु १०० वर्षमें १ दिन की अधिकता पड़ जाती है इस कारण फरवरी मास के २८ ही दिन प्रत्येक १०० वर्ष में रक्खे जाते हैं। तृतीय जार्ज के समय में एक वर्ष में से इकदम ११ दिन कम कर दिये गये और सौर वर्ष से मिलान कर लिया गया।

जगत के भिन्न २ स्थानों का समय ।

—=×=—

ग्रीनविच (इङ्गलैण्ड) १२ बजे मध्यान्ह ।

——×•×——

म० पू०=मध्यान्ह पूर्व   म० प०=मध्यान्ह पश्चात् ।

——०—०—०—०——

स्थान	समय	स्थान	समय
एडलेड	९-१४ म० प०	बरनी	०-३० ,,
एडिनबर्ग	११-४७ म० पू०	बम्बई	४-५१ ,,
आक्लैण्ड (न्यूजीलैंड)	११-३९ म० प०	बोस्टन (यू० एस)	७-१६ म० पू०
कलकत्ता	५-५३ ,,	ब्रिसबेन (क्वीन्सलैंड)	१०-१२ म० प०
केप आफ गुडहोप	१-१४ ,,	ब्रुसल्स	०-१७ ,,
कंस्टेन्टीनोपल (कुस्तुन्तुनिया)	१-५६ ,,	मद्रास	५-२१ ,,
क्यूबेक	७-१५ म० पू०	मेड्रिड	११-४५ म० पू०
ग्लासगो	११-४३ ,,	माल्टा	०-५८ म० प०
जेरुसलम	२-२१ म० प०	मेलबोर्न (आस्ट्रिया)	९-४० ,,
टोरोन्टो	६-४२ म० पू०	मास्को	२-३० ,,
डब्लिन	११-३५ ,,	रोम (इटली)	०-५० ,,
न्यूफाउंडलैंड S. Jns.	८-२९ ,,	रेटरडेम	०-१८ ,,
न्यूयार्क	७—४ ,,	लिसवन	११-२३ म० पू०
पेरिस	९—९ म० प०	व्हेन्कोवर	३-३८ ,,
पेकिन	७-४६ ,,	व्हायना	१—५ म० प०
पेनजेन्स	११-३७ म० पू०	सिडनी	१०—५ ,,
पर्थ (आस्ट्र०)	७-४३ म० प०	स्वेज	२-१० ,,
पोर्ट मोरेसबी	१०—४ ,,	सैनफ्रान्सिसकोपोर्ट	३-५२ म० पू०
प्रेग	०-५८ ,,	सेन्टपिटर्सबर्ग	२—१ म० प०
फ्लारेंन्स	०-४५ म० पू०	स्टाकहोलम	१-१२ ,,
फिलाडेलफिया	६-५९ ,,	हाबर्ट (टस्मानिया)	९-४९ ,,
बर्लिन	०-५४ म० प०		

——०——

१९२८

सन् १९२८ का तिथिक्रम ।

——×०×——

जनवरी ।

१—कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अनेक संस्थाओं को स्वराज्य का मसौदा तैयार करने के लिये निमन्त्रण दिया ।

नूतन वर्ष के उपलक्ष में सरकारी पदवियाँ बाँटी गईं ।

गवालियर में स्त्रियों के लिये मेटरनिटी होम खोला गया ।

२—महाराजा भरतपुर ने अपने राज्य के शासन सम्बन्धी सरकारी शर्तें मान लीं ।

मद्रास कौंसिल में श्री० यस० सत्य-मूर्ति ने सायमन कमीशन पर असन्तोष का प्रस्ताव पेश किये जाने के लिये भेजा वह सरकार ने पेश किये जाने से रोक दिया ।

३—बम्बई में १०००० मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी । लखनऊ में आर्थिक कान्फ्रेन्स (३–४–५)

४—श्री० नारायण रेडी स्वराजिस्ट मेम्बर मद्रास कौंसिल के सन्यासी हो जाने के कारण दीवान बहादुर पी० केशवपिल्ले मेम्बर चुने गये ।

इंडियन सायन्स कान्फ्रेन्स कलकत्ते में आरम्भ हुई ।

मौलवी याकूबखाँ सम्पादक 'लाइट' लाहौर को १५३ ए दफा में सज़ा ।

युक्त प्रांतीय सिविलसर्विस परीक्षा इलाहाबाद में आरम्भ हुई ।

५—सर विलियम मैरिस गवर्नर यू. पी. ने अपना स्थान खाली करने के पहिले दरबार किया । पबलिक ने दरबार के बायकाट का प्रस्ताव किया ।

बम्बई में बी. बी. सी. आई. रेलवे की बिजली की रेलें आरम्भ हुईं ।

श्री० श्रीनिवास अयङ्गर डिपटी लीडर कांग्रेस पार्टी ने सायमन कमीशन बायकाट पर विज्ञप्ति प्रकाशित की ।

६—बम्बई के मिल मजदूरों की हड़ताल जारी । कुछ दङ्गे और मजदूर सभायें ।

तृतीय अवध प्रान्तीय हिन्दू सभा । आगरा प्रान्तीय जमीदार सभा की वार्षिक बैठक ।

७—अखिल भारतीय पोष्टमैन और अन्य छोटे कर्मचारियों की सभा (मि० जिन्ना सभापति)

राजपाल (प्रकाशक रङ्गीला रसूल) पर हमला करने वाले खुदाबख्श की अपील लाहौर हाईकोर्ट में सुनी गई।

बम्बई की तीन मिलों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुये।

८—आदिद्राविड कान्फ्रेंस की बैठक (मद्रास), एल. जी. गुरु स्वामी अध्यक्ष, सायमन कमीशन का स्वागत।

९—खुदाबख्श की अपील खारिज हुई सिर्फ जमानत का हुक्म रद्द हुआ।

यवतमाल जल कान्फ्रेंस ने सायमन कमीशन का वायकाट पास किया।

महाराज रीवाँ ने वाइसराय को भोज दिया।

१०—सर अली इमाम की अध्यक्षता में इलाहाबाद में वर्तमान परिस्थिति पर सभा हुई और उन्होंने संयुक्त निर्वाचन पर ज़ोर दिया।

बिहार कौंसिल के लिये बाबू शारदा प्रसाद सिंह का चुनाव श्री० राम अनुग्रह नरायन सिंह के दावे पर रद्द किया गया।

११—प्रान्तीय कौंसिल के अध्यक्षों की कान्फ्रेंस की बैठक (श्री० पटेल अध्यक्ष)

मद्रास में सायमन कमीशन के वायकाट के लिये अनेक नेताओं की सभा।

सर विलियम मैरिस के जाने के उपलक्ष में तीनों मिनिस्टरों ने भोज दिया।

१२—सर शापुरजी बिलीमोरिया इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर के सभापति चुने गये। (बम्बई)

कलकत्ते में प्राचीन 'टनेल' (बोगदा) पाया गया जो ३० फुट चौड़ा और कई फर्लाङ्ग लम्बा निकला जो सिराजुद्दौला के समय का बताया जाता है।

१३—कलकत्ता खयानत के मुकदमे की अपील डिसमिस हुई।

सर अलेकजेंडर मुडीमैन यू. पी. के नये गवर्नर बम्बई में उतरे।

१४—राय बहादुर जितेन्द्रनाथ बेनर्जी डिपटी सुपरडेण्ट सी. आई. डी. को बनारस में एक बङ्गाली युवक ने गोली से मार दिया।

सर अलेकजेण्डर मुडिमैन ने यू. पी. के गवर्नर पद का चार्ज लिया।

१५—पञ्जाब मुसलिम लीग की स्थापना।

१६—मद्रास की जस्टिस पार्टी ने एक कमेटी मुकर्रर की जो सायमन कमीशन के सामने स्वराज्य का मसौदा बनाकर पेश करे।

बिहार कौंसिल में उर्दू अदालती भाषा रहे ऐसा प्रस्ताव पास हुआ। हिन्दुओं का विरोध।

आल इंडिया स्त्री शिक्षा कान्फ्रेंस नागपुर की बैठक।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सब संस्थाओं को सर्वदल सम्मेलन के लिये निमंत्रण दिया।

१७—सी. पी. कौंसिल में ग्राम पंचायत बिल पास हुआ।
श्री० यूसिफ़ अली का ब्याह मिस गंगोली से ठहरने का समाचार प्रकाशित हुआ।

१८—मौलाना अकबरअलीखाँ, सम्पादक "जमीदार" दफा १०८ जाबता फौजदारी में गिरफ्तार हुये।
अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा की बैठक। पं० मदन मोहन मालवीय सभापति।
यू. पी. गवर्नर दिल्ली में वाइसराय से मिलने बुलाये गये।
सर फीरोज सेठना ने प्रस्ताव कौंसिल आफ़ स्टेट में भेजा कि भारत सरकार और भारत मंत्री के बीच सायमन कमीशन संबंधी चिट्ठी पत्री प्रकाशित की जावे।
आई. डी. टी. (लखनऊ) के सम्पादकों ने मुकदमें में माफी मांगी।
श्री० सुभाषचन्द्र बोष के स्टेट्समैन पर मानहानि के मुकदमे की हाईकोर्ट में अपील सुनी गई।

१९—टाइम्स (लंदन) ने भारतीय नेताओं पर हमला किया।
शिरोमणि अकाली दल ने सायमन वायकाट पास किया।
महाराष्ट्र, सी० पी०, विहार में वायकाट आन्दोलन।
सेठ गोविन्दासने एक अंग्रेजी कप्तान पर तौहीन का दावा फौजदारी में किया।

२०—नैनी जेल में कैदियों ने दंगा किया।
सी० पी० कौंसिल ने सायमन कमीशन के वायकाट का प्रस्ताव पास किया।

२१—माघ मेला कृषि प्रदर्शिनी का उद्घाटन (इलाहाबाद),
रे० चटरजी लेजिसलेटिव एसेम्बली में देशी ईसाइयों के प्रतिनिधि नियोजित हुये।
बम्बई प्रान्तीय युवक सभा (श्री० नरीमैन अध्यक्ष) की बै[illegible]

२२—पंजाब कौंसिल आरम्भ।
मद्रास कौंसिल के मेम्बरों ने सायमन कमीशन वायकाट के प्रस्ताव पर विचार किया।

२३—नागपुर दंगों के अभियुक्त बरी हुए।
वाइसराय जोधपुर गये।
मद्रास कौंसिल में सायमन कमीशन वायकाट का प्रस्ताव पेश हुआ।

२४—इलाहाबाद में विराट सभा सायमन कमीशन वायकाट पर हुई।
बनारस में मि० जितेन्द्रनाथ बनर्जी को गोली मारने का मुकदमा आरम्भ हुआ। और दूसरे दिन सेशन सुपुर्द हुआ।
पीपुल्स पार्टी मद्रास के पदाधिकारी चुने गये।

२५—मद्रास कौंसिल ने सायमन कमीशन वायकाट प्रस्ताव पास कर दिया।

एसेम्बली के बैलट में सर हरीसिंह गौर का "सिविलमैरेज बिल" निकला।

एसेम्बली की फाइनेन्स कमेटी के सामने सायमन कमीशन का खर्च इस साल का रु० ६,९१००० (कुल आगे होगा रु० ८,७३,०००) पास किये जाने के लिये पेश हुआ परंतु मुलतवी हुआ।

मि० जयकर का सायमन कमीशन बायकाट संबंधी प्रस्ताव बहस के लिये नहीं रक्खा गया।

२६—एस. आर. दास ने पबलिक स्कूल स्थापित करने के लिये पत्र प्रकाशित किया।

दिल्ली में रोड डिवेलपमेंट कमेटी के सामने मि० गोवेन प्रतिनिधि पंजाब चेम्बर आफ कमर्स की गवाही हुई।

यू. पी. कौंसिल के कुछ मुसलमान मेंबरों ने सायमन कमीशन के स्वागत का मेनीफेस्टो प्रकाशित किया।

२७—मि० नरीमैन मानहानि के मुकदमे से बरी हुए।

महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी तथा बङ्गाल मुसलिम लीग ने सायमन कमीशन बायकाट पास किया।

आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर मद्रास से इलाहाबाद गया।

यू. पी. सरकार ने हिन्दू धार्मिक दानों की जांच के लिये कमेटी बनाई।

२८—रेलवे स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने ४ रेलवे लाइनें बनाना मंजूर कीं।

यू. पी. ओलिम्पिक गेम्स इलाहाबाद में समाप्त। इलाहाबाद सर्वोच्च रहा।

२९—गामा रुस्तमेहिन्द (पहिलवान) और रूसी पहिलवान जेबिस्को के बीच कुस्ती और गामा की विजय।

३०—दिल्ली में पुलिस ने डाकुओं का गेंग पकड़ा।

इलाहाबाद में पुलिस ने कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके रात तक रक्खा।

३१—असेम्बली के कांग्रेस पार्टी की बैठक सायमन कमीशन बायकाट पर विचार के लिये।

—+—

फरवरी ।

१—मि० जेम्समेकनील आइरिश फ्री स्टेट के गवर्नर जनरल मुकर्रर हुये ।

२—महाराजा पटियाला ने देशी राज्यों की जाँच कमेटी को भोज दिया और देशी राज्यों के संधि पत्रानुसार अधिकारों पर अपने भाषण में जोर दिया ।

३—भारतवर्ष भर में हड़तालें हुईं । मद्रास में सायमन कमीशन बायकाट करने वाली जनता पर पोलिस ने गोली चलाई ।

४—मनीन्द्रनाथ को सी. आइ. डी. इन्स्पेक्टर पर गोली चलाने के मुकदमे में १० साल की सजा दी गई । (बनारस)
कलकत्ते में साइमन कमीशन बायकाट के कारण अनेक मनुष्य गिरफ्तार किये गये ।

५—लंदन की मसजिद के लिये निजाम ने ५ लाख रुपये दिये ।

६—इंडिया कौंसिल के मेंबर सर विलियम विसेंट की मियाद बढ़ा दी गई ।

७—सर जान साइमन ने एक स्टेटमेंट प्रकाशित किया ।

८—विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जाइंट कान्फ्रेंस का विचार जो साइमन ने पेश किया नामन्जूर कर दिया ।

९—सरकार ने रिजर्व बैङ्क बिल को त्याग दिया ।

१०—अमरीकन सीनेट ने यह प्रस्ताव पास किया कि कोई भी सभापति ३ दफे न चुना जा सके ।

११—यूरोप और ब्रिटेन में भयङ्कर तूफान जिससे अनेक आदमी मारे गये ।

१२—मि० हूबर यूनाइटेड स्टेट्स अमरीका के सभापतित्व के लिये खड़े हुये ।

१३—एसेम्बली ने टेरीटोरियल फोर्सेज बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा ।

१४—अंगोरा में टर्की बलगेरियन संधि पर दस्तखत हुये ।

१५—लार्ड एसक्विथ की मृत्यु ।

१६—मुस्तफाकमाल पाशा अंगोरा के सड़क में यकायक बेहोश हो गये किंतु फिर अच्छे हो गये ।

१७—मि० हरीचन्द विशनदास मेंबर एसेम्बली की मृत्यु ।

१८—एसेम्बली ने ला० लाजपतराय द्वारा साइमन कमीशन बायकाटका प्रस्ताव ७२ पक्ष और ६८ विपक्ष के वोटों से पास किया ।

१९—महाराजा नाभा का राजपद छीन लिया गया और कोडाइकनल में नजर कैद किये गये ।

२०—एसेम्बली में रेलवे बजट पेश हुआ ।

२१—नेताओं ने लार्ड बर्किनहेड का मुंह तोड़ जवाब प्रकाशित किया ।

२२—सायमन कमीशन कलकत्ते से मद्रास गया।

२३—कौंसिल आफ स्टेट ने सायमन कमीशन से सहयोग पास किया।

२४—वाइसराय ने बर्मा सी पैसेंजर (समुद्री मुसाफिर) बिल को अनुमति नहीं दी।

२५—यू. पी. कौंसिल ने सायमन कमीशन बायकाट पास किया।

२६—दिल्ली में सार्वजनिक सभा द्वारा महाराजा नाभा के पदच्युत किये जाने का विरोध किया गया।

२७—सर आस्टिन चेम्बरलेन ने घोषित किया कि अमरीका "मलटीलेटरल" संधि करने पर तैयार नहीं हैं।

२८—एसेम्बली ने रेलवे बजट की मांगें पास कर दीं।

२९—उगण्डा के हिन्दुस्थानियों ने कमीशन के लिये मेमोरेंडम तैयार किया और भेजा।

मद्रास में साइमन कमीशन के सदस्य अनेक ग्रामों में गये।

—०×०—

मार्च।

१—बम्बई सरकार ने डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के जमा खर्च की जांच के लिये कमेटी नियुक्त किया जाना मन्जूर किया।

२—एसेम्बली ने बर्मा साल्ट ऐक्ट एमेंडिंग बिल पास किया।

३—मिश्र सरकार (केबिनेट) ने ऐंग्लो-इजिपशियन संधि का मसौदा नामन्जूर किया।

४—लाहौर हाईकोर्ट ने पंडित इंद्र की जमानत की दरख्वास्त नामन्जूर की।

५—लार्ड सिंह की मृत्यु।

६—सर्वतपाशा और नहसपाशा ने मन्त्री मण्डल बनाने से इनकार किया।

७—हौस आफ कामन्स ने ब्रिटिश गायना कान्स्टीटयूशन बिल की दूसरी आवृत्ति पास की।

८—कमांडर-इन-चीफ ने स्कीन कमेटी रिपोर्ट संबंधी सरकारी फैसले प्रकाशित किये।

९—सर्वदल सम्मेलन की बैठक दिल्ली में हुई और संयुक्त चुनाव पद्धति पर विचार किया गया।

१०—मि० टी. एम. वेङ्कटराम शास्त्री मद्रास सरकार के ला० मेंबर हुये।

११—मि० जिन्ना का प्रस्ताव कि स्कीन रिपोर्ट भारत को पसन्द नहीं है (७० पक्ष और ४१ विपक्ष वोटों से) पास हुआ।

१२—हाउस आफ कामन्स ने रिप्रेजेण्टेटिव आफ दी पीपुल बिल की तीसरी आवृत्ति पास की।

१३—मि० व्यङ्कटराम शास्त्री नये ला मेंबर ने इस्तीफा दिया।

१४—मि० सिलर शुद्ध होकर हिन्दू हुईं।

१५—मि० एस० मुथिया मुडालियर और सेतु रत्नम अय्यर मद्रास के मिनिस्टर नियुक्त हुये।

१६—लन्दन में लार्ड सिन्हा की मृत्यु पर सार्वजनिक सभा की गई।

१७—महाराजा इंदौर ने मिस नैन्सीमिलर से ब्याह किया।

१८—यू. एस. प्रतिनिधि सभा ने लड़ाई के जहाजों के बनाये जाने का प्रोग्राम मन्जूर किया।

१९—एसेम्बली ने फाइनेन्स बिल पास किया (६१ पक्ष और ४१ विपक्ष)

२०- नये मिनिस्टरों के विरुद्ध असन्तोष का प्रस्ताव मद्रास कौंसिल में नामन्जूर हुआ।

२१—जेनीवा में डिसआर्मामेंट कान्फ्रेंस की बैठक।

२२—कानपुर बम्ब केस का मुकदमा आरम्भ।

२३—बंगाल कौंसिल ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की तनख्वाह नामंजूर की।

२४—कलर बारएक्ट नाटाल (अफ्रीका) को लागू किया गया।

२५—पंडित मालवीय ने लाजपतराय मेमोरियल लाइब्रेरी की नीव का पत्थर रक्खा।

२६—सर जान सायमन एसेम्बली में बहैसियत दर्शक आये।

२७—एसेम्बली बिला तारीख के मुलतवी कर दी गई।
जेरुसलम में मिशनरी कान्फ्रेंस में विशप आफ मेंचस्टर ने महात्मा गाँधी को जगत में 'सबसे बड़ा व्यक्ति' बताया।

२८—दीवान बहादुर एम. कृष्णन नायर मद्रास सरकार के ला मेंबर नियत हुये।

२९—सर डी० हाग लार्ड चान्सलर मुकर्रर हुये।

३०—वाइकौंट केव की मृत्यु।

३१—अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी की रिपोर्ट के कुछ भाग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये।

——-o-o-——

अप्रैल।

१—यू. पी. मिनिस्टर सायमन कमीशन बायकाट के पक्ष में हुये।

२—मि० बी. के. बसु कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर चुने गये।

३—डा० यू. वाइ. क्यू. साधू हो गये।

४—आसाम कौंसिल ने मिनिस्टरों के विरुद्ध असन्तोष प्रस्ताव नामंजूर किया।

५—लार्ड लायड ने ब्रिटिश खलीता नाहसपाशा (मिश्र के प्रधान मंत्री) को दिया।

६—सर मुहम्मद हबीबुल्ला ने टैकसीला

का आर्कीआलाजीकल अजायब घर का उद्घाटन किया।

७—श्री० जे० एम० सेन गुप्त बंगाल प्रान्तीय कान्फ्रेंस (बशीरहाट) के अध्यक्ष हुये।

८—मि० कोर्ट ने टिरेल पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस हुये।

९—मि० एन. सी केलकर आल इन्डिया हिन्दू महा सभा के अध्यक्ष हुये।

१०—वाइसराय ने एसेम्बली खोली।

११—सर जे. सी. बोस कलकत्ते से इंगलैंड को रवाना हुये।

१२—सर डोगलस हाग बैरौन हेलशैम हुये।

१३—स्त्री डाक्टर और सर्जनों की अंतरराष्ट्रीय सभा की बोलौन में बैठक।

१४—सर बी. एन. मित्र ने नाशिक में भारतीय करन्सी नोटों का छापाखाना का उद्घाटन किया।

१५—मि० डी. एफ. मुल्ला को भारत सरकार के ला मेंबरी का चार्ज मिला।

१६—इटेलियन चढ़ाई उत्तरी ध्रुव के लिये गई।

१७—कनेडियन और अमरीकन सरकारों ने एक महान पावर स्कीम मंजूर किया।

१८—प्रो० डी० के० कर्वे संस्थापक इंडियन विमेन्स यूनिवर्सिटी की ७० वर्ष की वर्ष गाँठ।

१९—पटियाला नरेश की अध्यक्षता में ३५ देशी नरेशों की सभा बम्बई में हुई।

२०—लाहौर हाईकोर्ट ने बन्देमातरम् की जप्ती का हुकुम रद्द किया।

२१—बटलर कमेटी के मेम्बर विलायत के लिये रवाना हुये।

२२—प्रिन्स जोबकाफ, भूतपूर्व केसर के बहनोई गिरफ्तार हुये।

२३—महाराजा तुकोजी राव हुलकर अपनी नव विवाहित स्त्री के साथ विलायत को रवाना हुये।

२४—मि० चर्चिल ने हौस आफ कामन्स में बजट पेश किया।

२५—कनेडियन सरकार ने स्त्रियों के सिनेट में बैठने के लिये पुराना कानून बदल दिया।

२६—दीवान बहादुर कृष्णन नायर ने मद्रास के ला मेम्बर पद का चार्ज लिया।

२७—ब्रिटेन ने कड़ा खलीता मिश्र को भेजा।

२८—ब्रिटिश लड़ाई के जहाज "बारस्पाइट" और "व्हैलियट" मिश्र को भेजे गये।

२९—जापान में पार्लीमेंटरी गड़बड़ मालूम हुई।

३०—मि० पोयनकेयर के पक्ष में करीब ४०० बोट अधिक आये।

——:०:——

मई।

१—मिश्र ने ब्रिटेन को उत्तर दिया कि पबलिक एसेम्बलीज बिल मुलतवी कर दिया गया है।

२—लीग आफनेशन्स के लिये लार्ड लिटन भारतीय प्रतिनिधियों के मुखिया बनाये गये।

३—श्री० सुभाषचन्द्र वोष महाराष्ट्र प्रान्तीय कान्फ्रेंस के सभापति हुये।

४—एस श्रीनिवास आयंगर मद्रास से विलायत के लिये रवाना हुये।

५—अफगान राजा अमानुल्ला ने श्री० लेनिन की कब्र पर एक माला चढ़ाई।

६—चैठेम में "औडिन" प्रथम अंग्रेज़ी सबमेरिन चलाया गया।

७—सिनो जापानीज़ लड़ाई का आरंभ।

८—हौस आफ कामन्स ने स्त्रियों को वोटाधिकार देने वाले बिल की तीसरी आवृत्ति पास की।

९—प्रो० इन्द्र जेल से छूटे।

१०—लड़ाई बन्द करने सम्बन्धी यू० एस० ए० के प्रयत्नों का समर्थन इटली ने घोषित किया।

११—पंजाब कौंसिल ने लैंड रेविन्यू बिल पास किया।

१२—सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर मद्रास पहुंचे।

१३—बाबा गुरुदत्त सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला खारिज हुआ।

१४—मि० सेन गुप्ता आगामी कान्फ्रेंस के स्वागताध्यक्ष चुने गये।

१५—सम्राट सर हाईकोर्ट बटलर से मिले।

१६—सर एडमंड गास, प्रख्यात अंग्रेज़ी विद्वान की मृत्यु।

१७—सर आस्टिन चेम्बरलेन ग्लास्गो शहर के 'फ्री मैन' बनाये गये।

१८—कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बारडोली सत्याग्रह की सहायता के लिये प्रार्थना की।

१९—सर्वदल सम्मेलन की बैठक बम्बई में (डाक्टर अन्सारी अध्यक्ष)

२०—देशी राज्यों के शासन सम्बन्धी सर लेसली स्काट का स्कीम प्रकाशित हुआ।

२१—हाउस आफ लार्ड्स ने इंडियन हाईकोर्ट बिल की पहिली आवृत्ति पास की।

२२—हाउस आफ लार्ड्स ने स्त्रियों का मताधिकार देने वाले बिल की द्वितीय आवृत्ति पास की।

२३—महाराजा नादयाद की मृत्यु।

२४—मुस्तफा कमालपाशा ने अफगानिस्तान के राजा और रानी की दावत की।

२५—यूनाइटेस्टेट्स ने सब देशों को (भारत को भी) लड़ाई बन्द करने के सम्मेलन का सदस्य बनने के लिये निमंत्रण दिया।

२६—महारानी मेरी की ६१ वीं वर्ष गाँठ।

२७—टरकी और अफगानिस्तान ने संधि कर ली ।

२८—महाराजा पुदुकुदाह की मृत्यु ।

२९—सर गुलाम हिदायतुल्लाह बम्बई इकजीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य नियुक्त हुये ।

३०—इटली और टर्की के बीच संधि हुई ।

३१—एक सिद्धहस्त ने हिसाब लगाया कि सारे जगत के टेलीफोनों में तार १० करोड़ मील लगा है जिसमें ६.८ करोड़ अमरीका में, १ करोड़ जर्मनी में, ७० लाख ब्रिटेन में, ३० लाख कनाडा में लगा है ।

——०◎०——

जून ।

१—मि० एस. ए. डांगे बम्बई के मजदूरों के नेता की गिरफ्तारी ।

२—इंडियन ओलिम्पिक हाकी टीम इंग्लैण्ड से रवानी हुईं ।

३—सर लेसली विलसन की जगह सर फ्रेडरिक साइक्स गवर्नरी के पद के लिये नियोजित हुये ।

४—मि० एम० ए० एन० हैदरी, फाइनेन्स मिनिस्टर निजाम सरकार को "सर" पदवी मिली ।

५—मारशल चांग सोलिन (चीन) की मृत्यु ।

६—अफगानिस्तान के राजा रानी टेहरान (पर्शिया) पहुंचे ।

७—इंडियन ओलिम्पिक एथलेटिक टीम बम्बईसे हौलैण्ड के लिये रवानी हुई ।

८—यू० पी० मिनिस्टरों ने सायमन कमीशन बायकाट के तत्व पर इस्तीफा दे दिया ।

९—पेकिङ्ग जीता गया और नेशनेलिस्टों ने कवजा कर लिया ।

१०—डुगराला गोपाल कृष्ण अय्यार की मृत्यु ।

११—सरवेंट आफ इंडिया सोसाइटी का २२ वां वर्ष मनाया गया ।

१२—भारत सरकार ने अमरीका की शांति संधि मंजूर की ।

१३—कलकत्ता में जूट के मजदूरों की हड़ताल ।

१४—मिसेज पैङ्कहर्स्ट की मृत्यु ।

१५—मि० हूवर को रिपब्लिकन नेशनेल कनवेन्शन ने यूनाइटेड स्टेट्स के अध्यक्ष पद के लिये नियोजित किया ।

१६—सर लेसली विलसन ने पूना में शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया ।

१७—लन्दन में कांग्रेस सभा स्थापित ।

१८—सर एलेकजेण्डर मुडीमैन, यू० पी० गवर्नर की मृत्यु ।

१९—इजिपशियन फाइनेंस मेंबर ने इस्तीफा दिया और कोआलिशन के टूटने का भय ।

२०—बम्बई के इंडियन चेम्बर आफ मर्चेंट्स ने गवर्नर बम्बई से प्रार्थना की कि बारडोली प्रश्न को सुलझाने के लिये रौंड टेबल कान्फ्रेंस बुलावें ।

२१—जनरल सर फिलिप चेटवोड भारत के चीफ आफ दी जनरल स्टाफ नियत हुये।

२२—मार्शल चांग सोलिन की मृत्यु के समाचार का समर्थन किया गया।

२३—सर मुहम्मद इकबाल ने आफियन मुसलिम लीग के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा सुधार मेमोरेण्डम प्रश्न पर दे दिया।

२४—सरकारी घोषणा प्रकाशित हुई कि प्रान्तीय कमीशन कमेटियों को गवाही सुनने में सायमन कमीशन के साथ समानता दे दी गई।

२५—बम्बई यूनिवर्सिटी सिनेट ने एक कमेटी नियुक्त की जो कालेजों में मजहबी तालीम के प्रश्न पर विचार करेगी।

२६—मि० जिन्ना ने घोषणा की कि सर जान सायमन की समानता की विज्ञप्ति राष्ट्रीय मांग की पूर्ति नहीं है।

२७—एज आफ कन्सेन्ट कमेटी के सदस्यों के नाम प्रकाशित हुये।

२८—बंगाल बोर्ड आफ सेन्सर्स ने नर्स केवेल फिल्म "दी डान" को दिखलाने की मनाई करदी।

२९—मुहम्मद पाशा नई इजिप्शियन केबिनेट बना रहे हैं।

३०—बारडोली मालगुजारी बन्दोबस्त की गैर सरकारी जांच आरम्भ हुई।

——:०:——

जूलाई।

१—डा० अन्सारी ने कमीशन बायकाट जारी रखने के लिये अपील की।

२—यूरोप यात्रा करके अमीर अफगानिस्तान काबुल पहुंचे।

३—लार्ड और लेडी इंचकेप ने नैशनल डेट (इंग्लैण्ड) के लिये ५ लाख पौंड दान दिया।

४—मि० लालजी नारायनजी ने बारडोली प्रश्न पर बंबई कौंसिल की मेम्बरी का इस्तीफा दे दिया।

५—कामन वेल्थ लेबर कान्फ्रेन्स से इंडियन डेलीगेट उठ आये।

६—लार्ड प्लूमर की जगह सर जान चान्सलर पैलेस्टाइन के हाई कमिश्नर मुकर्रर हुये।

७—बम्बई में शेरिफ मीटिंग हाई कोर्ट बिल के विरोध के लिये बुलाई गई।

८—पंडित नेहरू ने बारडोली में स्वतंत्र जांच का समर्थन किया।

९—क्वीन्स हाल में डा० बेसन्ट ने "भारत" पर व्याख्यान दिया।

१०—लिलूआ की हड़ताल बंद करदी गई।

११—सर लेसली विलसन ने वाइसराय से बारडोली प्रश्न पर विचार किया।

१२—मि० हार्टशार्न सायमन कमीशन

के मेम्बर ने टाटा से माफी माँगी।

१३—ब्रिटेन ने केलौगपैक्ट पर दस्तखत करना मंजूर किया।

१४—सिंध हिन्दू कान्फ्रेन्स की बैठक।

१५—एम्पायर कैन्सर कान्फ्रेन्स की लन्दन में बैठक

१६—सर फ्रैन्क स्लाइ की मृत्यु।

१७—सीलोन सुधार रिपोर्ट प्रकाशित।

१८—जनरल ओबेग्रोन (मेक्सीको) के मारे गये।

१९—मि० रामसे मेकडोनेल्ड पार्लीमेंटरी लेबर पार्टी के सभापति चुने गये।

२०—सौथ इंडियन रेलवे में हड़ताल।

२१—मि० फिटूजराय स्पीकर चुने गये।

२२—मि० वल्लभ भाई पटेल ने सरकारी शर्तों का उत्तर दिया।

२३—लार्ड रीडिंग ने पोलिस जाँच कमेटी के सभापतित्व से इनकार कर दिया।

२४—मि० मटेखन केनाडा के लिये रवाना हुये।

२५—ब्रिटिश अकेडमी ने लार्ड बैलफर की ८० वीं वर्ष गाँठ मनाई।

२६—सर लेसली स्काट ने बटलर कमेटी के सामने देशी राज्यों का मामला पेश किया।

२७—महात्मा गांधी ने इस साल के सभापतित्व के लिये पं० मोतीलाल नेहरू का नाम सुझाया।

२८—सर फ्रेडरिक साइक्स, बम्बई के मनोनीत गवर्नर को लन्दन में भोज दिया गया।

२९—सम्राट ने आर्कबिशप आफ कैण्टरबरी के स्थान पर सी. जी. लैङ्ग की नियुक्ति मंजूर की।

३०—सौथ इंडियन रेलवे स्ट्राइक बंद हुई।

३१—सर मैलकम हेली यू. पी. के गवर्नर मुकर्रर हुये।

अगस्त।

१—फ्रांस और इंग्लैण्ड ने जहाजी बेडे के कम करने की राय मान ली।

२—महात्मा गांधी बारडोली गये।

३—सैयद अमीर अली की मृत्यु।

४—पारलीमेंट आरंभ हुई।

५—बारडोली का झगड़ा तै हुआ।

६—इंडियन सीनोमैठोग्राफ कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

७—सरकार ने बार्डोली सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया।

८—बम्बई कौंसिल ने लैंड रेव्हिन्यू बिल के वापसी का प्रस्ताव पास कर दिया।

९—सर मैलकम हैली ने यू० पी० के गवर्नरी का चार्ज लिया।

१०—वर्ल्ड सोशेलिस्ट कांग्रेस ने भारत के स्वराज्य के दावे का समर्थन किया।

११—लार्ड हैलशैम ने प्रधान मंत्री की जगह पर काम किया।

१२—मि० भट्ट ने रु० ७०००० बारडोली की मालगुजारी के लिये जमानत दाखिल करदी।

१३—सर जी० डिमोंटमोरेन्सी ने पंजाब गवर्नरशिप का चार्ज लिया।

१४—नेहरूकमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित।

१५—इंडिया आफिस ने मि० हावर्ड को इनफार्मेशन आफिसर मुकर्रर किया।

१६—सर फ्रन्क बीमैन की मृत्यु।

१७—पूना निवासियों ने मि. वी. जे. पटेल का स्वागत किया।

१८—जरमनी ने दो बड़े अटलांटिक जहाज़ बनाये।

१९—मि० देशमुख, सी० पी० मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया।

२०—लार्ड हालडेन की मृत्यु।

२१—बिहार कौंसिल ने सायमन कमीशन के साथ काम करने को कमेटी बनाई।

२२—सर जॉन सायमन ने अपनी कन्स्टीच्यू एन्सी लिवर्सेज से बिदागी मांगी।

२३—गवर्नर स्मिथ (यू० एस.) ने अपने भाषण में युद्ध बंद करने का समर्थन किया।

२४—मि० केलौग पैरिस में पहुंचे।

२५—मि० राघवेन्द्रराव ने सी० पी० की मिनिस्टरी मंजूर की।

२६—मि० जी. डी. प्रधान ने आल इंडिया स्वदेशी बाजार पूना में खोला।

२७—पेरिस में केलौग पैक्ट पर दस्तखत हुये

२८—सर्वदल सम्मेलन ने लखनऊ में नेहरू रिपोर्ट पर बिचार किया।

२९—सर्वदल सम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट मंजूर कर ली।

३०—टर्की ने लैटिन अक्षर जारी किये।

३१—डाक्टर ऐन्डरहूस बाइस प्रेसीडेंट इन्टर नैशनेल कोर्ट आफ जस्टिस की मृत्यु।

सितम्बर।

१—पुर्तगाल ने कैलौग पैक्ट को दृढ़ किया।

२—मास्को में इन्टर नैशनेल कम्यूनिस्ट कांग्रेस की बैठक।

३—लीगआफनेशन्स की ९ वीं एसेम्बली जेनीवा में बैठी।

४—अफगान सरकार ने अनिवार्य फौजी नौकरी चलाई।

५—ब्रिटिश समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया कि लार्ड बर्किनहेड ने सार्वजनिक कार्य से हट जाने का निश्चय किया।

६—प्रेसीडेंट पटेल ने स्टेटमेंट प्रकाशित किया कि एसेम्बली के लिये अलग सेक्रेटरियेट होना चाहिये।

७—कलकत्ते की स्वागत सभा ने पं० मोतीलाल नेहरू को राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापति चुना।

८—बंगलोर दंगों की कमेटी के अध्यक्ष सर एम विश्वेश्वर अय्या नियत हुये

९—डा० बेसन्ट ने जिन्ना हाल का उद्घाटन बम्बई में किया ।

१०—महात्मा गांधी ने टालस्टाय की शताब्दी अहमदाबाद में मनाई ।

११—बम्बई सरकार ने मि० जी० वी० प्रधान को इकजीक्यूटिव कौंसिलर नियत किया ।

१२—श्रीमती सरोजिनी नायडू बम्बई से अमरीका के लिये रवाना हुईं ।

१३—एसेम्बली में पबलिक सेफटी बिल पर विचार हुआ ।

१४—चाइलड मैरेज बिल की सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी ।

१५—लेडी आयरविन ने "वाइसराय आफ इंडिया" नामक जहाज़ को ग्लासगो में पहिले पहिल चलने का समारंभ किया ।

१६—एसेम्बली ने पबलिक सेफटी बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया ।

१७—वेस्ट इंडीज़ में तूफान ।

१८—कौंसिल आफस्टेट ने ३ मेम्बर सायमन कमीशन के साथ काम करने के लिये मुकर्रर किये ।

१९—लार्ड बर्किनहेड ने मसकट के सुलतान को के. सी. आइ. ई. को सनद दी ।

२०—कांग्रेस ने "लेवी" (सरकारी दरबार) में जाने की इजाजत देदी ।

२१—अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी ने वी. जी. पटेल को अभिनन्दन पत्र दिया ।

२२—आसवेल्ड मोसली लेबर एम. पी. अपने बाप की जगह बैरोन हुये ।

२३—राजा जगन्नाथबख्शसिंह मिनिस्टर के विरुद्ध असंतोष का प्रस्ताव यू. पी. कौंसिल में पास हुआ ।

२४—सरवत पाशा की मृत्यु ।

२५—एसेम्बली में पबलिक सेफटी बिल प्रेसीडेन्ट के कास्टिंग वोट से नामंजूर हुआ ।

२६—लीग आफ नेशन्स की एसेम्बली मीटिंग समाप्त ।

२७—सर जान सायमन भारत के लिये लन्दन से रवाना हुये ।

२८—मि० होमन मेम्बर पार्लामेंट ने इस्तीफा दिया ।

२९—पंजाब पोलीटिकल कान्फ्रेन्स ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया ।

३०—पंजाब पोलीटिकल कांफ्रेंस ने राजनैतिक कैदियों के छोड़ने का प्रस्ताव पास किया ।

अक्टूबर ।

१—वाइसराय ने खेती कान्फ्रेंस का उद्घाटन शिमला में किया ।
बर्मिंगहेम में लेबरपार्टी कान्फ्रेंस । और सायमन कमीशन का समर्थन किया गया ।

२—वेलूर में रेलगाड़ी गिरने के मामले के अभियुक्त छूट गये ।

३—जापान में जूरी पद्धति का आरंभ ।

४—लार्ड स्टूथ क्लाइड की मृत्यु।

५—ब्रिटिश लेबर कान्फ्रेंस ने आम तौर पर "डिसार्मामेंट" (हथियारों का न रखना) किये जाने के विरुद्ध मत प्रकट किया।

६—मद्रास सर्वदल सम्मेलन में डा० बेसण्ट की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का समर्थन हुआ।

७—"हिन्दू" मद्रास की "गोल्डन जुबिली" मनाई गई।

८—रास तफरी अबीसिनिया का राजा हुआ।

९—चियांग काइ-शेक चीन गवर्नमेंट कौंसिल के प्रेसीडेंट हुये।

सर मुहम्मद शफी ने नेहरू कमेटी के लिये विरोधात्मक स्टेटमेंट दिया।

१०—वायकौंट रीडिंग ने सर फ्रेडरिक साइक्स को दावत दी।

११—सर फिलिप चेटवोड भारत को रवाना हुये।

१२—सायमन कमीशन बम्बई में उतरा।

पूना में सायमन कमीशन का पहुंचना, सहस्रों मनुष्यों का वायकाट निमित्त काले झंडों के सहित जमा होना।

१३—राजा महमूदाबाद और डा० अंसारी ने लखनऊ सन्धि के समर्थन के लिये अपील प्रकाशित की।

मीरट में दिल्ली प्रांतीय कान्फ्रेंस हुई। पं० जवाहिरलाल नेहरू सभापति।

जुम्मा मसजिद दिल्ली में राजनैतिक सभा और झगड़ा।

१४—लार्ड बर्किनहेड ने भारतमन्त्री पद से इस्तीफा दिया।

मीरट में दिल्ली प्रांतीय युवक कांफ्रेंस डा० केदारनाथ सहगल लाहौर सभापति।

भारत सरकार ने सर संकरन नायर को उत्तर दिया कि उनकी कमेटी का नाम "इंडियन पार्लीमेंटरी कमेटी" नहीं रक्खा जा सकता। नाम "इंडियन सेन्ट्रल कमेटी" रहेगा। ६५) दैनिक भत्ते से अधिक भी नहीं दिया जायगा।

१५—बटलर कमेटी की बैठकें लन्दन में जारी।

सी. पी. हिन्दुस्थानी में सायमन वायकाट का प्रोग्राम आरम्भ हुआ।

१६—सूरत में अनेक हिन्दू दंगों के कारण गिरफ्तार हुये।

पं० मोतीलाल नेहरू और सी. एस. रंगा अय्यर के बीच अनबन और रंगा अय्यर द्वारा पंडितजी को मुकदमे की धमकी दिया जाना।

वाइसराय को इंग्लैंड बुलाने का समाचार प्रकाशित हुआ। उनके जाने पर लार्ड गोशेन वाइसराय का काम करेंगे।

स्वामी चेतानन्दजी सरस्वती और ठाकुर युगराजसिंह राघोगढ़ (गवालियर) राज्य में धर्म विद्वेष फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार हुये।

१७—कलकत्ते में कांग्रेस और कान्फ्रेंसों

की तैयारियाँ जारी हुईं ।

१८—सर जान सायमन ने मि० ए. एच. गजनवी (जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया मुसलिम लेजिस्लेटर्स असोसियेशन) को पत्र भेजा और उन्हें धन्यवाद दिया ।

मुल्ला अबदुल रहमान (बहदुर) भूतपूर्व मुख्य काज़ी काबुल और अन्य तीन मुल्ला अफ़ग़ानिस्तान में क़तल कर दिये गये ।

वाइकौंट पील भारतमन्त्री हुये ।

१९—राजपूताना प्रांतीय स्त्री कान्फ्रेंस की बैठक। (१९–२०)

हारटोग कमेटी लाहौर में पहुंची !

२०—मिस्टर नायडू ने आलइंडिया क्रिकेट में १०० रन से ऊपर किये ।

मद्रास में बहुत ज्यादा पानी बरसा।

२१—सेंट्रल सिख लीग गुजरान वाला में बैठी । सरदार खड़्गसिंह सभापति ।

२२—लाहौर में हारटौग कमेटी की बैठक। सर अवदुल कादिर की गवाही ।

२३—लाहौर में रामलीला के जलूस में किसी ने बम्ब फेका । ८ मारे गये और ७० जख़मी हुये ।

सेंट्रल सिख लीग ने नेहरू कमेटी को रद्द किया ।

२४—बम्बई प्रांत में सायमन कमीशन की जांच समाप्त हुई ।

बंबई सरकार के मेमोरेंडम के कुछ भाग प्रकाशित हुये ।

२५—भारत सरकार के दफ्तर शिमला से बन्द हुये और २६ को दिल्ली में खुले ।

२६—कम्यूनिस्ट इंटर नैशनल ने भारत में प्रचार का केन्द्र जो लन्दन में था वहां से बदलने का निश्चय किया है ।

२७—मि० एस. आर दास की मृत्यु ।

आलइंडिया मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत (कलकत्ता) की बैठक और शारदा बिल का विरोध ।

आगरा प्रांतीय हिंदू कांफ्रेंस की इटावा में बैठकें । (२७–२८)

२८—लखनऊ में सायमन कमीशन की शिक्षा कमेटी (हारटाग) कमेटी पहुंची ।

२९—झांसी में यू. पी. राजनैतिक प्रांतीय कांफ्रेंस पं० जवाहिरलाल नेहरू सभापति और पं० र. वि. धुलेकर स्वागताध्यक्ष (२९–३०–३१) तथा युक्त प्रांतीय किसान मज़दूर सभा मि० झाबवाला सभापति ।

श्रीमती सरोजिनी नायडू न्यूयार्क में पहुंचीं ।

लाहौर में सायमन कमीशन के आगमन पर मजिस्ट्रेट ने दफा १४४ जाप्ता फौजदारी का नोटिस मीटिंग करने और जलूस निकालने की मनाई के लिये जारी किया ।

पंजाब सर्वदल सम्मेलन ने ३० अक्टूबर १९२९ को सभा करने व जुलूस निकालने का विचार दृढ़ किया और दफा १४४ न मानना तै किया ।

जनता ने भी उपरोक्त प्रस्ताव पास कर दिया ।

३०—यू. पी. कौंसिल की सायमन सहयोग कमेटी की बैठक कानपुर में ।

प्रो० श्यामसुन्दर दास (बनारस यूनिवर्सिटी) द्वारा हिन्दी ज्ञानकोष लिखकर समाप्त हुआ ।

सायमन बायकाट के लिये लाखों मनुष्योंका जुलूस लाहौर स्टेशन पर गया ला० लाजपतराय, डा० आलम, डा० सत्यपाल पर पुलिस अफसरों द्वारा हमला, और उन्हें गहरी चोटें लगीं ।

३१—मैसूर एसेम्बली में मि० एच. कृष्ण राव, प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता ने कहा कि शासन पद्धति में सुधारों की आवश्यकता है । दीवान प्रेसीडेण्ट ने उत्तर दिया कि इस समय यह प्रश्न उठाने योग्य नहीं है । पहिले मौजूदा स्थिति का ही सुधार होना चाहिये ।

नवम्बर ।

१—श्रीयुत वल्लभ भाई पटेल महादेव देसाई और राव बरादुर भिमाभाई ने श्रीयुत ब्रुकफील्ड और मैक्सवैल (मेम्बर बारडोली जांच कमेटी) से मुलाकात की ।

बम्बई में टेक्सटाईल स्ट्राइक कमेटी के सामने मजदूरों के प्रतिनिधियों से माधवजी धरमसीमिल के संबंध में बहस हुई ।

सी० पी (मराठी) कांग्रेस कमेटी के सभापति पद पर डा० मुन्जे सभापति और मि० एच के जोशी सेक्रटरी चुने गये ।

२—डा० आलम ने पंजाब कौंसिल में प्रस्ताव बाबत जांच मारपीट लीडरान ता० ३० अक्टूबर १९२९ लाहौर भेजा ।

ट्रिब्यून के असिस्टेंट एडीटर ने सुपरडेंट पुलिस पर २०००) रु. का मुआबिजा बाबत मारपीट देने का नोटिस दिया ।

३—आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने (दिल्ली) में श्री० अनन्दीप्रसाद सिन्हा, मगनलाल गांधी, गोपाल कृष्णय्या, गोपबंधुदास की मृत्यु पर शोक प्रदर्शक प्रस्ताव पास किया । उक्त कमेटी ने लाहौर में पुलिस द्वारा अत्याचारों पर घृणा प्रगट की ।

उक्त कमेटी ने प्रस्ताव पास किया जिसमें (१) मद्रास का स्वतंत्रता ध्येय निश्चय दृढ़ किया गया (२) यह भी राय प्रकट की गई कि जब तक ब्रिटिश संबंध न टूटे असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती (३) साम्प्रदायिक झगड़ों का निपटारा जैसा नेहरू कमेटी की रिपोर्ट ने किया है वह मान्य है (४) और कमेटी के मेम्बरों को धन्यवाद देते

हुये यह राय प्रकट की गई कि स्वतंत्रता ध्येय के आधीन नेहरू रिपोर्ट राजनैतिक प्रगति की एक मंजिल है। यह प्रस्ताव आगे चल कर बड़े महत्व का होगया।

४--२९ दिसंबर १९२७ को उपरोक्त कमेटी ने जो छोटी कमेटी इसलिये नियत की थी कि कांग्रेस सेक्रटरियेट के प्रश्न पर रिपोर्ट देवे उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

५--श्रीयुत पीयूषकान्ति घोष प्रसिद्ध सम्पादक का (कलकत्ते में) देहान्त हुआ।

कानपुर में मौ० शौकतअली की अध्यक्षता में आल पार्टी मुसलिम कान्फ्रेन्स हुई जिसने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया।

६--जापान के नरेश को राजगद्दी हुई। इराक में से भारतीयों को निकालने का प्रयत्न जारी हुआ।

७--पंजाब सरकार ने विज्ञप्ति द्वारा मि० बायड कमिश्नर रावलपिंडी, को लाहौर में नेताओं पर जो पुलिस ने अत्याचार किये उसकी जाँच के लिये मुकर्रर किया।

८--जनता ने निश्चय किया कि मि० बायड की जाँच से सहयोग न किया जावे।

९--ला० हरकिशनलाल की गवाही सायमन कमीशन के सामने हुई। लिबरल दल की सभा में (इलाहाबाद) श्री० चिमनलाल सीतलबाद का नाम अध्यक्षता के लिये सुझाया गया। आगे चल कर यही नाम मंजूर हुआ।

१०--सर एच.ए. वाडिया (बम्बई) की मृत्यु।

पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने श्री० नेहरू में अपना पूर्ण बिश्वास प्रगट किया।

११--कुरुक्षेत्र में लाखों यात्री सूर्यग्रहण के लिये जमा होगये।

१२--लखनऊ में आल इंडिया मुसलिम लीग आरंभ हुई।

१३--मि० बायड द्वारा जांच आरंभ हुई परन्तु जनता की ओर से किसी ने गवाही नहीं दी।

१४--सरजान सायमन ने "फ्रीप्रेस" को रिपोर्टिंग की सुविधा फिर से देदी।

सी. पी. के सरकारी शिक्षा विभाग ने हारटोग कमेटी का बायकाट किया

१५--सायमन कमीशन ने क्वेटा में काम किया।

मि० बायड के सामने सरकारी अफसरों ने गवाही दी।

१६--अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोर्ट की बैठक में सायमन कमीशन को डा० शफाअत अहमद खां के मुसलिम मेमोरेंडम भेजने इत्यादि पर सर गरमी से बहस हुई।

१७--लाला लाजपतराय की (चोटों के कारण) मृत्यु देशव्यापी हड़तालें।

१८--देशव्यापी हड़तालें तथा शोक प्रदर्शक सभायें।

लाहौर में सम्पादकों की सभा ने फ्री प्रेस पर सायमन द्वारा अत्याचार के कारण उसकी रिपोर्ट छापना बन्द करने का निश्चय किया।

१९—देशी राज्यों की प्रजा द्वारा इंग्लैंड भेजे हुये शिष्टमण्डल ने बटलर कमेटी के सामने अपना मेमोरंडम पेश किया जिस पर दीवान बहादुर रामचन्द्र राव, प्रो० अयङ्कर, और मि० चदगर के हस्ताक्षर थे।

सर जान सायमन की पार्लीमेंटरी सीट "स्पेनवेली" में एक दूसरा उम्मेदवार खड़ा किया जावे ऐसा मजदूर दल ने निश्चय किया। मि. सकलतवाला ने सुझाया है कि हिन्दुस्थानी खड़ा किया जावे।

२०—राजपूताना स्त्री कांफ्रेंस अजमेर में मि० रीनाल्ड्स की अध्यक्षता में २० व २१ को हुई।

२१—दिल्ली में सायमन कमीशन पहुंचने के कारण काले झंडों का जुलूस तथा हड़ताल।

मौ० मुहम्मदअली को पेलेस्टाइन जाने की मनाई।

श्री० श्रीनिवास शास्त्री इस्तीफा देने वाले हैं इस कारण मि० के. बी. रेडी उनकी जगह नियत हुये ऐसी सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई।

बम्बई कोरपोरेशन ने प्रस्ताव पास किया कि टाइम्स आफ इंडिया में उसका कोई विज्ञापन न छापा जावे।

२२—पं० जवाहिरलाल नेहरू ने अपील की कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कान-वोकेशन का बायकाट किया जावे।

२३—सम्राट पंचमजार्ज सर्दी लगने से बीमार हो गये।

बम्बई में श्री रामजी वलजी परमार को दो खोजा युवकों ने दिन धाड़े छुरी भोंकी क्योंकि उन्होंने अपने पत्र "कच्छ सुदर्शन" में आगाखाँ के विरुद्ध कुछ लिखा था।

२४—सर एम. विश्वेश्वर अय्या ने दक्षिणी भारत के देशी राज्यों की प्रजा परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया जो परिषद जनवरी में होगी।

२५—लाहौर में मि० मनोहरलाल शिक्षा विभाग मिनिस्टर की अध्यक्षता में गुरू नानक का जन्म दिवस मनाया गया।

लखनऊ में इंडिपेन्डेन्स लीग यू. पी. की बैठक हुई और एक प्रांतीय कमेटी बनाई गई।

२६—ऐंग्लोइंडियन्स ने सायमन कमीशन के सामने अपने लिये सुविधायें मांगी।

पंजाब कौंसिल को गवर्नर ने आरंभ किया।

भावलपुर स्टेट में कृपाण की मनाई रद्द कर दी गई और कैदी छोड़ दिये गये।

ला० गिरधारीलाल (दिल्ली) की मृत्यु।

२७—लंदन में महाराजा पटियाला ने एक भाषण में कहा कि देशी नरेशों

के अधिकारों पर ब्रिटिश सरकार आक्रमण कर रही है और बटलर कमेटी भी काफी मौका नरेशों को अपना मामला पेश करने के लिये नहीं दे रही है। अब वे रौंड टेबल कांफ्रेंस करने की प्रार्थना करेंगे।

द्वितीय अवध स्त्री कांफ्रेंस श्रो० वजीर हसन की धर्मपत्नी की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई।

राजपूताना प्रान्तीय हिन्दू कान्फ्रेंस डा० मुन्जे की अध्यक्षता में हुई।

२८—लखनऊ पुलिस ने भी लाहौर की पुलिस की तरह सायमन बायकाट के जुलूस के मनुष्यों को मारा अनेक नेताओं को भी चोट लगी।

२९—ला० लाजपतराय स्मृतिदिवस देशभर में मनाया गया।

डा० गोपीचन्द ने बतलाया कि रु० १८५५० लालाजी के स्मारक के लिये जमा होगया।

ब्रम्हसमाज की शताब्दी लाहौर तथा अन्य स्थानों में मनाई गई।

पं० जवाहिरलाल नेहरू और पं० गोविंदवल्लभ पंत तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियोंको पुलिसने लाठियों से मारा

३०—बम्बई के मजदूरों की हड़तालें जारी।

यू. पी के नेताओं को पुलिस द्वारा मारपीट होने के कारण देशभर में क्षोभ उत्पन्न हुआ

दिसम्बर।

१—इलाहाबाद हाइ कोर्ट बार कौंसिल की बैठक हुई जिसमें एडवोकेटों के नाम दर्ज होने के नियमों का विचार किया गया।

२—कलकत्ता की प्रदर्शनी में आल इंडिया चरखा संघ द्वारा किये हुये बायकाट को महात्मगांधी ने रद्द कर दिया।

३—पं० मोती लाल नेहरू ने अपील प्रकाशित की कि सायमन कमीशन की कार्यवाही समाचार पत्रों में प्रकाशित न की जावे।

४—नये आर्कबिशप आफ कैन्टरबरी का पदारोहण समारंभ।

५—बनारस यूनिवर्सिटी में आल इंडिया हिंदी डिबेट हुआ।

सर बी० एल० मित्र, नये लामेम्बर ने चार्ज लिया।

६—लंदन में मि० टी० एम० एन्सकफ की रिपोर्ट "भारत में ब्रिटिश व्यापार १९२७-२८" प्रकाशित हुई जिसमें मुख्य सिफारिश यह है कि भारत में अंग्रेजी व्यापारियों को ब्रान्चें खोलना चाहियें।

देशी नरेशों के मामलों की जांच खतम हुई। इस लिये चेम्बर आफ प्रिन्सेज की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक फरवरी ४, १९२९ को होगी।

७—बम्बई में बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के ११०० मज़दूरों ने काम बंद कर दिया

ओड़ीसा कांफ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया।

८—सर प्रवास मित्र, एकजीक्यूटिव कौंसिलर बंगाल को उनकी नियुक्ती पर भोज दिया गया जिसमें उन्हों ने कहा कि मैं देश द्रोही नहीं हूं।

९—सर मेलकम हेली ने शारदा केनाल को खोला।

अफगानिस्तान में शिनवारियों द्वारा बलवा किये जाने के समाचार प्रकाशित।

१०—नवाब सर मुअज़्ज़िमुल्ला खां ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरी का इस्तीफा दिया।

११—प्रिंस आफवेल्स लन्दन पहुंचे और अपने पिता सम्राट जार्ज पंचम से मिले।

सरहद्दी प्रांत के आरम्भिक कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि इस उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिये अलग प्रांतीय कमेटी बनाई जावे और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इसकी मंजूरी ली जावे।

महात्माजी से प्रार्थना की गई कि वे सर्वेंटस आफ दी पीपुल्ससोसाइटी के अध्यक्ष बन जावें।

१२—बंबई में पुलिस ने मिल के मजदूरों पर गोली चलाई।

१३—स्वर्गीय लाला लाजपतराय की सीट (लेजिसलेटिव ऐसेम्बली) के लिये पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने ला० हंसराज को चुना।

बर्मा की कौंसिल में सायमन कमीशन के सहयोग के लिये कमेटी चुनने के प्रस्ताव पर बहस। मि० थरावाडो यूप्यू ने विरोध किया।

सायमन कमीशन के लखनऊ आने के समय पोलिस अत्याचार पर श्री० चिन्तामणि का असन्तोष प्रकट करने वाला प्रस्ताव यू. पी. कौंसिल में पास हुआ।

१४—श्री० पटेल की योजना कि एसेम्बली के लिये अलग सेक्रटरियेट दफ्तर हो भारत मंत्री ने मंजूर करली।

प्रेसीडेन्ट इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर बम्बई ने वायसराय को तार भेजा कि वे भारतमंत्री को तार से इत्तला देवें कि कोस्टल रिजर्वेशन बिल का इंडियन चेम्बर समर्थन करता है।

लीग आफ नेशन्स ने मि० लायल (ब्रिटेन) मि० मे (यूनाइटेड स्टेट्स) मि० नियाजिमा (जापान) और सर बसंत कुमार मलिक (इंडिया) की अफीम के व्यापार पर निरीक्षण के लिये परमानेंट जनरल बोर्ड में नियुक्ति की।

बर्मा कौंसिल ने मि०मेस्कयू आंग ठिन (चेयरमैन), मि० यू बी, मि. यू० यू० शिन, मि० ओ० एच० कैम्पेनेक, मि० यू० लू श्वा बी, मि० एम. एम. रफी, मि. आर ई. यूसुफ को सायमन कमेटी के सहयोग के लिये चुना।

१५—अफगानिस्तान में बगावत जोर पकड़ गई।

१६—दक्षिणी अमरीका में बोलीविया और पैरगुये में युद्ध छिड़ गया।

१७—श्री राजेन्द्रनाथ लहरी, काकोरी केस के चौथे शहीद को फाँसी गोंडा जेल में लगी।

मि० सान्डर्स अ. सु. पुलिस को लाहोर में किसी ने गोली से मार दिया। इस पर अनेक मनुष्यों की गिरफ्तारी हुई।

१८—काशी दशाश्वमेध घाट पर पं० मालवीय ने सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चों को जिनमें अछूत भी थे गंगा स्नान से शुद्ध कर दीक्षा दी।

१९—मद्रास में चतुर्थ फिलासाफिक (दार्शनिक) कांग्रेस की बैठक। हिज़ हाइनेस सर राम वर्मा (कोचिन) ने कांग्रेस को आरम्भ किया। श्री० के. रामन्नी मेनन वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी स्वागताध्यक्ष और प्रिंसिपल ए. बी. ध्रुव प्रो-वाइस चांसलर बनारस यूनिवर्सिटी सभापति।

यू. पी. कौंसिल में मालगुजारी बिल पर बिचार हुआ।

२०—डा० अन्सारी, प्रेसीडेंट सर्वदल सम्मेलन कलकत्ता पहुंचे।

झरिया में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक जारी। (१८–१९–२०)

२१—यू० पी० कौंसिल में नया मालगुजारी बिल पास हो गया।

कलकत्ते में पं० मोतीलाल नेहरू कांग्रेस सभापति का शाहाना स्वागत ३४ घोड़ों का रथ और १००० सशस्त्र सवार वालंटियर कई लाख प्रेक्षक।

२२—मि० लैम्बर्ट यू. पी. के कायम मुकाम गवर्नर हुये।

२३—सर्वदल सम्मेलन की बैठक आरंभ (डा० अन्सारी अध्यक्ष)। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई गई।

२४—मनीला टापू में भूकम्पसे अनेक मनुष्य मर गये और कई लाख का नुकसान हुआ।

२५—आल इंडिया युवक कान्फ्रेंस (कलकत्ता)।

समाज सुधार कान्फ्रेंस की कलकत्ते में बैठक। श्री० मुकुन्द रामराव जयकर सभापति (२५–२६)।

खिलाफत कान्फ्रेंस की बैठक मौ० मुहम्मद अली अध्यक्ष व मौ० अबदुलरऊफ स्वागताध्यक्ष।

बृन्दावन गुरुकुल का वार्षिक अधिवेशन।

२६—आल इंडिया मुसलिम लीग का अधिवेशन (२० वां)। महाराजा महमूदाबाद अध्यक्ष और मौ. अबदुलकरीम स्वागताध्यक्ष।

आल इंडिया मुसलिम कान्फ्रेंस की बैठक अजमेर में। श्री. सुलेमान जज हाईकोर्ट इलाहाबाद अध्यक्ष।

२७—डा० दुर्गाचरण बनर्जी एडवोकेट प्रयाग का देहान्त।
आलइंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जो पहिले ३ मर्तबा मुलतवी होचुकी थी आरंभ हुई।
नागपुर में छटवीं कान्फ्रेंस इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी की बैठक।
सम्राट की बीमारी के कारण सरकारी पदवियों की बांट मुलतवी की गई (लन्दन)।

२८—आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संशोधित प्रस्ताव पास किया जिसमें "डोमीनियन गवर्मेण्ट" देने के लिये ब्रिटिश सरकार को ३१ दिसंबर १९२९ तक की मियाद दी गई है।
पं० मोतीलाल ने स्वराज झंडा कांग्रेस में फहराया।
कलकत्ता में आल इंडिया सोशेलिस्ट कांग्रेस की बैठक। पं० जवाहिरलाल नेहरू अध्यक्ष।
मद्रास में आल इंडिया क्रिश्चन कान्फ्रेंस। प्रेसीडेंट रे. जे. सी. चटर्जी. एम. एल. ए.।
फिडरेशन आल इंडियन चेम्बर आफ कमर्स का द्वितीय अधिवेशन। (अध्यक्ष—सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास)।

२९—कलकत्ता में राष्ट्रीय महासभा की बैठक आरंभ (२९-३०-३१) और पं० मोतीलाल नेहरू का भाषण। श्री जे. एम. सेनगुप्त स्वागताध्यक्ष।
दक्षिणी भारत के यादवों की कान्फ्रेंस।

३०—इलाहाबाद में नैशनल लिबरल फिडरेशन की बैठक—स्वागताध्यक्ष मि० चिन्तामणि और अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाद।
कांग्रेस के पँडाल में हज़ारों मज़दूर घुस आये और उनकी सभा हुई।
हिन्दुस्थानी सेवा दल कांफ्रेंस। श्री० नृपेन्द्रचन्द्र बनर्जी स्वागताध्यक्ष और श्री० सुभाषचन्द्र बोष सभापति।

३१—आल इंडिया मुसलिम कांफ्रेंस की बैठक। श्री० आगा खां सभापति, और हकीम मुहम्मदजमील स्वागताध्यक्ष।
स्वराज्य का संशोधित प्रस्ताव कांग्रेस में पास हुआ (१३५० वोट पक्ष और ९७३ विपक्ष)

जन्त्री सन् १९२९ ।

मार्च   सन् १९२९ ई०

फाल्गुन कृष्णा ६ से चैत्र कृष्णा ६ सं. १९८५

वार	मार्च १९२९ ई०	सव्वाल १३४७ हि.	फाल्गुन चैत्र १९८५	विशेष विवरण
शु	१	१८	६	
श	२	१९	७	
र	३	२०	८	
चं	४	२१	९	
मं	५	२२	९	
बु	६	२३	१०	
बृ	७	२४	११	विजया ११ व्रत
शु	८	२५	१२	प्रदोष व्रत
श	९	२६	१३	महाशिवरा.व्र.स्मार्त व्रत वै.
र	१०	२७	१४	„
चं	११	२८	३०	सोमवती अमावस्या
मं	१२	२९	१	फाल्गुन शुक्लपक्ष
बु	१३	१	२	सं. मीन ४४।५३
बृ	१४	२	३	(सव्वाल, ईद,
शु	१५	३	४	फुलैरा २)
श	१६	४	५ ६	
र	१७	५	७	
चं	१८	६	८	होलाष्टक
मं	१९	७	९	
बु	२०	८	१०	
बृ	२१	९	११	आमलकी ११ व्रत
शु	२२	१०	१२	प्रदोष व्रत
श	२३	११	१३	
र	२४	१२	१४	होली दाह
चं	२५	१३	१५	धुरंडी
मं	२६	१४	१	चैत्र कृष्णपक्ष
बु	२७	१५	२	
बृ	२८	१६	३	चतुर्थी व्रत
शु	२९	१७	४	
श	३०	१८	५	
र	३१	१९	६	

अप्रैल   सन् १९२९ ई०

चैत्र कृष्णा ७ से वैशाख कृष्णा ६ सं. १९८५-८६

वार	अप्रैल १९२९ ई०	सव्वाल १३४७ हि.	चैत्र वैशाख १९८५-८६	विशेष विवरण।
चं	१	२०	७	शीतला पूजन
मं	२	२१	८	
बु	३	२२	९	
बृ	४	२३	१०	
शु	५	२४	११	पापमोचिनी ११ व्रत
श	६	२५	१२	
र	७	२६	१३	प्रदोष व्रत
चं	८	२७	१४	
मं	९	२८	३०	
बु	१०	२९	१	चै. शु. सं. १९८६ नवरा.
बृ	११	३०	२	
शु	१२	१	३	गौरीपूजन
श	१३	२	४	सं. मेष ७।३०
र	१४	३	५	
चं	१५	४	६	
मं	१६	५	७	
बु	१७	६	८	श्रीराम जयंती स्मा. वै०
बृ	१८	७	९ १०	„
शु	१९	८	११	११ व्रत स्मा.
श	२०	९	१२	११ व्रत वै०
र	२१	१०	१३	प्रदोष व्रत
चं	२२	११	१४	
मं	२३	१२	१५	श्रीहनुमज्जयंती
बु	२४	१३	१	वैशाख कृष्णपक्ष
बृ	२५	१४	२	
शु	२६	१५	३	
श	२७	१६	३	शुक्रोदय चतुर्थी व्रत
र	२८	१७	४	
चं	२९	१८	५	
मं	३०	१९	६	

मई सन् १९२९ ई०

वैशाख कृष्णा ७ से ज्येष्ठ कृष्णा ८ सं. १९८६

वार	मई १९२९ ई०	जिल्हेज १३४७ हि.	वैशाख जेष्ठ १९८६	विशेष विवरण।
बु	१	२०	७	गुरुअस्त
बृ	२	२१	८	
शु	३	२२	९	
श	४	२३	१०	
र	५	२४	११	वरुथिनी ११ व्रत
चं.	६	२५	१२	प्रदोष व्रत
मं.	७	२६	१३	
बु	८	२७	१४	
बृ	९	२८	३०	सूर्य ग्रहण १३।०
शु	१०	२९	१	वैशाख शुक्लपक्ष
श	११	१	२/३	अक्षय ३ परशुरामजी. (जिल्हेज)
र	१२	२	४	
चं.	१३	३	५	
मं.	१४	४	६	सं० बृष ४।२६
बु	१५	५	७	
बृ	१६	६	८	
शु	१७	७	९	
श	१८	८	१०	
र	१९	९	११	मोहिनी ११ व्र. हज
चं.	२०	१०	१२	प्रदोष व्रत बकरीद
मं.	२१	११	१३	
बु	२२	१२	१४	नृसिंह चतुर्दशी
बृ	२३	१३	१५	
शु	२४	१४	१	ज्येष्ठ कृष्णपक्ष
श	२५	१५	२	
र	२६	१६	३	
चं.	२७	१७	४	चतुर्थी व्रत
मं.	२८	१८	५	
बु	२९	१९	६	
बृ	३०	२०	७	
शु	३१	२१	८	

जून सन् १९२९ ई०

ज्येष्ठ कृष्णा ९ से अषाढ कृष्णा ८ सं १९८६

वार	जून १९२९ ई०	मुहर्रम १३४७-४८ हि.	ज्येष्ठ आषाढ १९८६	विशेष विवरण
श	१	२२	९	
र	२	२३	१०	गुरुउदय १३।६
चं.	३	२४	११	अपरा ११व्रत स्मार्त
मं.	४	२५	१२	अ.११व्र.भाग.निवां.
बु	५	२६	१३	प्रदोष व्रत
बृ	६	२७	१४	
शु	७	२८	३०	वट पूजन ३०
श	८	२९	१	ज्येष्ठ शुक्लपक्ष
र	९	१	२	मुहरम हि. सन् १३४८
चं.	१०	२	३	
मं.	११	३	४	
बु	१२	४	५	
बृ	१३	५	६/७	
शु	१४	६	८	सं. मिथुन २०।२२
श	१५	७	९	
र	१६	८	१०	
चं	१७	९	११	निर्जला ११ व्रत स्मा.
मं.	१८	१०	१२	निर्जला ११व्र, नि.ताजि (या
बु	१९	११	१३	प्रदोष व्रत
बृ	२०	१२	१४	
शु	२१	१३	१४	
श	२२	१४	१५	
र	२३	१५	१	आषाढ़ कृष्णपक्ष
चं.	२४	१६	२	
मं.	२५	१७	३	
बु	२६	१८	४	चतुर्थी व्रत
बृ	२७	१९	५	
शु	२८	२०	६	
श	२९	२१	७	
र	३०	२२	८	

जुलाई सन् १९२९ ई०

आषाढ़ कृष्णा ९ से श्रावण कृष्णा १० सं. १९८६

वार	जुलाई १९२९ ई०	सफर १३४८ हि०	आषाढ़ श्रावण १९८६	विशेष विवरण।
चं	१	२३	९	
मं.	२	२४	१०	
बु	३	२५	११	योगिनी ११ ब्रत सर्बे
बृ	४	२६	१२	प्रदोष ब्रत
शु	५	२७	१३/१४	
श	६	२८	३०	
र	७	२९	१	अषाढ़ शुक्लपक्ष
चं.	८	३०	२	श्री जगदीश रथोत्सव
मं.	९	१	३	सफर
बु	१०	२	४	
बृ	११	३	५	
शु	१२	४	६	
श	१३	५	७	
र	१४	६	८	
चं.	१५	७	९	भडली ९
मं.	१६	८	१०	सं. कर्क ८।३९
बु	१७	९	११	देवशयनी ११ ब्र.सर्बे
बृ	१८	१०	१२	
शु	१९	११	१३	प्रदोष ब्रत
श	२०	१२	१४	
र	२१	१३	१५	व्यासपूजावायुपरीक्षा
चं.	२२	१४	१	श्रावण कृष्णपक्ष
मं.	२३	१५	२	
बु	२४	१६	३	
बृ	२५	१७	४	चतुर्थी ब्रत
शु	२६	१८	५	नाग पंचमी मरुस्थल
श	२७	१९	६	चहल्लम
र	२८	२०	७	
चं.	२९	२१	८	
मं	३०	२२	९	
बु	३१	२३	१०	

अगस्त सन् १९२९ ई०

श्रावण कृष्णा ११ से भाद्रपद कृष्णा १२ सं. १९८६

वार	अगस्त १९२९ ई०	रबिउलावल १३४८ हि०	श्रावण भाद्रपद १९८६	विशेष विवरण।
बृ	१	२४	११	कामिको ११ ब्र. सर्वे
शु	२	२५	१२	प्रदोष ब्रत
श	३	२६	१३	
र	४	२७	१४	
चं.	५	२८	३०	सोमवती३०हरियाली३०
मं.	६	२९	१/२	श्रावण शुक्लपक्ष
बु	७	१	३	रबिउलावलहरियाली ३
बृ	८	२	४	
शु	९	३	५	नागपंचमी
श	१०	४	६	
र	११	५	७	
चं.	१२	६	८	
मं.	१३	७	९	
बु	१४	८	१०	
बृ	१५	९	१०	
शु	१६	१०	११	सं. सिंह ३५।३५
श	१७	११	१२	प्रदोष ब्रत (पुत्रदा ११
र	१८	१२	१३	
चं.	१९	१३	१४	
मं	२०	१४	१५	श्रावणी कर्म यजु.
बु	२१	१५	१	भाद्रपद कृष्णपक्ष
बृ	२२	१६	२	
शु	२३	१७	३	चतुर्थी ब्रत
श	२४	१८	४	
र	२५	१९	५	
चं	२६	२०	६	
मं	२७	२१	७	जन्माष्टमी ब्र. स्मार्त
बु	२८	२२	८	जन्माष्टमी ब्रत भाग.
बृ	२९	२३	९/१०	(निंबार्क रामानुज
शु	३०	२४	११	अजा ११ ब्रत स्मार्त
श	३१	२५	१२	अजा ११ ब्रत भाग निं.

सितम्बर सन् १९२९ ई०

भाद्रपदकृष्णा १३ से आश्विनकृष्णा १२ सं. १९८६

वार	सितम्बर १९२९ ई०	रबीउलअव्वल १३४८ हि०	भाद्रपद आश्विन १९८६	विशेष विवरण।
र	१	२६	१३	
चं.	२	२७	१४	
मं.	३	२८	३०	कुशाग्रहणी ३०
बु	४	२९	१	भाद्रपदशुक्लपक्ष
बृ	५	१	२	रविउलाव्वल
शु	६	२	३	हरितालिका ३
श	७	३	४	
र	८	४	५	ऋषि ५
चं.	९	५	६	
मं.	१०	६	७	
बु	११	७	८	
बृ	१२	८	९	
शु	१३	९	१०	
श	१४	१०	११	पद्मा ११ व्रत
र	१५	११	१२	
चं.	१६	१२	१३	संक्रन्या ३७।१६प्रदोष
मं.	१७	१३	१४	अनंत १४ ।बामन ज.
बु	१८	१४	१५	
बृ	१९	१५	१	आश्विन कृष्णपक्ष
शु	२०	१६	२	(सं १३३७ फसली)
श	२१	१७	३	
र	२२	१८	४	चतुर्थी व्रत
चं.	२३	१९	५	
मं.	२४	२०	६	
बु	२५	२१	७	
बृ	२६	२२	८	
शु	२७	२३	९	
श	२८	२४	१०	
र	२९	२५	११	इन्दिरा ११ व्रत
चं.	३०	२६	१२	प्रदोष व्रत

अक्टूबर सन् १९२९ ई०

आश्विन कृष्णा १३ से कार्तिक कृष्णा १४ सं. १९८६

वार	अक्टूबर १९२९ ई०	रबी०जमा० १३४८हि.	आश्विन कार्तिक १९८६	विशेष विवरण।
मं.	१	२७	१३ १४	
बु	२	२८	३०	सर्वपित्री
बृ	३	२९	१	नवरात्रारम्भ आश्वि[न शुक्लपक्ष
शु	४	३०	२	
श	५	१	३	जमादिउलाव्वल
र	६	२	४	
चं.	७	३	५	
मं.	८	४	६	
बु	९	५	६	
बृ	१०	६	७	
शु	११	७	८	दुर्गा पूजन
श	१२	८	९	
र	१३	९	१०	विजयादशमी
चं.	१४	१०	११	पापांकुश ११ व्रत
मं.	१५	११	१२	प्रदोष व्रत
बु	१६	१२	१३	
बृ	१७	१३	१४	संक्रांति तुला ३।५
शु	१८	१४	१५	शरद पूर्णिमा
श	१९	१५	१	कार्तिक कृष्णपक्ष
र	२०	१६	२	
च	२१	१७	३	करक चतुर्थी व्रत
मं.	२२	१८	४	
बु	२३	१९	५	
बृ	२४	२०	६ ७	
शु	२५	२१	८	
श	२६	२२	९	
र	२७	२३	१०	
चं.	२८	२४	११	रमा ११ व्रत
मं.	२९	२५	१२	धन पूजन
बु	३०	२६	१३	रूप चतुर्दशी
बृ	३१	२७	१४	महाल. पू. दिवाली

नवम्बर सन् १९२९ ई०

कार्तिककृष्णा ३०से मार्गशीर्षकृष्णा १४ सं. १९८६

वार	नवम्बर १९२९ ई०	जमादि० १३४८ हि०	कार्तिक मार्ग. १९८६	विशेष विवरण
शु	१	२८	३०	अन्नकूट गोबरधन पू.
श	२	२९	१	कार्तिक शुक्लपक्ष
र	३	३०	२	भ्रातृ २
चं.	४	१	३	जमादि उलाखिर
मं.	५	२	४	
बु	६	३	५	
बृ	७	४	६	
शु	८	५	७	
श	९	६	८	गोपाष्टमी
र	१०	७	९	अक्षय ९
चं.	११	८	९	
मं.	१२	९	१०	
बु	१३	१०	११	देवप्रबोधिनी ११ व्रत
बृ	१४	११	१२	प्रदोष व्रत
शु	१५	१२	१३	सं. वृश्चिक ५५।३८
श	१६	१३	१४/१५	
र	१७	१४	१	मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष
चं.	१८	१५	२	
मं.	१९	१६	३	
बु	२०	१७	४	चतुर्थी व्रत
बृ	२१	१८	५	
शु	२२	१९	६	
श	२३	२०	७	
र	२४	२१	८	
चं.	२५	२२	९	
मं.	२६	२३	१०	
बु	२७	२४	११	उत्पत्ति ११ व्रत
बृ	२८	२५	१२	प्रदोष व्रत
शु	२९	२६	१३	
श	३०	२७	१४	

दिसम्बर सन् १९२९ ई०

मार्गशीर्ष कृष्णा ३० से पौष शुक्ला १ सं. १९८६

वार	दिसम्बर १९२९ ई०	जमा. रज्ज. १३४८ हि०	मार्गशीर्ष पौष १९८६	विशेष विवरण।
र	१	२८	३०	
चं.	२	२९	१	मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष
मं.	३	१	२	रज्जब
बु	४	२	३	
बृ	५	३	४	
शु	६	४	५	
श	७	५	६	
र	८	६	७	
चं.	९	७	८	
मं.	१०	८	९	
बु	११	९	१०	
बृ	१२	१०	११	मोक्षदा ११ व्रत
शु	१३	११	१२	
श	१४	१२	१३	प्रदोष व्रत
र	१५	१३	१४	सं. धन २४।२०
चं.	१६	१४	१५	दत्त जयंती
मं.	१७	१५	१	पौष कृष्णपक्ष
बु	१८	१६	२	
बृ	१९	१७	३	चतुर्थी व्रत
शु	२०	१८	४/५	
श	२१	१९	६	
र	२२	२०	७	
चं.	२३	२१	८	
मं.	२४	२२	९	
बु	२५	२३	१०	
बृ	२६	२४	११	सफला ११ व्रत
शु	२७	२५	१२	
श	२८	२६	१३	प्रदोष व्रत
र	२९	२७	१४	
चं.	३०	२८	३०	सोमवती अमावास्या
मं.	३१	२९	१	पौष शुक्लपक्ष

भारतवर्ष ।

भारतवर्ष।

क्षेत्रफल–१८,०५,३३२ वर्गमील

जन संख्या–३१,९८,४२,४८०

भारत वर्ष जिसे भरत खण्ड भी कहते हैं महाद्वीप एशियाके दक्षिण में हैं। चीन के सिवाय जगत के सब देशों से यह देश अधिक आवाद है।

सीमा।

इस देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ दक्षिण में हिन्द महासागर; पूर्व में ब्रह्मदेश तथा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरवी समुद्र, विलोचिस्तान व अफगानिस्तान हैं।

विस्तार।

इस देश की लम्बाई उत्तर दक्षिण नंगा पर्वत से कुमारी अन्तरीप तक लगभग १९०० मील है और चौड़ाई पूर्व पश्चिम किरांची से उत्तरी आसाम तक लगभग १९०० मील है।

समुद्री किनारें की लम्बाई ३६०० मील है। क्षेत्रफल १८ लाख ५ हजार तीनसो बत्तीस वर्ग मील है।

इस क्षेत्रफल में से १०,९४,३०० वर्गमील अर्थात ६१ पृतिशत ब्रिटिश भारत में है और ७,१७,०३२ वर्गमील अर्थात ३९ पृतिशत देशी राज्यों में है

ब्रिटिश भारत १०,९४,३०० वर्गमील (६१ प्रतिशत)
देशी भारत ७,११,०३२ वर्गमील (३९ प्रतिशत)

प्राकृतिक स्वरूप।

यह देश चारोंओर स्वाभाविक सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग को सिंध पंजाब और कश्मीर के पश्चिमी सिरे से आसामकी पूर्वी सीमा तक, हाल और सुलेमान पहाड पश्चिम में; हिमालय पर्वत उत्तर में नागा खसिया और टिपरा की पहाडियों की श्रेणी पूर्व में बड़ी

मजबूती से घेरे हुये हैं। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी गौरीशंकर है जिसकी उंचाई २९ हजार २ फीट है। इसे मौंट एवरेस्ट और देवदंगा भी कहते हैं। इन पहाड़ी सीमाओं के बीच में विस्तृत महान हरे भरे मैदान हैं जिनमें हो कर बड़ी २ नदियां बहती हैं। पश्चिम में सिंध नदी बहुत सी सहायक नदियों को लेकर दक्षिण ओर बहती हुई अरब के समुद्र में गिरती है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल कर हिमालय के उत्तर तिबत में बहती हुई और हिमालय को आसाम में काटती हुई गंगा नदी में आ मिलती है। इन दोनों नदियों के बीच भारत वर्ष की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदी गंगा उत्तरी भारत में बहती हुई बंगाल की खाडीमें गिरती है। इन उत्तरी मैदानों के दक्षिण में मध्य प्रदेश का ऊंचा मैदान है जिसके दक्षिण विन्ध्याचल पहाड़ और सतपुड़ा की पहाडियां फैली हुई हैं। और जिसके दक्षिणी पूर्वी ढ़ाल का पानी गंगा में और दक्षिणी पश्चिमी ढ़ाल का पानी सिंध में बह कर जाताहै। गंगा के मैदान और सिंध के मैदान के दक्षिण में दक्षिण का प्रायद्वीप है इस दक्षिणी विभाग में दक्षिण का प्लेटो अर्थात ऊंचा मैदान भी शामिल है जिसकी औसत उंचाई लग भग २००० फीट है। इस प्लेटो के उत्तर में विन्ध्याचल पर्वत नर्वदा सतपुड़ा की पहाड़ियां और ताप्ती नदी हैं। दक्षिणी विभाग के पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मैदान की एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर समुद्र हैं इस प्रकार भारत वर्ष की पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी किनारों की स्वाभाविक सीमायें बंगाल की खाड़ी हिन्द महासागर और अरब सागर हैं।

भारत वर्ष के दक्षिण में लङ्का द्वीप है जिसे सीलोन कहते हैं यह द्वीप रामेश्वर द्वीप से निकट है। लका द्वीप समूह मलाबार के किनारे से १५० मील दूर पर पश्चिम की ओर हैं यह मूंगे के बने हुये हैं। एन्डमन और नीकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं एन्डमन द्वीप में ब्रटिश भारत के कैदी भेजे जाते हैं इसका मुख्य स्थान पोर्टब्लेयर है और यहां लाड मेयो सन् १८७२ ई० में एक कैदी द्वारा मारे गये थे।

जलवायु

भारतका दक्षिणी आधा भाग उष्ण कटिबन्ध में है और उत्तरी आधा भाग उत्तरी मध्य कटिबन्ध में है इस कारण इस देश का जलवायु, प्रायः गरम है। भारत के सबसे गर्म प्रदेश दो हैं कारोमंडल का किनारा और पश्चिमी रेगिस्तान अर्थात राजपूताने का मैदान। उत्तरी भारत में गर्मी की ऋतुमें लू चलती है और दिसम्बर और जनवरी के महीनों में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है और काश्मीर व हिमालय पहाड़ की तराई में बर्फ भी गिरती है दक्षिणी भारत के किनारे

समुद्र के समीप होने के कारण, उत्तरी भारत की तरह गर्म नहीं हैं। मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता का जल वायु इस कारण समशीतोष्ण है दक्षिण का प्लेटो भूमध्य रेखा के समीप होने पर भी उंचाई के कारण समशीतोष्ण है। भारत के तीन मुख्य ऋतु हैं – ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद।

वायु की औसत ऊष्णता विभिन्न स्थानों पर नीचे कोष्टक में दी हुई है।

ऊष्णता का औसत।

स्थान	उंचाई फुटों में	वा० औसत	स्थान	उंचाई फुटों में	वा० औसत
शिलौंग	४९२०	६१.७	लखनऊ	३६८	७६.६
दारजीलिंग	७३७६	५२.७	आगरा	५५५	७८.४
शिमला	७२२४	५५.१	मेरठ	७३८	७४.४
मरी	६३३३	५८.०	दिल्ली	७१८	७७.१
श्रीनगर	५२०४	५३.३	लाहौर	७०२	७४.७
मौंट आबू	३९४५	६८.८	मुलतान	४२०	७७.५
उटकमण्ड	७३२७	५७.३	जकोबाबाद	१८६	७९.३
कराची	४९	७७.६	हैदराबाद (सिन्ध)	९६	७९.९
बम्बई	३७	७९.३	बीकानेर	७७१	७९.६
मद्रास	२२	८१.८	राजकोट	४२९	७८.५
मछलीपट्टम	१५	८१.४	अहमदाबाद	१६३	८२.१
गोपालपुर	२१	७८.८	अकोला	९३०	७९.२
रंगून	५७	७९.२	जबलपुर	१३२७	७५.६
टौंगू	१८३	७९.३	नागपुर	१०२५	७९.६
मण्डाले	२५०	८०.८	अहमदनगर	२१५२	७५.०
सिलचर	१०४	७५.९	पूना	१८४०	७५.९
कलकत्ता	२१	७७.९	शोलापुर	१५९०	७९.३
बर्दवान	९९	७८.६	बेलगाँव	२५३९	७२.८
पटना	१८३	७७.१	हैदराबाद (दक्षिण)	१६९०	७८.५
बनारस	२९६	७७.२	बंगलौर	३०२१	७२.८
इलाहाबाद	३०९	७७.३	बिलारी	१४७५	८०.८

पर्जन्य ।

भारतवर्ष में वृष्टि सामयिक पवनों पर अर्थात् "मानसून" पर निर्भर है। पश्चिमी किनारे में वृष्टि अधिकतर दक्षिण-पश्चिमी पवन के कारण होती है। इसी प्रकार पूर्वी किनारे में वृष्टि उत्तर पूर्वी पवन द्वारा होती है। भारत में जिस प्रकार वर्षा ऋतु निश्चित है वैसी अन्य देशों में नहीं। दक्षिण-पश्चिमी पवन अप्रेल से अक्टूबर तक चलती रहती है और उत्तर-पूर्वी नवम्बर से फरवरी तक चलती है।

खासी पहाड़ियों में सारे जगत के स्थानों से सबसे अधिक वृष्टि होती है यहां तक कि चेरापूजी मे ५२३ इंच जल एक वर्ष में बरसता है। महाबलेश्वर पहाड़ियो पर २४० इंच प्रतिवर्ष, बम्बई में ७० इंच, कलकत्ता में ६६ इंच, मद्रास में ४० इंच और दिल्ली में २४ इच प्रतिवर्षजल बरसता है।

विभिन्न स्थानो पर वृष्टि का औसत नीचे कोष्टक में दिया गया है।

वृष्टि का औसत।

स्थान	ऊंचाई फुटों में	वार्षिक योग	स्थान	ऊंचाई फुटों में	वार्षिक योग
शिलौंग	४९२०	८२.४४	बर्दवान	९९	५७.५४
दारजीलिंग	७३७६	१२१.८०	पटना	१८३	४४.५४
शिमला	७२२४	६७.९७	बनारस	२६७	४०.५९
मरी	६३३३	५७.९०	इलाहाबाद	३०९	३९.५२
श्रीनगर	५२०४	२७.०३	लखनऊ	२६८	३९.२०
मौंट आबू	३९४५	६२.४९	आगरा	५५५	२६.७०
उटकमण्ड	७३२७	४६.६९	मेरठ	७३८	२९.६२
करांची	४९	७.६६	देहली	७१८	२७.७०
बम्बई	३७	७३.९९	लाहौर	७०२	२०.७०
मंगलौर	६५	१२९.८३	मुलतान	४२०	७.११
कालीकट	२७	११६.२०	हैदराबाद (सिंध)	९६	७.२२
मद्रास	२२	४८.३८	बीकानेर	७७१	११.२७
मछलीपट्टम	१५	३८.३०	राजकोट	४२९	२७.८०
रंगून	५७	९८.४९	अहमदाबाद	१६३	२९.५२
मण्डाले	२५०	३२.६३	अकोला	९३०	३१.२७
कलकत्ता	२१	६०.८३	जबलपुर	१३२७	५५.४५

वृष्टि का औसत (चालू)

स्थान	उंचाई फुटों में	वार्षिक योग	स्थान	उंचाई फुटों में	वार्षिक योग
नागपुर	१०२५	४५.६२	बेलगांव	२५३९	४८.९१
रायपुर	९७०	५०.२७	हैदराबाददक्षिण	१६९०	३१.५६
अहमदनगर	२१५२	२४.६६	बंगलौर	३०२१	३६.८३
पूना	१८४०	२८.२६	बिलारी	१४७५	१८.३०
शोलापुर	१५९०	२८.७४			

उपज ।

भारतवर्ष में सब प्रकार की जल-वायु होने के कारण उपज भी सब प्रकार की होती है। यहाँ सहस्त्रों प्रकार की वनस्पति तथा अनेक प्रकार के पदार्थ अनाज, सन, जूट इत्यादि उत्पन्न होते हैं।

बंगाल और आसाम में चावल, सन, जूट और तिलहन बहुतायत से पैदा होता है। गेहूँ थोड़ा बहुत सारे देश में होता है परन्तु विशेष कर पंजाब और मालवा प्रदेश में और साधारण संयुक्त प्रदेश में अच्छा होता है। जौ की खेती उत्तरी भारत में अनेक स्थानों में होती है। बरार और दक्षिण और मध्यप्रदेश में रुई बहुतायत से होती है। बम्बई प्रांत और राजपूताना में ज्वार व बाजरा बहुत होता है। मद्रास प्रांत में और बम्बई के कोकण प्रांत में चावल अधिक होता है। नीलगिरी प्रदेश तथा आसाम प्रांत में चाय होती है। काश्मीर में केशर, और बिहार में नील उत्पन्न होता है। बिहार और मालवा में अफीम पैदा होती हैं। आसाम में सिनकोना की खेती होती है जिस से कुनैन बनती है। दारचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और कवहा की पैदावार दक्षिण में और विशेषकर पश्चिमी घाट में होती है।

भारत वर्ष की ज़मीन।

कुल ६६,७६,६४,०१८ एकड

जंगल	८,६५,१४,०१२
खेती के लिये अप्राप्य	१५,०९,७१,०४९
खेती केलिये योग्य पड़ेती	१५,२८,९३,३४३
ऊसर	४,७१,७८,९६४
जुती हुई	२२,६९,८०,२४८

जमीन की बांट

(उपज के अनुसार)

चावल	७,९३,०६,२९९
गेंहुं	२,४२,४८,०६७
जौ	६९,६९,७९२
जुआर	२,२४,७०,३७३
बाजरा	१,१९,६५,४२०

राली	३९,८००९,२
मक्का	५,३४७,९६४
चना	१,६५,५१,८१७
अन्य अनाज	२,८७,७५,२०९
फल, तरकारी तथा अन्य खाद्य पदार्थ	७७,८३,९३४
गन्ना	२६,५४,६७०
काफी	९४,२९८
चाय	७,१५,८३६
जोड़	२१,१४,६३,७७२

धातु।

मैसूर में सोने की खान है। सम्मलपुर, बुन्देलखण्ड (पन्ना) और कोलेर झील के पास हीरा निकलता है। कोहनूर प्राचीन हीरा जो सम्राट पंचम जार्ज के मुकुट में लगा है वह गोदावरी के किनारे मिला था। चाँदी मुरशिदाबाद में निकलती है। पंजाब में और मलाबार के किनारे पर तथा विनोद में और अन्य नदियों की रेत से सोना निकलता है। कोयला बंगाल छोटानागपुर और मध्यप्रदेश में बहुतायत से होता है। लोहा अनेक स्थानों में निकलता है। पंजाब में निमक की चट्टाने हैं। तांबा, सीसा, गन्धक, हरताल इत्यादि की भी खानें हैं।

खनिज पदार्थ

(स० १९२४-२५ के आंकड़े)

१ पाउन्ड=रु० १२-३

पदार्थ	मूल्य (पाउन्ड)
कोयला	८५०३८२८
पट्रोलियम	७७४०७२७
मेंगनीज	२६१७२८०
सोना	१६७३५०१
अबरख	७९९४८३
चांदी	७०५५०३
लोहा	३३६७७५
पन्ना, लाल इत्यादि	२७४५४
हीरा	१०९८

पशु-पक्षी।

भारतवर्ष में सब प्रकार के पशु-पक्षी पाये जाते हैं। गुजरात में कुछ सिंह हैं। हाथी, चीते, बाघ, भालू, अनेक प्रकार के बन्दर और हिरण सुरा गाय जंगलों में पाये जाते हैं। गेंड़ा हाथी पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ में जंगली गधा मिलता है और गौर (बहुत बड़ा जंगली बैल) पहाड़ी जंगलों में कहीं कहीं पाया जाता है। भेड़, बकरियां, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते घोड़े और ऊंट घरेलू पशु हैं।

सुन्दर पक्षी सब प्रकार के तथा साधारण पक्षी कौवे, चील इत्यादि सब जगह पाये जाते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, जीव, जन्तु भारत में होते हैं। सर्प के काटने से प्रति वर्ष २०,०००

मनुष्य मरते हैं। नदियों में घड़ियाल, मगर, सोंस, मछली, कछुवे भी मिलते हैं।

रेशम के कीड़े बंगाल में पाले जाते हैं। मक्खियाँ, च्यूटियाँ, मच्छर इत्यादि सब जगह होते हैं।

निवासी।

भारतवासियों की संख्या १९२१ की गणना अनुसार ३१,८९,४२,४८० है जो यूरोप की आबादी के बराबर है। १ वर्ग मील में १८८ मनुष्यों का औसत है, किन्तु कुछ भागों में औसत प्रति वर्ग मील ६०० है और एक ज़िले में ८७० है।

भारतवर्ष के निवासी ब्रिटिश भारत तथा देशी भारत में इस प्रकार बसे हुये हैं।

भारतवर्ष के अति प्राचीन निवासी संथाल, कोल, भिल्ल, किरात, गोंड, खांड आदि जाति के हैं जो जंगलों में और पहाड़ों में बसते हैं। इनका रंग काला या साँवला, कद नाटा, कमजोर, नाक चपटी, डाढ़ी घनी, बाल अच्छे लम्बे सीधे या घूंघरवाले होते हैं। छाती और बदन के अन्य भागों पर भी बाल होते हैं।

पूर्वी हिमालय और उत्तरी पूर्वी भारत में मंगोल व चीनियों के सदृश

भारत की जन संख्या
३१,८९,४२,४८०

ब्रिटिश भारत में मनुष्य २४,७०,०३,२९३ (७७ प्रतिशत)
देशी भारतमें मनुष्य ७,१९,३९,१८७ (२३ प्रतिशत)

भारतवासी अधिकतर ग्रामों में रहते हैं। १ बटे २० से भी कम शहरों में रहते हैं और १७.५ करोड़ से अधिक खेती में लगे हुये हैं। उस के बाद सब से अधिक मनुष्य अर्थात् १.२ करोड़ कपड़े बुनने और कपड़ों के लिये उपयोगी सामग्री बनाने में लगे हुये हैं।

जाति वाले लोग पाये जाते हैं। इनका रंग गेहुंआ, कद नाटा और चेहरा चौड़ा है, बाल लम्बे और कडे होते हैं। नाक कुछ चपटी होती है।

दक्षिणी भारत में द्रविड़ जाति के लोग पाये जाते हैं। इनका रंग काला, और कद नाटा होता है।

भारत के निवासी अधिक तर आर्य जाति के हैं जो ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य होते हैं।

मुसलमानी आक्रमणों के कारण अरबी, ईरानी, और अफगानी लोग भी आकर बस गये हैं और भारत की जातियों में मिश्रित हो गये हैं।

पश्चिमी किनारे पर पारसीलोग भी बसे हुये हैं जो संजाई बन्दर पर (जो बम्बई के ६० मील उत्तर है) ७१७ ई० में उतरे थे।

यूरेशियन जाति जो अंग्रेज़ और हिन्दुस्थान से मिश्रित जाति है शहरों में पायी जाती है।

यहूदी और सीरियन ईसाई भी मालाबार किनारे पर बसे हुये हैं।

भाषा।

भारत में लगभग २२२ भाषायें बोली जाती हैं जिनके तीन प्रकार हैं—(१) संस्कृत (२) द्राविडी, (३) ब्रह्मीभाषाओं से उत्पन्न होने वाली। लगभग २५ करोड़ मनुष्य संस्कृत से उत्पन्न होने वाली भाषायें बोलते हैं; ५.५ करोड़ लोग द्राविडी भाषायें, और १.३ करोड़ अन्य भाषायें बोलते हैं।

भारत की मुख्य भाषायें बंगाली, उड़िया हिन्दी, पंजाब, मराठी, गुजराथी, सिंधी और आसामी संस्कृत भाषा की शाखायें हैं। इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कोष्टक में दी हुई है—

भाषा	संख्या सहस्रों में (००० कम किये हैं)		घटी या बढ़ी प्रतिशत
	१९२१	१९११	
हिन्दी	९६,७१४	९६,०४१	+ १
बंगाली	४९,२९४	४८,३६८	+ २
मराठी	१८,७९८	१९,८०७	— ५
पंजाबी	१६,२३४	१५,८७७	+ २
राजस्थानी	१२,६८१	१४,०६८	— १०
उड़िया	१०,१४३	१०,१६२	— ,२
गुजराथी	९,५५२	९,२३८	+ ३
लहंडा (पश्चिमी पंजाबी)	५,६५२	४,७७९	+ १८

पश्तो (जिसे अफगान बोलते हैं) काश्मीरी, तथा नैपाली भी संस्कृत भाषायें हैं। हिन्दुस्थानी अथवा उर्दू भी संस्कृत भाषा की शाखा है। मुसलमानी फौजों के डेरों में यह भाषा उर्दू उत्पन्न हुई इस में अनेक शब्द फारसी के हैं।

विज्ञापन दाताओं से निवेदन।

समाचार पत्रों में विज्ञापन देना लाभदायक है इस में सन्देह नहीं किन्तु इस से शतशः-सहस्रशः लाभदायक वे विज्ञापन होते हैं जो साहित्य के ऐसे स्थाई ग्रन्थों में दिये जावें जिन ग्रन्थों के बिना लोगों का काम अटक जाता है और जिन ग्रन्थों के पन्ने बार बार बिना उलटे पलटे काम नहीं चलता। "मातृभूमि अब्दकोश" ऐसा ही ग्रन्थ है। प्रकाशित होते ही इस ने हिन्दी साहित्य में अपना स्थान बना लिया है। विद्यार्थी व शिक्षक, धनिक व गरीब, जमीदार या किसान सम्पादक या पाठक, पुस्तक लेखक या वाचक, भ्रमण करने वाला या घर बैठने वाला, राजनीतिक वक्ता या श्रोता सभी इस पुस्तक की आवश्यकता तथा उपयोगिता को मानते हैं और अपने पास रखते हैं।

"मातृभूमि अब्दकोश १९२९" में विज्ञापन जिन्हों ने दिये हैं वे उपरोक्त लाभ का पूरा पूरा अनुभव कर रहे हैं।

"मातृभूमि अब्दकोश १९३०" की तैयारी जारी है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या बढायी जारही है, सैकड़ों नये विषय दिये जारहे हैं किन्तु मूल्य ४) ही रहेगा। सिद्ध है कि ग्रन्थ सहस्रों की संख्या में अगली साल अधिक बिकेगा।

आप अपना विज्ञापन अभी से भेज दीजिये देर होने में हानि होगी। विज्ञापनों के लिये पुस्तक में नये स्थान कायम किये गये हैं जो नींचे दिये हुये सूची से ज्ञात होंगे।

विज्ञापन की दरें

साधारण १ पृष्ठ	१०) प्रति पृष्ठ
साधारण २ पृष्ठ	९) ,, ,,
अधिक	पत्र व्यवहार से।
कवर दूसरा पृष्ठ	५०)
कवर के दूसरे पृष्ठ के सामने	६०) रु०
कवर का तीसरा पृष्ठ	४०) रु०
कवर चौथा पृष्ठ	१००) रु०

यदि कोई विशेष सुविधा चाहिते हों तो पत्र व्यवहार से तै कीजिये।

मैनेजर, 'मातृभूमि अब्दकोश' विभाग

मातृभूमि कार्यालय झांसी।

द्राविडी भाषायें विशेषतः मद्रास प्रांत में बोली जाती हैं। इसकी मुख्य शाखायें तामिल, मलायलम, कानडी, तैलंगी, और गोंडी हैं। इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या नीचे दिये हुये कोष्टक से विदित होगी।

भाषा	संख्या सहस्रों में (००० कम किये हैं)		घटी या बढ़ी प्रतिशत
	१९२१	१९११	
तैलंगी	२३,६०१	२३,५४३	+ २
तामिल	१८,७८०	१८,१२८	+ ४
मलायलम	७४,९८	६,७९२	+ १०
कानडी	१०,३७४	१०,५२६	— १
गोंडी	...	१५०	...

ब्रह्मी भाषा ।

ब्रह्मी	८,४२३	७,८९४	+ ७

धर्म तथा मत ।

भारतवर्ष में अनेक मतमतान्तर तथा धर्म प्रचलित हैं जिनका विवरण विस्तार से अन्य स्थान पर दिया गया है। भारत वासी मुख्यतः वेद, शास्त्र, पुराण मिश्रित धर्मावलम्बी हैं जिस की अनेक शाखायें हैं। इस प्रचलित धर्म का नाम सनातन धर्म है और इस के मानने वाले खुद को हिन्दू कहते हैं। वास्तविक इस धर्म को आर्यधर्म कहना चाहिये। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इत्यादि इसी मत की शाखा, उप शाखा हैं। सिख धर्म भी इसी श्रेणी में है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कुछ सिद्धांतों में भिन्नता रखने के कारण अलग मालूम होते हैं परन्तु वे वैदिक धर्म से ही निकले हैं। बौद्धों की संख्या विशेष कर ब्रह्मदेश में ही है।

ईसाई मत अंग्रेज़ों के राज्य के पहिले से भारत में आया परन्तु अंग्रेजी राज्य के बाद इसकी प्रगति हुई।

इसलाम अर्थात दीन मुहम्मदी भी परदेशी मत है और मुसलमानों के आक्रमणों के साथ २ भारत में आया। ज़ोरास्ट्रियन मत पारसी मानते हैं। भारत में यहूदी मतावलम्बी कम हैं।

कोल, संथाल आदि पहाड़ी जातियों में जो मत प्रचलित हैं वे भी हिन्दुओं के धर्म से विभिन्न नहीं हैं ।

धर्मानुसार जनसमाज का संक्षिप्त ब्योरा नीचे के कोष्टक में दिया हुआ है—

धर्म	सहस्रों में ००० कम किये हैं १९२१	प्रति १०००० में औसत १९२१	सहस्रों में ००० कम किये हैं १९११	अंतर प्रतिशत १९११ व १९२१
आर्य धर्म	२३२७२३	७३६२	२१७५८६	+ .१
सनातन	२१६२६१	६८४१	२१७३३७	— .५
आर्यसमाज	४६८	१५	२४३	+ ९२.१
ब्रह्मसमाज	६	.२	५	,, १६.१
सिख	३२३९	१०३	३०१४	,, ७.४
जैन	११७८	३७	१२४८	— ५.६
बौद्ध	११५७१	३६६	१०७२१	+ ७.९
इरानी				
पारसी	१०२	३	१००	,, १.७
सेमिटिक	७३५११	२३२५	७०५४३	,, ४.२
इसलाम	६८७३५	२१७४	६६६४७	,, ५.१
ईसाई	४७५४	१५०	३८७६	,, २२.६
यहूदी	२२	.६	२०	,, ३.८
पहाड़ी	९७७५	३०९	१०२९५	— ५.१
अन्य	१८	१	३७	,, ५१.५

भारत में अंग्रेज़ी शासन ।

भारत में अंग्रेज़ी शासन।

१—चारटर, पार्लीमेंटरी ऐक्ट, और भारतीय ऐक्ट।

भारत में अंग्रेजी शासन का संक्षिप्त इतिहास आगे दिया गया है। इस जगह जितने कानून भारतीय शासनसंबंधी आरंभ से वर्तमान काल तक, इंगलैंड में अथवा भारत में पास हुए हैं दिये जाते हैं।

इन कानूनों के काल के तीन भाग हैं—(१) चार्टर काल (१६००—१७६५) इस काल में इस्ट इंडिया कम्पनी को केवल व्यापार करने के अधिकार ब्रिटिश सरकार की ओर से दिये गये।

(२) कम्पनी द्वारा शासन काल (१७६५-१८५८) इस काल में इस्ट इंडिया कम्पनी को पार्लीमेंट के एक्टों द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया।

(३) ब्रिटिश नरेश शासन काल (१८५८ से वर्तमान काल तक)

(१) चारटर अथवा व्यापारी काल १६००—१७६५

इस काल में १३ महत्व पूर्ण चार्टर (अधिकार पत्र) इस्ट इंडिया कम्पनी को ब्रिटिश सरकार ने दिये।

१—रानी एलीज़बेथ का चारटर (१६००)। यह चारटर चन्द अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिये दिया गया। इसका उद्देश्य यह भी था कि भारत में डच व्यापारियों का व्यापार रुक जाय। इस चारटर की अवधि १३ साल की थी।

२—जेम्स प्रथम का चारटर (१६०९) इस के द्वारा पहिला चारटर फिर जारी किया गया और सदा के लिये कर दिया गया।

३—क्रोमवेल का चारटर (१६५७) इस चारटर का उद्देश्य यह था कि इस्ट इंडिया कम्पनी को अन्य कम्पनियों से स्वतन्त्र कर दिया जावे जैसा कि इस चारटर द्वारा किया गया।

४—चार्लस द्वितीय का चारटर १६६१—यह चारटर इस उद्देश्य से दिया गया था कि चार्लस चाहता था कि चारटर से क्रामवेल का नाम हट जावे। उसने यह चारटर १६६१ में दिया और यह भी अधिकार दिया कि कम्पनी सिक्के बनावे और चलावे और जो कम्पनी के हद में अन्य व्यापारी जावें उन्हें सज़ा देवे।

५—चार्लस द्वितीय का चारटर १६६९। इस चारटर द्वारा (अ) ईस्ट इंडिया कम्पनी को बम्बई टापू

दिया गया (आ) कम्पनी को यह अधिकार दिया गया कि अपनी नौकरी में ऐसे सरकारी पदाधिकारियों को ले सकती है जो इसके लिये तैयार हों।

६—चार्लस द्वितीय का चारटर १६८५—इस चारटर द्वारा कम्पनी को किसी एशियाई और अमरीकन जाति से युद्ध और सन्धि करने का अधिकार दिया गया और इस कार्य के लिये फौजें भरती करने और उन्हें सिखाने का भी अधिकार दिया गया।

७—जेम्स द्वितीय का चारटर १६८६—इस चारटर द्वारा—

(क) कम्पनी के अधिकार फिर से जारी कर दिये गये और दृढ़ किये गये और कम्पनी को एडमिरेल, वाइस एडमिरेल, और अन्य समुद्री अफसर नियत करने का भी अधिकार दिया गया।

(ख) कम्पनी को अपने किलों में सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया गया।

८—कम्पनी का चारटर १६८७—यह चारटर कम्पनी की ओर से था न कि ब्रिटिश नरेश की ओर से। इस साल में जेम्स द्वितीय ने कम्पनी को अधिकार दे दिया था कि मद्रास में म्युनिसपैलिटी अपने चारटर द्वारा कायम कर दे।

९—विलियम का चारटर १६९३, पिछला चारटर दृढ़ किया गया किन्तु यह भी शर्त रक्खी गई कि अगर नये रेग्यूलेशनों को कम्पनी एक साल के भीतर न माने तो चारटर रद्द कर दिया जावेगा।

१०—१६९८ का चारटर—इसके अनुसार एक नई कम्पनी बनाई गई।

(क) यह कम्पनी साधारण तथा पिछले तत्वों पर ही बनाई गई केवल कम्पनी के संचालकों का नाम "डायरेक्टर" रक्खा गया।

(ख) नई कम्पनी को ही ईस्टइन्डीज में व्यापार करने का अधिकार दिया गया।

(ग) नई कम्पनी को अधिकार दिया गया कि कानून और उप-कानून (आर्डीनेन्सेज) बनावे, गवर्नर नियत करे, अदालतें कायम करे और धर्म के पादरी नियत करे।

११—जार्ज प्रथम का चार्टर १७२६ इस चारटर द्वारा—

(क) बम्बई और कलकत्ता में म्यूनिसपेलिटियां कायम की गईं।

(ख) बम्बई और कलकत्ता में मेयर की अदालत कायम की गई।

१२—जार्ज द्वितीय का चारटर १७५३—इस चारटर द्वारा मद्रास कोरपोरेशन जो फ्रेंच लोगों के कब्जे में जाने के कारण टूट गया था फिर से बनाया गया।

१३—१७५८ का चारटर—इस चारटर द्वारा कम्पनी को यह अधिकार मिला कि देशी नरेशों से जीते हुये किले, प्रदेश

अथवा प्रांत वापिस देदे या उनका योग्य प्रबंध करे।

२—कम्पनी शासन काल।

१७६१—१८५८

इस काल के आरंभ में इस्ट इंडिया कम्पनी की क्या रचना थी यह जानना आवश्यक है।

इंगलैण्ड में रचना।

कम्पनी का संचालन १६९८ के चारटर के अनुसार किया जाता था। मालिकों का एक जनरल "कोर्ट आफ प्राप्रोइटर्स" था और संचालकों का एक "कोर्टआफ डायरेक्टर्स" था। डायरेक्टरों की संख्या २४ थी और प्रत्येक वर्ष उन का चुनाव होता था।

भारत में रचना।

कम्पनी ने तीन प्रेसीडेंट कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कायम किये थे। प्रत्येक प्रेसीडेंन्सी का शासन प्रेसीडेंट इन-कौंसिल द्वारा चलाया जाता था। मालिकों के कोर्ट द्वारा प्रेसीडेंट नियत होता था और कौंसिल के मेम्बर (जिनकी संख्या ३ थी) डायरेक्टरों के कोर्ट द्वारा नियत होते थे। कुल शासन विभागों का नियंत्रण प्रेसीडेंट और कौंसिल के हाथों में था और उन्हीं का अधिकार फौजों पर भी था। ब्रिटिश नरेश द्वारा तीनों प्रेसीडेंसियों में अदालतें कायम हुई थीं जिन्हें दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार थे।

इस काल में ६ ऐक्ट पार्लीमेंट ने पास किये।

१—लार्ड नार्थ का रेगुलेटिंग ऐक्ट १७७३।

इस ऐक्ट के निम्नलिखित परिवर्तन किये।

इंग्लैंड में (क) कोर्ट आफ डायरेक्टर केवल एक साल के लिये चुना जावे।

(ख) मालिकों के वोट उनके पूंजी के अनुसार कम ज्यादा कर दिये जावें।

भारत में (ग) सुप्रीम कोर्ट कलकत्ते में कायम की गई जिसमें एक चीफ जज और ३ सहायक जज रक्खे गये।

(घ) कलकत्ता में गवरनर जनरल और ४ कौंसिलर नियत हुये जिनका अधिकार अन्य प्रेसीडेन्सियों पर भी रक्खा गया। गवर्नर जनरल नियमानुसार रिपोर्ट डायरेक्टरों को भेजे और डायरेक्टर सेक्रटरी आफ स्टेट के यहां भेजे ऐसा नियम ऐक्ट में रक्खा गया।

२—पिट का इंडिया बिल १७८४।

इस बिल द्वारा (क) पार्लीमेंट ने ६ प्रीवी कौंसिलरों को कमिश्नर नियत किया जिनके अधिकार में कुल भारतीय मामले सौंपे गये। इन कमिश्नरों के मातहत कुल इन्तजामी, फौजी और माली प्रबंध कम्पनी के बनाये गये। डायरेक्टरों का अब यह कर्तव्य हो गया कि इन कमिश्नरों (बोर्ड आफ कन्ट्रोल) के सामने भारत संबंधी कुल कागजात पेश करें। कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स को अब

कोई अधिकार नहीं रहा कि कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की कार्यवाही में हस्तक्षेप करे। भारत का शासन एक गवरनर जनरल और ३ कौंसिलरों के हाथ में रक्खा गया।

३—चारटर ऐक्ट १७९३।

इस ऐक्ट द्वारा (क) ब्रिटिश नरेश के अधिकार में यह बात रक्खी गई कि बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सदस्य नियत करे यह बन्धन नहीं रक्खागया कि ऐसे सदस्य केवल प्रीवी कौंसिलर ही हों।

(ख) कम्पनी के व्यापारी स्वत्व २० साल के लिये दृढ़ किये गये।

४—चारटर ऐक्ट १८१३—इस ऐक्ट के अनुसार—

(क) कम्पनी के ऐसे अधिकार, कि भारत में वही केवल व्यापार कर सकती थी छीन लिये गये केवल चीन के लिये ऐसे अधिकार रक्खे गये।

(ख) कम्पनी पर यह बाध्य किया गया कि एक बिशप और दो आर्कडीकन्स नियत करे।

५—चारटर ऐक्ट १८३३।

इस ऐक्ट द्वारा कम्पनीके व्यापारी अधिकार छीनलिये गये और कम्पनी को शासक समिति बना दिया गया। चीन में व्यापारी स्वत्व भी उससे छीन लिये गये। यह भी निश्चित किया गया कि पूरे भारत के लिये एक से कानून बनाये जावें और भारत के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया कि वह कानून और रेगुलेशन्स तैयार करे जो भारत की सब प्रजा यूरोपियन और देशी पर लागू हों।

६—चारटर ऐक्ट १८५३।

इस ऐक्ट द्वारा पार्लीमेंट ने कम्पनी के शासनाधिकार ऐसे समय के लिये दृढ़ कर दिये जो उसे उचित मालूम हों। बंगाल बिहार और ओड़ीसा की एक प्रेसीडेन्सी लेफटिनेंट गवरनर के मातहत बनाई गई। गवरनर जनरल का शासन किसी विशेष प्रेसीडेंसी पर नहीं रहा। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की संख्या २४ से १८ कर दीगई।

ब्रिटिश नरेश शासन काल।

(१८५८ से वर्तमान काल तक)

भारत में स० १८५७ में विप्लव हो गया इस कारण अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित होने पर पार्लीमेंट ने सन १८५८ में एक ऐक्ट पास किया।

(१) गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १८५८। इस ऐक्ट द्वारा कम्पनी के सब शासन अधिकार छीन लिये गये और ब्रिटिश नरेश में कुल शासन अधिकार केन्द्रीभूत हुये। सेक्रटरी आफ स्टेट की सहायता के लिये एक कौंसिल बनाई गई जिसमें १५ सदस्य रक्खे गये। ८ नरेश द्वारा नियोजित और ७ कोर्ट आफ डायरेक्टर द्वारा चुने हुये। कवेनेन्टेड सिविल सर्विस में नौकरियाँ सब प्रजा के लिये खोल दी गईं और परीक्षा कायम की गई। बोर्ड आफ कन्ट्रोल तोड़ दिया गया।

(२) इंडियन कौंसिल ऐक्ट १८६१—गवरनर जनरल की इकजीक्यूटिव

कौंसिल की रचना में कुछ परिवर्तन किया गया। और कानून बनानेवाली सभाओं की रचना में भी फेर फार किया गया।

(३) हाइ कोर्ट ऐक्ट १८६१—इस ऐक्टद्वारा सुप्रीम और सदर कोर्ट तोड़ दिये गये और बम्बई कलकत्ता, और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किये गये प्रत्येक में एक चीफ जस्टिस और अधिक से अधिक १५ जज रक्खे गये।

(४) इंडियन कौंसिल ऐक्ट १८९२—इस ऐक्ट के अनुसार भारत में व्यवस्थापक सभाओं (कौंसिलों) के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और गवरनर जनरल-इन-कौंसिल को अधिकार दिया गया कि सेक्रटरी आफ स्टेट-इन-कौंसिल की अनुमति के आधीन इन सदस्यों की नियुक्ति के लिये नियम बनाये।

५—इन्डियन कौंसिल ऐक्ट १९०९—सन १९०९ में लार्ड मिंटो वाइसराय ने एक खलीता सेक्रटरी आफ स्टेट (लार्ड मोरले) को भेजा जिसमें इन्हों ने यह सूचित किया कि उस समय की राजनैतिक अवस्था विचार करने योग्य है और जनता की ओर से बराबर मांग होरही है कि उसे नागरिक के समानाधिकार मिलें और शासन में अधिक योग्य भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई। सुधारों की एक रचना भी तैयार हुई। प्रांतीय सरकारों से भी राय लीगई, और लार्ड मोरले ने फरवरी १९०९ में एक बिल पार्लीमेंट में पेश किया जो कुछ संशोधनों के साथ पास हुआ।

इस ऐक्ट ने दो दिशाओं में अत्यंत महत्व पूर्ण परिवर्तन किया।

"ऐडीशनल (गैरसरकारी) सदस्यों की संख्या।

नाम कौंसिल		१८९२से पहिले अधिक से अधिक ऐडीशनल मेम्बरोंकी संख्या।	१८९२ के पीछे अधिक से अधिक ऐडीशनल मेंबरों की संख्या	१९०९ के एक्ट द्वारा अधिक से अधिकमेंबरों की संख्या।
इम्पीरियल कौंसिल		१२	१६	६०
बम्बई	,,	८	२०	५०
मद्रास	,,	८	२०	५०
बंगाल	,,	८	२०	५०
यू० पी०	,,	—	१५	५०
पंजाब	,,	—	—	३०
बर्मा	,,	—	—	३०

(१)–भारतीय कौंसिलों की रचना तथा कार्यों में।

(२)––प्रान्तीय सरकारों की कार्य कारिणी कमेटियों की रचना में।

कौंसिलों की रचना और कार्यों में इस प्रकार परिवर्तन हुये।

(क) सदस्यों की संख्या में वृद्धि। एडीशनल सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। (ख) सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का औसत निश्चित कर दिया गया। (ग) सदस्य नियोजित तथा चुने हुये दोनों प्रकार के रक्खे गये।

६ – गवर्मेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १९१९।

इस ऐक्ट के पास किये जाने के कारण अन्यत्र दिये गये हैं। इस ऐक्ट द्वारा केंद्रीयसरकार के लिये दो व्यवस्था पक सस्थायें बना दी गईं (१) कौंसिल आफ स्टेट जिसमें धनिकों तथा बड़े जमींदारों का ही प्रावल्य है (२) लेजिसलेटिव ऐसेम्बली। यह एक प्रकार की साधारण सभा है। प्रांतोंमें एक व्यवस्थापक सभा बनाई गई है और प्रान्तिक विषयों को 'रिजर्वड' (संरक्षित) और ट्रान्सफर्ड (समर्पित) विभागों में बांट दिया गया है। समर्पित विषय "मिनिस्टरों" के हाथों में दे दिये गये हैं। चुने हुये मेम्बरों में से ही मिनिस्टर नियोजित किये जाते हैं।

भिन्नभिन्न व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों की संख्या
(गवरमेंट आफ इंडिया एक्ट १९१९)

सरकार या प्रांत	निर्वाचित	नियोजित	कुल
भारत सरकार			
(१)लेजिसलेटिव एसेम्बली	१०३	४०	१४३
(२)कौंसिल आफ स्टेट	३३	२७	६०
मद्रास कौंसिल	९८	२९	१२७
बंगाल ,,	११३	२६	१३९
बम्बई ,,	८६	२५	१११
संयुक्तप्रांत ,,	१००	२३	१२३
पंजाब ,,	७१	२२	९३
बिहार उडीसा,,	७६	२७	१०३
बर्मा ,,	—	—	—
मध्यप्रांत बरार ,,	५४	१६	७०
आसाम ,,	३९	१४	५३

इस ऐक्ट की दफा ८४ (अ) में यह नियम रक्खा गया है कि १० वर्ष के बाद पार्लीमेंट की दोनों सभाओं की अनुमति लेकर भारत मंत्री सम्राट के सामने ऐसे व्यक्तियोंके नाम पेश करेगा जो "कमीशन" का कार्य करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि भारत वासियों को उत्तर दायी शासन की मात्रा कब और कितनी दी जावे। इसे "स्टेचुटरी कमीशन" कहते हैं।

नोट १—इस धारा के अनुसार स० १९२७ के अन्त में ब्रिटिश पार्लामेंट द्वारा एक कमीशन जिसे "सायमन कमीशन" कहते हैं नियत हुआ है और जिस कमीशन का दौरा भारत में इस समय होरहा है। उसका विवरण अन्यत्र दिया गया है।

नोट: २—स० १९१९ के ऐक्ट ने बर्मा में कौंसिल स्थापित नहीं की। स० १९२२ में एक नया ऐक्ट बनाया गया जिसके अनुसार बर्मा भी गवरनर के आधीन प्रांत बनाया गया और कौंसिल भी वहां स्थापित हुई। मेम्बरों की संख्या १०४ है जिसमें ७९ चुने हुये हैं।

नरेश प्रताप सिंह के विरुद्ध शाहाजी को जो स्वयं राज्य चाहता था सहायता की, उद्देश्य इतना ही था कि देही कोटा मिल जावे। किंतु, लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरह हारे। इस पर वे दुबारा लड़ने पर तैयार हुये। अन्ततः सुलह हो गई और अंग्रेजों ने शाहाजी का साथ छोड़ दिया और प्रतापसिंह से जिस किले को वे चाहते थे पाया और साथ २ रियासत भी जिसकी आमदनी ९००० पैगोडा थी पाई।

बंगाल में सिराजुद्दौलाह के राज्यारोहण से अंग्रेजों के स्वार्थ साधन में बाधा पड़ने लगी थी। लड़ाई का कारण पैदा होते देर न लगी। एक जमींदार ने मालगुजारी न दी इस पर नवाब की तरफ से उस पर कड़ाई हुई वह भाग कर कलकत्ता चला आया। नवाब ने उसे अंग्रेजों से मांगा। उन्हों ने इनकार कर दिया इस पर १८ जून १७५६ को सिराजुद्दौलाने कलकत्ते पर चढ़ाई करके फोर्ट विलियम ले लिया। हालवेल और बहुत से अंग्रेजी सैनिक पकड़ेगये। मिल इतिहास कार का कहना है कि अंग्रेज लोग स्वयं कैदियों को उसी स्थान में रखते थे जिसमें वे रक्खे गये और उन्हीं ने नवाब के मनुष्यों को वह जगह बताई ऐसा कहा जाता है कि १४६ आदमी बंद किये गये जिसमें केवल २३ आदमी जीवित रहे बाकी मर गये। इसी को "ब्लैक होल" दुर्घटना कहते हैं। यह वैसी ही दुर्घटना मालूम होती है जैसी सन १९२१ में हुई जब मोपलाओं के दंगे में रेलगाड़ी के डिब्बे में अनेक कैदी भर दिये गये और उनमें से बहुत थोड़े छोड़ कर सब मोपला कैदी दम घुटने से मर गये। उपरोक्त दुर्घटना के कारण अंग्रेजों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और क्लाइव और वाटसन दक्षिण से भेजे गये। उन्हों ने नवाब से फोर्ट विलियम वापिस ले लिया और कुछ धन भी लिया।

इसी समय फ्रान्स और इंगलैंड में लड़ाई आरंभ होने से क्लाइव ने चन्द्रनगर पर धावा कर दिया। इस पर नवाब सिराजुद्दौला ने फ्रान्स की सहायता करनी चाही। क्लाइव ने यह देख कर नवाब के सेनापति मीरजाफर को यह लालच दिखा कर कि जीतने पर तुम्हें नवाब बना देंगे अपनी तरफ फोड़ लिया। यह फोड़ा फाड़ी बंगाल के प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द्र के जरिये हुई थी। ३० लाख रुपया देना उसे कहा गया किन्तु उसका यह कहना था कि नवाब के खजाने से जो कुछ मिले उसमें से ५ रु० फी सैकड़ा मुझे मिले। यह बात क्लाइव के साथियों को पसंद न थी परन्तु 'मिल' इतिहासकार कहता है कि क्लाइवने दो संधियाँ बनाईं जिसमें एक में अमीचन्द्र को कमीशन देने का इकरार था और दूसरे में नहीं। एडमिरल वाटसन चूं कि इस जाल के खिलाफ था इस लिये क्लाइव ने उसके जाली दस्तखत बना दिये। इस तैयारी के बाद नवाब से कड़े शब्दों में सब हानियों की भरपाई मांगी

गई। नवाब के इनकार करने पर क्लाइव ने धावा कर दिया प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें मीरजाफर ने धोखा दिया और सिराजुद्दौला हार गया। मीरजाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया। और कम्पनी को २३ लाख पौंड (३.४५ करोड रुपये) का धन मिला जिसमें से क्लाइव को खुद २ लाख पौंड (३० लाख रुपया) का धन मिला।

मि० ब्रुक ऐडम्स अपनी पुस्तक "ला आफ सिविलीजेशन ऐन्ड डिके" में लिखते हैं कि "प्लासीकी लडाई के बाद ही बंगाल की लूट इंग्लैंड में पहुंचना शुरू हुई और सब सिद्ध हस्तों का इस बात पर एक मत है कि इंग्लैंड को इंडिस्ट्रियल रिवोल्यूशन (औद्योगिक क्रांति) १७६० में शुरू हुई।...... कदाचित जगत के आरंभ से किसी भी व्यवसाय में किसी भी देश को ऐसा लाभ नहीं हुआ जैसा आंग्ल देश को भारत की लूट से हुआ" स० १७५८ में क्लाइव गवरनर बनाया गया।

इस्ट इंडिया कम्पनी की लालच बढती गई जिसे मीरजाफर पूरी न कर सका। इस लिये उसे हटा कर उस का दामाद मीर कासिम नवाब बनाया गया कम्पनी के नौकर निजी व्यापार करते थे और नाजायज़ फायदा उठाते थे। मीरकासिम ने अपनी प्रजा और अंग्रेजों के लिये (जिन्हें पहिले टैक्समाफ थे) दोनों को समान करने के लिये कस्टम टैक्स माफ कर दिये। अंग्रेज व्यापारियों को यह बुरा लगा उन्हों ने मीर कासिम को १७६३ में हटा दिया और मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। मीर जाफर सन् १७६५ में मरा और उसका पुत्र नजीमुद्दौला नवाब बनाया गया। कम्पनी के नौकरों ने नये नवाब से २० लाख रुपये की इनामें लेलीं और कुल इंतजाम कम्पनी के हाथों में देने के लिये मजबूर किया। इस के एवज नवाब को ४५ लाख रुपया पेन्शन लगा दी गई।

इसी बीच में शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उडीसा की दीवानी प्राप्त करली और उसे २६ लाख रुपया की पेन्शन लगा दी। इस दीवानी की प्राप्ति से कम्पनी को इन तीन प्रांतों में शासनाधिकार पूर्ण रीत से प्राप्त हो गये। इस अधिकार का सब से बडा उपयोग कम्पनी ने यह किया कि रेशम के कपडे बुनने वालों को कपडे बुनने की मनाई कर दी गई और इस मनाई को ऐसी सख्ती से बरता गया कि थोडे ही साल में बुनने का काम बिल्कुल बंद हो गया। और इंग्लैंड से बुना हुआ कपडा उलटा भारत को आने लगा।

सन् १७७३ में लार्ड क्लाइव पर हौस आफ कामन्स में रुपया खाने का अभियोग लगाया गया। वह बरी कर दिया गया परंतु दुख के कारण उस ने १७७४ में आत्मघात कर लिया।

स० १७७३ में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ।

इस ऐक्ट के अनुसार सन् १७७४ में वारनहेस्टिंगस गवरनर जनरल बनाया गया और वह सन् १७८५ तक रहा। कम्पनी की आर्थिक अवस्था अत्यंत खराब थी। हेस्टिंग्स ने सब प्रकार से कम्पनी को धनी बनाने का प्रयत्न किया। इलाहाबाद और कोरा उसने नवाब अवध को ५० लाख रुपये में बेंच दिये, दिल्ली के बादशाह को २६ लाख रुपये वाली पेन्शन बंद कर दी, अवध की बेगमों को लूट लिया। अवध के नवाब सिराजुद्दौला को हेसटिंग्ज ने ४ लाख पौंड पर अपनी अंगरेजी फौज किराये पर देदी और रोहिल्लों पर नवाब की फौजों से मिल कर हमला कर दिया। सारा रुहेलखन्ड बरबाद कर दिया गया। अंग्रेज लोग निष्कारण हैदरअली (मैसूर) से भी लडे परंतु हार गये।

सन् १७८५ में वारन हेसटग्स के इंग्लैंड लौटने पर उसपर हौस आफ कामन्स में उपरोक्त अत्याचारों के लिये मुकदमा चलाया गया जो ७ वर्ष चला परतु अंत में हेस्टिंग्ज बरी कर दिया गया।

मि० मेकफरसन (कौंसिल के सीनियर मेम्बर) ने वारन हेसटिंग्स के जाने पर २० महीने तक गवरनर जनरल का काम किया। (१७८५--८६)

लार्ड कार्नवालिस ने जो इस के बाद गवर्नर जनरल हुये बंगाल में इसतिमरारी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) किया। (१७८६-९३)

सर जान शोर, गवर्नर जनरल, ने किसी से हस्त क्षेप न करने की नीति चलाई। (१७९३-९८) सरएलफ्रेड क्लार्क ने उस के जाने पर तीन महीने काम किया।

मारकुइस आफ वेलेसली सन् १७९८ में गवर्नर जनरल हुये। उन का मुख्य उद्देश यह था कि अंग्रेजी शक्ति को भारत में सर्वोच्चशक्ति बनादें। उन्हों ने देशी राज्यों के साथ सधियां और उप-संधियां करने की नीति चलाई। इस नीति से धीरे धीरे उन्हों ने करीब २ सब देशी नरेशों की रक्षा का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया अर्थात उन से यह बात मंजूर करा ली कि उन की रक्षा के लिये फौजें अंग्रेज रक्खेंगे और वे ही उन की तरफ से लडेंगे। देशी नरेश इस के लिये अंग्रेजों को सालाना खरचा देंगे। यह नीति देशी राज्यों के लिये कितनी घातक सिद्ध हुई यह बताने की आवश्यकता नहीं।

इस समय मराठा शक्ति बडी बलवान थी। वेलेसली ने उसे तोडना चाहा और बराबर दो तीन साल तक प्रयत्न करते रहे कि श्रीमंत पेशवे उन से उपरोक्त प्रकार की संधि करलें परंतु नाना फडणीस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ इस चाल में न आये। सन् १८०० में नाना फडणीस की मृत्यु पर मराठी सरदारों में घरेलू युद्ध आरंभ हुआ और यह मौका देख कर वेलेसली ने श्रीमंत पेशवे से संधि (बसीन) करली इस संधि के अनुसार

श्रीमंत पेशवे ने कुल सैनिक प्रबंध अंग्रेजों के हाथ में देदिया। इस संधि के कारण द्वितीय मराठा युद्ध छिड गया अंत में सेंधिया ने यमुना नदी के उत्तर का भाग अंग्रेजों को छोड दिया और शाह आलम दिल्ली के बादशाह को भी इन्हीं को देदिया। वेलेजली ने बादशाह को इस युद्ध का फल कुछ भी नहीं दिया वरन् उसके कुल रहे सहे अधिकार भी नष्ट कर दिये। अंग्रेजों को भी इस युद्ध से बडी हानि पहुंची।

वेलेसली वापिस बुला लिये गये और लार्ड कार्नवालिस दुवारा भेजे गये कि किसी तरह शांति स्थापित करें। वे पहुंचने के बाद ही गाजीपुर में मर गये।

सर जार्ज बारलो ने कार्य गवर्नर जनरल का कुछ रोज किया। इन के शासन काल में १० जुलाई १८०६ को वेलोर में सिपाहियों ने गदर कर दिया था।

अर्ल मिंटो ने अंग्रेजी शासन को दृढ किया। जावा व मारीशस पर भी हमला किया। उन्हों ने महाराजा रजीतसिंह "शेर पंजाब" से संधि की। इस समय भारत में सब से पहिला सत्याग्रह हुआ बनारस में हौस टैक्स लगाये जाने पर जनता ने घर छोड़ दिये और शहर के बाहर जा वसी। १५ दिन तक हड़ताल रही। सरकार को टैक्स बद करना पड़ा।

लार्ड मोयरा (मारकुइस आफ हेसटिंग्स) के शासन काल (१८१३-२३) में श्रीमंत पेशवे का कुल राज्य लेलिया गया। सेंधिया से नई संधि की गई और होलकर से भी उनके राज्य का कुछ भाग लिया गया। तीसरा मराठी युद्ध का यह सब फल था। इन्हीं गवर्नर जनरल के शासन काल में पुलिस टैक्स के कारण बलवा हुआ और नमक टैक्स के कारण अनेक स्थानों में दंगे हुये। नमक का मूल्य १४ आने मन से ६ रुपया मन हो गया था।

लार्ड ऐम्हर्स्ट (१८२३-२८) के समय में ब्रह्मदेश के अराकान तथा अन्य प्रान्त अंग्रेजों को प्रथम बर्मा युद्ध के अंत में मिले। गुजरात व कच्छ में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध दंगे हुये।

लार्ड बेन्टिक (१८२८-३४) के समय में चारटर एक्ट १८३३ का पास हुआ जिस में अन्य बातों के साथ यह तत्त्व भी रक्खा गया कि भारत का कोई निवासी केवल धर्म या निवासस्थान या रंग के कारण ही कम्पनी की किसी नौकरी या पद से वन्चित न रक्खा जावेगा। बेनटिंक ने कुछ सुधार किये परंतु देश की दरिद्रता के कारणों में बृद्धि होने के कारण देश दिन प्रति दिन दुर्बल ही होता गया।

सर चार्लस मेट काफ (१८३५-३६) के समय में समाचार पत्रों को आजादी दी गई।

लार्ड आकलैंड (१८३६-४२) ने अफगानिस्तान में अपने एक पिट्ठू शाह शुजा को राजा बनाना चाहा और लड़ाई

की परंतु बुरी तरह हारे। इस पर वे वापिस बुलाये गये।

लार्ड एलनबरो (१८४२–४४) ने अफगानिस्तान को हराया। सिंध प्रांत पर निष्कारण कबजा कर लिया।

लार्ड हार्डिंज (१८४४-४८) ने सिक्खों से लड़ाई छेड दी और लाहौर प्रांत पर कबजा कर लिया।

लार्ड डलहौसी (१८४८–५६) ने नई नीति जिसे (जप्ती या हड़प नीति) (Policy of Lapse) कहते हैं जारी की। इस नीति से सब देशी राज्यों के वारिस अंग्रेज बन बैठे। जिस देशी नरेश की मृत्यु हुई और उसने पुत्र न छोड़ा कि वारिस ईस्ट इंडिया कम्पनी बन गई। गोद लिये हुये लड़के नाजायज माने गये क्योंकि कम्पनी के धर्म में गोद लेने की प्रथा नहीं थी। इस न्याय (अथवा अन्याय) से सतारा, नागपुर, झाँसी और अवध के राज्य 'हड़प' कर लिये गये।

सन् १८५३ में कम्पनी का चारटर बदल दिया गया। कोई मियाद इस में नहीं रक्खी गई सिर्फ यह लिख दिया गया कि यह चारटर तबतक जारी रहे जब तक पार्लीमेंट इसे बदल न दे। तब तक ब्रिटिश नरेश के लिये कम्पनी शासन करे।

वाइकौंट कैनिंग (१८५६-१८६२) के समय में भारत में विप्लव हुआ। इसे अंग्रेजी में "सिपाय म्युटिनी" कहते हैं परंतु वास्तव में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का प्रथम संगठित युद्ध था जो अनेक कारणों से निष्फल हुआ। इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई (झांसी), नाना साहेब पेशवे, दिल्ली के शाहजादे तथा अनेक व्यक्ति सम्मिलित थे। अंग्रेजी सेना की देशी सिपाहियों का उभरना एक सामयिक बात थी। कारण पहिले से ही मौजूद थे। केयी और मेलेसन ने अपने इतिहास में कारणों को भली प्रकार दिया है।

इस साल के युद्ध के बाद देश में शांति स्थापित हुई और सन् १८५८ में भारत का शासन गवरमेंट आफ इंडिया के अनुसार ब्रिटिश नरेश के हाथों में ले लिया गया।

वाइसराय और गवर्नर जनरल आफ इंडिया ।

नाम	नियुक्ति
वाइकौंट कैनिंग	१ नवम्बर १८५८
अर्ल आफ एलगिन ऐन्ड किनकारडिन	१२ मार्च १८६२
सर रोबर्ट नेपियर	२१ नवम्बर १८६३
सर विलियम० टी० डेनीसन	२ दिसम्बर १८६३
सर जान लारेन्स	१२ जनवरी १८६४
अर्ल आफ मेयो	१२ जनवरी १८६९
सर जान स्ट्रेची	९ फरवरी १८७२
लार्ड नेपियर आफ मर्चिसटाउन	२३ फरवरी १८७२
लार्ड नार्थ ब्रुक	३ मई १८७२
लार्ड लिटन	१२ अप्रेल १८७६
मारकुइस आफ रिपन	८ जून १८८०
अर्ल आफ डफरिन	१३ दिसम्बर १८८४
मारकुइस आफ लैंन्सडाऊन	१० दिसम्बर १८८८
अर्ल आफ एलगिन ऐंड किनकारडिन	२७ जनवरी १८९४
लार्ड कर्जन	६ जनवरी १८९९
लार्ड ऐम्पथिल	३० अप्रेल १९०४
लार्ड कर्जन	१३ दिसम्बर १९०४
अर्ल आफ मिंटो	१८ नवम्बर १९०५
बैरन हार्डिंज आफ पैन्सहर्स्ट	२३ नवम्बर १९१०
लार्ड चेलम्सफोर्ड	अप्रेल १९१६
लार्ड रीडिंग	अप्रेल १९२१
लार्ड आयर्विन	अप्रेल १९२६

भारत में अंग्रेज़ी शासन।

३—इतिहास—ब्रिटिश नरेश के आधीन।
१८५८ से वर्तमान काल तक।

१ दिसम्बर १८५८ को इलाहाबाद में एक बड़ा दरबार किया गया और शाही फरमान द्वारा घोषित किया गया कि रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में लेलिया है। घोषणा में यह बताया गया कि सब की सम्पत्ति सुरक्षिति रखी जावेगी और योरोपियन और भारतियों को समानाधिकार प्राप्त होंगे। उस समय भारतवासियों में से अनेकों को यह प्रतीत हुआ कि उनके दुःखों का अंत आ गया था परंतु थोडे ही वर्षों के पश्चात यह स्पष्ट होने लगा कि पुरानी शासन प्रद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स के बदले सेक्रटरी आफ स्टेट का निरंकुश शासन प्रारंभ हुआ। भारतीय प्रजा निःशस्त्र कर दी गई। और भारत का शासन नौकरशाही की स्वेच्छा पर निर्भर कर दिया गया।

लार्ड कैनिंग सन् १८६२ में चले गये और उनकी जगह पर लार्ड ऐलगिन ने केवल थोडे महीने कार्य किया।

सर जान लारेन्स (१८६२-६९) ने सुलह करने की नीति चलाई। इन के शासन काल में दो बड़े जबरदस्त दुर्भिक्ष पडे। ओडीसा (१८६६) और बुन्देलखन्ड (१८६८-६९) दोनों प्रांत तबाह हो गये।

लार्ड मेयो (१८६९-७२) ने एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट (खेती विभाग) कायम किया। इस विभाग की उपयोगिता भारतवासियों के लिये आज तक कुछ नहीं हुई है यद्यपि लाखों रुपया हर साल इस विभाग के कर्मचारियों को बड़ी २ तनख्वाहें देने में खर्च किये जाते हैं। लार्ड मेयो ने प्रान्तीय जमा खर्च के हिसाब रखने का सिलसिला चलाया। इन के शासन काल में बाबा रामसिंह ने खालसा (सिंह) लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया परन्तु सरकार द्वारा उनका दमन किया गया। सरकारी नौकरों ने अनेक अत्याचार किये उन में से एक उदाहरण यह है कि जलंधर के डिपुटी कमिश्नर मि० कोवन ने ४९ सिक्खों को निर्दयता पूर्वक तोपसे उड़ा दिया।

लार्ड नार्थ ब्रुक (१८७२-७६) ने भारतीयों के साथ कुछ सहृदयता प्रदर्शित की किन्तु अंग्रेजी नौकर शाही ने उन का विरोध किया। इन्हीं के शासन काल में प्रिंस एडवर्ड (युवराज) भारत में भ्रमण करने आये। उन के लिये देश

भर में स्वागत के लिये नौकर शाही द्वारा प्रबंध किया गया। बाबू कृष्टोदास पाल ने युवराज के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित की और स्वागत करते हुये यह बताया कि नौकरशाही उन्हें भारत की असली परिस्थिति नहीं बता रही है। सारी सजावट केवल बनावट है। भारतीय दिन प्रति दिन निर्धन हो रहे हैं और इस निर्धनता का कारण दुःशासन है। अफगानिस्तान में अंग्रेजी कमीशन भेजने से इनकार करने के कारण लार्ड नार्थब्रुक ने इस्तीफा देदिया। (१८७६)

लार्ड लिटन (१८७६-८०) के शासन काल में बड़ी फुजूल खर्ची की गई। दक्षिण भारत में जबरदस्त अकाल होने पर भी लाखों रुपया दिल्ली दरबार (१८७७) में उड़ाया गया। इस के साथ २ काबुल पर निष्कारण हमला किया गया जिस में सर लुइ केवेगनेरी और उसके साथियों का वध हुआ और द्वितीय अफगान युद्ध छिड़ गया। रूसी हौआ बता कर फौज खूब बढा दी गई, और सीमा प्रान्त में बड़ी भारी फौज एकत्र की गई जो मौका पड़ने पर हार गई। देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर दमन आरंभ किया गया, लंकाशायर को प्रसंन करने के लिये रुई के माल पर आयात कर बंद कर दिया गया और शस्त्रों का कानून (Arms Act) बनाया गया।

लार्ड रिपन (१८८०-८४) ने देशी भाषा के समाचार पत्रों संबंधी प्रेस ऐक्ट रद कर दिया और म्यूनिसपल और जिला बोर्ड स्थापित कराये। भारतीय और अग्रेज दोनों के मुकदमें भारतीय मजिस्ट्रेटों के सामने ही हो ऐसा एक बिल 'इलबर्ट बिल' इम्पीरियल लेजिस्लेटिब कौंसिल में पेश किया गया जिस पर अंग्रेजों ने घोर आंदोलन किया और यहां तक असंतुष्ट हुये कि वाइसराय को पकड़ कर और जहाज में रख कर इंग्लैंड भेज देने के लिये कुछ अंग्रेजों ने सलाह भी करली। बिल इस कारण पास न हुआ। अंग्रेज खुद को भारतीयों के समान नीचे कैसे बना ले सकते थे।

लार्ड डफरिन (१८८४-९२) ने ब्रह्मदेश के साथ लड़ाई छेड़ दी और रूस से लड़ने के लिये तयारियां कीं। इन्हीं वाइसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई १८८५ लार्ड डफरिन ने कांग्रेस के स्थापित होने में बड़ी कठिनाइयां डालीं और मि० ह्यूम से जो पत्र व्योहार किया वह पढ़ने योग्य हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित रूप से इन्हीं वाइसराय के शासन काल में पहिले पहिल आवाज उठाई गई।

लार्ड लैन्सडाऊन (१८९२-९४) ने भी लार्ड डफरिन की नीति चलाई अंग्रेजी राज्यकी सीमा सब प्रकार बढाने का प्रयत्न किया गया। पश्चिमोत्तर सीमा का बहुत सा प्रदेश अमीर अफगानिस्तान की इच्छा के विरुद्ध दबा लिया। मनीपुरके राजा पर भी अत्याचार किया गया। काशमीर के महाराज को भी गद्दी से उतार दिया

गया। 'अमृत बाजार पत्रिका' में इस संबंध में बड़ी कड़ी आलोचनायें निकलीं यहां तक कि लार्ड लैन्सडाउन के हाथ के लिखे हुये पत्र की एक नकल भी प्रकाशित करदी गई जिसमें उक्त वाइसराय का सरासर अन्याय दिखाई देता था। इसी के कारण "आफीसियल सीक्रेट एक्ट" पास किया गया। इस ऐक्ट के अनुसार सरकारी गुप्त चिट्ठी पत्री प्रकाशित करना जुर्म करार दिया गया।

लार्ड एलगिन [१८९४-९९] के आने पर सरकारी जमा खर्च में सवा दो करोड़ की घटी मालूम पड़ी जिसके कारण अनेक वस्तुओं पर आयात कर लगाया गया परन्तु रुई के माल पर नहीं लगाया गया। रुपया की दर कम होते २ इस समय १ शिलिंग १ पेनी होगया (१८९५) सीमा प्रांत पर अनेक झगड़े हुये। स० १८९५ में चितराल में जो ब्रिटिश एजेन्ट था वह घेर लिया गया मुशकिल से छुड़ाया जासका। १८९७ में वज़ीर स्वाती, और मोहमदी लोगों ने मक्के पर हमला करदिया और अफ्रीदियों ने खैबर पास रोक लिया। इस झगड़े में करीब १०००० अफसर और सिपाही मारे गये। भारत पर इन सब लड़ाइयों का खर्चा लद गया और १८८६-८७ में दुर्भिक्ष के कारण भारत, अधिक दुःखी हो गया। इसी समय में बम्बई प्रांत में बड़े जोर शोर से प्लेग आरंभ हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने जनता से बड़ा बुरा व्यवहार किया। पूना में इसी कारण मि० रैंड का खून भी हुआ। भारत के दुःख धीरे २ अंग्रेजी शासन में बढ़ते ही गये। शासकों ने लेकिन इस ओर ध्यान ही न दिया।

लार्ड कर्जन (१८९९-१९०५) ने आकर खुल्लम खुल्ला भारतीयों के विचारों तथा इच्छाओं की अवहेलना आरंभ करदी। स्थानीय स्वराज्य की जड़ काट दी। भारतीयों को झूठा और नीच कहने लगे। नौकर शाही के अधिकार बढ़ा दिये। यूनिवर्सिटियों पर अफसरी अधिकार जमाया गया। प्रांतीय नौकरियों के लिये परीक्षायें जो ली जाती थीं वे बन्द कर दी गईं। इसके अतिरिक्त हिंदू मुसलमानों में भेद डालने के लिये और बंगालियों का जोर तोड़ने के लिये, बंगाल प्रांत के दोटुकड़े कर दिये गये। इस नीति से सारे देश में असंतोष छागया और स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन बड़ी तीव्रता से चलने लगे। अदालतों का बायकाट भी किया गया और पचायत बोर्ड भी स्थापित हुये। १६ अक्टूबर १९०५ को देश में हड़ताल हुई और विदेशी वस्तु का बायकाट और स्वदेशी के ग्रहण की शपथ लाखों मनुष्यों ने ली।

लार्ड किचनर से फौजी मुहकमें पर भारत सरकार की देख रेख सबंधी झगड़े के कारण स० १९०५ में लार्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया।

लार्ड मिन्टो (१९०५-१०) के

आने से भारत में दमन नीति का स्वरूप व्यग्र हो गया। प्रजा के नेताओं की धड़पकड़ आरंभ हुई अनेक विना कारण पकड़े गये। ला० लाजपतराय निर्वासित किये गये। श्री० अरबिंद घोष तथा विपिनचन्द्रपाल गिरफ्तार हुये। लो० टिलक को कड़ी सजा दी गई। नये २ ऐक्ट पास किये गये जिनके द्वारा जनता के अधिकार कुचलेगये, उदाहरण अर्थ, "इकसपलोसिव ऐक्ट" राजद्रोही सभाओं के मनाई सबंधी कानून क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट इत्यादि।

इस शासन काल में यदि कोई अच्छा कार्य कहा जा सकता है तो वह यह था कि कौंसिलों का स्वरूप कुछ विस्तृत कर दिया गया। इन्हें "मोरले मिंटो" सुधार कहते हैं।

लार्ड हार्डिंज [१९१०--१६] के समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ स० १९११ में सम्राट पंचम जार्ज भारत में आये और बगभग रद्द कर दिया गया। स० १९१३ में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार होने के कारण आंदोलन आरंभ हुआ। स० १९१४ में जर्मन युद्ध शुरू हुआ और भारत से सब प्रकार की सहायता धन और मनुष्य लिये गये।

लार्ड चेलम्सफोर्ड [१९१६--२२] के समय में कानून द्वारा दमन की मात्रा वहुत वढ़ गई। डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट पास कर के राजनैतिक आन्दोलन को दबाने का कार्य किया गया। मिसेज वेसेन्ट जार्ज एरंडेल और एच वाडिया नजर कैद किये गये। होमरूल आंदोलन ने जोर पकड़ा और कांग्रेस के दोनों पक्ष नरम व गरम लखनऊ में [१९१६] एक हो गये। भारत ने स्वराज्य की माँग एक स्वर से की। इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल के १९ सदस्यों ने राष्ट्रीय मांग का मसौदा विलायत भेजा।

२० अगस्त १९१७ को ब्रिटिश पार्लीमेंट में मि० मान्टेग्यू भारत मंत्री ने घोषणा की।

"सम्राट्‌के सरकार की यह नीति है और इस नीतिसे भारत सरकार पूर्णतया सहमत हैं कि राज्यप्रबन्ध के प्रत्येक विभागमें भारतीयोंकी संख्या बढ़ायी जाय और क्रमशः स्वशासन की संस्थाओं की बढ़ती हो जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अन्श रहते हुये भारत में उत्तरदायी शासन पद्धतिका दिनों दिन विकास हो। सम्राट् की सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि यथासम्भव शीघ्र ही इस ओर यथार्थ कार्य किया जायगा और क्रमशः प्रकार निर्णय करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि पहले आंग्ल देश के अधिकारियों और भारत के कर्मचारियों में पूर्णतया बहस हो ले। अतः सम्राट् की सम्मति से सरकार ने यह निश्चय किया है कि वाइसराय का निमन्त्रण स्वीकार कर मैं भारत आऊँ और वाइ-सराय और भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बहस करूँ और वाइसराय के साथ

साथ प्रान्तीय सरकारों की राय भी लूँ और प्रतिनिधिक संस्थाओं आदिके विचारों को भी सुनूं।

"यह कहना जरूरी है कि इस नीतिके अनुसार उन्नति धीरे २ मंजिल दर मजिल ही हो सकती है। ब्रिटिस सरकार और भारत सरकार जिनके ऊपर भारतवासियों के कल्याण और उत्कर्षकी जिम्मेदारी है वे ही उन्नतिक्रमके समय और सीमाका निर्णय करेंगे। इस निर्णयका निर्भर इस बातपर होगा कि कहाँ तक उन लोगोंकी सहायता मिलती है जिनको कि सेवा के नये अवकाश मिलेंगे और उनके उत्तर-दायित्व के भाव पर कहाँ तक भरोसा किया जा सकता है।

"हमारे प्रस्तावों पर जनताकी ओर से बहस और आलोचना होने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा और ये प्रस्ताव उपयुक्त समय पर पार्लमेण्ट के सम्मुख उपस्थित किये जायँगे।"

इसके पश्चात मि० मांटेगू भारत में आये और अनेक संस्थाओं के प्रतिनि-धियों से मिले। राष्ट्रीय महासभा और मुसलिम लीग ने एक संयुक्त योजना पेश की जिसे "कांग्रेस-लीग स्कीम" कहते हैं। मिस्टर मांटेगू ने जो रिपोर्ट पेश की उसे मांटेगुचेलम्स फोर्ड रिपोर्ट ओन रिफार्मस कहते हैं। तीन कमेटियों ने भी इन सुधारों के संबंध में काम किया था जिनकी जाँच पार्लमेंट की दोनों सभाओं की एक ज्वाइंट कमेटी ने की। इन सब कमेटियों के सामग्री के आधार पर १९१९ में "गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट"* पास किया गया।

जब कि शासन सुधार संबंधी जाँच जारी थी सरकार ने एक दमनकारी ऐक्ट पास किया जिसे "काला ऐक्ट" और "रौलेट ऐक्ट" भी कहते हैं। इस का परिणाम बड़ा भयङ्कर हुआ। सारे भारत वर्ष में आग सी लगगई। असंतोष की सीमा न रही। जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया। पंजाब में सरकार ने आँदोलन को अत्याचारों द्वारा दबाया। जलियान-वाला बाग में निर्दोषी तथा निःशस्त्र जनता पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलाईं। बाद को "मारशल ला" भी

---

* १९१९ के सुधारों के लिये भारत पर भार।

ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में ता० ३० जून १९२२ को जो ब्योरा पेश किया गया उसके अनुसार स० १९१९ के सुधारों के लिये भारत का लगभग ४६ लाख रुपया खर्च हुआ वह नीचे दिया जाता है।

	लाख लगभग	
भारत सरकार	९.००	,,
मद्रास	५.५०	,,
बम्बई	५.२५	,,
बंगाल	५.७५	,,
संयुक्तप्रांत	७.७५	,,
पंजाब	५.००	,,
बिहार	२.५०	,,
मध्यप्रांत	२.२५	,,
आसाम	२.७५	,,

जारी कर दिया गया। अमृतसर में इज्जतदार मनुष्यों को पेट के बल रेंगाया गया और कोड़े लगाये गये। स्त्रियों और बच्चों पर भारी अत्याचार किया गया। ला० हरकिशन लाल, डा० किचलू प्रभृति सज्जनों को कड़ी सजायें दी गईं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन का स्वीकार भारतीय जनता ने कर दिया और देश भर में असहयोग की हवा फैल गई इधर सरकार ने टर्की के विरुद्ध अपनी नीति प्रगट रूप से बरती जिस की वजह से भारतीय मुसलमान भी सरकार के विरुद्ध हो गये और खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। मुसलमानों ने भी असहयोग आन्दोलन में अग्रसर भाग लिया। अफगानिस्तान में अमीर हबीबुल्लाह खां को किसी ने मार डाला थोड़ी गड़बड़ी के बाद अमीर अमानुल्लाह खां राज्यारूढ़ हुये और उन्होंने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण कर दिया। फलतः अंग्रेजों को अमीर अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र मानना पड़ा।

लार्ड रीडिंग (१९२१--२६) ने शुरू में यह प्रगट किया कि वे भारत से मिल कर कार्य चलावेंगे। ये वाइसराय अंत में बड़े कूट नीतिज्ञ सिद्ध हुये। इन्हों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और कुछ दिनों तक असहयोग में किसी प्रकार की बाधा न डाली। किंतु थोड़े ही दिनों के बाद दमन नीति का बड़ी कड़ाई के साथ उपयोग किया। असहयोग आन्दोलन को तोड़ने के लिये उन्हों ने अनेक भारतीयों को लालच दिखा कर अपनी ओर कर लिया। स्वार्थी लोगों ने जिलों में अमन सभायें खोलीं। नरमदल वालों ने भारतीयों का साथ असहयोग में नहीं दिया और सरकार में मिले रहे। यू० पी० में व बगाल क्रिमिनल्ला एमेंडमेंट द्वारा सैकड़ों मनुष्य गिरफ्तार किये गये। कांग्रेस के वालंटियर गैरकानूनी बना दिये गये। पंडित मोती लाल नेहरू, श्री० सी० आर० दास तथा अन्य प्रमुख नेता जेल भेज दिये गये। आन्दोलन असह्य होने के कारण सरकार ने महात्मा गांधी पर भी राज द्रोह का मामला चला दिया और सजा दे दी। सरकार ने रेगुलेशन १८१८ का उपयोग बगाल में किया और बिना मुकदमों के सहस्त्रों युवकों को नजर कैद कर दिया।

लार्ड रीडिंग के प्रारंभिक शासन काल में एक बड़ी भारी घटना मलाबार प्रान्त में हो गई। मलाबार के मुसलमान निवासी जो मोपला कहलाते हैं हिन्दू संगठन तथा शुद्धि कार्य के कारण भड़क उठे और दंगा फिसाद करना उन लोगों ने आरंभ कर दिया। हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये। हिन्दुओं के बच्चों और स्त्रियों को भ्रष्ट किया गया और जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। सरकार ने भी मोपलाओं को अनेक

रीति से दबाया। एक दुर्घटना इस प्रकार हुई जो 'ब्लैक' होल घटना के बराबरी की कही जा सकती है। सौ से अधिक मोपला कैदी एक वैगन में जिसकी लम्बाई १८ फुट और चौड़ाई ९ फुट थी भर दिये गये। उन्हें पानी नहीं दिया गया। हवा भी उन्हें नहीं मिली। ७० से अधिक दम घुटने से मर गये। रास्ते में प्यास के मारे उन्हों ने एक दूसरे को काट खाया। यह दुर्घटना (१९२१) में हुई।

इसी सन् में युवराज प्रिन्स आफ वेल्स भारत में आये परंतु भारत भर में उनका बायकाट किया गया। इसी प्रकार भारत वर्ष की जनता ने असहयोग के कारण कौंसिलों और अदालतों का बायकाट कर दिया था।

लार्ड रीडिंग सन् १९२६ में वापिस चले गये और उनकी जगह लार्ड आर्विन आये। इन्हों ने आन कर भारतीयों से अपील की कि वे सरकार से मिल कर काम करें। परंतु जब सायमन कमीशन अक्टूबर सन् १९२७ में नियत हुआ उस में एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया। देशी राज्यों के अंग्रेजी सत्ता से संबंधों की जाँच के लिये एक कमेटी नियत हुई है जिसे बटलर कमेटी कहते हैं। सायमन कमीशन का बायकाट सारी जनता ने स्वीकार कर लिया है और इस बायकाट में सब प्रकार के राजनैतिक दल सम्मिलित हैं। सर्व दल सम्मेलन ने एक कमेटी नियत की जिसने भारतीय शासन का एक मसौदा तैयार किया है जिसे नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं।

भारतीय शासन ।

भारतीय शासन ।

भारतवर्ष का शासन मुख्य दो भागों में विभाजित है। (१)बृटिश भारत (२) देशी भारत

नोट—भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो पुरतगाल, और फरांस के कबजे में हैं किन्तु उनके शासन का विवरण देना आवश्यक नहीं है।

ब्रिटिश भारत का शासन।

ब्रिटिश भारत के शासन का इतिहास ऊपर दिया जा चुका है। इस अध्याय में उसका वर्तमान स्वरूप दिया जाता है।

शासन का स्वरूप।

ब्रिटिश सरकार ।

भारत का वर्तमान शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में है। कुल देश का राज्य बृटिश नरेश पंचम जार्ज के नाम पर किया जाता है। गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९१९ के अनुसार वर्तमान शासन की रचना है। स० १८७६ के रायल टाइटल्स ऐक्ट के अनुसार इंगलैंड के नरेश को भारत सम्राटका पद प्राप्त है।

सेक्रटरी-आफ-स्टेट

भारत के शासन के लिये ब्रिटिश पार्लीमेंट शासन की सर्वोच्च शक्ति है। सेक्रटरी-आफ स्टेट द्वारा पार्लीमेंट भारत का शासन करती है। यह सेक्रटरी (भारत सचिव) ब्रिटिश केबीनेट का मेम्बर होता है जो केबिनेट ब्रिटिश पार्लीमेंट की कार्य कारिणी कमेटी है। सब महत्व पूर्ण विषयों पर उसकी अनुमति भारत सरकार को अवश्य लेनी पड़ती है। उसका वेतन स० १९१९ के सुधार ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार देती है पहिले भारतीय आमदनी में से देना पड़ता था।

पार्लीमेंट के हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स दोनों सभाओं द्वारा ११-११ चुने हुये २२ सदस्यों की एक स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी कमेटी) भी पार्लीमेंट को भारतीय विषयों के सम्बंध में परामर्श देने के लिये बनाई जाती है।

इंडिया कौंसिल

सेक्रटरी-आफ-स्टेट की सहायता के लिये एक समिति है जिसे इंडिया कौंसिल कहते हैं। इस कौंसिल में कम से कम ८ और अधिक से अधिक १२ सदस्य होते हैं। इनमें से कम से कम आधे सदस्य ऐसे होना चाहिये जो भारत में १० वर्ष रह चुके हों और नियुक्ति के समय भी भारत छोड़े हुये उन्हें ५ वर्ष से अधिक न हुये हों। वे ५ वर्ष के लिये नियुक्त होते हैं और सालाना १२००पौंड वेतन पाते हैं। स० १९०७ में लार्ड मोरले

से कौंसिल में हिन्दुस्थानी सदस्य भी लेना आरंभ किये तब से ३ सदस्य हिन्दुस्तानी होते हैं। हिन्दुस्तानी सदस्य को ६०० पौंड सालाना भत्ता भी इस वेतन के अतिरिक्त मिलता है। कौंसिल की बैठक प्रतिमास १ बार होती है। कौंसिल को विषय पेश करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः कौंसिल केवल परामर्श कमेटी है। सेक्रटरी आफ-स्टेट अनेक अंशों में स्वतंत्र है और महत्व पूर्ण तथा गुप्त विषयों को कौंसिल के सामने पेश करने या उसे बताने के लिये बाध्य नहीं है। निम्नलिखित विषयों पर उसे कौंसिल की अनुमति लेना ही चाहिये।

(१) भारत की आमदनी का खर्च

(२) भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेन्शन नियम फरलो नियम संबंधी परिवर्तन।

(३) आइ. सी एस. में भारतियों को नियुक्त करना।

(४) वाइसराय की कौंसिल के किसी सदस्य की अस्थाई नियुक्ति।

इस कौंसिल का सभापति सेक्रटरी आफ स्टेट ही होता है। और वही उप-सभापति नियुक्त करता है।

हाइ कमिश्नर।

स० १९२० के पूर्व भारत के लिये कर्ज लेने देने का कार्य (अर्थात एजेंसी कार्य) व सामान खरीदना, मुआहिदे करना, इत्यादि सब कार्य सेक्रटरी-आफ स्टेट किया करता था १ अक्टूबर १९२० से यह काम सेक्रटरी-आफ-स्टेट से लेकर एक उच्च पदाधिकारी को जिसे 'हाइ कमिश्नर' कहते हैं सौंप दिया गया है। पहिले हाइ-कमिश्नर स्वर्गीय सर विलियम मेयर थे। इन के हाथों में भारत सरकार के लिये स्टोर्स खरीदने का काम, भारतीय विद्यार्थियों की जांच, तथा ट्रेड कमिश्नर का कार्य सौंपा गया। उस समय से कार्य बढ़ते जाते हैं जैसे सिविल लोन अलाउंसों और पेन्शनों का अदा करना, आई. सी. एस० और फारेस्ट उम्मेदवारों की नियुक्ति पर उनकी देख रेख, जो अफसर भारत से डेपूटेशन पर या शिक्षा के लिये आवें उन के लिये प्रबंध करना, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा रिपोर्टों के वेचने का प्रबध करना इत्यादि। हाइ कमिश्नर का दफ्तर ४२, ४४, व ४६ ग्रासवेनर गार्डेंस एस. डब्लू १ लंदन में है।

हाई कमिश्नर के दफ्तर में ४०२ कर्मचारी हैं किन्तु उनमें से केवल ४४ हिन्दुस्थानी (ऐंग्लो इंडियन सहित) हैं। कमिश्नर के दफ्तर का खर्च २,७२,९००पौंड है।

ब्रिटिश सम्राट तथा उनका कुटुम्ब ।

हिज मोस्ट एक्सलेन्ट मैजेस्टी जार्ज दि फिफ्थ, बाइ दि ग्रेस आफ गाड आफ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, एन्ड दि ब्रिटिश डोमीनियम्स बियान्ड सीज़, दि किंग, डिफेन्डर आफ दि फेथ, ऐम्परर आफ इंडिया—जन्म ३ जून, १८६५, विवाह ६ जोलाई १८९३ —हर सिरीन हाइनेस प्रिन्सेस विक्टोरिया मेरी (ज० २६ मई १८६७); राज्यारोहण ६ मई १९१० ।

सन्तान ।

१—हिज रायल हाइनेस दि प्रिंस आफ वेल्स (एडवर्ड एलबर्ट क्रिश्चन जार्ज ऐन्डरू फ्रैड्रिक डेविड) ज० २३ जून १८९४ ।

२—हि० रा० हा० दि ड्यूक आफ यार्क (ऐलबर्ट फ्रेडेरिक आर्थर जार्ज) ज० १४ दिसंबर १८८५, वि० लेडी एलीजाबेथ बौज लायन, २६ अप्रेल १९२३ ।

३—हि० रा० हा० प्रिन्सेस मेरी (विक्टोरिया एलकजेण्डरा अलाइस मेरी) ज० २५ अप्रेल १८९७, वि० वाइकौंट लेसलीस के० जी० २८ फरवरी १९२२ ।

४—हि० रा० हा० प्रिंस (हेनरी हेनरी विलियम फ्रेडीक ऐलवर्ट) ज० ३१ मार्च १९०० ।

५—हि० रा० हा० प्रिंस जार्ज (एडवर्ड एलेकजण्डर एडमण्ड) ज० २० दिसम्बर १९०२ ।

६—हि० रा० हा० प्रिंस जान ज० १२ जोलाई १९०५ मृत्यु १८ जनवरी १९१९ ।

खज़ानची ।

ट्रेजरर ट्रूकिंग ऐण्ड कीपर आफ दि प्रिवी पर्स—राइट आनरेबल सर फ्रेडरिक पोन्सोनबी जी० सी० बी०, जी० सी० बी० ओ० ।

प्राइवेट सेक्रेटरी ।

ले० कर्नल लार्ड स्टेम्फोर्डहम, जी० सी० आइ० ई०, जी० सी० वी० ओ०, के० सी० एम० जी०, के० सी० एस० आइ०, आइ० एस० ओ०

शाही कुटुंब की एनुयिटीज़ ।

सम्राट व सम्राज्ञी का निजी खर्च	पौंड	११००००
घरेलू कर्मचारियों को वेतन	,,	१२५८००
घर खर्च	,,	१९३०००
वर्कस	,,	२००००
रायल बौंटी	,,	१३२००
फुटकर	,,	८०००
	जोड़	४७००००

ड्यूक आफ एार्क	२५०००
प्रिसेन्स लुई (डचेज आफ आरगाइल),	६०००
ड्यूक आफ कोनाट	२५०००
प्रिनसेस बीट्रिस	६०००
एडवर्ड सप्तम की कन्याओं को	१८०००

नोट—शाही कुटुम्ब का उपरी खर्च यूनाइटेड किंगडम की जन संख्या पर ४ पैन्स प्रति मनुष्य पड़ता है।

इंडिया आफिस ।

सेक्रटरी आफस्टेट फार इंडिया ।

दि राइट आनरेबल वाइकौंट पील, जी० बी० ई.	पौंड ५०००
अन्डर सेक्रटरी—सर आर्थर हर्टजेल के. सी. बी.	३०००
अर्ल विन्टरटन एम. पी.	१५००

इन्डिया कौंसिल ।

	पौंड १२००
सर हैनरी व्हीलर के. सी. एस. आई.	,,
सर बी. राबर्टसन के. सी. एस. आई. के. सी. एम. जी.	,,
सर डबलू. एच. एच. विंसेन्ट, के. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई.	,,
जनरल सर एच. हडसन. के. सी. बी., के. सी. आई. ई,	,,
सर आर. ए. मेंट, के. सी. आई. ई.	,,
सर सी. डबलू. रोड्स सी. बी. ई.	,,
मि० सी. एफ. गुडइनफ	,,
मि० आर. पी. परांजपे	,,
मि० एस. एन. मल्लिक सी. आई. ई.	,,

कार्य वाहक ।

फाइनेनशियल सेक्रटरी—मि० डबलू. रोबिन्सन	पौंड १२००
मिलीटरी सेक्रटरी—फील्ड मार्शेल जेनरल सर क्लाडजेकब	
पोलीटिकल ऐन्ड सीक्रेट सेक्रटरी—मि० एल. डी. वेकली सी. बी.	,,
इकानोमिक ऐंड ओवरसीज सेक्रटरी—मि० ई. जे. टरनर सी. बी. ई.	,,
सर्विसेज ऐन्ड जनरल सेक्रटरी—मि० पी. एच. डम्बेल	,,
जुडियल ऐन्ड पबलिक सेक्रटरी—मि० जे. ई. फेरार्ड सी. बी. ई.	,,
एकौन्टेन्ट जनरल—मि० एस टरनर एफ. आई. ए.	,,
सुपर्डेंट रेकार्ड—मि० डबलू. टी. ओटविल एम. बी. ई.	,,

हाइ कमिश्नर फार इन्डिया ।

सर ए. सी. चटर्जी आई. सी. एस. के. सी. आइ. ई.	पौंड ३०००
सेक्रटरी—मि० जे. सी. बी. ड्रेक ओ. बी. ई.	

भारतीय शासन का स्वरूप ।

ब्रिटिश नरेश
हौस आफ लार्डस
हौस आफ कामंस } = ब्रिटिश सरकार

सेक्रटरी आफ स्टेट (इंडिया कौंसिल)

भारत सरकार

- गवरनर जनरल इन-कौंसिल (८ सदस्य)
- इंडियन लेजिसलेचर
  - कौंसिल आफ स्टेट
    - निर्वाचित सदस्य ३४
    - नियोजित सदस्य २६
  - लेजिसलेटिव एसेम्बली
    - निर्वाचित सदस्य १०३
    - नियोजित सदस्य ४१

प्रांतीय सरकारें

- गवर्नरी प्रान्त जिनमें
  - १-एक गवर्नर
  - २-अनेक कौंसिल
  - ३-अनेक मिनिस्टर
  - ४-व्यवस्थापक कौंसिल
  - (१ से ९) बंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रदेश, बर्मा, बिहार उड़ीसा, पंजाब, आसाम.
- सुपरिंटेंडेंट पीनल सेटलमेंट पोर्टब्लेयर
  - १०. अंडमान और निकोबार.
- रेजीडेंट मैसूर एक कौंसिल सहित
  - ११ कुर्ग.
- एजेण्ट गवर्नर जनरल
  - १२ ब्रिटिश बिलोचिस्तान
  - १३. अजमेर (मारवाड़).
- चीफ़ कमिश्नर
  - १४. दिल्ली
  - १५. उत्तर पश्चिमी.

भारत सरकार।

वाइसराय तथा गवरनर जनरल।

भारत का शासन व्यवहारिक रीति से गवरनर जनरल इन कौंसिल द्वारा चलाया जाता है। गवरनर जनरल को वाइस राय कहते हैं परन्तु इस के लिये कोई कानूनी आधार नहीं है। ब्रिटिश सम्राट का भारत में वह प्रतिनिधि है। इस कारण उसे यह पदवी प्राप्त हो गई है और अब यह पदवी कानूनी ही समझना चाहिये। गवरनर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश नरेश द्वारा होती है और वह उन्हीं को उत्तरदायी है सम्राट की ओर से क्षमा तथा दया प्रकाशित करने के कुल अधिकार गवरनर जनरल को हैं। भारतीय शासन के सर्वोच्च तथा कुल अधिकार उसी में केन्द्री भूत हैं। सब प्रकार के कानून वह बना सकता है और भारतीय व्यवस्थापक सभाओं द्वारा बने हुए कानूनों को वह स्वयं रद कर सकता है इस प्रकार नये कानून बनाने की शक्ति को सर्टीफिकेशन, कहते हैं। स० १९१९ के बाद अनेक अवसरों पर दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जा चुका है।

गवरनर जनरल की कौंसिल।

गवरनर जनरल की सहायता के लिये एक कार्य कारिणी समिति होती है जिसके सदस्य ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त होते हैं। साधरणतया कुल शासन गवरनर जनरल-इन-कौंसिल द्वार ही चलाया जाता है। कानूनन कौंसिल के बिना गवरनर-जनरल को कोई कार्य नहीं करना चाहिये परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। गवरनर जनरल स्वयं सब अधिकार बरत सकता है। कौंसिल में साधारणतः ६ सदस्य होते हैं और कमांडर इन-चीफ को मिलाकर ७ होते हैं। इस से भी अधिक हो सकते हैं। इन में से कम से कम ३ आइ. सी. ऐस, होते है। और एक सदस्य बैरिस्टर अथवा वकील हाई कोर्ट होना चाहिये। यदि मद्रास, बम्बई या बंगाल प्रेसीडेन्सी में से किसी जगह इस कौंसिल को बैठक हो तो उस प्रेसीडेन्सी का गवरनर असाधारण सदस्य उस बैठक के लिये हो जाता है। किंतु बैठकें साधारणतया दिल्ली और शिमला में ही होती हैं।

प्रत्येक सदस्य के हाथ में एक विशिष्ट विभाग (Port Folio) होता है और वही उस विभागका कार्य चलाता है। परन्तु इन सदस्यों के नीचे जो सेक्रटरी होते हैं उन्हें पूर्ण अधिकार है कि गवरनर जनरल के पास सीधे चले जावें और कोई कार्य केवल उसी की आज्ञानुसार कर दें।

इस कौंसिल का कुल कार्य बहुमत से होता है परन्तु गवरनर जनरल को बहुमत न मानने का अधिकार है ऐसे अवसर पर विरोधी सदस्य अपना विरोध लिखकर पेश कर सकते हैं जो सेक्रटरी आफ स्टेट के यहाँ भेज दिया जाता है।

कार्य के विभाग इस प्रकार हैं—

१—'शिक्षा स्वास्थ्य जमीन' विभाग

२—'होम' विभाग (भारतीय प्रबन्ध इत्यादि) (Home)

३—'फाइनेन्स' विभाग (जमा खर्च

४—व्यापार विभाग (Commerce)

५—उद्योग विभाग (Industries & Labor)

६—कानून विभाग (Law)

७—विदेशी संबंध (Foreign) यह विभाग स्वयं गवरनरजनरल के हाथ में रहता है।

८—फौजी विभाग—इस कौंसिल का सदस्य कमांडर इन–चीफ हो सकता है और बहुधा वही होता भी है। उसके हाथ में फौजी विभाग रहता है।

इस कौंसिल की बैठक बहुधा एक सप्ताह में एक बार या दो बार होती है।

कौंसिल के सदस्यों की अवधि के लिये कोई नियम नहीं है। कौंसिल के सेक्रटरी की अवधि ३ वर्ष है। सेक्रटरी के नीचे डेपुटी और असिस्टेन्ट सेक्रटरी तथा अन्य पदाधिकारी होते हैं।

भारत सरकार के कार्य

केन्द्रीय सरकार के हाथों में ऐसे कार्य हैं जो पूरे भारतवर्ष से संबंध रखते हैं अथवा उनका प्रबन्ध सम्मिष्ट रूप में अधिक भली प्रकार हो सकता है। अन्य कार्य प्रांतीय सरकारों के हाथों में दे दिये गये हैं। प्रांतीय 'संरक्षित' विषयों के प्रबंध में केन्द्रस्थ सरकार को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है परंतु 'समर्पित' विषयों में केवल निम्न लिखित कारणों से ही हस्तक्षेप किया किया जा सकता है।

(१) यदि केन्द्रीय विषयों का संरक्षण आवश्यक हो।

(२) यदि दो या अधिक प्रांतीय सरकारों के बीच कोई बात तै करनी हो

(३) यदि हाई कमिश्नर के कार्य संबंधी कोई कर्तव्य गवरनर जनरल का हो,

(४) यदि प्रांतीय सरकारों को करजा निकालना हो इत्यादि।

पदाधिकारियों के वेतन ।

गवरनर जनरल	२५६०००
कमांडर इन चीफ	१०००००
गवरनर आफ बंगाल	१२८०००
,, बम्बई	१२८०००
,, मद्रास	१२८०००
,, यू. पी.	१२८०००
,, बर्मा	१२८०००
,, पंजाब	१०००००
,, बिहार एंड उड़ीसा	१०००००
,, सेंट्रल प्रॉविंसिज	७२०००
,, आसाम	६६०००
मेंबर आफ गवरनर जनरल्स एक्जिक्यूटिव कौंसिल	८८०००
मेंबर आफ एक्जिक्यूटिव कौंसिल आफ गवरनर आफ बंगाल, बम्बई, मद्रास, बर्मा, तथा यू. पी.	६४०००
मेंबर आफ दि एक्जिक्यूटिव कौंसिल आफ दि गवरनर आफ सी. पी.	४८०००
मेंबर आफ दि एक्जिक्यूटिव कौंसिल आफ दि गवरनर आफ आसाम	४२०००
प्रेसीडेंट कौंसिल आफ स्टेट	५००००
प्रेसीडेंट लेजिसलेटिव एसेम्बली	५००००
प्रेसीडेंट मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल	३६०००
प्रेसीडेंट बम्बई ,,	३६०००
बंगाल ,,	३६०००
यू. पी. ,,	४८०००
पंजाब ,,	३६०००
सेंट्रल प्रॉविंसिज ,,	३६०००
आसाम ,,	१२०००

मिनिस्टर—बम्बई	६४०००
,, बंगाल	६४०००
,, मद्रास	६४०००
,, यू. पी.	६४०००
,, पंजाब	६००००
,, विहार एवं उड़ीसा	६००००
,, सी. पी.	३६०००
,, आसाम	४२०००

केन्द्रीय सरकार के अधिकार।

निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रस्थ भारतीय सरकार (Central Government) का अधिकार है। अन्य कार्य प्रान्तीय सरकारों के हाथों में दिये गये हैं।

१—भारत की रक्षा और अन्य सब विषय जो सम्राट की जल और थल सेनाओं से संबंध रखती हों। जहाजी और फौजी कार्य, छावनियां इत्यादि।

२—बाहिरी देशों से संबंध तथा परदेश यात्रा के नियम इत्यादि

३—देशी नरेशों से संबंध।

४—राजनैतिक खर्च।

५—मार्गों का प्रबंध।

(क) रेल व म्युनिसिपैल्टी के बाहर की ट्राम्बे (जो किसी नियम द्वारा प्रान्तीय न हों)

(ख) वायुयान तथा तत्संबंधी विषय।

(ग) देश के भीतर के जल मार्ग (जो नियम द्वारा निश्चित हों)

६—जहाज इत्यादि का प्रबंध।

७—ट्रस्ट हौस

८—बन्दरगाहों के अस्पताल क्वारन्टाइन।

९—बन्दर गाहों का प्रबंध।

१०—डाक, तार, टेलीफोन, वेतार का तार इत्यादि।

११—कस्टमटेक्स, रुईटेक्स, आयकर, नमककर तथा अखिल भारतीय आय के अन्य स्रोत

१२—सिक्के और टकसाल।

१३—सार्वजनिक ऋण।

१४—सेविंग बैंक।

१५—हिसाब के जांच का खाता।

१६—दीवानी का कानून।

१७—व्यापार, बैंकिंग, बीमा।

१८—व्यापारी कम्पनियां और अन्य समितियां।

१९—उन पदार्थों के निर्माण और विनिमय पर अधिकार जो सार्वजनिक लाभ के लिये आवश्यक समझे जावें।

२०—उद्योग धंधों की उन्नति (जो नियम द्वारा रक्षित हों)

२१--अफीम की खेती, तैयारी और बेचने का प्रबंध,

२२--सामान जो इम्पीरियल डिपार्टमेंट के लिये जरूरी हो ।

२३-पेट्रोलियम और भकसे उड़ने वाली वस्तुयें ।

२४--जियोलोजिकल सर्वे ।

२५-खानिज पदार्थ (१९) में दिये अनुसार ।

२६--बोटे निकेल सर्वे ।

२७--आविष्कार इत्यादि ।

२८--कापीराईट ।

२९- ब्रिटिश इंडिया के बाहर जाना अथवा परदेशों से आना इत्यादि का

३०-फौजदारी कानून (जाब्ता सहित)

३१-केन्द्रीय पुलिस ।

३२-हथियार और बारूद वगैरः

३३--केंद्रीय एजंसी और सस्थायें (वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि)

३४- गिरजों का प्रबन्ध (योरोपियन कबरिस्तान इत्यादि)

३५-सर्वे आफ इंडिया (पैमाइश)

३६--आर्कियालाजी

३७- जूलोजीकल सर्वे

३८--मिटियरालोजी

३९--जनगणना और संख्या निर्माण विभाग इत्यादि ।

४०--सर्व देशी नौकरियां

४१--प्रांत सम्बन्धी ऐसा कानून निर्माण जो विशेष नियम द्वारा गवर्नर जनरल अथवा लेजिसलेटिव ऐसेम्बली ने अपने लिये रख छोड़ा हो ।

४२--देश की भूमिका तबादला इत्यादि

४३--खिताब, रसूम, आर्डर, मान-मर्तबा इत्यादि

४४--गवनर जनरल द्वारा ली हुई गैर मनकूला जायदाद ।

४५--पबलिक सर्विस कमीशन ।

मुख्य मुख्य प्रांतीय विषय निम्नलिखित हैं—

१—पुलिस।

२—दीवानी और फौजदारी न्याय।

३—जेल ।

४—मालगुजारी का लगाना ।

५—शिक्षा ।

६—अस्पताल और सफाई का प्रबन्ध ।

७--बिल्डिंगस और रोडस (मकानात और सडकें)

८—जंगल।

९—म्युनिसिपेलटी और जिला बोर्ड ।

प्रांतीय शासन।

प्रांत।

शासन के लिये ब्रिटिश भारत में १५ प्रांत हैं। इनमें से ९ प्रांतों में १ गवरनर, एक एकजीक्यूटिव कौंसिल, अनेक मिनिस्टर (मंत्री) और १ व्यवस्थापक सभा है। अन्य प्रांत चीफ कमिश्नर आदि शासकों द्वारा शासित होते हैं जो गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के प्रत्यक्ष आधीन हैं।

प्रांत	शासन
१—बंगाल	गवरनर, मिनिस्टर, कौंसिलर तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल
२—मद्रास	”
३—बम्बई	”
४—बिहार उड़ीसा	”
५—यू० पी०	”
६—पंजाब	”
७—आसाम	”
८—बर्मा	”
९—संयुक्तप्रांत	”
१०—उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रांत	चीफ कमिश्नर
११—अजमेर-मारवाड़	एजेन्ट टू गवरनर जनरल
१२—ब्रिटिश बिलोचिस्तान	एजेन्ट टू गवरनर जनरल
१३—कुर्ग	रेजिडेंट आफ मैसोर कौंसिल सहित
१४—अन्डमन्स और निकोबार	सुपरडेंट पीनल सेटिलमेंट पोर्ट ब्लेयर
१५—दिल्ली	चीफ कमिश्नर

गवरनर।

गवरनरों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती है। उनके अधिकार बड़े विस्तृत हैं और उन अधिकारों पर किसी प्रकार की बाधा नहीं। शासन के प्रबंध के कुल नियम बनाने का उन्हें अधिकार होता है। संरक्षित तथा समर्पित विषयों का संचालन गवरनर करता है और उसे अधिकार है कि खास मौकों पर अपनी इक्जिक्यूटिव कौंसिल की बात न माने। व्यवस्थापक सभा के कार्य में हस्तक्षेप करने का उसे पूर्ण अधिकार है। और वह प्रश्न बिल तथा प्रस्ताव पेश करने की मनाई कर सकता है।

बंगाल, बम्बई, मद्रास, यू० पी० के गवरनर का वार्षिक वेतन रु० १२८,००० है किंतु यू० पी० के गवरनर से अन्य तीन गवरनरों के निजू कर्मचारियों का खर्च बहुत ज्यादा है। उनको एक मिलीटरी सेक्रटरी, एक सरजन, एक प्राइवेट सेक्रटरी और बहुत से ए. डी. सी. होते हैं। पंजाब यू. पी. सी. पी, आसाम बिहार और उड़ीसा के गवरनरों के लिये मिलीटरी सेक्रटरी नहीं है और न सरजन है। ए. डी. सी की संख्या भी कम है। पंजाब और बिहार उड़ीसा प्रांत के गवरनरों का अधिक से अधिक वार्षिक वेतन १ लाख रुपया है और सी. पी. के गवरनर का ७२,००० और आसाम के गवरनर का रु० ६६००० है ।

इकजीक्यूटिव कौंसिल।

इकजीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त होते हैं और उनकी संख्या अधिक से अधिक चार होती है। इनमें से एक मेम्बर ऐसा होना चाहिये जिसने सरकारी नौकरी कम से कम १२ वर्ष तक की हो इसका अर्थ यह है कि कम से कम एक कौंसिलर आई. सी. एस. होना चाहिये। साधारण कार्यों में गवरनर को कौंसिल की बात मानना चाहिये परन्तु खास कार्यों में उसे अधिकार है कि कौंसिल का निर्णय रद्द कर दे। इस कौंसिल के सदस्य पदाधिकारी होने के कारण (Ex Officio) व्यवस्थापक सभा के सदस्य हो जाते हैं चुनाव की या नियोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इन कौंसिलरों के हाथों में "संरक्षित" [Reserved] विषयों का प्रबंध रहता है ।

मिनिस्टर ।

प्रत्येक प्रांत के लिये कुछ मिनिस्टर होते हैं जिन्हें व्यवस्थापक सभा के चुने हुये सदस्यों में से गवरनर नियत करता है । इकजीक्यूटिव कौंसिलर हमेशा मिनिस्टर से ऊंचा समझा जाता है। मिनिस्टरों के हाथों में "समर्पित" (Transferred) विषयों का प्रबंध रहता है। यदि व्यवस्थापक सभा को किसी मिनिस्टर की नीति पसंद नहो तो असंतोष का वोट (Vote of no confidence) पास कर दें इस पर मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है। कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे अवश्य ही उसे ऐसा करना पड़े केवल अपमान के भय से मिनिस्टर इस्तीफा दे देता हैं गवरनर का अधिकार मिनिस्टर पर पूर्ण है और वही उसे निकाल दे सकता है। गवरनर दूसरा मिनिस्टर नियत करेगा यदि उससे भी गवरनर का मत भेद होवे या कोई चुना हुआ सदस्य व्यवस्थापक सभा का मिनिस्टर होने पर रजामंद न हो तो गवरनर व्यवस्थापक सभा को तोड़ दे सकता है और जब तक दूसरी सभा न चुनी जावे वह कुल "समर्पित" विषयों का प्रबंध कर सकता है।

मिनिस्टरों के सेक्रटरी आइ. सी. एस. होते हैं और उन्हें गवरनर से मिलने

प्रांतिक कौंसिलों के सदस्य ।

प्रांत	निर्वाचित: गैर मुसलमान: ग्राम्य	निर्वाचित: गैर मुसलमान: नागरिक	निर्वाचित: मुसलमान: ग्राम्य	निर्वाचित: मुसलमान: नागरिक	निर्वाचित: योरोपियन	निर्वाचित: एंग्लो इण्डियन	निर्वाचित: जमींदार	निर्वाचित: विश्व विद्यालय	निर्वाचित: खान और खेती	निर्वाचित: उद्योग और वाणिज्य	निर्वाचित: सिक्ख	निर्वाचित: ईसाई	निर्वाचित: योग	नामज़द: प्रबंध कारिणी सभा के सदस्यों सहित (सरकारी)	नामज़द: गैर सरकारी	नामज़द: योग	समस्त योग
बंगाल	३५	११	३३	६	५	२	५	१	...	१५	...	...	११३	१८	८	२६	१३९
मद्रास	५६	९	११	२	१	१	६	१	१	५	...	५	९८	१९	१०	२९	१२७
बम्बई	३५	११	२२	५	२	...	३	१	...	७	...	...	८६	१६	९	२५	१११
संयुक्त प्रांत	५२	८	२५	४	१	...	६	१	...	३	...	...	१००	१६	७	२३	१२३
बिहार-उड़ीसा	४२	६	१५	३	...	...	...	१	३	...	...	...	७६	१८	९	२७	१०३
मध्य प्रांत	३१	९	६	४	...	...	३	१	१	२	...	...	५४	८	८	१६	७०
पंजाब	१३	७	२७	५	...	...	४	१	...	३	१२	...	७१	१४	८	२२	९३
आसाम	२०	१	१२	...	...	...	...	...	५	१	...	...	३९	७	७	१४	५३

का पूर्ण अधिकार है और वे गवरनर से आज्ञा लेकर बहुत से कार्य स्वयं कर दे सकते हैं।

विभाजित सरकार

(Dyarchy)

प्रांतीय विषयों का प्रबंध उपरोक्त दो प्रकार से होता है (१) एक में गवरनर और इकजीक्यूटिव कौंसिलर कार्य करते हैं। इन विषयों को सरक्षित (Reserved) कहते हैं। (२) दूसरे प्रकार में गवरनर और मिनिस्टर कार्य करते हैं। इन विषयों को समर्पित (Transferred) कहते हैं।

संरक्षित विषय—आबपाशी मालगुजारी अदालतें, दुर्भिक्ष में प्रबंध, पुलिस, जेल, सरकारी, नौकरियां, टैक्स, कर्ज, इत्यादि।

समर्पित विषय—शिक्षा, सफाई, खेती, स्थानिक स्वराज्य (म्युनिसिपेलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड), उद्योग धंधे रेजिस्ट्रेशन (मौतो पैदाइश) इत्यादि।

व्यवस्थापक सभा।

सब प्रांतों में व्यवस्थापक सभायें नहीं है। केवल ९ बड़े प्रांतों (Major Provinces) में व्यवस्थापक सभायें (Councils) हैं। प्रत्येक कौंसिल के लिये एक प्रेसीडेंट होता है और एक डिपटी प्रेसीडैंट भी होता है। दोनों को निश्चित वेतन मिलता है। स० १९१९ का ऐक्ट जब प्रारंभ हुआ तब पहिली कौंसिलों में प्रेसीडेंट सरकार द्वारा नियत हुये थे परन्तु अब चुने हुये हैं।

कमिश्नरी, जिले और तहसील।

शासन के विचार से प्रांतो में, बड़े और छोटे भाग है—(१) उपप्रांत, डिवीज़न (२) जिले। डिवीजन का शासक कमिश्नर कहलाता है और जिलों के शासक कलेक्टर और कहीं कहीं डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं। इनके नीचे तहसील और ताल्लुके होते हैं जिनके शासकों को तहसीलदार सब डिप्टी, मामलतदार इत्यादि कहते हैं।

भारत सरकार के पदाधिकारी।

वाइसराय ऐन्ड गवर्नर जनरल आफ इन्डिया।

हिज एकसेलेन्सी दि राइट आनरेबल एडवर्ड फ्रेडरिक लिन्डले वुड, बैरन आयर्विन आफ किर्बीअंडरडेल, पी. सी., जी. एम. एस. आई., जी. एम. आई. ई. (४ अप्रैल १९२६) मासिक रुपया २१,२३३-३-५-४

प्राइवेट सेक्रेटरी

सर जी. कनिंगहैम, आई. सी. एस.' सी. आई. ई. मासिक रुपया २७५०

मिलिटरी सेक्रटरी

लें० कर्नल सी. ओ. हार्वी, सी. बी. ओ., एम.सी.

एकजीक्यूटिव कौंसिल।

१--होम मेम्बर—ओ. मि. जे. क्रेरर सी. एस. आई ६६६६॥≈)८

२--ला० मेम्बर—सर बी. एल. मित्र ,,

३--एजूकेशन,हेलथ एंड लैंड—आ० खान बहादुर सर हबीबुल्लाह ,,

४-रेलवे ऐन्ड कमर्स—आ० सर जार्ज रेनी,की.सी.आई. ई.,सी.एस.आई.,,

५--फाइनेन्स—आ० सर डेनिस ब्रे के० सी० बी० ,,

६-इन्डस्ट्रीज ऐन्ड लेबर—आ० सरि भूपेन्द्र नाथ मित्र के० सी० एस० आई., सी० बी० ई० ६६६६॥≈)८

७--कमान्डर-इन-चीफ-इन इन्डिया—हिज एक सेलेन्सी ,,

फील्ड मार्शल सर विलियम बर्ड वुड जी.सी.बी.,जी.सी.एम.जी. ,,

सैना विभाग

सेक्रटरी—मि. जी. एम. यंग रुपया ४०००

फाइनेन्शल एडवाईजर

(सेना) मि० ए० मेकलियाड रुपया ३२५०

व्यापार विभाग

सेक्रटरी—सर जी० कोरबेट, सी.आई. ई.आइ.सी.एस. रुपया ४०००

एक्चुअरी भारत सरकार--मि.एच.डबलू डबलू० मीकल एफ.एफ.ए. रु० २०००

ऐजूकेशन, हैल्थ तथा लैंड विभाग

सेक्रटरी—मि.जी.एस. बाजपेई, सी.आई.,आई.सी.एस.,सी.वी.ई. रु० ४०००
ऐजूकेशनल कमिश्नर—मि.आर. लिटलहेलस रु० २५००
इन्सपेक्टर जनरल फारेस्ट—मि. ए. राजर ओ. वी. ई. रु० ३२५०
डा० जनरल इन्डियन मेडिकल सरविस—मेजर जनरल टी. एच.
साइमन्स सी. एस. आई., ओ. वी. ई. रुपया ३५००
पबलिक हेलथ कमिश्नर—ले० कर्नल जी. डी. ग्रेहेम आई.एम.एस.रु० २५००
सर्वेयर जर्नल—कर्नल कमांडेंट ई.ए. टैन्डी, आर. ई. रु० ३२५०
एग्रीकलचरल ऐडवाईजर—डा० डी. क्लौसटन एम.ए.डी.आई ई. रु० २७५०

होम डिपार्टमेंट (स्वदेश विभाग)

सेक्रटरी—मि.एच.जी. हेग, सी.आई.ई.आई.सी. एस. रुपया ४०००
डायरक्टर इन्टेलीजेन्स व्युरो—मि.डी.पेट्री सी.आई.ई.,सी.वी.ओ. रु० ३०००
डायरेक्टर आफ पवलिक इन्फारमेशन,—मि.जे.कोटमैन आई.पी. रु० २०००

इन्डस्ट्रीज ऐन्डलेबर

सेक्रटरी—ए० जी० क्लौ एम० ए० सी आइ० ई० रु० ४०००

लेजिस्लेटिव विभाग।

सेक्रटरी—मि० एल. ग्राहाम सी० आइ० ई० रु० ४०००
सोलिसिटर—टी० टी० अपटन रु० २०००

रेलवे विभाग

चीफ कमिश्नर सर—ए० हेडो, सी० वी० ओ० रु० ६०००
फाइनेनशयल कमिश्नर—मि०ए०ए०एल० पार्सनस सी० आइ०ई रु० ४०००
सेक्रटरी—मि० जे० कौल रु० २५००

फाइनैन्स

(१) मि० टी० जी० रसेल रु० ४०००
(२) मि. पी. सी. शेरीशन सी. एम. जी. रु. ४०००
डायरेक्टर जुलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया—मेजर आर. वी.
सीमोर सीवेल आइ. एम. एस. रु. २०००
डायरेक्टर वोटेनिकल सर्वे आफ इंडिया—मि० सी० सी० कवडर वी०
एस० सी०, एफ० एल० एस०

लाईब्रेरीयन इम्पीरियल लाइब्रेरी, मि० जे० ए० चेपमैन रु० १५००

कीपर आफदी रेकर्ड (भारत सरकार)—

मि० ए० एफ० एम० अबदुलअली एम० ए० रुपया १५००

सेक्रटरी—मि. ई. फाइनेन्स बेर्डिन, सी. आइ. ई. आइ.सी.एस. रु० ४०००

आडीटर जनरल सर—एफ. गान्टलेट, के.बी.ई.सी.आइ. ई. रु. ५०००

कन्ट्रोलर आफ करेन्सी, मि. एच. डेंनिग आइ सी एस, सी आइ ई, रु० ३५००

विदेशी और राजनैतिक विभाग।

सेक्रटरी (विदेश)—सर डी. एस. ब्रे, के. सी. आइ. ई. रु. ४०००

सेक्रटरी (राजनैतिक)—सर सी. सी. वाटसन सी. आइ. ई. रु. ,,

पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ

डायरेक्टर जेनरल पोस्ट ऐन्ड टेलीगिराफ—एच.ए.सैम्स सी.आइ.ई. रु. ३६००

अन्य विभाग

डायरेक्टर जियोलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया—

सर ई. एच. पेसको डी. एस. सी. रु. ३०००

डायरेक्टर जनरल आर्कोयालाजिकल (भारत)—

सर जे. एच. मारशल, सी. आइ. ई. रु. २०००

भारतीय व्यवस्थापक मंडल।

भारत में कानून तीन प्रकार के हैं:--

(१) ब्रिटिश पार्लीमेंट के ऐक्ट, उदाहरणार्थ, गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९१९।

(२) गवरनर जनरल द्वारा बनाये हुए आर्डीनेंसेज (यह कानून केवल ६ माह तक लागू रहते हैं और केवल आकस्मिक आवश्यकता होने पर इन्हें बनाना चाहिये ऐसा नियम है परन्तु आवश्यकता है अथवा नहीं इस बात का निर्णय पूर्णतया गवरनर जनरल पर है) उदाहरण-- बंगाल आर्डीनेंस।

(३) व्यवस्थापक सभाओं द्वारा बनाए हुए ऐक्ट।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल।

व्यवस्थापक मंडल अर्थात (Indian Legislature) के दो भाग हैं—

(१) कौंसिल आफ स्टेट (राज्यपरिषद्)

(२) लेजिसलेटिव एसेम्बली (बड़ी व्यवस्थापक सभा)

किसी कानून को पास होने के लिये दोनों सभाओं की अनुमति होना चाहिये ऐसा साधारण नियम है।

दोनों सभाओं में विशिष्ठ संख्या सदस्यों की होती है। कुछ नियमित संख्या तक सदस्यों के स्थान खाली रहें तो भी दोनों सभायें अपना कार्य कर सकती हैं। सरकारी नौकर चुना हुआ सदस्य नहीं हो सकता। यदि गैर सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी कर ले तो उसका स्थान खाली हो जाता है। यदि कोई सदस्य दोनों सभाओं में चुन जावे तो एक स्थान का इस्तीफा देना पड़ता है। दोनों जगह सदस्य नहीं रह सकता।

गवरनर जनरल की कौंसिल के सदस्य दोनों में से एक सभा के सदस्य नियोजित हो सकते हैं परन्तु दोनों जगह बैठने व बोलने का अधिकार उन्हें रहता है।

निर्वाचन विधि।

सदस्यों के निर्वाचन के लिये नियम बने हुये हैं। कौंसिल आफ स्टेट और एसेम्बली के निर्वाचन क्षेत्र (Seat or Constituency) अलग २ हैं और निर्वाचन की योग्यता भी अलग २ है। कौंसिल आफ स्टेट के लिये क्षेत्र भी बड़े हैं और योग्यता भी बड़ी है।

निर्वाचक संघ (Electorate) अर्थात निर्वाचकों (वोटरों) के समूह भी अलग २ हैं और कई प्रकार के हैं— साधारण, साम्प्रदायिक [मुसलमान, अब्राह्मण यूरोपियन इत्यादि] विशेष, यूनिवर्सिटी, व्यापार, जमींदार, खान, खेती इत्यादि।

निर्वाचक संघों का विशेष ज्ञान आगे चलकर कौंसिल आफ स्टेट तथा एसेम्बली के विशेष विवरण में दिया गया है।

सदस्यों की संख्या (प्रांत वार)

एसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट के

प्रान्त..		ऐसेम्बली..	कौंसिल आफ़ स्टेट
मद्रास	निर्वाचित	१६	५
बङ्गाल	,,	१७	६
बम्बई	,,	१६	६
संयुक्तप्रांत	,,	१६	५
पंजाब	,,	१२	४
बिहार उड़ीसा	,,	१२	३
मध्यप्रांत	,,	५	२
आसाम	,,	४	१
बर्मा	,,	४	२
दिल्ली	,,	१	—
कुल	निर्वाचित	१०३	३४
भारत सरकार	नियोजित	४१	२६
कुल		१४४	६०

मताधिकार ।

मताधिकार (वोट की पात्रता) निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं रहती ।

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हो किंतु देशी नरेश और उनकी प्रजा को मताधिकार हैं।

२—पागल ।

३—२१ वर्ष से कम आयु वाला मनुष्य [बर्मा में १८ वर्ष से कम] ।

४—जिसे पीनल कोड के ९ वें चैपटर के अनुसार ऐसे अपराध में सजा दी गई हो जिसमें ६ महीने से अधिक सजा हो। दंडित होने के ५ वर्ष बाद वह निर्वाचित हो सकता है ।

५—जो निर्वाचन कमिश्नरों द्वारा चुनाव के समय रिशवत तथा दूषित व्यवहार के लिये अपराधी ठहराया गया हो। ऐसे व्यक्ति किसी प्रांत में ३ साल और किसी में ५ साल बाद निर्वाचक हो सकते हैं ।

स्त्रियों को सभी प्रांतों में मताधिकार है।

गवरनर जनरल इन कौंसिल को अधिकार है कि उपरोक्त अवधियां [४] व [५] को कम करदे ।

निर्वाचकों की सूची को Electoral Roll कहते हैं और जिन व्यक्तियों का उसमें नाम दर्ज हो वे ही वोट दे सकते हैं ।

व्यवस्थापक सभाओं के नियम ।

कौंसिल आफ स्टेट का अध्यक्ष गवरनर जनरल द्वारा नियत होता है ।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली का पहिला अध्यक्ष (नये ऐक्ट के अनुसार) गवरनर जनरल नियत करेगा जो चार वर्ष तक काम करेगा बाद को वह एसेम्बली द्वारा चुना जावेगा जिस की स्वीकृति गवरनर जनरल देगा । (इस समय अध्यक्ष चुना हुआ ही है)

एसेम्बली एक डिपटी प्रेसीडेंट भी नियत करेगी

इन दोनों का वेतन गवरनर जनरल द्वारा निश्चित होगा अगर वह इन्हें नियत करे अन्यथा ऐसेम्बली इस के निमित्त एक्ट पास करेगी ।

कौंसिल आफ स्टेट ५ साल तक और एसेम्बली ३ साल तक [पहिली बैठक से] जारी रहेगी ।

गवरनर जनरल को अधिकार है कि लेजिसलेटिव एसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट को अवधि के पहिले ही स्थगित कर दे या उनकी अवधि बढ़ा दे।

कोई सरकारी नौकर किसी सभा के चुनाव के लिये खड़ा न हो सकेगा ।

गवरनर जनरल की कौंसिल का प्रत्येक मेम्बर दोनों सभाओं में से किसी एक का मेम्बर नियुक्त होगा पर दोनों में उसे बोलने का अधिकार होगा ।

यदि कोई मनुष्य दोनों सभाओं का सदस्य चुन लिया जावे तो उसे एक सभा से इस्तीफा दे देना पड़ेगा ।

इन सभाओं को भारत संबंधी सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। परंतु उन्हें सेक्रटरी आफ स्टेट की अनुमति के बिना ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी हाईकोर्ट को तोड दें या किसी अदालत को फांसी देने का अधिकार दे दें।

गवरनर जनरल की अनुमति बिना निम्नलिखित विषयों संबंधी कोई कानून पेश नहीं किये जा सकते:—

१=सार्वजनिक कर्ज [Public Debt] तथा सार्वजनिक आमदनी

२=धर्म तथा धार्मिक रीतियां [ब्रिटिश भारत की प्रजा संबंधी]

३=सरकारी फौजों के नियम तथा नियुक्ति संबंधी विषय

४=विदेशी नरेशों तथा राज्यों से संबंध।

यदि एक सभा का पास किया हुआ बिल दूसरी सभा ६ महीने के अन्दर न पास करे तो गवरनर जनरल उस बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के सामने पेश करेगा।

यदि कोई बिल दोनों सभाओं ने पास कर दिया हो तो गवरनर जनरल उसे पुनः विचार के लिये उन्हीं को वापिस कर सकता है।

दोनों सभाओं के सदस्यों के विचार–स्वातंत्र्य हैं और उनके भाषणों के कारण उन पर किसी अदालत में मुकद्दमा नहीं चल सकता।

अनुमान पत्र (Budget)

[१] प्रत्येक वर्ष भारत के सरकारी अनुमानित आय व्यय का ब्योरा दोनों सभाओं के सामने पेश किया जायगा।

[२] किसी कार्य के लिये किसी आमदनी या रुपये का खर्च बिना गवरनर जनरल की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता।

[३] गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के निम्नलिखित खर्चों के अनुमान लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली के वोटों के आधीन न रहेंगे। और उन पर वार्षिक अनुमान पत्र पर बहस के समय कोई चरचा भी नहीं हो सकती है। गवरनर जनरल इस बाधक नियम को हटा सकता है:—

१-- कर्ज का सूद और किस्त

२-- ऐसा खर्च जो किसी कानून द्वारा बाध्य हो

३-- वेतन तथा पेन्शनें ऐसे कर्मचारियों की जिन की नियुक्ति सम्राट द्वारा अथवा सेक्रटरी आफ स्टेट द्वारा होती है।

४-- चीफ कमिश्नर और जुडिशल कमिश्नरों के वेतन

५-- खर्चे जो गवरनर जनरल इन कौंसिल निम्न प्रकार की मदों में रख दे

(क) गिरजों का खर्च

(ख) राजनैतिक खर्च

[४] यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि कोई खर्च उपरोक्त मद में आता है या नहीं तो गवरनर जनरल का फैसला अन्तिम होगा।

[५] गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के अन्य खर्चों का अनुमान लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के वोट के आधीन रहता है और भिन्न २ मद्दों की माँगों के रूप में पेश किया जाता है।

[६] लेजिसलेटिव एसेम्बली इन मांगों में से किसी को अस्वीकार कर सकती है या मांग का रुपया कम कर सकती है।

[७] लेजिसलेटिव एसेम्बली द्वारा पास किये हुये अनुमान गवरनर जनरल इन कौंसिल को पेश किये जाते हैं। और यदि किसी माँग का एसेम्बली ने स्वीकार न किया हो या उसके रुपये को कम कर दिया हो तो गवरनर जनरल ऐसी मांग को पूर्ण रूप से स्वयं स्वीकार करसकता है और एसेम्बली की राय को रद्द कर दे सकता है।

[८] उपरोक्त नियमों के होते हुये भी गवरनर जनरल स्वयं किसी खर्च को जिसे वह भारत की रक्षा तथा शांति के लिये उचित समझे पास कर दे सकता है।

आकस्मिक अधिकार।

गवरनर जनरल द्वारा स्वीकार किये हुये किसी बिल को दोनों सभायें या एक नामंजूर करें या संशोधन कर दें तो यदि गवरनर जनरल यह समझे कि ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की रक्षा तथा शांति के लिये उस बिल का पास होना आवश्यक है तो इस प्रकार का सार्टीफिकट देदेगा और इस पर—

(१) यदि बिल दूसरी सभा ने पास कर दिया है तो गवरनर जनरल के हस्ताक्षर होने पर इस बात के होते हुये भी कि दोनों सभाओं ने उसे पास नहीं किया है, वह बिल तुरंत कानून हो जावेगा।

(२) यदि बिल दूसरी सभा में पेश नहीं हुआ है तो वह दूसरी सभा में पेश किया जावेगा, तो यदि उस सभा ने गवरनर जनरल की इच्छानुसार उसे पास कर दिया तो वह एक्ट हो जावेगा अगर नहीं तो गवरनर जनरल के हस्ताक्षरों से ही वह एक्ट हो जावेगा—

इस प्रकार का एक्ट गवरनर जनरल द्वारा पास किया गया है ऐसा समझा जावेगा और जितनी जल्दी हो सके उसे पार्लीमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जावेगा और जब तक पार्लीमेंट उसे पास न कर दे तब तक वह लागू न होगा।

किंतु यदि गवरनर जनरल समझे कि ऐक्ट का पास होना अत्यन्त आवश्यक है तो उसी समय ऐसे बिल को लागू कर देगा और वह तब तक लागू रहेगा जब तक सम्राट (कौंसिल सहित) उसे रद्द न कर दें।

कौंसिल आफ स्टेट

निर्वाचक (वोटर) की योग्यता

जिस व्यक्ति में उपरोक्त अयोग्यतायें न हों और जिसमें निम्नलिखित योग्यतायें हों वह वोटर हो सकता है और उसी का नाम वोटरों की सूची में दर्ज किया जाता है :—

१-जो निर्वाचन क्षेत्र Constituency or Seat की सीमा के भीतर रहता हो। और—

२-[१] जिसके पास निर्धारित मूल्य की जमीन हो।

या [२] जो निर्धारित आमदनी पर टैक्स [कर] देता हो।

या [३] जो किसी व्यवस्थापक सभा का सदस्य हो या रहा हो।

या [४] जो किसी म्युनिसिपल या डिस्ट्रिक्टवोर्ड या कौंसिल का निर्धारित पदाधिकारी हो या रहा हो।

या (५) जो व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी की निर्धारित पदवी प्राप्त हो।

या [६] जो किसी सहकारी बैंक का निर्धारित पदाधिकारी हो।

या [७] जिसे सरकार द्वारा शमसुल उलमा अथवा महामहोपाध्याय की पदवी प्राप्त हुई हो।

साम्प्रदायिक अथवा जाति संघ में उसी सम्प्रदाय अथवा जाति का मनुष्य निर्वाचक हो सकता है— जैसे मुसलमान संघमें मुसलमान ही निर्वाचक हो सकता है अन्य मनुष्य नहीं।

भिन्न २ प्रांतों में निर्वाचकों की योग्यता के लिये आमदनी पर टैक्स की सीमा अथवा मालगुजारी की सीमा अलग २ हैं:—

उदाहरणार्थः—

प्रांत	आमदनी की सीमा	मालगुजारी
बंगाल	१२०००	५०००
बम्बई	३००००	७५००
मद्रास	२००००	२०००
संयुक्तप्रांत	१००००	५०००
सी० पी०	२००००	३०००
आसाम	१२०००	२०००
पंजाब	१५०००	७५००
बिहार	१२०००	१२००
बर्मा	५०००	...

यह बात स्पष्ट है कि कौंसिल आफ स्टेट धनिकों की सभा है। पहले निर्वाचन में यह पाया गया कि देश भर में लगभग १८०० कुल निर्वाचक थे।

कुछ विशेष अयोग्यतायें।

कौंसिल आफ स्टेट के निर्वाचकों में निम्नलिखित अयोग्यतायें उपरोक्त अयोग्यताओं के अतिरिक्त भी न होना चाहिये—

(१) ऐसे वकील जो किसी अदालत द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हों।

(२) ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दिवालिये हों जो बरी न हुये हों

(३) जिनकी आयु २५ वर्ष से कम हो।

[४] जिन्हें १ वर्ष से अधिक सजा या देश निकाला दिया गया हो।

[५] जो सरकारी नौकर हों।

यदि भारत सरकार चाहे तो १ली या ४थी अयोग्यता किसी विशेष व्यक्ति के लिये रद्द कर दे सकती है पांच वर्ष के बाद ४थी योग्यता नष्ट हो जाती हैं।

कौंसिल आफ स्टेट

सदस्यों की संख्या (६०) सभापति सहित

सरकार या प्रांत	चुने हुये						नामज़द		
	जनरल	गैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरोपियन व्यापारी	कुल	सरकारी	गैर सरकारी	कुल
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	१२	—	१२
मद्रास	—	४	१	—	—	५	१	१	२
बम्बई	—	३	२	—	१	६	१	१	२
बंगाल	—	३	२	—	१	६	१	१	२
संयुक्तप्रांत	—	३	२	—	—	५	१	१	२
पंजाब	—	१	१½	—	—	३½	१	२	३
बिहार उड़ीसा	—	२½	१	१	—	३½	१	—	१
बर्मा	१	—	—	—	१	२	—	—	—
मध्यप्रांत	२	—	—	—	—	२	—	—	—
आसाम	—	½	½	—	—	१	१	—	१
देहली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल						३४			२५

नोटः—एक निर्वाचन में पजाब में मुसलिमों को दो और दूसरे निर्वाचन में विहार उड़ीसा के गैर मुसलिमों को दो सदस्य चुनने का अधिकार है। इसी प्रकार एक निर्वाचन में विहार उड़ीसा में गैर मुसलिमों को ३ और दूसरे में पंजाब

में मुस्लिमों को एक सदस्य चुनने का अधिकार है। आसाम में मुस्लिम व गैर मुस्लिम बारी बारी से एक सदस्य चुनते रहते हैं।

ऊपर के कोष्टक से सदस्यों की सख्या मालूम होगी। सरकार २७ सदस्य [सभापति को मिला कर] नामज़द कर सकती है जिस में से २० तक (अधिक नहीं) सरकारी नौकर हो सकते हैं। विहार प्रांत के लिये सरकार १ सदस्य नियोजित कर देती हैं।

सभापति को सरकार सदस्यों में से ही नामज़द करती है।

कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों के नामों के पहिले Hon'ble (माननीय) शब्द लगाये जाने का मान सरकार ने दे रक्खा है।

कौंसिल आफ स्टेट की आयु ५ वर्ष की है।

कौन्सिल आफ़ स्टेट के सदस्य।

प्रेसीडेण्ट—आनरैबिल सर हेनरी मोंक्रीफ़ स्मिथ, के.टी., सी. आई. ई., आई. सी. ऐस.

निर्वाचित (३३).

दीवान बहादुर सर ऐस. ऐम. अन्नामलई चटियर, के. टी.

सर सी. सङ्करन नय्यर।

मिस्टर वी. रामदास पन्तलू।

राव साहिब यू० राम राव।

सैयद मुहम्मद पादशाह साहिब वहादुर।

मिस्टर मनमोहनदास रामजी वोरा।

सर फीरोज़ सी. सेठना के. टी., ओ. बी. ई.

मिस्टर रतनसी धरमसी मुरारजी।

ख़ान बहादुरसर इबराहीम हारून जफर।

मिस्टर अलीबख्श मुहम्मद हुसेन।

सर अर्थर हेनरी फ्रूम के. टी.

कुमार शङ्कर राय चौधरी।

मिस्टर लोकनाथ मुकरजी।

राय नलिनीनाथ सेठ बहादुर

मिस्टर महमूद सुहरावर्दी।

खान बहादुर मौलवी अब्दुल करीम।

मिस्टर जान विलियम ऐण्डरसन बेल।

राजा सर रामपालसिंह के. सी. आइ. ई.

लाला सुखबीर सिंह।

राजा मोती चन्द सी. आई. ई.

सैयद अली नवी।

सैयद रज़ा अली।

राय बहादुर लाला राम शरण दास। सी. आइ. ई.

सरदार शिवदेब सिंह उवीरोय।

नवाब साहिबज़ादा मुहम्मद मेहर शाह।

महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह जी. सी. आई. ई., के. बी ई.

श्री अनुग्रह नारायण सिंह।

मि० महेन्द्र प्रसाद।

शाह मुहम्द जुबैर।

सेठ गोविंददास।

मौलवी गुलाम मुस्तफा चौधरी।

मि. पी. सी. डी. चारी।

मि० डब्ल्यू. ए. ग्रे

ख—नियोजित (२६)

(क) सरकारी।

हिज एक्सीलेन्सी फील्ड मार्शलविलियम बर्डऊड, बार्ट जी. सी. बी., जी. सी. एम. जी., के. सी. ऐस. आई., सी. आई. ई., डी. एस. ओ.

सर मुहम्मद हवीबुल्ला।

मि. जे केरर सी. एस. आई, सी. आई. ई.

मेजर जनरल टी. साइमन्स, सी. एस. आई., ओ बी. ई, के. एच. ऐस., आई. ऐम एस.

मि. जी. ऐल. कारवेट सी. आई. ई.

ए. एच. ले।

ए. ऐम. स्टो., ओ. बी. ई.

जान पैरोनेट टोम्पसन, सी. आई.

जेम्स ऐलेक्जेन्डर रिची. सी. आई. ई.

एच टायरमैन, सी. आई. ई,

जे. डब्ल्यू. स्मिथ।

टी. इमरसन बी. ए., सी. आई. ई.

पंडित श्याम विहारी मिश्र।

ए. लेङ्गली, सी. आई. ई,

डी. वेस्टन।

(ख) बरार

श्री० गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे।

[ग] गैर सरकारी।

राजा श्वेताचलपति रामकृष्ण रङ्गराव बहादुर आफ बोबिली।

सर दीनशाह ईदलजी वाचा, के, टी.

सर मानिक जी बैरामजी दादा भाई, के. सी. आई. ई.

राजा नवाब अली खां आफ अकबरपूर

राजा सर हरनाम सिंह के. सी. आई. ई. आफ कुहारू।

सरदार चरन जीत सिंह।

कर्नल नबाब उमर हयात खां, के. सी. आई. ई.

मेजर नवाव मुहम्मद अकबर खां, सी. आई. ई. खांन आफ होती।

लेजिसलेटिव एसेम्बली

कार्य तथा अधिकारों की महत्ता की दृष्टि से एसेम्बली अत्यंत महत्व रखने वाली सभा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व इस में कौंसिल आफ स्टेट के मुकाबले में ज्यादा है यद्यपि निर्वाचक संघ ऐसे रक्खे गये हैं कि असली लोकमत का प्राबल्य चुने हुये सदस्यों द्वारा नहीं हो सकता।

निर्वाचक की योग्यता—

जिन व्यक्तियों में निर्धारित अयोग्यतायें न हों और निम्नलिखित योग्यतायें हों, वे इस सभा के निर्वाचक हो सकते हैं,—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों और

२—(१) जो निर्धारित मूल्य या उस से अधिक की जमीन के मालिक हों या

(२) जिन के अधिकार में निर्धारित मूल्य या उस से अधिक की जमीन हो या

(३) जो ऐसे मकान के मालिक हों या ऐसे मकान में रहते हों, जिस का वार्षिक किराया निर्धारित रकम या उस से अधिक हो,

या (४) जो ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपैलिटियों द्वारा हैसियत टैक्स लिया जाता है, निर्धारित आमदनी या उस से अधिक पर म्युनिसपैलटी को हैसियत-टैक्स देते हों

या (५) जो भारत सरकार को इनकम-टैक्स देते हों अर्थात जिन की कृषि की आमदनी के अलावा अन्य आमदनी २००० रु० से अधिक हो।

जाति या साम्प्रदायिक या विशिष्ट निर्वाचक संघ से वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो उस जाति, सम्प्रदाय या विशिष्ट निर्वाचक संघ का सदस्य हो।

कौंसिल आफ स्टेट के निर्वाचकों की योग्यता से एसेम्बली के निर्वाचकों की योग्यता कम रक्खी गई है।

एसेम्बली के निर्वाचकों की योग्यतायें भिन्न २ प्रांतों में भिन्न २ हैं, जैसे बम्बई प्रांत के कुछ जिलों में कम से कम ३७॥) और कुछ जिलों में ७५) इनकम-टैक्स देने वाला मनुष्य निर्वाचक हो सकता है बंगाल में ६० रु० से अधिक मालगुजारी और ५०००) रुपये की आमदनी पर टैक्स देने वाला, संयुक्त प्रांत में १८०) सालाना किराये के मकान में रहने वाला, या १५०) मालगुजारी देने वाला, पंजाब में १५०००) की लागत के मकान के मकान का मालिक, ३२०) सालाना का किरायेदार या १००) मालगुजारी देने वाला या ५०००) पर इनकम टैक्स देने वाला, और मध्य प्रांत के विविध जिलों में मकान के किराये का १८०) देने वाला, या मालगुजारी का ९०) से १५०) तक देने वाला निर्वाचक हो सकता है।

साम्प्रदायिक तथा जमींदारों या व्योपारियों के प्रतिनिधियों (सदस्यों) के चुने जाने के लिये निर्वाचकों की

योग्यतायें भिन्न २ प्रांत में भिन्न २ हैं।

जो व्यक्ति एसेम्बली की (और कौंसिल आफ स्टेट) की मेम्बरी के लिये खड़ा होना चाहे उसे ५००) जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि वोट देने वाले वोटरों की कुल संख्या में से अष्टमांश [आठवां हिस्सा] वोटों का उसे अपने पक्ष में न मिलें तो जमानत नष्ट हो जाती हैं।

एसेम्बली के सदस्यों को M.L.A. की पदवी अपने नाम के पीछे लगाने का अधिकार है। कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों को 'आनरेबल' अपने नाम के पहिले लिखने का अधिकार है।

एसेम्बली के सदस्य।

इस सभा में १४३ सदस्य होते हैं जिसमें ४० नामजद होते हैं। नामजद सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घटाई बढाई जा सकती है और निर्वाचित और नामजद सदस्यों का परस्पर औसत घट बढ सकता है परंतु कम से कम पांच बटे सात सदस्य अवश्य निर्वाचित होने चाहिये और नामजद सदस्यों में कम से कम एक तिहाई गैर सरकारी होने चाहिये।

सितम्बर १९२६ में एसेम्बली ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि प्रान्तीय कौंसिलें प्रस्तावों द्वारा स्त्रियों को सदस्य होने का अधिकार दे सकती हैं। कौंसिल आफ स्टेट भी प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को सदस्य होने का अधिकार दे सकती है। अभी तक मद्रास, बम्बई, पंजाब और बर्मा की व्यवस्थापक सभाओं (कौंसिलों) ने प्रस्ताव पास कर दिया है।

सरकार किसी भी प्रान्त से स्त्रियों को नामजद कर सकती है।

एसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट की कार्य पद्धति।

इन दोनों सभाओं की बैठकें शिमला में गरमी में होती हैं और बाकी बैठकें दिल्ली में होती हैं। समय ११ से ५ बजे दिन तक का है। आरंभ में सदस्यों द्वारा किये हुये प्रश्नों का उत्तर सरकारी पदाधिकारी देते हैं। अन्य कार्यों के दो भाग होते हैं-सरकारी और गैर-सरकारी। गैर-सरकारी कार्यों के लिये गवरनर जनरल कुछ दिन निश्चित कर देता है इन में गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही विचार होता है अन्य दिनों में सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सभापति की राय विना कोई नवीन विषय पेश नहीं हो सकता।

एसेम्बली के लिये २५ सदस्यों की और कौंसिल आफ स्टेट में १५ सदस्यों की उपस्थिति कम से कम होना चाहिये। सदस्यों के बैठने का क्रम सभापति निश्चित करता है। बहुधा सरकारी सदस्य और सरकार के पक्ष वाले दाहिनी ओर बैठते हैं और सार्वजनिक पक्ष वाले बाईं ओर और मध्यस्थ लोग मध्य भाग में बैठते हैं। वर्तमान एसेम्बली में

एसेम्बली के सदस्यों का वर्गीकरण ।

सरकार या प्रांत	निर्वाचित							नामजद			कुल जोड़
	गैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरोपियन	जमींदार	व्यापारी मंडल	जोड़	सरकारी	गैर सरकारी	जोड़	
भारतसरकार	...	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२	१२
मद्रास	१०	३	...	१	१	१	१६	२	२	४	२०
बम्बई	७	४	...	२	१	२	१६	२	४	६	२२
बंगाल	६	६	...	३	१	१	१७	२	३	५	२२
संयुक्त प्रांत	८	६	...	१	१	...	१६	२	१	३	१९
पंजाब	३	६	२	...	१	...	१२	१	१	२	१४
बिहार उड़ीसा	८	३	...	...	१	...	१२	१	१	२	१४
मध्य प्रांत	३	१	...	...	१	...	५	१	...	१	६
आसाम	२	१	...	१	...	...	४	१	...	१	५
बर्मा	३ गैर योरोपियन			१	...	...	४	१	...	१	५
बरार	...	...	...	...	...	...	...	...	२	२	२
अजमेर	...	...	...	...	...	...	...	...	१	१	१
देहली	१ जनरल						१	...	...	...	१

स्वराजिस्ट पार्टी का जोर है, और उस से छोटी पार्टियां नैशनेलिस्ट, इनडिपेण्डेन्ट मुसलिम, इत्यादि हैं। सभाओं की भाषा अंग्रेजी है परंतु सभापति की आज्ञा से सदस्य देशी भाषा में बोल सकता है। प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट लिये जाते हैं और निर्णय बहुमत से किया जाता है यदि वोट बराबर हों तो सभापति को अपना वोट देकर निर्णय करना पडता है। साधारणतया सभापति वोट नहीं दे सकता। भाषण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है परंतु विषयान्तर न होना चाहिये। सभापति को शांति स्थापित करने का अधिकार है और यदि कोई सदस्य शांति रखने में बाधक हो तो सभापति उसे १ दिन या अधिक दिनों के लिये सभा में आने से बंद कर दे सकता है और आवश्यकता पडने पर अधिवेशन भी स्थगित कर दे सकता है।

प्रश्नोत्तर।

सभाओं में नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न उनही विषयों के संबंध में किये जा सकते हैं जिनके संबंध में प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर के समय में पूरक प्रश्न (Supplementary) भी सब सदस्यों द्वारा किये जा सकते हैं। किसी सरकारी सदस्य से वही प्रश्न किये जा सकते हैं जिन से सरकारी तौर पर उसका संबंध है। प्रश्नों की सूचना कम से कम १० दिन पहिले देना चाहिये सभापति को प्रश्न न पूछने देने का अधिकार है।

प्रस्तावों की पद्धति।

कौंसिल आफ स्टेट और लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली में जितने प्रस्ताव पेश किये जाते हैं वे सब सिफारिश के रुप में होते हैं और पास होने पर भी सरकार पर बाध्य नहीं हैं।

निम्न लिखित प्रकार के प्रश्न उपस्थित नहीं किये जा सकते:—

(१) ब्रिटिश सरकार, गवरनर जनरल या कौंसिल-युक्त गवरनर का विदेशी राज्यों या देशी राज्यों से संबंध।

(२) देशी रियासतों का शासन

(३) किसी देशी नरेश संबधी कोई विषय

(४) ऐसे विषय जो किसी सरकारी अदालत में पेश हो।

निम्न लिखित विषयों के लिये गवरनर जनरल की स्वीकृति अवश्य होना चाहिये:—

(१) धार्मिक विषय या रीतियां

(२) जल, थल, या आकाश सेना की रचना

(३) विदेशी राज्यों या देशी राज्यों से सरकारी संबंध,

(४) प्रांतिक विषयों का नियंत्रण

(५) प्रांतिक कौंसिल का कोई कानून रद्द करना या बदलना।

प्रस्ताव दो उद्देश्य से पेश किये

जाते हैं—(१) सरकार से किसी कार्य करने की सिफारिश निमित्त [२] किसी सार्वजनिक महत्त्व पूर्ण घटना के संबंध में वादानुवाद करने के लिये। साधारण कार्य स्थगित करने के निमित्त। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के समय के बाद ही पढ कर सुना दिया जाता है। यदि किसी सदस्य को उस में आपत्ति हो तो सभापति सब सदस्यों से कहता है कि जो प्रस्ताव के वादानुवाद के अनुकूल हों वे खडे हो जावें। कौंसिल आफ स्टेट में १५ और एसेम्बली में २५ खडे हो जावें तो सभापति सूचित कर देता है कि अनुमति है और समय भी उस के लिये सूचित कर देता है जो साधारणतया ४ बजे का होता है।

कार्यों की सिफारिश संबंधी प्रस्ताव के लिये १५ दिन पहिले और कुछ दशाओं में उस से अधिक समय पहिले सूचना देना पडती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं इसका निर्णय सभापति के आधीन है। इस प्रकार मंजूर किये हुये प्रस्तावों में से किन प्रस्तावों पर विचार हो यह बात चिट्ठी (Ballot) डाल कर तै की जाती है। एक बक्स में चिट्ठियां रख दी जाती हैं और किसी मनुष्य से एक विशिष्ट संख्या चिट्ठियों की उठवा ली जाती हैं। जो प्रस्ताव इन चिट्ठियों में निकलते हैं उन्हीं पर विचार होता है। यह जुए का प्रकार हटा कर यदि प्रस्तावों के पेश किये जाने की संख्या तथा उनके नाम ऐसी कमेटी के हाथों में दे दिया जाय जिस में सब पक्ष के सदस्य हों तो अच्छा हो। इस कुरीति के कारण अनेक अच्छे प्रस्ताव पेश ही नहीं हो पाते।

प्रस्ताव की अनुपस्थिति में उसका प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

बिल [कानून] के पास होने की रीति इस प्रकार है:—

[१] पहिले गवरनर जनरल से अनुमति प्राप्त की जावे।

[२] निश्चित किये हुये दिन पर बिल के सामुहिक सिद्धांतों पर वादविवाद होता है।

[३] यदि सभा चाहे तो उसे "सिलेक्ट कमेटी" [जिस में ला मेम्बर, बिल से संबंध रखने वाला सरकारी मेम्बर, और तीन या अधिक मेम्बर चुने हुये होते हैं] के सुपुर्द कर दिया जाता है।

[४] यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है।

[५] इस के पश्चात बिल के प्रत्येक (Clause) वाक्यांश पर बहस होती है और संशोधन इत्यादि पास किये जाते हैं।

[६] तत्पश्चात मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है जो (क) उसे पूर्ण रूपेण पासकर दे या (ख) उसमें संशोधन कर दे।

[७] यदि बिल बिना संशोधन के दूसरी सभा में पास हो जावे तो गवरनर जनरल के पास अनुमति के लिये भेजा जाता है।

[८] अनुमति मिलने पर बिल की सूरत कानून (Act) में परिवर्तित हो जाती है।

[९] यदि दूसरी सभा के संशोधनों को पहिली सभा ने न माना तो पहिली सभा (क) उस बिल को रोक दे या (ख) गवरनर जनरल के पास भेज दे।

(१०) गवरनर जनरल ऐसे अवसर पर ऐसे बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त सभा Joint Session के सामने पेश करेगा। इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौंसिल आफ स्टेट का सभापति होगा।

(११) इस संयुक्त बैठक में ऐसा बिल संशोधनों सहित बहुमत से पास होगा।

लेजिसलेटिव एसेम्बली के मेम्बरों के नाम

प्रेसीडेण्ट—दि आनरेबिल मिस्टर वी. जे. पटैल।

निर्वाचित (१०४)

श्रीमान एस. श्रीनिवास आयङ्गर।

मिस्टर वाराहगिरि वेङ्कट योगीय।

श्री टी. प्रकाशम।

श्री बक्न पीरन्नल नाइडू।

,, चिटलुर दुराईस्वामी अयंगर।

,, आर. के. सन्मुखम चट्टी।

,, एम. के. आचार्य।

,, एं. रंगा स्वामी अयंगर।

,, सी. सर्वोत्तम राव।

मौलाना मुहम्मद अब्दुल लतीफ साहिब बहादुर फारुखी।

मौलवी सैयद मुर्तजा साहिब बहादुर।

खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला हाजी कासिम।

दि रेव. डाक्टर ई. एम. मैकफेली सी. आइ. ई., सी. बी. ई.

श्री के. बी. रंगा स्वामी अयंगर।

,, विद्यासागर पांडे।

,, एम. आर. जयकर, ऐम. ए. ऐल-ऐल. बी.

,, यमुनादास माधवजी मेहता

,, विट्ठल भाई जे. पटैल।

,, फजल इब्राहीम रहमतुल्ला ।

,, नरसिंह चिन्तामणि केलकर, बी. ए. ऐल-ऐल. बी.

,, सारा भाई नेमचन्द हाजी ।

,, दत्तात्रय वैंकटेश बेलवी ।

,, मुहम्मद अली जिन्ना ।

सेठ हाजी अब्दुल्ला हारुन ।

वाडेरो मुहम्मद पनाह गुलाम कादिर खां दखन ।

मिस्टर ई. एफ. साइक्स, एम. आई. सी. ई.

,, ह्यूग गोल्डिंग काक ।

सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, के.टी. सी. आई. ई., एम. बी. ई.

वादरो वाहिद बख्श इलाही बख्श भुतो ।

सर विक्टर सेसून बर्ट ।

श्री निर्मलचंद्र ।

,, तुलसीचंद्र गोस्वामी ।

,, अमरनाथ दत्त ।

,, भवेन्द्रचंद्र राय ।

,, शतीशचंद्र नियोगी ।

,, ऐस. सी. मित्र ।

,, याकूब सी. आरिफ ।

डाक्टर ए. सुहरावर्दी ।

मिस्टर ए. एच. गजनवी ।

हाजी चौधरी मुहम्मद इस्माइल खां ।

मिस्टर मुहम्मद अनवरुल अजीम ।

,, कबीरुद्दीन अहमद ।

,, डबल्यू. अर्थर मूर, ऐम. बी. ई.

,, डार्सी लिण्डसे, सी. बी. ई.

कर्नल जे. डी. क्राफोर्ड, डी. ऐस. ओ. ऐम. सी.

मिस्टर धीरेन्द्र कान्त लाहीरी चौधरी ।

राय बहादुर तारित भूषणाराय ।

पंडित मोतीलाल नेहरू ।

चौधरी मुख्तार सिंह ।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू ।

मिस्टर सी. ऐस. रंगा अइयर ।

पंडित मदन मोहन मालवीय ।

श्री घनश्यामदास बिर्ला ।

मुंशी ईश्वर शरण ।

कुमार रानाजयसिंह ।

तसद्दुक अहमद खां शेरवांनी ।

मिस्टर मुहम्मद इस्माइल खां ।

डाक्टर ऐल. के. हैदर ।

मौलवी मुहम्मद याकूब ।

मिस्टर यूसुफ इमाम ।

शेख मुशीर हुसेन किडवाई ।

मिस्टर टी. गिविन जून्स ।

लाला त्रिलोकीनाथ ।

पंडित टाकुरदास ।

लाला लजपतराय ।

मिस्टर अवदुल हये ।

नवाब सर जुल्फिकार अली खां के. टी.

मियां मुहम्मद शाह नवाज ।

राजा गजनफर अली खां ।

सैयद हुसेन शाह ।

मख्दू सैयद राजा बख्श शाह ।

सरदार करतार सिंह ।

,, गुलाब सिंह ।

मुहम्मद नवाज खां ।

बाबू नारायणप्रसाद सिंह ।

मिस्टर गयाप्रसाद सिंह ।

,, नीलकंठदास ।

,, भवनानन्द दास ।

,, अंबिकाप्रसाद सिंह ।

,, के. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह ।

,, गंगानन्द सिंह ।

,, रामनारायण सिंह ।

खान बहादुर सरफराज हुसेन खां ।

मौलवी बदीउज्जमां ।

,, मुहम्मद शफी ।

राजा रघुनन्दन प्रसाद सिंह ।

डाक्टर बी. एस. मूंजे ।

,, हरी सिंह गौड़, के. टी. ।

मिस्टर द्वारिकाप्रसाद मिश्र ।

मौलवी सैयद अवदुल हसन नातिक ।

सेठ जमनादास ।

श्रीयुत तारुमराम फूकन ।

मिस्टर श्रीशचन्द्र दत्त ।

मौलवी अवदुल मतीन चौधरी ।

यू. खीन मौङ्ग ।

यू. टाक किजी ।

यू. लाटन प्रू ।

मिस्टर डब्ल्यू स्टेन हाऊस लैम्ब ।

लाला रङ्गविहारी लाल ।

राय साहिब ऐम. हरविलास सारदा ।

केप्टिन सूरजसिंह बहादुर आइ. ओ. ऐम.

नियोजित (४०)

सरकारी [२५]

दि आनरेबिल सर भूपेन्द्र नाथ मित्र, के. सी. आइ. ई., सी. बी. ई.

दि आनरेबिल सर बासिल फिलर ब्लाकिट, के. सी. बी.

दि आनरेबिल मिस्टर जे. डबल्यू. भोर।

मिस्टर ऐल. ग्राहम, सी. आई. ई.

सर गनन राय, के. टी.

मिस्टर जे. एम. डुनमत्त ।
" जी. ऐम. योङ्ग.
" ई. बी. हावेल, सी. ऐस. आई.,
सी. आई. ई.
" ए. जे. क्लौ ।
" ए. ए. ऐल. पारसंस ।
" ए. अयङ्गर ।
" जे. कोटमैन ।
" आर लिटिलहैल्स ।
दीवान बहादुर टी. राघवाय ।
मिस्टर ऐफ. बी. इवन्स, सी. ऐस. आई.
" ऐफ. डब्ल्यू. ऐटीसन ।
" पी. बी. हैग ।
" जे. टी, डोनोवन ।
खान वहादुर नसीरुद्दीन अहमद ।
मिस्टर एस. कीन ।
खान बहादुर मियां अब्दुल अजीज ।
राय बहादुर श्याम नारायण सिंह, ऐम. वी. ई.
मिस्टर ऐच. सी. ग्रीन फील्ड ।
" जे. हैजलिट ।

मिस्टर ऐच. टामकिन्सन ।
" माधव श्रीहरी अने ।

गैर सरकारी ।

मिस्टर कीका भाई प्रेमचन्द ।
प्रिन्स अफसरुल मुल्क मिर्जा मुहम्मद अकरम हुसेन बहादुर
मिस्टर केशव चन्द्र राय, सी. आई. ई.
राजा मुहम्मद ऐजाज रसूल खां, सी. ऐस. आई.
सरदार बहादुर सरदार जवाहिर सिंह सी. आई. ई.
आनरेबिल केप्टिन कबूल सिंह बहादुर ।
खान बहादुर नवाब जादा सैयद अशरफ उद्दीन अहमद, सी. आई. ई.
नवाब सर साहिब जादा अब्दुल कय्यूम, के. सी. आई. ई.
मिस्टर रत्न स्वामी ।
लैफ्टेनेण्ट कर्नल ऐच. ए. जे गिडनी ।
मिस्टर नारायण मल्हार जोशी ।
राव बहादुर ऐम. सी. राजा ।
सर वाल्टर स्टूट जेम्स विल्सन, के. टी.

प्रांतीय कौंसिलें।

सं० १९१९ के गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक गवरनरी प्रांत में एक व्यवस्थापक सभा (कौंसिल) होती है जिसमें (१) इकजीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य (२) नियोजित सदस्य और (३) निर्वाचित सदस्य।

गवरनर स्वयं लेजिसलेटिव कौंसिल का मेम्बर नहीं होता परन्तु उसे पूर्ण अधिकार है कि कौंसिल की बैठक करावे और स्वयं भाषण करे।

सदस्यों की संख्या प्रत्येक प्रांत में भिन्न २ है और उसका ब्योरा अन्यत्र दिया जा चुका है। २० प्रतिशत से अधिक सरकारी सदस्य नहीं होसकते और ७० प्रतिशत से कम चुने हुये नहीं हो सकते।

गवरनर तथा कौंसिलों के अधिकारों का तथा कार्य पद्धति का विवरण नीचे संक्षेप में दिया जाता है:—

१—प्रत्येक कौंसिल ३ साल तक चलेगी किन्तु (क) गवरनर जल्दी भी बरखास्त कर सकता है।

(ख) गवरनर केवल एक साल के लिये बढा भी सकता है यदि खास कारण हों।

(ग) स्थगित होने के बाद अन्दर ६ महीने के (यदि सेक्रटरी आफ स्टेट की अनुमति हो तो अन्दर ९ महीने के) दूसरी बैठक गवरनर को बुलाना ही चाहिये।

२—प्रांत के विभागों में शांति तथा सुशासन कायम रखने के लिये कौंसिलों को सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है।

३—प्रांतीय कौंसिलों को अधिकार है कि स्वयं बनाये हुये कानूनों को अथवा जो पिछली कौंसिलों ने बनाये हों उनको रद्द कर दें।

४—प्रांतीय कौंसिलें निम्न लिखित विषय संबंधी कानून बिना गवरनर जनरल की अनुमति के नहीं बना सकतीं।

(१) नये टैक्स लगाना अथवा किसी को नये टैक्स लगाने का अधिकार देना, जब तक इस नियम के द्वारा बनाये हुये फिहरिस्त में से वह टैक्स हटा न दिया जावे।

(२) सार्वजनिक कर्जे तथा कस्टम ड्यूटी इत्यादि टैक्स जो गवरनर जनरल द्वारा लगाये गये हों।

(३) सरकारी फौजों (जल, थल, हवाई) के नियंत्रण तथा कायम रखने के कानून।

(४) देशी राज्यों या विदेशी राज्यों से संबंध।

(५) केन्द्रीय विषय।

(६) ऐसा केन्द्रीय विषय जिसे मुख्य ऐक्ट [१९१९] ने भारतीय व्यवस्थापक मन्डल के आधीन कर दिया हो।

(७) ऐसा अधिकार जो किसी कानून द्वारा गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के आधीन कर दिया गया हो।

(८) ऐसे कानून का बदलना या रद्द करना जिसे पुरानी कौंसिलों ने बनाया हो और जिसे मुख्य ऐक्ट ने कानून माना हो और उसके तबदीली या मंसूखी की (बिना अनुमति के) मनाई कर दी हो।

(९) ऐसे कानून जो ऐक्ट [१९१९] के बाद बने हों और उस ऐक्ट ने तबदील करना या मंसूख करना बिना अनुमति के मना कर दिया हो।

किन्तु यदि किसी कानून पर उसके पास होने के बाद गवरनर जनरल की अनुमति मिल जावे तो वह कानून लागू समझा जावेगा।

५—किसी प्रान्तीय कौंसिल को पार्लीमेंट के किसी ऐक्ट संबंधी कोई कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

बजट (अनुमान पत्र)

१—प्रत्येक वर्ष कौंसिल के सामने प्रान्तीय आमदनी व खर्च का अनुमानित ब्योरा पेश किया जावेगा और प्रान्तीय सरकार को जो खर्च करना है उसका प्रस्ताव भिन्न २ कार्यों के अनुसार मांगों (Demands) के स्वरूप में पेश किये जावेंगे और उनका पास होना कौंसिल के मेम्बरों के वोटों के आधीन रहेगा।

२—कौंसिल को अधिकार होगा कि किसी मांग को पूर्ण रूप से स्वीकृत करे या न करे या उसे घटा दे या किसी खर्च की मद को काट दे।

किन्तु (क) सरकार को अधिकार होगा कि किसी संरक्षित विषय की मांग जो कौंसिल ने कम कर दी हो या रद्द कर दी हो उसे कायम रक्खे, यदि गवरनर इस बात का सार्टीफिकट दे दे कि वह खर्च गवरनर के उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये जरूरी है।

(ख) अत्यंत आवश्यकताओं के अवसर पर गवरनर को अधिकार होगा कि यदि उसकी राय में शांति तथा सुशासन के लिये कोई खर्च जरूरी है तो ऐसे खर्च को स्वयं पास कर दे।

(ग) किसी आमदनी या रुपया का खर्च जब तक गवरनर अनुमति न देदे कौंसिल में न पेश किया जावेगा।

३—निम्नलिखित खर्चों की मद को कौंसिल में पेश करना जरूरी नहीं है:—

(१) गवरनर जनरल-इन-कौंसिल को जो आमदनी का हिस्सा प्रांत की तरफ से देना चाहिये।

(२) सूद तथा कर्ज की किस्त।

(३) ऐसा खर्च जो किसी कानून के अनुसार करना लाजमी है।

(४) ऐसे पदाधिकारियों के वेतन जो सम्राट या सेक्रटरी आफ

स्टेट द्वारा अथवा उन की अनुमति से नियुक्त होते हैं।

(५) हाईकोर्ट के जजों के तथा एडवोकेट जनरल के वेतन।

नोटः—यदि ऐसा प्रश्न हो कि कोई खर्च उपरोक्त मदों में आता है या नहीं तो गवरनर का फैसला अन्तिम समझा जावेगा।

प्रस्तावों की पद्धति।

१—जब कोई बिल कौंसिल में पेश हो या उस पर कोई संशोधन पेश हो, और गवरनर यह समझे कि ऐसे संशोधन अथवा बिल से प्रांत के सुशासन अथवा शांति में फरक आता है तो गवरनर इस प्रकार का सार्टीफिकट देगा कि बिल अथवा संशोधन पर कोई कार्य न किया जावे, और ऐसा सार्टीफिकट कौंसिल पर बाध्य होगा।

२—लेजिसलेटिव कौंसिल में सदस्यों को पूर्ण भाषण स्वातंत्र्य रहेगा। और किसी सदस्य पर किसी भाषण के लिये कोई मुकदमा चलाया न जा सकेगा।

३—यदि कोई बिल कौंसिल में पास हो गया हो तो गवरनर अपनी अनुमति न प्रकाशित करके अथवा अस्वीकृत भी न प्रगट करके बिल को कौंसिल के पास पुनः विचार के लिये भेज सकता है।

४—गवरनर यह भी कर सकता है कि ऐसे पास हुये बिल को अपने पास विचार के लिये रखले।

५—यदि गवरनर अपने पास किसी बिल को विचार के लिये रख ले तो निम्न लिखित नियम लागू होंगेः—

(क) गवरनर उस बिल को ६ महीने के भीतर गवरनर जनरल की अनुमति से, कौंसिल के पास पुनः विचार के लिये भेज दे और साथ यह लिख दे कि संशोधन पर भी कौंसिल विचार करे।

(ख) बिल पर इस प्रकार के पुनः विचार के बाद बिल पुनः गवरनर के पास भेजा जावेगा।

(ग) किसी बिल को जिसे गवरनर ने अपने पास विचार के लिये रख लिया हो अगर गवरनर जनरल की अनुमति ६ महीने के अन्दर मिल जावे तो वह कानून हो जावेगा।

(घ) यदि गवरनर जनरल की अनुमति ६ महीने के अन्दर न मिले तो बिल बेकार हो जावेगा।

किन्तु ऐसे बिल को जीवित रखने के लिये गवरनर (१) कौंसिल के विचार के लिये बिल को भेज सकता है (२) और अगर कौंसिल की बैठक न हो रही हो तो अपना विचार कि बिल फिर कौंसिल को भेजा जावेगा गजट में प्रकाशित करदे।

६—गवरनर जनरल अपनी अनुमति देने के अथवा न देने के बजाय यह कर सकता है कि ऐसे प्रान्तीय बिल को सम्राट की अनुमति के लिये भेजदे और ऐसा बिल तब तक ऐक्ट न समझा जावेगा जब तक सम्राट अपनी अनुमति प्रदर्शित न करदें और ऐसी अनुमत्ति प्रकाशित न हो जावे।

आकस्मिक अधिकार।

१—संरक्षित विषय संबंधी कोई बिल यदि कौंसिल से पास न हो या गवरनर के संशोधनों सहित यह न पास करे तो गवरनर सारटीफिकट दे सकता है कि उस विषय के उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये बिल का पास होना अत्यावश्यक है ऐसे सारटीफिकट देने पर वह बिल कौंसिल का ऐक्ट बन जावेगा।

२—इस प्रकार का ऐक्ट गवरनर द्वारा बनाया हुआ समझा जावेगा, गवरनर तुरन्त उसकी नकल गवरनर जनरल के पास भेज देगा और गवरनर जनरल उसे सम्राट की अनुमति के लिये भेज देगा। ऐसी अनुमति मिलने पर वह बिल ऐक्ट समझा जावेगा।

किन्तु यदि गवरनर जनरल समझे कि शांति के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐक्ट पास कर दिया जावे तो गवरनर खुद अपनी स्वीकृति देदेगा और जब तक सम्राट-इन-कौंसिल इसे अस्वीकृति न करदे कानून रहेगा।

३—इस प्रकार का ऐक्ट जितनी जल्दी हो सके पार्लीमेंट की दोनों सभाओं के सामने रक्खा जावेगा और ऐसा करने के पहिले ८ रोज़ तक उस ऐक्ट की नकलें दोनों सभाओं में रक्खी जावेंगी।

प्रान्तीय अधिकारियों के नाम ।

बंगाल ।

गवरनर—

हिज एक्सेलेन्सी ले० कर्नल दी राइट आनरेबल सर फ्रेन्सिस स्टेनले जैक्सन पी. सी., जी. सी., आइ. ई (२८ मार्च १९२७) रु० १०,००० ।

चीफ सेक्रटरी—

मि० डबल्यू. डी. आर. प्रेन्टिस एम. ए. ३,७५० ।

प्राइवेट सेक्रटरी—

मि० हैरलड ग्रेहम आई. सी. एस. रु० १,५३० ।

मिलीटरी सेक्रटरी—

ले० कर्नल आर. बी. बटलर रु० १५३०

कौंसिलर ।

आ० मि० ए. मार आइ. सी. एस.

आ. मि. ए. एन. मोबरली ।

आ. सर. पी. सी. मित्र सी. आइ. ई.

आ. नवाब सैयद नवाब अली चौधरी सी. आइ ई.

आ. मि. डबल्यू. डी. आर. प्रेन्टिस (गैर मुस्तकिल) रु० ५३३३।–)४

मिनिस्टर ।

आ. नवाब मुशर्रफ हुसेन अक्टूबर १९२७

आ० राजा बहादुर आफ नशीपुर अक्टूबर १९२८ ।

बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम ।

प्रेसीडेण्ट—दी आनरेबिल महाराजा मनमोद नाथ राय चौधरी सुतोश ।

डिप्टी प्रेसीडेण्ट—खान बहादुर मौलवी इमामुद्दीन अहमद बी. एल. ।

निर्वाचित ।

बाबू सुभासचन्द्र बोस ।

डाक्टर परमथ नाथ बनर्जी ।

बाबू प्रभूदयाल हिंमात सिंह ।

,, जे. एम. दास गुप्ता ।

मिस्टर ए. सी. बनर्जी ।

बाबू विजय कृष्ण बोस ।

,, अमूल्य चन्द्र दत्त ।

,, चारूचन्द्र सिंह ।

डाक्टर बिधान चन्द्र राय ।

बाबू सुरेन्द्र चन्द्र नाथ राय ।

मिस्टर जोगेश चन्द्र गुप्त ।

मिस्टर पी. सी. बासु
,, सरत सी. वासू
बाबू जितेन्द्र लाल बनर्जी
,, विजय कुमार चटर्जी
बाबू उमेश चन्द्र चटर्जी
,, दिवेन्द्र लाल खां
,, प्रोमोथ नाथ बनर्जी
,, महेन्द्र नाथ मैती
,, तारक नाथ मुकर्जी
बाबू हनमत राय
,, हेमचन्द्र नास्कर
,, शशि शेखर बासू
राय हरेन्द्र नाथ चौधरी
मिस्टर वसन्त कुमार लाहिरी
महाराज कुमार श्रीश चन्द्र नंदी
मिस्टर डी. एन. राय बार-एट-ला
राय जादवनाथ मजूमदार बहादुर सी. आई. ई.
बाबू नगेन्द्र नाथ सेन
मिस्टर किरन शंकर राय
बाबू अमरेन्द्र नाथ घोस
,, नलिनी रंजन सरकार
डाक्टर कुमुद शंकर राय
बाबू सुरेन्द्र नाथ बिस्वास
बाबू सरल कुमार दत्त
राय सतेन्द्र नाथ राय चौधरी बहादुर
मिस्टर जे. एम. सेन गुप्ता
बाबू अखिल चंद्र दत्त
,, सतेन्द्र चन्द्र घोस मौलिक
,, सचिन्द्र नारायण सानियल
,, जोगीन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती
,, नगेन्द्र नारायण राय
,, जोतीन्द्र नाथ चक्रवर्ती
,, जोगीन्द्र नाथ मित्र
बाबू रोमेशचन्द्र बागची बी. एल.
मिस्टर प्रसन्नदेव रैकट
सर अब्दुर्रहीम के. सी. आई. ई.
मिस्टर एच. एस. सुहरावर्दी
मौलवी अब्दुल रज्जाक हाजी अब्दुल सत्तार
मौलवी मुहम्मद सुलेमान
मिस्टर गुलाम हुसेनशाह
नवाब ख्वाजा हबीबुल्लाह
मौलवी अब्दुल कासिम
मौलवी अब्दुल करीम
मिस्टर ए. एफ. एम. अब्दुर्रहमान
खान बहादुर मौलवी अजीजुलहक
खान बहादुर मौलवी इकरामुलहक

मौलवी सैयद अब्दुल रऊफ
,, सैयद नासिरअली
,, शमशर रहमान
,, अब्दुल लतीफ विस्वास
मिस्टर राजोर रहमान खां
अजीजुर्रहमान मियां
हाजी मिस्टर ए. के. अबू अहमद खां गजनवी
मौलवी सैयद मुहम्मद अतीकुल्ला
खान बहादुर मौलवी मुहम्मद इस्माइल
मौलवी तमीजुद्दीन खां
,, चौधरी गुलाम मौला
मौलवी खुरशेद आलम चौधरी
मौलवी सैयद महमूद अबजल
मिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन सी. आई. ई.
मौलवी सैयद मकबूल हुसेन, एम. ए. बी. एल.
खां साहिब मौलवी अब्दुल सत्तार
खान बहादुर के. जी. एम, फारूकी
मौलवी असीमुद्दीन अहमद
,, मुहम्मद सादिक़
,, अब्दुल गोफरान
मिस्टर अशरफ अली खां चौधरी
मौलवी कादिर बक्स बी. एल.
मौलवी कसीरुद्दीन अहमद

काजी इमदादुल हक
मिस्टर अल्ताफ अली
खां साहिब मौलवी मुआजिमअली खां
नवाब मुशर्रफ हुसेन खां बहादुर
मिस्टर जे. केम्पबैल फोरैस्टर
मिस्टर एफ. ई. जेम्स ओ. बी. ई.
मिस्टर डब्ल्यू. सी. वर्ड्स वर्थ
मिस्टर जे. ई. औरडिश
मिस्टर डब्ल्यू. एल. ट्रैवर्स सी. आई. ई ओ. बी. ई.
मिस्टर एल. टी. मैगवायर
मि० ई. टी. ऐमसी. क्लसकी
राजा भूपेन्द्र नारायण सिंह बहादुर (नशीपुर)
सर प्रभाश चन्द्र मित्र के. टी. सी. आई. ई.
बाबू सरद कृपा लाल महाराजा जोगेन्द्र नाथ राय (नाटुर)
मिस्टर एस. सी. बोस
महाराजा शशि कान्त आचार्य
मिस्टर आर. बी. विलसन सी. आई. ई.
,, जे. वाई. फिलिप
,, आर. एच. चाइल्ड
,, जी. मोरगन
,, एम. ए. सिनर

श्री० ए. के. फाल्कनर
,, आर. बी. लैपर्ड
,, सी. जी. कोपर
,, टी. सी. क्राफोर्ड
,, जे. एच. जैनवे
,, टी. जे. फेल्पस
,, व्योमकेश चक्रवर्ती
,, श्रीश चन्द्र सेन
राय बद्रीदास गोङ्क बहादुर
मिस्टर आनन्द मोहन पोद्दार
मिस्टर ऐच. सी. लिडेल
,, जे. एच. लिन्डसी
,, जे. जी. ड्रुमंद
राय अमर नाथ दास बहादुर
मिस्टर एफ. ए. सेच. सी.
,, ई. एफ. ओटन
,, एस. सी. स्टूअर्ट विलियम्स
,, एम. मार सी. आई. ई.
,, एस. एन. राय.
,, आर. एन. गिल क्रिस्ट

नियोजित सरकारी।

मिस्टर डब्ल्यू. डी. आर. प्रिंटिस
,, के. सी. डी. ई. सी. आई. ई.
लेफटेंट कर्नेल जे. सी. एच. लेसिसटर आई. एम. एस.
मिस्टर जी. जी. डे.
,, जी. एस. दत्त
,, जे. ए. वुडहेड

नियोजित गैर सरकारी।

मि० एस. सी. मुकर्जी
राय साहिब रेवाती मोहन सरकार
मि० के. सी. राय चौधरी
मौलवी लताफत हुसेन
डाक्टर सर देव प्रसाद सर्वाधिकारी, के टी. सी. आई. ई., सी. बी. ई.
मि० डी. जे कोहन

बम्बई ।

गवरनर—

हि. ए. के. कर्नल दि राइट आ. सर. फ्रेडरिक साइक्स रु० १०,०००

चीफ सेक्रटरी—

सी. डबल्यू. ए. टर्नर ३,०००

प्राइवेट सेक्रटरी—

जे. सी. कर आइ. सी. एस. २२५०

मिलीटरी सेक्रटरी—

मेजर एच. जी. वां सी. आइ. ई. एम. वी ओ.

कौंसिलर ।

आ. मि. जे. ई. वी. होटसन आइ. सी. एस.

आ. सर जी. एच. हिदायतुल्ला ।

आ. सर चुन्नीलाल. वी. मेहता एम. ए. एल. एल. बी.

आ. मि. जे. एल. रियू आइ० सी० एस. सी० आइ० ई० ५३३३१—१४

मिनिस्टर ।

आ० दीवान बहादुर एच० डी० देसाई २ ज० १९२७

आ० जी० बी० प्रधान बी० ए० ३ ज० १९२७ ।

आ० मौलवी मार. अहमद २० जून १९२७

बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम ।

प्रेसीडेन्ट—दी ओनरे० मिस्टर ए. एम. के. देहल्वी बार. एट. ला. ।

डिप्टी प्रेसीडेन्ट—राव बहादुर एल. टी. कम्वली ।

निर्वाचित ।

मिस्टर रामचन्द्र सन्तुराम अस्वली

„ फ्रेमरोज जमशेदजी गिनवाला

डाक्टर मनचर्सा धुनजीभाई गिल्दार

मिस्टर खुरशेद फ्रेमजी नरीमान

„ फिरोजशा जहांगीर मुर्जबान

„ वालुभाई त्रिभुवनदास देसाई

„ नारायणदास आनंदजी त्रिवार

दीवान बहादुर हरीलाल देसाईभाई देसाई

डाक्टर मोहननाथ केदारनाथ दीक्षत

मिस्टर नटवरलाल जी मुजुमदार

„ नरसो बालकृष्ण चन्द्रचूड़

„ अमृतलाल दलपतभाई सेठ

„ जेठालाल चिमनलाल स्वामी-नारायण

मिस्टर हरीभाई झावरभाई अमीन

राव साहिब दादुभाई पुरषोत्तमदास देसाई

श्री० भीवभाई रीवाभाई पटेल
,, वामनराव सीताराम मुकद्दम
,, हसमल वहरमल शिवदासानी
राव बहादुर भीमभाई रनछोडजी नायक
श्री० शंकरराव जयरामराव झुंजराव
,, गोविन्द बलवन्त प्रधान
,, नामदेवराव एकनाथ नवले
,, कुन्दनमल सोभाचंद फिरोदी
,, राजमल लाखीचंद
,, हरीविनायक पाटसकर
,, डोंगरसिंह रामजी पाटिल
,, रामचंद्र गणेश प्रधान
राव साहब रामचंद्रराव विठ्ठलराव वंदेकर
श्री० सदाशिवराव उर्फ खासेराव जीवाजीराव पवार
,, नारायण रामजी गुंजल
,, भास्करराव विठोजी राव जाधव
राव बहादुर रावजी रामचंद्र काले
मिस्टर लक्ष्मण महादेव देश पांडे
राव बहादुर शनमुखपानिन्गपा अंगदी
श्री० पंडितपा रायपा चिकोडी
,, संगापा अमीनगौडा सरदेसाई
राव बहादुर सिदापा टोंटापा कम्बली

श्री० विश्वनाथ नारायण जोग
,, एस. डी. करकी
,, वेन्कट राव आनंद राव सुर्वे
,, भास्कर रामचंद्र नाजल
,, जैरामदास दौलतराम
,, मोजासिंह गुरदिनोमल पहलजनी
,, शामराव पाण्डुरंगराव लिगाडें
,, आत्माराम महादेव अतवने
,, माधवराव गोपालराव भोंसले
,, हसनअली मुहम्मद रहीम तुल्ला
,, हुसेनभाई अब्दुल्ला लालजी
,, मीर मुहम्मद बलोच शेख
खां साहिब अलीभाई मुहम्मदभाई मंसूरी
खां साहिब अब्दुललतीफ हाजी हजरतखां
दी ओनरे. मिस्टर अली मुहम्मद खां देहल्वी
श्री० दाऊद खां शालिभोय
सरदार भासाहिब उर्फ दूला बाबा राय सिंह जी
श्री० शेख अब्दुल अजीज अब्दुल लतीफ
मौलाना मौल्वी रफीउद्दीन अहमद
श्री० गुलाम अहमद दागुमिया
,, हाजी इब्राहीम हाजी मुहम्मद जितेकर

सर्दार महबूब अली खां मुहम्मद अवकरखर विरादर

मिस्टर दीवान साहिब आवा साहिब जनवेकर

दी ओनरे. खान वहादुर सर गुलाम हुसेन हिदायतउल्ला

मिस्टर नूर मुहम्मद मुहम्मद मुजावल

मिस्टर रईसफाजल मुहम्मदवलद खां साहिब हाजी वक्श लवारी

मिस्टर गुलाम हैदर शाह वलद साहिब दीनो शाह

खान बहादुर शाह नवाज खां गुलाम मुर्तिजा खां भुट्टो

खां साहिब गुलाम मुहम्मद अवदुल्ला खां इसरन

मिस्टर मुहम्मद अयूब शाह मुहम्मद खुहरो

खांन बहादुर जान मुहम्मद खां वलद खां बहादुर शाह पसंद खां

मिस्टर अल्लावक्श वलद खां साहिब हाजी मुहम्मद उमर

खां साहिब गुलाम नवी शाह मौलजाली शाह

मिस्टर जानमुहम्मद खां वलीमुहम्मदखां भुरगिरी

खान बहादुर हाजी इमाम वक्श खान गुलाम रसूल खां जटोई

खां साहिब शेर मुहम्मद खां करम खां विजरानीं

मिस्टर जे. एडीमैन

„ ए. सी. ओविन

सरदार गंगाधरराव नारायण मजूमदार

मि० जैरामदास विहिचारदास देसाई

सैयद मुहम्मद कासिल शाह काबू मुहम्मद शाह

डाक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे

सर जोसेफ के,

मिस्टर जी. एल. विन्टरबाटम.

„ ऐलेन डुगुड

„ एफ. डब्ल्यू. पेच

" सी. एन वाडिया सी. आइ. ई.

„ गोवरधनदास आई. पटैल

„ लालजी नारायण जी

नियोजित सरकारी।

मिस्टर जी डवल्यू. हैच. सी. आई. ई. आई. सी. एस.

मिस्टर एच. एल. पेन्टर आई. सी. एस.

„ जी. ई. चैटफील्ड सी. आई.ई. आई. सी. एस.

मिस्टर जे. आर. मारटिन सी. आई. ई. आई. सी. एस.

मिस्टर जे. डबल्यू. स्मिथ आई. सी. एस.

„ सी. वाट्सन सी. आई. ई. आई. सी. एस.

मिस्टर सी. डवल्यू. ए. टरनर आई. सी. एस.

मिस्टर जे. मानटीथ आई. सी. एस.

„ बालक राम आई. सी. एस.

„ टी. आर. एच. ग्रीन ओ.बी.ई.

„ आर. डी. बल, सी. आई. ई. आई. सी. एस.

मिस्टर जे घोशाल सी. आई. ई. आई. सी. एस.

मिस्टर सी. एस. सी. हेरीसन

„ आर. ई. गिबसन सी. आई. ई आई. सी. एस.

मिस्टर एफ. जी. एच. ऐन्डरसन आई. सी. एस.

नियोजित गैर सरकारी।

मिस्टर जे. पी. थोर्नबर

„ एफ. ओलीवीरा

„ सीताराम केशव बोले

„ सैयद मुनव्बर बी. ए.

„ एस. सी. जोशी एम. ए. एल.एल. बी.

डाक्टर बी. आर. अंबडेकर बार एटला

„ पुरशोत्तम साळुंके, एल. एम. एन्ड एस,

मिस्टर डवल्यू. एलिस जोन्स

सर वसन्तराव दाभोल्कर, के टी. सी. बी. ई.

मद्रास।

गवरनर—

हिज एक्सेलेन्सी दि राइट आनरेबल वाइकौंट गोशेन जी. सी. आइ. ई., सी.डी. (१४ अप्रेल १९२४) रु० १००००

चीफ सेक्रटरी—

मि० एच. जी. स्टोक्स सी. आइ. ई. आइ. सी. एस. रु० ३७५०

प्राइवेट सेक्रटरी—

मि. आइ. ग्रीन आइ. सी. एस. रु० १२००

मिलीटरी सेक्रटरी—

मेजर एच. एफ. सी. हाव्स रु० १२५०

कौंसिलर्स।

आ० दीवान बहादुर एम. कृष्णन नायर आयरगर।

आ० मि. टी ई. मोयर सी. एस. आई सी.आइ. ई

आ० मि. एन. ई. मारजोरी वैंक्स सी.आइ. ई. आइ. सी. एस.

आ० खां बहादुर मु. उसमान साहिब बहादुर ५२२३।-)४

मिनिस्टर्स।

आ० डा. पी. सुब्बारायन ४ दि. १९२६

आ० रगनाथ मुडालियर ४ दि. १९२६

आ० दी. बहादुर आर. एन. ए. एस मुडालियर ४ दि. १९२६

मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

प्रेसीडेंट—दी ओनरे० राव बहादुर सी. वी. एस. नरसिंह राजुगरू।

निर्वाचित।

अब्बास अली खां बहादुर बार एट-ला

अब्दुल हामिद खां साहिब बहादुर

के. अब्दुल हयी साहिब बहादुर

खान बहादुर एस. के. अब्दुल रजाक साहिब बहादुर

अब्दुल वहाव साहिब बहादुर मुंशी

श्री. टी. आदिनारायन चेटियर बार-एट ला

श्री० पी. अनजनीलू

,, सी. डी. अपावू चेटियर

,, एच. बी. अरी गोडर

,, एस. अरपुदास्वामी उद्यर

बशीरअहमद सैयद साहिब बहादुर

खान बहादुर मुहम्मद वालीउल्ला साहिब बहादुर सी. आई. ई. सी. बी. ई.

श्री० पी. भक्त वतसल नाइडू

,, ए. बी. भनोजी राव

श्रीमान बिश्वनाथ दास महाशय

श्री. टी. के. चिदम्बरनाथ मुडालिअर

मिस्टर सी आर टी कंग्रेव

,, जे. ए डेविस

श्री. राव साहिब एस.इलापा चेटिअर

,, दीवान बहादुर पी. सी. इथीराजुल नाइडू

,, सी गोपाल मेनन

,, सी एस. गोविन्दराज मुडालियर

,, जी. हरी सरवोत्तम राव.

मिस्टर वी. सी.एच. जोन.

श्री. अय्यदेवर कालेश्वर राव

,, वरदा कामेश्वर राव नाइडू

,, के. आर. करांत

मिस्टर के. केनेथ

,, मुहम्मद खादिर मोहीदीन साहिब बहादुर.

श्री. के. कोटी रेडी, बार एट-ला

,, दीवान बहादुर एम. कृष्ण नैयर

,, के. कृष्णास्वामी नयकर

,, कुमार राजा वेंकटगिरि (राजा वेलूगोती सर्वगण्य कुमार कृष्णचन्द्र बहादुर वारू)

,, दीवान बहादुर एस. कुमारस्वामी रेड्डियर

श्री जे, कुपुस्वामी

सर एलेक्जेन्डर मेक डोगल के.टी.

श्री. के. मधुवन नैयर.

,, वी. एस. मलाया.

,, एम ए. मानिकवेलु नयकर

दी ओनरे० मिस्टर एन. ई. मारजोरी बेंक्स सी. एस. आई.,सी. आई. ई., आई सी. एस.

श्री सी. मरुदवनम पिल्ले

,, के. पी. वी. एस. मुहम्मद मीरा रावतर बहादुर

,, टी. एम. मायडू साहिब बहादुर

दी ओनरे. मिस्टर टी. ई. मोयर सी. एस आई. सी. आई. ई, आई. सी. एस.

श्री० राव बहादुर वी. मुनीस्वामी नायडू

,, मुपिलनयर कवलप्पारा उर्फ कुमारन रामन

,, दीवान बहादुर ए. एम. एम. मुरूगपा चेटियर.

,, एस मुथिया मुदालियर.

,, सी. एन. मुतरंग

,, दण्डु नरायन राजु

,, मोटे नारायन राव

श्री० वत्तनी नारायन रेडी
,, ए. आर नारायन चेटियर
श्री. टी. एम. नारायनस्वामी पिल्ले
,, चीन्नपालामद ओबी रेडी.
,, अकेट परशुराम राव पन्तुलु,
,, सी. आर. पर्तसार्थी अयङ्गर.
,, राव वहादर सर ए.पी.पटरो, केटी.
,, सर पी. रामरायनिङ्गर राजा पनागल के. सी. आई. ई.
,, भास्कर राजराजेश्वर सेतुपथि उर्फ मथुरामलिंग सेतुपथि राजा रामनद
,, पी. टी, राजन
,, के. रामचन्द्र पाद्याची
,, बी. रामचन्द्र रेडी
,, चवली रामोसोम्यजुलु
,, दी. ओनरे० सर सी. पी. रामास्वामी अैयर के.सी. आइ. ई.
,, यू. रामास्वामी अैयर
,, राव वहादुर सी. एस. रतनसापति मुदालियर
,, जे. ए. सालदन्हा
,, सामी वेंकटचलम चेटी
,, के. शरभा रेडी
,, एस. सत्यमूर्ति
महमूद सचमनद साहिब वहादुर
श्री. एम. आर. सेतुरतनम अैयर
,, ए. वी शेटी
,, राव वहादुर के. सीताराम रेडी
,, पी. शिव राव
,, के. एस. शिवसुवरमन्य अैयर
मिस्टर स्मिथ जे. मेकिन्जी
श्री० आर. श्रीनिवास अयंगर
,, टी. सी. श्रीनिवास अयंगर
श्री. चवडी के. सुवरमन्य पिल्ले
,, के. वी. आर. स्वामी वार. एट. ला.
सैयद इब्राहीम साहिब वहादुर नातमदवास कादिर साहिब
सैयद तेजुद्दीन साहिब वहादुर
मिस्टर टोमस डेनियल
श्री० एल. के. तुलसीराम
,, के. उपी साहिब वहादुर
दी ओनरे. खान वहादुर मुहम्मद उस्मान साहिब वहादुर
श्री० एस, वी. वनवुदिया गोंडर
,, पी. सी. वेंकटपाती राजु
,, के. आर. वेंकटराम अय्यर
,, सी. वी. वेंकटरमन अयंगर.
,, सी. वेंकटरङ्गम नायडू

श्री० बी. वेंकट रतनम्.

मिस्टर सी. ई. वुड

श्री० श्रीमन्नारायन अप्पा राव बहादुर गरु मेक जमीदार गोलपल्ली

„ रामचन्द्र सारदुराज देव जमीदार कलीकट

„ मिर्जापुरमराजा गरु उर्फ वेंकटरामय्या अप्पा राव बहादुर गुरू, जमीदार मिर्जापुरम

श्री० वदनलाई तिरुवनाथ सेवुग पान्डया तेवर अवरगल जमीदार सैथुर

नियोजित

खान बहादुर मुहम्मद बाजुल्ला साहिब बहादुर सी. आइ ई. ओ. बी. ई.

श्री० जे. भीमय्या

मिस्टर जी. टी. बोग आइ. सी. एस.

मिस्टर सी. बी. कोटरेल सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.

श्री० एस. दोराइ राजा

„ एस. बी. गंगाधर शिव

„ राव साहिब एल. सी. गुरुस्वामी

„ मिस्टर जे. एफ. हाल, ओ. बी. ई. आई. सी. एस.

„ राय साहिब एस. हमपाईया

„ के. कृष्ण

श्री० वी. आई. मुनिस्वामी पिल्ले

„ डाक्टर मिसेज मुथुलक्ष्मी अमाल

„ आर. नगन गौंड

„ सूबेदार मेजर एस. ए. ननजपा बहादुर एम. बी. ओ.

राव बहादुर ओ. एम. नारायण नामबुदीपद

श्री० वी. पाण्डुरंग राव आइ. सी. एस.

„ जी. प्रेमइया

„ राव बहादुर एम. सी. राजा

„ महाराजा श्री रामचन्द्र देव (राजा जयपुर)

„ रामनाथ गोयनका

„ स्वामी सहजनंदन

„ एन. शिव राज बी. ए. बी एल.

मिस्टर एस. एच. स्लेटर सी. आइ. ई. आइ सी. एस.

श्री डब्ल्यू. पी. ए. सौंद्र पांडिया नादर

„ राव साहब आर० श्रीनिवासन

„ एस. सुब्रह्मन्य मूपनर

„ राव साहिब पी. बी. एस. सुन्दर मूर्त्ति पिल्ले

मिस्टर एच, एच. एफ. एस. टॉइलर सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.

श्री० टी. आर. वेंकटराम शास्त्री, सी. आई. ई. (एडवोकेट जनरल)

„ एस. वेंकीया

कौंसिल सेक्रटरी

श्री राव बहादुर आर. बी. कृष्ण अय्यर अवल, बी. ए. एम. डी

कौंसिल असिस्टेन्ट सेक्रटरी

श्री सी सत गोपा आचारियर अवल, बी. ए.

संयुक्त प्रांत।

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर विलियम मैलकम हेली के. सी. एस आइ., सी. आइ. ई. ९ अगस्त १९२८ रु० १००००

चीफ सेक्रटरी—

मि. कुंअर जगदीश प्रसाद ओ. बी. ई. रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रटरी—

मेजर टी. एस-पैटरसन।

कौंसिल।

आ० मि. जार्ज बैनक्राफ्ट लैम्बर्ट सी. एस. आइ. आइ. सी. एस.

आ० ले० नवाब मु० अहमद सैद खां सी. आइ. ई. रु० ५३३३-५-४

मिनिस्टर।

आ. नवाब मुहम्मद यूसुफ २४ दि. १९२६

आ. राजा जे. बी. सिंह १५ जून १९२८

आ. महाराज कुमार मेजर एस सिंह १५ जून १९२८

संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

दी ओनरे. राय बहादुर लाला सीता राम एम. ए. एल. एल. बी.

निर्वाचित

श्री प्रयाग नारायण एम. ए. एल. एल. बी.

,, गणेश शंकर विद्यार्थी

,, ए. पी. दुबे बार. एट. ला.

पंडित रहस बिहारी तिवारी

श्री० सम्पूर्णानंद

राय बहादुर लाला श्याम सुन्दर लाल

श्री भगवती सहाय बेदार

ठाकुर मन जीत सिंह राठौर

चौधरी मंगल सिंह

राय साहिब लाला जगदीश प्रसाद

चौधरी विजय पाल सिंह बी. ए. एल. एल. बी.

चौधरी धर्म वीर सिंह

पंडित नानक चंद एम. ए. एल.एल.बी.

ठाकुर मानिक सिंह

,, प्रताप भान सिंह

,, विक्रम सिंह

,, हुकुम सिंह

राजा कुशलपाल सिंह एम.ए.एल.एल.बी
राय बहादुर पंडित खड्गजीत मिश्र एम. ए. एल. एल. बी.
राव कृष्ण पाल सिंह
आ० लेफ्टंट राजा कालीचरण मिश्र
लाला नेमीसरन बी.एससी, एल.एल.बी.
चौधरी बदन सिंह
राव साहिब कुंअर सर्दार सिंह
ठाकुर साधो सिंह बी. ए.
पंडित हृजनंदन प्रसाद मिश्र
पंडित भगवत नारायण भार्गव बी. ए.
राव उदय वीर सिंह
ठाकुर हर प्रसाद सिंह
श्री० किशोरी प्रसाद एम.ए.एल.एल.बी.
लेफ्टं० राजा दुर्गा नारायण सिंह
पंडित देवता प्रसाद
श्री० श्याम लाल एम.ए.एल.एल.बी.
,, उमा शंकर
पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री० कनेन्द्र नारायण सिंह
पंडित श्री सदयतन पांडे
राजा श्रीकृष्ण दत्त दुबे
ठाकुर शिव शंकर सिंह
राय बहादुर ठाकुर हनुमान सिंह

राय बहादुर बाबू अभय नंदन प्रसाद
राजा इन्द्रजीत प्रताप बहादुर शाही
भैया हनुमत प्रसाद सिंह
बाबू गंगा प्रसाद राय
पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त बी. ए. एल. एल.बी.
पंडित बद्री दत्त पांडे
श्री० मुकन्दी लाल बी. ए.
सरदार निहाल सिंह
राय बहादुर चौधरी जगन्नाथ प्रसाद
राजा बहादुर विश्व नाथ सरन सिंह
आ० ठाकुर राजेन्द्र सिंह
राय बहादुर बाबू मोहन लाल एम. ए. एल. एल. बी.
राय बहादुर पंडित शंकटा प्रसाद बाजपेई
बाबू महेन्द्र देव वर्मा उर्फ लाल जी
राजा रघुराज सिंह ओ. बी. ई.
महाराज कुमार मेजर महीजीत सिंह
कुंअर सुरेन्द्र प्रताप शाही
मिस्टर सी. वाई. चिन्तामणि
आ० राय राजेश्वर बली ओ. बी. ई.
मिस्टर जहूर अहमद
हाजी अब्दुल कयूम
मुहम्मद अब्दुल बारी

मौलवी जहूरुद्दीन बी. ए. एल. बी.
मौलवी तुफैल अहमद
खान बहादुर शेख जियाउल हक
ले० नवाब जमशैद अली खां
नवाब जादा मुहम्मद लियाकत अली खाँ
हफीज मुहम्मद इब्राहीम बी.ए.एलएल.बी.
खान बहादुर ले० अबदुस सामी खां
मौलवी उबैदुल रहमान खां
शेख अब्दुल्ला
खान बहादुर हफीज हिदायत हुसेन
मौलवी सैयद हबीबुल्ला
आ० नवाब मुहम्मद यूसुफ
खान बहादुर शाह बद्रे आलम
खान बहादुर मुहम्मद इस्माइल
मि० शेख गुलाम हुसेन
डाक्टर शफाअत अहमद खां एम. ए.
खान बहादुर सैयद जफर हुसेन बार एटला
खान बहादुर सैयद मुहम्मदउर्फमैकूमियाँ
खान बहादुर मौलवी मुहम्मद फजल रहमान खां
खान बहादुर हकीम महबूब अली खां
,, मौलवी फसीउद्दीन
ख्वाजा खलील अहमद शाह
शेख मुहम्मद हबीबुल्ला ओ बी. ई.
राजा सैयद अहमद अली खां अल्वी
चौधरी नियामत उल्ला
मि० मुहम्मद हबीब
मि० सेन्ट जार्ज एच. एस. जैकसन
राय बहादुर मुंशी अम्बा प्रसाद
" लाला बिहारीलाल
" लाला मथुरा प्रसाद मेहरोत्रा बी. ए.
राजा शम्भू दयाल
कुंअर बिशेश्वर दयाल सेठ
राजा जगन्नाथ बक्स सिंह
श्री० जे. पी. श्रीवास्तव
राय बहादुर बाबू विक्रमाजीत सिंह बी. ए. एल. एल. बी.
पंडित इकबाल नारायण गुरुटू एम. ए.
मि० ई. एम. सौटर एल. एल. बी.

नियोजित

मिस्टर जी. बी. लेम्बर्ट. सी. एस. आई. आई. सी. एस.
मिस्टर ई. ए. एच. ब्लंट सी. आई ई. ओ. बी. ई. आई. सी. एस.
कुंअर जगदीश प्रसाद सी. आई. ई., ओ. बी. ई. आई. सी. एस.
सर आइवो इलियट, बार्ट, आई.सी.एस.

मिस्टर पी. एच. टिलार्ड, आई.एस.ई.

मि० एच.ए.लेन,सी आई. ई.,आई.सी.एस.

मिस्टर आर.एल. योर्क आई. सी. एस.

,, ए. डबल्यू. स्मिथ सी. एस.आई. सी. आई ई. आई. सी. एस,

मिस्टर ए. डबल्यू. मेकनेअर. सी. एस. आई., ओ.बी. ई.. आई.सी.एस.

खान बहादुर चौधरी वाजिद हुसेन

मिस्टर ई. एल. नारटन आई. सी. एस.

,, एफ.एफ. आर चेनर ओ.बी.ई. आई. एफ. एस.

मिस्टर आर.जे.एस. डाड आई.पी.एस.

कर्नेल जी. टेट. आई. एम. एस.

मिस्टर ए. एच. मेकिंजी एम. ए., डी. एस. सी. आई. ई. एस.

मिस्टर जी. क्लार्क सी. आई. ई., एफ. आई. सी. एफ. सी. एस.

राजा सर सैयद अबुजाफर के. सी. आई. ई.

खान बहादुर मुंशी नसरुद्दुल हसन

मिस्टर एच. सी. डिसांजेज

,, ई. अहमद साहब एम. ए.

बाबू रामचरण बी. ए. एल. एल. बी.

मध्यप्रदेश (सी पी)।

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर मान्टेगू एस. डी. बटलर सी. बी. के. सी. एस आई. २६ जनवरी १९२५ रु० ६०००

चीफ सेक्रटरी—

मि० एच सी बोवन आइ. सी एस, रु० ३०००

कौंसिलर।

आ. मि. ए. ई. नेलसन एम. ए. सी. आइ. ई. ४०००

आ. मि. एस. बी. तांबे बी. ए. एलएल. बी. रु० ४०००

मिनिस्टर।

मि. ई. राघवेन्द्रराव १ फरवरी १९२७

मि० आर० माधवराव देश मुख १ फरवरी १९२७

मध्यप्रदेश (सी. पी:) लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

प्रेसीडेण्ट—दि. ओनरे. सर शंकर राव चिटनवीस. केटी. बी. ए. आई. एस. डी.

निर्वाचित।

मि० प्रभात चन्द्र बोस, बी. ए. एल. एल बी.

श्री० केशो राव खान्डेकर

,, ई. राघवेन्द्र राव, बार-एट-ला

,, चन्द्र गोपाल मिश्र, बी.ए.एल.एल.बी.

डाक्टर एन. बी. खरे, एम. डी.

मि० जी. आर. प्रधान

„ तुकाराम जयराम केदार, बी. ए. एल. एल. बी.

„ राजेन्द्र सिंह एम. आर. ए. एस

पंडित काशी प्रसाद पांडे, एम. ए. एल. एल. बी.

श्री० गोकुलचंद सिंगई

„ केदार नाथ रोहन बी.एस. सी., एल एल. बी.

„ दुर्गाशंकर कृपा शंकर मेहता

„ उमेश दत्त पाठक

महन्त लक्ष्मी नारायण दास

सेठ शिवदास डगा

ठाकुर छेदी लाल बार-एट-ला

श्री० घनश्याम सिंह गुप्त

गजाधर प्रसाद जैसवाल बी. एस. सी. एल. एल. बी

सेठ ठाकुर दास गोवरधन दास

चौधरी दौलत सिंह

श्री० विश्वनाथ दामोदर सालपेकर

„ दीपचंद लक्ष्मीचंद

„ कृष्णाजी पाण्डुरंग वैद्य बी. ए. एल. एल. बी.

„ विनायकराव ठिल कालीकर

„ गोविंद दामोदर चडे बी. ए. एल, एल. बी.

„ नारायण राजाराम नगले बी. ए. एल. एल. बी.

„ नीलकंठ यादव राव देवतले

„ गनपतराव यादवराव पांडे

रावबहादुर नारायणराव कृष्णराव केलकर

मिस्टर मजीदुद्दीन अहमद

खान बहादुर गुलाममुहीउद्दीन बार-एट-ला

सैयद हिफाजत अली बी. ए. एल. एल. बी.

सैयद यासीन सैयद लाल बी. ए. एल. एल. बी

श्री० श्याम सुन्दर भार्गव

सर शंकर राव माधव राव चिटनवीस केटी. आई. एस. ओ.

श्री० एम. के. गोलवलकर बी. ए. एल. एल. बी.

„ एल. एच. बार्टलेट

राव बहादुर डी. लक्ष्मी नारायण

निर्वाचित (बरार)।

श्री० पन्नालाल बंसीलाल

„ पुरषोत्तम बलवंत गोले

„ रामराव माधौराव देशमुख बार-एट ला

„ राम राव आनंदराव देशमुख

श्री० उत्तमराव सीतारामजी

राव साहिब तुकाराम शिवराम कोंडे

श्री० नामदेव सदाशिव पाटिल

,, नायक दिनकर राव धारराव राजोरकर

,, यादव माधव काले

,, पाण्डुरंग दीनानाथ पुंडलीक

,, महादेव पैकाजी कोल्हे

श्री० बाबू राव कृष्णाजी पाटिल

सैयद मोविनूर रहमान बी. ए. एल., एल. बी.

मुहम्मद सफीउद्दीन, बी. ए., एल. एल. बी.

खान बहादुर मिरजा रहमान बेग

श्री० बाल कृष्ण गणेश खापर्डे

" बृजलाल नंदलाल बियानी

नियोजित सरकारी।

मि० सेसील अपटन विल्स सी. आई. ई. आई. सी. एस.

,, राल्फ एलेक्जेन्डर विलसन, आई.सी. एस.

,, हाइड क्लेरेन्डन गोवन आई.सी.एस.

श्री० बीरेन्द्रनाथ आई. सी. एस.

मि० रोबर्ट जोन जेकसन आई. सी. एस. बार-एट-ला

,, रिचार्ड हेनरी बेकैट आई. ई. एस.

कर्नल कृष्णा जी विष्णु कुकडे सी. आई. आई. एम. एस.

श्री० चन्दूलाल माधव लाल त्रवेदी आइ. सी. एस.

नियोजित गैर सरकारी।

राजा ठाकुर रघुराज सिंह (पंडारिया)

मि० जार्ज पेरिस डिक सी. आई. ई. बार-एट-ला

श्री० रतिराम (केवट दवरी) (दलित)

,, गणेश अकाजी गवाई (दलित)

सुख जी उरकुद कंतगली (दलित)

,, लक्ष्मण कृष्ण ओगले, हिन्दू मिशीनरी बोर्डिङ्ग (दलित)

मि० डि. टोम्सन

,, आर. डब्ल्यू. फुले. एम. ए. एल., एल. बी.

पंजाब ।

गवरनर—

हिज एक्सेलेन्सी सर जोफरीडि-मोंटमोरेन्सी के. सी. एस. आइ. सी. आइ. ई. आइ. सी. एस. ९ अगस्त १९२८ ८३३३३-८

चीफ सेक्रटरी—

मि० डबल्यू इमर्सन सी. बी. ई. आइ. सी. एस. रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रटरी—

मेजर. डी. पोट डी. एस. ओ.

कौंसिल ।

आ. सर जी. फिटज़हर्वी डिमोन्ट मोरेन्सी के. सी. एस. आई. सी. आइ. ई. आइ. सी. एस. रु० ५०००

आ० खां बहादुर मिया सर फजल ई. हुसेन रु० ५०००

मिनिस्टर—

आ. सरदार जोगेन्द्र सिंह २० जनवरी १९२६।

आ. मि. मनोहरलाल ३ जनवरी १९२७

आ. मालिक फिरोज़खांनून ३ जनवरी १९२७

पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम ।

निर्वाचित

अफजल हक चौधरी

अहमद यार खां दौलताना मियां

अकबर अली पीर बी.ए. एल.एल. बी.

अली अहमद, चौधरी

श्री० बलबीर सिंह, राव बहादुर ले० राव ओ. बी. ई'

श्री० बल्देव सिंह चौधरी बी.ए.बी.टी.

„ बिसन सिंह सर्दार

„ बोधराज लाला एम.ए.एल.एल.बी

„ बूटा सिंह सर्दार बी. ए., एल. एल. बी.

श्री० छज्जू राम चौधरी सी.आइ.ई.

„ छोटू राम राय साहिब चौधरी बी. ए., एल. एल. बी.

श्री० दौलत राम कलिया, राय बहादुर पंडित एम. बी. ई.

श्री० धनपत राय, राय बहादुर

मिस्टर दीन मुहम्मद

श्री० दुलीचंद चौधरी

फैज मुहम्मद शेख बी.ए.,एल.एल. बी.

सर्दार फतह सिंह, सर्दार साहिब

फजल अली, खान बहादुर चौधरी एम. बी. ई.

मि. फिरोजुद्दीन खां, बी.ए. एल.एल. बी.

लाला गंगा राम राय साहिब

डा० गोकुलचंद नारंग एम. ए.

ला० गोपालदास

मिस्टर बी. एफ. ग्रे

सरदार हबीबुल्ला

श्री० हंसराज रायजादा

„ सर्दार हरी सिंह

„ सर्दार हीरा सिंह

ला० ज्योती प्रसाद

बाबा कर्तार सिंह वेदी

श्री० केसर सिंह चौधरी

ला० केशोराम सीकरी बी.ए.एल.एल.बी.

खान मुहम्मद खां बाघा मलिक

श्री० सरदार कुन्दन सिंह महतो

„ लाभ सिंह एम. ए एल. एल. बी.

मीर मकबूल महमूद, बी. ए. बी. एल.

ला० मोहन लाल बी. ए. एल. एल. बी

श्री० महेन्द्र सिंह सरदार

सैयद मुबारक अली शाह

खान मुहम्मद अब्दुल्ला खां

चौधरी मुहम्मद अबदुल रहमान खां,

डा० शेख मुहम्मद आलम

मुहम्मद अमीन खां, खान बहादुर, मलिक ओ. बी. ई.

मियां मुहम्मद हयात कुरेशी, खान बहादुर सी. आइ ई.

सैयद मुहम्मद हुसेन

डाक्टर सर मुहम्मद इकबाल

खान बहादुर नवाब मुहम्मद जमाल खां लिघारी

मखदूम जादा मुहम्मद रजा शाह

शेख मुहम्मद सादिक

खान मुहम्मद सैफ उल्ला खां, खां साहिब

श्री० पंडित नानक चंद एम. ए.

„ सरदार नारायण सिंह बी. ए. एल. एल. बी.

श्री० राजा नरेन्द्र नाथ, दीवान बहादुर एम. ए.

रिसालदार बहादुर नूरखां

सरदार प्रताप सिंह

मौलवी सर रहीम बक्स के.सी.आइ.ई.

श्री० चौधरी राम सिंह

मियां सादुल्ला खां

श्री० सरदार संतसिंह

राय बहादुर सेवक राम,

राय शहादत खां

सर्दार सिकन्दर हयात खां ले एम.बी.ई.

नवाब तलिब मेहदी खां मलिक

मेजर बख्शी टेक चंद

श्री० सर्दार उज्जल सिंह

चौधरी अमर हयात

चौधरी यशीन खां बी.ए.एल.एल.बी.

चौधरी जाफ़र उल्ला खां बी.ए.,एल.एल. बी.

नियोजित सरकारी

सर जार्ज एन्डरसन सी. आई. ई.

मिस्टर ए.आर. एस्बुरी एम.आई.सी.ई.

मिस्टर सी. ए., बैरन सी. एस.आई.,सी. आई. ई. सी. वी. ओ. आई. सी. एस.

मिस्टर एम. वी., भिडे आई. सी. एस.

मिस्टर एच. डी., क्रेक सी. एस.आई., आई. सी. एस.

मिस्टर वी. एच., डोबसन सी. वी. ई., आई. सी. एस.

मिस्टर एच. डबल्यू. इमरसन सी. आई. ई.,सी.वी.ई.,आई.सी.एस.

ले० कर्नेल डबल्यू एच., फोरिस्टर सी एम. बी., डी. पी.एच.,आई.एम.एस.

मिस्टरसी. एम., किंग सी. एस. आई., सी. आई. ई., आई. सी. एस.

मिस्टर डी. मिलने सी. आई. एफ,

खांन बहादुर नवाब मुजफ्फर खां,

श्री० रामचंद्र एम बी.ई., आई.सी.एस.

मिस्टर जे. स्मिथ बी. जी.

नियोजित गैर सरकारी

खान बहादुर शेख अब्दुल कादिर

मिस्टर एफ. कीज वर्नी

श्री० सर्दार दलपत सिंह आ० केपटिन बहादुर आई.ओ.एस.,एम.बी.ओ.

मिस्टर. गनी एम. ए.

श्री० रायबहादुर सर गोपालदास भंडारी, केटी. सी.आई. ई. एम. बी. ई.

श्री० अरनेस्ट माया दास बी. ए.

मिस्टर ओविन रोबर्टस

श्री० सर्दार शिव नारायण सिंह, सर्दार बहादुर, सी. आई. इ.

बिहार उड़ीसा ।

गवरनर—

हिज एक्सेलेन्सी सर लैन्सडाऊन स्टीफनसन के. सी. आइ. ई. के.सी. एस आई. ५३३३-५-४

चीफ सेक्रटरी—

मि० एच. के. ब्रिसको आई. सी. एस. रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रटरी—

केप्टेन एच. टी. लौडडन एम. सी १५००

कौंसिलर ।

आ० महाराजा के. पी. सिंह सी. बी. ई.
आ० मि० जे० डी०सिफ्टन आइ. सी. एस. सी. आइ. ई.

मिनिस्टर ।

आ. सर एस. मु. फखरुद्दीन २० दि. १९२६
आ. मि. गणेशदत्त सिंह २० दि० १९२६

बिहार उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम ।

निर्वाचित ।

श्री जगतनारायण लाल
सैयद अब्दुल अजीज
श्री० राजा बहादुर हरीहर प्रसाद नारायण सिंह
,, राय बृजराज कृष्ण
,, रत्नधारी सिंह
,, गुरसहाय लाल
मौलवी सैयद मुहम्मद हुसेन
श्री० राज किशोर लाल नंद केलियर
,, भगवती सरनसिंह
मौलवी अहमद हुसेन काजी
श्री० सिद्धेश्वरी प्रसाद
पं० दूधनाथ पांडे
श्री० राजीव रंजन प्रसाद सिंह
सैयद सत्तार हुसेन
राय बहादुर द्वारिका नाथ
मौलवी अब्दुल गनी
श्री०चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह
,, नंदन प्रसाद नारायण सिंह शर्मा
,, नरसु नारायण सिंह
मौलवी सैयद मुबारक अली साहिब
श्री० हरवंस सहाय
,, रामेश्वर प्रसाद दत्त
खान बहादुर मुहम्मद जान
ठाकुर रामनंदन सिंह
श्री०रामदयाल सिंह
महन्त बद्री नारायण दास

श्री. दीपनारायण सिंह
मौलवी मुहम्मद इसहाक
महन्त ईश्वर गिर
श्री० शिवशंकर झा
,, गिरीन्द्र मोहन मिश्र
,, सत्य नारायण सिंह
मौलवी अब्दुल हामिद खां
श्री० रामेश्वरनारायण अग्रवाल
खान बहादुर अबदुल वहाब खां
श्री राय बहादुर दलीप नारायण सिंह
,, राजेन्द्र मिश्र
राय बहादर लक्ष्मीनारायण सिंह
श्री कैलाश विहारी लाल
खान बहादुर सैयद मुहम्मद नैम
श्री राम चरित्र सिंह
,, कालिका प्रसाद सिंह
चौधरी मुहम्मद नजीरुल हसन
राय बहादर पृथ्वीचन्द लाल चौधरी
सैयद मुईउद्दीन मिर्जा
मौलवी मुजीवुर रहमान
श्री. प्रतापेन्द्र चन्द्र पांडे
,, रामेश्वर लाल मारवाड़ी
मौलवी अब्दुलबारी
राय साहिब लोक नाथ मिश्र
मौलवी सैयद मुहम्मद नूरुल हिदा
राज राजेन्द्र नारायण भंजदेव ओ. बी.ई.
श्री. नारायण वी. रावरसमंत
,, लक्ष्मीधर महन्त
,, नंद किशोर दास
,, हर कृष्ण महताप
,, गोधवरीश मिश्र
,, लिंगराज मिश्र
,, बृज मोहन पांडे
,, जीमुत वाहन सेन
खान बहादुर ख्वाजा मुहम्मद नूर
भय्या राज किशोर देव
राय बहादर सरत चन्द्र राय
श्री० कृष्ण वल्लभ सहाय
,, गुनेन्द्र नाथ राय
,, नीलकंठ चट्टोपाध्याय
,, देवेन्द्रनाथ सामंत
,, बल्देव सहाय
मि० डब्ल्यू. ओ. मेक.गिरेगर
,, ई. जे. फिंच
श्री० अमृतलाल ओझा

(शेष आगे)

नियोजित सरकारी।

मि० जी. ई. सोम्स आई. सी. एस.

,, ओ. एच. डीसेन आई. एस. ई.

,, जे. आर. कनिंगहम सी. आई. ई.

,, ए. फिलिासन आई. सी. एस.

,, आर, फील आई, सी. एस.

गैर सरकारी।

राय बहादुर अमर नाथ राय

,, ,, सदानंद दौरा

खानबहादुर दीवानसाहिब अब्दुल हामिद चौधरी

मौलवी सैयदुलरहमान

मि० डोगलास स्मार्ट विदर्स

रेव० जोन सिरेडिंग इवान्स

राय बहादुर राधा कांत हांडीकुई

बर्मा।

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर चार्लस इनीज़ सी० आइ० ई० के० सी० एस आइ० २० दि० १९२७ रु० ८३३३।-)४

चीफ सेक्रटरी—

मि० जे० क्लेग बी० ए० आइ० सी० एस० रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रटरी—

केप्टेन टी. डबल्यू. रीजडी. एस.ओ. एस. सी.

कौंसिलर।

आ० सर एस० ए० स्मिथ आइ० सी० एस० सी० एस० आइ० रु० ५००००

आ० सर जे० ए० मांगजी बार-एट-ला रु० ५००००

मिनिस्टर—

आ० यू. बा. यिन एम० ए० सी० एच० बी० ५ दि० १९२५

आ० मि० ली आइ याइन बार एट ला ,,

बर्मा लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

निर्वाचित।

यू मरा ट्रन

एस. जोन वीन

यू बा सीन

यू आई मोंग

,, मोंग गले

,, बा यू

,, पे अंग

यू टन वीन
,, नी वार-एट-ला
दी आ. डा. वा ईन. एम. आर. सी. एच. वी.
यू बा पे, बी. ए.
केन्ग वेंग वलोंग
यू सांग मी, पेन. ए. वार-एटला
एल. एच. विलिन्गटन
आर. के. घोष
श्री० प्रमथनाथ चौधरी
एल. के. मित्तर
मिर्जा मुहम्मद रफी वार-एट ला
एस. ए. एस. तयाबजी
डी. वेंकट स्वामी
मुहम्मद आजम वार-एटला
जे. के. मुंशी वार-एट-ला
सा पो चित वार-एट-ला
थ. श्वेवा
सा टो खुट
यू म्या पन
यू थीन मोंग
,, चीट पू
,, सा हलो अंग
ई. जी. मराकन
यू अंग गई

यू कला
,, आन पे वार-एट- ला
,, वा सो वार-एट ला
,, टुन लिन, टी. पी. एस.
यू बा मेइन
,, पो हला
,, पो थिन
,, सान पे
,, को गई
,, पो शेन
,, खांट
,, कवा टून टी. पी. एस.
,, बा थव
,, पो टन टी. पी. एस.
,, मया
,, शाबे यून
,, पान
,, पो लू
,, मया टी. पी. एस.
,, बा जोन
,, मंयट थीन वार-एट-ला
,, मि, टी. पी. एस.
,, लन, मोंग ए. टी. एम.
,, क्या गेंग वार-एट-ला

यू थेन मांग बी. ए. एम. एम. एफ.
,, वा वयू
,, मांग मांग
,, था जन
,, मांग लु
,, वा दीन
मि० सी. सोडन
यू वा हन
,, लुगई
,, पोचिट
यू सन लू
यू मंग मंग
यू पू
यू. पाट्टन. वार. एट.ला
च्चर्लेस हस्वेल कम्पगनेक एम. वी. ई. वार-एट-ला
ओस्कर डि ग्लेनविली ओ. वी. ई. वार-एट-ला
रोवर्ट सिन्कलेयर
एम. एम ओन घिनी
दी आ० मिस्टर ली. आह यीन के. आई. एच. वार-एट-ला
जेम्स डोनाल्ड
ले. क. यू वा केटी. आई. एम.एस (रिटायर्ड)

नियोजित सरकारी

विलियम एडवर्ड लौरी वी.ए.आई.सी.एस.
ले. क. एडवर्ड बटरफील्ड, डी. एस. ओ. आई. ए.
डेविड फरगूसन चाल्मर्श आई. सी.एस.
जेम्स डोगलास स्टुअर्ट ए. एम., आई. सी. ई.,एन. आ.ई ई.
वाल्टर बूथ ग्रवली एम.ए.आई.सी.एस.
विलियम ब्राउन ब्रान्डर सी. वी. ई. एम. ए. आई. सी. एस.
आर्थर इगर, वेरिस्टर एट-ला
ले. क. अर्नेस्ट क्लिट एम. वी., सी. एच. वी. आई. एम. एस.,
टोमस कूपर एम.ए.आई.सी.एस.
हेनरी ओसवोर्न रेनोल्डस आई.सी.एस.
चार्लेस एलफ्रेड स्नो एम.ए.आई.ई.एस.
कर्नेल एलेक्जेन्डर फेन्टन एम. वा.आई. एम. एस.
ह्यू वेसले एलन वाटनस
अर्नेस्ट गौडफ्रे पेटिल आइ सी.एस.

गैर सरकारी ।

आदम जी हाजी दावुड मर्चेंट
ए० नारायण राव एम. ए.
जे. हैाग मर्चेंट
डा०नसरवानजी नौरोजी पारख एल.एफ. पी. एल. एल. एम. एस. (ग्लास) आई.एस एस(लंदन)
यु पों थीन ए. टी. एस
,, लुन
,, पो इन
विलियम केन्डल एजेन्ट वर्मा रेलवे

सेना ।

थल सेना ।

भारत की थल सेना दो प्रकार की हैः—(१) अंग्रेजी ५७,३७८ सिपाही और (२) भारतीय १३६,४७३ सिपाही। सेना का शासन पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथ में है। कमान्डर—इन-चीफ को सम्राट नियत करते हैं और लन्दन की आर्मी कौंसिल (Army Council) की सलाह से कमान्डर-इन-चीफ काम करता है।

इंग्लैंड की भारतीय सेना का उद्भव स० १७४८ में हुआ जब कि फरांसीसी लोगों की देखादेखी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी कुछ सिपाही नियत किये स० १७७३ ई० में जब पहिले गवरनर जनरल नियत किये गये उस समय ९००० यूरोपियन और ४२००० भारती सेना में थे। मारकुइस आफ वेलेसली ने चढ़ाइयों के कारण सेना की सख्या बढ़ा दी और स० १८५७ में फौज में ४५००० यूरोपियन और २,३५,००० भारती कर दिये स.१८५८में जब भारतका राज्यइंग्लैंड के राजा के हाथ में गया उस समय अंग्रेजी फौज की सख्या बढ़ा कर ६२००० कर दी गई और भारतीय सिपाहियों की संख्या १,३५,००० कर दी गई।

स० १८५९ ई० में अमलगमेशन स्कीम द्वारा (Amalgamation Scheme)ईस्टइंडिया कम्पनीकीभारतीय अंग्रेजी फौज इंग्लैंड की फौज में मिला दी गई और दोनों एक ही नियंत्रण में हो गईं। इस कारण इंगलैंड की सेना को जो कुछ तरक्की इत्यादि दी जाती है उसी प्रकार की तरक्की इत्यादि भारत को भी देना पड़ती है। यहां तक कि लार्ड कार्डवेल ने जो "शार्ट सर्विस सिस्टम" (Short Service System) सेना में जारी किया वह भी भारत वर्ष पर लागू हुआ और यह विचार नहीं किया गया कि इससे भारत को कितनी हानि है। सेना के लोग अन्य विभाग के कर्मचारियों से कम वर्षों तक काम करें इस बात के अतिरिक्त यह भी इस आयोजना ने किया कि प्रत्येक पैदल वेटेलियन और प्रत्येक सवार रेजीमेंट जो इंग्लैंड के बाहर रहे उसके लिये उतनी ही सेना इंग्लैंड में होना चाहिये। इस काम के लिये इंग्लैंड में डीपो इत्यादि होते हैं जहां रिक्रूट भरती किये जाते हैं और सिखाये जाते हैं। इस सब का लाभ इगलेंड को मिलता है और भारत को उपरोक्त आयोजना का भार झेलना पड़ता है। प्रो० फासेट की भी यह राय थी कि यह आयोजना भारत जैसे गरीब देश के लिये अन्याय युक्त है क्यों कि इंग्लैंड जो धनवान है वह सेना की सजावट इत्यादि पर जितना खर्च कर सकता है उतना भारत नहीं कर सकता है। उनकी राय में यह शिरकत वैसी ही है जैसे एक

आदमी २०००० पौंड सालाना आमदनी पाने वाला और दूसरा १००० पौंड पाने वाला एक साथ एक घर में अमीरी ठाट से एक ही प्रमाण से रहें।

स० १९२३ में कौंसिल आफ स्टेट की दिल्ली वाली बैठक में सर शिवस्वामी अय्यर ने एक प्रस्ताव पेश किया कि स० १८५९ की "अमलगमेशन स्कीम" रद्द कर दी जावे या उसमें काफी संशोधन कर दिया जावे क्यों कि भारत इतना भार नहीं सह सकता। सर शिवस्वामी ने सिद्ध कर के बताया कि इस बेजोड़ शिरकत से भारत की बड़ी हानि है और ३० करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है और प्रार्थना की कि भारत को इस विषय में स्वतंत्र कर दिया जावे परन्तु प्रस्ताव गिर गया।

इसके पहिले स० १९१९ में भारत मंत्री [Secretary of State] ने भारत की सेना का प्रबंध और संचालन की जांच के लिये लार्ड ईशर की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की थी। मई स० १९२० में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उससे तीव्र असंतोष भारत में फैला मुख्य कारण यह था कि कमेटी ने यह सिफारिश की कि भारतीय सेना का प्रबंध पूरे साम्राज्य की रक्षा की दृष्टि से किया जावे। यह सिद्धांत भारतीय नीतिज्ञों को पसन्द नहीं आया। भारतीय सेना केवल भारत की रक्षा के लिये है यही उनका कहना था।

भारतीयों को कमीशन्ड आफिसर बनाना चाहिये ऐसी सिफारिश जनरल चेसनी ने स० १८८५ में की थी लेकिन लार्ड रोबर्ट्स ने किंग्स कमीशन का बड़ा विरोध किया जिससे वह प्रश्न वहीं रह गया। स० १८८९ में पंजाब और बम्बई की प्रान्तीय सरकारों ने यह सिफारिश की कि भारतीय सैनिक अफसरों को ऊंची शिक्षा दी जावे। जनरल चेसनी को यह दूसरा अवसर मिला कि वह अपनी आयोजना फिर पेश करें परन्तु लार्ड रोबर्ट्स ने फिर यह राय चलने न दी। स० १९०४ में लार्ड किचनर ने फिर यह मसला उठाया और बताया कि सेना में गदर होने की शंका करना अनुचित है। उन्हों ने यह भी राय दी कि एक स्कूल खोला जावे कि जिसमें कमीशन और नन-कमीशन्ड आफिसर जो तरक्की के लिये चुने जावें शिक्षा पा सकें। इस राय पर कोई कार्य नहीं किया गया। स० १९१८ में सरकार ने यह घोषणा की कि इंग्लैंडके सैन्डहर्स्ट कालेज में १० हिन्दुस्थानी प्रति वर्ष लिये जावेंगे।

स० १९२१ में लेजिसलेटिव ऐसेम्बली ने सरकार की सम्मति के साथ यह प्रस्ताव पास किया कि प्रत्येक वर्ष कम से कम २५ प्रतिशत किंग्ज कमीशन भारतीयों को दिये जाने चाहिये। और सैंडहर्स्ट की नाई एक सैनिक विद्यालय भारत में खोला जावे। ईशर कमेटी की रिपोर्ट पर एसेम्बली में बहस होने के

बाद ही भारत सरकार ने "मिलीटरी रिक्वायर्मेंट्स कमिटि" नियत की जिसके अध्यक्ष लार्ड रालिन्सन कमांडर इन-चीफ हुये फेब्रुअरी १९२३ में सरकार ने यह निश्चित किया कि भारत की सेना के ८ यूनिट में पूरी तौर से केवल भारतीय भरती किये जावें। सैनिक सेक्रेटरी ने यह प्रकाशित किया कि उक्त ८ यूनिटों को देशी बनाने के लिये २३ साल लगेंगे जिसका यह अर्थ निकला कि कुल सेना को देशी (Indianised) बनाने के लिये ३५० वर्ष लगेंगे। इसके बाद (Sandhurst Committee) सेंडहर्स्ट कमेटी नियुक्त हुई जिसकी रिपोर्ट स० १९२७ में प्रकाशित हुई लेकिन जो सब कमेटी जांच के लिये इंगलैंड गई थी उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई क्यों कि उसमें सेंडहर्स्ट के कुछ अधिकारियों पर कटाक्ष थे। सैन्डहर्स्ट कमेटी की मुख्य सिफारिशें यह हैं (१) सैन्डहर्स्ट में १० की जगह २० भारती प्रत्येक वर्ष लिये जाया करें। (२) स० १९५२ तक भारत की सेना में आधे अफसर देशी हो जावें। (३) तोपखाने इन्जीनियरी सिगनल, टैंक, और हवाई सेना में भारतीय कमीशन्ड अफसर बनाये जावें रायल मिलिटरी एकेडमी (वूलिच) में ८ भारती विद्यार्थी और रायल एयर फोर्स कालेज (क्रोमवेल) में २ भारती विद्यार्थी प्रति वर्ष लिये जावें (४) एक भारती सैन्डहर्स्ट (सैनिक कालेज) बनाया जावे जिसमें १०० विद्यार्थी सीख सकें।

सेना का प्रबंध।

सेना के प्रबंध तथा अन्य सब ब्योरेवार वर्णन "दि आर्मी इन इंडिया एन्ड इट्स इवोल्यूशन" पुस्तक में मिल सकता है। यहां कुछ थोड़ा सा आवश्यक विवरण दिया जाता है।

१—भारत मंत्री। सम्राट का प्रतिनिध होने के कारण भारती सेना पर उसका सब प्रकार का प्रभाव है। उसके इंडिया आफिस में मिलीटरी सेक्रटरी होता है जो इस विभाग का सन्चालक होता है।

(२) गवरनर जनरल-इन-कौंसिल। भारत में प्रत्यक्ष दायित्व कुल सेना संबंधी कार्य इन्हीं का है।

(३) कमांडर-इन-चीफ (बड़े जंगी लाट)। गवरनर जनरल की कार्यकारी कौंसिल का सदस्य होता है और उसके हाथों में सेना का चार्ज होता है।

(४) बडे जंगी लाट के नीचे निम्न लिखित पदाधिकारी होते हैं।

(क) चीफ आफ दि जनरल स्टाफ।

(ख) एडजुटेंट जनरल।

(ग) क्वार्टर मास्टर जनरल।

(घ) मास्टर जनरल सप्लाइ।

इसी सेना विभाग के प्रबंध में थल सेना (Royal Indian Marine) और वायु सेना (Royal Air Force) भी है। कमांडर-इन-चीफ की सहायता के लिये एक सेना कौंसिल Army Council होती है जिसका वह अध्यक्ष होता है।

सैनिक विद्यालय।

सैनिकों को शिक्षा के लिये तथा उनके शिक्षकों को भी शिक्षा देने के लिये निम्नलिखित विद्यालय हैः—

नाम	स्थान
स्टाफ कालेज	क्वेटा (बिलोचिस्थान
सीनियर आफिसर्स कालेज	बेलगांव
स्कूल आफ आर्टिलरी	काकुल
इक्विटेशन स्कूल	सागर
स्माल आर्म्स स्कूल	पंचमढ़ी
स्कूल आफ फिजिकल ट्रेनिंग	अम्बाला
मशीन गन स्कूल	अहमद नगर
आरमी सिगनल स्कूल	पूना
रायल टैंक कोर स्कूल	अहमद नगर
आरमी स्कूल आफ एडयूकेशन	बेलगांव
आरमी स्कूल आफ कुकरी	पूना
आरमी विटरिनरी स्कूल	पूना और अम्बाला
इंडियन आरमी सर्विस कोर ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट	रावलपिंडी

भारतीय सैनिकों के लड़कों को झेलम और जलन्धर के किंग जार्ज रायल इंडियन मिलीटरी स्कूलों में सैनिक शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि वे आगे सेना में नौकरी पा सकें।

साधारण अंग्रेजी सेना।

अंग्रेजी सवार—भारत में ५ रेजीमेंटें अंग्रेजी सवारों की बहुधा रहती हैं प्रत्येक रेजीमेंट में २७ अफसर और ५७१ सवार होते हैं।

अंग्रेजी पैदल—भारत और अदन में बहुधा ४६ बेटेलियन रहती हैं प्रत्येक में २८ अफसर और ८८२ सिपाही होते हैं।

स० १९२१ से इन अंग्रेजी पैदल की बटेलियन में कुछ देशी पैदल भी होते हैं।

तोपखानों की रचना में रायल हार्स आर्टिलरी, फील्ड, ब्रिगेड, अम्युनिशन कालम, इंडियन पैक ब्रिगेड होते हैं।

साधारण देशी सेना।

देशी सवार—देशी सवारों की रेजीमेंट २१ हैं प्रत्येक रेजीमेंट में १४ अंग्रेजी अफसर, १९ देशी अफसर ५१२ नन-कमीशन्ड अफसर और सिपाही होते हैं।

ट्रेनिंग बटेलियन्स की संख्या अनिश्चित है। पैदल सेना के साथ रिजर्व और इन्डियन सिगनल कोर भी होते हैं।

देशी पैदल—देशी पैदल सेना की संख्या इस प्रकार हैः—

२०	पैदल रेजीमेंट जिनमें	१०४ बटेलियन
३	पायोनियर रेजीमेंट जिनमें	११ ,,
१	इंडिपेंडेंट पायोनियर रेजीमेंट (चौथी हजारा पायोनियर)	१ ,,
१०	गुरखा रेजीमेंट जिनमें	२० बटेलियन
३४		१३६

प्रत्येक बटेलियम में मनुष्यों की संख्या इस प्रकार हैः—

	अंग्रेजी अफसर	देशी अफसर	सिपाही
इन्फेन्टरी	१२	२०	७४२
पायोनियर	१२	१६	७२०
गुरखा	१६	२३	९२०

इंजीनियरिंग और मेडिकल विभाग ।

सेनाओं के लिये इंजीनियर और मेडिकल विभाग की भी आवश्यकता पड़ती है।

इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सैनिक मकानात बनाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत "सैपरमाइनर" "पायोनियर्स" और मिलीटरी इंजीनियर वर्क्स हैं।

मेडिकल विभाग में (१) रायल आर्मी मेडिकल कोर के अफसर (२) इंडियन मेडिकल सर्विस के अफसर (३) इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट जिसमें असिस्टंट सर्जन और सब—असिस्टेंट सर्जन होते हैं और (४) क्वीन अलेकजन्ड्रा मिलीटरी नरसिंग सर्विस फार इंडिया (५) आर्मी डेन्टल कोर (६) इंडियन ट्रूप्स नर्सिंग सर्विस (७) इंडियन हास्पिटल कोर।

सैनिकों के नौकरी की अवधि।

सैनिकों के लिये नौकरी के नियम और उपनियम हैं। नौकरी की अवधि उपनियमों द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(१) सवार—७ वर्ष।

(२) तोपखाना—६ वर्ष गोलदाजों के लिये, ५ वर्ष गाडीवानों के लिये, और ४ वर्ष हेवी बैटरी के कर्मचारियों के लिये।

(३) एस एंड टी कोर, ७ वर्ष (ब्रह्मदेश में ५ वर्ष)

(४) इंडियन सिगनल कोर-५ वर्ष

(५) पैदल (इनफैन्ट्री) और पायोनियर्स (गुरखा और चौथी हजारा पायोनियर्स और ट्रान्स फ्रान्टियर पैदलों को छोड़ कर) ५ वर्ष सेना में और १० वर्ष रिजर्व।

(६) गुरखा, ४ थी हजारा पायोनियर्स ट्रान्स फ्रान्टियर पैदल और देशी पैदल

(अंग्रेजी पैदलों की सेना के साथ ४ वर्ष ।
(७) इंडियन आर्मी आर्डिनेन्स कोर ४ वर्ष
[८] गाड़ीवान [मिकेनिकल ट्रांस्पोर्ट] इत्यादि ६ वर्ष ।
[९] वर्कस कोर के सिपाही—२ वर्ष
[१०] बैन्ड मैन, म्युजिशियन, ट्रम्पेटियर, व्यूगलर, इत्यादि—१० वर्ष ।

अन्य थल सेना ।

१—फ्रान्टियर मिलिशिया और लेवीकोर—यह सेना एक प्रकार की सिविल सेना है और इसका रुपया सैनिक विभाग से नहीं दिया जाता है यह सेना उत्तर पश्चिम सरहद्दी प्रदेश की रक्षा के लिये तैयार की गई है

२—आकजीलियेरी सेना—महायुद्ध [१९१४—१९१७] के पश्चात यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि भारत में हर एक अंग्रेज सैनिक कार्य करना जाने और समय पड़ने पर सरकार की सहायता कर सकें । इसी उद्देशय से आकजिलियरी सेना तैयार की गई है जिसमें नियम और उप नियम हैं । और स०-१९२० में एक ऐक्ट भी पास किया गया है ।

३—इण्डियन टेरिटोरियल सेना—सब भारतवासियों को इस सेना में भरती होने का अवसर नहीं दिया जाता है । अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भारतवासी को सैनिक शिक्षा दी जावे परन्तु अंग्रेजी शासन में जो काम भारतवासियों के लिये किया जाताहै वह ऐसी उलटफेर के साथ किया जाता है कि उसका प्रत्यक्ष लाभ कुछ नहीं होता ।

यह सेना दो प्रकार की है (१) प्रान्तीय (२) यूनिवर्सिटी । इनमें भारत वासियों को कुछ मास तक सैनिक शिक्षा दी जाती है । नियमों के अनुसार उन्हें भारत वर्ष की भीतर सरकार के अदेशानुसार काम करना पड़ता है और उन्हें समय पड़ने पर बाहर जाने पर भी बाध्य किया जा सकता है । जितने साल तक शिक्षा दी जाती है उस समय में कुछ साधारण वेतन भी दिया जाता है । यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को कुछ नहीं दिया जाता ।

प्रान्तीय बेटेलियन में ६ वर्ष के लिये भरती किया जाता है । यह अवधि ४ वर्ष की भी हो सकती है । साल में २८ दिन काम करना पड़ता है ।

४—देशी राज्यों की सेना—"इंडियन स्टेट फोर्स" का पहिला नाम "इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स" था यह वह सेना है जो देशी नरेश अपने खर्च से रखते हैं । समय २ पर यह सेना अंग्रेजी सरकार को सहायता देती रहती है । महा युद्ध के बाद देशी नरेशों ने अपनी पुनर्रचना की जिससे सेना के तीन वर्ग कर दिये गये हैं । पहिले वर्ग की सेना अंग्रेजी सेना के ढंग पर रक्खी

जाती हैं और अन्य दो वर्गों की शिक्षा और उनके हथियार व सामान कम दर्जे के होते हैं।

इसप्रकार की सेना की संख्या निम्नलिखित है:—

सवार	८२२६
पैदल	२०९१७
तोपखाना	८९९
सैपर्स	८४८
ऊंटों की फौज	४५९
ट्रान्सपोर्ट कोर	१३९५
मोटर मशीनगन बेटरी	२६
	३२,७७०

सैनिक अफसर।

सैनिक अफसर दो प्रकार के होते हैं (१) किंग का कमीशन प्राप्त (२) वाइसराय का कमीशन प्राप्त। दूसरी प्रकार के अफसर सब हिन्दुस्थानी होते हैं। प्रथम प्रकार में पहिले सब योरोपियन होते थे किंतु अब कुछ देशी अफसरों को किंग का कमीशन प्राप्त हो जाता है देहरादून में प्रिन्स आफ वेल्स रायल इंडियन मिलीटरी कालेज खुला है जिसमें उन भारतीयों को सैनिक शिक्षा दी जाती है जो इंग्लैंड के रायल मिलीटरी कालेज सैंडहर्स्ट में आगे सीखने जाते हैं।

भारत पर सैनिक भार।

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत के रुपये से ही हुआ है इसका स्पष्टीकरण १७४ पृष्ठ पर दिये हुये कोष्टक से होगा। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो प्रदेश एशिया में इंग्लैंड के लिये कमाये वे सब भारत के रुपये से ही कमाये। आइल आफ फ्रांस (मारीशस), सीलोन (लङ्का) सिंगापुर सेटलमेंट तथा बन्दर, तथा अन्य द्वीप जो भारत सागर में हैं उन सब पर भारतीय सेना तथा धन द्वारा कब्जा किया गया। ईरान (पर्शिया), और अरब में पैठ, ब्रह्मदेश की मालिकी भारत ही के धन से हुई। विदेशी युद्धों का भी खर्च भारत पर ही पड़ा यह बात भी सिद्ध है।

भारत में सैनिकों की संख्या।

अंग्रेजी।

१९१०-१४ औसत	६९,३३०
१९१५	४४,८९१
१९१६	६०,७३७
१९१७	८०,८२५
१९१८	८७,९८२
१९१९	५६,५११
१९२०	५७,३३२
१९२१	५८,६८१
१९२२	६०,१६६
१९२३	६३,१२९
१९२४	५८,६१४
१९२५	५७,३७८

देशी।

१९१०-१४ औसत	१३०,२६१
१९१५	११९,९८५
१९१६	१३०,०७६
१९१७	१९१,३४२

१९१८	३४१,४७८	१९२२	१४७,८८०
१९१९	२२९,७३१	१९२३	१४३,६३७
१९२०	२१६,४४५	१९२४	१३५.७४२
१९२१	१७५,३८४	१९२५	१३६,४७३

निम्न लिखित युद्धों का खर्च भारत के घर से किया गया पृष्ठ १७३:—

युद्ध	साधारण खर्च		असाधारण खर्च	
	भारत	इंग्लैंड	भारत	इंग्लैंड
प्रथम अफगान युद्ध (१८३८–४२)	कुल	कुछ नहीं	कुल	कुछ नहीं
प्रथम चीन युद्ध १८३९–४०	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल
ईरानी युद्ध १८५६	कुल	कुछ नहीं	आधा	आधा
ऐबीसीनियन युद्ध १८६७–६८	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल
पीराक युद्ध १८७५	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल
द्वितीय अफगानयुद्ध १८७८–८०	कुल	कुछ नहीं	बाकी कुल	केवल ५ लाख पौंड
इजिप्ट युद्ध १८८२	कुल	कुछ नहीं	बाकी कुल	केवल ५ लाख पौंड
सुडान युद्ध १८८५–८६	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल

हवाई सेना

हवाई सेना भी कमान्डर इन-चीफ के आधीन है और साधारण सैनिक खर्च में इसका भी खर्च रक्खा जाता है। भारत में हवाई सेना को कमान्डिङ्ग आफिसर "एयर वाइस मारसल" होता है। इस विभाग का मुख्य स्थान भी अन्य सेना के मुख्य स्थान पर ही होता है।

विंग्स—पेशावर, रिसालपुर, और क्वेटा में एक २ "विंग" है जहां अनेक अफसर तथा सैनिक रहते हैं

स्क्वाड्रोन्स—'विंग' के भीतर स्क्वाड्रोन होते हैं जिन में हवाई जहाज़ अनेक रक्खे जाते हैं और जो भिन्न २ स्थानों में होते हैं। इन के आधीन वर्कशाप इत्यादि भी होते हैं। स्क्वाड्रोन की संख्या ६ है जिन में से ५ सरहदी प्रांत से क्वेटा तक हैं। और एक अम्बाला में है।

एयर क्रेफ्ट डिपो—यह एक प्रकार का सामग्री एकत्र करने का स्थान होता है।

एयर क्रेफ्टपार्क—इस स्थान में उपरोक्त डिपो से समान आता है और स्क्वाड्रोन में बांटा जाता है।

हवाई सेना में २१८ अफसर १,७५७ अंग्रेजी नन-कमीशन्ड अफसर और एयरमैन, तथा १३८ देशी आदमी हैं।

जल सेना।

भारत में अंग्रेजी जल सेना का आरंभ १६१२ में हुआ जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने व्यापार और फैक्टरियों की रक्षा पुर्तगाल व डच लोगों से करने के लिये फौजी जहाज़ रक्खे। प्रथमतः २ जहाज़ इंग्लैण्ड से भेजे गये जल सेना का नाम बदलता हुआ चला जाता है जो इस प्रकार है:—

नाम	समय
आनरेबल ईस्ट इन्डिया कम्पनीज मेरीन	१६१२-१६८६
बम्बई मेरीन	१६८६-१८३०
इंडियन नेवी	१८३०-१८६३
बम्बई मेरीन	१८६३-१८७७
हिज मेजेस्टीज इंडियन मेरीन	१८७७-१८९२
रायल इंडियन मेरीन	१८९२-हाल तक

भारतीय जल सेना का उपयोग इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य के बढ़ाने में खूब किया है और उस का सब खर्च भारत वर्ष पर पड़ा है। जर्मन युद्ध में भी जलसेना से इंगलैण्ड में बड़ा लाभ उठाया है।

बम्बई और कलकत्ता में डाकयार्ड थे। अब कलकत्ते का डाकयार्ड बंद कर दिया गया है।

फरवरी १९२६में वाइसराय ने कौंसिल आफ स्टेट में प्रगट किया कि इस रायल इंडियन मेरीन को रायल इंडियन नेवी बना दिया जावे। उसके पश्चात में एक कमेटी भी बनाई गयी जिसके सभापति लार्ड रालिन्सन हुये। इस कमेटी ने अनेक सिफारशें कीं जिनका सारांश निम्नलिखित है—

१-इस नेवी (बेड़े) के जहाज़ ऐसे हों जो समुद्र में बखूबी जा सकें और चढ़ सकें

(२) शांतिके जमाने में इस विभाग का यह काम हो कि (क) सैनिकों को सिखावे [ख] भारत सागर और

ईरान की खाड़ी में काम करें (ग) बन्दरगाहों का प्रबंध करें (घ) सरकार का समुद्री काम (मालढोने का काम) करें ।

(३) इस "नेवी" में ४ स्लूप, २ पेट्रोल कारू जहाज़, ४ ट्रालर्स, २ सर्वे करने वाले जहाज़, १ डिपो जहाज आरम्भ में हों।

(४) इन कामों के लिये ६३ लाख रुपया लगेगा और इसके अलावा करीब १८ लाख अन्य कार्यों में लगेगा

(५) इस समय सालाना खर्च रायल इंडियन मेरीन पर रु० ५१,६२,००० है। अब खर्च ६२,६०००० होगा ।

(६) देशी अफसरों को भी कमीशन दिये जावें ।

(७) देशी उम्मेदवार देहरादून कालेज द्वारा लिये जावें ।

भारतीय सेना पर खर्च

भारत वर्ष गरीब देश होते हुये भी अपनी सालाना आमदनी १३० करोड़ में से ६० करोड़ से ऊपर केवल सेना पर खर्च करता है। सैनिक खर्च दिन प्रति दिन किस प्रकार बढ़ता जाता है यह नीचे के दिये हुये कुछ आंकड़ों से स्पष्ट होगा—

१८८४-८५	१७,००,००,०००
१८९९-१९००	२६,४०,००,०००
१९०९-१०	२८,६०,००,०००
१९१४-१५	३०,६५,००,०००
१९१६-१७	३३,००,००,०००
१९२०-२१	८८,२३,२४,२५२
१९२१-२२	७१,५४,७१०००,
१९२२-२३	६७,७२,१४,०००
१९२३-२४	६१,०४,३१,७६०
१९२४-२५	५९,६६,५१,८७७
१९२५-२६	६०,१३,८९,०००
१९२६-२७	५९,१७,७९,०००

कुल सेना (१९२६) ।

	ब्रिटिश अफसर	ब्रिटिश सैनिक	देशी अफसर तथा सैनिक	अन्य	जोड़
योद्धा (कम्बटेन्टस)	४७१७	५९९६२	१५६१४४	२६७१४	२४७६१७
अन्य कर्मचारी	२०१२	२४३०	१००६८	१७९१३	३२४२३

भारतीय सैनिक खर्च का ब्योरा।

नोट—भारतीय सेना का खर्च इंगलैंड और भारत दोनों जगह होता है।

कोष्टक नं० १

भारत	१९२४-२५	१९२५-२६	१९२६-२७
	अंतिम हिसाब	पुनःअनुमानित	अनुमान
भारत में।			
क. स्थाई सेना	—	—	—
१-सेना का खर्च	२७४२१२०००	२७४५१२०००	२७२६८१०००
२-शिक्षा, अस्पताल, डिपो इत्यादि	८६७६८०००	८२४०३०००	८४८०७०००
३-सेना हेड क्वार्टर के कर्मचारी इ०	२१२१००००	२११०४०००	२१४७१०००
४-मालखाता	—३०८४१०००	—८२६७०००	—१६२५५०००
५-खास कर्मचारी	४३९७०००	५८९७०००	२५६९०००
६-फुटकर Miscellaneous	२०६१८०००	५८९८०००	९५०६०००
७-फुटकर Unadjusted expenditure	१५००००	—	—
जोड़	३७६२४४०००	३८१५४७०००	३७४७७३०००
८-अन्यखर्च	५१०७९०००	४७६८९०००	४८६९३०००
ख. आकज़ीलियरी तथा टेरिटोरियल	८७३८०००	१००२८०००	१०४३३०००
ग. हवाई सैना	१२३५५०००	१५३३००००	१३१५३०००
जोड़	४४८४१६०००	४५४५९४०००	४४७०५८०००

कोष्टक नं० २

भारतीय सैनिक खर्च	१९२४-२५	१९२५-२६	१९२६-२७
	हिसाब	पुनः अनुमानित	अनुमान
इंगलैंड में			
१—स्थायी सेना	—	—	—
स्थायी सेना पर खर्च	२४१९४०००	२५३८६०००	२६१४४०००
२-शिक्षा इत्यादि	२८८६०००	३३४९०००	३१६७०००
३-सेना हेड क्वार्टर	४४२०००	७९००००	७३००००
४-मालखाता	१७६४५०००	११३५८०००	१२५७३०००
५-विशेष कार्य	५२९५०००	१२३५००००	४९०००००
६-फुटकर	५२३६०००	६०२५०००	५१०५०००
७-अन्य	३६८५९०००	३१५६९०००	३५७८१०००
२-हवाई सेना	५६८३०००	६७६६०००	५६२६०००
जोड़	९८२४००००	६७५९३०००	९४०२६०००

इङ्गलैंड में जो खर्च भारतीय सेना संबंधी देना पड़ता है वह लन्दन में "वार मिनिस्ट्री" तथा "एयर मिनिस्ट्री" को [१] ब्रिटिश सेना जो भारत में काम करती है [२] इस सेना का सफर खर्च जो भारत में जाने में लगता है [३] भारत में यह सेना जो सामान ले जाती है। [४]इङ्गलैंडमें भारतीय सेना संबंधी शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है [५] अफसरों की छुट्टी का वेतन [६] अन्य सामान जो इङ्गलैंड में भारत के लिये खरीदा जाता है। इङ्गलैंड में जो खर्च होता है उसमें से ४,९०,००० सेना के फाल्तू अफसरों के वेतन देने में जाता है।

सैनिक खर्च का स्पष्टीकरण

आमदनी

१,३८,०३,९२,२४४ रुपया

सैनिक खर्च

५९,१७,७९,००० रुपया

जर्मन युद्ध में भारत ने क्या किया ?

जर्मन युद्ध में भारत ने इंग्लैंड को जो सहायता दी उसका संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है:—

१९१४ में भारतीय योद्धा	१,९४,०००
युद्ध के समय में नयी भरती	७,९१०००
जोड़	९,८५,०००
विदेशों में जो गये	५,५२०००

१९१४ में योद्धाओं के अतिरिक्त भारतीय सैनिक	४५,०००
युद्ध के समय में नयी भरती	४,२७,०००
विदेशों में जो गये	३,९१,०००
युद्ध में जो भारती काम आये	१०,६,५९४
युद्ध में जो पशु भारत से भेजे गये	१,७५,०००

पुलिस विभाग ।

देश की रक्षा के नाते पुलिस विभाग जितना आवश्यक और महत्व पूर्ण है उतना ही भारत वासी की वैयक्तिक दृष्टि से भयानक और आपत्ति जनक है । पुलिस विभाग के कार्य का दृष्टि कोण अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि साधारण मनुष्य आपत्ति के समय पुलिस चौकी में स्वइच्छा से जावे । पुलिस के भय से अनेकों मनुष्य बड़ी २ घटनाओं को छिपा देते हैं क्यों कि अनेक वार सहायता मिलना तो दूर रहा रिपोर्ट करने के वाद पुलिस कर्मचारियों के अत्याचारों का पहाड़ सामने खड़ा हो जाता है । वह दिवस अभी निकट नहीं दिखाई देता जब कि अन्य देशों की भांति भारत की पुलिस भी रक्षक का स्वरुप धारण कर अपने प्रति विश्वास व श्रद्धा उत्पन्न करेगी ।

सन् १९२३-२४ में २,०३,००० मनुष्य पुलिस विभाग में और उन पर खच लगभग रु० ९०,७८,००० हुआ उपरोक्त सख्या के अतिरिक्त भारतवर्ष और ब्रह्म देश में ३०,००० फौजी आदमी पुलिस का काम करते हैं ।

चौकी—कुछ ग्रामों के लिये एक पुलिस चौकी हुआ करती है जिस में एक हेड कान्सटेबिल और ४ या ५ कोन्सटेबिल रहते हैं इनका काम सड़कों पर और गावों में गस्त करना होता है और यदि कोई घटना उनके हल्के में हो जावे तो थाने में रिपोर्ट करना उनका काम होता है ।

थाना—थाने के अन्तर्गत कई एक चौकियां होती हैं जो थाने दार का हल्का कहलाता है प्रत्येक थानेमें एक सबइन्सपेक्टर पुलिस होता है जो उस हल्के के भीतर हर प्रकार की घटनाओं Cognizable की जांच का जुम्मेवार होता है । Cognizable घटना उसे कहते हैं जिस में अपराधी को विना वारन्ट पुलिस पकड़ सकती है और जिस अपराध के लिये ६ मास से अधिक दण्ड दिया जावे ।

देहातों में पुलिस सब इन्सपेक्टर सब से बड़ा अधिकारी समझा जाता है और वास्तव में उसके अधिकार बहुत ही विस्तृत है और जनता का उसी से विशेष कर काम पड़ता है ।

हल्का—४ या ५ थानों पर एक हल्का इन्सपेक्टर होता है जिस का काम विशेषतः निरीक्षण का होता है कभी २ आवश्यकतानुसार स्वयं भी वारदातों की जांच करता है प्रत्येक जिले में ४ या ५ हल्के होते हैं और कहीं २ पर १ जिले में २ सब डिवीजन होते हैं जिनके ऊपर प्रत्येक में १ असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस रहता है ज्यादातर हर जिले में एक जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हो सब हल्कों का काम स्वयं

देखता है सार्वजनिक शांति और जुर्मों की जांच के लिये जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जिला मजिस्ट्रेट को उत्तर दायी रहता है और पुलिस के इन्तजाम के के लिये डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल और इन्सपेक्टर जेनरल को उत्तर दायी रहता है ८ या १० जिले के ऊपर १ डिप्टी जेनरल इन्स्पेक्टर होता है उसके हल्के को रेन्ज कहते हैं

प्रान्त भर की पुलिस का सब से बड़ा अधिकारी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस होता है जो प्रान्तीय सरकार के मातहत रहता है ।

असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और उसके ऊपर के अधिकारी प्रायः अंग्रेज होते हैं।

कलकत्ता बम्बई और मद्रास में पुलिस प्रान्तीय पुलिस से अलहदा होती है। हर एक शहर के कई बिभाग होते हैं कलकत्ते में ऐसे विभाग के अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और बम्बई या मद्रास में सुपरिन्टेन्डेन्ट कहते हैं। इन विभागों में कई एक थाने होते हैं जो एक इन्सपेक्टर के चार्ज में होता है। उसके नीचे अनेक डिप्टी इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर और यूरोपियन सरजन्ट होते हैं।

दिल्ली की केन्द्रस्थ सरकार प्रान्तीय पुलिस पर देख रेख डाईरेक्टर ऑफ क्रिमीनल इन्टेलीजेन्स के द्वारा रखती है सी. आई. डी. अथवा C. I. D. (खुफिया पुलिस) अथवा क्रिमीनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट साधारण पुलिस मुहकमें से अलग है यद्यपि उसमें के पदाधिकारी सर्व साधारण पुलिस में से लिये जाते हैं इस विभाग का काम प्रायः राजनैतिक जुर्मों की जांच राज विद्रोह तथा एसे जुर्मों की जांच है जो कई जिलों से सम्बन्ध रखती हो। इसका मुख्य पदाधिकारी डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल के बराबरी का होता है ।

नियुक्ति—कोन्स्टेबिल की नियुक्ति साधारण मनुष्यों में से होती है। कुछ जात के लोग नहीं लिये जाते हैं और किसी २ प्रान्त में कुछ संख्या कोन्सटेबिलों की बाहर के प्रान्तों से निश्चित रूप से ली जाती है।

उम्मेद वार कोन्सटेबिलों को नेक-चलनी और तन्दुरुस्ती का सार्टीफिकट पेश करना पड़ता है सन् १९०६ के पहले कोन्सटेबिल को सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर तक की जगह मिल सकती थी किन्तु अब वे केवल हेड कोन्सटेबिल हो सकते हैं। लार्ड कर्जन के कमीशन ने सन् १९०६ में यह नियम कर दिया कि सब इन्सपेक्टर की जगह के लिये उच्च जाति के लोग चुन कर लिये जाया करें। ऐसे चुने हुये सब इन्सपेक्टर एक साल या १८ महीने तक ट्रेनिंग स्कूलों में सिखाये जाते हैं और जिसके बाद थानों में नियुक्त किये जाते हैं। सबइन्सपेक्टरों में से इन्सपेक्टर चुनकर बनाया जाता है। सन् १९०६ से डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट की जगह

हिन्दुस्तानियों के लिये नई बनाई गई है। कुछ इन्स्पेक्टरों में से चुने जाते हैं और कुछ शिक्षित वर्ग में से सीधे ले लिये जाते हैं ऐसे लोगों को सेन्ट्रल पुलिस स्कूल में काम सिखाया जाता है सन् १८९३ के पहिले पुलिस के गजीटेड अधिकारी फौज में से लिये जाते थे या अन्य रीति से नियत कर लिये जाते थे किन्तु सन् १८९३ ई० से यह रीति बद की गई और असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट अधिकारी वर्ग लन्दन में परीक्षा द्वारा नियत किये जाने लगा। भारत में आकर इस वर्ग को देशी भाषा में व्हिक कानून का इम्तिहान देना पडता है।

पुलिस के दो भाग होते हैं सशस्त्र और साधारण।

सशस्त्र पुलिस का काम खजानों की रक्षा, कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, डाकुओं के झुन्ड का मुकाबला करना, बाहरी सड़कों पर पहरा देना, इत्यादि है।

साधारण पुलिस का काम फौजदारी सम्मन और वारन्ट तामील करना, जुर्माना उगाना, सड़कों पर आमदरफ्त का प्रवन्ध वारदातों की जाँच इत्यादि

हर पुलिस पदाधिकारी को ३० साल काम करना पडता है उसके बाद पेनशन मिलती है।

जुर्म और मुजरिमों की तादाद के नकशे।

सन्	जुर्मों के रिपोर्टों की संख्या	आरोगियों की संख्या	मुकदमें जो फैसल हुये				मनुष्यों की संख्या जिनके मुकदमें फैसल नहीं हुये
			रिहा हुये या बरी हुये	सजा	सेसन सुपुर्द इत्यादि	मरे या भाग गये इत्यादि	
१९१५	१६०३०७५	२०८५६२२	९८२५८९	९९७२१०	२५९८५	४७६९	७५८५१
१९१९	१७२०३४७	२१३४५८२	९७३६४५	१०२४४४७	३३१८५	५६३२	९७६६४
१९२४	१७९१४३४	२२९८२५३	१०७४९५५	१०६६७८१	२८९३०	५६२५	१२१९४४

सार्वजनिक जुर्मों की संख्या।

सन	सरकार के विरुद्ध जुर्म		कतल		डकैती	
	रिपोर्ट	सजायावी	रिपोर्ट	सजा		
१९१५	११७५०	४७७७	४७७२	१४०३	४४०८	८७७
१९१९	११५१८	४५७०	५६४४	१४५७	५८२४	१२३४
१९२४	१४७४४	४९१३	५८०३	१५३६	३५४६	७३३

सर्वे (माप विभाग)

वनस्पति विभाग
(Botanical Survey)

भारत सरकार के बोटेनिकेल सर्वे विभाग में एक डाइरेक्टर और उसके नीचे २ सहायक डाइरेक्टरों के संचालन में हैं। ब्रह्मदेश में सिनकोना* की खेती भी इसी विभाग के हाथ में है। इस विभाग का कार्य विभिन्न उपयोगी फूल पत्तियों की जांच और उनका नाम करण है। सन् १९१६ में भारत सरकार ने सिनकोना की खेती बढ़ाने का निश्चय किया और कर्नल ए. टी. गेट, भूतपूर्व डाइरेक्टर बोटेनिकल सर्वे आफ इंडिया को जांच के लिये नियत किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सन् १९२० से कार्य आरंभ हुआ। इस कार्य क्रम के अनुसार ५०० एकड़ सालाना काम में लाये जाने का प्रबंध हुआ जिस से सन् १९२८ से ९०,००० पौंड सिनकोना पैदा होने लगेगा लेकिन सन् १९२१-२२ में बहुत बारिश होने से खेती वह गई। इस कारण रिट्रेंचमेंट कमेटी के प्रस्तावानुसार खेती का क्षेत्रफल केवल २५० एकड़ कर दिया गया है।

भारत में १,६०,००० पौंड सिनकोना की सालाना खपत है और बंगाल और मद्रास में खेती बढ़ाई जा रही है जिस से सन् १९३० ई० में आशा है कि कुल पैदावार १२०,००० पौंड हो जावेगी। ८० लाख मनुष्य एक साल में बुखार के लिये कुनेन अस्पतालों से पाते हैं। मलेरिया से बीमार १०,०,०००,००० (दस करोड़) मनुष्य अस्पतालों में नहीं जाते हैं। इस कारण भारत में १५,००,००० पौंड सिनकोना की और आवश्यकता है। सन् १९०३ में इटेलियन सर्कार ने कुनेन के दाम कम कर दिये जिस से मलेरिया से मौतें १५,००० से २००० सालाना हो गईं।

डायरेक्टर—सी. सी. केल्डर बी. एससी., एफ. जी. एस., क्यूरेटर इंडियन म्युजियम (देशी विभाग) डा० एस.एन. बाल पी. एच. डी., सुपरिंटेन्डेन्ट (सिनकोना खेती ब्रह्म देश) पी. टी. रसल।

जिओलोजिकल सर्वे—
अर्थात भूगर्भ सर्वे

इस विभाग का काम यह है कि भूगर्भ सम्पत्ति के नकशे तैयार करे जिनका उपयोग खदानों के व्यवसाय करने वालों को होता है। अनेक प्रकार के पशुओं के ढांचे भी खोदने के समय पाये जाते हैं जो कलकत्ते के अजायब घर में रख दिये गये हैं। इन अस्थि

* नोट—Cinchona (सिनकोना) से कुनैन (Quinine) तैयार की जाती है।

पिन्जरों से इतिहासिक रीति से काल निर्णय में सुभीता होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पत्थर, और अन्य खानिज द्रव्यों का भी संग्रह किया गया है। जो गैर सरकारी लोग भी खनिज द्रव्य जांच के लिये भेजते हैं उनकी जांच बिला फीस यह विभाग कर देता है।

डायरेक्टर—ई. एच. पेस्को, एम. ए., एस. सी. डी., डी. एस. सी., एफ. जी. एस., एफ. ए.एस. बी.

सुपरडेन्ट—एल. एल. फर्मर, जी. ई. पिलग्रिम, जी. एच. टिपर, जी. डि. पी. कोटर, जे. सी. ब्राउन, एच. सी. जोन्स।

कीमिस्ट—डबल्यू. ए. के. क्रिस्टी

प्राणियों का ज्ञान।
Zoological Survey

जूलाई सन् १९१६ में इंडियन म्युजियम कलकत्ता के जुओलाजिकल एन्ड एन्थ्रापालोजिकल विभाग को विभाजित कर दिया गया। जुओलाजिकल विभाग को सरकारी प्रबंध में लाया जाकर उसे जुओलाजिकल सर्वे में परिवर्तन कर दिया गया और शेष विभाग इन्डियन म्युजियम में जैसे का तैसा बना रहा। वैज्ञानिक रीति से नमूनों की जांच करना इस सर्वे का मुख्य कार्य है।

इस सर्वे के डायरेक्टर अप्रेल सन् १९२४ तक डा० अनन्डेल रहे और उनकी मृत्यु पर डा० वेनी प्रसाद स्थानापन्न अध्यक्ष हुये और जुलाई सन् १९२५ में मेजर आर. बी. सीवेल नियुक्त हुये।

मेमल सर्वे (Mammal Survey) अर्थात स्तन्य प्राणियों का ज्ञान।

यह सर्वे सन् १९१२ में इस उद्देश्य से स्थापित की गई कि भारत वर्ष ब्रह्मदेश व लंका के स्तन्य प्राणियों (दुधार पशुओं) की जांच व संग्रह पर्याप्त रूप से की जा सके। इस विभाग के लिये कुछ उपयुक्त संग्रह बम्बई के 'नैचुरल हिस्टरी सुसाइटी' के अजायबघर और अन्य भारतीय अजायब घरों में मौजूद थे। सन् १८७४ में डा० जर्डन ने एक पुस्तक "मेमलस आफ इंडिया" नामक प्रकाशित की थी उस के पश्चात सन् १८८४ में आर. ए. स्टर्नडेल ने अपनी एक पुस्तक "नैचुरल हिस्टरी आफ इंडियन मेमलस" प्रकाशित की लेकिन उस में डा० जार्डन की पुस्तक से कुछ अधिक न था। सन् १८८१ में डा० स्केटर (आनरेरी सेक्टरी जुओलाजिकल सोसाइटी) ने एक प्रार्थना पत्र भारत मन्त्री को पेश किया। जिस पर अनेक विद्वानों के हस्ताक्षर थे जैसे डार्विन हुकर, हक्सले इत्यादि इस का फल स्वरुप वह पुस्तक हैं जो सन् १८८८-९० तक "फाना आफ ब्रिटिश इंडिया" के नाम से प्रकाशित हुई और सामग्री के नाते अभी तक यही पुस्तक-

सब से उत्तम है। इस के सम्पादक डा० ब्लैन्फर्ड थे जिन्हें डा० स्लेटर आदि विद्वानों ने अपने आवेदन पत्र में मनोनीत किया था।

इस पुस्तक का ज्ञान भंडार पुराना होने से और अनेक नई वैज्ञानिक खोजों के कारण यह आवश्यक पाया गया कि सेमल सर्वे की आयोजना की जावे। सन् १९११ से १९२० तक करीब १ लाख रुपया चंदे से एकत्र किया गया और सिंध, गुजरात, काठियावाड, कनाडी देश, दक्षिणी महाराष्ट्र, कुर्ग, मैसूर, मध्यप्रदेश, बंगाल, बिहार, कुमायूं, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान, ब्रह्मदेश आदि प्रदेशों में कार्य की प्राप्ति हुई।

महायुद्ध के प्रारंभ में १७,००० नमूने विलायत के आजायब खाने को रवाना कर दिये गये। वहां उन का वर्गीकरण किया गया। युद्ध के पश्चात फिर कार्य आरंभ किया गया है और प्रगति संतोष जनक है।

सर्वे आफ इन्डिया
(Survey of India)

सर्वे आफ इन्डिया के कार्य के अनेक विभाग हैं (१) ट्रिग्नामेट्रिकल (२) टोपोग्राफिकल (३) फोरेस्ट (४) विशेष सर्वे (५) खेतों का सर्वे (माप) प्रांतीय लैंड रेकार्ड के आधीन है।

सन् १९०४ में टोपोग्राफिकल सर्वे के नकशों की स्थिति संतोष जनक न पाई जाने के कारण एक कमेटी नियत की गई जिसने २,१०,००० रुपया का जायद खर्च २५ साल तक करने के लिये सिफारिश की लेकिन खर्च में कमी करने के कारण भारत सरकार ने यह निश्चित किया कि स्वाधारणतः १ इंच फी वर्ग मील का नकशा उपयुक्त होगा विशेष स्थान और (रिजर्वड) जंगल के लिये नकशा २ इंच फी वर्ग मील के प्रमाण पर और गैर मुमकिन व परती जमीन का नकशा एक बटे दो इंच फी वर्ग मील के प्रमाण पर बनाया जावे।

सर्वेयर जनरल आफ इंडिया— कर्नल-कमांडेन्ट ई. ए. टेन्डी आर. ई.।

आई० सी० एस०

भारत के शासन में आई सी. एस. इंडियन सिविल सर्विस का बड़ा महत्त्व है। साधारण परगना अफसर से लेकर गवरनर तक आइ. सी. एस. होता है। गवरनर जनरल के इक्जीक्यूटिव कौंसिल के ३ सदस्य आइ. सी. एस. होते हैं और सेक्रटरी आफ स्टेट की इंडिया कौंसिल में भी आइ. सी. एस. के पेंशन प्राप्त कर्मचारी रक्खे जाते हैं।

इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इङ्गलैंड में हुआ करती है इस कारण भारतीयों की बहुत हानि होती है। सन् १८३३ में जब इस्ट इंडिया कम्पनी का चार्टर बदला गया उस समय यह घोषणा की गई थी कि भारतीयों को ऊंची से ऊंची नौकरी मिलने में कोई रुकावट न होगी किन्तु १९१३ तक आई. सी. एस. में भारतीय ५ प्रतिशत से अधिक न होसके।

भारतीयों को भारत से इंग्लैंड में जाकर आइ. सी. एस की परीक्षा पास करना कितना कठिन है यह बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के बाद ही से इस बात का आन्दोलन करना आरंभ कर दिया था कि भारत और इग्लैंड दोनों जगह परीक्षायें हुआ करें परन्तु यह बात नहीं सुनी गई।

मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड सुधार में आइ० सी० एस० में भारतीयों की संख्या की मात्रा ३३ प्रतिशत रक्खी गई और यह नियम बनाया गया कि प्रति वर्ष १२ भारतीय लिये जावें और ४८ तक हो जावें। "ली कमीशन" ने यह सिफारिश की कि आइ० सी० एस. की नौकरियों में से २० प्रतिशत प्रांतीय कर्मचारियों को तरक्की देने के लिये सुरक्षित कर दी जावें और ८० प्रतिशत में से ४० प्रतिशत अंग्रेजों को और ४० प्रतिशत भारतीयों को दी जावें। यह बात १९३९ तक जारी रहेगी जब तक भारतीय आइ. सी. एस. कर्मचारियों की संख्या अंग्रेज आइ. सी. एस. के बराबर हो जावेगी।

आइ. सी. एस. की तनख्वाह पर ऐसेम्बली को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। पार्लमेंट ने ऐसा ऐक्ट भी पास कर दिया है। सन् १९१९ के ऐक्ट ने भी उन कर्मचारियों की तनख्वाह, नन-वोटेबल' कर दी है जिन्हें सेक्रटरी आफ स्टेट नियत करे या जो सम्राट की अनुमति से नियत हों या जो चीफ कमिश्नर और जुडिशियल कमिश्नर हों।

भारतीय नौकरियों के ३ विभाग हैं-(१) आइ. सी. एस. (२) प्रान्तीय सर्विस (३) सबार्डिनेट (मातहत) सर्विस। आइ.सी.एस. को प्रान्तीय सरकार भी नहीं हटा सकती। उसका तबादला हो सकता है और अन्य प्रकार की सजायें उसे मिल सकती हैं लेकिन वह सेक्रटरी आफ स्टेट को अपील कर सकता है।

निम्न लिखित कोष्टक में यह प्रकट होगा कि अखिल भारतीय नौकरियों में भारतीय कितने हैं और अंग्रेजी कर्मचारियों से उनका क्या औसत पड़ता है।

नौकरी	हिन्दुस्तानी नौकरों की संख्या								सन १९२७ में हिन्दुस्तानी और यूरोपियन अफसरों का औसत	
	१९२०	१९२१	१९२२	१९२३	१९२४	१९२५	१९२६	१९२७	भारती	यूरोपियन
इंडियन सिविल सर्विस	१५७	१७२	२०८	२२१	२५३	२६७	२८६	३११	२५	७५
,, पुलिस ,,	१९	३५	४९	६२	७९	९३	९५	१०५	१५	८५
,, फोरेस्ट ,, (जंगल)	४	२८	४२	५१	७३	८४	८९	९४	२६	७४
,, सर्विस आफ इंजीनियर्स	२९१	२८९	२९१	३०१	३०८	३०१	३०१	३०४	४५.६	५४.४
,, मैडीकल सर्विस (वैद्यक)	७९	१२७	१४०	१५५	१५०	१५१	१६१	१६३	२५	७५
,, एजूकेशनल (शिक्षा) पुरुष	३९	४६	१२१	१२९	१२६	१२०	११९	११५	४४	५६
,, एजूकेशनल (शिक्षा) स्त्री	...	१	५	६	९	९	६	७	२६	७४
,, एग्रीकलचरल सर्विस (खेती)	१५	१७	३३	४०	३६	३६	३६	३६	३५.३	६४.७
,, वैटरीनरी ,, (पशु वैद्यक)	१	१	१	२	२	२	२	२	६.७	९३.३

भारत की सम्पत्ति ।

भारत सरकार के आय व्यय का ब्योरा देने के पहिले हम नीचे जगत के अनेक देशों के धन का अनुमान देते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि आय व्यय संबंधी सरकार की वर्तमान नीति कहां तक भारत के लिये हानिकारक है और यदि भारतीय सरकार राष्ट्रीय होवे तो आय व्यय के ब्योरे में कितना अन्तर पड़ जावेगा ।

जापान सरकार के संख्या शास्त्र (Statistics) के विभाग के प्रमुख आफिसर श्रीयुत शिमोजो ने अनेक राष्ट्रों की सम्पत्ति का अनुमान शास्त्रीय रीति से किया और निम्न लिखित राष्ट्रों के आंकड़े उन्हीं की गवेषणा के आधार पर दिये जाते हैं । उनके आंकडे जापानी सिक्का येन के स्वरूप में हैं । १०० येन का मूल्य रुपयों में १२५ होता है ।

येन = सवा रुपया ।

देश	सम्पत्ति	वार्षिक आय प्रति मनुष्य
इंग्लैंड	४३८३१ लाख येन	९७७ येन
अमेरिका	१४२५१८ " "	१२७२ "
जर्मनी	२४९२७ " "	३९८ "
फ्रांस	२१९०७ " "	५४९ "
जापान	१२८८५ " "	२१८ "
इटली	१०३५२ " "	२६० "
आस्ट्रेलिया	४५२४ " "	७७१ "
भारत (हमारे आंकड़े)	७६५१२० " "	३४ "

इस में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत की जन संख्या ३.१८ करोड़ है । सम्पत्ति प्रति मनुष्य अनेक देशों में इस प्रकार है ।

देश	सम्पत्ति प्रति मनुष्य
भारत	३०० रुपया
अमेरिका (यू. एस)	५८९६ "
फ्रान्स	३७५० "
इंगलैंड स्काटलैंड	५७०० "
जर्मनी	३७०० "
रूस	१२८८ "
जापान	७५० "

भारतवासी की आमदनी प्रति मनुष्य बहुत कम है। एक महीने में २॥) से अधिक नहीं पड़ती क्योंकि अनेक बार जांच हुई परन्तु आमदनी बहुत कम है यही सिद्ध हुआ।

सन्	अनुमान कर्ता	वार्षिक आमदनी	
१८७१	दादाभाई नौरोजी	रु०	२०
१८८२	बेयरिंग बारवर	”	२७
१८९१	सर डेविड हारबर	”	२७
१९००	विलियम डिगबी	”	१७
१९११	फिंडले शिरास	”	५०
१९१४	बी. एन. शर्मा	”	८६
१९२१	प्रो० शाहा	”	४६

वार्षिक कर।

उपरोक्त हिसाब से वर्तमान आमदनी प्रति मनुष्य प्रति दिन अधिक से अधिक =)॥ सवादो आने होती है। पंचमांश आबादी को पेट भर अन्न नहीं मिलता है और ४ करोड़ केवल एक ही समय भोजन करते हैं।

ऐसे गरीब देश के गरीब निवासी पर वार्षिक कर प्रति मनुष्य इस प्रकार बढ़ता जाता है:—

सन्	रु० आ. पा.
१८७१	१—१३—०
१८९१	२—०—३
१९११	२—११—३
१९१३	२—१४—५
१९२२	६—१—८

सरकारी आय व्यय।

भारत सरकार की (प्रान्तीय सरकारों सहित) वार्षिक आय लगभग २ अरब है और केवल भारत सरकार की १.३८ अरब हैं और खर्च भी उसी कदर है

भारत सरकार के जमा खर्च रखने की पद्धति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। पहिले पूरे भारतवर्ष के लिये एक अनुमान पत्र बनता था। कुल आमदनी केन्द्रीय सरकार ले लिया करती थी और फिर प्रान्तों को बांटा करती थी। इस कारण प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में अनेक मत भेद रहा करते थे। भारत सरकार को जब अधिक रुपये की जरूरत होती तो वह प्रान्तीय सरकार के खर्चों में हस्तक्षेप कर देती थी। कभी २ प्रान्तों से एक निश्चित भाग आमदनी दिये जाने का वादा कर दिया जाता है और कभी २ किसी विशेष आमदनी को भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों से नहीं लेती थी।

भारत सरकार की आय व्यय का क्रम

सन	आय	व्यय
१९०८-०९	पौं० ६६८००००	पौंड ७३,५००००
१९०९-१०	,, ७४,६०००००	,, ७४०००,०००
१९१०-११	,, ८०,३०००००	,, ७६९००,०००
१९११-१२	,, ८२,८३५७५०	,, ७८८९५,४१६
१९१२-१३	,, ८६,९८५३००	,, ८३६२३,४००
१९१३-१४	,, ८४,२६२०००	,, ८३६७५,०००
१९१४-१५	रु० ७६१५३५०००	रु० ७८८३१४०००
१९१५-१६	,, ८०००९६०००	,, ८१७९२६०००
१९१६-१७	,, ९८५३१००००	,, ८७३१३७०००
१९१७-१८	,, ११८७०५८०००	,, १०६५७५२०००
१९१८-१९	,, १३०४०६६०००	,, १३३१३७२०००
१९१९-२०	,, १३७१३९८०००	,, १६०७९२७०००
१९२०-२१	,, १३५६३३२०००	,, १६१६४१७०००
१९२१-२२	,, ११५२१५००००	,, १४२८६५२०००
१९२२-२३	,, १२१४१२९०००	,, १३६४३०५०००
१९२३-२४	,, १३३१६३३०००	,, १३०७७६३०००
१९२४-२५	,, १३८०३९२०००	,, १३२३५६६०००

सन् १९१९ के ऐक्ट ने प्रान्तीय और केन्द्रीय विषयों को निश्चित कर दिया है जिससे खर्चों की मदें भी निश्चित हो गई हैं। इसी प्रकार आमदनी के विशिष्ट स्रोत केन्द्रीय सरकार ने अपने लिये सुरक्षित कर लिये हैं जैसे कस्टम्स, इनकमटैक्स, पोस्ट, तार, रेलवे, निमक इत्यादि और अन्य स्रोत प्रान्तों को दे दिये हैं जैसे जंगल, मालगुजारी, स्टाम्प, आबकारी इत्यादि।

प्रान्तीय सरकारों को निम्नलिखित कार्यों के लिये कर्ज लेने के लिये भारत सरकार की अनुमति से अधिकार है:—

(१) लागत जो:(क) आबपाशी (ख) बिजली (ग) घर बनाने की आयोजना। (घ) नालियां इत्यादि (ङ) जगलों की उन्नति (च) और कोई कार्य जो इसी प्रकार का हो।

(२) दुर्भिक्षके समय कोई कार्य करना।

(३) प्रान्तीय कर्ज का इन्तजाम।

(४) गवर्नर-जनरल-इन कौंसिल के दिये हुये रुपये की वापसी अथवा कर्जों को एकत्र करना और अन्य प्रबंध।

प्रान्तीय सरकारें निम्नलिखित कर बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के लगा सकती हैं:—

शिड्यूल १

१—जमीन कर (खेती को छोड़ कर)
२—विरासत पर टैक्स
३—विज्ञापनों पर टैक्स
४—शौकीनी चीजों पर टैक्स
५—तमाशों पर टैक्स
६—रजिस्ट्री फीस
७—स्टाम्प (जो अखिल भारतीय न हों)

शिड्यूल २

१—टौल
२—जमीन (खेती छोड़कर) की कीमत पर
३—मकानात पर टैक्स
४—गाड़ियों और नावों पर टैक्स
५—जानवरों पर टैक्स
६—नौकरों पर टैक्स
७—चुंगी
८—टर्मिनल टैक्स
९—पेशों पर टैक्स
१०—निजू बाजारों पर टैक्स
११—पानी रोशनी, सफाई वगैरः

इन टैक्सों के अलावा भी टैक्स प्रान्तीय सरकारें द्वारा लगाये जा सकते हैं किंतु भारत सरकार की अनुमति लेना चाहिये।

सन् १९१९ के ऐक्ट के बाद अब कोई रुपये की बाँट भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों में नहीं होती। जो कुछ प्रान्तीय सरकारें किसी मद से वसूल करती हैं वे सब अपने लिये रख लेती हैं।※

※नोट—सन् १९२७ से यह रकम जो प्रान्तों द्वारा भारत सरकार को देना पड़ती थी, नहीं दी जाती है बन्द करदी गई।

सन् १९१८-१९ में भारत सर्कार के बजट में ६ करोड़ का घाटा हुआ। सन् १९१९-२० में घटी २४ करोड की दिखाई पड़ी। मुख्य कारण अफगानिस्तान से युद्ध का खर्च था। १९२०-२१ में यह घटी २६ करोड हो गई और सन् १९२१-२२ के बजट में ३४ करोड़ की घटी मालूम हुई। इस प्रकार सरकारी जमा खर्च के ४ साल में ९० करोड़ की घटी प्रगट हुई। भारत सरकार की नीति खर्च को कम करने की कभी नहीं रही। इतनी घटी होने पर भी सरकारी फौजों पर खर्च कम नहीं किया गया और न सरकारी शासन विभाग का खर्च भी कम किया गया।

सन् १९२२-२३ में सरकार ने इस घटी को पूरा करने के लिये नये टैक्स बनाने की आयोजना की जिससे उसे आशा थी कि २९ करोड़ की आमदनी होगी। लेकिन इस २९ करोड़ के मिलने पर २$\frac{3}{4}$ करोड की घटी फिर भी रहती थी। देश में बडा असंतोष हुआ और लेजिस-लेटिव एसेम्बली ने खर्च में कमी करने के लिये एक कमेटी नियत की जिसके अध्यक्ष लार्ड इन्चकेप थे और उन्हीं के नाम से यह कमेटी मशहूर है।

भारत सरकार को हिसाब में घटी पड़ने के कारण प्रान्तों से उसे रुपया लेना आवश्यक पड़ा। लार्ड मेस्टन इस बात के लिये नियत किये गये कि भिन्न २ प्रान्तीय सरकारों को कितना २ रुपया देना चाहिये यह तै कर दें। उन्हों ने ऐसी रकमें प्रत्येक प्रान्त के लिये निश्चित करदीं। उसे "मेस्टन एवार्ड" कहते हैं। सन् १९२२-२३ से प्रान्तीय सरकारें कुल मिला कर ९ करोड ८३ लाख देते हैं। निम्न लिखित औसत प्रतिशत प्रान्तों को भिन्न २ वर्षों में देना पडा।

प्रांत	१९२२-२३	१९२३-२४	१९२४-२५	१९२५-२६	१९२६-२७	१९२७-२८
मद्रास	३२.५०	२९.५०	२६.५०	२३.००	२०.००	१७.००
बम्बई	७.००	८.५०	९.५०	१०.५०	१२.००	१३.००
बंगाल	८.५०	१०.५०	१२.५०	१५.००	१७.००	१९.००
यू. पी.	२३.५०	२२.५०	२१.००	२०.००	१९.००	१८.००
पंजाब	१६.५०	१५.००	१३.५०	१२.००	१०.५०	९.५०
बर्मा	६.५०	६ ००	६.५०	६.५०	६.५०	६.५०
बिहारउड़ीसा	१.५०	३.००	५.००	७.००	८.५०	१०.००
मध्यप्रदेशबरार	२.५०	३.००	३.५०	४.००	४.५०	५.००
आसाम	१.५०	२.००	२.००	२.००	२.००	२.५०

आय व्यय का व्योरा ।

वास्तविक आय व्यय (रुपयों में)

(१९२६–२७)

	करोड़		करोड़
आय	१३१.७०	व्यय	१२८.७४

बचत २.९६ करोड़

अनुमान (१९२७-२८)

	करोड़		करोड़
आय	१२८.९६	व्यय	१२५-२६

बचत ३.७० करोड

पुनः अनुमान (१९२७-२८)

	करोड		करोड
आय	१,२७.७४	व्यय	१२७.७४

अनुमान (१९२८--१९२९)

	करोड़		करोड़
आय	१३२.२३	व्यय	१२९,६०

बचत २,६३ करोड़

अनुमान (१९२९-३०)

आय	१३४.०६	व्यय	१३४.०६

नोट—सर जार्ज शसटर, फाईनैन्स मेम्बर ने कहा कि ९० लाख की घटी पड़ती है किन्तु वह घटी रेविन्यू रिजर्व फंड में से पूरी कर दी जावेगी किन्तु कोई नया टैक्स न लगाया जावेगा । सेना पर ५५ करोड़ खर्च होगा ।

आय व्यय का साधारण ब्योरा।

	हिसाब १९२४–२५	पुनःअनुमान १९२५–२६	वजट अनुमान १९२६–२७
आय	रु०	रु०	रु०
मुख्य आय की महें—	—	—	—
आयात निर्यात कर	४५७५३१५१६	४६८४५७०००	४६४००००००
आय पर कर	१६०१४८२५३	१६२४६९०००	१६१४६७०००
नमक	७३९०४८६०	६४००००००	६९००००००
अफीम	३७९७६१७७	४३९०००००	३८००००००
अन्य महें	२०६९३१५०	२१९०५०००	२२५४३०००
मुख्य महोंकायोग	७५०२५३९५६	७६०७३१०००	७५५०१००००
रेल	३७२२९४६९७	३३७६९१०००	३५४४३३०००
आवपाशी	१०९१९२५	११०००००	८२१७००
डाक और तार	१११२५०८७	६८३८०००	४५५२०००
ब्याज	३४१००२६५	४६३१९०००	३४७११०००
सिविल शासन	७३९७५३३	८३१००००	७७८६०००
मुद्रा तथा टकसाल	३९९३२८९४	४६१५५०००	४२९६८०००
सिविल कार्य	१३२१२६३	११६२०००	९६८०००
मिश्रित	४५८९६८१	४२५७०००	३९२७०००
सैनिक आय	४०३११६५९	३८५८९०००	४२९७९०००
केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय में प्रस्पर लेनी	९२५२०९३८	६२४२६०००	५४५१२०००
अन्य महें	२५४५२३५६	५९४७०००	१६०००००
आय का योग	१३८०३९२२४४	१३१३५२५०००	१३०४२९७०००

आय व्यय का साधारण ब्योरा।

	हिसाब १९२४-२५	पुनःअनुमान १९२५-२६	वजट अनुमान १९२६-२७
व्यय	रू०	रू०	रू०
मालगुजारी पर खर्च	५३७०२२९१	५५३८५०००	५००१४०००
नमक तथा अन्य मालगुजारी पर खर्च	१७३१७४४	१०४४०००	१०२००००
रेल	३०४४५३०१५	२८४४९३०००	२९४३४६०००
आवपाशी	२२३६२९०	२०३८०००	१७३४०००
डाक और तार	३०८७८५४	१०४५३०००	८६०१०००
कर्ज	१८६८२२८५७	१८५४३००००	१७५१७६०००
सिविल शासन	१०१२५९०४३	१०७५२७०००	११४५३०००
मुद्रका तथा टकसाल	७१४१०७९	७१९४०००	७८२४०००
सिविल कार्य	१७७७२८७५	१७२४३०००	१८०११०००
मिश्रित	४३५३१८६१	४५१८८०००	३९६३१०००
सैनिक	५९६६५१८७७	६०१३८९०००	५९१७७९०००
केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार में परस्पर देना	५०७४१२५	१४३२०००	६०००००
अन्य मदें	१०९६३५	२५७७०००	५०००००
योग	१३२२३५६६५४६	१३००४८७०००	१३०३७६६००
विविध(Surplus)	५६८२५६९८	१३०३८०००	१३१०००
योग	१३८०३९२२४४	१३१३५२५०००	१३०४२९७०००

सरकारी आमदनी

भारत सरकार की आमदनी की अनेक मदें हैं,—(१) भारत सरकार की सम्पत्ति—जमीन, जंगल इत्यादि से मालगुजारी व बिक्री के दाम (२) कुछ देशी राज्यों से खिराज (३) अफीम की आमदनी (४) व्यापारी आमदनी —रेलवे, नहर, तार, डाकखाने, (५) अदालती स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्प। (६) अनेक प्रकार के टैक्स।

मुख्य २ आमदनियों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

मालगुजारी

सरकारी जमा खर्च में इस समय मालगुजारी प्रांतीय विषय है और कुल आमदनी इस मद से करीब ४२ करोड़ रुपये कुल प्रांतों में है।

सरकार ने जमीदारों से जमीन की आमदनी के लिये बन्दोवस्त कर लिये हैं जो दो प्रकार के हैं:—(१) स्थायी सदैव के लिये अथवा इसतिमरारी (Permanent Settlement) (२) थोड़े अवसर के लिये (अस्थायी अथवा Temporary) स्थायी बन्दोवस्त ५ बटे ८ बंगाल में और १ बटे ८ आसाम में १ बटे ४ मद्रास में, १ बटे १० संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में है। इस्ट इन्डिया कम्पनी के आरम्भिक काल में यह आमदनी अनिश्चित थी इस लिये अनेक प्रकार के दबाव डाल कर बंगाल के जमीदारों से लार्ड कार्न वालिस के समय में स्थायी बन्दोवस्त करा लिया गया। बाद को जब शांति स्थापित हुई उस समय यह प्रतीत हुआ कि यह स्थायी बन्दोवस्त जमीदारों को अधिक लाभ दायक है।

अस्थायी बन्दोवस्त दो प्रकार के हैं। (१) जमीदार (२) रयतवारी। पहिले प्रकार में सरकार और किसान के बीच में जो मनुष्य होते हैं अर्थात जमीदार किसानों से लगान लेता है और उसका हिस्सा सरकार को अदा करता है जो मालगुजारी कहलाती है। यह बन्दोवस्त संयुक्त प्रांत पंजाब, और विहार उड़ीसा में प्रचलित है।

रयतवारी बन्दोवस्त में सरकार किसानों से सीधी तौर पर मालगुजारी तै कर लेती है और स्वयं वसूल करती है यह रीति बम्बई में और गुजरात के कुछ भाग में जारी है। कुछ रयतवारी भागों में सरकार ग्राम के कुल समूह से बन्दोवस्त करती है और उनका मुखिया कुल मालगुजारी का जिम्मेबार होता है।

आयकर (Income Tax)

इनकम टैक्स सरकार ने सन् १८६० के गदर में बहुत खर्चा बढ़ जाने के कारण लगाया था और उस समय यह कहा गया था कि यह टैक्स स्थायी नहीं रहेगा। परंतु सरकारी नीति यही रही है कि यदि एक बार कोई टैक्स लगा दिया और उस से आमदनी हो गई तो उसे आगे रद्द नहीं किया। यही बात इस टैक्स में भी हुई।

यह टैक्स खेती की आमदनी पर अर्थात जमीदारों और किसानों से नहीं लिया जाता।

आयकर इस प्रकार कमाया जाता है:—

(१) २००० रु० के नीचे आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है—

(२) २००० रु० से ऊपर और ५०००रु० से कम तक ५ पाई फी रुपया

(३) ५००० रु० से ऊपर और १००००रु० से कम तक ६ पाई फी रुपया

(४) १०००० रु० से ऊपर और २०००० रु० से कम तक ९ पाई फी रुपया

(५) २०००० रु० से ऊपर और ३०००० रु० से कम तक १ आना फी रुपया

(६) ३०००० रु० से ऊपर और ४००००रु० से कम तक १ आना ३ पाई फी रुपया

(७) ४०००० रु० से ऊपर और ५०००० रु० तक १ आना ६ पाई

सुपर टैक्स।

५०००० रुपये के ऊपर की आमदनी पर टैक्स फी रुपया निम्नलिखित प्रकार लगता हैं।

(१) अगर कम्पनी हो तो १ आना फी रुपया

(२) अन्य लोगों से १ आना से ६ आना तक सिलसिले बार टैक्स लगता है।

आबकारी।

यह आमदनी नशीली चीजों से है जैसे शराब गांजा, भांग, अफीम इत्यादि इस मद का टैक्स वस्तु के बनाने व बेचने दोनों पर लगता है। टैक्स लगाने की नीति यह बताई जाती है कि आबकारी से अधिक से अधिक आमदनी हो जावे और यह कम से कम खपत हो अब यह मद प्रान्तीय सरकारों को देदी गई है।

नमक।

ब्रिटिश राज्य के पहिले नमक पर कोई टैक्स (कर) नहीं था केवल उसके आयात निर्यात पर कहीं २ पर मार्ग कर था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन के आरंभिक काल में मध्य भारत में नमक के आयात पर रोक करने के लिये सैकड़ों मील लम्बी दीवार सी बनाई गई थी जिस के कारण उत्तरी भारत में नमक सुगमता से नहीं प्राप्त होता था और कम्पनी के कर्मचारी भी प्रबंध करने में बड़ी गड बड़ी करते थे।

सन् १८८८ से १९०३ तक फी मन २ रु० ८ आ० का टैक्स रहा। १९०३ में टैक्स घटा कर २ रु० कर दिया गया, सन् १९०७ में जनता के आन्दोलन पर १ रु० फी मन कर दिया गया किन्तु फिर १९१६ में १ रु० ४ आ० कर दिया गया। भारतीयों की यह बडी भारी शिकायत है कि सरकार ऐसी परम उपयोगी वस्तु पर टैक्स लगाती है जिस से गरीब लोगों को व किसानों के गाय बैलों को नमक तक नहीं मिल सकता है।

सन् १९२३ में फिर टैक्स बढा दिया गया और टैक्स २ रु० ८ आना कर दिया गया। लेजिसलेटिव एसेम्बली में इस टैक्स के विरुद्ध राय दी गई परन्तु लार्ड रीडिंग गवरनर जनरल ने अपने निरकुश अधिकारों का उपयोग कर के टैक्स को दूना कर दिया।

सन् १९२४ में फिर टैक्स घटा कर १ रु० ४ आ० कर दिया गया।

नमक से सरकार को सालाना आमदनी रु० ६,९०,००,००० है।

नमक ४ स्थानों से प्राप्त होता है। [१] पंजाब में नमक के पहाड हैं और कोहाट में खदानें [कानें] हैं [२] राजपूताना में सांभर झील हैं जिस से नमक बनता है [३] कच्छ के राज्य में समुद्री पानी से नमक बनता है [४] बम्बई मद्रास और सिंध नदी के मुहाने पर नमक की फैक्टरियाँ हैं।

नमक की आमदनी केन्द्रीय विषय है और इसका जमा खर्च भारत सरकार के हिसाब में होता है।

नमक की आमदनी

१९२०-२१	रु०	६,१८,७९,८१४	हिसाब
१९२१-२२	,,	६,४१,६२,०००	पुनः अनुमान
१९२२-२३	,,	६,८६,०३,०००	अनुमान
१९२३-२४	,,	१०,०१,५०,८७०	हिसाब
१९२४-२५	,,	७,३९,०४,८६०	हिसाब
१९२५-२६	,,	६,४०,०० ०००	पुनः अनुमान
१९२६-२७	,,	६,९०,०००००	अनुमान

कस्टम (आयात निर्यात कर)

भारत सरकार की नीति कस्टम लगाने में भारत वर्ष के लाभ को सामने रखकर नहीं चलाई गई वरन् इंग्लैंड और विशेषता लैंकाशायर (इंग्लैंड) के लाभ को ध्यान में रखकर हीचलाई गई। इसके कारण विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर घटता बढ़ता रहता है कभी २ सरकारी जमा खर्च में घटा बढ़ी के कारण भी यह टैक्स घटाया बढ़ाया गया हैं।

सन् १८५७ के पहिले आयात कर साधारणतया ५ प्रतिशत था। इसके बाद १० प्रतिशत कर दिया गया और कुछ वस्तुओं पर २० प्रतिशत भी किया गया। सन् १८७५ में घटा कर ५ प्रतिशत हो गया। किंतु लैंकाशायर के "फ्री ट्रेडर" मतवादियों ने जो धनिक व्यापारी थे अपने लाभ को ही ध्यान में रख कर ऐसा आन्दोलन आरंभ किया कि आयात कर के रहने से भारतीय मिलों को अर्थात् कपड़े के कारखानों को अनुचित लाभ मिलता है ऐसा नहीं होना चाहिये। इस कारण से भारत सरकार ने सन् १८८२ में कुल आयात कर (कस्टम) तोड़ दिये।

इस काल में चांदी के रुपये का मूल्य सोने के सिक्कों में घटने लगा और जहाँ एक रुपया की कीमत २ शिलिंग थी वहां घटते २ सन् १८९३ में १ शिलिंग के बराबर हो गई। इस तरह विलायती बाजार में १ पौंड के लिये करीब २० रुपये के देना पड़ने लगा। भारत सरकार की आमदनी घटने से यह परिणाम हुआ कि सन् १८९४ में ५ प्रतिशत कस्टम फिर लगा दिया गया केवल सूत और रुई के कपड़ों की आयात पर नहीं लगाया गया जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य तथा अर्थ लैंकाशायर की सहायता करना था। भारत सरकार का खर्च बढ़ता गया और आमदनी की आवश्यकता भी बढ़ती गई। इस कारण ३-५ रु० (साढ़ेतीन) प्रतिशत का आयात कर विदेशी कपड़ों पर लगाया गया और ३.५ रु० [साढे तीन] प्रतिशत 'इकसाइज़ ड्यूटी' देशी मिलों के बने हुये कपड़ों पर भी केवल लैंकाशायर को प्रसन्न रखने के लिये लगा दी गयी। इस टैक्स से भारत में घोर असन्तोष फैला और देशी मिलों को भी बड़ी हानि हुई।

सन १९१०-११ में इस बात की आशंका हुई कि चीन को जो अफीम भारत से जाती है उसका निर्यात बंद हो जावेगा, इस कारण चांदी पर आयात कर ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ पेंस (लगभग-४ आना) फी औंस वजन पर कर दिया गया। और साथ २ तम्बाकू पेट्रोलियम शराब पर भी कर बढ़ा दिया गया।

स० १९१६-१७ में महायुद्ध के कारण आयात कर की फिहरिस्त एकदम बदल दी गई। साधारण आयात कर जो ५ प्रतिशत १८९४ से था साढे सात कर दिया गया। शक्कर के ऊपर आयात कर १० प्रतिशत कर दिया गया। बहुत सी चीजें जिनपर कोई टैक्स नहीं था अब इस फेहरिस्त में रख दी गई। किन्तु रुई के कपड़ों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। विदेशों से आये हुये सूत पर बीस साल से कोई आयात कर नहीं हैं। इतना सब होने पर भी भारत सरकार के जमा खर्च में कोई फरक नहीं पड़ता। प्रतिवर्ष खर्च बढ़ता ही जाता है और आमदनी पूरी नहीं पड़ती। मुख्य कारण इसका यह है कि ३० प्रतिशत आमदनी सैनिक विभाग में लगा दी जाती है। भारत

सरकार चाहती थी कि विदेशी मिलों के कपड़ों पर भी आयात कर ५ प्रतिशत कर दिया जावे और भारतीय मिलोंके कपड़ों पर साढ़े तीन प्रतिशत बना रहे किन्तु ब्रिटिश सरकार के मंत्री मण्डल ने नामंजूर किया। इस कारण जूट और चाय पर भी निर्यात कर लगा दिया गया। चाय पर फी १०० पौंड वज़न पर रु० १-८-० और जूट की निर्यात पर रु० २ ४-० प्रति ४०० पौंड (कच्चा माल) पर लगाया गया। बोरों पर १० रुपया फी टन और १६ रु० फी टन हैसीन्स पर कर दिये गये। इसका उद्देश्य यही था कि आमदनी बढ़ जावे और यह अनुमान किया गया कि ५००,००० की आमदनी हो जावेगी। रुई के माल पर आयात कर साढे सात प्रतिशत कर दिया गया किन्तु भारतीय मिलों के कपड़ों पर इकसाइज डयूटी साढे तीन प्रतिशत से ऊपर नहीं की गई। स० १९२०--२१ में कस्टम्स से रू० ३२,३७,२९,००० आमदनी हुई।

स० १९२१--२२ में भी कस्टम की फेहरिस्त बढ़ा दी गई। साधारण कर साढे सात से ११ प्रतिशत कर दिया गया। दियासलाई पर साढे सात प्रतिशत का टैक्स बढ़ा कर १२ आना फी ग्रोस बक्सों पर लगा दिया गया। शराब पर भी कर बढ़ा दिया गया। शौक़ की चीज़ों पर टैक्स साढे सात प्रतिशत से बढ़ा कर २० प्रतिशत कर दिया गया। विदेशी शक्कर पर टैक्स १०से १५ प्रतिशत कर दिया गया और तम्बाकू पर ५० प्रतिशत बढ़ा दिया गया।

सन् १९२२-२३ में कस्टम ड्यूटीज फिर बढ़ाई गई। सरकार चाहती थी कि साधारण कस्टम ११ से १५ प्रतिशत कर दिया जावे, रुई की इकसाइज डयूटी अर्थात देशी मिलों के माल पर टैक्स साढ़े तीन से साढ़े सात कर दिया जावे, शक्कर पर १५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत कर दिया जावे, विदेशी सूत पर ५ प्रतिशत लगा दिया जावे, मेशीनरी, लोहा, रेलवे के सामान पर ढाई प्रतिशत से १० प्रतिशत लगा दिया जावे, शौक के सामान पर २० से ३० प्रतिशत कर दिया जावे। लेजिस्लेटिव एसेम्बली से बजट इस प्रकार पास हुआ-- (१) रुई पर इकजाइज डयूटी साढ़े तीन ही रही (२) मेशीनरी पर टैक्स ढाई प्रतिशत ही रहा (३) रुई के माल पर ११ प्रतिशत होगया और अन्य बढ़तियां भी मंजूर हुई।

सन् १९२५ ई० में देशी मिलों के रुई केमाल पर साढ़े तीन प्रतिशत वाला कर इकदम तोड़ दिया गया।

सन् १९०६ तक इस विभाग का काम सीनियर कलक्टरों के हाथों में था जो कवेनेन्टेड सिवीलियन्स हुआ करते थे। उस समय से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास रंगून और करांची के बन्दरों पर ५ कलक्टर रहते हैं जिन में से तीन आई. सी. एस. के लिये सुरक्षित रहते हैं और दो जगहें "इम्पीरियल कस्टम सर्विस" को मिलती है।

"इम्पीरियल कस्टम सर्विस" में असिस्टेन्ट कलेक्टर दो प्रकार से भरती किये जाते हैं:—[१] आई. सी. एस. में से ३ जगहें और [२] सेक्रटरी आफ स्टेट द्वारा १९ जगहें भरी जाती हैं। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो प्रान्तीय कस्टम विभाग में होते हैं और जिन की नियुक्ति भारत सरकार की 'सबार्डिनेट सर्विस" में से होती है।

कस्टम से आमदनी।

१९२०—२१	रु०	३३,३७,२८,०००	हिसाब
१९२१—२२	"	३०,६०,१४,०००	पुनः अनुमान
१९२२—२३	"	४५,४१,८४,०००	अनुमान
१९२३—२४	"	३९,६९,६४,२९६	हिसाब
१९२४—२५	"	४५,७५,३१,५१६	हिसाब
१९२५—२६	"	४६,८४,५७,०००	पुनः अनुमान
१९२६—२७	"	४६,४०,००,०००	अनुमान

अफीम।

अफीम की खेती केवल लैसंस प्राप्त किसान कर सकते हैं जिनको सब माल सरकार ही को देना चाहिये। अफीम सरकारी कर्मचारियों द्वारा गाजीपुर में साफ की जाती है और गोलों में बनाई जाती है विदेशी सरकारों को भी भारत सरकार निश्चित कीमत पर अफीम देती है। स्याम, निदरलैंड्स इंडिज, और स्ट्रेट्स सेटिलमेंट्स में मुख्यतः अफीम जाती है। चीन ने अपने मुल्क में अफीम खाना बिलकुल बंद कर दिया है।

लेन देन का ब्योरा। (Ways & Means)

लेन

	१९२७--२८	१९२८--२९
रुपया कर्ज	१८.५	३२.०
स्टर्लिंग कर्ज	९.१	—
पोस्टल केशसर्टीफिकट—		
—सेविंग बैंक	६.७	६.६
अन्य कर्ज	४.९	५.१
कर्ज को छुड़ाना	५.२	५.६
घटी और जमा	५.८	६.८
दस्तावेजों की आमदनी—		
व पेपर करेंसी रिजर्व	७.१	—
केश बैलेन्स में कमी	११.४	२.२
	६८.७	५८.३

देन

	१९२७--२८	१९२८--२९
	पुनः अनुमान	अनुमान
रेलवे पर लागत	३०,००	२८.००
अन्य लागत प्रांतीय	२.३	४.०
--सरकारों से लेनदेन	८.००	७.००
कर्ज की अदायगी	२५.४०	१९.१०
फुटकर	३.००	.२०
	६८.७	५८.३०

भारत सरकार पर कर्ज (Public Debt)

सन	भारत में	इंगलैंड में
	रु० (करोड)	पांड (लाख)
१८२०-२१	२७.३४	५७.६२
१८४०-४१	२९.४७	१७.५६
१८५०-५१	४५.४२	३९.२०
१८६०-६१	६३.४४	२८.४९
१८७०-७१	६६.८८	३७.६२
१८८०-८१	८५.९५	७१.४२
१८९०-९१	१०२.७४	१०४,४०
१९००-०१	११५.३३	१३३.४३
१९१०-११	१३८.०९	१७७.९९
१९१४-१५	१५०.५२	१७६.१९
१९१६-१७	१६७.७७	१७४.१४
१९२३	४७३.५७	३०३.९८
१९२५	५०१.१८	३४१.२०
१९२६	५११.२७	३४२.४८

	३१ मार्च १९२७ रु० (करोड़)	३१मार्च१९२८ रु० (करोड़)
लाभ दायक	७७४.७९	८१२.८८
अन्य	२००.८१	१७८.७३
	९७५.६०	९९१.६१

अर्थात १६.०१ करोड़ कर्ज बढ़ गया।

भारत सरकार का खर्च।

प्रबंध विभाग

भारत जितना ही गरीब देश है उतना ही बड़ा खर्च यहां की सरकार कर रही है जगत में किसी भी राष्ट्र के नौकरों को इतना वेतन नहीं मिलता है। भारतीय शासन के वर्णन में पदाधिकारियों के वेतन पाठक देख सकते हैं। केवल प्रबंध विभाग पर करीब १२ करोड़ रुपया प्रति वर्ष नौकरों पर खर्च किया जाता है।

होम चार्जेज।

इंगलैंड में भारत को अनेक मदों पर खर्च करना पड़ता है। साढे पैंतीस मिलियन पौंड अर्थात ४६ करोड़ रुपये के लगभग वहां खर्च किया जाता है। इसमें से बहुत सा रुपया पेन्शनों, भत्तों इत्यादि पर खर्च होता है। बहुत सा सरकारी सामान खरीदने में खर्च होता हैं। ऐसा विश्वास्त अनुमान है कि कम से कम २० करोड़ रूपया प्रत्येक वर्ष ऐसा खर्च होता है जिसका भारत को कोई मूल्य नहीं मिलता हैं।

सैना।

सेना का खर्च वार्षिक लगभग ६० करोड़ है। इसका भी वर्णन विस्तार पूर्वक अन्यत्र दिया गया है।

सैना पर खर्च।

	करोड़ रूपया
१९२१—२२	६९.८१
१९२२—२३	६५.२७
१९२३—२४	५६.२३
१९२४—२५	५५.६३
१९२५—२६	५६.००
१९२६—२७	५५.९७
१९२७—२८	५४.९२
१९२८—२९	५५.१०

रेलवे

रेलवे पर करीब २९ करोड़ के खर्च किया जाता है। सिद्ध हस्तों का यह मत है कि भारत को रेलवे से बड़ी हानि है और यह विभाग भारत की दरिद्रता में सब से बड़ा कारण है।

रेलवे के समर्थकों का यह कहना था कि रेलवे बन जाने से भारत में दुर्भिक्ष कम हो जावेगा। जिस जगह दुर्भिक्ष होगा और अनाज की कमी होगी वहाँ दूसरे स्थानों से अनाज पहुंच जावेगा। साथ २ व्यापार में भी उन्नति होगी। परन्तु इतने वर्षों के अनुभव से यही सिद्ध होता है कि पहिले दुर्भिक्ष अनेक वर्षों के बाद होते थे अब सदा ही दुर्भिक्ष रहता है।

रेलवे संबधी ज्ञान आगे विस्तार के साथ स्वतन्त्र अध्याय में दिया जाता है।

भारत में रेलवे।

सब से पहिले इंग्लैंड में सन् १८२५ में वाष्पशक्ति संचालित यंत्र Locomotive Engine से लोहे के पथ Railway पर गाड़ियां चलाई गईं और सन् १८३० में उनका उपयोग यात्रियों के लिये किया गया।

भारत में रेल चलाने का विचार सन् १८४० में आरंभ हुआ और सन् १८४४ में कुछ अंग्रेजी व्यापारियों ने ईस्ट ईंडिया कम्पनी से प्रस्ताव किया कि यदि सरकार मूलधन पर तीन प्रति सैकड़ा सूद देवे तो वे भारत में रेलवे चला सकते हैं। कम्पनी ने अपने डायरेक्टरों को लिखा और वहां से एक विशेषज्ञ (Expert) यहाँ आया। इन्होंने यह राय दी कि रेलवे के लिये संगठित होने वाली कम्पनियों को मूलधन पर निश्चित लाभ तथा भूमि मुफ्त दी जाना चाहिये।

वाइसराय की कौंसिल ने भूमि मुफ्त देना स्वीकार किया किंतु निश्चित लाभ देना उचित न समझा। लार्ड हार्डिंज की यह राय थी कि सैनिक दृष्टि से भी यहां रेलवे बनना चाहिये और केवल दिल्ली से कलकत्ते तक रेल के लिये ५ लाख रुपया और भूमि मुफ्त देना चाहिये। इस प्रकार २-३ वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही।

लार्ड डलहौसी ने रेलवे चलाने का बड़ा प्रयत्न किया और ता० १७ अगस्त १८४९ को ईस्ट इंडियन और ग्रेट इंडियन पेनिनशुला नाम की दो रेलवे कम्पनियां संगठित हुईं।

इन कम्पनियों से निम्न लिखित शर्तें हुईं—

(१) सरकार भूमि मुफ्त दे।

(२) मूलधन पर कम्पनी को अगर ५ रुपया प्रति सैकड़े से कम मुनाफा मिलेगा तो सरकार उसे पूरा करेगी।

(३) ५ रुपया सैकड़े से जो ऊपर मुनाफा होगा वह कम्पनियां स्वयं लेंगी उस में सरकार का कोई हक न होगा।

(४) लाभ का हिसाब ६–६ महीने में होगा।

(५) कम्पनियों को लन्दन में लाभ का धन एक रुपया का २२ पेन्स के हिसाब से मिलेगा।

(६) ९९ वर्ष के बाद कुल अचल चीजें सरकार की हो जायंगी कोई दाम न देना पड़ेगा।

(७) चल चीजें जैसे डिब्बे, इंजन इत्यादि के लिये उचित दाम देने पड़ेंगे।

(८) ९९ वर्ष के पहिले भी सरकार रेल ले सकेगी लेकिन कम्पनी के हिस्सों के दाम बाजार भाव देना पड़ेंगे।

(९) २५ वर्ष से पहिले रेलें सरकार न ले सकेगी।

(१०) कम्पनियां अगर चाहें तो किसी वक्त सरकार से अपना मूलधन लेकर सरकार को खरीदने पर मजबूर कर सकेंगी।

यह शर्तें इतनी लाभ दायक थीं कि तुरन्त अनेक कम्पनियाँ बन गईं:—

मद्रास रेलवे	१८५२
बी. बी. सी. आइ.	१८५५
सिंध पंजाब दिल्ली	१८५८
ईस्टर्न बंगाल	१८५८
ग्रेट सदर्न	१८५८

सन् १८६२ में इंडियन ब्रांच रेलवे कम्पनी खुली। उसे भूमि मुफ्त दी गई, और गारन्टी नहीं दी गई। किन्तु २० वर्ष तक १००० रुपया प्रतिवर्ष प्रति-मील पर सहायता दी गई। १८६७ में यह कम्पनी गारन्टी कम्पनी हो गई और इसका नाम अवध रुहेलखण्ड रेलवे हो गया।

सन १८६४ में इंडियन ट्राम्वे कम्पनी का संगठन हुआ। इसे १८७० में गारन्टी मिली और इसका नाम कर्नाटिक रेलवे पड़ा। और १८७४ में यह रेलवे सदर्न कम्पनी से मिल गई। इन दोनों का नाम सौथ इंडियन रेलवे पड़ गया।

इस प्रकार आठ कम्पनियां हो गईं जिनके रेल पथ के मूलधन का मूल्य बाजार भाव से देकर सरकार ने निम्न लिखित सनों में खरीद लिया:—

(१) ईस्ट इंडियन रेलवे	१८७९
(२) ईस्टर्न बंगाल	१८८४
(३) सिंध पंजाब दिल्ली	१८८६
(४) अवध रुहेलखण्ड	१८८९
(५) साउथ इंडियन	१८९१
(६) ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला	१९००
(७) बॉबे बड़ौदा सेन्ट्रल इंडिया	१९०५
(८) मद्रास रेलवे	१९०८

इसके बाद मद्रास रेलवे के दो भाग कर दिये गये (१) एक का नाम मद्रास एन्ड सदर्न मरहटा रेलवे रख दिया गया। (२) दूसरे भाग को सौथ इंडियन रेलवे में मिला दिया गया।

इन रेलवे कम्पनियों को आरंभ में लाभ नहीं हुआ। रेलवे बजट में सरकार को १८६९ तक १६६ सही एक बटे तीन करोड़ रुपयों की घटी पड़ी।

इस समय ३ प्रकार के रेलवे मालिक हैं:—

(१) सरकार	२६,१८९	मील
(२) देशीराज्य	४३९७	,,
(३) कम्पनियां	५७४६	,,

सरकारी रेलवे अनेक कम्पनियों को ठेके पर चलाने के लिये दे दी गईं हैं जिससे असली लाभ कम्पनियों को हो जाता है और भारतवर्ष जिसने आज तक टोटा दिया है उसे लाभ नहीं हो रहा है। रेलवे कम्पनियां योरोपियन व

एंग्लो इंडियन कर्मचारियों को खूब मोटे २ वेतन देती हैं और हिन्दुस्तानी कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त सामग्री (पुर्जों) का बड़ा भारी भाग इगलैण्ड से खरीदा जाता है जिससे लाभ इंगलैंड ही को होता है। वास्तव में जो कुछ असली कमाई रेलों की है वह कमाई तीसरे दर्जे के मुसाफिरों और माल से है। फर्स्ट और सैकंड क्लास के यात्री कुल आराम उठाते हैं।

सन १९२१—२२

यात्री		कमाई (रुपया)
दर्जा	संख्या	
अव्वल	११,६२,०००	१,३८,००,०००
दोयम	६५,४९,०००	२,२८,००,०००
सोयम	४९,१०,०००००	१८,४१,००,०००

सन १९२२—२३

यात्री		कमाई (रुपया)
दर्जा	संख्या	
अव्वल	९,१८,०००	१३९,००,०००
दोयम	५१,३४,०००	२,११,००,०००
सोयम	५०,३०,००,०००	३२,२०,००,०००

सन १९२३—२४

यात्री		कमाई (रुपया)
दर्जा	संख्या	
अव्वल	८१७,०००	१,२९,००,०००
दोयम	४५३८,०००	१,९५,००,०००
सोयम	५१,३०,००,०००	३२,९१.००,०००

भारत में करीब २६ मुख्य रेलवे हैं जिनका रेल पथ ३९,०४,८.८८ मील है। खैबर रेलवे २ नवम्बर १९२५ को खुली है। इस रेलवे का जो भाग जमराल से आरंभ होता है वह १५०० फुट समुद्र तट से ऊंचा है और लडीकोटल पर ३५०० फुट ऊंचा हो जाता है। इसका रेल पथ ५ फुट ६ इंच चौड़ा है। २७ मील में ३४ बोगदे (टनेल) हैं।

भारत और लंका (सीलोन) को मिलाने का भी विचार किया गया है। वर्मा और नैपाल के लिये रेलवे बनाने की भी आयोजना की गई है। बम्बई के पास बी० बी० सी० आई० और जी० आई० पी० रेलवे की गाड़ियां बिजली से भी चलने लगी हैं।

सन् १९२४--२५ से रेलवे का बजट अलग कर दिया गया है और उसकी आमदनी व खर्च का ब्योरा भारत सरकार के बजट में नहीं रक्खा जाता है। केवल जो आमदनी लाभ के रुप में सरकार को रेलवे की ओर से दी जाती है वही रकम आमदनी की तरफ रख दी जाती है।

सन् १९२४—२५ में रेल का जमा खर्च।

आमदनी		खर्च	
व्यापारी माल	४२.७१	रेल पथ	१२.२८
कोयला	११.६९	लोको	२१.७३
यात्री	३२.१९	केरेज वेगन	७.९९
पार्सल वगैरः	५.३९	ट्रैफिक	९.७७
अन्य	२.९१	अन्य	९.२८
			१.३६
		सूद व किस्त	२६.०१
	९४.८९		८८.४२

सरकार को लाभ　६.४७

रेलवे की स्थिति

३१ मार्च १९२७

रेल पथ की लम्बाई।

सिंगल लाइन	३५५४२.४१ मील
डबल लाइन	३५०६.४७ "
मार्ग की लम्बाई	३९०४८.८८ "
कुल रेल पथकी लम्बाई	५२,८८६.२७ "

गेज (चौडाई)

५ फुट ६ इंच गेज	१९,३६७.४४ मील
३फुट ३⅜ इंच गेज	१५,९३१.८१ "
२ फुट ६ इंच या २फुट	३,७४९.६३ "

यात्रियों की संख्या।

पहिला दर्जा	१०१२१००
दूसरा दर्जा	१०००६३००
डेवढ़ा दर्जा	१२९४४८००
तीसरा दर्जा	५७८४०८३००
	६०,४३,७१,८००

रेलों की आमदनी। रु०

पहिला दर्जा	११७७८००
दूसरा दर्जा	१८८३०००
डेवढ़ा दर्जा	१६१७२००
तीसरा दर्जा	३३४३०२००
	३८११८९००

प्रबंध।	मील
सरकारी रेलवे	१३.५४८.९२
सरकारी रेलवे (कम्पनी—का प्रबंध)	१४३१५.३३
सरकारी सहायता प्राप्त—कम्पनियों की रेलवे	१९८३.५२
कम्पनियों की रेलवे	६९.७०
जिला बोर्डों की रेलवे	२७१.२७
देशी राज्यों की रेलवे	३१५३.१९

दुर्घटनायें।

कुल दुर्घटनायें	२३४६३
रेलों का लड़ना	५२१
मनुष्य जो मारे गये	२८९३
मनुष्य जो घायल हुये	५७३६

१९२९—३० का रेलवे बजट

सर जार्ज रेनी कमर्स मेम्बर ने लेजिसलेटिव एसेम्बली में बजट पेश किया। उन्हों ने बताया कि इस वर्ष के लिये आमदनी का अनुमान १०७.३३ करोड़ रुपया है और खर्च का अनुमान ९५.०० करोड़ है। १.७५ करोड़ रुपया फौजी रेल पथ पर घाटे के तौर पर कट जायगा और सरकार को १०.७५ का लाभ होगा

डाक तथा तार।

डाक और तार में अब बड़ी तरक्की हो गई। तार के साथ टेलीफोन और बेतार-के तार से भी खबरें जाने लगी हैं।

सन् १७६६ में लार्ड क्लाइव ने पहिला डाकखाना भारत में कायम किया और १७७४ में वारन हेसटिंगस गवरनर जनरल ने सर्व साधारण के उपयोग के लिये सुविधा देदी। वेल्यू पेबिल की पद्धति सन् १८७७ में आरम्भ हुई और चिट्ठियों और पारसल का बीमा १८९८ में आरम्भ किया गया। सन् १८९९ में भारतीय पोस्ट आफिस विभाग "अन्तर राष्ट्रीय पोस्टल संघ" से संबन्धित हुआ। चिट्ठियां और पारसल विदेशों में भेजी जाने लगीं। सन् १८७० में सेविंग बैंक कायम हुये सन् १८८४ में पोस्ट आफिस विभाग अलग कर दिया गया और एक डायरेक्टर जनरल नियत हुआ। उस समय ७०० डाकखाने थे।

डाकखानों सम्बन्धी ब्योरा

१९२५—२६

डाकखाने	२३१०८
कर्मचारी	१०७५२७
चिट्ठियां	५४ करोड़ २० लाख
पोस्टकार्ड	५५ करोड़ ०० लाख
समाचार पत्र	७ करोड़ ७० लाख

तार सम्बन्धी ब्योरा

तारों की संख्या	१८ करोड़ ७० लाख
तार घर	१०००० लगभग
विना तार के तार घर	२३

भारत के धर्म तथा सम्प्रदाय।

भारत के धर्म तथा सम्प्रदाय।

इस अध्याय में भारतीय धर्म तथा मतों का वर्णन ऐतिहासिक रूप से दिया जा रहा है। प्रत्येक धर्म तथा मत के मुख्य २ सिद्धांत तथा उनके प्रवर्त्तकों के नाम भी समयानुसार दिये गये हैं।

वैदिक धर्म।

ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक धर्म ही सबसे अधिक प्राचीन है। वैदिक ग्रन्थों के पठन से प्रतीत होता है कि सामाजिक उन्नति वैदिक काल में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। वैदिक काल में ईश्वर की एकता का पूर्ण ज्ञान था और उसमें भिन्न २ नामों से एक ही ईश्वर की आराधना की गई है यह बात सिद्ध है। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने वेदों को 'गडरियों के गीत' बताया है यह बात केवल उन्हीं की असमर्थता तथा अज्ञान की सूचक है।

वैदिक संस्कृति क्या है यह निम्न-लिखित विवेचन से स्पष्ट होगा।

वेद।

वेद जगत का प्रथम ग्रन्थ है और सकल शास्त्रों का मूल तथा ज्ञान का अमूल्य भाण्डार है। वेद काण्डरूप है और अन्य शास्त्र शाखा प्रशाखा रूप हैं। वेद प्रधानतः दो प्रकार के हैं (१) कण्ठाप्त, जिन श्रुतियों को ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था (२) कल्प्य, जो श्रुतियां स्मृति तथा शिष्टाचार द्वारा अनुमान में आईं। कण्ठाप्त श्रुतियां मन्त्र भेद के अनुसार त्रिविध हैं यथा ऋक्, यजु, और साम। इनका दूसरा नाम 'त्रयी' है। यही कण्ठाप्त श्रुतियां अन्य प्रमाण से चतुर्धा विभक्त हैं। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। प्रायः पद्य में प्रकाशित मन्त्रों का नाम ऋक्, गद्य में प्रकाशित मन्त्रों का नाम यजुः, और गाने योग्य मन्त्रों का नाम साम है। अथर्व वेद में उक्त तीनों प्रकार के मन्त्र मिश्रित हैं।

वेद बिभाग के लिये दो सम्मतियां हैं। (१) वेदव्यास ने ही वेदों की त्रिधा और चतुर्धा विभक्ति की है। (२) यज्ञ क्रियाओं की सुविधा के लिये अथर्व ऋषि ने वेद विभाग किया था यज्ञ कार्य के उपयोगी सूक्त समूह को प्रथम तीन वेदों में कर अन्यान्य सूक्तों को अलग कर दिया और अथर्व वेद के नाम से इस समूह की संज्ञा हुई।

ज्ञान नित्य वस्तु है इस कारण प्रलय के समय भी ज्ञान रूपी वेद ॐकार रूप से नित्य स्थित रहते हैं। वेद अनादि हैं और नाश विहीन भी हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद

में लिखा है कि परमात्मा ने पहिले ब्रह्माजी को उत्पन्न करके उनको वेद प्रदान किया। उस विराट परम पुरुष की श्रवणेन्द्रियें दिशायें हैं और वाक्य वेद रूप हैं। कर्म वेद से उत्पन्न है और वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हैं। ऋषि-गण वेद के कर्ता नहीं, परन्तु द्रष्टा मात्र हैं। वेद नित्य वस्तु है केवल ऋषियों के समाधि शुद्ध अन्तः करण में प्रकाश को प्राप्त होते हैं।

वेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान अथवा अपूर्ण जीव की पूर्णता और ब्रह्म भाव प्राप्ति है। जैव प्रकृति की पूर्णता ही मुक्ति है। प्रकृति त्रैगुण्य है (१) स्थूल (२) सूक्ष्म (३) कारण, अथवा (१) अधिभूति (२) अधिदैव (३) अध्यात्म (क्रमशः) इन तीनों प्रकार की पूर्णता प्राप्ति पर जीव ब्रह्मरूप बन सकता है। जीव के लिये आधिभौतिक शरीर है जिसकी शुद्धि कर्म्म के द्वारा, आधिदैविक मन है जिसकी शुद्धि उपासना के द्वारा और आध्यात्मिक बुद्धि है जिसकी शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती हैं। इसी लिये वेद में ब्राह्मण (कर्म्म कांड) संहिता (उपासना काण्ड) और आरण्यक अथवा उपनिषद (ज्ञान काण्ड) विभाग हैं। वेद में ऋषि, छंद, और देवताओं का उल्लेख है उसका अर्थ इस प्रकार है। (१) ऋषि, जिन ऋषियों के चित्त में स्वतंत्र रूप से जो २ मंत्र आविर्भूत हुऐ वे उन मन्त्रोंके ऋषि कहाते हैं (२) छंद जिन पद्धति अथवा छंद रूप में यह मंत्र कहे गये हैं। वहीं उन मंत्रों का छंद है (३) देवता, जिन जिन मंत्रों द्वारा जिन जिन भगवच्छक्तियों की उपासना की जाती हैं. वे उपास्य शक्तियां उन मंत्रों के देवता हैं। मंत्रों की आदिभौतिक शक्ति का स्वरूप छंद हैं आधिदैविक शक्ति का स्वरूप देवता हैं। और आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप ऋषि हैं।

महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की १०१ शाखायें, सामवेद की १००० शाखायें ऋगवेद की २१ शाखायें और अथर्व वेद की ९ शाखायें हैं। किन्तु मुक्तिकोपनिषद के अनुसार।

ऋगवेद	की २१	शाखा।
यजुर्वेद	” १०९	शाखा।
सामवेद	” १०००	शाखा।
अथर्ववेद	” ५०	शाखा।

स्कन्द पुराण के अनुसार—

ऋगवेद	२४	शाखा।
यजुर्वेद	१०१	शाखा।
सामवेद	१०००	शाखा।
अथर्ववेद	१२	शाखा।

परन्तु आज काल केवल सात आठ शाखायें ही दृष्टि गोचर हैं।

ऋगवेद।

इसकी संहिता में १० मंडल हैं जिनमें ८५ अनुवाक समूह हैं। इन अनुवाक समूह में १०२८ सूक्त हैं। सूक्त के भेद इस प्रकार हैं--महा सूक्त, मध्यम सूक्त, क्षुद्रसूक्त, ऋषिसूक्त, छन्दसूक्त, और देवतासूक्त,। ऋगवेद की कविता

संख्या १०४०२ और शब्द संख्या १५३८२६ और शब्दांश की संख्या ४३२००० हैं । शौनिकमुनि के ग्रन्थ के अनुसार ऋगवेद संहिता के आठ भाग हैं—श्रावक, चर्च्चक, श्रवणीयपार, क्रमपार, क्रमरथ, क्रमजटा, क्रमशट, क्रमदण्ड, । ऋग वेद की ५ पांच शाखायें जो प्रचलित हैं इस प्रकार हैं—आश्वलायन, साङ्ख्यायन, शाकल, वास्कल, और मांडुक ।

इसमें ६४ अध्याय, १० मंडल, वर्ग संख्या २००६, पदक्रम, वाशिष्ठ के १५२५१४, दूसरे के ५८, ऋक के१०५८० पद पारायण नाम से अभिहित हैं ।

यजुर्वेद ।

यह दो भाग में विभक्त है—शुक्ल और कृष्ण । शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम वाजसनेय संहिता है । कृष्ण यजुर्वेद संहिता का अन्य नाम तैत्तरीय सहिता है शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य है । इसमें १९०० और इसके ब्राह्मण में ७६०० मन्त्र हैं । शुक्ल यजुर्वेद की १७ शाखायें इस प्रकार हैं—जाबाल, औधेय, कण्व, माध्यन्दिनै, शापीब तापायनीय, कापाल, पौंड्रवत्स, आवटिक, पामावटिक, पाराशरीय, वैधेय, वैनेय, औधेय गालव वैजेर, कात्यायनीय । वाजसनेय संहिता में ४० अध्याय २९० अनुवाक तथा अनेक कांड हैं । इसमें पुरुमेध अश्वमेध, षोडशी, चातुर्मास्य अग्निहोत्र, बाजपेय अग्निष्टोम, दर्शपौर्णमास यज्ञों का वर्णन मिलता है । इसमें वैदिक युग की सामाजिक रीति-नीति का भी वर्णन है । प्रसिद्ध 'शतपथ ब्राह्मण" इसकी माध्यन्दिन शाखा के अन्तर्गत है । बृहदारण्यकोपनिषद् भी इसके अन्तर्गत हैं ।

कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा हैं परन्तु आज कल यजुर्वेद की १२ शाखायें और १४ उपशाखायें मिलती हैं। शाखायों के नाम इस प्रकार हैं—चरचक, आहरक, कपिष्ठलकठ, औपमन्य, आष्ठलकठ, चारायणीय, वारायणीय, वात्तन्तिवेय, श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय । कृष्णयजुर्वेद के ब्राह्मग का नाम तैतरीय ब्राह्मग और आरण्यक का नाम तैतरीय आरण्यक है । तैत्तरीय शाखा की उपशाखा हैं—औक्ष्य और खाण्डिकेय । इस खाण्डिकेय उपशाखा में पांच प्रशाखा हैं—आपस्तम्बी बौधायनी सत्याषाढी हिरण्यकेशी और औथेय । ब्राह्मणात्मक कृष्ण यजुर्वेद में १८००० मन्त्र हैं इस के तैतरीय सहिता में ७ अष्टक हैं जो प्रत्येक ७,८ अध्याय में विभाजित है । प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं जो कुल ७०० हैं । प्रजापति सोम आदि देवता इसके ऋषि हैं । इसमें अश्वमेव अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राजसूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वर्णन है । ज्ञानकाण्ड में शाखाओं के अनुसार उपनिषद् हैं मैत्रायणीय उपनिषद कठोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद और नारायणीय उपनिषद आदि मिलते हैं ।

साम वेद

सामवेद की सहस्त्र शाखायें थीं उन में केवल ८ अर्थात सुरायणीय, वात्तन्तिवेय, प्राञ्जल, ऋग्वर्णभेदा, प्राचीनयोग्य, राणायर्नाय मिलते हैं। सामवेद के छः प्रपाठक हैं इसका दूसरा नाम छन्द अर्चिक है। सामवेदीय उद्गातागण इसी को गाते थे। इसको सप्तसाम भी कहते हैं। सामवेद के उत्तर भाग का नाम उत्तरार्चिकया आरण्यगण है। सामवेद के ब्राह्मण भाग में आर्षेय, देवता ध्याय, अद्भुत ताण्डय, महा ब्राह्मण हैं। इस में दो उपनिषद छान्दोग्य और केनोपनिषद प्रधान हैं।

अथर्व वेद

अथर्ववेद की नौ शाखाओं के नाम इस प्रकार पाये जाते हैं—पैप्पल, दन्त प्रदान्त, स्नात, सौत्न ब्रम्हदावल, शौनक देवी दर्शती और चरण विद्या है। आज कल शौनक शाखा उपलब्ध है। इसकी मन्त्र संख्या १२३०० है जिनमें शत्रु पीडन, आत्म रक्षा, विपद्हरी कारण आदि कार्यों के लिये अनेक मन्त्र है। वर्तमान तन्त्र शास्त्र की उत्पत्ति अथर्व वेद ही से हुई है ऐसा प्रतीत होता है। इस वेद के ब्राम्हण का नाम गोपथ ब्राम्हण है। ज्ञान काण्ड में जाबाल कैवल्य, आनन्दवल्ली, आरूणीय, तेजोबिंदु ध्यानविन्दु, अमृतबिन्दु, ब्रम्हबिन्दु नादबिन्दु, प्रश्न मुण्डक, अथर्वशिरस गर्भ, माण्डुक्य, नीलरुद्र आदि उपनिषद मिलते हैं।

वेदाङ्ग।

वेदों का अर्थ साधारण कोष तथा विद्याभ्यास द्वारा ज्ञेय नहीं हैं। उनके सत्यार्थ समझने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। साधारण व्याकरण तथा काव्य कोष द्वारा वेदों के अर्थ लगाने से अर्थ का अनर्थ होता है यह प्रायः देखा जाता है। इस कारण परम पुज्य ऋषियों ने वेदाङ्गको निर्माण किया है। यह अङ्ग छः हैं। मुण्डकोपनिषद के अनुसार वेदांग इस प्रकार हैं—

शिक्षाकल्पो व्याकरणनिरुक्तंछंदोज्योतिषमिति

अर्थात शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरुक्त छंद, और ज्योतिष।

शिक्षा।

इस शास्त्र में वेद के पाठ करने की शैली विस्तरति रीति से वर्णित हैं। शब्द के साथ शाब्दिक भाव का और वाचक के साथ वाच्य का सम्बन्ध हैं। अतः अलौकिक शक्ति पूर्ण वेद के पद समूह द्वारा तब ही पूर्ण लाभ हो सकता है जब वे अपनी वैज्ञानिक शक्ति युक्त यथावत ध्वनि के साथ बोले जावें

वेद की साधारण शिक्षा में केवल ह्रस्वादि तीन स्वर भेदों का वर्णन, पाठकी शैली और हस्त चालनादि बहिः क्रिया की शैली का वर्णन किया गया है और सामवेद सम्बन्धीय संगीत शिक्षा में इन स्वर भेदों से और सात स्वरों की उत्पत्ति दिखा कर उन्हीं की सहायता ले मूर्च्छना आदि असाधारण सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति द्वारा शब्द विज्ञान की और विशेष अलौकिकता आविष्कृत की गई है। महामुनि नारद, पाणिनि आदि के ग्रन्थ पाये जाते हैं जो साधारण शिक्षा में अत्यन्त लाभदायक हैं परन्तु साम शिक्षा के ग्रन्थ प्रायः लोप हो गये हैं।

कल्प ।

यह शास्त्र मन्त्र सम्बन्धीय क्रिया सिद्धांश का वर्णन करने वाला है। इस वेदांग में अग्निष्टोम आदि नाना याग उपनयन आदि नाना संस्कार, और ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य आदि आश्रम सम्बन्धीय नाना कर्मों की वहिरंग साधन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। जितनी शाखाओं में वेद विभक्त हैं उतने ही स्वतन्त्र २ कल्प शास्त्र हैं। ये शास्त्र सूत्र बद्ध होने के कारण कल्प सूत्र नाम से प्रसिद्ध है। आज कल क्रिया काण्ड में जितने कल्प शास्त्रों का व्यवहार होता है वे प्रधानतः तीन भागों में विभक्त हैं यथा—श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, और गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र, में यागयज्ञादि कि विधि बताई गई है धर्म सूत्र में सामाजिक जीवन यापन में जितने प्रकार के नियम पालन करने होते हैं उनका वर्णन है। गृह्य सूत्र के अनुसार जात कर्म, विवाह आदि नित्यनैमित्तक कर्म किये जाते हैं। श्रौतसूत्रों की शाखाओं में से आश्वलायन, बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्य केशीन तथा कात्यायन, धर्म सूत्रों की शाखाओं में से वशिष्ठ, गौतम, बौधायन, तथा आपस्तम्ब और गृह्य सूत्रों की शाखाओं में से सांख्यायन, आश्वलायन, पारस्कर तथा गोभिल आदि उल्लेख योग्य हैं।

व्याकरण ।

यह शास्त्र शब्दानुशासन का द्वार रूप है। संस्कृत भाषा अपने नामानुसार संस्कृत और अपने सब अंगों में पूर्ण होने से सर्वथा नियम बद्ध है, इस कारण संस्कृत भाषा में व्याकरण की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस शास्त्र का प्रारम्भ भगवान पतञ्जली ने "अथ-शब्दानुशासन" से किया है।

निरुक्त ।

व्याकरण शास्त्र द्वारा प्रथम शब्दार्थ का बोध होता है और तदनन्तर निरुक्त शास्त्रोक्त विज्ञान द्वारा वेद का भावार्थ समझने में सहायता प्राप्त हुआ करती है। निरुक्त शास्त्र का निघन्टु नाम से एक अन्तर्विभाग है।

छंद ।

जिस प्रकार शिक्षा शास्त्र स्वर की सहायता से वैदिक कर्मकांड और उपासना कांड में सहायता करता है उसी प्रकार यह छंद शास्त्र भी छंदोविज्ञान की सहायता से अलौकिक शक्तियें

का आविष्कार करके वैदिक ज्ञान के विस्तार करने में और कर्म में सफलता प्राप्त कराने में बहुत ही उपकारी हैं। साधारण उपयोग इस शास्त्र का यह है कि वेदों का अध्ययन, पठन पाठन योग्य रीति से स्वरों सहित होता है और मन्त्रों के कठस्थ करने में तथा अर्थ समझने में सुगमता होती है।

ज्योतिष।

ज्योतिष शास्त्र के दो विभाग हैं—फलित और गणित। सूर्य, चन्द्र, शनि इत्यादि ग्रहों का चलना नियमित रूप से होता है और गणित द्वारा जाना जा सकता है। गणित ज्योतिष ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों के पर्यटन के नियमों को बताता है और फलित ज्योतिष इन ग्रहों का परिणाम मानव सृष्टि पर कैसा पड़ता है इन नियमों को अर्थात फलों को बताता है। ज्योतिष काल के स्वरूप का प्रतिपादक है। आर्य जाति में अनेकानेक विप्लव और दुर्दैवों के कारण कई शताब्दियों से गणित ज्योतिष की सारणी का संस्कार नहीं हुआ है इस कारण भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र की योग्य उन्नति नहीं है। यह आवश्यक है कि यन्त्रालयों के निर्माण द्वारा तथा पाश्चात्य जाति के नवीन दृग्गणित की शैलों की सहायता ली जावे।

उपवेद।

उप वेद चार भागों में विभक्त हैं यथा—

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति तेत्रयः
स्थापत्य वेदमपरमुपवेदश्चतुर्विधिः॥

आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद और स्थापत्य वेद ही चार उपवेद हैं।

आयुर्वेद।

शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखकर दीर्घायु बनाने के लिये यह वेद निर्माण हुआ है। इसकी उपयोगिता सर्व मान्य है।

धनुर्वेद।

इसके ग्रन्थों में मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, मन्त्र विज्ञान, लक्ष्यसिद्धि, अस्त्र-शस्त्रविज्ञान, युद्ध विज्ञान, आदि अनेक विषयों का वर्णन था। इसके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं।

गान्धर्व वेद।

संगीत शास्त्र के आर्षग्रन्थ छिन्न विछिन्न दशा में मिलते हैं। अर्वाचीन ग्रन्थ असली गान्धर्व वेद नहीं हैं।

स्थापत्यवेद।

इसमें नाना प्रकार के शिल्प, कला, कारु-कार्य, और पदार्थ विद्या का वर्णन था। इसके भी ग्रन्थ लुप्त प्राय हैं।

दर्शन शास्त्र।

दर्शन शास्त्र सात श्रेणी में विभक्त हैं। और यह सात विभावों के अनुसार तीन वर्गों में रक्खे गये हैं। (१) न्याय दर्शन और (२) वैशेषिक दर्शन (पदार्थ

(पदार्थवाद सम्बन्धीय) (३) योग दर्शन और (४) सांख्य दर्शन (सांख्य प्रवचन सम्बन्धीय) (५) कर्म मीमांसा (६) दैवी मीमांसा, और (७) ब्रह्म मीमांसा (वेदों के काण्डत्रय के अनुसार मीमांसा सम्बन्धीय) दर्शन कहाते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी दार्शनिक सिद्धांत को आर्यगण स्वीकार नहीं करते।

न्याय दर्शन ।

यह महर्षि गौतम प्रणीत है। इसको आन्वीक्षिकी तथा अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण अथवा दूसरे के समझाने के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पाँच अवयव का अवतारण का नाम न्याय है। इसके तीन भाग किये जा सकते हैं तर्क, न्याय, दर्शन। तर्कांश में तर्क निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा आदि विषय हैं। न्यायांश में प्रमाण आदि के विषय में चर्चा की गई है। और दर्शनांश में आत्मा अनात्मा की आलोचना है। न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य विषय दुःख निवृत्ति है।

वैशेषिक दर्शन ।

इस न्याय के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। इसमें विशेष नामक एक अतिरिक्त पदार्थ स्वीकृत होने से इसका नाम वैशेषिक दर्शन हुआ। धर्म विशेष से उत्पन्न द्रव्य गुण, कर्म्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छः पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य ज्ञान जनित तत्व ज्ञान के द्वारा निःश्रेयस लाभ होता है। इस प्रकार से निःश्रेयस लाभ का उपाय बताना ही वैशेषिक धर्म का उद्देश्य है।

योग दर्शन ।

इसके प्रवर्तक श्री भगवान पतञ्जलि हैं। योग दर्शन के चार पाद हैं समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, और कैवल्यपाद। इस दर्शन का नाम सांख्य प्रवचन भी है। इसका कारण यह है कि भगवान पतञ्जलि ने महर्षि कपिल के सिद्धांतों का ग्रहण किया है सांख्योक्त २५ तत्व अर्थात, पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व अहङ्कार, पञ्चतन्मा, एकादश इन्द्रिय, और पञ्च महाभूत इस दर्शन में स्वीकृत हैं परन्तु भगवान पतञ्जलि ने इनके सिवाय एक और तत्व का प्रचार किया वह तत्व ईश्वर है।

सांख्य दर्शन ।

इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य के मत में जगत त्रिगुणात्मक है। इसका २५ वां तत्व पुरुष है जो असंग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, और मुक्त स्वभाव है। संसार दुःखमय है पुरुषार्थ द्वारा वह दुःख दूर होता है। ज्ञान ही परम पुरुषार्थ है ज्ञानही के द्वारा मुक्ति का लाभ है यही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है।

कर्म्म मीमांसा ।

अथवा पूर्व मीमांसा—इस के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि हैं। इसमें १२ अध्याय हैं। यज्ञ, अग्नि होत्र, दान,

आदि विषय इसमें वर्णित हैं। कर्म ही वेद का प्रतिपाद्य होने से कर्म के सिवाय वेद का और अश वृथा है तथा वेद में जो तत्व ज्ञान दिया हुआ है उसका उद्देश्य देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व प्रमाण करके जीव को अदृष्टि स्वर्ग आदि के साधन रूप याग यज्ञ में प्रवृत्ति करना है, ऐसा जैमिनी मीमांसा का सिद्धांत है। महर्षि जैमिनी के मत में यज्ञ ही मोक्षफल का देने वाला है इस दर्शन में ईश्वर का नाम नहीं है कर्म मीमांसा के दूसरे ग्रन्थ के प्रधान आचार्य महर्षि भरद्वाज हैं।

दैवी मीमांसा।

इस मीमांसा के प्रतिपादन का विषय परमात्मा की आनन्द सत्ता है। एवं आनन्द सत्ता के सत् और चित्त दोनों में ही व्यापक होने से सद्भाव और चिद्भाव दोनों में ही आनन्द प्राप्त होती है। इसके प्रथम पाद का नाम रस पाद और द्वितीय पाद का नाम उत्पत्ति पाद है।

ब्रह्मी मीमांसा।

वेदोक्त ज्ञान काण्ड की प्रतिष्ठा वेदान्त दर्शन की लक्ष्यीभूत है। इसके प्रवर्तक महर्षि वेदव्यास हैं। वेद के अन्तिम (ज्ञान) काण्ड का प्रतिपादन होने से इसे उत्तर मीमांसा (वेदांत) कहते हैं और ब्रह्म ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय होने से इस का नाम ब्रह्मी मीमांसा है। मुख्य उद्देश्य जीव को दुःखमय संसार से मुक्त करके आनन्द मय ब्रह्म पद में स्थापित करना है।

स्मृति।

वैदिक तत्वों को स्मरण करके पूज्यपाद महर्षियों ने सकल अधिकारियों के कल्याण के लिये जो ग्रन्थ प्रणयन किये हैं उनको स्मृति शास्त्र कहते हैं।

प्रधान स्मृतियां।

मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप, और वशिष्ठ।

उप स्मृतियां।

गोभिल, जमदग्नि, विश्वामित्र, प्रजापति, वृद्ध, शातातप, पैठीनसि; आश्वलायन, पितामह, बौद्धायन, भरद्वाज, छागलेय, जाबालि, च्यवन, मरीच, कश्यप। कहीं २ ऐसा मत भी देखने में आता है कि केवल (१) मनु और (२) याज्ञवल्क्य प्रधान स्मृतियां हैं और बाकी उपस्मृतियां है और जिन्हें ऊपर उपस्मृतियों में गिनाया है वे औप स्मृतियां हैं। कोई २ श्री महाभारत को पञ्चम वेद कहते हैं और कोई २ इसके बहुत से अंशों को स्मृति भी कहते हैं एवं कोई कोई आचार्य इसी प्रकार सब पुराणों के विशेष अंशों को भी स्मृति कहते हैं।

अन्य सब उपदेशों के अतिरिक्त स्मृतियों में प्रति दिन के कार्य क्रम और सामाजिक रीतियों का वर्णन है।

चार्वाक मत ।

महाभारत के युद्ध के पश्चात भारत वर्ष में अंधकार सा छा गया । बड़े २ योद्धा, नीतिज्ञ, धर्मपरायण सज्जन, विद्वान अर्थात भारत वर्ष की संस्कृति के आधार स्तंभ मारे गये और भारतवर्ष में अवनति आरंभ होगई । वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा । वैदिक मन्त्रों के आधार पर पशु यज्ञ होने लगे और जनता में बुद्धि भेद प्रगट होगया । मत-मतान्तरों के उत्पन्न हो जाना इन्हीं सब कारणों का फल है ।

बृहस्पति नामक ब्राह्मण को व्यभिचार करने के कारण उसकी जाति ने बहिष्कृत करदिया । अतः उसने ब्राह्मणों से बदला लेने के लिये चार्वाक को एक नूतन मत लोकायतिक (अर्थात जो साधारण रीति से माना जा सके ऐसा) मत प्रचार करने के लिये तय्यार किया । चार्वाक के पिता का नाम इन्द्रकांत और माता का नाम श्रवणी था । उसका जन्म युधिष्ठिर शक ६६१ (ई० स० पूर्व २४२९) वैसाख शुद्ध १५ को हुआ था चार्वाक ने ब्राह्मणों की निन्दा करना आरम्भ किया तथा वेदों में अनेक अनाचार लिखे हैं ऐसा ही बताना आरम्भ किया । सर्व साधारण को उसने यह बताया कि सृष्टि का रचियता कोई नहीं है । पृथ्वी, वायु, तेज और जल इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई । चार्वाक की मृत्यु पर उसके अनुयायियों में ४ भेद हो गये जो (१) देह (२) मन (३) प्राण (४) इन्द्रियों को ही ईश्वर मानने लगे ।

चार्वाक के बाद इस मत का एक बड़ा आचार्य क्षपणक नामक हुआ परन्तु यह मत सर्व ग्राह्य नहीं हुआ ईस्वी सन की आठवीं शताब्दी में भी कुछ अनुयायी इस मत के थे अब कोई नहीं है ऐसा मालूम होता है ।

जैन धर्म ।

—————

यह धर्म भी वैदिक धर्म की शाखा है । इस धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ, तीर्थंकर थे ऐसा जैन मतावलम्बी कहते हैं । जैन मतानुसार जगत का रचयिता कोई ईश्वर नहीं है परन्तु जो मनुष्य मुक्त हुए हैं अर्थात जो अवस्था दुःख रहित हुए हैं वही ईश्वर होते हैं ।

इस धर्म का विशेष प्रचार तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया । इनके पहिले कॉकवैंक राजा (पटना बिहार) ने जैन मत का प्रचार किया था । वे जैनाचार्य कहलाते हैं । अरिहन्त ने जैन धर्म को और भी प्रकाशित किया । यु० स० १५३३ (ई० पू० १५६७) में अरिहन्त निर्वाण को प्राप्त हुए ।

इसी समय बौद्ध धर्म के प्रचार ने जैन धर्म की प्रगति को रोक दिया परन्तु महावीर स्वामी (जन्म ई० स०पू. ५८२) के प्रादुर्भाव से जैन धर्म को पुनः शक्ति प्राप्ति हुई उन्होंने बौद्ध धर्म के आचार्यों को परास्त किया । महावीर स्वामी ने ॐ का मंत्र स्थापन

रक्खा है। इस धर्म ने जीव और निर्जीव आदि को अनन्त माना है।

महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात तीथङ्करों की मूर्तियों की पूजा आरम्भ हुई। श्रृङ्गार में मत भेद होने से २ भेद होगये हैं (१) दिगाम्बरी (२) श्वेताम्बरी सम्प्रदाय।

श्वेताम्बर अपनी मूर्तियों को वस्त्रालङ्कारों से विभूषित करते हैं दिगम्बर नहीं करते। श्वेताम्बर १२ स्वर्ग व ६४ इन्द्र मानते हैं। दिगम्बर १६ स्वर्ग और १००इन्द्र मानते हैं। श्वेताम्बर स्त्री को मोक्ष की अधिकारणी मानते हैं दिगम्बर नहीं।

"अहिंसा परमो धर्मः" इसी तत्त्व को जैन पूर्ण रूप से पालन करना चाहते हैं। जैनी पुनर्जन्म मानते हैं, जातिभेद नहीं मानते। इस धर्म के अनुयायी करीब १६ लाख हैं। गिरनार अष्टापद, पावापुरी, चम्पापुरी, पालीताना, अम्बू, सम्मेद शिखर यह सात इन के मुख्य धाम हैं। इस धर्म के लोग विशेष कर व्यापारी हैं। कहा जाता है कि इसी धर्म के २४ तीर्थकरों के कारण विष्णु के २४ अवतार पौराणिक मतावलम्बी मानने लगे।

बौद्ध सम्प्रदाय।

कपिल वस्तु (नेपाल) के राजा शुद्धोधन के पुत्र (ज०५५७ ई० पूर्व) गौतम ने य सम्प्रदाय चलाया। इस समय का भी वातावरण पशु हिंसा पूर्ण था। इसी कारण इस धर्म का भी मूल मंत्र अहिंसा है। गौतम ने योग साधन तथा तप द्वारा बुद्धगति प्राप्त की इस कारण उनका नाम बुद्ध हुआ। उन्होंने युवा अवस्था ही में राज पाट त्याग दिया था और निर्माण मार्ग के चिन्तन में अपने आप को लगा दिया। अपने जीवनक्रम में ही मगध, मिथिला, अयोध्या, व काशी प्रदेशों में अपने सम्प्रदाय का अच्छा प्रचार कर दिया था। बुद्ध देव ने वेदों को नहीं माना और वर्ण भेद को भी नहीं माना। इस कारण ब्राह्मणों से बडा ही मतभेद हुआ।

बुद्ध देव ने कोई लिखित ग्रन्थ नहीं छोडा। उनकी मृत्यु के बाद ४ महासभायें हुई (१)मगध के राजा अजात शत्रु के समय में (ई० पू०पांचवीं शताब्दी) इस सभा में महात्मा बुद्ध का उपदेश सग्रह हो कर बौद्ध शास्त्र बना। यह शास्त्र तीनप्रकार का था,सूत्रपिटक विनय, पिटक, और आदि धर्म पिटक, जिन्हे त्रि पिटक कहते हैं। बौद्ध शास्त्रके द्वादस विभाग हैं—अंग, सम रोय, व्याकरण, गाथ,उदान,इतिवुत्तक, जातक, अवभूत, वेदल्ल, निदान, अवदान, और उपदेश है।

(२) सम्राट कालाशोक (४थी शताब्दी ई० पू०) (३) अशोक (ई० पू० २४९४७।

(४) कश्मीर के राजा कनिक (ई० पू० १४३)

बौद्ध शास्त्र पहिले संस्कृत भाषा में रचे गये उसके बाद तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद हुआ।

बौद्ध मतावलम्बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। जड़ पदार्थ ही नित्य हैं और इसीकी शक्ति से ही सृष्टि चल रही हैं। नेपाल में सम्प्रदाय एक बुद्धि का असतित्व अनादि और अनन्त मानते हैं। सिंहली बुद्ध नास्तिक हैं। नेपाल और चीन देश के बौद्ध ज्ञानी बुद्ध, बोधिसतत्व आदि बुद्ध, और अन्य देवता ओं की मानते है।

बुद्ध गया मुख्य तीर्थ स्थान है। इस सम्प्रदाय के भिक्षुओं ने ब्राह्मण देश, चीन, जापान, लंका आदि देशों में यह सम्प्रदाय चलाया। इस मत पर भी पौराणिक रीतियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके चार पन्थ हैं—शून्य वाद, योगाचार सौत्रांतिक, व वैभाषिक। ई० सन की ८ वीं शताब्दी में भारत से यह पंथ लुप्त प्रायः हो गया जिसका मुख्य कारण शंकरा चार्य का दिग्विजय था।

पुराण काल।

पुराणों का अर्थ इतिहास है ऐसा वैदिक ग्रन्थों से सिद्ध होता है। किन्तु अर्वाचीन काल में पौराणिक शब्द कुछ विचित्र हो गया है। पुराण का अर्थ अब विशेष ग्रन्थ ही समझा जाता है। बौद्ध काल के अन्तिम काल से पौराणिक काल का आरम्भ आधुनिक विद्वान मानने लगे हैं किन्तु ऐसा मानना भूल है। उपनिषदों में भी पुराणों का उल्लेख है। अस्तु।

महा पुराण।

महा पुराण १८ हैं—ब्रह्म, पद्म, विस्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड

उप पुराण।

उप पुराण भी अष्टादश हैं—सनतकुमारोक्त, आद्य, नारसिंह, कुमारोक्त, वायवीय, नन्दीशभाषित, दुर्वासस, नारदीय, शिव धर्म, नन्दीकेश्वर, उशनावकापिल, वारुण साम्ब, कालिका, माहेश्वर, दैव, पाराशर, मारीच, भास्कर।

इसके अतिरिक्त मुद्गल व कल्कि, बृहद्धर्म भी पुराण हैं।

कुमारिल भट्टाचार्य का, वेदोक्त कर्म काण्ड।

वैदिक धर्म पर बौद्ध तथा जैन मतों ने बड़ा ही आक्रमण किया और ईसा की शताब्दी के करीब वैदिक कर्म कांड का बिलकुल लोप सा हो रहा था। ऐसे समय में कुमारिल भट्ट ने वेदोक्त कर्मकांड की पुनः जागृति की। कुमारिल भट्ट तैलंगी ब्राह्मण थे और उनका जन्म ७२१ ई० में महानदी

तटवर्ती जयमंगल ग्राम में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि चम्पा नगरी के राजसभा के बौद्ध पंडितों को परास्त किया और वेदोक्त कर्मकांड का प्रचार किया। चूकि इन्होंने बौद्ध गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की थी और फिर बौद्धों को ही हराया था इस कारण उन्होंने गुरुद्रोह के लिये देहांत प्रायश्चित्त के निमित्त चिता में प्रवेश किया। उन्होंने बौद्ध मत खडन सम्बन्धी ७ ग्रन्थ लिखे। उनके शिष्य विश्वरुप, मुरारीमिश्र प्रभाकर, पार्थ, सारथी, तथा मडनमिश्र थे।

(१) शैवसम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय कब प्रचलित हुआ यह ठीक नहीं कहा जा सकता। रामायण और महाभारत ग्रन्थों में शिव जी का महातम्य दिया हुआ है। यह सम्प्रदाय अति प्राचीन है। बौद्ध ग्रन्थों में भी महादेव का उल्लेख है। संस्कृत नाटकों में शिवजी की आराधना आरम्भ में पाई जाती है।

(२) केवलाद्वैत

इस मतके प्रवर्त्तक श्री शंकराचार्य थे। उनका जन्म ७८९ ई० में केरल देश में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सती था।

इस सम्प्रदाय में वैदिक ज्ञानकांड पर जोर दिया गया है। श्री मान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भगवद्गीता तथा उपनिषदों के भाष्य तथा अनेक धार्मिक ग्रन्थ लिखे। श्रीमान आचार्य जी ने बौद्धों तथा मंडन मिश्र सरीखे कर्म कांडी ब्राह्मणों को भी परास्त किया। साधारण मनुष्यों में धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने मूर्ति पूजा कायम रक्खी और मठ भी कायम किये (१) द्वारिका में शारदा मठ (२) जगन्नाथपुरी में गोवर-धन मठ (३) हरिद्वार में ज्योतिर्मठ मैसूर में श्रृंगेरी मठ (५) काशी में सुमेर मठ।

(३) रसेश्वर

इसकी स्थापना ६ठीं ई० शताब्दी में हुई। शरीर को अमर बना कर मोक्ष हो सकता है और पारदादि रसों के सेवन से ही शरीर अमर हो सकता है ऐसा सम्प्रदाय का मत है। यह सम्प्रदाय शैव है।

(४) पाशुपत मार्ग

यह सम्प्रदाय भी शैव है इसके स्थापक नकुलीश थे जो पांचवी शताब्दी में हुये। उन्हों ने पाशुपत नामक सूत्रग्रन्थ की स्थापना की है।

(५) प्रत्य भिज्ञा।

अभिनव गुप्ताचार द्वारा ईसा की छठीं शताब्दी में यह सम्प्रदाय स्थापित हुआ। सिद्धांत यह है कि जीव शिव से भिन्न नहीं है और दृश्य जगत शिव का आभास है।

(६) दत्तात्रेय पंथ ।

श्री दत्तात्रेय का अवतार त्रेता युग में अत्रि ऋषि की पत्नी महासती अनुसूया के उदर से हुआ । उन्हीं के उपदेशों के आधार पर ईसा की ५ वीं शताब्दी में यह पन्थ किसी योगी ने चलाया । यह पन्थ ज्ञान मार्ग को ही मुख्य मार्ग समझता है ।

(७) लिंगायत (शैव) सम्प्रदाय ।

कल्याण (दक्षिण) देश के राजा बीजल के साले का नाम बसव था जिसे राजा ने अपना मन्त्री बनाया । बसव ने यह अवसर पाकर एक नवीन मत चलाया जिस में जात पांत का भेद न रक्खा केवल शिवलिंग की पूजा ही प्रधान मार्ग बताया । इस पन्थ में शिव लिंग के चिन्ह शरीर पर धारण करना प्रचलित है इस लिये इसे लिंगायत कहते हैं । बीजल ने कुछ काल के बाद उसे निकाल दिया और बसव ने कुंये में गिर कर आत्मघात किया । इस कुयें वाले नगर को उलवी कहते हैं और वह लिंगायतों का तीर्थ स्थान है । कर्नाटक का दक्षिण भाग , कानड़ा जिला निजाम राज्य, कोल्हापुर स्टेट बल्लाभारी जिला में तथा मैसूर स्टेट में लिंगायतों का प्राबल्य है । इस देश में २६ लाख लिंगायत रहते हैं । इस सम्प्रदाय की स्थापना १० वीं शताब्दी में हुई ।

(८) शाक्त सम्प्रदाय ।

यह सम्प्रदाय अतिप्राचीन है । तंत्र शास्त्र इस का मूल ग्रन्थ है । इस मत में शक्ति की उपासना भिन्न २ नामों से की जाती है—काली, तारा, जगदम्बा, सिंहबाहिनी, जगद्धात्री इत्यादि । गुरु व शिष्य का इस पन्थ में बड़ा माहात्म्य है । मांस और मदिरा से शक्ति (देवी) की पूजा करना पशु, पक्षी, और मनुष्य तक को बलिदान देना योग्य समझा जाता है ।

(९) वामाचारी सम्प्रदाय ।

इसे वाममार्गी भी कहते हैं । इसमें "मद्यं, मांसञ्च, मत्स्यञ्च, मुद्रा, मैथुन-मेवच । मकार पञ्चकञ्चैव, महापातक नाशनम्" धर्म के मूल तत्व हैं । सब प्रकार के व्यभिचार ग्राह्य हैं ऐसा इस पन्थ के प्रवर्त्तकों का कहना है । यह पन्थ शक्ति सम्प्रदाय का उग्र स्वरूप है । इस पन्थ का मुख्य तीर्थ स्थान आसाम में कामाक्षी देवी का मन्दिर है जहां भग का पूजन होता है । इस मत में भेद हैं-चोलीपन्थी, करारीपन्थी, शीतला पन्थी, मार्गी, मातापन्थी, कूड़ापन्थी इत्यादि ।

(१०) वैष्णव सम्प्रदाय ।

वैष्णव सम्प्रदाय के मुख्य ५ आचार्य हैं जिनके अवलम्बी इस समय पाये जाते हैं (१) विष्णु स्वामी (२) रामानुजाचार्य (३) मध्वाचार्य (४) निम्बार्क (५) चैतन्य ।

(क) विष्णु स्वामी का प्रादुर्भाव सम्भवतः ३ री शताब्दी ई० में हुआ उन्हों ने विष्णु की उपासना का आदेश दिया और विष्णु की मूर्ति पूजा औ

उन्हों ने योग्य बतलाई। विष्णु स्वामी ने व्यास सूत्र पर भाष्य और गीता पर व्याख्या लिखी। वे ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे इस कारण उनके मत का प्रचार कम हुआ। उनके बाद ज्ञानदेव, नामदेव केशव त्रिलोचन, हीरालाल, और श्रीराम प्रभृति सज्जनों ने यह सम्प्रदाय चलाया। केशव ने गोस्वामी की पदवी वंश परंपरा के लिये ग्रहण की। ई० स० ८०९ में श्री शंकराचार्य के किसी शिष्य ने इस पन्थ के गोस्वामी बिल्वमंगल को परास्त किया और परमात्मा साकार है इस मत का खन्डन किया। उस समय से यह गद्दी उच्छिन्न हो गई फिर अनेक शताब्दियों के बाद यह सम्प्रदाय फिर चला।

(ख) (१) रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत अथवा श्री सम्प्रदाय।

रामानुजाचार्य ने शैव सम्प्रदाय तथा केवलाद्वैत मत को बढ़ता देख वैष्णव सम्प्रदाय को जाग्रत करने के लिये वेद और उपनिषदों के सहारे विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय स्थापित किया। उन्होंने न्याय दर्शन के द्वारा जीव और ब्रह्म में भेद बताकर अद्वैत वाद का खन्डन किया। ब्रह्म अद्वितीय है, परन्तु केवल नहीं, विशिष्ट है। परमात्मा एक है परन्तु जीव भिन्न है। भक्ति को प्रधान बताया और विष्णु के दो अवतार—राम, कृष्ण—की पूजा का उपदेश किया। जगन्नाथ काशी, जैपुर, में मठ स्थापित किये गये।

अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान रूप है और जगत, भ्रमात्मक तथा मिथ्या है। रामानुजाचार्य ने यह प्रतिपादन किया कि ज्ञान अमता में अज्ञान नहीं रह सकता। परमात्मा पुरुष है और जीव भी पुरुष है परंतु जीव सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता है। परमात्मा ही कर सकता है इसी अर्थ में यह विशिष्टाद्वैत है। जीव मुक्त होकर लय होता है।

[२] रामानन्दी सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय उत्तरी भारत में प्रचलित है। इसके अनुयायी राम, लक्ष्मण, सीता, और हनुमान की उपासना तथा पूजा करते हैं। रामानन्द शिष्य रामानुजाचार्य के थे ऐसा कहते हैं किन्तु कोई प्रमाण नहीं है। भक्त माल की शिष्य परंपरा इस प्रकार है—रामानुज के देवाचार्य, राघवानन्द, और उनके रामानन्द, शिष्य हुए इस प्रकार रामानन्द और रामानुज के समय में बड़ा अन्तर पड़ता है। रामानन्द का मठ काशी में है और एक वेदी पर उनके पद चिन्ह भी बताये जाते हैं। इस सम्प्रदाय में गृहस्थ और त्यागी दोनों होते हैं।

(ग) मध्वाचारी सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदाय का असली नाम ब्रह्मसम्प्रदाय है। इसे पूर्णप्रज्ञ सम्प्रदाय भी कहते हैं। मध्वाचार्य का जन्म ई० स० १२२९ में हुआ था। उन्होंने अनन्तेश्वर मठ में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया था और शंकर मतानुसार संन्यास ग्रहण किया था उस समय उन्होंने अपना नाम आनन्द तीर्थ रक्खा था। उन्होंने गीता पर एक भाष्य लिखा

है। शंकराचार्य का अद्वैतमत उन्हें पसंद न आया और श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत (त्रियातत्व युक्त) मत भी पसंद न पड़ा। इस कारण उन्हों ने द्विधा युक्त द्वैतमत का प्रतिपादन किया। उन्होंने विष्णु को ही जगत का निर्माता बताया। और जिस प्रकार वह सृष्टि पैदा करता है उसी प्रकार जीव को दण्ड भी देता है। परमात्मा और जीव दोनों अनादि है। मध्वाचार्य जीवात्मा को परमात्मा में लय हो जाना स्वीकार नहीं करते। कैवल्य के समय भी जीवात्मा अलग रहता है केवल जैसे सूर्य के सम्मुख तारे दिखाई नहीं देते वैसे ही जीवात्मा का प्रकाश परमात्मा के सम्मुख अलग नहीं दीखता। शैवों का योग और वैष्णवों का सायुज्य नहीं मानते। इस पंथ में ब्राह्मण और सन्यासियों को ही दीक्षा मिल सकती है। अस्पृश्य जाति को नहीं मिल सकती।

(घ) निम्बार्क सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक भास्कराचार्य प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनका जन्म १०२६ शकाब्द में बेदर (हैदराबाद निजाम) में हुआ था।

उनके पिता का नाम महेश्वर भट्ट था उन्हों ने अपने पिता के पास गणित महूर्त ग्रन्थ, सिद्धांत ग्रन्थ, वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके समय में जैन मत का प्राबल्य था। भास्कराचार्य ने वैष्णव सम्प्रदाय का प्रचार किया। उन्हों ने मन्दिरों में राधाकृष्ण की मूर्तियों की पूजा करने का उपदेश किया। कहते हैं कि एक जैन अतिथिको संध्या समय भोजन करावेमें देर होरही थी तो उन्होंने सूर्य भगवान को अस्त होने से कुछ समय तक रोक दिया और सूर्य भगवान एक निम्ब वृक्ष पर दिखाई देते रहे इस लिये भास्कराचार्य का नाम निम्बार्क और निम्बादित्य पड़ा। कहते हैं उन्होंने वेद भाष्य लिखा था जो मथुरा पर औरंगजेब द्वारा चढ़ाई के समय नगर के साथ जल गया निम्बार्क के दो शिष्य थे—केशव भट्ट और हरिव्यास। उनके कारण यह सम्प्रदाय दो श्रेणियों में विभक्त होगया है(१) विरक्त (२)गृहस्थ। यमुना के किनारे मथुरा के पास ध्रुवक्षेत्र में निम्बार्क की गद्दी है।

(ङ) चैतन्य सम्प्रदाय।

वैष्णव सम्प्रदायों में यह सम्प्रदाय बहुत बड़ा है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक महात्मा चैतन्य थे और नित्यानन्द और अद्वैत उनके सहायक थे। सम्प्रदाय के अनुयायी श्रीचैतन्य को कृष्ण का अवतार मानते हैं। महात्मा चैतन्य का जन्म १४०७ शकाब्द में नवद्वीप (बंगाल) में हुआ उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची था। चैतन्य का दूसरा नाम निमाई था और गौर वर्ण के कारण उन्हें गौराङ्ग भी कहते हैं। उनके दो ब्याह हुये किन्तु २४ वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य आगया और

उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। हरि कीर्तन और ईश्वरोपासना में वे इस प्रकार तन्मय रहते थे कि उन्हें बाह्य सृष्टि का कुछ भी ध्यान न रहता था। नित्यानन्द और अद्वैत उनके सहायक थे परन्तु उन्हें भी इस सम्प्रदाय वाले महा प्रभु कहते हैं। इस पन्थ में प्रेम भक्ति को ही प्रस्थान दिया गया है। चैतन्य महा प्रभु ने मुसलमान तथा अन्य म्लेच्छ जाति के लोगों को भी शिष्य बनाया। भक्ति सबके लिये समान मार्ग है। कोई ऊंच नीच नहीं है। हरिनाम स्मरण के अतिरिक्त कोई उपाय परित्राण का नहीं। गुरू को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है यहाँ तक कि भगवान अप्रसन्न हो जावें किंतु गुरू अप्रसन्न न हों क्यों कि गुरू की अप्रसन्नता से नाश हो जाता है। इस सम्प्रदाय की अनेक शाखायें हैं जो इस प्रकार हैं:—

[१] स्पष्टदायक—इस शाखा वाले गुरुओं का देवत्व नहीं मानते और एकाधिपत्य नहीं मानते। धर्म विषय में स्त्रियों को भी स्वतंत्र मानते हैं। आश्रमों में स्त्री पुरुष एक साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं।

[२] बाऊल—इस सम्प्रदाय वाले शरीर को राधाकृष्ण और अन्यान्य देवों का निवासस्थान मानते हैं। इस मतानुसार पुरुष और प्रकृति (स्त्री) का प्रेम ही मोक्ष का साधन है। वामाचारियों की तरह इस पंथ में भी व्यभिचार को स्थान है। मल;मूत्र भी ग्राह्य कहा गया है

[३] न्याडा—इस पंथ वाले नित्यानन्द के लड़के वीरभद्र को अपना प्रवर्त्तक बतलाते हैं। इसमें और बाऊल पंथ में विशेष भेद नहीं है।

[४] सहजी—इस मतानुसार प्रत्येक पुरुष अपने को शिक्षागुरु किंवा कृष्ण मानता है और प्रत्येक स्त्री अपने को राधा मानती हैं और सब स्त्री पुरुष जब चाहें तब सहज साधना (स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन) द्वारा मोक्ष प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं।

[५] गौराङ्ग सेवक—इस मत वाले चैतन्य स्वामी को राधा कृष्ण दोनों का सम्मिलित अवतार मानते हैं और मन्दिरों में उन्ही की पूजा करते है।

[६] दरवेश—इस वैष्णव शाखा का प्रवर्त्तक चैतन्य का कोई शिष्य था ऐसा कहा जाता है किन्तु उसकी श्रद्धा इसलाम धर्म पर भी थी ऐसा मालूम होता है। इस मत की भजनावली में अल्ला, मुहम्मद, इत्यादि शब्द मिलते हैं। दरवेश शब्द भी फारसी है।

[७] कर्त्ता भक्त—राम शरण पाल ने पूर्णचन्द्र नामक उदासीन से दीक्षा ग्रहण की और यह मत चलाया। यह मत जाति भेद और स्पर्श दोष नहीं मानता। गुरुओं को महाशय कहते हैं। चैतन्य, पूर्णचन्द्र, और रामशरण पाल को एक ही मानते हैं। बंगाल के साधारण जनों में से लाखों मनुष्य इस सम्प्रदाय में है।

[८] रामवल्लभी—कृष्णकिंकर, गुण-सागर, और श्रीनाथ इन तीन मनुष्यों ने रामशरणपाल का मत न मान कर यह पन्थ चलाया। इस मतानुसार सभी जाति सभी देव और सभी धर्म एक हैं। "परम सत्य" वेदी पर ईसा मुहम्मद और नानक को नैवेद्य देते हैं और भगवद्‌गीता, बाइबल और कुरान का पाठ करते हैं। जाति भेद नहीं मानते।

[९] इनके अतिरिक्त अनेक शाखायें हैं जैसे सतकुली, अन्तकुली, पागलनाथी, दर्पनारायणजी, विश्वाली, सहज, कर्ता-भक्त, जगन्मोहिनी, तिलकदासी, अति-बड़ी इत्यादि।

११- शुद्धाद्वैत (पुष्टिमार्ग वल्लभाचारी)

इस मार्ग के प्रवर्तक श्रीमान् वल्लभाचार्य थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। वे तैलङ्गी ब्राह्मण थे। उनके पिता काशी में तीर्थाटन के लिए आये तब हिन्दू मुसल्मानों में झगड़ा हो गया इस कारण उनके पिता चम्पारन (बिहार) चले गये वहां वल्लभाचार्य पैदा हुए (जन्म सम्वत् १५३५) उनका पहिला नाम वदक्रम था। वल्लभाचार्य ने नारायण भट्ट से वेद, शास्त्र, न्याय, पुराणादि का अध्ययन किया था। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि ब्रह्माण्ड में जो परमाणु हैं, उनका नाश नहीं होता। केवल रूपान्तर होता है। रूपान्तर को ही तिरोभाव और आविर्भाव कहते हैं। परमात्मा साकार है और सृष्टि दो प्रकार की—जीवात्मक और जड़ात्मक है इन्हीं के सम्मिश्रण से यह रूप-रूपान्तर दिखाई देते हैं। इन तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। विष्णु स्वामी के "परमात्मा साकार" मत का प्रतिपादन करने से वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के मठाचार्य नियुक्त हुए। उन्होंने गद्दी गोकुल में रक्खी और पुष्टिमार्ग की स्थापना की। अद्वैत वाद को ग्रहण किया। उन्होंने राधाकृष्ण की क्रीड़ा और प्रेम पूर्वक भक्ति का उपदेश दिया और अपने सम्प्रदाय को अधिक रसिक और अधिक मनोरञ्जक बनाया उद्देश्य यही मालूम होता है कि सर्व साधारण का झुकाव मनोरञ्जन की तरफ अधिक होता है। विष्णु स्वामी ने सन्यास को अभीष्ट बताया था किन्तु वल्लभाचार्य ने उसे निरर्थक बताया। उन्हें दो पुत्र हुए। श्रीनाथ की मूर्ति उन्होंने पहिले गोवर्द्धन में प्रतिष्ठित की बाद को सम्वत् १५७६ में वे उसे मेवाड़ ले गये। वहां से काशी चले आये और वहीं इनकी सद्‌गति हुई।

पन्थ ।

१—कबीर पन्थ ।

भारत में कबीर पन्थ छोटी कहाने वाली जातियों में प्रचलित है किन्तु इस पन्थ के प्रवर्तक को सभी आदर की दृष्टि से देखते हैं । कबीर किस जाति के थे यह निश्चित नहीं है किंतु वे ब्राह्मण थे ऐसा अधिक लोग मानते हैं । उन्हें पैदाइश से ही एक बूढ़े जुलाहे ने पाला था और बाल्यावस्था से ही उन्हें वैराग्य आ गया था । उन्होंने युक्ति चातुर्य से रामानन्द की दीक्षा प्राप्त की थी ।

कबीर के अनेक सिद्धांत वैष्णवी हैं किन्तु अनेक बातें इसलाम मत के अनुकूल हैं । उन्होंने दोनों में से अपने सिद्धांत कायम किये हैं । वे मूर्ति पूजा नहीं बताते और न मांस मदिरा का सेवन बताते हैं । पुनर्जन्म को उन्होंने माना किन्तु जाति भेद नहीं । परमेश्वर और अल्ला एक ही है ।

कबीर ने काशी नरेश को जो उपदेश दिया था वह बीजक में संग्रहित है । यह ग्रन्थ ७०० अध्यायों में विभक्त है । शब्दावली और सुखविधान दो ग्रन्थ पूजनीय माने जाते हैं ।

महात्मा कबीर का देहान्त गोरखपुर जिले में मगर गाँव में हुआ । कहा जाता है कि उनके शव के लिये हिन्दू व मुसलमान दोनों लड़ने लगे । शव पर से कपड़ा हटाने पर केवल फूल ही मिले । काशी नरेश वीरसिंह ने आधे फूल मंगा कर मणिकर्णिका घाट पर अग्नि संस्कार किया और वहाँ कबीर चौरा बनवाया । मुसलमानों ने आधे फूल दफनाये और उसी गाँव (मगर) में बीजल खान पठान ने समाधि बनवाई । दोनों स्थान पवित्र माने जाते हैं । कबीर के मुख्य शिष्य १२ थे—धर्मदास, भागूदास, जीवनदास, ज्ञानी, साहेबदास, नित्यानन्द, आदि ।

२—सिख सम्प्रदाय ।

गुरु नानक जन्म १४६९ ई० में नानकुचान (पंजाब) में हुआ था । बाल्यावस्था से ही नानक की चिकित्सा प्रवृत्ति थी और वैराग भी था । उनका व्याह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ और दो पुत्र भी हुये किन्तु शीघ्र ही उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया । वे मक्का, मदीना तक गये फिर उन्होंने सन्यास छोड़ दिया और सब जाति के लोगों को धर्म उपदेश करने लगे । उन्होंने बताया कि आत्म शुद्धि बिना कुछ नहीं हो सकता, आत्मा ईश्वर का अंश है, वेद के ज्ञान काण्ड को मानना, मूर्ति पूजा असत्य है, ईश्वर अवतार नहीं लेता, गुरु का लिखा ग्रन्थ ही वेद है, जाति पाँति का भेद असत्य है इत्यादि ।

नानक के बाद अंगद, अमरदास, रामदास, तथा अर्जुन देव ने गुरू का स्थान ग्रहण किया। अर्जुन देव मुसलमानों द्वारा मारे गये। उनके बाद हरिगोविन्द गुरू ने सिक्खों को तलवार पकड़ना सिखाया। नवें गुरू तेगबहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। गुरू गोविन्दसिंह ने सिख जाति को पूर्ण सैनिक जाति बना दिया। औरंगजेब से उन्होंने खूब युद्ध किया। उनके दो पुत्र निर्दयी औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिये। इतना होने पर भी सिखों ने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिये। पाँच वस्तुओं का रखना प्रत्येक सिख पर बाध्य है—कड़ा, केश, कन्घा, कच्छ, और कृपाण। गुरू ग्रन्थ साहेब सिखों की पूज्य पुस्तक है।

अमृतसर शहर अर्जुन देव का बसाया हुआ है। वह एक झील के बीच बसाया गया है।

नानक पन्थ की अनेक शाखायें हैं जैसे कूका पन्थी, गाँजा भक्षी, सुथी-शाही, निर्मल, और रामरायी आदि।

इस पन्थ के अनुयायी करीब २५ लाख के हैं। अकाली आंदोलन आगे दिया जा रहा है।

३—मानभाव पन्थ।

इस पन्थ के स्थापक कृष्णभट्ट का जन्म १०४७ ई० में दक्षिण प्रान्त शेम्बे ग्राम में हुआ था। वह कृष्ण वेश में रहता था और लोगों को कृष्ण का दर्शन देता था। पैठन स्थान के राजा चन्द्रसेन के मन्त्री हेमाड़पन्त ने उसके छल को जान लिया और उसे कारागार में डाल दिया। तौ भी इस पन्थ के अनुयायी अभी तक महाराष्ट्र और बिहार में पाये जाते हैं। इस पन्थ के पाँच मठ हैं—रूघुर, कारञ्ज, दरियापुर, फलटन और पैठन एक महन्त गद्दी अधिकारी होता है।

४—इलाही मत।

अकबर ने यह मत ई० सन् १५७५ में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी मतों के सिद्धान्तों को सम्मिलित करके कायम किया था। जाति बन्धन इस मत के अनुयायिओं के लिए नहीं रक्खा गया। किन्तु यह मत चल न सका।

५—खीजड़ा अथवा प्रणामी पन्थ।

इस पन्थ के प्रवर्त्तक देवचन्द और प्राणनाथ थे। देवचन्द का जन्म अमरकोट (सिन्ध) में सन् १६५८ में हुआ था। वे बड़े विद्वान थे और उन्होंने जप तप बहुत किये। प्राणनाथ से मित्रता होने पर उन्होंने यह पन्थ स्थापित किया। प्राणनाथ पन्नापुर राज्य में उच्चपद पर थे इस कारण कुछ अनुयायी पन्थ के हो गये। वैष्णवी सिद्धान्तों के साथ कुछ सिद्धान्त इसलामी भी हैं। कृष्ण की उपासना इस पन्थ का मुख्य उपदेश है।

६- उद्धवि अथवा स्वामी नारायण सम्प्रदाय ।

इस पन्थ के प्रवर्त्तक स्वामी सहजानन्द थे। वे सरयूपारी ब्राह्मण थे। उनका जन्म १७८१ ई० में हुआ था। उनके गुरु रामानन्द नामक साधु थे। प्रारम्भ में गढड़ा नरेश दादाखाचर को उपदेश दिया। यह स्वामी अपढ़ थे किंतु भाववान थे। इस पन्थ का मुख्य ग्रन्थ शिक्षा-पत्री है।

स्वामी सहजानन्द कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। भक्ति से मोक्ष होता है ऐसा इस पन्थ का उपदेश है। इसके अनुयायी काठियावाड़ और गुजरात ही में पाये जाते हैं।

७—राधास्वामी सम्प्रदाय।

इस मत के संस्थापक स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म स० १८१८ ई० में आगरे में हुआ था।

इस मत के नाम का आधार निम्न-लिखित पद्य पर हुआ ऐसा कहा जाता है:—

कबीर धारा अगम की,
सद्गुरु देहि लिखाय।
उलटि ताहि सुमिरन करो,
स्वामी संग मिलाय॥

'धारा' शब्द को उलट कर, स्वामी के साथ मिलाने से राधा स्वामी होता है ऐसा स्पष्ट है। राधास्वामी परमात्मा का नाम है गुरू का नहीं और न कृष्ण का। इस सम्प्रदाय में सृष्टि के ३ भाग माने जाते हैं (१) दयालु देश (२) ब्रह्मांड (३) पिंड। मुक्ति प्राप्ति के भी तीन मार्ग हैं—राधा स्वामी का ध्यान, राधा स्वामी का स्मरण, और आत्मधारा शब्द का श्रवण। इस पन्थ में जाति पाँति का भेद भाव नहीं रक्खा गया है। गुरू का बड़ा भारी माहात्म्य इस पन्थ में है। गुरू को प्रत्येक वस्तु अर्पण करके आपस में बाँट ली जाती है। गुरू का जूठन, गुरू के वस्त्र, और गुरू का पादार्घ्य पवित्र और ग्राह्य माने जाते हैं।

इस पन्थ वाले सत्संगी कहलाते हैं। आगरे में बड़ा भारी स्थान दयाल बाग के नाम से बनाया गया है जहाँ पाठशालाएँ भी हैं और मुख्य तीर्थ स्थान है। सब प्रकार की वस्तुएँ तैयार होती हैं। इस सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे को सहायता देना अपना कर्तव्य समझते हैं।

८—रयदासी।

रामानन्द के रयदास (जाति के चमार) शिष्य थे। चित्तौड़ की झाली रानी ने उनकी दीक्षा ली थी। विष्णु की पूजा और नाम स्मरण इस पन्थ का मार्ग है।

९—मलूक दासी।

इस पन्थ वाले रामचन्द्र की उपासना करते हैं। मलूकदास रामानन्दी थे। भगवद्गीता को मानते हैं और गृहस्थ गुरु से दीक्षा लेते हैं। करा (मानिकपुर इलाहाबाद) में इस पन्थ का प्रधान मठ है।

१०—दादू पन्थी ।

अहमदाबाद के दादू ने इस पन्थ को चलाया । कबीर के कमाल, कमाल के जमाल, जमाल के विमल, विमल के बुद्धन, बुद्धन के दादू शिष्य थे। इस पन्थ के श्री रामचन्द्र उपास्य देव हैं किन्तु मूर्ति पूजा नहीं करते।

११—आचारी ।

रामानुजी सम्प्रदाय की एक शाखा है । धर्माचार्य केवल ब्राह्मण हो सकते हैं किन्तु क्षत्री और वैश्य भी दीक्षा ले सकते हैं । दक्षिण भारत में इसके अनुयायी हैं ।

१२—मीरा पन्थ ।

भगवतभक्त मीराबाई ने इस पन्थ की स्थापना की है । मीराबाई मेड़ता नरेश की कन्या थी और उदयपुर के राना को ब्याही थी जो शैव थे इस कारण मीराबाई से नहीं बनी । मीराबाई गिरिधर गोपाल की उपासक थीं । राना ने उन्हें सब प्रकार से समझाया, डराया, दुःख दिया, विष तक दिया पर उन्होंने साधुओं की सेवा और श्रीकृष्ण की पूजा न छोड़ी ।

मीराबाई के पद अत्यन्त मधुर चित्ताकर्षक और मार्मिक है ।

१३—राधा वल्लभी ।

मुख्य धाम वृन्दावन है । राधाकृष्ण की उपासना ही ध्येय है ।

१४—सखी भाव ।

इस पन्थ वाले कृष्ण की उपासना करते हैं और खुद को कृष्ण की सखी समझते हैं । भेष में भी इसी कारण रहते हैं ।

१५—सत नामी ।

इस पन्थ के लोग ईश्वर को सत नाम कहते हैं । जगजीवन क्षत्रिय ने नवाब असफुद्दौला के समय में यह पन्थ प्रचलित किया । निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं कहते हैं कि इस पन्थ के साधु मल मूत्र और वीर्य का भी भक्षण करते है ।

१६—ईसुवेदी ।

सम्वत १६०३ में एक पादरी राबर्ट डी० नोबिलो भारत में आया और बाइबल को पन्चम वेद ईसुर्वेद बताने लगा । ऋग्वेद की प्रथम ऋचा "अग्निमीले" का अपभ्रंश "ईसुमीले" किया । यह पंथ चल न सका ।

१७—विट्ठल भक्त ।

पुंडरीक ने १४ वीं ई० शताब्दी में इसकी स्थापना की । इस पन्थ के इष्ट देव विठोबा हैं जो विष्णु के नवम अवतार माने जाते हैं। भीमा नदी के तट पर पढ़रपुर में विठोबा का मन्दिर हैं । महाराष्ट्र में विठोबा की उपासना बहुत प्रचलित है ।

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि तथा भगवद्भक्त तुकाराम विठोबा के बड़े

भक्त हुये हैं। इनके अभंग मार्मिक, सरल और रसिक हैं। जन्मानुसार वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते।

१८—चरण दासी पन्थ।

यह पन्थ चरणदास देहरा (अलवर) निवासी ने स्थापित किया। राधाकृष्ण उपास्यदेव हैं। भागवत और भगवद्गीता इन के प्रमाणिक ग्रन्थ हैं। दिल्ली में प्रधान मठ है यहीं चरणदास की समाधि है।

१९—आदि वराहोपासक।

इस पन्थ के लोग बराह की उपासना करते हैं और शरीर पर बराह का चिन्ह रखते हैं। उपासक बहुत कम हैं।

२०—समर्थ सम्प्रदाय (रामदासी)।

यह सम्प्रदाय श्री समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरू ने स्थापक किया था। रामदास स्वामी का मुख्य ग्रन्थ दासबोध है। उनके उपासक महाराष्ट्र भर में पाये जाते हैं। रामचन्द्र मुख्य उपास्य देव हैं।

२१—चूहड़ पन्थ।

आगरे के एक बनिया ने थोड़े ही दिन हुये तब कायम किया था। उपास्य देव श्रीकृष्ण हैं। साधन के समय स्त्री पुरुष साथ मिलकर नृत्य गायन करते हैं।

२२—अन्यान्य पन्थ।

इन पन्थों के अतिरिक्त भारत में अनेक पन्थ हैं जैसे, रामप्रसादी, हरिव्यासी, वारकरी, माधवी, सधन, हरिश्चन्द्री (डोम ही इस पन्थ में हैं), रामदेव (मारवाड़ के खेड़ाया ग्राम निवासी), रामसनेही (जयपुर निवासी। स्थापना सम्वत १८२४), चक्रांकित (शठकोप कजर द्वारा स्थापित) विष्णु पंथ (जम्मजी दिल्ली निवासी द्वारा स्थापित), कृष्णराम (सम्वत १८९५ में कृष्णराम ब्राह्मण अहमदाबाद निवासी), कार्मोलिन (स० १६०७ में स्थापित-ईसाई मत की उपशाखा), कुवेर (कुवेर कोली द्वारा सारसा में स्थापित), बाबालाल का पन्थ (सीमा प्रांत की ओर प्रचलित) अनन्त पन्थ, निरंजन (राजपूताने में प्रचलित), बीजमार्गी, आपा पंथ (मल्लारपुर के मुन्नादास सुनार द्वारा स्थापित-अयोध्या के माडवा नामक ग्राम में प्रधान मठ), षड् दर्शनी (मारवाड़ में प्रचलित), संतराम, पलटूदासी (अयोध्या में मुख्य मठ), खाकी, सेन पन्थ आदि हैं।

२३—पारसी मत (जरथोस्ती धर्म

महात्मा जरथोस्त का जन्म टेहरान के पास रहे (ग्राम) में २५३७ ई० स० के पूर्व में हुआ था। तीस वर्ष की अवस्था में ईरान के बादशाह के पास गये। बादशाह ने धर्माचार्यों की सभा की उसमें जरथोस्तने सब को पराजित किया किन्तु स्वार्थियों ने बादशाह को कुछ उलटा समझा दिया इस कारण बादशाह ने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया किन्तु थोड़े ही दिन पीछे बादशाह बीमार

हुये और जब किसी दवा से अच्छे न हुये तब जरथोस्त के शरण आये। बादशाह ने अपना सेबियन धर्म त्याग दिया और जरथोस्ती धर्म का स्वीकार किया। इसके पश्चात अनेक देशों ने यह धर्म स्वीकार किया। इस धर्म के सिद्धांत यह हैं—परमेश्वर अनादि, अनंत, निर्विकार, है। मूर्तिपूजा व्यर्थ है। जातिपांति नहीं मानी जाती। दया, गायों की रक्षा करना स्वच्छता से रहना यही उपदेश दिया जाता है।

मुसलमानों ने ईरान पर आठवीं शताब्दी में आक्रमण किया उस समय कुछ ईरानी ई० स० ७२१ में भारत को भाग आये और संजाब बन्दर पर उतरे। इस समय के पारसी उन्ही के वन्शज हैं।

२४—इसलाम मत।

भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के साथ यह मत भारत में आया इसलाम का प्रचार भारत में तलवार के जोर पर हुआ यह बात सिद्ध हैं।

इस धर्म के प्रवर्त्तक श्री मुहम्मद का जन्म ५७० ई० स० में मक्का में हुआ था। वे कोरेश वंश की खतीजा नामक स्त्री के यहां नौकर थे। एक बार वे बसरा गये और वहां पर एक ईसाई साधु (बाहिरी) का उपदेश सुना जिससे मूर्ति पूजा के वे विरुद्ध हो गये। इसके बाद उन्होंने मूर्तिपूजा के खन्डन और ईश्वर की एकता का प्रचार किया। खुद को ईश्वर का भेजा हुआ पैगम्बर (दूत) बताया। अरब स्थान के लोगों ने उन्हें तंग किया और वे मदीने भाग कर आये उसी समय से हिजरी सन चला भारत के इतिहास में मुसलमानी काल अंधकार का काल समझा जाता है। भारतीय संस्कृति का विनाश इसी काल में हुआ।

२५—पीरोना पंथ।

ई० स० १४४९ में अहमदाबाद के पास गरमथा गांव में एक फकीर इमाम शाह ने इस पंथ को चलाया। उसने अनेक हिन्दुओं को अपने पंथ में मिलाया। मत्स्य मांस और मादक वस्तु से अलग रहना बताया जाता है। सिद्धांत हिन्दू और मुसलिम मिश्रित हैं।

२६—यहूदी मत।

भारत में यहूदी मत के मानने वाले बहुत कम हैं। इस धर्म के प्रवर्त्तक मूसा का जन्म ई० स० पूर्व १५७१ में हुआ।

२७—ईसाई मत।

भारत में ईसाई मत का प्रचार छठवीं शताब्दी में आरंभ हुआ। ऐसा कहते हैं कि सेंट टामस (एपोसल) ने भारतवर्ष में इस मत का प्रचार किया और आरंभ में कुछ भारतवासी मलाबार के समुद्रतट पर ईसाई हुए।

ईसामसीह के जन्म को १९२९ वर्ष हुए और ईसाई मतावलम्बियों का विश्वास है कि वर्जिन मेरी के गर्भ से केवल ईश्वरी प्रेरणा से ईशु उत्पन्न हुए। ईसाई मत अनुदार नहीं हैं। ईसाई

मतावलम्बी तीन दैविक व्यक्तियों को मानते है—(१) पिता (२) पुत्र (३)होली गोस्ट (पवित्र आत्मा)। ईसामसीह ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ईसा ने धर्म प्रचार एशिया माइनर जेरूसलम आदि शहर में किया। रोगियों को निरोगी करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी इस कारण उन्हें 'मसीह' कहते हैं। इस धर्म की अनेक शाखायें हो गई हैं—(१)रोमन केथोलिक [२]प्रोटेस्टैन्ट [३] लिबरल केथोलिक [४]प्रिस्बेटेरियन। इंगलैण्ड के प्रोटेस्टेन्टों ने चर्च आफ इंगलैण्ड अलग कर लिया है। प्रोटेसटेट शाखा के प्रवर्त्तक 'लूथर' थे इस मत की मुख्य पुस्तक 'बाइबिल, है; जिसके दो भाग हैं—[१]ओल्डटेस्टमेंट [२] न्यूटेस्टामेंट।

आधुनिक मत।

१—ब्रह्म समाज।

ब्रह्म समाज की स्थापना १८१८ ई० में राजाराम मोहनराय ने की। राजाराम मोहनराय को हिन्दू धर्म की प्रचलित कुरीतियों से असन्तोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने अनेक लेख इस विषय में लिखे। मूर्ति पूजा, ब्राह्मण पुरोहितों, की आवश्यता, स्त्रियों में परदा, धर्म के नाम पर स्त्रियों का जलाया जाना (सती प्रथा), वेदों की विस्मृति—यह सब बातें उन्हें अच्छी न लगीं और उन्हों से इन के विरुद्ध आंदोलन आरम्भ किया १८२८ ई० में उन्हों ने एक आस्तिक सघ (Theists' Union) भी कायम किया। जिसमें वैदिक साहित्य पढ़ा जावे और धर्म पर व्याख्यान दिये जावें। ब्रह्म समाज के उद्देश्य ये थे—नीत, धर्म, उदारता, पवित्रता, आदि सद्गुणों की समाज में उन्नति तथा विभिन्न धर्म तथा मतों के मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम बन्धनों को दृढ़ करना।

राजाराम मोहनराय का जन्म मई १७७२ ई० में राधानगर (बंगाल) में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकन्ठराय था। उन्हों ने महेश नामक अध्यापक द्वारा अरबी फारसी और बंगला की शिक्षा प्राप्त की थी। १६ वर्ष की अवस्था में "मूर्ति पूजा निषेध" पुस्तक लिखी जिसके कारण वे जाति बहिष्कृत किये गये और पिता ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। उन्हों ने पहिले नौकरी की किन्तु बाद को धर्मोपदेश के लिये उसे त्याग दी। ब्रह्म समाज के सिद्धांतानुसार परमात्मा एक है जीव उससे भिन्न है मूर्ति पूजा और जाति भेद मिथ्या है, सर्वत्र समान भाव से आचारण करना चाहिये। १८२८ ई० स० में सती प्रथा बन्द हुई वह इन्हीं के प्रयत्नों का फल है। स० १८३१ में वे इंगलैण्ड गये और १८३३ में इनका

वहीं देहान्त हुआ। बाबू द्वारकानाथ टागोर और बाबू प्रसन्न कुमार ने उन्हें बड़ी सहायता दी थी।

१८५८ ई० में केशवचन्द्र सेन ने यह मत स्वीकार किया और स० १८६२ में आचार्य नियत हुये। उन्होंने १८६६ ई० में भिन्न २ जाति के अनेक स्त्री पुरुषों के विवाह कराये। यह बात महर्षि देवेन्द्रनाथ टागोर को पसन्द न आई। इस कारण इस मत की दो शाखायें हो गई—(१) आदि ब्रह्म समाज (२) भारतवर्षीय ब्रह्म समाज।

केशवचन्द्र ने भारत में भ्रमण कर अनेक शाखायें कायम कीं। स० १८७० में वे इंगलैंड गये। अंग्रेज लोग उनके भाषणों से दंग रह गये। मि० मेक्स मुलर से उनसे मुलाकात हुई और महारानी विक्टोरिया ने उन्हें भोज दिया। स० १८७८ में वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाने लगे। कट्टर सुधारक होने पर भी उन्होंने अपनी १३ वर्ष की कन्या का विवाह कुच विहार के राजा से कर दिया। इन बातोंसे उन पर लोगों की श्रद्धा कम होगई और साधारण ब्रह्म समाज नामक तीसरी शाखा खुल गई। स० १८८४ में केशवचन्द्र सेन की मृत्यु हुई।

२—प्रार्थना समाज।

बम्बई प्रांत में ब्रह्म समाजी जैसे तत्वों के मानने वाले अपने को प्रार्थना समाजी कहते हैं। उन्हें "सुधारक" भी कहते हैं। हिन्दुओं की अनिष्ट कारक प्रथाओं को नहीं मानते। विधवा विवाह, प्रौढ़ विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। जातिपांति के भेद को नहीं मानते। इसकी उपशाखा स०१९१४-१५ में आर्यब्रदरहुड नाम से चली हैं। इस समाज के प्रसिद्ध संचालक श्री० महादेव गोविन्दरानडे, सर रामकृष्ण भांडारकर और सर नारायण जी० चन्दावर कर थे।

३—आर्य समाज।

आर्य सामज की स्थापना ता० १ मार्च १८७५ में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा बम्बई में हुई। उस समय से उन्हों ने वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश लिखना आरम्भ किया। स० १८७५ में चांदापुर में अनेक धर्माचार्यों से वादविवाद कर वैदिक धर्म को पुष्ट किया।

महर्षि दयानन्द का जन्म १८२४ ई० में टंकारा काठिया वाड़ में हुआ था। उनका जन्म नाम मूलशंकर था और उन के पिता का नामअम्बा शंकर था वे औदीच्य ब्राह्मण थे। बाल्यअवस्था ही में मूर्ति पूजा पर अश्रद्धा हो जाने के कारण घर से चल दिये। मथुरा में और काशी में वेदाध्ययन किया। उन्हों ने स्वामी पूर्णानन्द से सन्यास ग्रहण किया। उस समय उनकी आयु २३ साल की थी। उस के बाद उन्हों ने देशाटन किया और मथुरा में आकर उन्हों ने स्वामी बृजानन्द से ७ वर्ष तक वेद पढ़ा। उनके आदेशानुसार उन्हों ने वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करने का

दृढ निश्चय किया। ता० १७ नवम्बर १८६९ को उन्होंने काशी में ८००-९०० पंडितों को राजा जयकृष्ण काशी नरेश की सभापतित्व में वाद विवाद कर मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध सिद्ध कर दी और वैदिक धर्म को भारत में पुनः प्रतिष्ठित किया। आर्य समाज की स्थापना निम्न लिखित सिद्धांतों पर की गई:—

[१] सर्व ज्ञान और धर्म का मूल वेद है।
[२] परमात्मा निराकार और सर्व व्यापक
[३] मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है।
[४] पुराण सर्वथैव मानने योग्य नहीं हैं।
[५] पुनर्जन्म सत्य है।
[६] वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर है, जन्म से ही नहीं।
[७] द्विजों को १६ संस्कार और नित्य कर्म करना चाहिये।
[८] यज्ञ में पशु हिंसा वेदानुकूल नहीं है।
[९] नियोग प्रथा ग्राह्य है।
[१०] जीव और ईश्वर भिन्न हैं।

सन् १८७८ में न्यूयार्क की थियोसोफी कल सोसाइटी के साथ पत्र व्यवहार होकर यह निश्चित हुआ कि वे भी आर्य समाज के साथ सामाजिक व धार्मिक कार्य करें, किंतु तुरन्त ही मत भेद हो गया।

उन्होंने पंजाब, संयुक्त प्रान्त और बिहार में अनेक शाखायें कायम कीं। देशी राज्यों में भी भ्रमण किया और जोधपुर में कुछ मास रहे। जोधपुर नरेश की वेश्या ने स्वामी जी को उनके विरोधियों की सहायता से रसोइये द्वारा पिसा हुआ कांच अन्न में डलवा दिया स्वामी जी ने आबू पहाड़ पर जाकर चिकित्सा कराई परन्तु कोई लाभ न हुआ। वहां से अजमेर गये और वहीं संबत १९७९ की दीपावली के दिन उन का देहान्त हुआ।

आर्य समाज की स्थापना से भारत की उन्नति का सूर्य क्षितिज में उदय हो गया है इस समाज ने वेद विद्या को पुनः प्रतिष्ठित कर नवीन जीवन का संचार कर दिया। सब प्रकार की सामाजिक प्रगित शील हल चलों में आर्य समाज ने अग्रसर भाग लिया है। गोरक्षा अनाथालय, विधवाश्रम, कन्या, पाठशालायें, पद दलित जातियों की उन्नति परधर्मीयों और पतितों की शुद्धि वाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह इत्यादि सभी वातों में आर्य समाज के कार्य कर्ताओं ने ठोस कार्य किया है।

आर्य समाज द्वारा दयानन्द ऐंगलो वैदिक कालेज लाहौर और गुरुकुल कांगडी की स्थापना हुई हैं जिन के द्वारा युवकों में जागृति हुई है।

आर्य समाज का संचालन अखिल भारतवर्षीय आर्य प्रतिनिध द्वारा होता है। उस के नीचे प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभायें भी हैं।

पिछले वर्षों में आर्य समाज ने शुद्धि और सगठन आन्दोलन में बड़ा काम किया। इस संस्था के करीब ४ लाख ६८ हजार अनुयायी हैं। सन् १९११ से सख्या ६३ प्रति शत बढ़ी पंजाब में ६५ प्रतिशत और सयुक्त प्रांत में ५६ प्रतिशत।

४--देव समाज।

यह समाज स० १८७७ में श्रीयुत शिवनारायण अग्निहोत्री कानपुर निवासी ने कायम की। मनुष्य में ऐसी शक्तियां हैं जो उन्नति को प्राप्त हो कर ब्रह्मांड को लाभ पहुंचा सकती हैं। इस समाज में केवल चरित्रवान और अच्छे मनुष्य लिये जाते हैं। मद्यपान, मांसाहार की मनाई है। ईश्वर को यह समाज नहीं मानता। समानता के तत्व पर यह समाज चलाया जाता है। इस के अनुयायी बहुत कम हैं। श्री० अग्निहोत्रीजी ने देवगुरू की उपाधि धारण की थी और समाज को स्थापना लाहौर में की।

५—थियोसोफीकल सोसाइटी।

थियोसोफी के सिद्धान्तों का प्रकाश श्रीमती मेडमहेलेना पेट्रूना ब्लावेटस्की [रूसी महिला] ने स० १८७५ में किया। उन्होंने एक बड़ा ग्रन्थ "इसिस अनव्हेलूड" लिखा और यह बताया कि इस ग्रन्थ को उन्होंने दैवी आदेश स्फुरण से प्रगट किया है। मेडम ब्लावेट्स्की ने अपने सिद्धान्तों का आधार हिन्दू "कर्मफल" तत्व को बनाया। कर्नल आलकट एक अमरीकन सज्जन को यह सिद्धांत पसद आये और फिर दोनों सज्जनों ने इस थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यू यार्क [अमरीका] में ता० १७ नवम्बर १८७५ को की। ऐसा कहा जाता है कि यह दोनों व्यक्तियां स्थापना में केवल निमित्तमात्र हुईं किन्तु असली संस्थापक महर्षि देवापी अथवा लार्ड मैत्रेय हैं।

कहा जाता है कि इन महर्षियों का उल्लेख भागवत, विष्णु पुराण और कल्की पुराण में इस प्रकार हैं कि वे कलि युग में धर्म की स्थापना करेंगे। कर्नल आलकाट और मेडम ब्लावेटूस्कीसे स्वामी दयानन्द सरस्वती से पत्रव्यवहार हुआ और ता०२२मई १८७८ को थियोसोफिकल सोसाइटी की बैठक में स्वामी जी को आचार्य बनाना भी निश्चित हुआ। किन्तु स्वामी जी से अवतार और महात्माओं से मिलन इत्यादि विषयों में मतभेद हो गया। कर्नल आलकाट और मेडम ब्लावेटूस्की ने अपनी समाज का केन्द्र अडयार [मद्रास] में बनाया और स्वतंत्रता से नूतन धर्म का प्रचार करने लगे।

मेडम ब्लावेटूस्की ने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें दो अत्यन्त गंभीर तथा ज्ञान पूर्ण है—'इसिस अनव्हेलूड' और "सीक्रेट डाक्ट्रिन"

कर्नल आलकाट का प्रथम लेक्चर बम्बई में २३ मार्च १८९० को हुआ और सोसाइटी का भारतीय मुख्य

ता० २७ दि० १८९० को स्थापित किया। मेडम ब्लावेट्स्की की मृत्यु पर कर्नल आलकाट सभापति हुए। ऐसा कहा जाता है कि मिसेज एनीबेसेन्ट को मि० डब्ल्यू. टी. स्टीड ने "इसिस अनव्हेलड पुस्तक समालोचना लिखने के लिये दी इसको पढ़कर उन्होंने थियोसोफि में प्रवेश किया। मि० एनीवेसेंट स० १९०६ में प्रेसीडेंट हुई जिस वर्ष कर्नल आलकाट का देहांत हुआ।

इस समाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—[१] जाति रंग धर्म, वर्ण, आदि किसी प्रकार का भेद न मान कर मनुष्यों में भ्रातृभाव उत्पन्न करना।

[२] सब प्रकार के धर्म, आत्म विद्या, विज्ञान की शिक्षा की उन्नति

[३] मानवी प्रकृति के नियमों की खोज और उन पर विचार।

थियोसोफी के अनुयायियों में बड़े २ विद्वान हैं—जैसे मि० लेडवीटर मि० ऐरंडेल, मि० जीन राजा दास, बा० भगवान दास,

थियोसोफिकल सोसाइटी के आरंभ होने के कुछ वर्षों बाद एक "एसोटेरिक सेकशन" [गुप्त मंडल] बन गया जिस में केवल विशिष्ट सदस्य ही लिये गये। इस मंडल ने खुद को अन्य सज्जनों से अधिक ज्ञान वान तथा गुप्त रहस्यों का जानकार बताना आरंभ किया। उस की बैठकों में गुप्त रीति से जगद्गुरु के आने की चर्चा आरंभ की गई। उसी प्रकार यह भी प्रगट किया जाने लगा कि मि० बेसेन्ट से और ऋषियों से जो तिब्बत में रहते हैं मुलाकात होती है इत्यादि। धीरे २ यह भी प्रकट किया जाने लगा कि मद्रास प्रांत के नारायण अय्यर के पुत्र जे० कृष्णमूर्ति के शरीर में जगद्गुरु लार्ड मैत्रेय अवतीर्ण होने वाले हैं। इन बातों पर बड़ा वाद विवाद हुआ और थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख्य सदस्य बा० भगवान दास ने अनेक लेख इसी संबन्ध में टीकात्मक लिखे सन् १९११ में कृष्णमूर्ति को वे इग्लैंड ले गई। कृष्णमूर्ति के पिता ने मि० एनीबेसेन्ट पर पुत्र की वापिसी के लिये दावा किया। सन् १९१३ में यह मुकद्दमा हुआ। बाल्यावस्था में ही कृष्णमूर्ति ने एक पुस्तक "एट दी फीट आफ माई दी मास्टर" लिखी।

इस समाज का वार्षिक कन्वेंशन होता है जो एक वर्ष अडयार और एक वर्ष बनारस में होता है सारे जगत के प्रतिनिधि यहां आते हैं।

समाज की शाखायें सारे जगत में हैं और अब श्री जे. कृष्ण मूर्ति जगद्गुरु भी कहाये जाने लगे हैं। जगद्गुरु के आगमन की बाट जोहने तथा उनके अवतार लेने के लिये प्रयत्न करने के लिये इस समाज के साथ २ एक दूसरी संस्था तैयार की गई थी जिसका नाम स्टार इन दी ईस्ट रक्खा गया था उस संस्था का वर्णन अन्यत्र दिया जा रहा है।

शाखाओं और सदस्यों का व्यौरा नीचे दिया जाता है—

देश	शाखायें	सदस्य	देश	शाखायें	सदस्य
यूनाइटेड स्टेट्स	२६८	७३३३	आस्ट्रिया	१२	५७०
इंगलैण्ड	१५२	४९३८	नार्वे	१५	२५०
भारतवर्ष	४०३	६३९५	मिश्र	८	९१
आस्ट्रेलिया	२६	१५६४	डेनमार्क	१०	५०४
स्वीडेन	४३	१०७३	आयरलैण्ड	७	११६
न्यूजीलैण्ड	१८	९५३	मेकसिको	२२	४९३
हालैण्ड	४०	२६७३	केनाडा	२३	६३५
फ्रांस	७२	२१२३	आर्जेनटाइना	१७	४७०
इटली	३४	६२३	चिली	१४	२३१
जर्मनी	३१	६५०	ब्रेजिल	२३	२९६
क्यूबा	३२	८०५	बलगेरिया	१२	१५०
हंगरी	१०	३९८	आइसलैण्ड	७	२७६
फिनलैण्ड	२२	६२६	स्पेन	२१	४३५
रूस	९	१७५	पुर्तगाल	१४	२९०
जेकोस्लोविया	८	१२५	वेलस	१६	३१०
दक्षिणी अफ्रीका	१२	४५२	पोलैण्ड	१२	२१९
स्काटलैण्ड	३२	७९४	उरागवे	९	१४९
स्विजरलैण्ड	१७	२३९	पोर्टिकोरिची	१३	११७
बेलजियम	१२	३५८	रोमानिया	७	१५०
डच ईस्टइंडिया	२९	१९३९	युगोस्लेविया	७	१२२
बर्मा	१०	२४०	अन्य	२७	५४९

इन कुल देशों में १५७६ शाखायें और ४७६३१ सदस्य हैं। यह अंक स० १९२५ तक के हैं उसके बाद अनेक शाखायें बनी हैं। इस समाज में हर धर्म के लोग प्रविष्ट हो सकते हैं और अपने २ धर्म को पालन कर सकते हैं।

अडयार में भव्य इमारतें बनाई गई हैं। मन्दिर, मसजिद, और गिरजा भी बनाये गये हैं जिससे अपने २ धर्म के अनुसार लोग पूजा कर सकें।

थियोसोफिकल सभा ने अनेक सर्वोपयोगी संस्थाएँ भी चलाईं:—

(१) हिन्दू कालेज बनारस, जो अब हिन्दू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित होगया है

(२) बालिकाओं के लिये स्कूल, बनारस.

(३) पंचम स्कूल, अडयार। यह स्कूल अछूतों के लिये है -

(४) मदनापल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी

(५) अडयार में महान् पुस्तकालय।

६—सत्य सोधकसमाज।

श्री युत ज्योतिराव फुले ने इस समाज को स० १८६६ में पूना में स्थापित किया। परमेश्वर निराकार है। इसकी भक्ति से ही मोक्ष होता है। वह अवतार नहीं लेता। मूर्ति पूजा अयोग्य है। वेदपुराणादि को स्वार्थी लोगों ने रचा है अतः उन्हें सर्वथा सत्य न मानना चाहिये उन्हें जांच कर अपनी बुद्धि अनुसार सत्यासत्य विवेक करना चाहिए। जाति भेद व्यर्थ है सब समान हैं। यही सिद्धांत इस मत के श्री० फुले ने अपने सामने रख कर इस सभा की स्थापना की इस समाज ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अनुयायी महाराष्ट्र और विहार में हैं। श्रीयुत भास्करराव विठोजीराव जाधव ने स० १९११ में इस समाज को पुनः जागृत किया। और धीरे २ इस समाज के अनुयायी ब्राह्मणोत्तर पक्ष में शामिल होगये और सन १९२८ महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण—अब्राह्मण झगड़े हुए उनमें इस समाज के ही लोग मुख्य थे।

७—फ्री मैसन।

इस समाज की शाखायें भारत में अनेक हैं और बहुत से धनी और विद्वान मनुष्य इसके सदस्य हैं। १६ वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना विलायत में हुई थी ऐसा कहा जाता है। इस समाज की बातें गुप्त रक्खी जाती हैं। इस समाज का केवल एक ही सिद्धांत मालूम होता है। पारस्परिक सहायता। इसी कारण न कोई गूढ़ तत्व है और न कोई गुप्त बात है। जब कोई गुप्त बात नहीं तो कोई मनुष्य बताना भी चाहे तो क्या इस समाज से जगत को कोई लाभ नहीं ऐसा स्पष्ट है। अनेक भारतीय धनवान तथा विद्वान मनुष्य इसके सदस्य केवल इसीलिए हो जाते हैं कि अंग्रेजों का अनुग्रह प्राप्त करलें और उनके कृपा पात्र बने रहें।

८—स्वामी रामतीर्थ के वेदान्त मत

स्वामी राम तीर्थ ने कोई पंथ नहीं चलाया किन्तु उन्होंने उपनिषदों में ग्रथित एकता बाद को पुष्ट किया। सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, सब चल-अचल वस्तुयें एक हैं, कोई भिन्नता नहीं यही उन्होंने प्रतिपादन किया। अर्थात वेदांत मत को पुनः प्रचार किया।

स्वामी रामतीर्थ गोस्वामी तुलसी दास जी के वंशज थे। गुजरानवाला जिले में स०१८७४ में स्वामी जी का जन्म हुआ। २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने एम.ए. पास किया और फिर प्रोफेसर हुए। सन १८९८ के बाद एक वर्ष तक वे आरण्य में रहकर आत्मोन्नति पर एकान्त में विचार करते रहे।

फिर २६ वर्ष की अवस्था में सन्यासी होगये। हिमालय पर्वत पर उन्होंने खूब भ्रमण किया। इसके बाद अमरीका और जापान गये । और वहां उन्होंने वेदान्त पर अनेक व्याख्यान दिये और अनेक अनुयायी बनाये । टेहरी (गढवाल) के पास गढवाल में गंगा स्नान करते समय पैर फिसलने से उनको जल समाधि होगई उस समय उनकी आयु ३५-३६ साल की थी।

६—जगद्गुरु का संघ ।

आर्डर आफ दि स्टार अथवा जगद्गुरु का आगमन।

थियोसोफिकल सोसायटी के मुख्य कार्य कर्ता मिसेज एनीबेसेन्ट, मि० लीडबीटर और मि० ऐरन्डेल प्रभृति सज्जनों ने यह पन्थ चलाया है। उनका कहना है कि भगवद्गीता में जो भगवान श्रीकृष्ण ने यह बचन दिया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब वे अवतीर्ण होते हैं । हर एक ऐश्वर्यवान और सुन्दर पदार्थ में उनका अंश है। धर्म की रक्षा के लिये समय २ पर अवतारी पुरुष और ऋषि, मुनि, जगत में प्रगट होते आये हैं। ऐसे जगत्गुरु के आने की तैयारी करने के लिये ११ जनवरी १९११ को काशी में इस संघ की स्थापना हुई और इसका प्रचार कार्य सब बड़े २ शहरों में थियोसोफिकल सभाओं द्वारा किया गया। अब इसकी शाखायें सारे जगत में हैं। इस संघ के ६ नियम आरम्भ में रक्खे गये जिन सब का यह मुख्य अर्थ था कि संघ के सदस्यों को चाहिये कि कायिक और मानसिक शुद्धि द्वारा तथा ईश्वरी कृपा की प्रार्थना द्वारा जगत्गुरु के शुभागमन के लिये तैयारी करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गईं और सहस्त्रों सभायें तथा प्रवचन किये गये। श्रीमती एनी बेसेन्ट तथा उनके अनेक सहयोगियों ने अपना पूर्ण विश्वास इस सम्बन्धी प्रगट किया कि आने वाले जगत्गुरु का आवेश श्री कृष्णमूर्ति के शरीर में होगा। उसी शरीर में प्रवेश कर जगत्गुरु अपना कार्य इस जगत में करेंगे।

बा० भगवानदास और अन्य सज्जनों से मतभेद हो जाने से कुछ दिन यह कार्य ठण्डा पड़ गया परन्तु शीघ्र ही बढ़ता गया। मि० एनी बेसेन्ट का कहना है कि उक्त आवेश क्रिया २८ दिसम्बर स० १९२५ से आरम्भ होगई और बाद को अब कृष्णमूर्ति ने स्वयं भी यह घोषित कर दिया है कि उनकी और जगत्गुरु की तन्मयता हो गयी है और अब उन्होंने जगद्गुरु का कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री० कृष्णमूर्ति की सब से पहिली पुस्तक 'ऐट दि फीट आफ दी मास्टर' है, जिसका हिन्दी भाषान्तर ''श्रीगुरुदेव चरणेषु'' है।

हॉलैण्ड के एक धनवान ने बहुत सी सम्पत्ति इस संघ को दी है। वहाँ के ओमेन शहर में हर साल अधिवेशन होता है। पिछले अधिवेशन में २००० से अधिक उपस्थिति जगत की सब जातियों के सदस्यों की थी। अमरीका में ४०००० पौंड इकट्ठा किया जा रहा है और इस संघ ने एक भारत समाज भी कायम की है जो भारत के मन्दिरों का उद्धार कर रही है। अडयार (मद्रास) में इस संघ का केन्द्र है।

भारत में शिक्षा प्रसार।

भारत में शिक्षा प्रसार ।

(अंग्रेजी काल)

इस अध्याय में केवल अंग्रेजी शासन काल में जो शिक्षा प्रसार भारत में हुआ है वह दिया जाता है ।

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतियों की शिक्षा की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। सन १७८२ में वारन हेस्टिन्गस ने कलकत्ता मद्रसा मुसलमानों के लिये खोला और सन १७९१ में बनारस में संस्कृत कालेज खोला। सन १८१३ के ऐक्ट द्वारा भी जो यह नियम बना कि कम्पनी को चाहिये कि कम से कम १ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करे उसका भी बहुत उपयोग नहीं हुआ। स० १८१६ में डेविड हेयर (एक अंग्रेज घड़ी साज) ने राजा राम मोहन राय की सहायता से एक हिन्दू कालेज खोला । ईसाइयों और हिन्दुओं दोनों की इस पर अश्रद्धा थी किन्तु धीरे २ उसकी उपयुक्तता प्रतीत होने लगी। कमेटी पबलिक इन्सट्रकसन बंगाल ने भी १५ साल बाद रिपोर्ट दी कि अंग्रेजी शिक्षा के लिये रुचि वढ़ रही है। बम्बई में एलफिन्सटन कालेज वहाँ के गवरनर की स्मृति में खोला गया और १८३५ में कलकत्ता मेडीकल कालेज खोला गया। मृतक की चीर फाड़ कठिनाई रूप में खड़ी हो गई क्यों कि हिन्दू छात्र इस कार्य के लिये तैयार नहीं थे किन्तु श्री मधुसूदन दास और कुछ अन्य विद्यार्थियों ने यह कार्य आरंभ कर दिया। कैरी, मारशमैन और वार्ड ने स० १८१८ में मिशनरी कालेज सीरामपुर में खोला किन्तु अलेक्जेन्डर डफ पादरी ने कलकत्ते में साधारण कालेज खोल दिया जिसमें ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मद्रास क्रिश्चियन कालेज भी १८३७ में खोला । बम्बई में १८३४ में विलसन स्कूल (फिर-कालेज हुआ) खोला गया।

इस समय गवरमेंट आफ इंडिया के पदाधिकारियों में पाश्चात्य शिक्षा भारत में चलाई जावे या भारत की भाषाओं की शिक्षा ही दी जावे ऐसा बड़े जोरों का विवाद कई साल तक चला अंत में स० १८३५ में लार्ड मेकाले ने यह विवाद तै कर दिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही दी जावे यह निश्चित कर दिया।

स० १८५४ में सर चार्लस वुड, प्रेसीडेंट बोर्ड आफ कन्ट्रोल ने अपना प्रसिद्ध खलीता भेजा जिसके द्वारा कलकत्ता में यूनिवर्सिटी कायम की गई। शिक्षा विभाग हर प्रांत में खोले गये और गैर सरकारी स्कूलों को सहायता दिये जाने का नियम बनाया गया।

स० १८५८ में बबंई और मद्रास यूनिवर्सिटियां कायम की गई और शिक्षा संबंधी एक दूसरा खलीता भी रानी की ओर से जारी किया गया।

स० १८८२ में एक 'शिक्षा कमीशन' कायम किया गया जिसने शैक्षणिक सस्थाओं की जांच की। स०१८५५-५६ में कुल पाठशालायें ५०९९८ थीं और क्षात्र ९,२३,७८० थे, और स० १८८२ में पाठशालायें १,१४,१०९ थी और विद्यार्थी २६ ४३,९७८ थे। कमीशन ने सार्व जनिक शिक्षा पर जोर दिया और उच्च शिक्षा की सहायता बंद कर दी। इस नीति का परिणाम अनिष्ट-कारक हुआ। थोड़े दिनों बाद प्राथमिक शिक्षा म्युनिशपेलटियों और जिला बोर्डों को देदी गई। लार्ड रिपन ने पजाब यूनिवर्सिटी स० १८८२ में आरभ की। और सन् १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई।

इस जमाने में भारतीय राजनैतिक आन्दोलन आरम्भ हो गया और भारतीयों ने अपने स्वत्वों की मांग करना आरम्भ कर दिया था। इस कारण लार्ड कर्जन ने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया। स० १९०१ में उन्होंने शिमला में एक कान्फ्रेंस की जिसमें केवल अंग्रेज बुलाये गये और कार्यवाही गुप्त रक्खी गई। इसी के बाद एक दूसरा कमीशन "यूनिवर्सिटी कमीशन" नियत हुआ जिसने यूनिवर्सिटियों को सरकारी मुहकमा बना दिया। चांसलरों को अधिकार मिल गया कि सिनेट के ८० प्रतिशत मेंबरों को स्वयं नियत करें और बाकी के लिये भी उनकी अनुमति जरूरी रक्खी गई। यूनिवर्सिटी के आधीन स्कूलों का निरीक्षण सरकारी शिक्षा विभाग के हाथ में दिया गया। यूनिवर्सिटी के सब प्रस्तावों और स्कूलों की सम्बद्धता (Affiliation) के निर्णय भी सरकारी अनुमति के आधीन कर दिये गये। स० १९५७ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन नियत हुआ जिसने अनेक सिफारशें कीं जो जनता के लिये हानिकारक ही सिद्ध हुईं। ढाका में एक यूनिवर्सिटी (जो शिक्षा दे केवल परीक्षा ही न ले) कायम हुई।

इसके पश्चात अनेक यूनिवर्सिटियां और भी कायम हुई हैं सभों का ब्योरा नीचे दिया जाता है—

नाम	ऐक्टों की साल	क्षेत्र
१—कलकत्ता	१८५७, १९०४, १९०५, १९२१,	बंगाल आसाम और कुछ देशी राज्य
२—बम्बई	१८५७, १९०४, १९०५	बम्बई प्रांत और कुछ देशी राज्य (बड़ौदा आदि)
३—मद्रास	१८५७, १९०४, १९०५, १९२३,	मद्रास प्रांत (कुछ तैलग प्रदेश छो़ कर)

संस्कृत, और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा देकर सदाचारी, ईश्वर भक्त, और व्यवहार दक्ष बनाता है। इस संस्था द्वारा चलाई हुई पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है॥

इण्डियन विमेन्स यूनिवर्सिटी।

अर्थात

भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई।

प्रोफेसर धोंडूकेशव कर्वे ने स० १८९६ में हिन्दू विधवा आश्रम पूना में स्थापित किया और फिर उसे हिंगणे स्थान जो पूना के करीब हैं लेगये वहीं पर वह अब भी है। स्थापना के समय शिष्य संख्या केवल २ थी किन्तु स० १९१५ तक बढ़ कर वह काफी बड़ी हो गई। स० १९१५ में जब प्रो० कर्वे भारतीय सामाजिक कान्फ्रेन्स के सभापति हुये उस समय उन्होंने अपने विचार स्त्रियों के लिये यूनिवर्सिटी संबंधी प्रकट किये। स० १९१६ में प्रो० कर्वे ने भारत में भ्रमण करके २००० सज्जनों की सहायता प्राप्त की। जून १९१६ में प्रथम सिनेट की बैठक हुई जिसके (चांसलर) सभापति सर रामकृष्ण भांडारकर और वाइस चांसलर प्रो० रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे हुये। प्रारंभिक संचालन विधि बनाई गई और पाठ्यक्रम भी निश्चित किया गया। विधवा आश्रम (हिंगणे) को इस संस्था से सम्बद्धित कर दिया गया। ५ जुलाई १९१६ को प्रथम कालेज ४ विद्यार्थियों से खोला गया।

सिनेट के स्थान चुनाव द्वारा भरे जाने का प्रथम से ही निश्चय किया गया।

संस्था में मुख्य नियम यह है कि कुल शिक्षा की माध्यम देशी भाषायें हैं और पाठ्यक्रम में यह विशेषता रक्खी गई है कि स्त्रीवर्ग के लिये उपयोगी विषय, पाकशास्त्र, बालचिकित्सा इत्यादि अन्य विषयों के साथ पढ़ाये जाते हैं।

स० १९१६ से १९१९ तक यूनिवर्सिटी का संगठन हुआ। स० १९२० में सर विट्ठलदास डी० ठाकरसी ने यूनिवर्सिटी को सालाना ५२,५०० रुपये की आमदनी (जो १५ लाख रुपये के सरकारी प्रोनोटों पर साढ़े तीन प्रतिशत के हिसाब से ब्याज होता है) प्रदान की और कुछ शर्तें भी लगाईं जिनमें से मुख्य यह थीं (१) इस संस्था के नाम के पहिले नाथीबाई दामोदर ठाकरसी लगा दिया जावे (२) यूनिवर्सिटी का मुख्य स्थान पूना से बम्बई तबदील कर दिया जावे। (३) कुछ बातें पूरी होने पर असल रुपया १५ लाख भी यूनिवर्सिटी को मिल जावेगा।

सेठ मूलराज खटाव ने ३५००० रु० स्त्रियों के बोर्डिङ्ग हौस के लिये दिया है। और स० १९१६ से १९२६ तक यूनिवर्सिटी ने २ लाख ७२ हजार रुपया की सहायता प्राप्त की है।

स० १९२० में एक कालेज और दो स्कूल गुजरात के इसमें सम्बद्धित हुये। १९१६-२६ तक ४० स्त्रियाँ ग्रेजुयेट हुई।

इस समय चांसलर दि आनरेबल सर चुन्नीलाल वी. मेहता और वाइस चांसलर डा० रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे हैं। इस संस्था के प्राण वास्तव में प्रो० कर्वे हैं उन्हीं के परिश्रमों से यह संस्था इस रूप को प्राप्त हुई।

प्रयाग महिला विद्यापीठ।

यह संस्था २ फरवरी १९२२ को श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टन्डन तथा बाबू संगमलाल अग्रवाल के प्रयत्नों से स्थापित हुई। श्रीयुत टन्डनजी चेयरमैन और श्री० अग्रवालजी मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद के थे इस कारण उक्त म्युनिसिपल बोर्ड से इस कार्य को बड़ी सहायता मिली। यह विद्यापीठ परीक्षक संस्था के स्वरूप में ही आरम्भ किया गया है। इस विद्यापीठ की मुख्य परीक्षायें तीन रक्खी गई है (१) विद्याविनोदिनी (मैट्रीकूलेशन) (२) विदुषी (बी.ए.) और (३) सरस्वती (एम.ए.)।

जिस समय से यह विद्यापीठ आरम्भ हुआ है उसी समयसे जनताने इसे अपनाया है। प्रत्येक बड़े शहर में इसकी परीक्षायें उस स्थान के प्रतिष्ठित सज्जनों की देख रेख में प्रति वर्ष होती हैं सन् १९२२ से ३ साल के भीतर इस विद्यापीठ के केन्द्र विद्याविनोदिनी की परीक्षा के लिये ५२ हो गये और परीक्षार्थिनियों की संख्या ४१३ होगई। इसी प्रकार विदुषी परीक्षा के लिये स० १९२४ में २६ परीक्षार्थिनियां थीं। परीक्षायें हिन्दी भाषा में होती हैं।

काशी विद्यापीठ।

काशी विद्यापीठ की स्थापना ता० १० फरवरी १९२१ को हुई। असहयोग आन्दोलन का यह पीठ प्रत्यक्ष फल है। श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त तथा बाबू भगवानदास राष्ट्रीय पाठशाला खोलने का उद्योग कर रहे थे कि जनवरी स० १९२१ में महात्मा गांधी ने श्रीयुत भगवानदास को पत्र लिखा कि "मुझे विश्वास है कि अब काशी जी में एक महाविद्यालय शीघ्र खोलना चाहिये।" इस पर निश्चय दृढ़ कर लिया गया और २८ माघ १९७७ (सौर) क

शुभ मुहूर्त पर महात्मा गांधीजी के कर कमलों से और पं० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहिरलाल नेहरू, सेठ जमनालाल बजाज, आदि नेताओं की उपस्थिति में पवित्र वेद मन्त्रों के उच्चारण सहित विद्यापीठ का आरम्भ हुआ।

इस विद्यापीठ का संचालन दो सभाओं के आधीन है (१) निरीक्षक सभा (२) प्रबन्ध समिति। प्रबन्ध समिति ही मुख्य कार्यवाहक सभा है। इसके अध्यक्ष बाबू भगवानदास हैं और मन्त्री श्री० शिवप्रसाद गुप्त हैं। निरीक्षक सभा के सदस्य महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, श्री० श्रीप्रकाश श्री० नरेन्द्र देव आदि हैं। एक शिक्षा परिषद् भी है जो पाठ्य क्रम को निश्चित करती है।

श्री० शिवप्रसाद गुप्त ने इस संस्था के लिये १० लाख रुपये का प्रबन्ध कर दिया है जिसका वार्षिक सूद ६०००० रु० आता है। इस कोष का नाम "श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि" (बा० शिव प्रसाद के भाई के नाम से) रक्खा गया है।

विद्यापीठ के तीन मुख्य विभाग हैं क— विद्यालय जिसमें (१) दर्शन (२) इतिहास राजधर्म अर्थ शास्त्र, (३) गणित (४) संस्कृत, हिन्दी उर्दू, अंग्रेजी के अध्ययन का भी प्रबन्ध है। ख—परीक्षायें (१) विशारद (२) शास्त्री (३) आचार्य की स्थिर की गई हैं। (ग) विद्यापीठ में युक्त प्रांत के अनेक विद्यालय सम्बद्धित हैं। सम्वत् १९७८ में १५ राष्ट्रीय पाठशालाओं के १५० विद्यार्थियों ने परीक्षा दी तथा एफ. ए. के समान परीक्षा में १३, और बी. ए. के समान परीक्षा में १० सम्मिलित हुये। उस समय से विद्यापीठ बराबर उन्नति करता जाता है। उसकी इमारतें भी अब तैयार हो गई हैं और श्रीयुत नरेन्द्र देव आचार्य की अध्यक्षता में कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। गांधी आश्रम इस संस्था से अलग कर दिया गया है। विद्यापीठ में शिल्प विभाग भी है जिसमें विद्यार्थी उपयोगी धन्धे सीख रहे हैं। श्रीयुत श्रीप्रकाश और श्री० बीरबल सिंह ने इस पीठ के लिये बड़े परिश्रम किये हैं।

बिहार विद्यापीठ ।

श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध नेता तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा देने के उद्देश्य से यह विद्यापीठ स्थापित किया है। अभी कार्य आरंभिक दशा में होने के कारण विशेष कार्य नहीं हुआ है। प्रो० रामदास गौड़ इस विद्यापीठ में बड़े परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही यह राष्ट्रीय विद्यालय पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होगा।

ब्रिटिश भारत में विद्यालय (१९२५-२६)

प्रांत	राजमान्य विद्यालय						अन्य विद्यालय		जोड़	
	कालेज		स्कूल		जोड़					
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
मद्रास	६८	७	४४४९२	३४०९	४४५६०	३४१६	२७४८	५८	४७०८	३४७४
बम्बई	२२	...	१२७३८	१६४५	१२७६०	१६४५	१३०२	११०	१४०२३	१७५५
बंगाल	५३	७	४२५३९	१३९४९	४२५९२	१३९५५	११७५	२५४	४३७६७	१४२०९
संयुक्त प्रांत	५३	५	१९५००	१७९८	१९५५३	१८०३	२७२०	१७२	२२२७३	१९७५
पंजाब	२८	३	११२०९	१२८८	११२३७	१२७१	२५८९	१७५७	१३८२६	३०८८
बरमा	२	...	५७८४	९०७	५७८६	९०७	१८४२२	६७	२४२०८	९७४
बिहार और उड़ीसा	१४	१	२८७८७	३०२१	२८८०१	३०२२	१६५१	१५६	३०४५२	३१७८
मध्य प्रदेश	८	...	४६४९	३९३	४६५७	३९३	२९९	१९	४९३६	४१२
आसाम	४	...	४७५०	४३७	४७५४	४३७	३६८	१७	५१२२	४५४
उत्तरपश्चिमी सरहद्दी प्रांत	४	...	५९७	८५	६०१	८५	३५१	१४	९५२	९९
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	...	...	८१	९	८१	९	५३४	१	३१५	१०
अजमेर मारवाड़	१	...	१७५	२०	१७६	२०	९५	१८	२७१	३८
कुर्ग	...	...	१०२	१०	१०२	१०	६	...	१०८	१०
देहली	५	२	१८५	३६	१९०	३८	९०	३	२८०	४१
बंगलौर	१	१	६२	३८	६३	३९	१५	५	७८	४४
अन्य	१	...	७३	४०	७४	४०	२५	५	९९	४५
जोड़	२६४	२६	१७६७२३	२७०८४	१७५९८७	२७११०	३२०३०	२६९६	२०८०१७	२९८०६

विद्यार्थियों की संख्या (१९२५-२६)

प्रान्त	विद्यार्थी जो राजमान्य विद्यालयों में है						विद्यार्थी जो अन्य विद्यालयों में हैं		जोड़	
	कालेज		स्कूल		जोड़					
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
मद्रास	१३११९	४२५	२०१७२३४	२३५००२	२०३०२५९	२३६०३७	७९१४५	१०१७	२१०९४९८	२३७०५४
बम्बई	९८६३	...	८९१०५४	१३७५२४	९०१९१७	१३७५२४	३३१०१	४४८८	९३५०१८	१४२०१२
बंगाल	३११९०	३२५	१८०४०२१	३३६६४१	१८३५२११	३३६६६६	४३२४७	६५८८	१८७८४५८	३४३५५४
संयुक्त प्रान्त	१२३४०	१३३	११३३६८५	७५२८२	११४६०२५	७५३९५	६४१४८	४०५७	१२११४१७३	७९४५२
पंजाब	९१२९	११६	८९१०८५	७५१८७	९००२१४	७५३०३	५४३८७	३१९१२	९५४०६१	१०८२१५
बरमा	१२९७	...	३५०२१७	५९८८४	३५१५१४	५९८८४	२०१९४३	१७६७	५५३४१७	६१६५१
बिहार और उड़ीसा	४०९४	८	९६३५०६	७४०५२	९६८००७	७४०६०	३९६४१	८०७१	१००७३४८	७७१३१
मध्य प्रदेश	१७३३	...	३४१२७१	२५७८३	३४३००४	२५७८३	८४४२	७५४	३५१४४६	२६५३७
आसाम	१२३४	...	२४१९७४	१७०४८	२४३२०८	१७०४८	१४९९३	७३७	२५८२०१	१७७८५
उत्तर पश्चिमी प्रान्त	४२०	...	५१६५२	६३४४	५२०७२	६३४४	७८३७	२६६	५९९०९	६६१०
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	...	...	४५४५	९०८	४५४५	९०८	३१९९	२५	७७३५	९३३
अजमेर मारवाड़	१३१	...	१०१२९	१७६६	१०२६०	१७६६	३८३७	७५३	१४०९७	२५१९
कुर्ग	...	...	७९९९	८४२	७९९९	८४२	१२७	...	४१२६	८४२
देहली	१२०७	१०५	१७३५६	३२३८	१८५६३	३३४३	४३३२	३३०	२२८९५	३६७३
बंगलौर	११५	३१०	७८६८	४५६३	७९८३	४८७३	६५२	११७	८६३५	४९९०
अन्य	३०१	..	११८७३	४०२८	१२१५४	४०२८	१४५७	२५७	१३५८१	४२८५
जोड़	८६१७७	१४१२	८७४६४२०	१०५८६९२	८८५२५९९	१०६०१०४	५६४४७९	५७१३९	९३९७०७८	११६७२५३

महिला विद्यार्थिनियाँ।

स्टेज	योरोपियन तथा एन्गलो इंडियन	देसी ईसाई	हिन्दू	मुसलमान	बौद्ध	पारसी	अन्य	जोड़
कालेज	१६१	३८७	४१८	३२	...	७	१८	१०२३
हाई स्कूल	१२५४	१७६८	२३७०	१२२	१२८	४८३	११८	६०२३
मिडिल स्कूल	४३०४	८५६७	१४१२७	१५२४	१०१९	१४०८	६९६	३१६४५
प्राथमिक पाठशालाएँ	१७६१९	५८९१६	५७४४०८	२८९१०८	४७७३३	४६५१	१७४२१	१००९८५६
विशेष पाठशालायें	८१९	५१०६	३७४४	९५८	३६१	२४८	१११	११३४७
अन्य पाठशालायें	४७	१०३४	१४३०८	३८३२७	१७७८	३३	१६५९	५७१३९
जो	२४१५७	७५७७८	६०९३७५	३३००७१	५१०१९	६८३०	२००२३	१११७२५३

शिक्षा सम्बन्धी व्यय ।

सन् १९२५--२६ में निम्न लिखित व्यय ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर किया गया है—

नाम	रुपया
मद्रास	४,१६,२०,०५१
बम्बई	३,७७,३९,७३३
बंगाल	३,७६,९४,२९०
संयुक्त प्रान्त	३,१३,५३,८८०
पंजाब	२,५६,२२,०४४
बर्मा	१,७२,४१,५९८
बिहार और उड़ीसा	१,५३,८१,८१५
मध्य प्रदेश	१,०२,७२,४६४
आसाम	४०,५३,५६८
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रांत	१८,३९,५६३
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	४,६२,९७३
अजमेर मारवाड़	६,१०,१५०
कुर्ग	२,२१,३०६
देहली	१६,७६,१४०
बंगलौर	७,८८,८१६
हिंदुस्तानी रियासतें	१२,१४,१२५
	२२,७७,९२,५३२

भारत में पढ़े लिखों की संख्या।

नाम	कुल आबादी	पढ़े लिखे	फी सैकड़े
भारत	३१६०५५२३१	२२६२३६५१	७
आसाम	७६०६२३०	४८३१०५	६।
बंगाल	४६६९५५३६	४२५४६०१	९
बिहार उड़ीसा	३४००२१४९	१५४६२५७	४।
बम्बई	१९२९१७१७	१६४५५३३	९॥
बरमा	१३१६९०९९	३६५२०४३	२८
मध्यप्रदेश बरार	१३९१२७६०	६३३२९२	४॥
मद्रास	४२५१३४०	८७०५३	३॥
पञ्जाब	२०६८५०२४	८३३४९२	४
संयुक्त प्रान्त	४५३७५७८७	१६८८८७२	३॥।
बड़ौदा	२१२६५२२	२७२४१८	१२॥
बिहारके देशीराज्य	३९९९६६९	११५२३२	३
बम्बई के ,,	७४०९४२९	५८०७२३	८
मध्यप्रान्त के ,,	५३९७०२३	१८९४४६	३
हैदराबाद	१२४७७७७०	३६५२९०	३
काश्मीर	३२५९५२७	७२२२८	२।
मद्रास के देशी राज्य	५४६०३१२	११९५३७२	२२
मैसूर	५९७८८९२	४४३१७३	७।
पञ्जाब के देशी राज्य	४४१६०३६	१३४४५१	३
राजपूताना व मध्यभारत	९८४४३८४	३३१७२५	३।

(भारत की १९२१ की मनुष्य गणना पर से ।)

४—पंजाब	१८८२, १९०४, १९०५	पंजाब सीमा प्रांत बिलोचिस्तान और कुछ देशी राज्य (कश्मीर आदि)
५—इलाहाबाद	१८८७, १९०४, १९०५, १९२१	संयुक्त प्रांत अजमेर मारवाड़ और कुछ देशी राज्य
६—बनारस	अक्टूबर १९१५	बनारस जिला
७—मैसूर	जूलाई १९१६	मैसूर राज्य
८—पटना	सितम्बर १९१७, व १९२३,	बिहार उड़ीसा और कुछ राज्य
९—उसमानिया (निजाम प्रदेश)	१९१८,	हैदराबाद
१०—ढाका	अप्रैल१९२०,	५ मील
११—अलीगढ़ मुसलिम	सितम्बर १९२०,	१० मील
१२—रंगून	१९२० व १९२४	ब्रह्म देश
१३—लखनऊ	नवम्बर १९२०,	स्थानीय
१४—दिल्ली	मार्च १९२२,	दिल्ली
१५—नागपुर	जनवरी १९२३,	सी. पी. बरार
१६—आंध्र	जनवरी १९२६,	तैलंग प्रदेश (मद्रास)

हारटोग कमेटी।

सायमन कमीशन के साथ एक कमेटी शिक्षा संबंधी जांच के लिये नियुक्त हुई है जिस के निम्न लिखित सदस्य है और जो इस समय जांच कर रही हैं।

१—सर फिलिप हारटोग अध्यक्ष
२—सर एम्हर्स्ट सेलबी बिग
३—सर सैयद सुल्तान अहमद
४—सर जार्ज एन्डर्सन
५—मिसेज मुथु लक्ष्मी रेड्डी।

१—हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस

हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस की स्थापना का श्रेय पूज्यपाद पं० मदन मोहन मालवीय को ही है। कल्पना भी उन्हीं ही को है और जिन कठिनाइयों का सामना करके उन्हों ने इस विश्व विद्यालय को खड़ा कर दिया उन्हें केवल वही बता सकते हैं। उन्हों ने १ कोटि रुपया इकट्ठा करने का संकल्प किया और देशभर में घूम २ कर धन एकत्र किया अन्य यूनिवर्सिटियों की नाई यह संस्था सरकारी प्रसाद नहीं है। सारे भारत वर्ष के गरीब अमीर छोटे बड़े सब का इस संस्था की स्थापना और उत्कर्ष में हाथ है।

भारत के अनेक देशी राज रजवाड़ों ने इसे सहायता दी है। महाराजा मैसूर ने सब से अधिक धन दिया है महाराजा बनारस ने जमीन दी है और महाराजा दरभंगा ने धन, शारीरिक परिश्रम और उद्योग भी इस विश्वविद्यालय को दिया है।

यूनिवर्सिटी का संचालन इस प्रकार है:—

(१) कोर्ट—कुल प्रबंध कार्य इसके हाथ में हैं। कोर्ट की एक कार्य कारिणी कमेटी भी है जिसे कौंसिल कहते हैं।
(२)सिनेट—कुल शिक्षा कार्य का प्रबंध इस कमेटी के हाथ में है। इसकी कार्य कारिणी सभा है जिसे सिन्डीकेट कहते हैं।

सितम्बर १९१५ में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ और १ अक्टूबर १९१७ को बनारस का सेन्ट्रल हिन्दू कालेज इस यूनिवर्सिटी के माने जाने की घोषणा की गई।

हिंदू धार्मिक शिक्षा इस संस्था में दी जाती है किन्तु सब धर्म के छात्र लिये जाते हैं। भारतवर्ष भर में स्कूल इससे सबद्धित हो सकते हैं।

२—मैसूर यूनिवर्सिटी

यह यूनिवर्सिटी सन १९१६ में एक्ट द्वारा मैसूर राज्य में शिक्षा की उन्नति के उद्देश्य से आरम्भ की गई। यूनिवर्सिटी के चांसलर महाराजा मैसूर हैं और पुरानी यूनिवर्सिटियों की तरह ही इस की सचालन विधि हैं। सीनेट में कम से कम ५० और अधिक से अधिक ६० मेम्बर हो सकते हैं। नवीनता यह है कि सब प्रोफेसरों को सदस्यता स्वयं प्राप्त हो जाती है।

मैसूर के शिक्षा-विभाग की ३०जून १९२६ को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से विदित होता है कि इस वर्ष में विद्यालयों की सख्या ८,७९२ से ९०८४ और शिक्षार्थियों की २,८७,७९४ से ३,०३०९२ हो गई प्रति ३.२४ वर्ग मील में ६४५ जन सख्या पीछे एक विद्यालय था। विद्यालय जाने योग्य प्रतिशत बालकों तथा बालिकाओं में क्रमशः ५३.०३ और १३.१४ बालक और बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं। गत वर्ष यह संख्या क्रमशः ५२.३० और १२.४८ थी। गत वर्ष २० मनुष्य पीछे एक शिक्षार्थी था, इस वर्ष यह अनुपात १९ और एक का रहा। यह औसत ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रांतों से अधिक है। व्यक्ति पीछे शिक्षा के लिये वहां बारह आना व्यय पड़ा।

३—अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी

यह सस्था सर सैयद अहमद के परिश्रमों का फल स्वरुप है। मुसलमानों की शिक्षा का सुप्रबध होना चाहिये इस उद्देश्य से उन्होंने १८७५ में एक स्कूल खोला जो तीन वर्ष के बाद मुहमडन एंग्लो ओरियंटल कालेज परिवर्तित हो गया। उसके पश्चात अनेक वर्षों तक इस सस्था को यूनिवर्सिटी बनाने का प्र यत्न जारी रहा। सन् १९११ में आगा खां ने बहुत सा रुपया जमा किया और संचालन विधि का मसौदा भी बनाया। किन्तु सेक्रटरी आफ स्टेट ने मंजूर नहीं किया और विशेषतः इस प्रश्न पर कि यूनिवर्सिटी को भारत भर में स्कूल व कालेज संबंध करने का अधिकार दिया जावे उन्होंने इनकार कर

विरुद्ध प्रकट किया। और ऐसा ही मत भारत सरकार ने प्रदर्शित किया। ता० १५ अक्टूबर १९१५ को मुसलिम यूनिवर्सिटी के ऐसोसियेशन की एक सभा राजा महमूदाबाद के सभापतित्व में हुई जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि मुसलिम यूनिवर्सिटी फौंडेशन (स्थापना) कमेटी से सिफारिश की जावे कि वह हिन्दू यूनिवर्सिटी को जैसी सुविधायें प्राप्त हैं वही मंजूर करले। यह भी उस समय स्पष्ट हुआ कि अनेक मुसलमान इस सिफारिश को पसन्द नहीं करते थे।

अप्रैल १९१७ में, स्थापना कमेटी ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया—भारत सरकार के शिक्षा विभाग की चिट्ठी न० ६६ डी० ओ० दिल्ली १७ फरवरी १९१७ पर विचार करते हुए स्थापना कमेटी तै करती है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी के ढंग पर मुसलिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप मन्जूर करने पर वह तैयार है और लखनऊ की मीटिंग में बनाई हुई रेगूलेशन कमेटी व प्रेसीडेन्ट और सेक्रटरी मुसलिम यूनिवर्सिटी एसोसियेशन को स्थापना कमेटी अधिकार देती है कि भारत सरकार के शिक्षा सदस्य से परामर्श करके इम्पीरियल कौंसिल में मुसलिम यूनिवर्सिटी बिल पेश करें।

उपरोक्त बिल सितम्बर १९२० में पास हुआ और १ दिसम्बर १९२१ से जारी हुआ।

४—कलकत्ता यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १८५७ में सरकार द्वारा स्थापित हुई। स० १९०४, स० १९०५ और स० १९२१ में अनेक परिवर्तन हुये। स० १९०४ व स० १९०५ से पोस्ट ग्रेजुएट (बी. ए. के बाद) अध्ययन किये जाने का कार्य आरम्भ हुआ। इस यूनिवर्सिटी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय श्रीयुत आशुतोष मुकर्जी को है जिन्होंने अनेक वर्षों तक निस्पृहता से वाइस चांसलर का कार्य किया और अनेक विद्वानों का संग्रह किया तथा अनेक पुस्तकें विद्वानों से तैयार कराईं।

५—मद्रास यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी भी स० १८५७ में स्थापित हुई और स० १९०४, १९०५, और १९२३ के ऐक्टों द्वारा अनेक परिवर्तन उसके कार्य प्रणाली में हुये। इसका सञ्चाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरह है।

६—बम्बई यूनिवर्सिटी।

यह भी १८५७ में कायम हुई और स० १९०४ व १९०५ ऐक्ट द्वारा इसके संचालन में परिवर्तन किया गया।

७—पञ्जाब यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १८८२ में कायम हुई और उसके संचालन विधि में १९०४ व १९०५ में परिवर्तन हुआ।

८—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी १८८७ में कायम हुई। स० १९०४ व १९०५ में परिवर्तन हुआ स० १९२१ के ऐक्ट द्वारा यह यूनिवर्सिटी रेसीडेन्शल हो गई अर्थात केवल इलाहाबाद ही में उसका कार्य क्षेत्र रह गया और उसका कार्य पढ़ाने का हो गया अब वह परीक्षा संस्था हो नहीं रही। इस यूनिवर्सिटी में से लखनऊ (१९२०) और नागपुर (१९२३) आगरा (१९२८), बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (१९१५) और अलीगढ़ १९२० में अलग हो गईं।

९—पटना यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स० १९१७ में अलग हुई। इसमें कुछ परिवर्तन १९२३ में हुये।

१०—ढाका यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी अप्रेल १९२० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अलग होकर कायम हुई।

११—दिल्ली यूनिवर्सिटी।

पञ्जाब यूनिवर्सिटी का कुछ क्षेत्र अलग करके दिल्ली यूनिवर्सिटी स० १९२१ में कायम की गई।

१२—नागपुर यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १९२३ में कायम हुई। सी. पी. तथा बरार इसका कार्य क्षेत्र है।

१३—आंध्र यूनिवर्सिटी।

जनवरी १९२६ में यह यूनिवर्सिटी कायम हुई। मद्रास यूनिवर्सिटी का कुछ भाग अलहदा कर दिया गया है।

१४—आगरा यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष आरम्भ हुई है।

१५—उसमानिया यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी हैदराबाद (निजाम) प्रांत में स० १९१८ में कायम हुई। इस यूनिवर्सिटी का माध्यम उर्दू भाषा है।

१६—रंगून यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १९२३ (जून) में कायम हुई।

१७—लखनऊ यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १९२० (नवम्बर) में कायम हुई।

राष्ट्रीय विद्यालय।

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी।

इस संस्था की स्थापना का निश्चय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने २६ नवम्बर १८९८ ई० के अधिवेशन में किया था। असली संस्थापक महात्मा मुंशी राम (स्वामी श्रद्धानन्द) ही कहना चाहिये। उन्हीं के प्रयत्नों से ता० २ मार्च १९०२ को वैदिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने वाली यह संस्था स्थापित हुई। यह निश्चित हुआ था कि संस्था के लिये ३० हजार रुपया पहिले मिलने का अभिवचन मिलना चाहिये और ८००० रु० नकद मिल जावे तब संस्था का आरंभ हो। महात्मा मुंशीराम ता० २६ अगस्त १८९९ को यह भीष्म प्रतिज्ञा करके निकले कि जब तक ३०००० रुपया न लाऊंगा घर लौट कर न आऊंगा और फल यह हुआ कि ७ मास में ३०००० रुपया एकत्र हो गया। स्वर्गवासी दानवीर मु० अमनसिंह ने अपना पूरा ग्राम कांगडी दान में दे दिया। जिसमें १२०० बीघे पक्के हैं।

यह गुरुकुल प्राथमिक ४ श्रेणियों से आरंभ किया गया। स० १९०८ में महाविद्यालय और १९११ में विश्व विद्यालय का इसने रूप धारण किया। स० १९२३ में वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद महा विद्यालय भी खोले गये। अब तक इस गुरुकुल की ६ शाखायें खुल चुकी हैं।

नाम गुरुकुल	स्थापना।
१—मुलतान	१३ फरवरी १९०२
२—कुरुक्षेत्र	१ बैसाख १९६९ वि०
३—भटिन्डू	१९७२ वि०
४—रायकोट	१८७६ वि०
५—पूना	१९२४ ई०
६—मटिंडर	१९२१ वि०

१३ कार्तिक १९८० को दीपावली के दिन कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की स्थापना की गई।

सं० १९८४ अथवा स. १९२८ तक कुल १८० स्नातक (ग्रेजुएट) निकले हैं। उन में से ५० शिक्षा कार्य, १० पत्र सम्पादक कार्य, ३ विशुद्ध राजनैतिक कार्य, ३७ चिकित्सा कार्य, ४४ व्यापार व जमींदारी कर रहे हैं। ६ स्नातक राजनैतिक कार्यों के लिये जेल भी जा चुके है। ६० स्नातक अच्छे लेखक हैं। २९ स्नातकों ने पुस्तकें लिखी हैं। १६ स्नातक भारतवर्ष के बाहर योरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तथा अफ्रीका, आदि हो आये है।

महा विद्यालयों और अधिकारियों की पाठविधि निश्चित करने के लिये एक शिक्षा पटल की आयोजना १२ माघ १९७९ वि० को अतरग सभाने की है।

इस सस्था के मुख्य आचार्य श्री० प्रो० रामदेव हैं।

सबत १९८३ (१९२७ ई०) में गुरुकुल की रजत जयन्ती (सिलबर जुबिली) हुई जिसमें १,५३००० रु० नकद और एक लाख ३० हजार रु० के बचन मिले।

इस संस्था को २,३५,१३७ रु० स्थिर उपाध्याय (Chairs) वृत्ति के लिये मिला है, छात्र बृत्तियों के लिये १,५२,६९० रुपया और पदकों के लिये सहस्रों रुपया मिला है। कुछ साल पहिले बाढ़ से गुरुकुल की अनेक इमारतों को हानि पहुंची थी परन्तु शीघ्र ही क्षति पूरी हो गई।

गुरुकुल का कोष ७ लाख रुपये से ऊपर है।

गुरुकुल वृन्दावन।

यह गुरुकुल सयुक्त प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि द्वारा ता० १ दिसम्बर १९०५ को स्थापित हुआ। कार्य के सञ्चालन के लिये ११ सदस्यों की एक सभा है। मुख्य अधिष्ठाता श्रीरामजी हैं।

इस सस्था में १८० ब्रह्मचारी पढ़ते हैं और वार्षिक व्यय लगभग ७० ००० रुपया है। स्याम, फीजी, ब्रह्म देश आदि देश के विद्यार्थी इसमें शिक्षा पा रहे हैं। ८।१० वर्ष की आयु के ब्रह्मचारी लिये जाते हैं और २५ वर्ष तक की आयु तक पढ़ाये जाते हैं। इस सस्था की इमारतें डेढ़ लाख रुपये की हैं।

स्नातकों को वेद शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, और आयुर्वेद शिरोमणि की उपाधियाँ दी जाती हैं।

गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद।

गुजरात विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आन्दोलन के समय हुई है। पहिले गुजरात महा विद्यालय ता० १५ नवम्बर १९२० को खोला गया। हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है। इस सस्था के अत्युत्तम वाचनालय हैं जिनमें ४०,००० रुपये से अधिक की पुस्तकें हैं।

गुजरात विद्यापीठ के मुख्य नियम यह हैं—

१—विद्यापीठ का मुख्य काम स्वराज्य प्राप्ति के लिये चलते हुये आन्दोलनों के लिये चारित्र्यवान, शक्ति सम्पन्न, और कर्तव्य निष्ठ कार्य कर्ता तैयार करने का है।

२—विद्यापीठ की कोई संस्था सरकार से सहायता न लेगी ।

३—सब संचालकों और शिक्षकों को अहिंसा व्रत धारण करना चाहिये ।

४—विद्यापीठ में छूत अछूत का भेद न रक्खा जावेगा ।

५—विद्यापीठ के संचालकों, शिक्षकों तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले कार्य कर्ताओं को सूत कातना, और खादी पहिरना, अनिवार्य होगा ।

६—विद्यापीठ में गुजराती भाषा शिक्षा की माध्यम भाषा होगी ।

७—हिन्दी राष्ट्र भाषा को योग्य स्थान दिया जावेगा ।

८—विद्यापीठ में औद्योगिक शिक्षा को बौद्धिक शिक्षा के बराबर ही महत्व दिया जावेगा ।

९—ग्रामों में शिक्षा का प्रचार विद्यापीठ का मुख्य कर्तव्य होगा । आदि ।

विद्यापीठ से निकले हुये विद्यार्थियों ने अहमदाबाद में तथा निकटवर्ती ग्रामों में स्वदेशी आन्दोलन का कार्य बड़ी अच्छी तरह से किया है । बारडोली सत्याग्रह में भी गुजरात विद्यापीठ के कार्य कर्ताओं तथा विद्यार्थियों ने अग्रसर भाग लिया है ।

प्रेम महाविद्यालय बृन्दावन

यह संस्था ता० २४ मई १९०९ को देशभक्त त्याग वीर राजा महेंद्रप्रताप सिंह ने स्थापित की । उन्होंने इस संस्था के लिये अपना महल प्रदान किया । और पांच गांव जिनकी आमदनी खर्च काट कर ३०००० रू० सालाना है । श्रीमान राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इस समय देश की स्वतंत्रता के लिये अब बिदेशों में कार्य कर रहे हैं । जाने के पूर्व इस संस्था की रजिस्ट्री करदी थी जिसका नाम "प्रेम महाविद्यालय एसोसियेशन बृन्दावन" है । इसके प्रबंध के लिये दो समितियां है—(१) जनरल कौंसिल (२) एकजीक्यूटिव कमेटी ।

इस संस्था का संचालन इस समय श्री० ए० टी० गिडवानी के हाथ में है । जिनकी सेवायें में इस संस्था को महात्मा गांधी ने दी है ।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रधान बाबू नारायण दास बी. ए हैं ।

इस संस्था की विशेषता यह है कि इसके पाठ्य क्रम में साहित्यक और औद्योगिक शिक्षा का सम्मिश्रण है । एक स्कूल मेट्रीक्यूलेशन तक की शिक्षा देता है । माध्यम हिन्दी है । अंग्रेजी भी सिखलाई जाती है । विद्यार्थी औसत से २ घण्टे प्रति दिन कारखाने में काम करते हैं जहाँ लकड़ी, चीनी, मिट्टी, कालीन बुनना, और सिलाई सिखलाई जाती है । स० १९२७ से

ललित कला भी सिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विभाग हैं—व्यापार, इञ्जीनियरिंग, मिट्टी व चीनी, मिकेनिकल (यन्त्र विद्या) लकड़ी व लोहारी, बुनाई, छापाखाना।

विद्यार्थियों के लिये छात्रालय, पुस्तकालय, वाचनालय हैं।

प्रेम महा विद्यालय के सभी विद्यार्थी खद्दर पहिनते हैं। शारीरिक व्यायाम पर जोर दिया जाता है। छात्र वृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

विद्यार्थियों को १०) मासिक भोजन व्यय के लिये देना पड़ते हैं। फीस नहीं ली जाती है।

कारखाने से सब प्रकार का सामान जो तैयार होता है बेचा जाता है। महा पुरुषों के बस्ट भी तैयार होते हैं।

प्रेम महा विद्यालय किसी सरकारी संस्था से सम्बद्ध नहीं है। राजा साहेब की रियासत से ही खर्च चलता है।

सं० १९२६-२७ में वार्षिक आय ११९३४० रु० ७ आ० ९ पा० और खर्च ८४५५१ रु० १९ आ० १ पा० था और बचत ३४७८८ रु० ८ आ० ८ पा० थी। यही औसत वार्षिक खर्च व आमदनी का है।

विश्वभारती।

शांति निकेतन बोलपुर।

प्रसिद्ध कवि सर रवीन्द्रनाथ टागोर ने इस संस्था को सं० १९२१ में स्थापित किया। श्रीयुत टागोर को भारत की प्रचलित शिक्षा प्रणाली अत्यन्त दोष जनक मालूम हुई इस कारण उन्हों ने बोलपुर में एक पाठशाला आरम्भ की इसमें विशेष ध्यान छात्रों के चरित्र गठन और सुसंस्कृति पर ही दिया गया। ऐसी शिक्षा जो केवल उदर भरण के लिये अन्य पाठशालाओं में दी जाती है वह नहीं दी जाती। धीरे २ यह संस्था अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयमें परिवर्तित हो गई हैं और उसका नाम विश्व-भारती रक्खा गया है। योरोप के प्रसिद्ध विद्वान इस सन्स्था में जिस का नाम "शांति निकेतन" रक्खा गया है आकर ठहरते हैं और विद्या व्यासंग में समय व्यतीत करते हैं। श्रीयुत सी. एफ एन्डरुज और मि० रोलैंड भी इस विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं।

मालवविद्यापीठ अर्वाचीन गुरुकुल राऊ इन्दौर

इस संस्था की स्थापना पं० नारायण प्रसाद दीवान देवास (सीनियर) द्वारा १९१८ में देवास में हुई और फिर इन्दौर में यह संस्था हटा दी गई। इसका उद्देश्य है—मालव के बालक तथा बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक उन्नति करना, उनका जीवन स्वावलम्बी बनाना, हिन्दी,

धार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थायें।

धार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक सन्स्थायें।

१—डेक्कन सभा पूना।

स्वर्गीय जस्टिस रानडे ने इस संस्था की स्थापना सार्वजनिक राजकीय हित रक्षा के उद्देश्य से १८९६ पूना में की। पता—सदाशिव पेठ पूना सिटी।

२—भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना

संस्था का उद्देश्य प्राचीन प्रख्यात ग्रन्थकारों के अप्रकाशित ग्रन्थों की व ऐतहासिक कागज पत्रों की खोज करना व उनका प्रकाशन करना है। पता—शनवार पेठ, पूना।

३—इंडियन होम रुल लीग।

स्थापना १९१६ उद्देश्य--हिन्दुस्तान के लिये स्वराज्य प्राप्ति। मुख्य आफिस पूना में है और बहुत सी शाखायें अन्यत्र फैली हैं।

४—इंडियन सायन्स कांग्रेस कलकत्ता।

वैज्ञानिक शोध की उन्नति के लिये १९१४ में स्थापित हुई। हर साल भिन्न २ स्थानों में इसका अधिवेशन होता है। अध्यक्ष सर एम विश्वेश्वर अय्यर पता—एशियाटिक सोसायटी आफ बेंगाल, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता।

५—कामगार हितवर्धक सभा बम्बई।

स्थापना १९०९। उद्देश्य [१] मजदूर व उन के मालिकों के बीच झगड़ों को समझोते से निपटारा करना [२] मजदूरों को शिक्षा देकर उनकी बुरी आदतें दूर करना [३] उन को उनके संकट काल में आर्थिक, कानूनी या वैद्यकीय मदद देना और हर तरह से उनके हितों की रक्षा करना।

६—नेशनल होमरूल लीग अड्यार।

जहां तक जल्द हो सके वहां तक सब उचित उपायों से हिन्दुस्तान के लिये स्वराज्य हासिल करने के उद्देश से १९१० में स्थापित हुई। अडियार, मद्रास शाखायें अन्यत्र फैली हैं।

७—राजस्थान सेवा संघ अजमेर।

संघ भारतीय देशी राज्यों की प्रजा की उन्नति के लिये आन्दोलन करता है अध्यक्ष श्रीयुत वी. एस. पथिक।

८—सेवा समिति इलाहाबाद।

स्थापना १९१५। अध्यक्ष पंडित मदनमोहनमालवीय, सेक्रेटरी हृदयनाथ कुन्जुरू एम. एल. सी.

९-ब्रिटिश इंडियन पीपल्स् असोसिएशन कलकत्ता।

उद्देश्य--भारतनिवासी यूरोपियन्स् ऐंग्लो इंडियन्स् व अन्य भारतीयों के हित का संरक्षण करना। प्रेसीडेन्ट राजा ऋषिकेश ला, सेक्रेटरी डाक्टर मोरीनो २, वेलस्ली स्केअर कलकत्ता।

१०—यूरोपियन एसोसिएशन कलकत्ता।

स्थापना १८८३ उद्देश्य—हिन्दी राजकीय जीवन में यूरोपियन वर्चस्व कायम रखना। इसकी भारत में कुल बीस शाखायें हैं और एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है। प्रेसीडेन्ट मि. जे. लांगफर्ड जेम्स, जनरल सेक्रेटरी, कर्नल जे. डी. क्राफर्ड, मुख्य आफिस, १७ स्टीफन कोर्ट, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

११—इंडियन केमिकल सोसायटी कलकत्ता।

१९२४ में सर पी. सी. राय की अध्यक्षता में स्थापित हुई, सेक्रेटरी प्रो. जे. एन्. मुकर्जी ९२ अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता।

१२—इंडियन सोसायटी आफ़ ओरिएन्टल आर्ट कलकत्ता।

प्रेसीडेन्ट, सर राजेंद्र नाथ मुकर्जी, सेक्रेटरीज, मेसर्स काटन व टागोर, पता--६ ए. कारपोरेशन स्ट्रीट हिन्दुस्तान बिल्डिंग्ज, कलकत्ता।

१३—आर्ट सोसायटी कलकत्ता।

१८८८ में चित्र व अन्य कला के कामों की प्रदर्शिनियों से कलाओं को उत्तेजन देने के उद्देश्य से स्थापित हुई।

१४—एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता।

पौर्वात्य हस्त लिखित ग्रन्थों का संग्रह अच्छी संख्या में करना उद्देश्य है। सेक्रेटरी जी. एच. टिपर, ५७ पार्क स्ट्रीट।

१५—सोशल सर्विस लीग बम्बई।

स्थापना १९११। उद्देश्य- सामाजिक जन सेवा। संस्था की 'सोशल सर्विस क्वार्टर्ली' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका है और संस्था अन्य लोकोपयोगी काम करती है।

१६—ट्रेड यूनियन कांग्रेस।

स्थापना १९२०, उद्देश्य—सर्व प्रान्तों के और सब व्यवसायों की मजदूर संस्थाओं के प्रयत्नों का केन्द्रीकरण और सामाजिक राजकीय व औद्योगिक मामलों में भारतीय मजदूरों के हितों की रक्षा करना। जनरल सेक्रटरी श्रीयुत डी. चमनलाल, लाहौर।

१७—वेसटर्न इंडिया नेशनल लिबरल असोसियेशन बंबई।

स्थापना १९१८, उद्देश्य--जन साधारण के नैतिक, आर्थिक व राजकीय सुख वृद्ध्यर्थ अखण्डित प्रयत्न करना, प्रेसीडेन्ट, सर डी. ई. वाच्छा।

१८—ऐंग्लो इंडियन लीग कलकत्ता।

ऐंग्लो इंडियनों के हितरक्षणार्थ यह सभा स्थापित हुई। अध्यक्ष डा० एच. डब्लू. बी. मोरीनो एम. एल. सी. सेक्रटरी मि० ए. मैकडोनाल्ड बी. ए. बी. एल. आफिस, २ वेलसली स्क्वेअर, कलकत्ता।

१९—बनारस मेथिमेटिकल सोसायटी।

गणित विषय का अध्ययन व ऐतिहासिक जांच करने के लिये १९१८ में स्थापित हुई। सोसायटी का एक जर्नल व लायब्रेरी है और उसमें करीब साठ मेंबर हैं। लाइफ प्रेसीडेण्ट डाक्टर गणेशप्रसाद एम. ए. डी. एस. सी., सेक्रेटरी प्रो० गोरख प्रसाद एम. एस. सी.।

२०—रसिक समाज कानपुर।

स्थापना—३० वर्ष से ऊपर। स्वर्गीय राय देवी प्रसाद पूर्ण इसके जीवन दाता थे। वर्तमान सभापति पं० रामरत्न शर्मा "रत्नेश" हैं इसकी शाखायें साहित्य मण्डल और नाट्य समिति हैं। साहित्य मण्डल के सभापति श्री० रामाज्ञा द्विवेदी "समीर" एम. ए. हैं। इस समाज से 'कादम्बरी' नामक पत्रिका प्रकाशित होती है—वार्षिक अधिवेशन चैत्र राम नवमी। पता—कानपुर

२१—हिंदू वनिता आश्रम तथा आल इंडिया हिन्दू सम्बंध सहायक समिति सहारनपुर।

स्थापना—२२ जून १९२२ को पं० हरिदेव शर्मा कथावाचक द्वारा। सदस्यों की संख्या ६० हैं।

२२—ज्ञान मण्डल काशी।

स्थापना—स० १९१९ में श्री० शिव प्रसाद गुप्त ने की और वही इसके संचालक हैं। प्रधान व्यवस्थापक श्री० श्रीप्रकाश हैं इस मन्डल से अनेक उत्तम २ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी भाषा की उन्नति ही इसका ध्येय है। 'आज' दैनिक पत्र यहीं से प्रकाशित होता है।

२३—महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक सभा झांसी।

इस सभा का उद्देश्य महारानी लक्ष्मी बाई के लिये एक उत्तम स्मारक तैयार करना है। सभा के अध्यक्ष श्री० गणेश शंकर विद्यार्थी सम्पादक प्रताप कानपुर तथा मन्त्री र. वि. धुलेकर हैं।

२४—दलित जातियों की उन्नति के लिये सभा कलकत्ता।

यह सभा सन १९०९ में स्थापित हुई जिस समय इसके आधीन १ स्कूल था। अब १९२८ में ४०७ स्कूल हैं। दलित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या १३,५४३ लड़के और ३९३४ लड़कियां हैं। स० १९२७-२८ में इस सभा ने १७७३४॥)। खर्च किया। अध्यक्ष—सर पी. सी. मित्र और उपाध्यक्ष (१) सर पी० सी० राय (२) जुगलकिशोर

बिड़ला (३) राय साहिब राजन मोहन दास। मंत्री डा० पी० के आचार्जी म०ए० पता—१३ बाहुर बागा न रो, कलकत्ता।

२५—इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पोलिटिकल ऐंड सोशल सायन्स बम्बई।

स्थापना १९१७, । उद्देश्य—राजकीय व सामाजिक विषयों का सांगोपांग व व्यापक तौर पर अभ्यास, उनकी चर्चा व उन पर मत प्रदर्शित करना और उन विषयों पर ग्रन्थ प्रकाशित करके इन उद्देश्यों की पूर्तियों के लिये एक लायब्रेरी रखना। आफिस-सर्वेण्टस आफ इंडिया सोसायटी सेंडस्ट रोड, गिरगाँव बम्बई, अध्यक्ष—मि० के. नटराजन सेक्रटरी डा० आंबेडेकर और मि० देवले।

२६—इंडियन मेथेमेटिकल सोसायटी पूना

स्थापना १९०७। हिन्दुस्तान में गणित विषय के अध्ययन की प्रगति के उद्देश्य से स्थापना। संस्था की लायब्रेरी फरग्यूसन कालेज पूना में है जहाँ से उसके अखिल भारतीय २२५ मेंबरों को किताबें व पत्रिकाएं भेजी जाती हैं, संस्था की त्रैमासिक पत्रिका मद्रास से प्रकाशित होती है। प्रेसीडेण्ट वी. राम स्वामी अय्यर एम. ए. डिपुटी कलेक्टर चित्तूर, सेक्रटरी प्रो० नरसंयंगर बंगलोर व प्रि० शहा० पूना।

२७—पेसिण्जर्स ऐंड ट्राफिक रीलीफ असोसिएशन बम्बई।

स्थापना १९१५। उद्देश्य—भारतीय रेलवे और जहाज व अन्य कम्पनियों के प्रवासियों के कष्टों की खोज करके दूर करने के लिये सभाओं, अर्जियों, प्रचार बगैरा द्वारा प्रयत्न करना व इस उद्देश्य पूर्ति के लिये शाखाओं की स्थापना व धन संचय करना। प्रेजीडेण्ट म० लालजी नारायणजी, पता—१३९, मेडोज स्ट्रीट फोर्ट बम्बई।

२८—आर्ट सोसायटी बम्बई।

स्थापना १८८८। उद्देश्य—चित्र व अन्य कला कौशल्य के कामों के प्रदर्शन से कलाओं की उन्नति में सहायता करना। सेक्रटरी एस. वी. भांडारकर, बम्बई।

२९—नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी बंम्बई।

स्थापना १९१३। उद्देश्य-प्राणिशास्त्र की सर्व शाखाओं के अध्ययन को उत्तेजना देना। संस्था का एक प्राणि संग्रहालय है जिसमें हिन्दुस्तान भर के सब तरह के प्राणी हैं इसके करीब १७०० मेंबर हैं। संस्था की तरफ से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। प्रेसीडेण्ट सर लेस्ली विल्सन, सेक्रटरी। आर. ए. स्पेन्सर पता ६ अपोलो स्ट्रीट बम्बई।

३० — खादी प्रतिष्ठान, सोदेपुर बंगाल

यह खादी प्रचार की सबसे बड़ी संस्था बंगाल में है। साबरमती आश्रम के ढंग पर यहां कार्यकर्ता सिखाये जाते हैं। मुख्य कार्यकर्ता इस प्रतिष्ठान के श्री० सतीशचन्द्र दास गुप्त हैं। डा० पी० सी० राय की भी बहुत कुछ सहायता है। रंगसाजी भी सिखाई जाती है बंगाल में इस संस्था की शाखायें खादी तैयार करने वाली १२ हैं। और खादी बेचने वाले भण्डार २५ हैं। १००००रु० की खादी प्रत्येक मास तैयार होती है। लागत खुद संस्था की १,०७,००० रु० है और अ० भा० चरखा संघ से १,८६,००० रुपया कर्ज लिये हुये हैं। यह प्रतिष्ठान पुस्तकें भी प्रकाशित करता है और प्रचार का भी कार्य मैजिक लेन्टर्ण लेकचरों द्वारा करता है। इसके कार्य कर्ता १६० हैं।

३१ — भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टियू पूना।

स्वर्गीय सर रामकृष्ण भांडारकर के नाम से १९१७ में स्थापित, संस्था के उद्देश्य पौर्वात्य प्राचीन साहित्य के मौलिक ग्रन्थों का व अन्य ग्रन्थों के शुद्ध संस्करण का प्रकाशत करना पौर्वात्य साहित्य की खोज करने के मार्ग छात्रों को सिखाना, साहित्य का ज्ञान हर तरह से संग्रहित करना व ग्रन्थों का संग्रहालय स्थापित करना ये है इस संस्था को डाक्टर सर आर.जी. भांडारकर की बहुमूल्य लायब्रेरी और डेक्कन कालेज के हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह प्राप्त हुआ है और इसकी सांपत्तिक स्थिति भी अच्छी है। संस्था से एक पत्रिका प्रकाशित होती है और इसने 'महाभारत' का संशोधित संस्करण प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया है सेक्रेटरी डाक्टर वी. जी. परांजपे, एम. ए. एल. एल. बी. डी. एल.

३२ — विधवा विवाह सहायक सभा लाहोर।

स्थापना १९१४। उद्देश्य (१) विधवा विवाह का प्रचार करना तथा विवाहों का प्रबंध करना (२) इस उद्देश्य पूर्ति के लिये योग्य साहित्य लोगों के हाथों में देना (३) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अन्य कार्य करना। इस सभा की स्थापना सर गङ्गाराम ने की और इसके लिये एक ट्रस्ट बनाया जिससे सभा को आर्थिक सहायता दी जाती है सन् १९२६--२७ में इस सभा की ५९७ शाखायें थीं। संस्था के वैतनिक कर्मचारी अनेक हैं। इस संस्था ने इस कार्य में अभी तक १,१६,०५०रु० खर्च किये हैं १९८६ तक ११७३२ मर्दों के व १८५१ विधवाओं के (या उनके सन्रक्षकों के) प्रार्थना पत्र संस्था में आये। यह संस्था तीन मासिक पत्रिकायें प्रकाशित करती है (१) विधवा सहायक (उर्दू) (२) विधवा बंधु (हिन्दी) (३) विडोज काज (अंग्रजी)

विधवा सहायक सभा लाहौर।

नीचे दियेहुये कोष्टकमें भिन्न२ प्रान्त से संस्था के पास जिन विधवाविवाहों की रिपोर्ट पहुंची उनकी संख्यामालूम होगी

संस्था के कार्य की उन्नति १९१४-२६।

जाति	१९१४-१५	१९१६	१९१७	१९१८	१९१९	१९२०	१९२१	१९२२	१९२३	१९२४	१९२५	१९२६	जोड़
ब्राह्मण	५	३	७	१५	१६	३५	३५	९६	१६३	३३८	४४१	५७६	१७३८
क्षत्री	४	६	९	१२	३१	३६	६७	११२	१८३	२७३	५०८	४०५	१६४८
अरोड़ा	...	...	२	२	६	५१	१०४	११०	३३२	३४७	५७०	६१३	२०३७
अग्रवाल	२	२	४	७	२३	५३	३३	४१	१०५	१०८	१८०	३७७	९३५
कायस्थ	१	२	२	२	३	१३	१०	२०	१९	५९	७६	१२७	३३१
राजपूत	...	...	३	१	२	१२	१४	१६	६३	१५०	२०२	२८९	७४२
सिक्ख	...	...	१	...	...	...	१६	१९	६	४६	२५१	२८५	६३४
	...	...	३	१	७	१८	३३	३९	१२१	२६५	४२९	५००	१४५१
जोड़	१२	१३	३१	४०	९७	२३०	२१७	४५३	८९२	१६०३	२६६३	३१७[illegible]	९५०६

विधवाओं की संख्या ।

प्रान्त	विधवाओं की संख्या	२५ साल के नीचे की विधवायें	१९२५ में रिपोर्ट हुए विवाह	१९२६ में रिपोर्ट हुए विवाह	कैफियत
१-पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा	८७७१०७	४०७५७	२०९८	२०१३	
२ संयुक्त प्रांत आगरा व अवध	३२७१९८४	१९२१३३	३५६	६१३	
३-बिहार व उड़ीसा	३०४३८९०	२२५९३८	६	५७	
४-बंगाल व आसाम	२८१६३७४	२०५८९५	१०३	१५४	
५-राजपूताना	७५२२०५	४४४८९	१७	६९	
६-बंबई	१९५८३१९	१४३२५८	१२	६	
७-मध्यप्रदेश	१०८५९९०	६७६८९	११	२१	
८-मद्रास	३९४३३७१	२३९३१६	२२	९	

३३—सैन्ट्रल लेबर बोर्ड, बंम्बई ।

भारतीय मजदूरों की वर्तमान स्थिति का सुधार व उन्नति इसका उद्देश्य है। सब प्रकार के मजदूर संघ कायम करना, आन्दोलन करना, तथा मजदूरों की शिकायतों को इकट्ठा करना आदि इस संस्था के कार्य हैं। स० १९२२ में इसकी स्थापना हुई है और इसके मुख्य कार्यकर्ता मि० झाबवाला सेक्रटरी हैं।

३४—जामैमिल्लिया इसलामिया दिल्ली।

यह संस्था उर्दू भाषा की राष्ट्रीय विद्यापीठ है। अरबी व फारसी विद्या की उच्च शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। अनेक परीक्षायें प्रति वर्ष ली जाती हैं। इस संस्था के पास एक अत्युत्तम बाचनालय, छापाखाना, तथा उर्दू पुस्तकों का विक्रय भांडार भी हैं। जामैमिल्लिया ने एक 'उर्दू एकाडामी' भी कायम की है जिसमें विज्ञान इतिहास इत्यादि के विश्वस्त ग्रन्थ लिखने का प्रबंध किया गया है। इस इकाडामी के अधिष्ठाता डा० सैयद आबिदहुसेन एम. ए. पी. एच. डी. है। पता—करदल बाग, दिल्ली।

३५—क्षयरोगीयोंके लिये शुश्रूषा ग्रह धर्मपुर।

यह रजिस्टर्ड संस्था स्वर्गीय मिस्टर बी० एम० मलबारी व मि० दयाराम गिडुमल ने १९०९ में स्थापित की धरमपुर में यह सेनिटोरियम देवदार के जंगल में विस्तृत स्थान में हैं १९११ में उसका नाम "दी किंग एडवर्ड दी सेवन्थ सेनिटोरियम" रक्खा गया इस संस्था की एक स्वतंत्र गोशाला दूधके लिये है और इसके लिये लेडीहार्डिंग वाटर वर्क्स नामक पानी का भंडार है यहां ७५ रोगियों के लिये प्रबंध है और दो डाक्टर भी इलाज के लिये संस्था की तरफ से नियत हैं पता—धर्मपुर (भुवाली)

३६—थिओसॉफिकल ऐज्युकेशनल ट्रस्ट अडियार।

स्थापना १९१३। उद्देश्य—भारतीय विद्यार्थियों को मानसिक शारीरिक, धार्मिक व बौद्धिक शिक्षा देना ट्रस्ट की साधारण शिक्षा नीति मि० बेसेंट की "प्रिंसिपल्स आफ एज्युकेशन" नामक किताब में है संस्था की मुख्य शालायें व पाठशालायें निम्नलिखित हैं (१) थिओसोफिकल स्कूल व कालेज, अडियार (२) थिओसोफिकल, स्कूल, मदनापल्ली (३) थिओसोफिकल स्कूल बनारस (४) महिला थिओसोफिकल पाठशाला बनारस, प्रेसीडेंट डाक्टर ऐनी बेसेंट सेक्रटरी मि० यदुनन्दनप्रसाद, मुख्य स्थान, अडियार।

३७—सेवासदन सोसायटी पूना।

स्वर्गीय श्रीमती रमाबाई रानडे. मि. गो. कृ. देवधर, प्रभृति सज्जनों ने

१९०९ में पूना में स्थापित की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को स्वावलंबी बनाना और शैक्षणिक व वैद्यकीय क्षेत्रों में सेवा करने की शिक्षा देना है इस संस्था की शाखायें साता। बारामती, बम्बई, सोलापुर, अहमदनगर अलीबाग, व नाशिक आदि स्थानों पर हैं और लगभग १२०० स्त्रियां व बालिकायें इन सब शाखाओं में मिल कर सगोत रोग चिकित्सा दाइयों का काम तथा अन्य विषयों की शिक्षा पाती हैं वाई मोती वाई वाडिया के नाम से एक ट्रेनिंग कालेज है जिस में ८५ महिलाय शिक्षक बनने की शिक्षा पातीं हैं। इस सस्था ने अपना ध्यान इस समय विशेषतः सूतिका परिचरिया शिशु व बाल संगोपन व अन्य नर्सिङ्ग कार्य की ओर भी दिया है। प्रेसीडेन्ट श्रीमती राणो साहेब सांगली हैं और जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल कृष्ण देवधर हैं।

३८—बम्बई हयुमेनिटेरियन लीग
(जीवदया संघ)

स्थापना १९१५, उद्देश्य। आरोग्य उपयोगिता तथा भूतदया की दृष्टि से पशुहत्या निषेध लोगों को बतलाना और हर तरह की निर्दयता से पशुओं को बचाने की कोशिश करना। अंग्रेजी मासिक इन्डियन ह्यूमनिटेरियन और गुजराती मासिक "जीवदया" संस्था की ओर से प्रकाशित होती हैं। सेक्रेटरीज श्रीयुत झाबवाला व शाह।

३९—डेक्कन ऐजुकेशन सोसाइटी पूना।

यह संस्था महाराष्ट्र में शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से स्थापित हुई। इस के संस्थापकों में लोकमान्य तिलक व श्री युत आगरकर प्रभृति स्वार्थ त्यागी नेता थे। प्रारंभ में न्यू इंगलिश स्कूल नामक पाठशाला खोली गई। संस्था द्वारा कायम किये हुये फरम्युसन कालेज पूना व विलिङ्गडन कालेज, सांगली नामक दो कालेज व अनेक पाठ शालायें हैं जिनमें कई हजार छात्र शिक्षा पाते हैं और संस्था के स्वामित्व की कई कीमती इमारतें व छात्रालय हैं देश की शिक्षा संस्थाओं में इस संस्था का प्रधान स्थान है।

४०—विमेंस इंडियन एसोसियेशन
अडयार।

इस संस्था की स्थापना १९१७ में अडयार में हुई। संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं (१) बाल विवाह की प्रथा की रोक (२) महिलाओं के लिये कौंसिलों व म्युनिसपेलटियों में मताधिकार प्राप्त करना। मत दान का व मेंबर होने का हक सम्पादन करना। (३) महिलाओं को यह ज्ञान करा देना कि भारत के भविष्य का उत्तरदायित्व उनके हाथ में है क्यों कि माताओं व पत्नियों के नाते से भारत के भावी शासकों का चरित्र बनाने का कार्य उनका ही है। (४) अनाथ, व रोगी दुःखितों की शुश्रूषा करने की शिक्षा महिलाओं को देना। इस संस्था

ने आठ साल में कुल भारत में ६५ शाखायें स्थापित कीं और उनमें तीन हजार से ऊपर मेंबर बनाये। संस्था में सेवा सदन की तरह संगीत, सीना, पिरोना, आरोग्य, धर्म व साहित्य की शिक्षा दी जाती है। संस्था से एक 'स्त्री धर्म' नाम की मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

४१—यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन कलकत्ता।

इस संस्था की स्थापना १८४४ में सर जार्ज विलियम्स के द्वारा हुई। इस समय इस संस्था की लगभग दो सौ पचास शाखायें सारे जगत में फैली हुई हैं हिन्दुस्तान में इसकी ६० से ऊपर शाखायें हैं और सर्व धर्म व पंथ के कई हजार मेंबर हैं। संस्था का उद्देश्य युवकों की धार्मिक, सामाजिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति करना है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिये संस्था की तरफ से कई जगह छात्र गृह, वाचनालय, व्यायाम शालायें आदि स्थापित की गई है। और मैजिक लेटर्न द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान व चर्चा की जाती हैं। संस्था की तरफ से एक मासिक पत्रिका "यंग मेन आफ इंडिया" निकलती है। मुख्य आफिस ५ रसेल स्ट्रीट कलकत्ता है। चेयरमेन, दी आनरेबल सर ईवर्ट ग्रीवज व सेक्रटरीज मेसर्स पाल व दत्त है।

४२—यंगविमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन आफ इंडिया कलकत्ता।

स्थापना १८७५ उद्देश्य—यूरोपियन एङ्गलो इंडियन व भारतीय युवतियों व कन्याओं की अध्यात्मिक, बौद्धिक शारीरिक व सामाजिक उन्नति करना। शाखायें १५४। संस्था के २३ निवासग्रह हैं। संस्था का कार्य वाइ. एम. सी. ए. के ही धरती पर होता है। कन्याओं के लिये शारीरिक व्यायाम खेल क्लब, व्याख्यान व्यापारिक शिक्षा बाइबिल शिक्षा व सामाजिक सभायें आदि का इन्तजाम किया जाता है। संस्था की तरफ से बड़े२ बन्दरगाहों पर प्रवासियों की मदद की जाती है और उनके ठहरने का इन्तजाम संस्थागृहों में किया जाता है। "विमेंस आउट लुक" यह संस्था की मासिक पत्रिका है और आफिस ५, रसेल स्ट्रीट कलकत्ता में है। जनरल सेक्रटरी मिसेस एस के दत्त हैं।

४३—इंडियन इकोनोमिक सोसायटी बम्बई।

स्थापना १९१५, उद्देश्य—अर्थ शास्त्र का अध्ययन शास्त्रीय दृष्टि से करना और भारत के उद्योग धन्दों का निश्चित ज्ञान एकत्र करना। एक त्रैमासिक पत्रिका "दी जर्नल आफ दी इंडियन एकोनोमिक सोसायटी" संस्था से प्रकाशित होती है, आफिस

सर्वेंट आफ इंडिया सोसायटीज् होम, गिरगांव, बम्बई ।

४४—पारसी राजकीय सभा बम्बई ।

स्थापना १९०१, उद्देश्य राजकीय विषयों की पारसी समाज को शिक्षा देना और पारसियों में राजनैतिक कार्य की रुचि उत्पन्न करके भारतोन्नति में अन्य समाजों की सहायता करने के लिये उनको तैय्यार करना, अध्यक्ष एस. आर बोमनजी सेक्रेटरी मि. बी. एफ. भारूचा, पता—लिप्टन कम्पनी के सामने, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई ।

४५—सर्वेंट्स् आफ इंडिया सोसायटी पूना ।

यह संस्था स्व० देस भक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने १९०५ में स्थापित की इस संस्था का उद्देश्य ऐसे देश सेवकों को तैयार करना है जो देशसेवा को धर्म समझ कर उसके लिये अपना पूरा आयुष्य देवें। यह संस्था सब वैध उपायों द्वारा भारतवासियों के हित वृद्धि के प्रयत्न करने का उद्देश्य अपने सामने रखता है। संस्था का मुख्य आफिस पूना में है और बंबई, मद्रास, अलाहाबाद, नागपूर, में शाखायें है। उप शाखायें कालिकट मंगलोर, लखनऊ लाहौर व कटक में हैं। सेवक को प्रवेश के अनन्तर तीन वर्ष तक पूना में और दो साल तक और जगह पर कुल पांच साल तक अस्थाई रूप से रहना पड़ता है। हर मेंबर को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि देश ही का ध्यान उसके हृदय में सदा प्रथम होगा और वह जाति पांत विचार छोड़ कर सब भारतवासियों की सेवा भ्रातृभाव से करेगा। स्वर्गीय गोखले के बाद आनरेबल मि० वी. एस श्रीनिवास शास्त्री प्रेसीडेन्ट हुये और इस वक्त मि० जी० कृ० देवधर प्रेसीडेन्ट हैं। सहकारी-समितियों का आन्दोलन, दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता मजदूर संगठन व अन्य सामाजिक कार्यों में सस्था के मेंबर प्रमुख भाग लेते हैं। सोसाइटी के तीस मेंबर हैं और उसके नियंत्रण में हितवाद, ज्ञानप्रकाश, व सर्वेंट आफ इंडिया, समाचार पत्र हैं।

४६—अखिल भारतीय चरखा संघ, साबरमती।

यह संस्था सितम्बर सन १९२५ में पटना में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के अवसर पर महात्मागांधी द्वारा कायम हुई। मुख्य उद्देश्य यह था कि खादी प्रचार के कार्य में राजनैतिक कार्यों से बाधा न पड़े। कांग्रेस कमेटी ने अपना कुल धन जो खादी कार्य में लगा हुआ था इस संस्था को प्रस्ताव द्वारा दे दिया। पांच वर्ष के लिये एक कार्य कारिणी कमेटी भी बना दी गई और उसके लिये नियम भी बना दिये गये। सदस्य (१) महात्मा गांधी (२) मौ० शौकत अली (३) श्री० राजेन्द्र प्रसाद (४) सतीशचन्द्र दास गुप्त (५) मगन

लाल के० गांधी [६] सेठ जमनालाल बजाज [खजानची] [७] शुयेब कुरैशी [८] शंकरलाल बैंकर [९] जवाहरलाल नेहरू। इस संस्था को कर्ज लेने व देने का भी अधिकार दिया गया है। इस समय पं० जवाहिर लाल और शुयैब कुरैशी कार्य कारिणी सभा में नहीं है। श्री० सी० राजा गोपालाचारयर व श्री० गंगाधर राव देशपांडे व श्री० कोंडा वैंकट पैया और श्री० लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम भी शामिल कर लिये गये हैं।

प्रान्तों में एजेन्ट और सेक्रटरी नियत हैं जो संस्था का कार्य चलाते हैं।

इस समय इस सस्था के १६६ खादी बनाने वाले केन्द्र और २४५ बेचने वाले भण्डार हैं। अक्टूबर १९२६ से सितम्बर १९२७ तक संस्था की ओर से २३,२२,९२२ रु० की तैयार की और ३१,८६,७३१ रु० की बेचीं।

इस संस्था का यह भी कार्य है कि खादी प्रचार के लिये रुई धुनकना, कातना, बुनना, रंगना, सूत जांचना, और यन्त्र बनाना विद्यार्थियों को सिखावे।

चरखा संघ का इस समय १३,७७,१९१ ॥≡) २ पाई लगा हुआ है। और ५२४४०४॥=) ११ पाई अन्य संस्थाओं को कर्ज दिया हुआ है। इस संस्था में ४३४ कार्य कर्ता हैं।

४७—सत्याग्रह आश्रम, साबरमती अहमदाबाद।

यह संस्था महात्मा गांधी ने कोचरब स्थान (अहमदाबाद) में वैशाख शुद्ध ११ सम्वत १९७१ (२५ मई १९१५) को स्थापित की। वर्तमान स्थान साबरमती है।

उद्देश्य।

जगत हित की अविरोधी देशसेवा करने की शिक्षा लेना और ऐसी देशसेवा करने का संतत प्रयत्न करना इस आश्रम के उद्देश्य हैं।

नियम।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नीचे के नियमों का पालन आवश्यक है—

(१) सत्य—सामान्य व्यवहार में असत्य न बोलना या उसका आचरण न करना ही भर सत्य का अर्थ नहीं है। किन्तु सत्य ही परमेश्वर है और उसके अलावा और कुछ नहीं है।

(२) अहिंसा—प्राणियों का वध न करना ही भर इस व्रत के पालन के लिये बस नहीं है। अहिंसा है सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखना।

(३) ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचारी किसी स्त्री या पुरुष पर कुदृष्टि न करे केवल इतना नहीं मन से भी विषयों का चिंतवन या सेवन न करे।

(४) अस्वाद—भोजन केवल शरीर यात्रा के लिये ही हो, भोग के लिये कभी नहीं।

(५) अस्तेय—दूसरे की वस्तु विना उसकी अनुमति के लिये हुये न लेना और न जिस उपयोग के लिये मिली हो उससे दूसरा उपयोग लेना।

(६) अपरिग्रह—जिस वस्तु की जरूरत न हो उसका संग्रह न करना।

(७) शारीरिक श्रम—दूसरे के श्रम पर निर्भर न रहना स्वयं श्रम करना।

(८) स्वदेशी—पडोसी की सेवा करना जगत की सेवा करना है। इस भावना का नाम स्वदेशी है। जो अपने नजदीकियों की सेवा छोड कर दूर वालों की सेवा करने या लेने को दौडता है वह स्वदेशी व्रत का भग करता है। कुटुम्ब के लिये अपने आप को, शहर के कल्याण के लिये कुटुम्ब को और देश के लिये शहर को और जगत के लिये देश को होम कर दिया जाय।

(९) अभय—किसी का भय न मानना।

(१०) अस्पृश्यता निवारण—आश्रम जाति भेद नहीं मानता।

(११) सहिष्णुता—सर्व धर्मों के प्रति आदर रखना।

इस के अतिरिक्त कुछ प्रवृत्तियां भी हैं जो आश्रम के रहने वाले धारण करते हैं [१] उपासना [२] शौच सुधार [३] कातने का यज्ञ [४] खेती [५] दुग्धालय [६] चर्मालय [७] राष्ट्रीय शिक्षा जिस में १५ विद्यार्थी और २ विद्यार्थिनियां तैयार हुई हैं। [८] खादी सेवक शाला इस शाला में आज तक २०५ विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है। ३३ विद्यार्थी भिन्न भिन्न प्रांतों के हैं।

ता० २४ जुलाई सन् १९२६ से आश्रम की व्यवस्था एक कार्य वाहक मंडल करता है जिस के प्रमुख [१] महादेव हरि भाई देसाई और [२] इमाम अब्दुल कादिर व वजीर उप-प्रमुख हैं।

वार्षिक खर्च।

औसत मासिक खर्च ३०००) है।

आश्रम की मिलकियत।

जमीन—१३२ ऐकड २८ गुंठा कीमत २६,९७२।–)६

मकान २,९५,१२१॥।≡)६

यह सम्पत्ति एक ट्रस्ट के हाथ में है जिस में ५ सज्जन हैं प्रमुख श्री० जमना लाल बजाज हैं।

जन संख्या।

६ जून सन् १९२८ को इस आश्रम में १३३ पुरुष, ६६ स्त्री, और ७८ बालक बालिकायें। कुल २७७ आदमी थे। कुल १२ मजदूर हैं।

४८—सर्वेंटस् आफ दी पीपल्स् सोसायटी लाहोर।

स्थापना सन् १९२१ में शुभनाम लाला लाजपतराय जी ने इस समिति की नीव डाली। उद्देश्य—राज नैतिक आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बंधी क्षेत्रों में मातृभूमि की सेवा के लिये होन हार और शिक्षित नवयुवकों को तैय्यार करना। प्रत्येक व्यक्ति को जो सोसायटी में शामिल होता है यह प्रतिज्ञा करनी पडती है कि वह कम से

कम बीस साल तक सोसायटी की सेवा करेगा उस के उद्देश्यों को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेगा, और कोई कार्य ऐसा नहीं करेगा जो सोसायटी के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। सोसायटी के मेम्बर वे ही लोग बनाये जा सकते हैं जो ग्रेज्युएट हों या इतनी योग्यता रखते हों। सोसायटी का सारा इंतजाम कार्यकारिणी कमेटी करेगी जिस में सिर्फ सोसायटी के मेम्बर होंगे और जिस के मेम्बरों का चुनाव हर साल सोसायटी के मेंबरों द्वारा हुआ करेगा। लाला जी संस्था के नियमों द्वारा प्रथम सभापति थे। बाद में हर तीसरे साल सभापति का चुनाव हुआ करेगा ऐसा नियम है कि सभापति मेम्बरों में से ही चुना जायगा।

अपने मेंबरों के गुजारे मात्र के लिये सोसाइटी कुछ मासिक वृत्ति देती है जो निम्न लिखित आधार पर है यदि कोई मेंबर विवाहित है तो उसे पहिले वर्ष साठ और दूसरे और तीसरे साल सत्तर और चौथे से आठवें वर्ष तक एक सौ आठवें वर्ष बाद ११० रुपये मिलेंगे। हर सन्तान के लिये १० रुपये अलग दिये जायेंगे पर यह शर्त चार लड़कों तक लागू रहेगी। (२) यदि कोई मेंबर अविवाहित हैं तो पहिले वर्ष पचास रुपये और तीसरे वर्ष ६० रु० चौथे से आठवें साल तक ७५ रुपये आठवें से बारहवें साल तक नब्बे रुपये और उसके बाद १०० रु० मिलेंगे हर मेंबर को वह चाहें वह विवाहित हो चाहे अकेला हो तीन साल तक २५ रु० और उसके बाद ४० रु० तक मकान किराया मिलेगा हर मेंबर की जिन्दगी का बीमा चार हजार रुपयों के लिये होगा। सभा के सहायक एसोशियेट बनाये जा सकते हैं।

इस समय सोसाइटी के मौजूदा सदस्य असोशियेट हैं।

अजीवन सदस्य

(१) लाला फिरोज चन्द [२] लाला अचिंतराम [३] लाला जगन्नाथ [४] [५] गोपबन्धु दास [६] मोहनलाल [७] बलदेव चौबे [८] अलगूराय शास्त्री [९] हरिहर नाथ शास्त्री [१०] हनुमान प्रसाद माथुर [११] लिङ्गराज मिश्र [१२] मोहन लाल गौतम [१३] लाल बहादुर शास्त्री [१४] बलवंतराय मेहता [१५] अमरनाथ विद्यालंकार

असोशियेट (१) पु. पुरुषोत्तमदास टंडन (२) डाक्टर गोपीचंद (३) हरनाम सुन्दर लाल। सोसाइटी का कार्य इस समय अछूतोद्धार है जो सोसाईटी के तरफ से पंजाब और संयुक्तप्रान्त में हो रहा है। संयुक्तप्रान्त में अछूतोद्धार के केन्द्र मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, अलीगढ़, एटा, आगरा, बनारस और झांसी हैं। पंजाब में अमृतसर, लाहौर गुरुदासपुर, कपूरथला, जलन्धर, और फिरोजपुर में काम हो रहा है। अछूतोद्धार के कार्य पर हर साल ४० हजार रुपया खर्च किया जा रहा है।

सोसाइटी के प्रयत्नों से पंजाब और संयुक्त प्रांत में सहयोग समितियों (कोआपरेटिव सोसाइटीज) का कार्य खूब जोर पकड़ रहा है । इस समय १६ सोसाइटियां पंजाब में और २१२ सोसाइटियां सयुक्तप्रांत में सोसाइटी के प्रयत्न से संगठित हुई हैं। सोसाइटी के आधीन दोनों प्रांतों में अछूतों की शिक्षा के लिये १०० से अधिक पाठशालायें खुल चुकी हैं । मेरठ में कुमार आश्रम और लाहौर में श्रद्धानन्द आश्रम सोसाइटी द्वारा सचालित हो रहे हैं । इन आश्रमों में आक्षरिक ज्ञान के अलावा बच्चों को रहन सहन का ढंग सिखाया जाता है और उन्हें समाज सेवा के लिये तैयार किया जाता है ।

सोसाइटी द्वारा किये हुए आन्दोलन से पंजाब सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर बेगार को गैर कानूनी करार दे दिया है । सोसाइटी की ओर से 'बन्देमातरम' (उर्दू) और 'पीपल' (अंग्रेजी) यह दो पत्र प्रकाशित होते हैं जिन्होंने अल्प काल में ही बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है ।

सोसाइटी के सदस्य श्री बलवतराय मेहता भाव नगर में शिक्षा का कार्य और अलीगढ में बाबू हनुमान प्रसाद जी विधवा सहायक सभा का कार्य कर रहे हैं । लाहौर में स्वास्थ्य, शिशुपालन व व्यायाम वगैरः की शिक्षा का प्रबंध भी सोसाइटी की ओर से हुआ है। बाढ पीडितों की सहायता व मजदूर संगठन का कार्य भी सोसाइटी करती है। राजनैतिक क्षेत्र में सोसाइटी की कोई निश्चित नीति नहीं है। सोसाइटी के मेंबरों को कांग्रेस के कार्य में भाग लेने की पूर्ण आजादी है और कई मेंबर राजनैतिक जीवन का खास अंग हैं । स्वर्गीय लाला लाजपतराय असेम्बली के मेंबर थे और पं० लिंगराम मिश्र विहार उडीसा कौंसिल के मेंबर हैं।

४९—हिन्दू अबलाश्रम कलकत्ता ।

श्रीयुत पद्मराज जैन, श्री० बालकृष्ण मेहता तथा अन्य सज्जनों ने मिलकर यह आश्रम विधवाओं तथा अनाथ स्त्रियों की रक्षा के लिये ४-५ साल हुये जब खोला है। स० १९२८ में ऐसी १५ कुमारी बालिकाएँ आईं जिन्हें उनके सम्बन्धियों ने ही भ्रष्ट कर दिया था और वे गर्भवती हो गईं । ७२ बच्चों में से ३२ अपनी माताओं के साथ गये और १८ मर गये । शेष का प्रबन्ध कर दिया गया। ३१ मई १९२८ को ५४ बालकाएँ थीं वार्षिक व्यय १३०९० रु० है । स्थायी मासिक आमदनी २५० रु० है

५०—शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर।

यह संस्था ता० १५ नवम्बर १९२० ई० को स्थापित हुई । इस सन्स्था का उद्देश्य यह है कि सिख पन्थ के गुरुद्वारों का उचित प्रबन्ध सिखों द्वारा ही किया जावे

आरम्भिक काल में सिखों के गुरुद्वाराओं का प्रबन्ध स्थानिक संगतों (सदस्यों के समूहों) के हाथों में रहता था जो अपना २ ग्रन्थी (पुजारी) नियत कर लेते थे। कभी २ समय पाकर यह ग्रन्थी स्वार्थ वश अपने आपको मालिक समझ लेते थे और दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते थे। उस समय सिखों की संगतें ऐसे लोगों को हटा देती थीं। किन्तु अंग्रेजी राज्य में इन ग्रन्थियों को महन्तों का सा मान कानून द्वारा मिलने लगा और ग्रन्थी ही (जो ग्रन्थ साहेब के एक प्रकार के पुजारी थे) गुरु द्वारा के मालिक माने जाने लगे। संगतों की भी दृष्टि इन गुरुद्वारों की ओर कम हुई। फलतः गुरुद्वाराओं का प्रबन्ध बिगड़ गया और ग्रन्थी लोग आमदनी को नाच रग में उड़ाने लगे। जायदादें बरबाद की जाने लगीं। स० १९१८ के करीब सिखों में गुरुद्वाराओं के सुधार की चरचा चलने लगी। और अमृतसर के सुवर्ण मन्दिर में नाच रंग बन्द किये जाने का प्रयत्न किया जाने लगा किन्तु सिखों की कुछ चल न सकी। गुरु गोविन्द सिंह ने सिखों को सशस्त्र सिपाही बना दिया था ऐसे सशस्त्र योद्धाओं का नाम "अकाली" पड़ गया था। इन्हीं अकालियों ने गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन आरम्भ किया। उन्हें यह देखकर अत्यन्त दुःख हुआ कि सुवर्ण गुरुद्वारा अमृतसर के महन्त ने जनरल डायर को जिसने जलियानवाला बाग में भीषण हत्या कांड किया था 'खिलअत' दी। सं०१९२० में नानकाना साहेब में एक ऐसा महन्त बना दिया गया जो सिख धर्म छोड़ चुका था। "बाबेदी बेर" नामक मुकदमा भी चला किन्तु सिख हार गये। सरकार ने सिखों को इस कार्य में कोई सहायता न दी। इन्हीं बातों से सिखों ने निश्चय कर लिया कि बिना सरकारी सहायता के वे स्वयं अपनी शक्ति से गुरुद्वाराओं का सुप्रबन्ध कर लेंगे। इन कारणों से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की स्थापना हुई। इस कमेटी ने गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन बड़े जोर शोर से चलाया। गुरु का बाग सत्याग्रह इसी कमेटी ने चलाया और सरकार को हरा दिया। उस स्थान पर सहस्रों अकालियों को भारी से भारी चोटें सरकारी पुलिस व फौज द्वारा दी गईं सहस्रों अकाली जेल भेज दिये गये अनेक नेताओं को कड़ी सजायें दी गईं किन्तु सिख पीछे न हटे। जैतो सत्याग्रह भी अकालियों द्वारा किया गया और वहां भी अकालियों की विजय रही। सं० १९२५ में सरकार ने मजबूर होकर एक ऐक्ट पास किया जिसके द्वारा सब गुरु द्वारा सिखों के हाथ में दे दिये गये और महन्तों की शक्ति तोड़ दी गई।

इस सन्स्था की निम्न लिखित शाखायें हैं—

१—छूत तोड़ सभा २—शहीद सिख मिशनरी कालेज ३—कानून

विभाग (शि० गु० प्र० क०) लाहौर
५—प्रत्येक सिख गुरु द्वारा के लिये एक प्रबन्धक कमेटी।

कार्य वाहक मंडल।

१—सरदार खडक सिंह बी.ए.एलएल.बी. सभापति।
२—मास्टर तारासिंह बी. ए. बी.टी.
३—सरदार अमरसिंह बी. ए. बी. टी. सेक्रटरी।
४—सरदार लाल सिंह बी. ए. अ० सेक्रटरी।
५—ज्ञानी शेर सिंह सेक्रटरी, छूत तोड़ कमेटी।
६—सरदार गंगासिंह प्रिन्सिपल शहीद सि. मि. कालेज।
७—सरदार मानसिंह बी. ए. एल-एल. बी. सीनियर कौंसिल कानून विभाग।

कार्य कारिणी सभा।

१—सरदार मगल सिंह २—सरदार जसवन्त सिंह ३—सरदार आगसिंह ४—ज्ञानी करतार सिंह ५—सरदार हरीसिंह ६—ज्ञानी शेरसिंह ७—भगत जसवन्तसिंह ८—सरदार बखशीशसिंह भमाड़ी।

साधारणतया १ वर्ष में दो सभायें आम होती हैं। १० मार्च के करीब बजट पास करने को और अक्टूबर या नवम्बर में पदाधिकारी चुनने के लिये। उपरोक्त कमेटी २८ अक्टूबर १९२८ को चुनी गई थी।

प्रबन्धक कमेटी के कोष के चार भाग हैं। १—प्रचार २—गुरुद्वारा सेवक सहायता ३—गुरुद्वारा बोर्ड ४—जनरल ट्रस्ट कोष।

५१—अखिल भारतवर्षीय धर्म महा मंडल काशी।

प्रयाग में महाकुम्भ के अवसर पर श्री स्वामी केशवानन्द, श्री स्वामी बाला नन्द आदि महा पुरुषों ने इस प्रकार के मंडल स्थापित किये जाने का कार्य आरम्भ किया। इसी के बाद ही मथुरा में 'निगमागम मण्डली' खोली गई और शास्त्र प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया। स० १९०१ में सनातन धर्म महापरिषद दक्षिण, धर्म मण्डली पूर्व, भारत धर्म महामण्डल उत्तर भारत, तथा अन्य सभाओं के सम्मेलन से यह अखिल भारतवर्षीय धर्म महा-मण्डल का जन्म हुआ। स० १९०२ में इस संस्था की रजिष्ट्री हुई।

वर्णाश्रम धर्मावलम्बी हिन्दू जाति में संघ शक्ति उत्पन्न करके उसके सब प्रकार के कल्याण करने के अभिप्राय से इस भारतधर्म महामण्डल का सूत्रपात हुआ। सनातन धर्म के अनुयायियों की यह मुख्य सभा है।

सब से पहिले इस संस्था ने यह कार्य किया कि विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा यह सभा सबकी प्रतिनिधि सभा मानी जावे। इसके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ भी प्रकाशित किये गये 'हिन्दू राजन्य वर्ग

से और सरकार से सहानुभूति भी प्राप्त की गई।

इस सभा के संरक्षक दो प्रकार के हैं—(१) स्वाधीन हिन्दू नरपति (२) साम्प्रदायिक धर्माचार्य गण।

व्यवस्थापक सभा।

धर्म के विवादास्पद विषयों के निर्णय करने के लिये और उचित धर्म व्यवस्था देने के लिये विद्वान ब्राह्मणगण व्यवस्थापक बनाये जाते है। इन विद्वानों की सभा को व्यवस्थापक सभा कहते हैं।

सहायक

सहायक ५ श्रेणियों में विभक्त है—(१) विद्या संबंधी सहायता देने वाले (२) धर्म कार्य करने वाले (३) धन देने वाले (४ विद्या दान करने वाले (५) धर्म प्रचार करने वाले साधु सन्यासी आदि।

साधारण सभ्य।

साधारण सभ्य हिन्दू मात्र हो सकते हैं।

प्रधान कार्यालय।

काशी में प्रधान कार्यालय है। ट्रस्टों की शर्तों में ऐसा लिखा है कि यदि प्रधान कार्यालय यहां से हटाया जाये तो ट्रस्टों की स्थावर अस्थावर सम्पत्ति उसे न मिलेगी।

ट्रस्ट सम्पत्ति।

(१) महामण्डल ट्रस्ट (२) महामाया ट्रस्ट दो अलग२ ट्रस्ट इस सभा की सहायता के सचालन के लिये हैं। दोनों ट्रस्टों की सम्पत्ति का मूल्य आठ लाख रुपये से अधिक हैं। प्रधान कार्यालय ट्रस्ट के ही भवन में हैं। इस भवन में (१) गायत्री मन्दिर (२) सरस्वतीमन्दिर (३) महामण्डल भवन हैं।

प्रकाशन विभाग।

(१) इस सभा का एक शास्त्र अनुसंधान विभाग है।

(२) पाठशालाओं, स्कूलों तथा कालेजों के लिये धार्मिक पुस्तकें तैयार करने वाला विभाग।

(३) हिन्दी भाषा प्रचार विभाग। हिन्दी की अनेक पुस्तकें प्रकाशन हुई हैं

(४) महामन्डल डायरक्टरी विभाग। इसका प्रकाशन आरंभ हो गया है।

अन्य विभाग।

(१) हिन्दू सामाजिक संगठन।

(२) मानदान विभाग।

(३) रक्षा विभाग

(४) स्त्री शिक्षा विभाग—आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद् नामक एक स्वतत्र रजिस्टर्ड संस्था स्थापित कर दी गई है। 'आर्य महिला' पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

(५) संगीत उत्साह प्रदान विभाग

[६] वाराणसी विद्या परिषद। अनेक परीक्षायें की जाती हैं और उपाधियां दी जाती हैं।

दान भण्डार।

(८) उपदेशक महाविद्यालय।

(९) धर्मालय संस्कार विभाग। तीर्थ स्थानों तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार इसी विभाग द्वारा होता है।

[१०] सार्वजनिक धार्मिक सेवा
[११] प्रांत मंडल और शाखा सभा
[१२] धर्म प्रचार विभाग
[१३] समाज हितकारी कोष

५२—हिन्दू महा सभा दिल्ली।

अप्रेल १९१५ में यह सभा आल इन्डिया हिन्दू सभा के नाम से प्रारंभ की गई। उद्देश्य यह था कि विभिन्न हिन्दू जातियों में एकता कायम की जावे इस सभा में प्रगति शील हिन्दू लोग ही शामिल हुए। अछूतोद्धार, विधवा विवाह, शुद्धि और सगठन के कार्य इस सभा के सदस्यों ने बडी रुचि के साथ किये हैं। आरंभ से ही इस सभा में राजनैतिक वातावरण फैल गया और कुछ दिनों से इस सभा ने हिन्दुओं के राजनैतिक स्वत्वों की रक्षा की ओर अपना ध्यान देना आरम्भ किया है। स०१९२३ में आल इन्डिया हिन्दू सभा का नाम बदल कर हिंदू महा सभा हो गया। स० १९२६ के कौंसिल और एसेम्बली के चुनाव में हिन्दू महा सभा ने अपने उम्मेदवार भी खड़े कर दिये थे। कुछ वर्षों से हिन्दू महासभा के सभापति राजनैतिक नेता होते हैं। सन् १९२८ तक ११ अधिवेशन हो चुके हैं। अन्तिम अधिवेशन के सभापति श्री० नृसिंह चिन्तामणि केलकर थे। मंत्री—पन्डित देवरत्नशर्मा, प्रधान कार्यालय दिल्ली।

५३—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना १६ जूलाई १८९३ ई० को हुई थी। इन पेंतीस वर्षों में इस सभा ने हिन्दी की निस्सीम सेवा की है।

संयुक्त प्रदेश की अदालतों में फारसी अक्षरों का पूर्ण प्रचार था। देवनागरी अक्षरों का नाम मात्र को भी कहीं प्रवेश न था। इससे साधारण प्रजा को तो कष्ट होता ही था, साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार में भी बड़ी बाधा पड़ती थी। इन विचारों से प्रेरित होकर सभा ने अदालतों में नागरी अक्षरों के प्रचार का विशेष उद्योग आरम्भ किया। इस उद्योग का परिणाम यह हुआ कि स० १८९८ में संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह आज्ञा निकाल दी कि जो सज्जन चाहें, वे अदालतों में आवेदन पत्रादि नागरी अक्षरों में दे सकते हैं, और अदालतों से जो समन आदि निकलें, वे नागरी और उर्दू दोनों ही लिपियों में निकलें।

स० १८९९ में संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने सभा को हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये ४००) की वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। गवर्नमेंट अपनी यह सहायता बढ़ाती रही और अब स० १९२१ से वह सभा को इसके लिये २०००) की सहायता प्रति वर्ष देती है। खोज में जो कार्य हुआ है, उसकी ६ वार्षिक रिपोर्ट तथा ३ त्रैवार्षिक रिपोर्टें छप चुकी हैं और

चौथी तथा पाँचवीं त्रवार्षिक रिपोर्टें भी तैयार हो गई हैं। छठी त्रैवार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन वर्षों में सैकड़ों नये कवियों तथा कई सहस्र ग्रन्थों का पता लगा है और अनेक ग्रन्थों के सन् सम्वत आदि का ठीक २ निश्चय किया गया है।

पञ्जाब की गवर्नमेंट ने भी अपने प्रान्त में प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये सन १९२१ से १९२३ तक तीन वर्ष ५००) की वार्षिक सहायता दी थी, पर अब वह बन्द हो गई है।

प्राचीन पुस्तकों की खोज के साथ ही साथ सभा ने चुनी २ पुस्तकों को प्रकाशित करना भी आरम्भ कर दिया। ये पुस्तकें नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला के नाम से प्रकाशित हुई हैं जिनमें से निम्नलिखित पुस्तकें विशेष उल्लेख के योग्य हैं—१ भक्त नामावली २ सुजान चरित ३ पृथ्वीराज रासो ४ छत्र प्रकाश ५ दादू दयाल की बानी ६ इन्द्रावती ७ हम्मीर रासो ८ भूषण ग्रन्थावली ९ राज विलास १० चित्रावली ११ परमाल रासो १२ दीनदयाल गिरि ग्रन्थावली १३ प्रेमसागर १४ तुलसी ग्रन्थावली और १५ जायसी ग्रन्थावली।

इस काम में भी संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने कई वर्षों तक कभी २००) और कभी ३००) की वार्षिक सहायता दी थी। श्रीमान अलवर नरेश ने तुलसी ग्रन्थावली प्रकाशित करने के लिये ५०००) की सहायता दी थी।

हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों का बड़ा अभाव था और विज्ञान सम्बन्धी लेख या ग्रन्थ लिखने में बड़ी कठिनता पड़ती थी। अतः सन १८९८ में सभा ने यह निश्चय किया कि भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, पदार्थ विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र के अंगरेजी शब्दों का एक कोश उनके पर्यायवाची हिन्दी शब्दों के साथ तैयार किया जाय। सात वर्षों के निरन्तर उद्योग के अनन्तर सन १९०८ में यह कोश छपकर प्रकाशित हुआ। इसमें अंगरेजी के १०३३० और हिन्दी के १६२६९ शब्द हैं।

सन १९०८ में इस सभा ने हिन्दी में एक सर्वाङ्ग पूर्ण बृहत कोश के निर्माण करने का काम अपने हाथ में लिया और अब सन १९२८ में यह कोश तैयार हो गया है। सभा ने यह भी निश्चय किया है कि इस कोश का एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया जाय। बाबू श्यामसुन्दर दास ने इस कोश की तैयारी में बड़ा परिश्रम किया है।

सन १९१४ से सभा ने मनोरञ्जन पुस्तकमाला नाम की एक पुस्तकावली छापना आरम्भ किया है जिसमें सब पुस्तकें एक ही आकार प्रकार की प्रकाशित होती हैं तथा प्रत्येक का मूल्य १) होता है। अब तक इसमें ४४ पुस्तकें छप चुकी हैं।

जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता स्वर्गवासी मुन्शी देवीप्रसाद जी ने सन १८९८ में इस सभा को बम्बई (अब इम्पीरियल) बंक के सात हिस्से इसलिये दिये थे कि इनकी आय से सभा हिन्दी में इतिहास सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करे। इसमें अब तक निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं:— १ फाहियान २ सुण्गयुन ३ सुलेमान सौदागर ४ अशोक की धर्म लिपियां पहला भाग ५ हुमायूं नामा ६ प्राचीन मुद्रा और ७ मूता नैणसी की ख्यात पहला भाग।

शाहपुरा के श्रीमान महाराज कुमार उम्मेदसिंह जी से उनकी स्वर्गीया धर्म पत्नी श्रीमती महाराज कुंवरानी श्री सूर्यकुमारी देवी की स्मृति में हिन्दी की उन्नति के लिये ४ वर्ष तक प्रति वर्ष ५ हजार रु० सभा को मिलते रहे। इस सहायता से सभा "सूर्य कुमारी पुस्तक-माला", प्रकाशित कर रही है जिसमें अब तक निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं—१ ज्ञानयोग पहला भाग, २ करुणा ३ शशांक ४ बुद्धचरित, ५ ज्ञानयोग दूसरा भाग और ६ मुद्रा शास्त्र।

जयपुर राज्य के बारहट बालाबख्श जी ने राजपूतों और चारणों की रची हुई ऐतिहासिक ग्रन्थ और कविता की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये सभा को ७०००) दिये हैं। इस सहायता से बारहट बाला-बख्श राजपूत चारण पुस्तकमाला प्रकाशित होती है जिसमें बाँकीदास की ग्रन्थावली और बीसलदेव रासो ये दो ग्रन्थ निकले हैं।

सन् १९०७ में सभा ने यह निश्चय किया कि हिन्दी का एक सर्वाङ्ग सुन्दर व्याकरण बनना चाहिये। यह काम पण्डित कामताप्रसाद गुरु को सौंपा गया जिन्होंने आठ वर्ष के निरन्तर परिश्रम के अनन्तर एक व्याकरण तैयार किया हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों की एक समिति के निर्देश के अनुसार यह व्याकरण संशोधित होकर छपगया। इसके कई संक्षिप्त संस्करण भी तैयार हुये हैं और भिन्न २ स्थानों में पाठ्य-क्रम के अंतर्गत आ गये हैं।

सभा ने अपने जीवन के चौथे वर्ष में नागरी प्रचारिणी पत्रिका नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकालना आरम्भ किया था। ११ वर्षों तक यह त्रैमासिक रूप में निकली। १२ वें वर्ष से इसका रूप मासिक हो गया। सम्वत १९७७ से इसे पुनः त्रैमासिक रूप दिया गया, और अब इसमें प्राचीन शोध सम्बन्धी लेख ही दिए जाते हैं। हिन्दी में यह अपने ढंग की बिल्कुल नई और अद्वितीय पत्रिका है।

सभा ने अपने जीवन के दूसरे वर्ष से हिन्दी की सुन्दर हस्तलिपि के लिये पुरस्कार देना आरम्भ किया था। पहले पहल यह पुरस्कार संयुक्त प्रदेश के वर्नाक्यूलर स्कूलों के विद्यार्थियों को दिया जाता था, पर सन् १९१९ से प्रति वर्ष ५४) के पुरस्कार संयुक्त प्रदेश के समस्त

स्कूलों के विद्यार्थियों में बांटे जाते हैं।

इसके सिवा प्रति तीसरे वर्ष २००) के निम्नलिखित पुरस्कार ग्रंथकारों को सभा से दिये जाते हैं जिनके साथ एक एक पदक भी दिया जाता है:—

जोधसिंह पुरस्कार—इतिहास विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये।

छन्नूलाल पुरस्कार- विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये।

रत्नाकर पुरस्कार--ब्रज भाषा की सर्वोत्तम कविता के लिये।

बटुक प्रसाद पुरस्कार—सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक उपन्यास या नाटक के लिये।

सभा का एक आर्यभाषा पुस्तकालय है जिसमें हिन्दी की लगभग ९६०७ छपी पुस्तकें, अंग्रेजी की करीब १४२४ पुस्तकें तथा अनेक हस्तलिखित पुस्तकें हैं। हिन्दी का इतना बड़ा पुस्तकालय भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी संग्रह अब इसी पुस्तकालय में सम्मिलित है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस संग्रह में कई सहस्र अच्छे अच्छे ग्रन्थ हैं। पुस्तकालय को गवर्मेंट से ३६०) वार्षिक तथा बनारस के म्युनिसिपल बोर्ड से भी ३६०) वार्षिक प्राप्त होता है।

सभाभवन निज का है। सन् १९०४ में यह भवन बनकर तैयार हुआ था। यह काशी के पब्लिक गार्डन के पूर्वी कोने में स्थित है। यह जमीन ३५००) पर काशी के म्युनिसिपल बोर्ड से खरीदी गई और ३००००) लगाकर सुन्दर भवन बनवाया गया अब ४०००) पर इसकी पिछली जमीन भी ले ली गई है जिस पर एक और भवन बनवाने का विचार है।

इस सभा को "सरस्वती" पत्रिका तथा "हिन्दी साहित्य सम्मेलन" को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, और इसने हिन्दी के उत्थान, प्रसार तथा प्रचार में अमूल्य सहायता की है।

सन् १९२६ तक सभा की सब प्रकार की आय ४२२,०३४॥)१ हुई और इस से कुछ अधिक खर्च हुआ।

संस्था ने हिन्दी भाषा की बड़ी भारी सेवा की है इसमें सन्देह नहीं।

५४—हिन्दुस्थानी सेवादल।

डा० एन. एस हार्डीकर ने करीब ४ साल हुये तब हिन्दुस्थानी सेवादल की आयोजना की। उन्हों ने यह देखा कि बाय स्काउट और सेवासमितियां राजनैतिक आन्दोलन में सहायक नहीं होतीं और जब तक एक स्वतन्त्र संस्था ऐसी न जारी की जावे जो राजनैतिक आन्दोलन में युवकों को सेवा भाव से खींच सके तब तक देश को असली लाभ नहीं हो सकता। इन उद्देश्यों को सामने रखकर उन्हों ने इने गिने स्वयं सेवकों से ही कार्य आरम्भ कर दिया और राजनैतिक कान्फ्रेन्सों के समय इन स्वयं सेवकों की उपयोगिता सिद्ध करदी।

प्रथम वालन्टियर कान्फ्रेन्स सन १९२५ में हुई। इसके बाद ता० ५ मार्च १९२६ ई० को आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी दिल्ली वाली बैठक में प्रस्ताव द्वारा प्रान्तों से अनुरोध किया कि सब ज़िलों में हिन्दुस्तानी सेवादल की शाखाएँ बनाई जावें। इसके अनुसार भी अनेक प्रान्तों ने दल की शाखाएँ खोली हैं। हिन्दुस्तानी सेवादल के सेवक कान्फ्रेन्सों और कांग्रेस की बैठकों के पहिले पहुंचकर स्थानी स्वयं-सेवकों को क़वायद आदि सिखाकर तैयार करते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। डा० ऐन० ऐस० हर्डीकर ने इस कार्य में बड़ा परिश्रम किया है। वे एक पत्र "वालण्टियर" नामक प्रकाशित करते हैं जिसमें हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा दोनों रहती हैं। पता—वालण्टियर आफ़िस, हुबली।

५५—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग।

स्थापना.

हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का जन्म विक्रमी सम्वत् १९६७ में काशीपुरी में हुआ। प्रथम अधिवेशन के सभापति श्रीयुत पण्डित मदनमोहन मालवीय थे। द्वितीय वर्ष में सम्मेलन का सभापतित्व हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय श्री० प० गोविन्दनारायण मिश्रजी ने ग्रहण किया। इसी वर्ष सम्मेलन की नियमावली बनी जो केवल एक वर्ष के लिए स्वीकृत हुई। तृतीय सम्मेलन स्वर्गीय श्री० प० बद्रीनारायण चौधरी के सभापतित्व में कलकत्ते में हुआ। यहां पर सम्मेलन को और भी पुष्टि प्राप्त हुई। चौथा सम्मेलन भागलपुर में हुआ। उसके सभापति आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता महात्मा मुन्शीरामजी (स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी) हुए। इस सम्मेलन में हिन्दी की परीक्षा-सम्बन्धी नियमावली बनाई गई। इस वर्ष नागरी वर्णमाला पर विचार करने के लिए एक उपसमिति का सङ्गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई। पाँचवां सम्मेलन प्रयाग के प्रसिद्ध कवि पण्डित श्रीधर पाठकजी के सभापतित्व में लखनऊ में बड़ी धूमधाम से हुआ। इस सम्मेलन में इतने अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जितने इससे पहिले किसी सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। सम्मेलन के साथ हिन्दी-ग्रन्थों की प्रदर्शिनी का प्रकाश इसी सम्मेलन ने प्रचलित किया। हिन्दी शब्दों के लिङ्गभेद पर विचार करने के लिए इसी वर्ष एक समिति भी बनी। पहिले पहल परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को इसी सम्मेलन में उपाधिपत्र प्रदान किये गये।

छठा सम्मेलन लाहौर में होने वाला था, पर वहां हो न सका, इसलिए प्रयाग में हुआ। हिन्दी के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता बाबू श्याम सुन्दर दास जी बी० ए० इस सम्मेलन के सभापति बनाये गये सातवाँ सम्मेलन जबलपुर में साहित्या-

चार्य पण्डित रामावतार शर्मा ऐम० ए० के सभापतित्व में हुआ। आठवाँ सम्मेलन इन्दौर में बड़े महत्व का हुआ। इसके सभापति कर्मवीर महात्मा गाँधी थे। इस सम्मेलन में आर्थिक सहायता भी अच्छी प्राप्त हुई और मद्रास में हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्भ करने के लिए एक मन्तव्य स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार अभी तक कार्य हो रहा है। नवाँ सम्मेलन बम्बई में माननीय मालवीय जी के सभापतित्व में हुआ। इसी सम्मेलन में श्रीमान् बड़ौदा नरेश ने पाँच सहस्र रुपये की सहायता दी थी जिससे सुलभ साहित्य-माला का प्रकाशन हो रहा है। दसवाँ सम्मेलन स्वर्गीय प० विष्णुदत्त शुक्ल के सभापतित्व में पटने में हुआ और ग्यारवाँ फिर कलकत्ते में हुआ। इसके सभापति बाबू भगवान दासजी हुए। १२ वाँ लाहौर में श्री० पण्डित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी के सभापतित्व में। १३वाँ कानपुर में श्रीपुरुषोत्तम दासजी टण्डन के सभापतित्व में। १४वाँ दिल्ली में श्री० पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के सभापतित्व में। १५ वाँ देहरादून श्री० माधवराव सप्रे की प्रधानता में। १६ वाँ वृन्दावन में श्री० बाबू अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रधानता में, और १७ वाँ भरतपुर रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के सभापतित्व में और १८ वाँ मुज़फ़्फ़रपुर श्री० प० पद्मसिंहजी शर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्रीमङ्गलाप्रसाद पारितोषिक।

कलकत्ते के प्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी और धनी श्री० बाबू गोकुलचन्दजी ने कलकत्ते में एकादश सम्मेलन के अवसर पर ४० सहस्र रुपये के प्रामेसरी नोट इस अभिप्राय से सम्मेलन को प्रदान किये थे कि इनके ब्याज से १२००) का एक पारितोषिक इनके भ्राता स्व० श्रीमङ्गलाप्रसादजी के स्मारक में उस हिन्दी ग्रन्थ लेखक को सम्मेलन प्रतिवर्ष दिया करे जिसका ग्रन्थ उस वर्ष सर्वोत्तम और मौलिक सिद्ध हो। दाता महोदय की इच्छा के अनुसार इस पारितोषिक का नाम "श्रीमङ्गला-प्रसाद पारितोषिक" रक्खा गया और नियमानुसार पाँच सदस्यों की एक पारितोषिक समिति का संगठन भी होगया। यह पारितोषिक पहिले पहल साहित्य विषय की सर्वोत्तम रचना के लिए श्री० प० पद्मसिंहजी शर्मा को उनके बिहारी सतसई (भाग १ व २) ग्रन्थ पर कानपुर सम्मेलन में प्रदान किया गया। नियमानुसार दूसरीवार यह पारितोषिक समाजशास्त्र विषय पर (जिसके अन्तर्गत पुरातत्व, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र विषय सम्मिलित हैं) देने का निश्चय किया गया। नियमानुसार पाँच सज्जनों की पारितोषिक समिति का संगठन हुआ और पाँच निर्णायक चुने गये। अन्त में इस विषय का पारितोषिक

'भारतीय प्राचीन लिपि माला' नामक खोज-पूर्ण अद्वितीय ग्रन्थ के रचयिता सहृदय सम्मेलन के सभापति राय बहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द जी ओझा को दिया गया। तीसरी बार का पारितोषिक दर्शन विषय पर था। इस विषय के अन्तर्गत धर्म-शास्त्र, नीति-शास्त्र तर्क शास्त्र, अध्यात्म विद्या और मनोविज्ञान विषय माने जाते हैं। तीसरी बार यह पारितोषिक प्रो० सुधाकर ऐम. ए. को उनकी 'मनोविज्ञान' नामक सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया गया। इस पारितोषिक का चौथा विषय विज्ञान है। इस विषय के अन्तर्गत गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक तथा कृषि-विज्ञान माने जाते हैं। तदनुसार यह पारितोषिक 'हमारे शरीर की रचना' नामक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लेखक श्रीमान डा० त्रिलोकी नाथ जी वर्मा बी. एस.सी., एम. बी. बी. एस, एफ. आर. एफ. पी. एण्ड डी. एच, एम., एल. एम. को दिया गया पाँचवाँ पुनः साहित्य विषयक था जो साहित्य की सर्वोत्तम पुस्तक 'वीर सतसई' के लेखक श्री० 'वियोगी हरि' जी को दिया गया, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार करके अपनी उदारता का परिचय देते हुये पुनः उसे सम्मेलन को दान कर दिया। यह कितने हर्ष की बात है कि अभी तक यह पारितोषिक उपर्युक्त जिन २ महानुभावों को दिया गया है वे सब अपने २ विषय के सर्व मान्य आचार्य हैं।

सम्मेलन के द्वारा मद्रास, आसाम आदि प्रान्तों में हिन्दी के प्रचार का कार्य दृढ़ता के साथ हो रहा है। जगह जगह से हिन्दी प्रचारकों की माँग बढ़ रही है। सम्मेलन की परीक्षाओं का भी प्रचार भारत के सभी प्रान्तों में विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।

सम्मेलन परीक्षायें।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को कार्य-क्षेत्र में आये हुये अभी केवल १५ वर्ष हुये हैं। इन १५ वर्षों में इन परीक्षाओं की आशातीत उन्नति हुई है। पहले वर्ष इन परीक्षाओं में २८ परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र आये थे, अब इस वर्ष १०००० से भी अधिक परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की आशा की जाती है, क्योंकि इस वर्ष सम्मेलन के परीक्षा मन्त्री प्रो० दया शंकर दुबे एम. ए. एल. एल. बी. तथा श्री० पं० वेदव्रत शास्त्री सहायक मन्त्री परीक्षाओं के प्रचार का बहुत उद्योग कर रहे हैं। अब तक परीक्षाओं के २०० केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। इन परीक्षाओं में लगभग १५०० विशारद निकल चुके हैं और जिनमें से एक दो नहीं, शतशत विशारद हिन्दी साहित्य की सेवा में तत्पर होकर उसकी गौरव वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के कारण हिन्दी प्रकाशन का भी क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो गया है।

सम्बद्ध संस्थायें।

भारत के कोने २ में हिन्दी और नागरी के प्रचार और प्रसार के लिये ऐसी संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है, जिनका कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचारार्थ प्रयत्न करना, एवं आन्दोलन करना हो। देश में कहीं २ ऐसी संस्थायें भी हैं, जिनका उपर्युक्त उद्देश्य है और वे कार्य भी अच्छा कर सकती हैं। पर एक तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण, दूसरे योग्य पथ-प्रदर्शक के अभाव से, इन संस्थाओं को अपने कार्य में यथेष्ट सफलता नहीं मिलती। इन दोनों अभावों को दूर करने के लिये, सम्मेलन की यह आकांक्षा रहती है कि ऐसी संस्थायें सम्मेलन से सम्बद्ध होकर कार्य करें। सम्मेलन की नियमावली में भी इस प्रकार की संस्थाओं को सम्बद्ध करने का विधान है। इसी विधान के अनुसार प्रायः हिन्दी भाषा और देव नागरी लिपि के प्रचार और प्रसार का उद्देश्य रखने वाली संस्थायें सम्मेलन से सम्बद्ध हो जाती हैं। अब तक ६० संस्थायें सम्मेलन से सम्बद्ध हो चुकी हैं। सम्मेलन के ४ वैतानिक प्रचारक चारों ओर देश भर में घूम २ कर हिन्दी का प्रचार और सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं।

हिन्दी विद्यापीठ।

सम्मेलन के हिन्दी विद्यापीठ का कार्य जमना के दक्षिणी तट पर एक विस्तृत स्थान में होता है। प्रयाग के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सम्मेलन को हिन्दी विद्यापीठ में खेती की विशेष शिक्षा के लिये जो १० हजार रु० की सहायता दी थी, तदनुसार विद्यापीठ में खेती की शिक्षा का कार्य आरम्भ हो गया है ६० एकड़ भूमि और खरीदी गई है। संयुक्त प्रान्त के लखीमपुर खीरी, बलिया और बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने अपनी ओर से एक एक छात्रवृत्ति देकर एक एक विद्यार्थी विद्यापीठ में पढ़ने और खेती की विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया है। और भी डि० बो० छात्रवृत्ति देने का विचार कर रहे हैं।

यह विद्यापीठ 'हिन्दी विश्वविद्यालय' का सूत्रपात समझना चाहिये। इस विद्यापीठ में और भी अनेक अर्थकरी कलाओं के सिखाने का उद्योग किया जा रहा है। सम्मेलन चाहता है कि हिन्दी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे उनको विद्यापीठ से निकलने पर आजीविका की कठिनता न रहे।

संग्रहालय

सम्मेलन का संग्रहालय अभी तक एक पुस्तकालय के रूप में है। इस पुस्तकालय में इस वर्ष ५००० पुस्तकें हैं। इनमें २० के लगभग महत्वपूर्ण हस्त-लिखित ग्रन्थ हैं।

सम्मेलन इस संग्रहालय के लिये एक विशाल, सुन्दर तथा सुदृढ़ भवन बनवाना चाहता है। इसके लिये सम्मेलन को कम से कम ५०-६० हजार रुपये की आवश्यकता है।

पुस्तक-प्रकाशन

सम्मेलन का एक साहित्य विभाग है जिसमें पुस्तकप्रकाशन का कार्य भी होता है। अभी तक सम्मेलन ने छोटी बड़ी सब मिलाकर ७५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन ग्रन्थों में कई ग्रन्थ तो बड़े महत्व के हैं और हिन्दी जगत में उनकी खूब खपत हैं। श्रीमान् गायकवाड़ नरेश ने ५०००) रुपया इस कार्य के लिए प्रदान किये थे। इस पूँजी से सुलभ-साहित्य-माला निकल रही है। अभी तक इस माला के अन्तर्गत १८ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। सम्मेलन ने श्रीमान् नारायणदास जी बाजोरिया की ५०००) प्राप्त सहायता से अब एक सरल वैज्ञानिक पुस्तकमाला भी प्रकाशित करने का आयोजन किया है। इस माला में विज्ञान विषयक ग्रन्थरत्न सुलभ मूल्य में प्रकाशित कर पिरोये जायँगे।

सम्मेलन-पत्रिका।

अभी तक सम्मेलन की ओर से एक मासिक मुख पत्रिका प्रकाशित होती रही है। अगले वर्ष से उसे त्रैमासिकरूप में, बृहत् आकार-प्रकार से निकालने की आयोजना हो रही है। इसका सम्पादन प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी डिपार्टमेंट के हेड श्रीयुत धीरेन्द्र जी वर्म्मा एम. ए. करेंगे।

हिंदी-प्रचार।

हिन्दी-प्रचार का कार्य करते हुये सम्मेलन को यह १० वाँ वर्ष है। मद्रास आन्ध्र तामिल, कर्नाटक, मैसूर, सिन्ध, पंजाब, आसाम तथा बंगाल आदि उन प्रदेशों में जहाँ की भाषा तथा लिपि हिन्दी तथा देवनागरी नहीं हैं, वहाँ हिन्दी प्रचार का कार्य सम्मेलन अपनी शक्ति के अनुसार तत्परता के साथ कर रहा है। अब तक दक्षिणी प्रान्तों में लगभग ९०००० भारतीयों ने हिन्दी सीख ली है इनमें ४०० देवियाँ हैं। अब तक दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के कार्य में सम्मेलन ने स्वयं तथा पूज्यवर महात्मा गाँधी जी की सहायता से, संयुक्त रूप से कोई डेढ़ दो लाख रुपया व्यय किया है। पंजाब बिहार तथा बंगाल प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्वतन्त्र रीत्या हिन्दी प्रचार कर रहे हैं और उन्हें इस कार्य में यथेष्ट सफलता मिल रही है। अबोहर मण्डी (पंजाब) में सम्मेलन का एक साहित्य-सदन नामक बृहत पुस्तकालय है। इसका भवन अभी पिछले वर्ष ही २००००) की लागत से तैयार हुआ है। यह पुस्तकालय जो कार्य अपने प्रान्त में करना चाहता है, वह बड़े महत्व का है। इसका श्रेय

पुस्तकालय के सर्वस्व--स्वामी केशवानन्द जी को है।

आसाम में हिन्दी प्रचार के लिये मुख्य रूप से २ केन्द्र हैं। डिब्रूगढ़ और गोहाटी। इन्हीं केन्द्रों में सम्मेलन के प्रचारक कार्य करते हैं। वहाँ के कालेज और हाई स्कूलों के विद्यार्थियों का हिन्दी वर्ग कायम करके उन्हें हिन्दी पढ़ाते हैं। गोहाटी म्युनिसिपलिटी ने भी ५००) हिन्दी प्रचारार्थ देना स्वीकार किया है। आसाम की पहाड़ी जातियों में भी हिन्दी प्रचार का कार्य हो रहा है।

सदस्य वृद्धि।

सम्मेलन के सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पिछले ४ वर्षों की सदस्य-वृद्धि का विवरण देखिये---

संवत	साधारण सदस्य	स्थायी सदस्य	हितैषी
१९८१	१५	१९	१
१९८२	५६	२३	३४
१९८३	१२७	२९	८०
१९८४	१६६	३०	१३३

प्रधान कार्यालय प्रयाग में हैं जहां छः सात मन्त्री और इतने ही लेखक नित्य कार्य करते हैं। आरम्भ से अब तक सम्मेलन में ३८९००७ रु० ३॥ आ० १॥ पाई आमदनी हुई है और खर्च २८५३६३ रु० ९॥ आ० हुआ है। आज कल सम्मेलन में लगभग १०००) मासिक का तो साधारण चालू खर्च है।

कार्य कारिणी सभा।

इस वर्ष सम्मेलन के प्रधान श्री० प० पदम सिंह जी शर्मा साहित्याचार्य प्रधान मन्त्री श्री० कृष्णकांत मालवीय, प्रबन्ध मन्त्री श्री० जगन्नाथ प्रसादशुक्ल परीक्षा मन्त्री श्री० प्रो० दया शंकरदुबे, अर्थ मन्त्री श्री० बा० निरञ्जन लाल, भार्गव साहित्य मन्त्री श्री० रामनारायण मिश्र, प्रचार मन्त्री श्री० बा० राघवदास जी और सहायक मन्त्री श्री० पं० वेद-व्रत शास्त्री, हैं। यही आठ सज्जन बड़ी लगन के साथ इस समय सम्मेलन का समस्त कार्य बड़ी लगन से चला रहे हैं।

५६--कृषि प्रयोगशाला पूसा (बिहार)

सन १९०३ ई० में अमेरिका के प्रसिद्ध दानवीर मि० हेनरी फेलप्स ने तत्कालीन वाइसराय लार्ड करजन को २०००० पौंड (जिसे उन्हों ने बाद में ३०००० पौंड कर दिया) भारत के किसी सार्वजनिक हित में---विशेषतः वैज्ञानिक छानबीन में---लगा देने के उद्देश्य से दिये थे। इस रकम का कुछ हिस्सा तो कोनूर के पास्टर इंस्टीट्यूट (Coonoor Pasteur Institute) में लगाया गया और बाकी से एक कृषि-प्रयोग-शाला बनाने की बात सोची गई। यही मंसूबा पूसा में कृषि-संबंधी शोध का काम

करने के निश्चय के रूप में परिणत किया गया। भारत-सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया और पूसा में एक कृषि-कालेज तथा एग्रीकलचरल रिसर्च-इंस्टीटयूट की नींव डाली गई।

प्रयोगशालाओं से सुसज्जित उपर्युक्त इंस्टीट्यूट सचमुच देखने की चीज है। इसमें अजायबघर, वनस्पतिवाटिका और एक बहुत बढ़िया आधुनिक वैज्ञानिक पुस्तकालय भी है इंस्टीट्यूट के कार्य-क्रम का शोध और प्रयोग की शिक्षा से ही विशेष-रूप से सम्बन्ध है। शोध का काम अखिल भारतवर्ष पर दृष्टि रख कर किया जाता है, और उन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो प्रांतिक प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकता। कृषि-शास्त्र की सर्वोच्च शिक्षा का यहां प्रबन्ध है, और प्रान्तीय कृषि-कालेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा भारतीय विश्व-विद्यालयों से सम्मान-सहित पास किये हुये छात्र भी इसमें भरती किये जाते हैं। कहा जाता है कि कृषि के भिन्न २ विभागों में भारतीय विद्यार्थियों को अधिकाधिक स्थान देने एवं भारतीयों को कृषि-शास्त्र सम्बन्धी उच्च शिक्षा का अध्ययन-विशेष करने के लिये विदेश जाने में जो असुविधा होती थी, उसे दूर करने के अभिप्राय से, सन् १९२४ ई० में, यहीं उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। अस्तु जो हो, प्रायः ४०० विद्यार्थियों ने अब तक इस संस्था से लाभ उठाया है। यहाँ से 'साइंटिफिक मेमोयर्स और बुलेटिनों' (Scientific memoirs and Bulletins) के रूप में स्थानीय शोध करने वालों एवं प्रान्तीय कार्यकर्ताओं की खोज के फल प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक पाक्षिक पत्र भी निकलता है, जिस में भारतीय कृषि-सम्बन्धी भिन्न २ विषयों पर विद्वत्ता-पूर्ण लेख और उसके फलाफल की सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। किसी को भी कृषि सम्बन्धी जिज्ञासाओं का उचित उत्तर देने की यहाँ व्यवस्था है। निम्न-लिखित ६ विभाग इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हैं—

१—कृषि विभाग—इस विभाग में ६४० एकड़ भूमि सम्मिलित है। खेती का विशाल आयोजन इसी विभाग के अंतर्गत है। कुछ काम कल-पुर्ज़ों से किये जाते हैं, और २०-५० हजार की लागत के इंजिनों से काम लिया जाता है। जिस खेत में पहिले साधारण उपज होती थी, उसी में अब इन कलों की कृपा से दुगनी-तिगुनी कही जाती है।

इस विभाग के अन्दर जो खेत हैं, वे १३ टुकड़ों में बटे हैं जिनका जोड़ सब मिला कर ४१३ एकड़ है। इनमें जो उपज गत १३ वर्षों में हुई, वह इस प्रकार है—

सन	उपज
१९१२-१३	३,६२६ मन
१९१८-१९	४,९८२ मन
१९२१-२२	६,१५३ मन
१९२४-२५	७,५१७ मन

इस तरह इस दशा में मोटे तौर पर देखने से अच्छी सफलता हुई मालूम पड़ती है। डेयरी हर्ड (Dairy Herd) भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। खेती के लिये आवश्यक है कि बढ़िया बैल हों।

देश भर में हर एक आदमी कल से काम नहीं ले सकता, यह निश्चित है। इसी बात को लक्ष्य में रखकर पूसा में डेरी-हर्ड का आयोजन हुआ। इसके भी तीन विभाग हैं—(क) असल मांट-गोमरी गउएं, (ख) कम दूध देनेवाली मान्टगोमरी गउएं, जो संकरीकरण (Cross breeding) के लिये रक्खी जाती हैं। (ग) आयर शायर (Ayrshire) मांट-गोमरी 'वर्ण संकर' और उनकी सन्तान उपरयुक्त विभागों में कुल मिला कर ९ मांटगोमरी सांड, १ डबलसंकरीकृतसांड ८२ मांटगोमरी गउएं, ६६ संकरीकृत गउएं और १९७ उनके कच्चे बच्चे हैं। गत १३ वर्षों में प्रति गऊ प्रति दिन औसत दूध इस प्रकार हुआ—

सन	वजन
१९१३-१४	७ सेर
१९१८-१९	९ सेर
१९२१-२२	१४सेर
१९२४ २५	१५ सेर

गो-धन में विश्वास रखनेवाले प्रत्येक भारतीय के लिये उपरयुक्त अंक-वृद्धि विचारणीय हैं।

अब तक पूसा से प्रायः ९०० गउएं बिभिन्न प्रदेशों में भेजी जा चुकी हैं, और जो यहां हैं उनका दूध मुज़फ्फरपूर आदि जगहों में मोटर-लारियों द्वारा ले जाकर काफी नफे से बेचा जाता है।

२-बोटेनिकल सेक्सन (Botanical Section) इस विभाग में, कृषि-कालेजों के पूर्व-ओर वैज्ञानिक प्रयोग-शालायें हैं। और पूसा-स्टेट के पश्चिम की ओर, नदी तट के पास, वनस्पति-वाटिका है। पौदों के जनन पर यहां विशेष ध्यान दिया जाता है। वनस्पति-वाटिका में प्रायः ५० एकड़ भूमि है। कई प्रकार के बीजों पर प्रयोग करके, उनकी शक्ति, उपज और स्वाद की वृद्धि की गई है। कुछ विदेशी गेहूँ पर, जो रूस से मगाये गए हैं, विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तीसी और कई प्रकार के जूटों पर भी प्रयोग किया जारहा है। देशी तम्बाकू की पत्तियों को भी अमेरिकन वरजीनिया-पत्तियों (American Virginia leaf) जैसी बनानेका काम भी हाथमें है। इस विभाग के अन्तर्गत जितनी भी भूमि है, उसका एक-एक हिस्सा विद्यार्थियों में बटा है। वे एक या अधिक अनाज पर प्रयोग करते हैं।

३-केमिकल सेक्शन (Chemical Section)—केमिकल सेक्शन विभाग प्रयोगशाला के ऊपरी खन्ड में, पश्चिम की ओर है। यह विभाग उन्हीं समस्याओं प अधिक ध्यान देता है, जो प्रांतिक कृषि-कालेजों द्वारा सुगमता से हल नहीं की जा सकती हैं। अनाज के लिये

जल की आवश्यकता अनावश्यकता तथा जमीन की शक्ति के विषय में छान बीन की जाती है।

४-बैक्टिरिआलाजिकल सेक्सन (Bacteriological Section) यह फिप्पस प्रयोगशाला के नीचे के खण्ड में पश्चिम की ओर है। यह विभाग खाद सम्बन्धी शोध और लाभ एवं हानि पर विचार करता है।

५--एंटामालाजिकल सेक्सन (Entomological (Section) यह फिप्पस प्रयोगशाला के ऊपरी खण्ड में, पूर्व की ओर है। इस विभाग द्वारा कीड़े-मकोड़ों की जांच पड़ताल की जाती है। उनकी आर्थिक उपयोगिता और कृषि-संबंधी आवश्यकता-अनावश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी विचार से बहुत-से भारतीय कीड़े मकोड़े इकट्ठे भी किये गये हैं। रेशम के कीड़े भी उनमें हैं। कीडों की जीवन संबन्धी खोज और उनसे होने वाली हानि को मिटाने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। रोग उत्पन्न करने और काट खाने वाले कीड़ों की भी छान बीन की जाती है। लाह के कीटों का भी यहां सन्ग्रह है।

६--माईकालाजिकल सेक्सन (Mycological Section) यह फिप्पस प्रयोग शाला के नीचे के खण्ड में, पूर्व की ओर है। यह विभाग वृक्ष और गल्ले के शत्रु—उन रोगों की ओर ध्यान देता है, जो उनकी अटूट हानि करते हैं। इस संबन्ध में जिज्ञासुओं को तद्विषयक उपदेश देने की और जहां ऐसी बीमारी फूट निकलती है वहां स्पेशल आफिसर के भेजने की व्यवस्था भी है।

कृषि-कालेज—यह सन १९०८ ई० के जौलाई में पोष्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये खोला गया था। भारतवर्ष में अपने विषय की यह सर्वोच्च शिक्षा संस्था है।

शुगर ब्युरो—(Sugar Bureau) इसकी स्थापना सन १९१९ में हुई थी, और यह भी फिप्पस प्रयोगशाला में ऊपरी तल्ले के पूर्व में है। चीनी से संबंध रखनेवाली बहुत-सी बहु-मूल्य पुस्तकें पत्र पत्रिकायें और संसार भर की सामाग्रियों का यहां सग्रह है, और उससे भारतीय व्यापारियों और जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने की व्यवस्था भी है। इसके द्वारा ऊख की खेतो की दशा सुधारने और इसके डंठों को पुष्ट एवं सुस्वादु बनाने का प्रयत्न किया जाता है। समग्र भारत और जावा क्यूबा और फिलीपाइन के कारखानों की बनी चीनी का एक अजायबघर भी इसमें सम्मिलित है इसमें साधारण दर्शकों का भी मनोरंजन होता है।

अस्पताल—पूसा के आफिसरों और वहां काम करने वाले मजदूरों की सुविधा के लिये एक अस्पताल भी है, जिसका हेड एक योरोपियन है। आस-पास के गांव वाले भी इससे यथेष्ट लाभ उठाते हैं।

हाई इंगलिश स्कूल—यह स्कूल उपर्युक्त अभिप्राय से ही खोला गया है। किंतु ग्रामीण भी उससे लाभ उठाते हैं। जिस समय हम लोग वहां गये, क्लास लगी थी। विद्यार्थियों में अधिक ग्रामीण ही नजर आए। इसका भवन भी अच्छा है।

पूसा में इतने बड़े २ कारखानों के हो जाने से वह एक स्टेट ही हो गया है। यह स्टेट १,३५८ एकड़ भूमि में है।

५७—बंगाल-सोशल-सर्विस लीग कलकत्ता

यह संस्था डाक्टर डो. एन. मैत्र तथा उनके साथियों द्वारा २६ जनवरी सन् १९१५ को स्थापित हुई।

लीग अथवा समिति का कार्य तीन भागों में बांटा गया:—(१) सामाजिक दशा का अध्ययन, (२) समाज-सेवा की बातों का प्रचार और (३) सेवा-कार्य।

सामाजिक दशा का अध्ययन;:—पहले इस समिति ने ग्रामों की दशा के विषय में एक प्रश्नावली तैयार की। इन प्रश्नों का उत्तर देने वालों को ग्रामों की हालत अपनी आँखों से देखना और ग्राम-निवासियों की आवश्यकताओं को जानना जरूरी था।

प्रचार कार्य:--प्रचार-कार्य के लिये समिति ने पहला कार्य जो किया, वह यह था कि कलकत्ते में सम्मेलन कराये जिनमें समाज-सेवा के भिन्न २ अंगों के विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये। सार्वजनिक व्याख्यान कराये। सफाई तन्दुरुस्ती इत्यादि के बारे में छोटे छोटे ट्रैक्ट छपाकर बटवाये।

समाज-सेवा की प्रदर्शनी:--समिति का यह कार्य वास्तव में अत्यन्त महत्व-पूर्ण कहा जा सकता है। समिति ने जो चार्ट बनाये हैं इन चित्रों की सहायता से अशिक्षित जनता की समझ में उपयोगी बातें बड़ी आसानी के साथ समझाई जा सकती हैं। आज तक समिति की सहायता से नौ सौ से अधिक बार ये प्रदर्शनी की जा चुकी है।

मैजिक लालटेन द्वारा व्याख्यान:—समिति में जो चार्ट और चित्र इत्यादि टँगे हुए हैं, उनकी स्लाइड तैयार करा ली गई है और उनके द्वारा सर्व साधारण में बड़े मनोरंजक व्याख्यान दिये जाते हैं। ये स्लाइड कई विषयों की हैं। भारत वर्ष में अशिक्षा, भारत के महा पुरुष, ग्राम सगठन, माताओं तथा बच्चों की रक्षा, भिन्न २ बीमारियां, सामाजिक बुराइयां, हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न, प्राचीन काल का विशाल भारत इत्यादि अनेक विषयों पर उत्तम २ चित्र प्रदर्शनी में तैयार कराये गये है और उनके स्लाइड भी तैयार हैं।

असली समाज-सेवा:—असली समाज सेवा का काम जो समिति ने किया है, वह और भी महत्वपूर्ण है। समिति की स्थापना हुए दो ही महीने हुये थे कि मुर्शिदाबाद के जिले के एक गांव में आग लगी। समिति ने बड़ी कठिनाई से दो सौ रुपये इकट्ठे किये और उनसे

गाँव वालों की मदद की। इसके दो महीने बाद त्रिपुरा से ब्राह्मण वेड़िया नामक स्थान में बाढ़ आई! यहाँ भी समिति ने अपने स्वयं सेवक भेजे और लगभग ४०००) बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ व्यय किये इसके बाद बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ा। समिति ४० हजार रुपये इकट्ठे कर सकी, और इसके द्वारा अकाल पीडितों को बड़ी सहायता मिली। चावल और कपड़े बाँटे गये, जो स्कूल गरीबों के कारण बन्द हो गये थे, उनको फिर से खुलवाया गया। ३३ पक्के कुएँ उन स्थानों में जहां पानी पीने के लिये सुविधा नहीं थी, खुदवाये गये। दो बड़े २ तालाब फिर से ठीक कराये अनाज के भण्डार स्थापित किये। सहयोग-समिति की बैङ्क कायम की, समाज सेवक समिति की शाखाएँ खोलीं इस प्रकार कितने ही कार्य समिति ने किये।

औद्योगिक स्कूलः—समिति के अधीन कलकत्ते में एक औद्योगिक स्कूल चल रहा है, जिसमें १५० के लगभग छात्र पढ़ते हैं। दर्जीगीरी और बुनाई इत्यादि की शिक्षा दी जाती है।

अछूतों में कार्य—रात्रि पाठशालाएँ खोलकर समिति ने अछूतों को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है। गन्दी बस्तियों में भी समाज-सेवा का कार्य किया गया है। जो सज्जन इसके विषय में अधिक जानना चाहें वे डाक्टर डी. एन. मैत्र एम. बी., ३ बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता से पत्र व्यौहार करें।

५८---सनातन धर्म अनाथालय दिल्ली।

यह अनाथालय २७ फरवरी सन १९२७ को पूज्यपाद पं० दीनदयाल जी व्याख्यान बाचस्पति पं० हरिहर स्वरूप जी शास्त्री, शास्त्रवाचस्पति, पूज्य स्वामी प्रकाशानन्दजी सरस्वती, महामहोपाध्याय पं० हरनारायणजी शास्त्री, पं० अखिलानन्द जी कविरत्न, गोस्वामी जीवनदास जी, पं० गुरुदत्त जी, पं० देवरत्न शर्मा मन्त्री हिन्दू महासभा पं०सुखराम शास्त्री तथा अन्य सनातन धर्मी नेताओं और सर्व नगर निवासियों की उपस्थिति में भारत भूषण पूज्य पं० मदन मोहन मालवीय जी के शुभ करकमलों से खोला गया। इसी अवसर पर इस अनाथालय की सहायता के लिये सर्व सज्जनों से हृदय द्रावक और प्रभाव शाली व्याख्यानों द्वारा प्रार्थना की गई। इस अनाथालय के मन्त्री ला० गुरुदित्तामल भण्डारी चुने गये और उनकी सहायता के लिये प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक श्रीमान पं० गुरुदत्त जी नियत हुए।

अनाथालय की प्रबन्ध क्रिया।

प्रधानः—पं० श्रीराम शर्मा

उपप्रधान—१ शास्त्र वाचस्पति पं० हरिहर स्वरूप जी शास्त्री, बी. ए.।

२ ला० बनारसीदास जी गान्धी।

मन्त्री ला० गुरुदित्तामल भण्डारी।

उपमन्त्री—पं० कन्हैयालाल जी मन्त्री स० ध० सभा।

अन्तरङ्ग सभा के सभासद ।

१ गो० गणेशदत्त जी प्रधान मन्त्री स० प्र० प्रतिनिधि सभा पंजाब ।

२ पं० मौलिचन्द्र जी एम. ए. ।

३ रायबहादुर लाला अम्बाप्रसादजी

४ सेठ यमुना दास जी पोद्दार ।

५ पं० मुखराज जी शास्त्री ।

६ ला० केदारनाथ जी मालिक फर्म सेठ प्रेम सुखदास जी नरसिंह दास जी।

७ राय साहब ला० केसरचन्द्र जी एस. डी. ओ. ।

८ प० रामरङ्ग जी ठेकेदार ।

९ ला० श्रीराम गोटेवाले ।

१० ला० दीवानचंद जी सेठ ।

११ प० श्यामसुन्दर लाल ।

विद्या वितरण ।

इस अनाथालय में बालकों को संस्कृत हिन्दी और उर्दू की शिक्षा देने के लिये तीन अध्यापक नियत किये गये हैं। हिंदी का पढ़ना प्रत्येक बालक के लिये आवश्यक है । और बालकों ने इस थोड़े से समय में विद्या में सन्तोष जनक उन्नति की है ।

शिल्प (दस्तकारी)

शिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, परंतु धनाभाव के कारण इस विभाग में यथोचित उन्नति नहीं हो सकी ।

बैंड बाजा ।

इस अनाथालय की एक भजन मंडली के अतिरिक्त अपना बैन्ड बाजा भी है जिसमें २५ लड़के काम कर रहे हैं। लड़के बैंड बजाने में बहुत निपुण हैं। इस बैंड का नाम महावीर बैंड मण्डली और इसकी वर्दी भी महावीर दल के समान है। यह बैंड विवाह जलसा और जलूस इत्यादि में भेजा जाता है। एक हुशियार बैंड मास्टर इनकी शिक्षा के लिये रक्खा गया है।

महावीर बालचर दल ।

महावीर बालचर दल में १५ लड़के भरती किए गये हैं । यह दल भूले भटके बच्चों के अन्वेषण रेलवे वालिन्टियरी और धार्मिक जलूसों और मेलों में सेवा का काम बड़ी दक्षता से महावीर दल के साथ साथ करता है । इस दल ने शतशः बच्चों को ढूंढ कर उनको उनके बन्धुओं तक पहुंचाये और आवारह गर्द बच्चों को लाकर अनाथालय में भरती करने का कार्य भी कुशलता से किया।

धर्मार्थ औषधालय ।

एक धर्मार्थ औषधालय शहर के केन्द्रीय स्थान में खुला हुआ है। जिस में हर समय पब्लिक को बिना मूल्य के दवाई दी जाती है ।

अध्यापक पर्याप्त हैं, और बालकों की संख्या कुल एक सौ इकत्तर तक पहुंच चुकी है । जिन में से बहुतों को उन के संरक्षकों के पास पहुंचा दिया है और कई एकों को आजीविका कमाने के योग्य कर दिया है । इस समय भी अनाथालय में (७०—७५) बालक मौजूद हैं। मासिक खर्च पाँच छः सौ

रुपया के लगभग है। आमदनी कम है जिस से अनाथालय ऋणी हो रहा है। अनाथालय का स्थाई कोष अवश्य होना चाहिये। मलिक मथुरादास साहिब रईस लायलपुरी ने २५०००) की अपील स्थाई कोष के लिये की है। सनातन धर्मी जनता का कर्तव्य है कि वे इस आवश्यक सस्था की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिये इस तुच्छ रक़म को शीघ्र ही संचित कर के यश और पुण्य के भागी बनें।

५९—गीता धर्म मण्डल, पूना।

इस मडल की स्थापना, ता० २३ जुलाई १९२४को हुई। मडलका उद्देश्य यह है कि श्रुति स्मृति विशेषतः देशोपनिषद्, महाभारत भगवत्गीता के आधार पर प्रचार शिक्षण, और ग्रंथ प्रकाशन द्वारा कर्म-योगात्मक गीता धर्म का प्रसार किया जावे।

रचना।

मडल के सहायक निम्न प्रकार के हैं:—

(१) आश्रयदाता—जो ५०० रुपया या अधिक एकदम देवें।

(२) सभासद-जो एकदम १००रु० या अधिक देवें।

(३) चदा देने वाले--जो मंडल को प्रति वर्ष ५ रु० देते हों।

(४) हितचिंतक—जो कुछ भी सहायता दें।

इस मण्डल द्वारा गीता जयन्ती उत्सव प्रति वर्ष मार्गशीर्ष शुद्ध ११को मनाये जाने का प्रयत्न किया जाता है और भारतवर्ष में गीता जयन्ती मनाई जावे ऐसा आन्दोलन किया जा रहा है। अनेक स्थानों में गीता जयन्ती मनाई जाने लगी।

गीता रहस्य विषयक निबन्ध के लिये प्रति वर्ष इनाम देने के लिये रुपया जमा कर लिया गया है और जो व्यक्ति इस विषय पर सर्वोत्तम निबन्ध लिखे उसे दिया जाता है।

मण्डल के मुख्य कार्य कर्ता निम्नलिखित हैं—

१—नृसिंह चिन्तामणि केळकर अध्यक्ष।

२—वें० शा० स० सदाशिव शास्त्री भिडे प्रचारक।

३—ग० वि० केलकर—खजांची व मंत्री।

६०—अखिल भारतवर्षीय अछूतोद्धार सभा दिल्ली।

इस सभा की स्थापना पं० मदनमोहन मालवीय, स्व० ला० लाजपतराय तथा श्री० घनश्यामदास बिड़ला के प्रयत्नों से कुछ वर्ष पहिले स्थापित हुई।

अछूत कहाने वाली जातियों को निम्नलिखित सुविधाएं दिलानेका प्रयत्न करना इस सभा का उद्देश्य है:—

(१) अछूत प्रथा का मिटाना

(२) अन्य हिन्दू जातियों के समान अछूतों को सामाजिक अधिकारों का प्राप्त कराना जैसे पबलिक कुओं से अछूतों को पानी लेने देना सार्वजनिक

कार्यों में समान रूप से भाग लेने देना, सार्वजनिक पाठशालाओं में शिक्षा लेने देना, मंदिरों में देव दर्शन लेने देना, आदि।

इस सभा की शाखायें भारतवर्ष में हैं। सभा का कार्य स० १९२४ से १९२७ तक अधिक जोर से चला क्योंकि उस काल में हिन्दू—मुसलिम अनबन बहुत बढ़ गई थी और दोनों ओर से अपने २ धर्म की उन्नति करने का प्रयत्न किये जारहे थे।

ला० लाजपतराय के तिलक स्कूल आफ़ पालीटिक्स के कुछ कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। सभा की ओर से सयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब में अनेक शाखायें हैं। अछूतोद्धार सभा के प्रधान मंत्री का कार्य श्रीयुत लाला रामप्रसाद (भूतपूर्व सम्पादक बन्देमातरम) कुछ बर्षों तक करते रहे।

सभा द्वारा अनेक स्थानों में स्थानिक कमेटियां स्थापित करादी गई हैं और वैतनिक कार्यकर्ता मुकर्रर किये गये हैं। सभा द्वारा अनेक कान्फ्रेन्सें भी करायी गई हैं।

भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति।

वर्तमान।

भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति।

वर्तमान।

अग्रवाल, लाला गिरधारी लाल—एडवोकेट ज० १८७८, शिक्षा आग्राकालेज, बी. एस. एम. लंदन, सभापति अग्रवाल सेवासमिति, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, डाइरेक्टर मुरादाबाद स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिलस (१० वर्ष तक) और बवराल काटन जिन एन्ड प्रेस कम्पनी लिमिटेड (६ वर्ष,) आरंभिक मेम्बर यू.पी. चेम्बर आफ़ कमर्स; चुनें हुये मेम्बर, रायल सोसाइटी लंदन (१९१९) पार्लीमेंट की स्पेशल गैलरी में बैठे और वेम्बली प्रदर्शनी में गये, पता:-जार्ज टाऊन इलाहाबाद।

अजमेरी, मुन्शी, -धर्मसे मुसलमान, रहन सहन हिन्दू की नाईं। पूर्वज ब्रह्मभट्ट थे। हिन्दी के अच्छे लेखक व कवि। श्री० मैथिलीशरण गुप्त के परम मित्र। श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक "चित्रांगदा" का हिंदी कविता में अनुवाद। तथा अन्य पुस्तकों के लेखक। पता—चिरगांव झांसी।

अज़ीज़, शेख अब्दुल-बी. ए. एफ. पी. यू. जन्म० १८७८, प्रिंस आफ वेल्स की यात्रा के लिये रिपोर्टर १९०५-६, फेलो पंजाब यूनिवर्सिटी, मेम्बर कौंसिल आल इंडिया मुसलिम लीग, भूतपूर्व सम्पादक "आबजरवर" लाहोर।

अडवानी, दुर्गादास भोजराज-इंजिनियर ज० १८८०, शिक्षा, डी. जे. सिंध कालेज कराची, म्युनिसिपल कमिश्नर १२ वर्ष तक, सम्पादक "होमरूलर" १९१८-१९, राजद्रोह के लिये सजा १९१९, सभापति सिंध प्रांतीय कान्फ्रेन्स, मेम्बर, बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल १९२३-२६, इंजीनियर और आर्कीटेक्ट, पता: बंदर रोड कराची।

अणे, माधवराव श्रीहरि—प्रमुख राजनैतिक नेता, बरार, शिक्षा वकील, लो० टिलक के साथ के कार्यकर्ता होमरूल आंदोलन में प्रमुख भागलिया, अध्यक्ष मराठी साहित्यसम्मेलन (१९२८) मराठी के उत्तम वक्ता तथा लेखक, असहयोग आंदोलन में प्रमुख कार्यकर्ता मेम्बर आलइंडिया कांग्रेस कमेटी, मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली, मेम्बर नेहरू कमेटी, सर्वदल सम्मेलन १९२८; पता:-यवतमाल, बरार।

अन्सारी, डाक्टर मुख्तार अहमद—सभापति, राष्ट्रीय महासभा १९२७। जन्म १८८०। शिक्षा म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद, निजाम कालेज डेक्कन; यूनिवर्सिटी एडिन्बरा; एम. बी. सी. एच. बी. (१९०५); हाउस सर्जन चेरिंग क्रास अस्पताल लंदन; टर्की को आल इंडिया मेडिकल मिशन (१९१२-१३), होम रूल आन्दोलन में अग्रसर होकर काम किया, प्रेसीडेंट आल इंडिया मुसलिम लीग १९२०, सभापति, सर्वदल सम्मेलन १९२८। पताः—दर्यागंज दिल्ली।

अन्सारी, मौलवी अब्दुल—एम. ए. एलएल. बी., जन्म० गाजीपुर शिक्षा अलीगढ़ कालेज, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२१, सेक्रटरी दिल्ली खिलाफत कमेटी १९२१, १ वर्ष की कैद १९२१।

अपसन, एस० जी०—जर्नेलिस्ट; जन्म २५ दिसम्बर १८९२ केंट; सम्पादक "इंडियन पिक्चर मैगजीन, १९१४; "सोसाइटी इलस्ट्रेटेड" १९१५-१६; असिस्टेंट एडीटर अम्पायर, कमर्शल १९१६—१९, सम्पादक "लुकर आन" १९१७-२१, 'इंडियन बिजिनेस' १९१७—२१; ईस्ट ऐन्ड वेस्ट १९२०, इंडिपेंडेंट १९२२, मुसलमान हुये १९२१ सम्पादक मुसलिम औटलुक, लाहौर।

अफसरुल मुल्क, अफसरुद्दौला, अफसर जंग, मिरजा मुहम्मद अली बेग, नवाब, लेफ्टिनेंट कर्नल; सी०सी०आई०ई०(१९०८) सी० आई० ई० (१८९७); एम० वी० ओ० (१९०६); ए० डी० सी० निजाम हैदराबाद; चीफ कमांडर, निजाम की रेगुलर फौजें; जन्म औरंगाबाद (दक्षिण) कमांडर गोलकंडा ब्रिगेड (१८८५ से); कमांडर रेगुलर फोर्स (१८९७ से); अफगानवार (१८७९-८०) में काम किया; चीन एक्स पीडीशन (१९००); अफसरुल मुल्क १९०३; इम्पीरियल सर्विस केवेलरी ब्रिगेड, इंडियन इक्सपीडिशनरी फोर्स, मिश्र १९१५; इंडियन केवलरी कोर और ए० डी० सी० सरजान फ्रेंच १९१५-१६; पताः—राहत मंजिल, हैदराबाद दक्षिण।

अब्दुलकरीम, मौलवी—बी० ए०, मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट, सर्कारी, पेंशनर, पुस्तकें, भारत का इतिहास हिन्दी उर्दू बंगाली और महोमेडन अम्पायर इन-इंडिया इत्यादि। पताः-रांची।

अब्दुल हमीद, खानबहादुर, दीवान—सार ऐटला सी. आई. ई., ओ. बी. ई., चीफ मिनिस्टर कपूरथला स्टेट; जन्म० १५ अक्टूबर १८८१ शिक्षा, गवर्मेंट कालेज लाहौर; स्टेट मेजिस्ट्रेट १९०८; जज १९०९; सुपर्डेंट

जन संख्या गणना १९११; मशीर माल; फेलो पंजाव यूनिवर्सिटी; चीफ सेक्रटरी १९१५; चीफ मिनिस्टर १९२०; कारोनेशन दरवार मेडल १९११; खानबहादुर १९१५; ओ. बी. ई. १९१८ सी. आई. ई. १९२३; पताः-कपूरथला।

अयोध्यासिंह उपाध्याय,—उच्चकोटि के हिन्दी के कवि, ज० १८६५ अध्यापक हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस, पुस्तकें 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' "अधखिला फूल" प्रिय प्रवास आदि अनेक ग्रंथों के लेखक, पताः बनारस।

अयंगर, श्रीनिवास,—मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली, ज० १८७४ शि० मदुरा तथा प्रेसीडेंसी कालेज मद्रास, वकील १८९८, मेम्बर मद्रास सिनेट १९१२-१६, अध्यक्ष वकील एसोसियेशन एडवोकेट जनरल मद्रास, लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर और सी. आई. ई. की पदवी कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के कारण छोड़दी, सभापति मद्रास प्रांतीय कान्फ्रेन्स १९२०, सभापति कांग्रेस (गौहाटि) १९२६, पुस्तक, लारिफार्म, पताः मद्रास।

अयंगर, सी० दुरायस्वामी,—हायकोर्ट वकील, चितूर, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, ज० १८७३, शि० क्रिश्चन कालेज मद्रास, प्रेसीडेंट ताल्लुका बोर्ड व म्यु० बोर्ड अनेक वर्षों तक, प्रेसीडेंट जिला कांग्रेस कमेटी, महात्मा गांधी को "कलकी अवतार" बताते हैं।

अयंगर, सी० वी० व्यंकटरामन,—मेम्बर लेजिसलेटिव कौंसिल मद्रास, ज० १८७३, शिक्षा प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, वकील १८९७–१९१८, प्रेसीडेंट अनेक बंक, डेपुटी लीडर कांग्रेस पार्टी मद्रास कौंसिल, म्युनिसिपल कौंसिलर, दान में २ लाख से अधिक की जायदाद दी, पताः धर्मविलास, कोयमबटूर।

अयंगर, के० वी० रंगास्वामी—जमींदार और मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट (१९२०-२५) जन्म १८८६, मेम्बर पुरानी इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल (१९१६-२०) जमींदारों द्वारा चुने हुये, कांग्रेसमैन नैशनेलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कालेज त्रिचना पली की स्थापना में सहयोग; चित्तूर कांफ्रेंस के सभापति, सभापति, मद्रास प्रांतीय कांफ्रेंस, तथा त्रिचनापल्ली जिला कांफ्रेंस, पताः-वासुदेव विलास श्रीरंगम (मद्रास प्रांत)

अय्यर, टी० पी० शेषगिरि—जन्म १८६० शि० बी० ए० बी० एल, जज हाई कोर्ट मद्रास (रिटायर्ड १९२०) मेम्बर सिनेट मद्रास २० वर्ष तक,

प्रेसीडेंट अनेक संस्थायें, मद्रास कौंसिल में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ५ वर्ष (१९१३ से पहिले), मेम्बर लेजिस लेटिव एसेम्बली (१९२०-२३) पता:- मद्रास।

अय्यर, सी० एस० रंगा— जर्नेलिस्ट जन्म० १९ सितम्बर १८९४; स्पेलश करस्पांडेंट "मद्रास स्टेंडर्ड, स्पेशल रिप्रेजेन्टटिव् "इंडियनपेट्रिअट" असिस्टंट एडीटर वेल्थ आफ इन्डिया एडवोकेट लखनऊ १९१४ असिस्टेंन्ट एडीटर "इंडिपेडेंट इलाहाबाद १९१९, लीडर राइटरडिमोक्रेट" इलाहाबाद "फ्रीइंडिया" झांसी, जेलयात्रा १९२१ मेम्बर आल इंडिया कांग्रेसकमेटी १९२१, सम्पादक "इन्डिपेंडेंस" लखनऊ, लेखक "ए वायस फ्राम दि जेल", "इजिप्ट", फादर इंडिया मदर इंडिया का उत्तर १९२७, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, नःभानरेश की ओर से इङ्गलैंड गये १९२५, पता-दिल्ली।

अय्यर, सर सी० पी० रामस्वामी-लःमेम्बर मद्रास गवर्मेंट; ज० १८७९ शिक्षा-बैरिस्टर १९०३; मेम्बर मद्रास कोरपोरेशन १९११; फेलो यूनिवर्सिटी १९१२; सेक्रटरी कांग्रेस १९१७-१८; मद्रास डेलीगेट दिल्ली बार कांफ्रेंस मेम्बर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १९१९; एडवोकेट जनरल मद्रास; मेम्बर वास्ते बनाने उपनियम रिफार्म ऐक्ट १९१९ के अनुसार। सभापति आल इंडिया लायर्स कांफ्रेंस १९२१। मेम्बर मद्रास इकजीक्यूटिव कौंसिल १९२३। मद्रास युनिवर्सिटी का कन्वोकेशन ऐड्रेस १९२४। लीग आफ नेशन्स के डेलीगेट (जेनीवा) १९२६ और १९२७। पता:-दी ग्रोव, केथीड्रेल, मद्रास।

अय्यर, सर पी० एस० शिवस्वामी,—के. सी. एस. आई. (१९१५) सी. एस. आई. (१९१२) सी. आई. ई. (१९०८) ज० ७ फरवरी १८६४ शि० एस. पी. जी. कालेज तंजोर, प्रेसीडेंसी कालेज मद्रास। वकील १८८५ एडवोकेट जनरल मद्रास १९०७-१२। मेम्बर ए० कौंसिल मद्रास १९१२-१७, वाइस चान्सलर मद्रास यूनिवर्सिटी १९१६-१८ वाइस चान्सलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी १९१८-१९ पता: सुधर्म, मयलापुर मद्रास।

अली, अशफाक—बी० ए० प्रमुख खिलाफत कार्यकर्त्ता, शि० एम. ए. ओ. कालेज अलीगढ प्राइवेट सेक्रटरी मौलाना शौकत अली, सेक्रटरी खिलाफत सिविल डिसोबीडियंस कमेटी, पता:- सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी, बंबई।

अली, खानबहादुर मीरअसद, व्यापारी, जागीरदार और मेम्बर

लेजिस्लेटिव एसेम्बली, ज० १८७९, शिक्षा निजाम कालेज हैदराबाद मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१३-२० प्रेसीडेंट जिला राजनैतिक कान्फ्रेन्स कुड था १९१६; प्रेसीडेंट प्रांतीय शिक्षा कान्फ्रेन्स पूना १९१९; प्रेसीडेंट मद्रास प्रान्तीय मुसलिमलीग १९१७–२०: प्रेसीडेंट आल इंडिया यूनानी कान्फ्रेंस दिल्ली; प्रेसीडेंट यूनानी आयुर्वेदिक कान्फ्रेंस हैदराबाद १९२२, पता:–कोस्मोपालीटन क्लब मौंट रोड, मद्रास ।

अली, मुअज़्ज़म—जन्म० रामपुर स्टेट, शिक्षा, रामपुर, अलीगढ, और लंदन, लारीडर, ढाका कालेज, इस्तीफा देकर पटना में वकालत शुरू की, मुरादाबाद आये १९२०, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०, सुपडेंट सेंट्रल खिलाफत कमेटी और मेम्बर खिलाफत कमेटी की सिविल डिसओबीडियंस कमेटी, भूत पूर्व मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ।

अली, मुहम्मद—सम्पादक 'हमदर्द', ज० १८७८ शि० एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ और लिंकन कालेज आक्सफोर्ड, चीफ एडूकेशनल आफिसर रामपुर स्टेट १९०२-०३, गाइकवाड सिविल सर्विस १९०४-१०, "कम्रेड" पत्र स्थापित किया और सम्पादन किया डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा नजर कैद १९१५–१९, छोड़ दिये गये १९१९, इंडियन खिलाफत डेपुटेशन लंदन के अध्यक्ष १९२०, २ वर्ष की कड़ी सजा १९२१, सभापति राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस १९२३—२४) संस्थापक मुस्लिम लीग (१९०६,) खुद्दाये काबा (१९१३) और नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ (१९२०) पता: दिल्ली ।

अली, शौकत,—शि० एम. ए. ओ. कालेज अलीगढ़, बी. ए. सरकारी अफीम विभाग, संस्थापक अलीगढ़ ओल्ड बाइज एसोसीयेशन; अलीगढ कालेज के लिये धन एकत्र किया; युद्ध के समय डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा नजर कैद, खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के प्रमुख नेता १९१९–२१; दो वर्ष की कैद कड़ी, अत्यंत वीर तथा पराक्रमी पुरुष, अध्यक्ष आल इंडिया मुसलिम कांफ्रेंस १९२८ पता–सुलतान मैन्शन, डोंगरी, बम्बई ।

अलवर, महाराजा;—कर्नल हिजहाइनेस राज राजेश्वर श्री सवाइ महाराज सर जयसिंह जी वीरेन्द्रदेव; जी. सी, एस. आई. (१९२४;) जी. सी. आइ. ई. (१९१९), इम्पीरियल कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि १९२३ । पता:-अल्वर ।

अहमद, कबीरुद्दीन;—बरिस्टर मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली (१९२१ से) ज० १८८६; बेरिस्टर १९१०; मेम्बर बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल (१९२०); संस्थापक पार्लीमेंटरी मुसलिम पार्टी (एसेम्बली); पुस्तक हैन्डबुक आफ इक्विटी, रोमनला; पता—हेरिंग्टनस्ट्रीट, कलकत्ता।

अहमद, खानबहादुर मौलवी इमादउद्दीन—डिप्टी प्रेसीडेंट बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड राजशाही, वकील और जमींदार पता:-राजशाही।

अहमद, खानबहादुर काजी अजीजुद्दीन,—सी० आई० ई०, ओ. बी० ई०, आई० एस० ओ० चीफ मिनिस्टर दतिया स्टेट, जन्म ७ अप्रेल १८६१, प्रांतीय सिविल सर्विस यू० पी० ३४ वर्ष तक, मैजिस्ट्रेट और कलक्टर बुलन्दशहर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऐग्रीकलचर और कमर्स यू० पी०, भूतपूर्व अमीर काबुल के साथ भारत की यात्रा में डेपुटेशन पर, भरतपुर की कौंसिल आफ रिजेन्सी में रेविन्यूमेम्बर (१९१०), धौलपुर को तबादला १९१३ और सरकारी नौकरी से १९२० में रिटायर हुये किन्तु धौलपुर में जुडीशल मिनिस्टर का कार्य करते रहे; चीफ मिनिस्टर दतिया स्टेट (नियुक्ति १९२२) मेम्बर कोर्ट अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ट्रस्टी आग्रा कालेज, मेम्बर, रायल एशियाटिक सोसाइटी, करीब ४० पुस्तकें उर्दू और अंग्रेजी की लिखीं, युद्ध कान्फ्रेंस १९१९, और कोरोनेशन दरबार १९११ की कार्यवाही का उर्दू में अनुवाद सरकारी इच्छा से किया, पता:-दतिया।

अहमद ज़हूर—बार-ऐटला सह,-योगी सम्पादक "खिलाफत बुलेटिन" बम्बई, मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी तथा खिलाफत कमेटी, मेम्बर यू० पी० कौंसिल, पता:-इलाहाबाद।

अहमद डा० ज़ियाउद्दीन, प्रो,—वाइस चान्सलर मुसलिम युनिवर्सिटी अलीगढ; ज० १८७८; शिक्षा इलाहाबाद, केम्ब्रिज तथा गोटिंजेन; मेम्बर कलकत्ता युनिवर्सिटी कमीशन; मेम्बर सैंडहर्स्ट कमेटी; पता: अलीगढ।

अहमद, सैयद अशरफुद्दीन—खानबहादुर नवाबजादा, सी. आई. ई. १९२५; मेम्बर लेजिस्लेटिव कौंसिल और वाइस प्रेसीडेंट बिहार ओडीसा हज कमेटी; जन्म० ६ जनवरी १८५५; शि० कलकत्ता मद्रास; डफरन कालेज कलकत्ता; ए० डी० सी० अंतिम राजा अवध के १८७४; मैनेजर हुगली इमाम बाडा १८७५; लाइफ ट्रस्टी अलीगढ यूनिवर्सिटी और फेलो कलकत्ता यूनि-

बर्सिटी; पुस्तकें-तुहफये सखुन, नौरतन, यादगार दर्दाना, तबाकत मोहसिनिया, पता:-नवाब कोठी बाढ़; (ई. आई. आर. पटना)

अहमद हुसैन सर-नवाब अमीन जंग बहादुर, एम० ए० बी०एल., सी० एस० आई० १९११, नवाब १९१७, के० सी० आई० ई० १९२०, मिनिस्टर इनवेटिंग निजाम; चीफ सेक्रटरी निजाम सरकार; जन्म ११ अगस्त १८६३; शि० क्रिश्चन कालेज और प्रेसीडेंसी कालेज मद्रास; हाईकोर्ट वकील १८९० डिपटी कलेक्टर और मेजिस्ट्रेट १८९०-९२; असिस्टंट सेक्रटरी निजाम १८९३, खास सेक्रटरी निजाम १८९५; चीफ सेक्रटरी निजाम सरकार १८९६; मिनिस्टर इनन्वेटिंग १९१५ से; लेखक "नोट्स ओन इसलाम"; मासिक पत्रों में लेख; पता:–अमीन मंजिल सैदबाद हैदराबाद ।

अवस्थी, रमाशंकर—ज० मई १८९७ ई०, कांग्रेस कार्यकर्ता, तथा स्वतंत्र भारत संघ के सदस्य; उच्चकोटि के निर्भीक जर्नलिस्ट, "अभ्युदय" तथा "प्रताप" के भूतपूर्व सहायक सम्पादक, "वर्तमान" दैनिक के संस्थापक; अनेक वर्षों तक सम्पादक । इस समय संचालक "वर्तमान", लेखक "रूस की राज्यक्रांति" "बोलशेविक लाल क्रांति". "बोलशेविक रूस" तथा "बोलशेविक जादूगर" इत्यादि पता–"वर्तमान दैनिक" कानपुर ।

आगाखां, आगा सुलतान मुहम्मद शाह—खोजा समाज के गुरु, जन्म १८७५, महायुद्ध में सरकार को सहायता देने के कारण ११ तोप की सलामी और प्रथम वर्ग के देशी नरेश का मान प्राप्त किया, जंजीबार और ईरान की पदवियां प्राप्त, भारत, अफ्रीका और मध्य ऐशिया में अनेक शिष्य हैं, गोल्फ, घुड़दोड़ मोटर इत्यादि में बड़ी रुचि रखते हैं । पता:-आगा हाल, बम्बई ।

आंकलीकर, लेफ्टि० कर्नल अमीरुल उमरा सरदार सर अप्पाजी राव साहब शितोले देशमुख, सेना, हफ्त शाह श्री,—के. बी. ई. (१९१९), सी. आइ. ई १९१३ मेम्बर ग्वालियार सरकार माल व खेती बिभाग (१९१८) ज० १८७४, शि० वेलगांव, प्राइवेट सेक्रटरी महाराजा, गवालियार १८९७, महाराजा जयाजीराव सिंधिया की सबसेकनिष्ट बहिन से बिवाह, वाइस प्रेसीडेंट कौंसिल आफ रीजेन्सी गवालियार सरकार, पता–गवालियार ।

आचार्य, एम० के०—मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली । जन्म १८७६ हेडमास्टर १९०२-१७, मेनेजर "मद्रास स्टैंडर्ड," अनेक पुस्तकों के लेखक पता:-४६ लिंगचेटी स्ट्रीट, जार्ज टाउन, मद्रास ।

आचार्यर, सर पी० राजा-गोपाल,—के. सी. एस. आइ. (१९२०) सी. आइ. ई, भारत मन्त्री की कौंसिल के मेम्बर १९२४, शिक्षा मद्रास यूनिवर्सिटी, आइ. सी. एस. (१८८८), कोचीन के दीवान (१८९६–१९०२) ट्रावनकोर के दीवान (१९०७–१४), मद्रास सरकार के सेक्रटरी (१९२४) मद्रास इक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर १९१७, प्रेसीडेंट मद्रास कौंसिल १९२१। पता—मद्रास।

आयर्विन, लार्ड, आन० एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड, वाइसराय तथा गवर्नर जनरल (इंडिया) जन्म १८८१, विवाह लेडी डोरोथी एवलिन आगस्टा ओन्सलो, संतति ३ पुत्र, १ पुत्री, शिक्षा ईटन, आक्सफोर्ड पार्लमेंटरी अंडर सेक्रटरी कोलोनीज १९२१–२३, कुछ समय के लिये प्रेसीडेंट शिक्षा बोर्ड, खेती के मिनिस्टर १९२४–२५, मेम्बर पार्लमेंट १९११–२५, पता—वाइसरीगल लाज, दिल्ली; शिमला।

आयरविन, हेनरी,—सी. आइ ई, एम. आई. सी. ई; ज० १८४१, पी डब्लूडी विभाग १८६८, सरकारी आरकीटेक्ट सलाहकार १८८९, इस्तीफा १८९६ पता—अडयार हाऊस, अडयार।

आरकोट, प्रिन्स आफ, सर गुलाम मुहम्मद अली खान बहादुर—प्राचीन नबाब कार्नटक के वंशज, जन्म १८८२, शिक्षा न्यू-इंगटन कोर्ट आफ वार्डस इंस्टीट्यूशन मद्रास, मेम्बर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १९०४-०६ व १९०६-०७ मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१०-१३ प्रेसीडेंट आल इंडिया मुसलिम लीग (दिल्ली) पता:-अमीर महल, रोयापेटा, मद्रास।

आरोग्यस्वामी मुडालियर;—आनरेबल दीवान बहादुर रायपुरम नल्लवीरन, बी. ए बी सी. ई. राव बहादुर (१९१५) दीवान बहादुर (१९२५); मिनिस्टर पबलिक हेल्थ और एकसाइज मद्रास; ज० १८ अप्रेल १८७० शि० मद्रास क्रिश्चन कालेजआफ इंजीनियरिंग मद्रास, सरकारी नौकरी (१८९६ से १९२५) पता—मयलापुर।

आलम, डा. शेख महमूद,-बार-ऐट-ला, मेम्बर पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल जन्म १८९२; शिक्षा—आक्सफोर्ड और ट्रिनिटी; असहयोग में वकालत स्थगित की; पुनः आरम्भ की १९२३; पंजाब कौंसिल में नेशनेलिस्ट पार्टी के नेता; पता—लाहौर।

आसफ अली,—बार-ऐट-ला, एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट; जन्म—११ मई १९८८ शि० दिल्ली, लिंकन्स इन लन्दन; प्रेसीडेंट दिल्ली प्रान्तीय कांफ्रेंस १९२३; म्यु० कमिश्नर दिल्ली; डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार मुकदमा चला लेकिन छूट गये १९१८; असहयोग में वकालत स्थगित कर दी १९२०; क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अनुसार १॥ साल की सजा; मिश्र देश, इंगलेंड, फ्रांस, स्विटजरलेंड, इटेली, जर्मनी, टर्की, आदि देशों में भ्रमण किया; पता—कूचा चेलान, दिल्ली।

इक़बाल, सर महमूद,—मेम्बर पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल ज० १८७७ (सियाल कोट), शि० स्काच मिशन कौलेज, सियालकोट, गवर्मेंट कालेज, लाहोर केम्ब्रिज, लेकचरर ओरियंटल कालेज लाहौर, जर्मनी यात्रा, पी. एचडी पदवी (म्यूनिच), प्रोफेसर अरबी भाषा लंदन यूनिवर्सिटी, प्रथम कविता "हिमालयन मौंटेन" (१९२१), "फयामीमसबिक" प्रकाशित १९२५, उच्चकोटि के कवि, पता-लाहोर।

इन्द्र, प्रो०—स्वामी श्रद्धानन्द के सुपुत्र, ज० १९ नवम्बर १८९०। वेदालंकर, विद्या वाचस्पति (गुरकुल-कांगडी) एम. आर. ए, एस, मंत्री, प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी दिल्ली, प्रधान मंत्री, अखिल भारतवर्षीय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा; कार्य, समाज सेवा, संचालक 'अर्जुन' (दिल्ली) दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र; सम्पादक 'सार्वदेशिक' (मासिक), पुस्तकें-नेपोलियन बोना पार्ट महावीर गैरीबाल्डी काचरित्र, आर्यसमाज का इतिहास (प्रथमभाग), उपनिषदों की भूमिका, स्वर्गदेश का उद्धार (नाटक) आदि, पता दिल्ली।

इन्दौर, महराजा तुकोजीराव होल्कर,ज० २६ नवम्बर १८९० शि० मेयो चीफ्स कालेज अजमेर, इम्पीरियल केडिट कोर; यूरूप यात्रा १९१० राज्यारोहण १९११, पुनः यूरूपयात्रा १९१३, १९२१ और १९२६, बावलामर्डर केस के कारण राज्य त्याग २७ फरवरी १९२६, मिस नैन्सी मिलर अमरीकन महिला को शुध्द कर के विवाह (१७ मार्च १९२८) पता—इन्दौर।

इन्दौर महाराजा हिजहाइनेस महाराजाधिराज राज राजेश्वर सवाई श्री यशवन्त राव होलकर बहादुर—ज० ६ सितम्बर १९०८ वि. पुत्री जूनियर चीफकगल (कोल्हापुर) फरवरी १९२४, शि० इंगलैंड १९२०—२३ तथा पुनः ओक्सफोर्ड; राज्यारोहण (१९२६) पता—इन्दौर सेन्ट्रल इंडिया।

इनीज़, आ० चार्ल्स एलेक्जे-ण्डर बी,ए. आक्सफोर्ड गवरनर वर्मा १९२८, सी. एस आई (१९२१) सी, आई, ई (१९१९) मेम्बर (कमर्स और इंडस्ट्री) कौंसिल गवरनर, ज० २७ अक्टूबर १८७४, शि० मर्चेन्ट टेलर्स स्कूल लन्दन और सेन्ट जोहन कालेज ओक्सफोर्ड, आई. सी. एस. १८९८ असिस्टेंट सेटिलमेन्ट आफीसर मलाबार (१९०१ से १९०५) अन्डर सेक्रेटरी भारत सरकार १९०७ से १९१०, कलक्टर मलाबार (१९११-१५) डाइरेक्टर इन्डसट्रीज़ तथा म्यूनिशिन कन्ट्रोलर, मद्रास (१९१६--१९) फुड स्टफ कमिश्नर भारत सरकार १९१९ सेक्रेटरी कमर्स डिपार्टमेंट १९२०-२१; (१९२२-२३) मेम्बर एक्जीक्यूटिव कौंसिल गवरनर जनरल, लेखक—मलाबार जिला गजेटियर पता,—रंगून।

इमाम, सर सैयद अली, ज० १८६९ वि० १८९१, बैरिस्टर मिडिल टेम्पल १८९०, स्टैंडिंग कौंसिल कलकत्ता हाइ कोर्ट, प्रेसीडेण्ट प्रथम अधिवेशन आलइंडिया मुसलिमलीग १९०८, मेम्बर मुसलिम लीग डेपुटेशन इंगलैंड १९०९, मेम्बर बंगाल कौंसिल १९१०; फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९०८--१२, ला मेम्बर कौंसिल गवरनर जनरल १९१०-१६, जज पटना हाइकोर्ट १९१७; मेम्बर इक्जीक्यूटिव कौंसिल बिहार ओडीसा १९१८, प्रेसीडेंट इक्जीक्यूटिव कौंसिल निजाम हैदराबाद १९१९, प्रथम अधिवेशन लीग आफ नेशन्स (१९२०) में प्रथम भारतीय प्रतिनिधि, नेहरू कमेटी (सर्वदल सम्मेलन) के सभासद। पता-मरियम मंजिल, पटना।

इमाम, सर सैयद हसन,—बैरिस्टर; ज० ३१ अगस्त १८७१ शि० पटना और इंग्लैंड वैरिस्टर मिडिल टेम्पियल १८९२, जज कलकत्ता हाइ कोर्ट (१९१२--१६) प्रेसीडेंट स्पेशल सेशन राष्ट्रीय कांग्रेस १९१८, प्रेसीडेंट आल इंडिया होमरुल लीग, डेलीगेट लन्दन कान्फ्रेंस टर्किश पीस ट्रीटी १९२१, भारतीय प्रतिनिधि लीग आफ नेशन्स १९२३ पता-हसन मंजिल पटना।

इसमाइल, मिरज़ा मुहम्मद दीवान मैसूर, ज० १८८३, शि० महाराजा मैसूर के सहपाठी (पैलेस स्कूल,) बी. ए. १९०५, मैसूर सर्विस (१९०५) पुलिस, एकौन्ट और सर्वे मुहकमें, असिस्टंट सेक्रटरी महाराजा (१९०८) हुजूर सेक्रटरी (१९२४) प्राईवेट सेक्रटरी महाराजा (१९२२), अमीनुल मुलक की पदवी (१९२०) पता-समर पैलेस मैसूर।

इसरार हसनखां,--खान बहादुर सर, सी. आई. ई, ज० शाहजहांपुर

१८३५, होम मेम्बर और प्रेसीडेन्ट जूडीशियल कौंसिल- भोपाल; पता-भोपाल।

ईश्वर सरन, मुन्शी,—मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, शि० म्योर सेन्ट्रल कालेज, गोरखपुर में वकील शुरू की फिर इलाहाबाद आये, कायस्थ पाठशाला तथा अनेक संस्थाओं के सहायक, "लीडर" पत्र के संस्थापकों में, होमरूल आंन्दोलन में भाग लिया १९१८--१९, लिबरलदल के प्रमुख कार्यकरता, नेहरू कमेटी रिपोर्ट के समर्थक पता—इलाहाबाद ।

ईश्वरी प्रसाद, प्रो०— एम, ए. १९१४. एल, एल, बी १९१६, डाक्टर की उपाधि (१९२६)। जन्म० सं० १९४८ वि०, सनाढ्य ब्राह्मण, शि० आगरा कालेज, आरंभ से बड़े चतुर विद्यार्थी, अनेक पारितोषक तथा स्कालरशिप प्राप्त किये, मि० डुकस के युद्ध जाने पर सीनियर प्रोफेसर आगरा कालेज १९१९ तक, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इतिहास; "तुगलकों का इतिहास" नामक लेख पर डाक्टर की उपाधि (१९२६) में मिली, रीडर, इ० युनिवर्सिटी १९२७; "लीडर", "पायोनियर" तथा अन्य अंग्रेजी पत्रों में शिक्षा और राजनीति पर लेख लिखते हैं; प्रभा, माधुरी, सरस्वती, महारथी, भारतेन्दु आदि मासिक पत्रों में हिन्दी लेख; हिन्दी इतिहास की पुस्तकें यू. पी. पंजाब विहार, राजपूताने के स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं; हिस्ट्री आफ मेडिविअल इंडिया (अंग्रेजी); इस समय इलाहाबाद यूनि० में कोर्ट, एकेडेमिक कौंसिल, फैकल्टी आफ आर्ट्स, आदि के सदस्य, कुछ समय तक हिन्दी परिषद्के उपसभापति, आगरा यू० के सीनेट, फैकल्टी आफ आर्ट्स, बोर्ड आफ स्टडीज इन हिस्टरी, इक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य। सिनेट में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के प्रतिनिधि । पता—यूनिवर्सिटी इलाहाबाद ।

उपाध्याय, हरिभाऊ—ज. चैत्रकृष्ण ९ सं० १९४९ स्थान कौंराला (ग्वालियर) शि० हिन्दूकालेज बनारस, महात्मा गांधीके अनुयायी, सम्पादक, "औदुम्बर" काशी (१९१२–१५), उप् सम्पादक "सरस्वती" १९१६—१८ सम्पादक "हिन्दी नवजीवन" १९२१-२५, वर्तमान सम्पादक "त्यागभूमि" अजमेर। अनुवादित पुस्तकें—कावूर, रागिणी, सम्राट अशोक, इत्यादि, मुजफ्फरपुर के सम्पादक सम्मेलन के सभापति चुनें गये पर स्वीकार नहीं किया। हिन्दीसाहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य, अध्यक्ष राजस्थान अछूत सहायक मंडली, संचालक गांधी सेवा संघ (राजस्थान शाखा) सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापकों में,

कार्य ,खादीप्रचार, अस्पृश्यता निवारण आदि राजस्थान की सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित, पता—त्याग-भूमि कार्यालय, अजमेर ।

एरंडेल, जार्ज सिडनी,—बीशोप लिवरल केथोलिक चर्च, ज० १ दिसम्बर १८७८, शि. केम्ब्रिज यूनीवर्सिटी वि० रुक्मिणी, पुत्री नीलकंठ शास्त्री मद्रास १९२०, प्रिंसपल सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस, ऑरगेनाइजिङ्ग सेक्रेटरी इन्डियन होम रूललीग, मिसेज एनी विसेन्ट के सहकारी १९१७; थिओसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्य कर्ता, प्रेसीडेन्ट बोम्बे स्टूडेन्टस कन्वेनशन १९१८, लेखक—निर्वाण, वैड रोक्स, एजूकेशन इत्यादि पता-थिओसोफिकल सोसाइटी अद्यार मद्रास ।

ऐन्डरसन, सर जार्ज,—के. टी सी. आई ई, १९२०, एम. ए, ओक्सफोर्ड; डाइरेक्टर पवलिक इन्सट्रकशन पंजाब १९२० से। ज० १८७६ शि० विनचेस्टर कालेज ओक्सफोड, हिस्ट्री प्रोफेसर इलफिनस्टोन कालेज बम्बई। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी शिक्षा विभाग, भारत सरकार, सेक्रेटरी कलकत्ता यूनीवर्सिटी कमीशन १९१८—१९, लेखक—दी एक्सपेन्शन आफ बृटिश इन्डिया, शोर्ट हिस्ट्री आफ दी ब्रिटिश अमपायर। पता—ग्रान्ड लाज शिमला।

ऐन्डरूज़, सी० एफ०—प्रोफेसर इन्टर नेशनल यूनीवर्सिटी, शान्ति निकेतन, ज० १८७१, शि० बरमिङ्हम तथा कैमब्रिज, फेलो तथा लेकचरर पैनलोक कालेज केमब्रिज १८९९, प्रोफेसर, सेन्ट स्टीफन कालेज देहली,भारतीयों के कट्टर सहायक तथा प्रेमी, दक्षिणीं अफ्रीकामें भारतीयों के लिये अमूल्य कार्य किया। पता– वोलपुर ई. आई. रेलवे बंगाल।

कच्छ,—हिज हाइनेस, महाराजा (महाराव) धिराज मिरजान महाराव श्री खेंगरजी सवाइ वहादुर, ज० १८६६ वि० १८८४ इम्पीरियल कान्फ्रेस में भारतीय प्रतिनिधि (१९२१), फ्रीमैनसिटी आफ लन्दन (१९२१) और फ्रीमैन सिटी आफ बाथ (१९२१) पता—दी पैलेस भज, कच्छ।

कजिन्स, जेम्स हेनरी,—जन्म १८७३ वेलफास्ट, प्रिंसपेल ब्रह्म विद्या आश्रम; मेयर वेलफास्ट १८९१ लेखक, प्रथम पुस्तक पद्य १८९४, वि० १९०३, शि० ईस्टर्न फिलोसोफी विशेषकर वेदांत; इंगलैण्ड और आयरलैण्ड में वेदांत पर लेकचर दिये; भारत यात्रा (१९१४) "न्यू इंडिया" में सम्मिलित होने के अभिप्राय से, मदनापल्ली थियोसोफिकल कालेज

में शिक्षक १९१६; भारत में नेशनल एजूकेशन में सहायक। पता—अद्यार मद्रास।

कजिन्स, मिसेज़ मारगरेट ई.—भारत में प्रथम स्त्री मजिस्ट्रेट; ज० १८७८ आयरलैण्ड; शि० रायल यूनीवर्सिटी आयरलैंण्ड, म्यूजिक ग्रेजुयेट १९०२; वि० डा० जे० एच० कजिन्स १९०३; मेम्बर सिनेट वोमेन्स यूनीवर्सिटी; सेक्रेटरी वोमेन्स इंडियन एसोसियेशन, प्रसिद्ध सोलोपियानिस्ट लेखिका—'अवेकिनिंग आफ एशियन वोमेन हुड' तथा अन्य लेख। इंगलैण्ड में स्त्रियों के मताधिकार आंदोलन में दो बार कैद पता—बुडबंगलो थियोसोफिकल सोसायटी, अद्यार मद्रास।

कनिका, राजा,—आ० राजा राजेन्द्र नारायण भंज देव बहादुर ओ. बी. ई० कनिका; एम. एल. सी. ज० २४ मार्च १८८१ वि० पुत्री फ्युडेटरी चीफ नयागढ़ १८८८, शि० रैविनशा कालेज कटक, किला कनिक का प्रबन्ध कोर्ट आफ वार्डस से १९०२, में प्राप्त किया, मेम्बर बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल १९०९-१०, मेम्बर विहार तथा उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल १९१२–१६, मेंबर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल, १९१६--२०, मेंबर विहार तथा उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल १९२१--२६, प्रेसीडेंट उड़ीसा लेंड होल्डरस एसोसियेसन, व इस प्रेसीडेंट बंगाल लेंड होल्डरस एसोसियेशन, व इस प्रेसीडेंट बिहार लेंड होल्डरस एसोसियेशन, मेंबर बंगाल फिशरीबोर्ड मेंबर रोअ इल एशियाटिक सोसायटी, मेंबर गवर्निंग बोर्ड, राविनशा कालेज कटक, फेलो पटना युनीवर्सिटी, पता—कटक या राजकनिक, उड़ीसा।

कन्ट्रेक्टर मिस, नवजबाई दोराबजी,—चन्दारामजी हिंदू लड़कियों की पाठशाला बंबई की लेडी सुपरिन्टेन्डेट; जसटिस आफ दी पीस; बंबई में आनेररी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट; बंबई विश्वविद्यालय की फेलो; सहकारी सम्मितियों की मुख्य कार्य कर्ता; चीन, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स इंगलैण्ड, आयर्लैण्ड ओर यूरुप में भ्रमण; समाचार पत्रों की लेखिका। पता—हार्डिंग हाउस गोआलिया टेंक रोड बंबई।

कन्हैयालाल,—दी ओनरेबिल मिस्टर जसटिस, राय बहादुर एम. ए. एल. एल. बी. जज हाई कोर्ट इलाहाबाद ज० १८ जुलाई १८६६ वि० श्रीमती देवी पुत्री व्यास गोकुलदास जी आगरा, शि० दी म्योर सेंन्ट्रल कालेज इलाहाबाद, मुन्सिफ यू. पी. सिविल सर्विस २२ अप्रैल १८९१, सबॉर्डीनेट जज १९०७; असिस्टन्ट सेसन जज तथा

एडीशनल ज़िला जज फर्वरी १९०८; जिला तथा सेसन जज १९२०--२२, एडीशनल जुडीशियल कमिश्नर अवध जुलाई १९१८; जज इलाहाबाद हाईकोर्ट १९२३, लेखक—"एलीमेन्टरी हिस्ट्री आफ इन्डिया", धर्म शिक्षा हिन्दी भाषा तथा नोट जुडीशियल स्टाफ रिआर्गीनाइजेशन पता—नं० ९ एलगिन रोड, इलाहाबाद।

कपूरथला,--हिज हाईनेस, महाराजा फर्जिन्द दिलबन्द रसीखुल इतीकाद दौलते इंगलिशिया राजैराजगान महाराजा जगतजीत सिंह बहादुर महाराजा, जी. सी. एस. आई (१९११) सी. जी. आई. ई. (१९१२), ऑनेरेरी कर्नेल आर्मी तथा ओनरेरी कर्नेल सिक्ख रेजीमेंट ३-११ वीं, महाराजा १९११, महायुद्ध (१९१४) में सरकार को सहायता देने के कारण १३ सलामी से १५ सलामी हुई और ९००० पोंड खिराज सदा के लिये ब्रिटिश सरकार ने माफ कर दिया। पता—कपूरथला।

कम्बली, राव बहादुर सिद्दापा थोटापा, प्लीडर, डिप्टी प्रेसीडेंट बंबई लेजिसलेटिव कौंसिल; ज० १८८२, ग्रेजुएट १९०३ एल. एल. बी. १९०५ वि० १८९७; मेम्बर हुबली म्यूनी० १९०८ तथा उसके प्रेसीडेंट १९२३ तक; मेम्बर धारवार लोकल बोर्ड ८ साल तक; पता—हुबली।

कर्वे, धोंडू केशव, प्रो--संस्थापक इंडियन वीमेन्स युनिवर्सिटी. ज० मई १८५८, बी. ए. स्त्रियोंकी उन्नति के लिये उच्चकोटिके कार्यकर्ता, विधवाके साथ वि. किया १८९३, विधवा आश्रम पूना के पास स्थापित किया, स. १८९६; समाज सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित किया है, नैशनल सोशल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष (१९१५), इंडियन वीमेन्स युनिवर्सिटी की स्थापना, जून १९१६, पता—पूना।

करीम भाई इब्राहीम,---सर (सेकिंड बेरोनेट) (मुहम्मद भाई करीम भाई इब्राहीम) मर्चेन्ट तथा मिलओनर ज० ११ सितम्बर १८६७ वि० सकीना-बाई, पुत्री जयराजभाई पीर भाई लीडिंग मेम्बर खोजा मुसलिम समाज ट्रस्टी बंबई पोर्ट १६ वर्ष; मेम्बर म्यू० कारपोरेशन २० साल; डाइरेक्टर अनेक इन्डसट्रियल कन्सर्न तथा बोर्ड आफ इंडिया बेंक पता—बेलवडियर वार्डन रोड बंबई।

करीमभाई, सर फजलभाई,-मिल ओनर तथा मेर्चेन्ट बम्बई ज० १८७२, २० वर्ष से अधिक मेम्बर वेट्स ऐण्ड मेजरकमेटी, मेम्बर बम्बई प्रोविन्शी-

अल कौंसिल तथा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल, शेरिफ बंबई १९२६, डेलीगेट इन्टर नेशनल फाइनेनशियल कान्फ्रेन्स, ब्रसेल्स (१९२०) पता बंबई।

कमलादेवी, श्रीमती— मेंबर बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी; ज० १५ फरवरी १८९५ कालीघाठ; कलकत्ता बंगाली हिन्दी संस्कृत की पूर्ण विदुषी मेम्बर नारी कर्म मंदिर, खिलाफत कमेठीं, स्त्री महामंडल इत्यादि;बंगाल में अनेक लेडीज कांग्रेस सभायें स्थापित कीं, प्रभावशाली व्याख्यान दात्री बंगाली तथा हिन्दी; पता—अपर सरक्युलर रोड कलकत्ता।

करन्दीकर, ज. स.,—लोकमान्य टिलक के सहयोगी कार्यकर्ता, ज्योतिष शास्त्र के प्रख्यात पंडित, शि० बी. ए. एल.एल. बी. अध्यक्ष प्रथम बृहन्महाराष्ट्र परिषद झांसी १९२९, मराठी साहित्य सम्मेलन ग्वालियर में प्रमुख भाग लिया, वर्तमान सहायक संपादक केसरी पूना, पता—केसरी आफिस पूना।

करन्दीकर, रघुनाथ पांडुरङ्ग,—हाईकोर्ट वकील बम्बई, प्रोफेसर ला कालेज पूना, मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट ज० २१ अगस्त १८५७, खाडिलकर कुटुम्ब से दत्तक करन्दीकर कुटुम्ब १८६५ शि० सतारा और पूना, सब जज १८७४ मेम्बर और फोरेस्ट कमेटी १८८७, इंगलैंड यात्रा १९०८, मेम्बर बंबई कौंसिल १९११, मेंबर कांग्रेस १८८६ से १९१८ तक, प्रथम इंडियन कांफ्रेंस इलकली यार्कशायर इंगलैंड (१९१९) का उद्घाटन, प्रेसीडेण्ट डिसट्रिक्ट सतारा स्वराज्य पार्टी, पता—सतारा।

कर्मरकर,—व्ही. पी. ज० १८९२ शि० जर्मनी मुर्तीनिर्माण कला, कलकत्ते में कार्य आरंभ किया, पूना के लिये शिवाजी की अश्वारूढ़ मूर्ति निर्माण की, पता—४ वारडेन रोड बंबई।

कबीरउद्दीन, काज़ी,—बार-एट-ला, ज० १८७३, शि० इंगलैंड, आनरेरी सेक्रटरी लंडन यूनियन सोसायटी तथा टेंमपरेंस एसोसियेशन, लंडन, वाइस प्रेसीडेंट अनजुमन इसलाम क्लब, मेंबर बंबई कोरपुरेशन, कुछ समय तक सेक्रटरी वेस्टरन इंडिया लिबरल एसोसियेशन, पता—एडवोकेट, बंबई।

कस्तूरभाई लालभाई, सेठ—मिलओनर, ज० २२ दिसंबर १८९४, शि० गुजराथ कालेज अहमदाबाद, आनरेरी सेक्रटरी अहमदाबाद, फेमीनरिलीफ कमेटी १९१८–१९, अहमदाबाद मिल ओनर्स असोसियेसन के उपसभापति १९२३-२४, मिल ओनर्स

असोसियेशन की ओर से लेजिसलेटिव असेम्बली में मेंबर १९२३–२६, पता—अहमदाबाद ।

क़ाज़ी, सय्यद हिफाज़तअली, ज० १८९२; शि० जबलपूर अलीगढ़ और इलाहाबाद बी. ए. एल. एल. बी., प्रेसीडेंट म्युनिसपल कमेटी खंडवा १९२० मिनिसटर लोकल सेल्फ गवरमेंट पवलिक वर्कस इत्यादि सी. पी. सरकार पता—खंडवा

कांजी द्वारकादास,—मेम्बर बम्बई लेजिस लेटिव कैंसिल १९२१–२४., ज० १८९२ बम्बई, शि,एलफिनस्टोन कालेज बम्बई; होन.ट्रेजरर, आल इन्डिया होमरुल लीग, बम्बई ब्रान्च १९१७-१९; ट्रेजरर विलड्रेन्स एड सुसाइटी, आ० सेक्रेटरी, होमरूल लीग वम्बई ब्रान्च १९१९, जनरल सेक्रेटरी; नेशनल होमरूल लीग; मेम्बर वम्बई प्रोस्टीट्यूशन कमेटी १९२१; मेम्बर लेबर टिस्प्यूटस कमेटी, १९२१ पता–रिजरोड बम्बई.

कामत, बी.. एस—ज० २१ मार्च १८७१, शि. बी.ए, डेक्किन कालेज, मेम्बर बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१३–२० मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२१–२३, मेम्बर रायल कमीशन एग्रीकलचर १९२७, पता—पूना।

काले, वामन गोविन्द,—ज. १८९६, शि. न्यूइंगलिश स्कूल तथा फरगूशन कालेज पूना; दक्षिण एजूकेशन सोसायटी पूना के लाइफ मेम्बर १९०७; फैलो बंबई यूनीवार्सिटी १९१९ तक; हिस्ट्री तथा इकोनोमिक प्रोफेसर फरगूसन कालेज, मेम्बर इंडियन फिस्केल कमीशन और टेरिफ बोर्ड १९२२, लेखक—"इंडियन इंडसट्रीयल तथा इकोनोमिक प्रोबलेम्स" "इंडियन एडमिसिट्रेशन" "गोखले ऐंड इकोनोमिक रिफोर्म" "इंडियाज वार फाइनेन्स" "करन्सी रिफोर्म इन इंडिया" "कन्सटीट्यूशनेल रिफोर्मस इन इंडिया" पता—फरगूसन कालेज पूना।

कावसजी जहांगीर, सर जूनियर—ज० १८७९ शि० सेंट जेवियर कालेज बम्बई और सेंटजान्स कालेज केंमवरीज, अनेक वर्षो तक मेम्बर कारपोरेशन बंवई, प्रेसीडेंट बंवई कारपोरेशन १९१२–७, मेम्बर लेजिसलेटिव कौंसिल १९२१ पता—रेडीमनी हाउस, मलवार हिल बंवई ।

कासिम बाजार, महाराजा सर मनींद्र चद्रनन्दी के. सी. आई. ई. वाइस प्रेसीडेंट वंगाल लेंडहोल्डरस एसोसियेशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन, कुछ समय तक कौंसिल आफ

स्टेट, प्राचीन विद्या में अधिक रुचि रखते हैं, लेखक—हिस्ट्री आफ इनडियन शिपिंग एन्ड मेरीटायम, ग्रेट वैष्णव ग्रंथाज, दी इंडियन मेडीकल प्लांट इत्यादि पता—कासिमबाजार बंगाल।

क्चिलू, सैफुद्दीन डा०—बार-एट-ला, वकालत आरंभ १९१३ (रावलपिंडी); वि० १९१५; सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया १९१९; मारशल ला कमीशन (१९१९) में जन्म कैद और देश निकाले की सजा; छोड़ दिये गये (दिसंबर १९१९); वकालत छोड़ दी १९२०; असहयोग में प्रमुख भाग लिया; सेक्रटरी मुसलिम लीग १९२८; पता—अमृतसर।

क्दिवई, शेख रफीअहमद,—व्हिप कांग्रेस पार्टी लेजिसलेटिव एसेम्बली ज० १८९४; शि० अलीगढ़; ला कालेज असहयोग में छोड़ दिया १९२१; सेक्रटरी यू. पी. कांग्रेस कमेटी १९२२ क्रि. ला. एमेंडमेंट एक्ट में सजा १ साल १९२२; मेंबर लेजिसलेटिव एसेंबली १९२७; सेक्रटरी, सर्वदल सम्मेलन १९२८; पता—मसौली, बाराबंकी।

किनकेड, चार्लस अगस्टस सी. पी. ओ.—जुडीशियल कमिश्नर सिंध, ज० १८७०, आई. सी. एस, १८८९, भारतयात्रा १८९१, जिला तथा सिशन जज सतारा १९१३–१८, एडीशनल जुडीशियल कमिश्नर सिन्ध १९१८ लेखक, काठियावाड़ आउट ला, तुलसी पौधे की कहानी, (एसे ओन इंडियन सबजक्ट) दक्षिन नर्सरी कहानियां १९१४, इंडियन हीरोज १९१५; इस्तुर फकडी १९१७; भारतीय पौरानिक कहानियां १९१८; मरहठों का इतिहास; (भाग१)१९१८; पन्ढरपुर सेन्ट्स कहानियां १९१९; द्वारका में श्रीकृष्ण १९२०; हिंदू देवता १९२०; राजा विक्रमादित्य की कहानी १९२१; प्राचीन सिन्ध की कहानी, मरहठों का इतिहास (भाग २)१९२२; पता—करांची।

किशनप्रसाद, राजा,—सर, चीफ मिनिस्टर हैदराबाद निजाम; ज० २८ जनवरी १८६४, शि० निजाम कालेज हैदराबाद; मिनिस्टर सेना विभाग १८९३—१९०१; प्राईम मिनिस्टर हैदराबाद १९०१-१२; पुनः १९२७; ले० ५७ पुस्तकें फारसी, उर्दू, व मराठी पता—हैदराबाद, दक्षिण।

कीन, एम०—सी. आइ. ई. ज० १८७४; आइ. सी. एस. १८९८; टोंक तथा सिरोही राज्यों में बंदोबस्त का कार्य किया, कुछ समय चीफ सेक्रटरी गवर्मेण्ट, प्रेसीडेण्ट यू. पी. कौंसिल,

१९२३-२६, कमिश्नर, झांसी; पता—लखनऊ।

कुर्तकोटी, डा०—श्री मज्जगद्‌गुरु शंकराचार्य, शृंगेरीमठ, शि० एम. ए. (भारत) तथा पी. एच. डी. (जर्मनी), धर्म मीमांसा की शैली आधुनिक, परधर्मी मनुष्यों की आर्य-धर्म में शुद्धि को वेदोक्त बताते हैं, मिस नैन्सीमिलर अमरीकन महिला को शुद्ध किया (१९२८), पता—बंबई।

कुलकरणी, आर. के.—प्रोफेसर विक्टोरिया कालेज गवालियर; शि० एम, ए० (बम्बई) एल. एल. बी. थियासोफिकलसोसाइटी के मुख्य कार्यकर्ता, लीग आफ पेरेन्ट्स एन्ड टीचर्स के संस्थापक; अमरीका यात्रा (१९२२), शिशु शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकों के लेखक तथा प्रकाशक, अंग्रेजी तथा मराठी के उत्कृष्ट वक्ता, पता—गवालियर।

कृपलानी, प्रो०,—शि० एम. ए. प्रोफेसर बनारस यूनि०, असहयोग में नौकरी का त्याग तथा कांग्रेस का कार्य, काशी में राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक, वर्तमान कार्य खादी प्रचार, यू. पी. चरखा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता, पता—मेरठ।

कृपलानी हीरानन्द खुशीराम—आई. सी. एस. बार एट-ला, ज० २४ जनवरी १८८८, शि० एन. एच. एकाडैमी हैदराबाद (सिन्ध) डी. जे. सिन्ध कालेज कराची, तथा मेस्टन कालेज ओक्सफोर्ड, असिस्टन्ट कन्ट्रोलर तथा मजिस्ट्रेट अहमदाबाद, भड़ौच, सूरत, १९१२-१८, म्यूनिसिपल कमिश्नर सूरत १९१८ से १९२०, ताल्लुकदारी सेटिलमेंट आफीसर गुजरात १९२१, डिपटी म्यू. कमिश्नर बंबई १९२१, डिपटी गवर्नमेंट सेक्रटरी रेविन्यू डिपार्टमेन्ट १९२४-२६, एकटिंग म्यू० कमिश्नर बंबई सिटी १९२७, पता— हैदराबाद सिंध।

कुरार, जेम्स, होम मेम्बर, भारत सरकार ज० १८७७ आई. सी. एस. असिस्टेंट कलक्टर सिंध, मैनेजर इंकम्बर्ड स्टेटस सिंध, असिस्टेंट कमिशनर सिंध, डिप्टी म्यूनिसपिल कमिश्नर बम्बई, म्यू०कमिश्नर बंबई प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर बंबई, सेक्रेटरी गवरमेंट बंबई (होम डिपार्टमेंट) एकटिंग होम सेक्रेटरी भारत सरकार १९२२-२६ पता— देहली, शिमला

कृष्णकान्त, मालवीय,—बी. ए. (इलाहाबाद), मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९२२-२३, मेम्बर आल इन्डिया हिन्दू महासभा, सेक्रटरी यू. पी. इन्डिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी

(१९२६), मेंबर लेजिसलेटिव एसेंबली (१९२३-२६), लेखक—संसार संकट, वैवाहिक अत्याचार, मोरक्कों, चीन, यूनान, आदि का राजनैतिक इतिहास, भूतपूर्व संपादक "मर्यादा" मुख्य संपादक "दैनिक अभ्युदय" तथा साप्ताहिक अभ्युदय, प्रयाग, पता—अभ्युदय कार्यालय, प्रयाग।

कृष्णन, चरवरी—दीवान बहादुर, एम. ए. (Cantab) बार-एट, ला, जज हाइकोर्ट मद्रास, ज० २६ नवम्बर १८६८, वि० १८९५, शि० हाई स्कूल कनानोर, गवर्नमेन्ट कालेज कालीकट; प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, क्राइस्ट कालेज कैंब्रिज, भारत सरकार स्कोलर; तथा क्राइस्ट कालेज कैंब्रिज स्कोलर मद्रास, बार १८९१, केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट मद्रास, चीफ जज खफीफा मद्रास, फेलो मद्रास यूनीवर्सिटी, पता—सेनिस्टन पार्क हेटिंगटन रोड मद्रास।

कृष्ण, महाशय,—पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजिस्ट कार्य कर्त्ता, लाला लाजपतराय के परम मित्रों में, "प्रताप" प्रसिद्ध दैनिक उर्दू समाचारपत्र के सम्पादक, पता— लाहौर।

कृष्णमाचार्यर, वी० टी०;—राव बहादुर, दीवान बड़ौदा राज्य। ज० १८८१ शि० प्रेसीडेन्सी कालेज तथा ला कालेज मद्रास; डिपुटी कलेक्टर १९०३; चीफरेविन्यू आफिसर कोचीन स्टेट १९०८-११; अंडर सेक्रटरी गवरमेंट १९१३-१९; सौथबरो कमेटी के साथ स्पेशल डिपुटी १९१९-२२; सेक्रेटरी मद्रास गवरमेंट, पता- बड़ौदा।

कृष्णमूर्ति, जे—आर्डर आफ दी स्टार के अधिष्ठाता, अनेक थियासोफिस्ट इन्हें जगत गुरु (वर्लड टीचर) मानते हैं; ज. मदनपल्ले (मद्रास) ११ मई १८९५, शि० लंदन तथा पेरिस; मि० वेसेंन्ट तथा मि० एरंडेल के साथ बाल्यपन से रहे; १२ वर्ष की आयु में "एट दी फीट आफ दी मास्टर" पुस्तक लिखी; लेखक,-अनेक पुस्तकें; उत्कृष्ठ वक्ता तथा विद्वान; भ्रमण, यूरोप तथा अफ्रीका पता,—अदार (मद्रास), ईरडी ओमेन (हालेन्ड)।

केई जार्ज रज़बी,—एफ. आर. ए. एस. केसरे हिन्द प्रथम १९२१, क्यूरेटर ब्यूरो आफ एजूकेशन तथा भारत सरकार सेक्रटरी सेन्ट्रल एडवाजरी बोर्ड एजूकेशन, ज० १८६६, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद, प्रोफेसर म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद, लेखक–इंडियन मेथिमेटिक एस्ट्रोनोमिकल औवजरवेटरी जयसिंह (इम्पीरियल आर्कियोलोजिकलसीरीज),

हिन्द एस्ट्रोनोमी, आर्केलोजिकल मेमोआइर्स, मेथिमेटिक तथा एस्ट्रोनोमी के एतिहासिक लेख, पत्र (लीपजिग) (सिनटिया) मिलन, रोआइल एशियाटिक सोसायटी जोर्नेल, पता-शिमला।

केलकर, नरसिंह चिंतामण—जर्वलिस्ट तथा मेम्बर लेजिसलेटिव एसेंम्बली ज० २४ अगस्त १८७२(मिरज) सम्पादक, "मराठा" तथा "केसरी" स० १८९६ से; मेम्बर पूना म्युनिसिपेलटी (१५ वर्ष तक) प्रेसीडेन्ट कोसमोस एन्ड कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, प्रेसीडेन्ट महाराष्ट्र आ० कांग्रेस कमेटी १९२२, रीस्पांसिब पार्टी के संस्थापकों में लेखक, अनेक अंग्रेजी, और मराठीपुस्तकें, लोकमान टिलक की जीवनी तथा उनके पत्र (२ भाग) तथा अनेक पैराणिक नाटकों के लेखक; प्रेसीडेंट हिंदू महासभा १९२८, पता—केसरी आफिस पूना।

केला, भगवानदास,—प्रोफेसर गुरुकुल प्रेम महाविद्यालय, शि० बी० ए० तक १९१५; अर्थ शास्त्र तथा इतिहास के पंडित; लेखक,-- भारतीय शासन भारतीय निर्माण, भारतीय अर्थ शास्त्र, देश भक्त दामोदर इत्यादि, भूत पूर्व सम्पादक प्रेम, लेखक तथा प्रकाशक भारतीय ग्रन्थमाला, पता-- प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन।

कैरी, सर विलोबी लेन्जर,--के. टी १९२४, सीनियर रेजीडेन्ट पार्टनर, बर्ड एन्ड को तथा एफ. डब्लू. हीलजर्स एन्ड को. ज. १२ अक्टूबर १८७२. शि. वेलिंगटन कालेज भारत यात्रा १९०१, वाइस प्रेसीडेंन्ट बंगाल चेम्बर कामर्स १९२२; प्रेसीडेन्ट १९२३ बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल १९२०—२४, पैनेल डिप्टी प्रेसीडेन्ट १९२३-२४, शेरिफ कलकत्ता १९२४, डाइरेक्टर इम्पीरियल वेंक १९२२-२४ प्रेसीडेन्ट १९२४, मेम्बर ई. आई. रेलवे एडवाईजरी बोर्ड कमिश्नर कलकत्ता पोर्ट, ट्रस्टी विक्टोरीया मैमोरियल, तथा मेम्बर रेशियल डिस्टिंक्शन कमेटी १९२२, मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली १९२५। पता बंगाल क्लब कलकत्ता।

कोटला, ओन० राजा कुशल पाल सिंह—एम. ए. एल. एल. बी. एल. एल. डी. मेम्बर इन्डियन लेजिसलेटिव एसेम्बली, ज० १५ दिसंबर १८७२, कोटला स्टेट १९०५, मेम्बर यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल १९०९ तक, मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल, रिप्रेजेन्टेटिव लेन्डेड एरिस्टोक्रेसी आगरा प्रोविन्स १९१३, स्पेशल मजिस्ट्रेट, वाइस चेयरमेन आगरा जिला बोर्ड चेयरमेन फीरोजाबाद म्युनीसिपलटी, ट्रस्टी तथा मेम्बर मेनेजिंग कमेटी आगरा

कालेज, पता—कोटला कोर्ट पो. आ. कोटला जि० आगरा यू. पी.

कोरबेट, जी. एल, एम.—सी. आई. ई० १९२१; जुआइन्ट सेक्रटरी कमर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार. ज० ९ फरवरी १८८१ शि० ब्रोमी ग्रोव स्कूल हर्ट फोर्ड कालेज, ओक्स फोर्ड फर्स्ट कलास ओनर मैडिल १९०२ आई, सी. एस. १९०४ असिस्टेन्ट कमिशनर सी. पी १९०५-०९; सेटलमेंट आफीसर सागर १९१०-१६; डिप्टीकमिशनर सी. पी. १९१६-१८; डायरेक्टर इन्डसट्रीज तथा डिप्टी सेक्रटरी सी. पी. १९१८; सेक्रेटरी कमर्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार १९१९-२१ दक्षिण और पूर्वअफ्रीका डेपूटेशन १९२० वाशिंगटन डिसआर्मिमेंट कान्फ्रेंस १९२१ फिजी द्वीप यात्रा १९२२, डाइरेक्टर इंडसट्रीज तथा रजिष्ट्रार कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, सी. पी.,१९२३; औफिसियेटिन्ग सेक्रटरी कर्मस डिपार्टमेंट भारत सरकार १९२३-२४, पता-देहली तथा शिमला।

कोलंगोड, दी ओन० राजा वसुदेव राजा वलिया नम्बीदी— सी. आइ. ई. (१९१५) एफ. एम. यू. (१९२१) जमीदार तथा मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट ज. अक्टूबर १८७३, वि० सी कल्यानी अम्मा, पुत्री श्री० के. दामा मेनन ट्रावनकोर चीफ जस्टिस शि० राजा हाइ स्कूल कोलंगोड तथा विक्टोरिया कालेज, पाल घाट सीनियर मेम्बर तथा मैनेजर एरिस्टोकेटिक फर्मेसी वेनजानद मलाबार, दोबाराह मेंबर मद्रास लेजिसलेटिव कांसिल, रिप्रेजेटिंग लेन्ड होलडरस, के प्रतिनिधि पता—कोलंगोड मलाबार डिस्ट्रिक्ट।

कोल्हटकर, अच्युत बलवंत जन्म स्थान सातारा; बी. ए, एल एल० बी०, भूतपूर्व सम्पादक "देश सेवक" नागपुर, सम्पादक "श्रुतिबोध" वेदों का मराठी भाष्य, संस्थापक तथा सम्पादक "संदेश" व "संजय" दैनिक, मराठी के प्रसिद्ध तथा ओजस्वी लेखक, नारंगी-निशाण इत्यादि नाटक, पता—संपादक संदेश बंबई।

कोल्हापुर, सर श्री राजाराम छत्रपती महाराजा—(१९२२), जन्म ३० जुलाई १८९७, शिवाजी महाराज के वंशज, वि० १९१८ श्रीमती ताराबाई साहिब नातनी गायकबाढ़, शि० हेन्डन स्कूल, युइंग क्रिश्चियन कालेज, रिक्रीएसनस घुड़दौड़, टेनिस शिकार, पता—कोल्हापुर।

कौल, राजा, पंडित हरीकिशन मेम्बर इन्डियन टेरिफ बोर्ड १९२६ ज० १८६९; शि० गवरमेंट

कालेज लाहौर, असिस्टेन्ट कमिशनर १८९०, डिप्टी कमिशनर मैंटगोमरी १९१३; स्पेशल ड्यूटी वास्ते क्रिमनल ट्राइब्स रिपोर्ट १९१७, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन १९१९-२०, कमिशनर जलंधर डिवीजन १९२०-२३, रोआइल कमीशन सार्विस १९२३-२४; मेम्बर इकोनोमिक इनकुआइरी कमेटी १९२५; पता—१४ एवट रोड लाहौर

खडकसिंह, सरदार—बी. ए. एल. एल. बी. सिख लीडर, ज० स्यालकोट, प्रेसीडेंट सिक्ख एजूकेशनल कांफ्रेंस प्रेसीडेंट सिख लीग १९२०; प्रेसीडेंट सिख शिरोमणि गुरु द्वारा कमेटी १९२२, जेलयात्रा, पता—अमृतसर।

खलकसिंह, श्री० राजासाहब खनियाधाना, ग्वालियर रेजीडेन्सी; हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, अनेक मासिक पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते हैं; राष्ट्रीय भावों के प्रेमी; विद्वज्जनों की सहायता प्रेम तथा उत्साहपूर्वक करते हैं, पता—खनियाधाना।

खलीकुज्जमा खां, चौधरी—ज० २५ दिसम्बर १८८९, शि. बी० ए. एल. एल. बी, (अलीगढ) १९१६ असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०, मेंबर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२१, क्रिमनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट में सजा १ साल, चेयरमेन म्यू० वोर्ड १९२३-२६, लखनऊ के प्रमुख कार्यकर्ता, स्वराजिष्ट, पता—लखनऊ

ख्वाजा, अब्दुल मजीद,—बार एट ला प्रिंसपल नेशनल मुसलिम यूनीवर्सिटी शि० अलीगढ़, लन्दन, वि० नवाब सरबलन्द जंग हैदराबाद (दक्खिन) चीफ जज, वकालत अलीगढ़, असहयोग १९२१, मेंबर आल इंडिया कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटी, ६ माह जेलयात्रा, पता—नेशनल मुसलिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़।

खाडीलकर, कृष्णाजी प्रभाकर—जन्मस्थान सांगली, बी. ए. असिस्टेन्ट तथा मुख्य संपादक "केसरी" १९२१ तक (करीब २५ वर्ष तक) संस्थापक व संपादक "लोकमान्य" दैनिक १९२१; संस्थापक तथा संपादक "नवाकाल" दैनिक बंबई। मराठी के प्रसिद्ध नाटक लेखक—"कांचन गडची मोहना" कीचक वध भाऊ बंदकी सत्वपरीक्षा, मानापमान, इत्यादि, पता—संपादक दैनिक नवाकाल बम्बई।

खापरडे, जी. एस.—मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट एडवोकेट, ज. १८८५ शि० बरार तथा बंबई, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर १८८५-८९, वकालत फिर आरंभ करदी, वाइस चेयरमेन अमरावती

म्युनिसपेलटी ११ वर्ष तक, मेम्बर पुरानी लेजिसलेटिव कौंसिल स्वागताध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस (अमरावती) १८९८, वाइसप्रेसीडेन्ट इंडियन होमरूल लीग १९१८, मेंबर होमरूल डेपूटेशन इंगलैंड १९१९, बरार में राष्ट्रीय शिक्षा समिति के संस्थापक, लोकमान्य तिलक के सहयोगी, पता—अमरावती, बरार।

खां, शफायत अहमद—बी. ए. फर्स्ट क्लास ओनर हिस्ट्री १९१४, डी. लिट १९१९, ट्रीनिटी कालेज डवलिन यूनीवर्सिटी प्रोफेसर मोर्डन इंडियन हिस्ट्री इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, ज० फरवरी १८९३, शि० गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादाबाद, सिडनी ससेक्स कालेज केंब्रिज, ट्रीनिटी कालेज डवलिन तथा लंदन यूनीवर्सिटी, लेक्चरर लंदन काउंटी कौंसिल १९१७–१९, तथा रोआइल हिस्ट्री सोसायटी लंदन १९१९, स्कूल ओरिंटियल स्टडीज तथा किंग्स कालेज युनिवर्सिटी लंदन में अनेक व्याख्यान दिये गये १९१९-२० एम. एल. सी, मुरादाबाद यू. पी. १९२४ तक, गवाही रिफार्म कमेटी के सन्मुख दी १९२४, इकोनोमिक इन्कुआरी कमेटी १९२५ तथा यू. पी, की अन्य कमेटियों में शामिल रहे, प्रेसीडेंट प्रांतीय मुसलिम शिक्षा परिषद इलाहाबाद १९२५, फैक्क फै. डर तथा संपादक १९२५ तक इंडियन हिस्ट्री जनरल एंग्लोपोर्चगीज नेगोशियेशनस बंबई १६६७–१६७३ की पुस्तकें सन १९२३में प्रकाशित कीं. ईस्टइंडियन ट्रेड सतरहवीं सदी १९२४, ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री सारसेज १७ वीं सदी १९२६. "आइडियलस तथा रिअलिटीज" मद्रास में १९२० में प्रकाशित कीं। सोर्स इन्डियन करन्सी तथा बैंकिंग तथा इंगलिश एजूकेशन १६८९–१७५० १ भाग मद्रास में प्रकाशित किया जिसमें दो विभाग हैं पहले में इंडियन करन्सी तथा बैंकिंग दूसरेमें अंग्रेजी एजूकेशन १६८९-१७५०, पता-यूनीवर्सिटी इलाहाबाद।

खेतान, देवीप्रसाद—मेम्बर बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल; ज० १८८८ सोलिसिटर कलकत्ता हाइकोर्ट १९११, प्रेसीडेंट, चेम्बर इंडियन मर्चेंट्स कलकत्ता प्रेसीडेंट, एन्टी-इन्डेनचर्ड एमीग्रेशन लीग १९१२; सेक्रटरी मारवाडी एसोसियेशन (१९२२), कमिश्नर, कलकत्ता कोरपोरेशन; मेम्बर, लेजिसलेटिव कौंसिल १९२२-२६, बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज बंगाल १९२२-एडवाइजर, इंटर नेशनल लेवर कांफ्रेंस १९२८, पता,—केंनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता।

खेर, श्रीमंत आत्मारामगोविंद—रईस गुरसराय, चेयरमैन म्यूनिसिपल

बोर्ड झांसी। ज० १८९४, शि० बी. ए. एल. एल. बी. १९१९. श्रीमन्त आत्माराम बाबा साहेब खेर राजा गुरसराय के पौत्र तथा राजा गोविन्दपन्त (बुंदेले) जालौन के वंशज, असहयोग में वकालत त्याग की १९२१, कांग्रेस के अनुयायी, चेयरमैन म्यूनिसिपेल बोर्ड, प्रथम वार १९२३–२६, द्वितीय वार १९२६–२८, तृतीय वार १९२८, इनको तथा पं० र. वि. धुलेकर को मसजिद के सामने बाजा बजाने संबंधी पुलिस द्वारा मनाई के हुकुम को न मानने पर ६ माह कैद सख्त और ५०० रु० जुरमाना (१९२३), अपील पर दोनों छूट गये, यू. पी. सरकार की अपील पर १ माह सादी कैद और ५०० रुपया जुरमाना की सजा (१९२४), १० वें दिन सरकार ने स्वयं दोनों को छोड़ दिया, मेंबर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनेक बार, स्वागताध्यक्ष, द्वितीय बृहन्महाराष्ट्र परिषद १९२५, पता—झांसी।

गंगाप्रसादसिंह, आखौरी—विशारद ज० कार्तिक सं० १९५८, भूतपूर्व सहायक सम्पादक "विश्व दूत" (कलकत्ता), सम्पादक 'भारत जीवन' काशी, सभासद नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, जमींदार; लेखक—हिन्दी के मुसलमान कवि, देवदास, अभागिनी, माधुरी, मित्र, दाम्पत्यजीवन, गीता प्रदीप आदि, पता—काशी।

गंगोली नगेंद्रनाथ—प्रोफेसर, कृषिविज्ञान और ग्राम अर्थ शास्त्र, कलकत्ता वि. वि.; मेंबर भारतीय रायल कृषि कमीशन; विवाह, विश्वविख्यात कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सब से छोटी पुत्री के साथ; शि०-कलकत्ता इलिनोइ और लंडन; कुछ समय तक कृषि बैंक के डायरेक्टर। प्रकाशन, प्रोबलेम्स आफ इंडियन एग्रीलचर पता—बालीगंज, सरकुलर रोड, कलकत्ता।

गंगोली, सुप्रकाश—श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर के भतीजे, आर्टिष्ट और बड़ोदा के म्यूजयम और आर्ट गैलरी के संयोजक, ज० १८६०, शि० डेवटन कालेज, कलकत्ता तथा योरोप, उच्च कलाओं तथा पुरातत्व की शिक्षा के लिये इम्पीरियल पुरातत्व शोधक विभाग में अस्थायी पद पर ६ वर्ष व्यतीत किये। बंगाल, विहार और उड़ीसा और आसाम और छोटा नागपुर के प्रांतों में भ्रमण कर के प्राचीन समय के चित्र लिये और उनकी सूची बनाई और इंडियन म्यूजियम कलकत्ता तथा उसकी शाखाओं में भारत की प्राचीन लिपि और खुदाई वगैरह को कारीगरी का अध्ययन किया, पता—पुष्पबाग, बड़ोदा।

ग़ज़नवी, अब्दुलहलीम अब्दुल हुसेन—मेम्बर लेजि० असेम्बली;

सेन्ट जेवियर कालेज, कलकत्ता; मेम्बर मैमन सिंह म्यु० बोर्ड० चेयरमेन ननगेल म्युनिसपल्टी; सन लाख और जूट का विदेश से व्यापार। पता—१८ कैनल स्ट्रीट अंटाली कलकत्ता।

ग़ज़नवी, ए० के० अबूअहमद ख़ाँ—जमीदार; ज० १८७२, १२ वर्ष की उम्र से शिक्षा के लिये आक्स फर्ड, जेनीवा और म्यूनिच के विश्वविद्यालयों में रहे। कई वर्षों तक मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेमनसिंह, मेंबर बंगाल लेजि० कौंसिल, मेम्बर इम्पीरियल लेजि० कौंसिल, मिनिस्टर बंगाल सरकार, १९२४; पुनः मिनिस्टर बनाये गये १९२७, राजनैतिक कारणों से हेजाज पैलेस्टाइन और सीरिया गये, १९१३; हज यात्रा की, १९१३; लंडन में नेशनल इंडियन क्रिकेट क्लब कायम किया, १८८९, इन की खोज जो बंगाल के मुसलमानों के संबन्ध की थी, बंगाल की मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट में शामिल की गई (१९००), पता—नार्थ हाउस. मैमनसिंह।

गजेन्द्रगड़कर, अश्वत्थामा बलाचार्य—ज० १ अक्तूबर १७९२, शि० एम० ए० पी. एच. डी., एम. आर. ए. एस., लेखक अनेक पुस्तकें "शाकुन्तल" "हर्ष चरित" आदि, प्रोफेसर संस्कृत, एलफिन्स्टन कालेज; बंबई।

गज्जनसिंह, सरदार बहादुर, ओ बी० ई०— ज० १८६४ वकील (१८८४--१९१०), मजिस्ट्रेट और मेम्बर पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल; जर्मन युद्ध में अनेक इनामें सरकार से मिलीं, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेंबली, पता लुधियाना।

गणेशप्रसाद, डा.—एम. ए. डी. एस. सी. एम. एल. सी. (इलाहाबाद यूनीवर्सिटी) हार्डिन्ज प्रोफेसर हायर मेथिमेटिक्स कलकत्ता यूनीवर्सिटी, लाइफ प्रेसीडेन्ट बनारस मेथिमेटीकिल सोसाइटी, वेटरन इलाहाबाद यूनीवर्सिटी मेथिमेटिक एसोसियेसन, ज. १५ नौम्बर १८७६ शि० बलिया, इलाहाबाद केमब्रिज, गोटिन्जन; कोर्ट मेम्बर कौंसिल तथा सिनेट यूनीवर्सिटी (१९२४), मेम्बर एक्जीक्यूटिव, तथा एकिडिमिक कौंसिल, तथा साइन्स फेकल्टी इलाहाबाद यूनीवर्सिटी फैलो कलकत्ता, यूनीवर्सिटी तथा वाइस प्रेसीडेन्ट, इंडियन एसोसियेसन साइन्स कल्टीवेशन लेखक, "कोन्सटीटयूशन आफ मेटर" तथा एनालिटीकल थियोरीज आफ हीट (बरलिन १९०३) टैक्स्ट बुक्स, तथा अन्य वैज्ञानिक पुस्तकें पता--कोरपोरेशन स्ट्रीट कलकत्ता।

गणेशशंकर विद्यार्थी,—ज० १९४७ सं०, उच्च कोटि के हिन्दी

लेखक तथा विद्वान; "प्रताप" की स्थापना १९१३; वीरपालसिंह ताल्लुकेदार परताप गढ़ ने मानहानि का मुकदमा प्रताप पर चलाया उसमें २७,००० रुपया खर्च हुआ, जेलयात्रा १९२१-२२; बडे वीर तथा योग्य जर्नलिस्ट; मेम्बर आलइंडिया कांग्रेस कमेटी, तथा मेम्बर यू० पी० कौंसिल (स्वराजिस्ट); सम्पादक "प्रताप" कानपुर १९१३ से, पता—कानपुर।

गर्दे, लक्ष्मण नारायण— हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, तथा सम्पादक अनेक समाचार पत्रों के (संपादक) भूतपूर्व संपादक 'भारतमित्र' हिन्दू संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता; लेखक सरल गीता हिन्दुत्व इत्यादि, कलकत्ता कांग्रेस में प्रमुख कार्य कर्ता, वर्तमान संपादक, "श्री कृष्ण संदेश, पता— कलकत्ता।

गांधी मोहनदास करमचन्द— (महात्मा) असहयोग आन्दोलन के विधाता; जन्म २ अक्टोवर १८६९। विवाहित हैं आर ४ लड़के हैं। पिता पोरबन्दर राज्य के २५ वर्षों तक दीवान रहे। वचपन में गांधी जी को स्कूल की अन्तिम शिक्षा राजाकोट और भावानगर में दिलाई गई और बाद में वे आगे की शिक्षा के लिये इंगलैंड भेजे गये। वैरिस्टर हो कर के उन्हों ने वकालत वम्बई और काठियावाड़ में की। एक खास मुकद्दमे के सम्बंध में उन्हें दक्षिणी अफ्रीका जाना पडा। वहां उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के वाशिन्दों के साथ बडा दुर्व्यवहार किया जाता है। वे जमीन के मालिक नहीं हो सकते, परेशान किये जाते हैं और तरह २ की बाधायें उनके सामने उपस्थित की जाती हैं। उसी समय वहां महात्मा गांधी ने अपने देश वासियों का पक्ष लेकर बड़े जोर शोर से उनके हकों के लिए आंदोलन शुरू किया वे उन लोगों के रक्षक बने और उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार किया। किन्तु इसी बीच में बार युद्ध (१८९९--१९०२) प्रारंभ हुआ और गांधीजी ने अंग्रेजों की सहायता की जुल रिवोलट नेटाल में हुआ गांधीजी ने अस्पताली सेना तैयार की और स्वयं भी अग्रसर हुये। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति हो जाने पर उन्होंने पुनः अपने सत्याग्रह (Passive Resistance) विचारों का प्रचार किया। वे और उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे सब जेल में डाल दिये गये।

यूरोपके महायुद्ध(१९१४)के प्रारंभ होने के समय से दो वर्ष बाद तक गांधी जी बिटिश राज्य के इतने बड़े भक्त बने रहे जितना कि सम्राट का अधिक से अधिक हितैषी अंग्रेजी प्रजा का कोई

व्यक्ति हो सकता था। उन्हों ने घोर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना की सेवायें की थीं, एक बार घायल हुए थे और उनके सेवाओं का वर्णन खलीतों में भी किया गया था। यूरोप के महायुद्ध के प्रारंभ होने के समय वे लंडन में थे। वहां उन्हों ने उसी समय इंगलिश युनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले २५० हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों का एक वालिंटियर कोर बनाया जो विना किसी वेतन के हर प्रकार से सेवायें करने को तैयार हुए थे। बीमारी के कारण गांधी जी हिन्दुस्तान लौट आये और यहां आकर अच्छे हुए। १९१८ में बड़े विपत्ति जनक समय में गांधी जी ने फौज की नई भरती के काम में अपने आपको लगाया और इतनी शक्ति से काम किया कि ९ महीने की भरती की तादाद ७ महीने में ही पूरी हो गई। गांधी जी ने खेड़ा प्रांत में किसानों का सत्याग्रह चलाया और पटना प्रदेश में निलहा साहिबों के विरुद्ध दिया और दोनों में सफलता प्राप्त की।

१९१९ के रौलट एक्ट ने भारत में आग लगा दी और उसी से पंजाब में घोर अशांति हुई और डायर के हत्याकारणी और भयङ्कर मारकाट के कर्म हुए। इसी के साथ ही खिलाफत का झगड़ा भी खड़ा हुआ १९१९, गांधी जी का विश्वास इन सब वातों से भारत के अंग्रेजी राज्य प्रवन्ध पर से एक दम हट गया और उन्हों ने भारत में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया (१९२०) जो १९२०-२२ तक चला

महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते हैं। सत्याग्रह आश्रम "नवजीवन" (हिन्दी गुजराथी) तथा "यंग इंडिया" (अंग्रेजी) पत्रों के संस्थापक। जेलयात्रा (मार्च १९२२–४ फरवरी १९२४), प्रेसीडेंट, राष्ट्रीय कांग्रेस (१९२५), पता—सत्याग्रह आश्रम, सावरमती, अहमदावाद।

गिडनी, लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी अलबर्ट जान—मेम्वर लेजि० असेम्वली, जन्म- १८७३; शिक्षा कलकत्ता, डिनवरा, लंडन, केम्ब्रिज, आक्सफर्ड; इंडियन मेडीकल सरविस में सम्मिलित हुए, १८९८; चीन की चढ़ाई में सेवा की १९००–१; नार्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर में घायल हुए, १९१४-१५ सदस्य बम्बई कारपोरेशन, १९१८-२१; सभापति एंग्लो इंडियनों और भारत में वस जाने वाले यूरोपियनों की सभा के; सदस्य जातिगत भेद निर्णायक कमेटी; इंग्लैंड भेजने के लिए एंग्लो इन्डियनों का डेपुटेशन बनाया, १९२५; मनोरंजन मुष्टयुद्ध, क्रिकेट, और विलयर्ड के खेल पता—थियेटर रोड कलकत्ता।

गिडवानी, असुदोमल टेकचन्द—वाइस चेंसलर गुजरात राष्ट्रीय

विद्यापीठ, १९२१-२३; जन्म ११ सितम्बर १८९० हैदराबाद में; शि०-सिंध और एलफिंस्टन कालेज, बम्बई; म्योर सेंट्रल कालेज इलाहाबाद में अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर; महाराजा बीकानेर के प्राइवेट सेक्रेटरी; प्रिंसिपल रामजस कालेज, देहली; प्रिंसिपल गुजरात महाविद्यालय, १९२०; वाइस चांसलर १९२१; नाभा में ब्रिटिश प्रबन्धक द्वारा गिरफ्तारी, १९२३। पता----गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद।

गुप्त कृष्णगोविंद, सर,--के.सी. एस. आइ. बार एट ला (१८७३), भूतपूर्व आइ. सी. एस.; ज० १८५१. आइ. सी. एस० (१८९३) अनेक सरकारी पदों पर रहे, मेम्बर बोर्ड आफ रेविन्यू, (१९०४) मेम्बर; इंडियन एकसाइज कमेटी (१९०५); यूरोप और अम्रीका यात्रा सरकार की ओर से फिशरी की जांच के लिये (१९०७) इंडिया कौंसिल के प्रथम भारतीय सदस्य; (१९०७) रिटायर्ड(१९१५) पता— नागपुर।

गुप्त वैद्य कृष्णदत्त कुष्टरोग चिकित्सक, आपने कुष्टरोग से ग्रसित रोगियों के संबंध में बहुत कुछ अनुसंधान किया है, इसी विषय पर अनेक लेख पत्रों में प्रकाशित करते हैं; कुष्टरोग आश्रम कटनी में खोल रक्खा है; बड़े दयालु तथा स्वार्थ त्यागी वैद्य;लेखक भारत कुष्ट रोग समस्या,-पता—कटनी

गुप्त, देशबन्धु—जर्नलिस्ट तथा कांग्रेस कार्यकर्ता, ज. १९०१, शि. आर्य स्कूल अम्बाला; सेंट स्टीफन्स कालेज दिल्ली; असहयोग में शिक्षा त्याग, तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स मे विद्याध्ययन १९२१-२२, दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री १९२१; जेलयात्रा १९२१-२२; संस्थापक तथा सम्पादक "तेज" दैनिक पत्र; लेखों के कारण १५३ अ० पीनलकोड में एक साल की सजा परन्तु ४मास में मुक्त हुये; प्रांतीय हिन्दू सभा दिल्ली के संस्थापकों में; स्वामी श्रद्धानंद के कृपा पात्र ;सदस्य, अ० भा० हिन्दू सभा की कार्यकारिणी समिति, आ० इं० कांग्रेसकमेटी, आ० इं० स्वामी श्रद्धानंद मेमोरियल ट्रस्ट; सोल डाइरेक्टर तेज दैनिक; पता "तेज" कार्यालय दिल्ली।

गुप्त बाबू शिवप्रसाद,—बनारस के प्रसिद्ध दानवीर तथा देशभक्त; ज० अषाढ कृ० ८ सं १९०० शि० बी. ए. (चतुर्थ वर्ष तक), राजनैतिक आंदोलन में प्रवेश (१९०४-०५), विदेश यात्रा के लिये प्रस्थान बंबई से ८ मई १९१४; जगत का भ्रमण, मिश्र १५ दिन, इंगलैंड व आयरलैंड ६ मास; अम्रीका ६ मास; जापान ढाई मास; कोरिया व चीन २ मास, इसी भ्रमण मे

सिंगापुर की जेल में ३ मास रहना पड़ा, जर्मन युद्ध छिड़ने से पूरे यूरोप की यात्रा न हो सकी; काशी विद्या पीठ (राष्ट्रीय संस्था) के मुख्य संस्थापक तथा सहायक (स्थापना, माघ शु० २ सं० १९७७) विद्यापीठ के लिये इतनी सम्पति अर्पण की है जिसकी वार्षिक उत्पत्ति लगभग ६०००० रुपया है, ज्ञानमण्डल के संस्थापक तथा संचालक (स्था०१९१८) संस्थापक, दैनिक पत्र "आज" कृष्ण जन्माष्टमी १९७७ (असहयोग आंदोलन का आरंभ दिवस) भारतमाता के मंदिर की नींव चैत्र शुक्ल १ सं १९८४ को २४ लक्ष गायत्रीजप तथा दशांग हवन इत्यादिकी समाप्ति पर रक्खी। इस मंदिर में ३० फुट लम्बा और ३० फुट चौड़ा संगमरमर पत्थर पर भारत का चित्र (Relief map)जिसमें वृहत्तर भारतके कुछ कुछ भाग भी सम्मलित हैं लगाया जायगा। लागत अभी तक १२,००० रुपया लग चुकी है और २-३ हजार लगेगी। मंदिर में लगभग५०,००० हजार रुपया लगेगा। कुल लागत १ लाख रुपया होगी; हिन्दी भाषा के कट्टर भक्त, तथा भारत माता के सच्चे सेवक; असहयोग में पूर्ण भाग लिया; प्रेसीडेंट प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (१९२७-२८); लेखक, पृथिरी प्रदक्षिणा, पता—बनारस।

गुप्त, मैथिलीशरण,—हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि, अनेक वर्षों से "सरस्वती" तथा अनेक मासिक पत्रों में कविता प्रकाशित होती हैं; अनेक पुस्तकों के लेखक, "भारत-भारती" "जयद्रथ वध" "चन्द्रहास" "तिलोत्तमा "पलासी का युद्ध" इत्यादि, पता—चिरगांव, झांसी।

गुरुदत्तसिंह (बाबा)—प्रसिद्ध कोमा ग.टामारू जहाज की यात्रा की व्यवस्था करने वाले, अमृतसर जिले के एक गांव में पैदा हुये जहां आपकी कुछ एकड़ जमीन भी है, कई वर्षों पहले भारत से विदेशों में रहने और व्यवसाय करने के लिए गये और सिंगापुर और मलाय स्टेट्स में ठेकेदारीका काम किया। व्यवसाय के लिए विदेश जाने वाले सिक्खों के लिए लडे जिन्हें आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलता था और एक जहाजी कम्पनी स्थापित करना निश्चय किया। भारत के मजदूरों को तथा उनके व्यवसाय की उन्नति की चिंता में ही सर्वदा व्यस्त रहे। प्रारम्भिक अनुभव के लिये ६ महीनें को एक जहाज ठेके पर लिया। १९१४ में 'कोमागाटामारु' की भयङ्कर घटना के बाद बहुत दिनों तक अपने आप को छिपाये रक्खा और पोलिस से १९२२ तक बचते रहे और इसके बाद अपनें आप जा कर गिरफतार हुये और कैद में डाले गये। पता-अमृतसर।

गुलाबसिंह सरदार—मैनेजिंग डाइरेक्टर पंजाब जमीदार बैंक लिमि० लायलपुर, ज० १८६६, मेम्बर लायलपुर म्यूनिसिपेलटी तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड अनेक वर्षो तक, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२०-२६, पता,—लायलपुर, पंजाब

गोखले, डी० बी०—शि. बी. ए० एल. एल. बी.; कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्पादक "मराठा" १९१९ से, पता—पूना ।

गोंडल, महाराजा श्रीभगवन्त सिंह जी—जन्म १८६५; शि० राजकुमार कालेज, राजकोट और एडिनबरा, बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा अपने राज्य में अनिवार्य करने वाले सब से प्रथम देशी नरेश। मनोरंजन, मोटर चलाना; भ्रमण-यूरोप अमरीका, आष्ट्रेलिया और जापान; प्रकाशन-जरनल आफ विजिट टु इंग्लेंड, हिस्ट्री आफ आर्यन मेडीकल साइंस। पता—हुजूर बंगला, गोंडल ।

गोपालराम,—सम्पादक "जासूस गहमर,— हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक, लेखनी बडी ओजस्वी तथा रोचक, करीब ६० पुस्तकें जासूसी विषय की लिखीं; "जासूस" मासिक पत्रके संस्थापक तथा संपादक आरंभ से, आरंभिक जीवन में पुलिस में नौकरी पता,- गहमर

गोविंदानन्द, (स्वामी)—जन्म १८८८ हैदराबाद (सिंध) में, बम्बई विश्व वि० से ग्रेजुएट हुए, एम. ए. पास करने के बाद मुजफ्फरपुर, नागपुर और बांकीपुर के कालेजों में प्रोफेसर रहे, यूरोप के महायुद्ध के प्रारंभ में जापान जाने के लिए जहाज से रवाने हुए, कोमा गाटामारू जहाज वाले मामले में पकड़े गये, (१९१४), विना मुकद्दमा चलाये ही जेल में कैद रहे१९१८ तक, छूटने पर हैदराबाद (सिन्ध) में ही रहने की आज्ञा हुई । पर, यह आज्ञा १९१९ में हटा ली गई। असहयोग आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया और सजा पाई, छूटने के बाद सिंधी दैनिक पत्र 'केसरी' प्रकाशित किया सभापति राज-नैतिक पीड़ित कानफ्रेंस कानपुर, १९२६, पता—मनसुखानी लेन, हैदराबाद (सिंध)

गोस्वामी, तुलसी चरण—प्रसिद्ध असहयोगी, जमीदार, मेम्बर लेजि० असेम्बली, १९२३ से। जन्म १८९८, शि० कलकत्ता, आक्सफर्ड और पेरिस, वि० मुक्त ग.छा. के राजा की पुत्री के साथ। पता—राजवाडी, बहरामपुर, रैनी पार्क, बालीगंज, कलकत्ता कामाक्षी बनारस ।

गोशेन, वाइकांउट जार्ज गोशेन आफ हाकहर्स्ट—गवर्नर

मद्रास १९२४ से, जन्म १८६६, शि. रगबी और बेलियल कालेज आक्सफोर्ड, न्यू साउथ वेल्स के गवरनर के प्राइवेट सेक्रटरी रहे और सेना संचालन विभाग में अपने पिता के अवैतनिक सेक्रटरी रहे, सदस्य किंग्स बेंच संबंधी रायल कमीशन १९१२, बोर्ड आफ एग्रीकलचर में संयुक्त पारलियामेंटरी सेक्रटरी १९१८, मेम्बर पार्लियामेंट ससेक्स की ओर से १८९५-१९००, लार्ड राबर्टस कमान्डर-इन-चीफ के ए. डी.सी., आनरेरी कर्नल और लेफ्टि. कर्नल, उच्च पदवी प्राप्त। पता--गवरमेंट हाउस, मद्रास।

गौड़, सर हरीसिंह—मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली, बैरिस्टर जन्म १८७२, शि० एम. ए. एल. एल. डी. (कैम्ब्रिज) एल. एल. डी. डबलिन डी. सी. एल. (आक्सफर्ड) चेयरमैन नागपुर म्युनिसिपैल्टी १९१८--२२, प्रथम वाइस चांसलर देहली यूनि०, नागपुर बार एसोसियेशन के सभापति। प्रकाशन-ला आफ ट्रान्सफर इन ब्रिटिश इंडिया, पेनल ला आफ ब्रिटिश इंडिया हिन्दू कोड, हिज ओनली लव, स्पिरिट आफ बुद्धिज्म, स्टैपिंग वेस्ट वार्ड आदि २। पता—नागपुर।

घोष, अरविन्द--जन्म-कलकत्ते में १५ अगस्त, १८७२, शि० सेंट पाल स्कूल दार्जिलिंग और इंगलैंड सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल हुये, पठन-पाठन की परीक्षा में पास हुये पर घुड़-सवारी में फेल हो गये १८९०, किंग्ज कालेज कैम्ब्रिज में भरती हुये और ग्रेजुयेट हुये १८९२, बडोदा राज्य में नौकरी की और उसमें १२ वर्ष तक रहे। नेशनल कालेज कलकत्ता के प्रिंसिपल १९०६, सम्पादक 'बन्देमातरम्' राजविद्रोह में पकड़े गये किंतु बरी हो गये, राष्ट्रीय आन्दोलन में मुख्य भाग लिया १९०७, विद्रोह करने और षडयन्त्र बनाने के अपराध में गिरफ्तार हुये १९०८, १ वर्ष तक लगातार मुकद्दमा चलने के बाद जब निर्दोष सिद्ध हुये तब छोड़ दिये गये, आज कल वे पाँडिचेरी में रह कर योगी का जीवन बिता रहे हैं। प्रकाशक-सुपरमैन ईशोपनिषद, आइडियल आफ कर्मयोगिन, योग एंड इटस ओरिजिन, मैन आफ इंडिया, योगसाधना, लव एंड डेथ आदि २। पता—पांडिचेरी।

घोष, हेमेन्द्रप्रसाद—सम्पादक 'बसुमती' ज० १८७६, शि० कलकत्ता वि० वि०, सदस्य 'बन्देमातरम्' सम्पादकीय संघ १९०७, मेम्बर मैसोपोटेमिया जाने वाली प्रेस डेपुटेशन के १९१७,

बंगला भाषा की लगभग १ दर्जन पुस्तकों के लेखक। पता—१०६।२, शाम बाजार स्ट्रीट कलकत्ता।

घोषाल, श्रीमती सुवर्ण कुमारी देवी—भारत में प्रथम स्त्री पत्र सम्पादिका, स्व० महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की कन्या, जन्म १८५७, २० वर्ष की अवस्था के पहले ही एक उपन्यास लिखा जिसमें अपना नाम नहीं दिया, इसके अनन्तर शीघ्र ही 'भारती' की सम्पादिका हुई, विधवा आश्रम स्थापित किया, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, इनकी कुछ पुस्तकें अनुवादित होकर इंगलैंड में भी प्रकाशित हुई हैं पता—ओल्ड बेली गंज रोड कलकत्ता।

चक्रवर्ती; बी०—एडवोकेट कलकत्ता हाईकोर्ट; ज० १८६१, शि० कलकत्ता वि० वि० के एम. ए., कृषि सम्बन्धी छात्रवृत्ति (१० हजार रु० की) पा कर इंगलैंड गये और वहां कृषिविज्ञान की परिक्षा और बैरिस्टरी पास की, कलकौशल और व्यापार के अनेक कारबारों से सम्बन्ध, अनेक वर्षों तक बंगाल कौंसिल के सदस्य, बंगाल सरकार के मन्त्री, १९२७। पता--कलकत्ता।

चटर्जी, रामानन्द—सम्पादक माडर्न रिव्यू' और 'प्रवासी' ज० १८६५ विश्वविद्यालय की सब परीक्षायें बड़ी योग्यता के साथ पास की और सभी में छात्रवृति प्राप्त की, बी. ए. १८८७, सिटी कालेज कलकत्ता में अंग्रेजी के प्रोफेसर १८८७–९५, प्रिंसिपल कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद १८९५–१९०६, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के फेलो, यू. पी. की ऐंटि इंडियन टेम्परेंस एसोसियेशन के कुछ समय तक सदस्य, यू. पी. की माध्यमिक शिक्षा सुधार कमेटी के सदस्य, साधारण ब्रह्म---समाज के सभापति, 'दासी' 'प्रदीप' 'धर्म बन्धु' का सम्पादन किया, भारतीय पत्र--कला में नियमित रूप से तिरङ्गी छपाई का क्रम प्रारम्भ किया, प्रथम भारतीय पत्र–सम्पादक जो राष्ट्रसंघ के पूरे अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिये संघ द्वारा निमन्त्रित किये गये १९२६, प्रकाशन--राजाराममोहनराय और 'नवीन भारत' 'होमरूल की ओर' चटर्जी चित्र--संग्रह (एल. बम) १८ जिल्दें 'विशाल भारत' हिन्दी मासिक के अधिष्ठाता, पता-माडर्न रिव्यू आफिस कलकत्ता।

चटर्जी, लेडी ग्लेडीस मेरी, O. B. E.—जन्म उज्जैन शि० यूनिवर्सिटी कालेज लन्दन, लन्दन स्कूल आफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिक्स, फिलासफी में M. A. (लण्डन)

एकोनोमी में D. Sc. (लण्डन), बि० सर अतुलचन्द चटर्जी के साथ, १९२४; लन्दन के बोर्ड आफ ट्रेड में अन्वेषणकर्त्री, मध्य प्रान्त के स्कूलों के मुख्य इन्सपेक्टर, लन्दन की मिनिस्ट्री आफ म्यूनिशन्स के स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सुपरिटेण्डेण्ट, स्त्रियों और बच्चों की मजदूरी के सम्बन्ध में इंडियन गवर्नमेंट की सलाहकार (१९२०-१९२२। पता —१३१, एशे गार्डन्स, लन्दन, S. W.

चटर्जी, सर अतुलचन्द्र—हिन्दुस्तान के हाइ कमिश्नर, ज० १८७४ शि० प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता किंग्स कालेज, कैम्ब्रिज, आई. सी. एस. परिक्षा में फर्स्ट १८९६, भावनगर मेडल प्राप्त (कैम्ब्रिज वि० वि० में) १८८७, यू. पी. की कोपरेटिव सोसाईटियों के रजिष्ट्रार यू. पी. के रेवेन्यू सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आफ इंडिया के इंडस्ट्रीज और मिलिटरी स्टोर बोर्ड के मेम्बर, भारत सरकार के इंडस्ट्रीज बिभाग के सेक्रेटरी और वाइसराय की कौन्सिल के औद्योगिक बिभाग के सदस्य अन्तरराष्ट्रीय मजदूर कानफरेंस वाशिंगटन में भारत सरकार के प्रतिनिधि १९१९, जेनेवा में प्रतिनिधि १९२१, १९२४, १९२५, १९२६, अन्तर राष्ट्रिय मजदूर कानफरेंस के सभापति १९२७ और उस के कार्यालय की प्रवन्धकारिणी समिति के सदस्य १९२६, राष्ट्रसंघ की बैठक में भारत के प्रतिनिधि १९२५, साम्राज्य आर्थिक संरक्षण कमेटी के मेम्बर। रचना—नोट्स आन इण्डस्ट्रीज़ आफ यू० पी०; मासिक पत्रों और कितने ही पत्रों में लेख। पता—४२, ग्रासवेनर गार्डन, लन्दन S. W.

चन्दा, कामिनी कुमार—एडवोकेट ज० १८६४, रायवहादुर की पदवी अस्वीकृत की १८८४, सिलचर म्यु० वो० के प्रथम गैर-सरकारी चेयरमैन, कांग्रेस में प्रवेश १८८६, सूरत में पृथक हुये, लखनऊ (१९१६) में पुनः शामिल हुये, प्रथम सुरमाघाटी कांग्रेस के सभापति। कुछ समय तक मेम्बर इम्पीरियल लेजि० कौंसिल पता—सिलचर आसाम।

चन्द्र, निर्मल चन्द्र—सोलिसिटर और जमींदार, ज० १८८८, एम. ए. और बी. एल. कलकत्ता वि० वि० म्युनिसिपल मेम्बर कलकत्ता, १९२३-२६, मेम्बर बंगाल, ले० कौंसिल मेम्बर लेजि० एसेम्बली १९२७, मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने १९१९ से। पता—२३ वेलिङ्गटन स्ट्रीट कलकत्ता।

चमनलाल, दीवान—एडवोकेट हाई कोर्ट, लाहौर और मेम्बर लेजि० एसेम्बली, ज० १८९२, शि० गोर्डन मिशन कालेज, रावलपिंडी, फोकरहोन लंदन तथा पैरिस में, बैरिस्टरी १९१०, कानून में आनर्स डिगरी जेसस कालेज आक्सफर्ड से प्राप्त की, १९१७, जेनरल एडीटर 'कोटेरी' कला और साहित्य विषयक त्रैमासिक पत्र लंदन, सहायक सम्पादक बाम्बे क्रानिकल १९२०, ट्रेडयूनियन कांग्रेस स्थापित की १९२० नेशनल को जन्म दिया १९२३, अन्तर राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेंस में प्रतिनिधि १९२५, ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि १९२६, सभापति ट्रेड यूनियन कांग्रेस १९२७, पता—लाहौर।

चिंतामणि.सी. वाय.—सम्पादक लीडर इलाहाबाद, जन्म विजयनगरम १८८०, शि० महाराजा कालेज, विजयनगरम, सम्पादक विजग स्पेक्टेटर १८९८ इंडियन हेरल्ड १८९९-१९००, मदरास स्टेंडर्ड में सहायक सम्पादक हुए, १९०१ 'इंडियन पीपुल, में सम्पादक १९०३-१९०५, मन्त्री प्रथम इंडियन इंडसट्रीयल कान्फ्रेन्स १९१५ नर्मदल के इंगलैंड जाने वाले डेपूटेशन के मेम्बर १९१९, सभापति अखिल भारतीय लिबरल कांनफ्रेन्स, १९२०, मिनिस्टर यू० पी० गवरमेंट, १९२१-२३, सम्पादक इंडियन डेली मेल १९२५, सदस्य, यू० पी० कौंसिल। पता—साउथ रोड इलाहाबाद।

चिटणीस, सर गङ्गाधर माधव—बैरिस्टर, जन्म १८८२; गवर्नमेंट एडवोकेट, रायपुर C. P. १८८९; मेम्बर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिल, १८९३; सभापति सी. पी. और बरार प्रान्तीय कान्फ्रेंस, १९०६; सभापति मध्य प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल, १९२१-२५; चेयरमैन नागपुर म्यूनिसिपल्टी, १८९६ – १९१८. पता—नागपुर।

चिटणील सर शङ्करमाधव—सभापति मध्यप्रान्तीय कोंसिल; जन्म १८६३; बम्बई वि. वि. के ग्रेजुएट; मेम्बर स्टेचुटरी सिविलियन, १८८५-१९१६, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कामिश्नर और कामिश्नर के पदों पर रहे, सदस्य भारतीय फैक्टरी कमीशन १९०७-१९०८; मिनिस्टर सी. पी. सरकार १९२१-२४, भ्रमण—यूरोप, जापान और अमरीका, पता—नागपुर।

चेट्टी, । आर. के. शणमुखम्—वकील और मेम्बर ले० एसेम्बली, ज० १८९२ शि० क्रिश्चयन कालेज, मदरास, चुने हुए सदस्य मदरास ले०

कौंसिल १९२०, डिवलप्मेंट मिनिस्टरी के कौंसिल सेक्रेटरी १९२२, बम्बई, बंगाल संयुक्त प्रांत में नशा खोरी रोकने के जो उपाय किये गये हैं उनके जानने और उन पर रिपोर्ट लिखने के लिये मदरास गवरमेंट से नियुक्त किये गये १९२२, सदस्य ले० एसेम्बली, १९२३ में भारत के नेशनल कन्वेशन के डेपुटेशन के साथ इंगलैंड गये। १९१४ मे नई राजधानी स्थापित होने के समय आष्ट्रेलिया में भारतीय प्रतिनिध हो कर गये। १९२७ पता—"हावर्डन" रेसकोर्स, कोयम्बटूर।

चोइथराम परतावराय—सभापति सिंध प्रान्तीय हिन्दू सभा, जन्म १८८९, एल. सी. पी. एस., १९१०, डाक्टर हैदराबाद जेल, १९११, त्याग नौकरी और ब्रह्मचर्य आश्रम में शामिल हुए १९१२, मन्त्री तिलक नेशनल होमरूल लीग १९१६, सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हुए १९१९, मेम्बर कांग्रेस वर्किंग कमेटी १९२१, सम्पादक 'हिन्दू' हैदराबाद (सिंध) १९२२, सजा हुई राजद्रोह में १८ मास की १९२२, जेल से मुक्त हुये १९२३, में पुनः गिरफ्तार हुए मानहानि के जुर्म में, सभापति सिंध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२३-२४, हिन्दू संगठन में शामिल हुए १९२५,

चौधरी, कृष्णचन्द्रराय—मजदूरों के सदस्य बंगाल कौंसिल १९२१ से, कौंसिलर कलकत्ता कारपोरेशन, जन्म १८८४, शिक्षा कलकत्ता और मैंचेस्टर, संस्थापक और प्रथम मन्त्री मैंचेस्टर इंडियन ऐसोसियेशन, श्री० गोपालकृष्ण गोखले के साथ प्राईवेट सेक्रेटरी होकर राजनीतिक कार्य के लिए इङ्गलैण्ड गये १९०५, मि. केयर हार्डी मेम्बर पार्लीमेण्ट के भारत भ्रमण के समय प्राईवेट सेक्रेटरी १९०७, लन्दन में ब्रिटिश इंडियन सीमैन्स इंस्टीच्यूट के संस्थापक, हावड़ा कुली संघ के प्रथम सभापति भारतीय प्रतिनिधि पंचम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फरेंस १९२३, जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में (श्रमजीवी विभाग के) ऐसेसर, प्रकाशन—यूरोप में श्रमजीवी आंदोलन आदि २ पता—'कामालय' चंदननगर बंगाल।

चौधरी, जोगेश चन्द्र—बैरिस्टर ज० १८६३, श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी की तृतीय पुत्री से विवाह। कुछ समय तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चरर विद्या सागर कालेज कलकत्ता में, 'कलकत्ता वीकली नोटस' के सम्पादक १८९६ से, संयोजक मन्त्री भारतीय शिल्पकला प्रदर्शनी कलकत्ता १९०१-१९०२ और १९०३-१९०७, सदस्य बंगाल कौंसिल १९०४-७, सदस्य ले०

एसेम्बली १९२१-२३ । पता—३ हेस्टिंगज स्ट्रीट और देवद्वार ३४ बालीगंज सर्क्युलर रोड, कलकत्ता ।

चौधरी तुलसी राम—खद्दर प्रचार के कट्टर प्रेमी, ज० १९४६, राली ब्रादर्स के यहां कर्मचारी १९१४ तक, स्वतंत्र व्यापार १९१४-१९१९, असहयोग आन्दोलन के समय राजनीति में प्रवेश १९१९, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बर १९२२, राजनैतिक कार्य में जेलयात्रा १९२२, खद्दर का कार्य आरंभ १९२३, संस्थापक गांधी खद्दर कार्यालय १९२३ (दिसंबर), पता— उझयानी ।

चौधरी, धीरेन्द्रकान्त लाहिरी—मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली; जन्म १९००; मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैमन सिंह, मनोरञ्जन --- टेनिस; पता—कालीपुर पो. आ. गोवीपुर ।

चौधरी, नवाब बहादुर सैयद नवाब अली—मेंबर कार्यकारिणी कौंसिल, बंगाल सरकार, ज० १८६३, १७ वर्ष तक बंगाल और इंपीरियल लेजि० कौंसिलों के मेंबर, मिनिस्टर बंगाल सरकार १९२१, आल इंडिया मुसलिम लीग के वायस प्रेसीडेंट रहे, बंगाल मुसलिम फेडरेशन के संस्थापकों में, पता—धनवरी, जिला मैमनसिंह या बंगाल राइटर्स बिल्डिंगज, कलकत्ता ।

चौधरानी, मिसेज सरला देवी—ज० १८७३, विवाह स्व० पं० रामभजदत्त चौधरी (पंजाब) से १९०५ शि० कलकत्ता में, १७ वर्ष की अवस्था में बी. ए. हुई, पद्मावती सुवर्णपदक कलकत्ता वि० वि० में सर्व प्रथम प्राप्त किया, तिलक स्वराज्य फंड में अपने सारे आभूषण दिये १९२१, अध्यक्ष हिन्दू समाज सुधार कांफरेंस १९२६, पता—कलकत्ता ।

चौधरी लालचन्द, लेफटनेंट रावबहादुर ज. १८८२, वि. श्रीमतीशुशीला देवी, रोहतक जिला बोर्ड के चुने हुए वाइस चेयरमैन १९१४-१९२३, पंजाब कासिल के मेम्बर १९२६, कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर १९२२, मिनिस्टर पंजाब गवरमेंट, (त्याग पत्र दिया १९२४ में) भरत पुर राज्य की कौंसिल के सभापति सन १९२७ तक। पता—रोहतक पंजाब

जगतनरायण पंडित—वकील, ज०१८६४, शि. कौनिंग कालेज लखनऊ, लखनऊ म्युनिसपेलटी के गैर सरकारी चेयरमेन, ३१ वीं कांग्रेस की स्वा० स० के चेयरमेन, मेम्बर हंटर कमेटी (पंजाब के अत्याचारों की जांच के लिये), लोकल बोर्डों और स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर संयुक्तप्रांत, १९२२-२३, । पता—गोलागंज लखनउ ।

जयकर, मुकुन्दराव-वैरिस्टर मेम्बर लेजि० असेंबली, अनेक शिक्षा संस्थाओं के सदस्य, आर्य शिक्षा समिति के स्थापकों में से एक जो बम्बई में १८९७ में स्थापित हुई थी, सभापति नासिक कान्फ्रेंस, सभापति पूना जिला कांनफ्रेंस १९१८, बम्बई होमरूल लीग की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर १९१८, वकालत छोडी असहयोग में १९२० किन्तु फिर शुरू की १९२२ में, सभापति सिंध हिन्दू कांफ्रेंस १९२५, प्रति सहयोगी दल के स्थापकों में से एक पता—ठाकुर द्वार बंवई '

जयरामदास दौलत राम-मेंवर बंवई कौंसिल, १९२७, वकीलीं पास करके करांची में वकालत शुरू की किंतु राजनीतिक कार्यों में लगे रहने के कारण उसे छोड दिया, सिंध में देश को आगे बढाने वाले सभी आन्दोलनों से संवंध रहा, संपादक 'हिन्दुस्तान टाइमस देहली १९२५-२६, सेक्रटरी हिंदू महासभा। पता—हैदराबाद सिंध ।

जाधव, भास्करराव विठोजी राव—मेंवर बंवई कौंसिल, शि० विल-सन कालेज, एलफिंस्टन कालेज और गवर्नमेंट ला स्कूल । कोल्हापूर राज्य में नौकरी करके और रेवेन्यू मेंवर के पद पर से रिटायर हुये । मराठा शिक्षा कांफरेंस शुरू की १९०० में, और सत्य-शोधक आंदोलन को पुनर्जीवित किया (१९११), प्रांत के अब्राह्मण आंदोलन में प्रारंभ से शामिल रहे । मिनिस्टर शिक्षा विभाग, बंवई, १९२४--२६ । पता—सतारा ।

जाफर, खान बहादुर सर इब्राहीम हारून—मेंवर कौंसिल आफ स्टेट, ज० १८८१, शि० डेकन कालेज पूना, सभापति अंजुमन इस-लामिया पूना, बम्बई, प्रांतीय मुसलिम लीग संगठित की १९०८, सभापति आल इं० मुसिलिम कांनफरेंस लखनऊ १९१९, मेम्वर कैंटूनमेंट सुधार कमेटी, मेम्वर बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६-१९, मेम्बर इम्पोरियल कौंसिल १९१९-२०; सभापति आल इंडिया मुसलिम शिक्षा कांनफरेंस १९२०, मुसलिम युनिवर्सिटी की कोर्ट के मेम्वर १९२२-२६ । पता ईस्ट स्ट्रीट; पूना

जिना, महमद अली—वैरिस्टर मेंवर लेजिसलेटिव असेंवली ज०१८७६ करांची में, शि० करांची व इंगलैंड अड-वोकेट, बंवई हाई कोर्ट १९०६, प्राइवेट सेक्रटरी दादा भाई नौरोजी के १९०६ मेंवर इंपीरियल कौंसिल, १९१०, रोलेट एक्टके विरोधमें मेंवरीसे इस्तीफा १९१९, प्रेसीडेन्ट मुसलिम लीग (स्पेशल सेशन)

१९२० मेंबर सुधार जांच कमेटी १९२४-२५, मेंबर सेंडस्ट कमेटी १९२६-२७ असेंबली दल के नेता. पता—मलबारहिल बंबई।

जीजीभाई, सर बैरामजी—ज० १८८१, शि० सेंट ऐक्जीवियर्स स्कूल और कालेज बम्बई; बंबई कारपोरेशन के सदस्य १९१४ से; बंबई के शेरिफ १९२७, बंबई के सिनेमा के फिल्मों के जांच करने वाले बोर्ड के मेम्बर, बंबई में बच्चों का अस्पताल बनाने के लिए २ लाख रु. दान किया। पता-दि क्रिलफरिज रोड मलाबार हिल बंबई।

जैक्सन, सर स्टैनली—गवर्नर बंगाल प्रान्त, जन्म १८७० शि० हैरो ट्रिनिटी कालेज केंब्रिज, वार आफिस के फाइनेंस सेक्रटरी, १९२२—२३, साउथ अफ्रीका में नौकरी की १९००-२, चेयरमेन यूनियनिस्ट पार्टी, १९२३, यार्कशायर के एक भाग से पार्लियामेंट के मेम्बर, १९१५-२७। पता—कलकत्ता।

जोगेन्द्रसिंह, सरदार—कृषि विभाग के मंत्री पंजाब, शक्कर व कर व सांडर्स्ट कमेटियों के मेंबर, ताल्लुकदार आका, संपादक 'इस्टर्न्ड् वेस्ट'; ग्रंथ नूरजहान कमला पता-लाहोर

जोशी, नारायण मल्हार—मेंबर लेजि० असेंबली, ज० १८७९, शि० पूना, ८ साल तक शिक्षक, सर्वेंट आफ इंडिया १९०९, १९११ से सेक्रटरी समाज सेवा संघ बंबई, १९१९ से सेक्रटरी राष्ट्रीय लिबरल सभा, भारतीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधि की हैसियत से भारत सरकार की तरफ से मेसापोटेमिया को गये १९१७, अंतरराष्ट्रीय मजदूर परिषद को भारत मजदूर संघ के प्रतिनिधि स्वरूप १९२० में वाशिंगटन को और १९२१, १९२२ व १९२५ में जिनेवा को गये, कैसर-इ-हिंद रौप्य पदक १९१९, मेंबर बांबे म्युनिसिपल कार्पोरेशन १९१९-२३ सी. आइ. ई. पदवी लेने से इंकार १९२१, लेजि० असेंब्ली में श्रमजीवियों के प्रतिनिधि स्वरूप सरकारके नियोजित मेंबर, १९२१ व १९२४, पता—सर्वेंटस आफ इंडिया सोसायटी सेंढर्स्ट रोड बंबई।

जोसी, सर मोरो पंत विश्वनाथ—ज० १८६१, शि० डेक्कन कालेज पूना व पल्फिन्स्टन कालेज बंबई अ[illegible]केट (सी. पी. ववेरार) १८८४—१९२०, होम मेंबर, सी. पी. गवर्नमेंट १९२०-२५ पता—नागपुर सी. पी.।

जोसेफ, जार्ज—बेरिस्टर ज० १८८७ श्रावण कोरमें मेंबर, १९१८ में इंग्लैंड को गये हिन्दी डेप्युटेशन के वकालत छोड़ी १९२०; कुछ दिन तक संपादक इंडिपेंडंट व यंगइंडिया, वकालत को फिर से आरम्भ १९२५, प्रेसीडेंट, टामिल नायड प्रांतिक पारिषद १९२३, वेकाम सत्याग्रह के नेता, पता—को झूकेरम्; मदुरा

जोसेफ, पोथन—जर्नलिस्ट ज० १८९२, दोयम संपादक "बांबेक्रानिकल,, १९२० व १९२४-२६ दोयम् संपादक कैपिटल १९२०-२४; संपादक "वोइस आफ इंडिया,, एडीटर "इंडियन डेली टेलीग्राफ,, १९२६; उप संपादक व डायरेक्टर बोर्ड आफ इंडियन नेशनल हेरल्ड १९२७; मेम्बर, बंबई कारपोरेशन तथा प्रेसीडेन्ट, साउथ इंडियन एसोशियन बंबई, पता—भाइकुला वम्बई।

टागोर, अवनीन्द्रनाथ—आर्टिस्ट ज० १८६१; शि० संस्कृत कालेज, कलकत्ता व इंग्लैंड; उमर खयाम, रवींद्र नाथ टागोर की क्रिसेंटमून, सिस्टर निवेदिता की मिथस लीजेंडस आफ इंडिया के विषयों की रंगीन तसवीरें बनाईं; करीब दो सो रंगीन तसवीरे तैयार की व वहुत से मेडिल व पारतोषिक संपादन किये; मेंबर, आर्टस् एड्व्हायजरी कमेटी टू बंगाल गवर्नमेंट, संस्थापक व मेंबर, एंडाइड् आर्टिस्टस् असोसिएशन, पता—द्वारका नाथ टागोर लेन, कलकत्ता

टागोर, रवीन्द्र नाथ—ज० १८६१, शि० बोलपुर (बंगाल) में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय "विश्व-भारती" शांति निकेतन की स्थापना १९००-१, तब से यह शाला ही उनके जीवन का मुख्य कार्य हुआ है, इंग्लैंड प्रवास १९१२, अपनी बंगाली पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों का इंग्रेजी में अनुवाद किया जिस में 'गीतांजली' जगत प्रसिद्ध है नोबल प्राइज फार लिटरेचर १९२३, २८ गद्य और लगभग ३० काव्य की पुस्तकों के लेखक; पुस्तकें (अंग्रेजी) गीतांजली, गार्डनर, साधना, क्रीसेन्ट-मून, पोस्ट आफिस (नाटक), गोरा इत्यादि पता—शांतिनिकेतन, बोलपुर, बंगाल।

टाटा, डोराबजी जमशेदजी—के. टी., सीनियर पार्टनर, टाटा ऐंड्-सन्स् लि० ज० १८५९, स्वर्गीय जमशेटजी नसरवानजी टाटा के पुत्र शि० केन्स् कालेज (आंन फेलो) केंब्रिज, पता—स्पलनेंड हाऊस, वाडवी रोड, बांबे।

तय्यबजी, अब्बास शम्सुद्दीन—रिटायर्ड हायकोर्ट जज, बरोदा, ज० १८५४ केंबे, शि० इंग्लैंड ग्यारा

साल की उम्र से गये, मेट्रिक्युलेट लंडन युनि० १८७२, बॅरिस्टर लिंकन्स इन १८७५, बरोदा जुडीशिअल सर्विस में नियुक्ति १८७९, हाईकोर्ट जज १८९३-१९१३, १९२१ में असहयोग आन्दोलन में शामिल हुये व तब से राष्ट्रीय प्रचार करते हैं, पंजाब में दंगे की जांच के गैर सरकारी कमीशन के सदस्य १९१९-२० पता—कंप, बरोदा।

तांबे, श्रीपाद् बलवन्त—होम मेंबर, सेंट्रल प्राव्हिन्सेस् गव्हर्नमेंट ज० १८७५, शि० जबलपूर (हितकारणी स्कूल). अमरावती, एंग्लो व्हर्नाक्युलर हाई स्कूल व एल्फिन्स्टन् कालेज, बंबई अमरावती में वकालत की, अमरावती टाउन म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर व व्हाइस प्रेसीडेंट, प्रेसीडेंट प्रांतिक कांग्रेस कमेटी, मेम्बर, सी. पी. लेजि० कौंसिल १९१६–२० व १९२४, प्रेसिडेंट सी.पी. लेजि० कौंसिल, मार्च १९२५; पता—नागपुर, सी. पी.।

त्रावणकोर, महाराणी रीजेंट एच. एच. सेथू लक्ष्मी बाई—वर्तमान महाराजा की फूफी, महाराजा नाबालिग होने के कारण १९२४ से महाराणी रीजेंट, उच्च कोटि के नैसर्गिक गुण व शिक्षा संपन्न, इंग्लिश अच्छी तरह से लिख व बोल सकती हैं, ज० १८९५, देवालयों में पशु बलिदान का प्रतिबंध तथा अन्य अनेक सुधारणायें कीं, पता—त्रिवेंद्रम्, त्रावणकोर।

तिवाना, नवाब सर उमर हयातखान—जमीदार व मेंबर कौंसिल म.फ स्टेट, ज० १८७४, शि० एट-चिन्सन् कालेज, लाहोर, हेड अटेची टू अमीर आफ अफगानिस्तान, १९०७, मेंबर इंपीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल, हेरल्ड दिल्ली दरबार १९११; सरहद्दी युद्ध में भाग लिया और सात मर्तबे सरकारी खलीतों में प्रशंसायुक्त उल्लेख हुआ, तीसरे काबुल युद्ध में भाग लिया, १९१९, मेम्बर ईशर कमेटी १९२०, प्रेसीडेंट हार्स ब्रीडिंग अण्ड शो सोसायटी आफ इंडिया, भ्रमण—अफ्रिका यूरप एशिया, तिब्बत, पता—काहा, जिला शाहपुर, पंजाब।

दत्त, अमरनाथ—मेम्बर लेजि० असेम्बली, जन्म १८८४, शि० प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता, कानून पास करके बर्दवान में वकालत की, चेयर मैन बर्दवान लोकल बोर्ड, डिप्टी चेयर मैन बर्दवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बेंक लि०, मेंबर कोर्ट आफ देहली युनिवर्सिटी, सम्पादक 'आलो'। पता—केशवपुर (बर्दवान)

दरभंगा, महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह बहादुर—जन्म १८६०, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट १८७७;

पद त्याग अपनी विस्तृत जमींदारी के प्रबन्ध करने के लिये १८८५, दीवानी अदालतों को हाजरी माफ, १८८८; मेम्बर बंगाल कौंसिल, १८८९--९०; गद्दी पर बैठे, १८९८, मेम्बर इम्पीरियल लेजि० कौंसिल ५ बार, भारत धर्म महामंडल के आजीवन सभापति, अनेक स्थानों के मन्दिरों को ठीक कराया जो भूकम्प में गिर गये थे, मेम्बर पोलिस कमीशन और इंडियन फेमिन-ट्रस्ट, सभापति रिलीजस पार्लामेंट कलकत्ते में १९१० और प्रयाग में १९११, सभापति अखिल भारतीय हिन्दू कांनफ्रेंस, १९१५, डाक्टर आफ लिटरेचर बनारस हिन्दू वि० वि० १९२२, राजनगर महल २४ लाख की लागत से बनवाया और भारत में अच्छे से अच्छे पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय उन के यहां है। पता— दरभंगा।

दलाल, सर दादीबा मेरवानजी—इंडिया के हाई कमिश्नर इगलैंड में १९२३–२४, ज० १८७०, मेम्बर करेंसी कमेटी १९१९ और अलग मतवाली रिपोर्ट लिखी, चेयरमैन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिहैबिलिटेशन कमेटी बम्बई १९२१ मेम्बर इंडिया कौंसिल और मेम्बर रिट्रैंचमेंट (खर्च कम करने की) कमेटी, १९२३, इम्पीरियल इकोनोमिक कांफ्रेन्स में प्रतिनिधि १९२३। पता— न्यूमैरिन लाइन्स बम्बई।

दाउदी, मोहम्मद शफी— जमींदार, मेम्बर लेजि० एसेम्बली १९२४ से, ज० १८७९, कलकत्ता वि० वि० के. बी. ए. बी. एल., वकील हाय कोर्ट कलकत्ता और पटना, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०, दफा १०८ के अनुसार जमानत मांगी गई और उसे देने से इंकार करने पर एक साल की सजा हुई १९२१। पता—पो० आ० दाऊनगर जिला मुजफ्फर पुर (बिहार और उड़ीसा)।

दादाभाई, सर मानिकजी बैरामजी—मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट जन्म—१८६५, वकालत शुरू की १८८७, एडवोकेट बम्बई हाई कोर्ट, १८८७, मध्य प्रान्त में गवर्नमेंट एडवोकेट १८९१, सभापति अखिल भारतीय इंडस्ट्रियल कांफ्रेन्स कलकत्ता १९११, मेम्बर इम्पीरियल लेजि० कौंसिल १९०८-१२, और १९१४-१७, कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर चुने गये १९२१, मेम्बर फिस्कल कमीशन १९२१, मेम्बर करेंसी कमीशन १९२५-२६, मालिक अनेक मेंगनीज की खानों के जो मध्य प्रान्त, बरार और बिहार उड़ीसा में हैं और कितने ही जिनिंग और कपास

ओटने की फेक्टरियों के जो भारत के प्रान्त सभी हिस्सों में हैं। पता—नागपुर।

दास, पं० नील कण्ठ—बच्चों के लिये नये ढंग पर पुस्तकें लिखने वाले ज० १८८४, शि० रावेनशा कालेज और स्काटिश चर्च कालेज कलकत्ता, सत्यवाडी में नये ढंग पर खुले मैदान में शिक्षा देने वाला एक स्थानीय प्राइवेट स्कूल स्थापन किया जो आज कल 'सत्यबाडी विहार, कहलाता है, पुरी के अकाल में कार्य किया १९१९, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के प्रोफेसर कलकत्ता वि०वि० में नियुक्त हुए १९२०, असहयोग किया १९२१ में, सभापति उत्कल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, १९२२, सजा हुई ४ मास की और २०० रु० का जुरमाना हुआ १९२३, एसेम्बली में चुने गये १९२४; पता—पो० आ० साखी गोपाल, (उडीसा)

दास, रजनी कान्त—जेनेवा के राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय श्रमजीवी कार्यालय के विशेष सदस्य १९२५ से, ज० १८८१, देनर (ढाका) में शि० कलकत्ता वि० वि० और ओहियो मिस्सोरी, शिकागो और विस कोंसिन विश्व विद्यालयों में, लेकचरर नार्थ वेस्टर्न वि० वि० और डिपाल वि० वि० शिकागो, १९१९-२०, व्याख्याता न्यूयार्क वि० वि० १९२०-२२, प्रोफेसर विश्व भारती, बंगाल, १९२४-२५, पैसिफिक महासागर के किनारे के देशों में भारतीय श्रमजीवियों की मजदूरी की दशा की जांच करने के लिए गवर्नमेंट के विशेष एजेंट, १९२१-२२, भारत, यूरोप और अमरीका में बहुत दूर २ तक भ्रमण किया है। प्रकाशन 'लेवर मूवमेंट इन इंडिया, 'फैक्टरी लेवर इन इंडिया, और 'फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इंडिया'। पता—C/o एक्स प्रेस कम्पनी, १ रयूडू मोंट ब्लेंक, जेनेवा, स्विजर लेंड।

द्विवेदी, महावीर प्रसाद, पण्डित—हिंदी भाषा के प्रकाण्ड विद्वान तथा लेखक, "सरस्वती" मासिक पत्रिका के अनेक वर्षों तक सम्पादक, लेखक, महाभारत, वनिता विलास, नागरी भाषा, रसज्ञ रञ्जन; आदि, पता—जूही कानपुर।

दुनीचंद—बेरिस्टर और म्युनिसिपिल कमिश्नर, लाहोर; ज० १८७०, शि० गवर्नमेंट कालेज, लाहोर और ग्रेज़ इन, लंडन, पंजाब मार्शल ला के समय देश निर्वासन, १९१९; बाद में जन्म भर कैद की सजा हुई किन्तु दिसम्बर १९१९, में छोड दिये गये, असहयोग में वकालत छोड दी, लारेंस की प्रतिमा

के सत्याग्रह के संबंध में ८ मास कैद की सजा हुई, १९२१। पता—लाहोर।

दुनी चन्द्, लाला—मेम्बर लेजि० एसेम्बली जन्म १८७३, मैनेजर एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, १९०६-१९२१ मेंबर मैनेजिंग कमेटी डी० ए० वी० कालेज लाहोर, वकालत शुरु की १९२३; सभापति अखिल भारतीय शुद्धि संमेलन १९१७, क्रिमिनल ला एक्ट के अनुसार गिरफ्तार हुये और ६ महीने की कैद की सजा हुई १९२२, पंजाब प्रान्तीय कांन्फ्रेंस के सभापति हुए। पता—कृपानिवास अम्बाला।

दुबे, दयाशंकर—अर्थ शास्त्र अध्यापक, विश्व विद्यालय, जन्म २८ जूलाई १८९६, शि० एम. ए. एल-एल. बी. इलाहाबाद, परीक्षा मंत्री हिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग (१० सितंबर १९२८ से), मंत्री, भारतवर्षीय हिंदी अर्थ शास्त्र परिषद, उप सभापति, विश्व-विद्यालय ग्राम सेवा संघ, सदस्य हिंदी साहित्य गोष्ठी प्रयाग, लेखक, भारत में कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, भारत के उद्योग धंधे, निर्वाचन नियम, ब्रिटिश साम्राज्य का शासन, स. १९१९-२०, में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कालर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चार वर्ष तक, पता—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद।

देवधर, गोपाल कृष्ण—सभापति सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, ज० १८७७, शि० विल्सन कालेज बंबई, एम. ए. बंबई वि० वि० १९०४, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी में शामिल होने वाले प्रथम सदस्य १९०५, भारतीय पत्रों के डेपुटेशन में मेम्बर होकर इंगलेंड गये और वहां तथा यूरोप के अन्य भागों में भ्रमण किया १९१८, पूना सेवासदन संस्था के संस्थापकों में से एक और मलाबार सहायता फंड के संयोजक १९२१, सहयोग, स्त्री शिक्षा और समाज सुधार पर कितने ही छोटे बड़े पैम्फलेट प्रकाशित किये हैं। पता—सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना।

देशपांडे, गंगाधर बालकृष्ण—लो० टिलक के सहयोगी; ज० १८७०, शि० बी. ए. एल. एल. बी. कर्नाटक प्रांत के प्रमुख कांग्रेस कार्य कर्ता, कट्टर असहयोगी तथा खद्दी भक्त व प्रचारक, सदस्य, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मेंबर, होमरूल डेपूटेशन १९१७, जेल-यात्रा १९२१-२२। पता—बेलगांव।

देशमुख, रामराव माधवराव—मध्य प्रान्त की सरकार के कृषि विभाग के मिनिस्टर, जन्म १८९२, शिक्षा केंब्रिज में अर्थ शास्त्र और कानून, मिडिल टेम्पल से बैरिस्टरी १९१६,

सी० पी० कौंसिल के मेंबर १९२१, स्वराजिस्ट होकर पुनः चुने गये १९२४, पार्टी में मत भेद होने के कारण कौंसिल छोड दी १९२५, एसेम्बली में स्वतंत्र रूप से चुने गये १९२६, सी० पी० कौंसिल में प्रतिसहयोगी होकर चुने गये १९२७, पता—नागपुर, सी० पी०।

देसाई, महादेव हीरालाल—बी. ए., प्राइवेट सेक्रेटरी महात्मा गांधी, 'यंग इंडिया' तथा 'नव जीवन' के सम्पादन में सहायक, सम्पादक 'इंडिपेंडेंट' इलाहाबाद, जेल यात्रा, १९२१-२२ पत्र की जमानत जब्त होने के बाद 'इंडिपेंडेंट' की हस्तलिखित प्रति प्रकाशित की, पता—साबरमती सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद।

देसाई, श्रीमती सत्यबाला—वैज्ञानिक संगीतज्ञा, ज० १८९२, ८ वर्ष की उम्र से धार्मिक गीतों के अंश गाने लगीं थीं, सामवेद और संस्कृत की अष्टपदी के गान सीं। १२ वर्ष की उम्र में स्वरों के साथ गाने में वे प्रवीण हो गई थीं। संसार का भ्रमण किया और यूरोपियन, चीनी और जापानी आदि कितने ही जन समूहों के सामने परिदर्शन के साथ संगीत पर अनेक व्याख्यान दिये। हिन्दी, संस्कृत, फारसी, गुजराती और बंगालीं और अन्य कितनी ही भाषाओं में वे गा सकती हैं। चित्रकला में अत्यन्त प्रवीण हैं, न्यूयार्क (अमरीका) फिलेफियन सोसाइटी की फेलो हैं।

देहलवी, अली मुहम्मद खां—सभापति बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल, जन्म १८७४, शि.—बम्बई और लंदन गुजरात और सिंध में वकालत की, मांगरोल (काठियावाड़) और पालनपुर राज्य, बम्बईमें स्माल कालज कोर्ट के जज के पद का काम किया प्रकाशन—'हिस्ट्री ऐण्ड ओरीजिन आफ पोलो' 'सेंडोक्रेसी इन इंडिया' पता—सेक्रेटरियट, बम्बई।

ध्रुव, आनन्दशंकर बापू भाई, प्रो०—प्रोवाइस चांसलर हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, ज० संवत १९२५, शि० एम. ए. एल एल. बी. (१८९१), प्रोफेसर, गुजरात कालेज व एलफिन्स्टन कालेज, अ इ. ई. एस. संपादक सुदर्शन (१८९७), वसंत मासिक (१९०२) हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर प्रवेश तदनंतर प्रोवाइस चांसलर, संस्कृत के प्रखर विद्वान उत्तम अध्यापक, समर्थ लेखक गंभीर वक्ता, धर्मनिष्ठ सज्जन पता—हिन्दू यूनिवर्सिटी।

नटराजन, कामाक्षी—जे. पी. एडीटर 'दी इंडियन सोशल रिफार्मर, व 'इंडियन डेली मेल' बम्बई, ज० १८६८, हेड मास्टर, आर्यन हाई स्कूल

ट्रिप्लीकेन्द्र स; दोयम एडीटर दी 'हिंदू'; मद्रास, फेलो बंबई यूनिवर्सिटी व मेंबर सिंडिकेट (१९१६), प्रेसीडेंट मद्रास प्रांतिक सामाजिक परिषद, करनूल १९११,प्रेसीडेन्ट बंबई प्रांतिक सामाजिक परिषद बीजापुर १९१८ प्रेसीडेन्ट, मैसूर परिषद १९२१, प्रेसीडेन्ट आल इंडिया सामाजिक परिषद १९२७, ग्रंथ दक्षिण हैदराबाद सेंसस् रिपोर्ट १९११ पता---टाटा का बंगला, खार रोड बांदरा बंबई,

नटेसन्, जी.ए.—मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, एडीटर दी 'इंडियन रेव्यू' ज० १८७९, ग्रेज्युएट १८९७, फेलो मद्रास युनिवर्सिटी व मेंबर मद्रास कारपोरेशन, माडरेट परिषद में १९१९ में सम्मिलित हुये, सेक्रेटरी मद्रास लिबरल लीग जाइंट सेक्रेटरी, नेशनल् लिबरल फेडरेशन आफ इंडिया पता----६० थंबू चेटी स्ट्रीट, मद्रास।

नदिया, महाराजा किशन चन्द्र राय—१९२४ से मेम्बर बंगाल एक्जीक्युटिव कौंसिल; ज. १८९०; शि० स्वगती १९१०; मेंबर प्रथम रिफार्मड् बंगाल लजि० कौंसिल प्रेसीडेन्ट नादिया जमींदार सभा; पता---दीनेलस् कृष्णगर "नदिया हाऊस,, २ ब्राइट स्ट्रीट बेलीगंज, कलकत्ता।

नंदी, महाराजा सर महीन्द्र चन्द्र—कासिम बाजार के महाराज बंगाल; ज० १८८०, कुछ समय तक मेम्बर बेंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल व कौंसिल आफ स्टेट; चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड; मुर्शिदाबाद; आनरेरी फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी व लाइफ मेंबर हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस; बंगाल के क्लब, समाज व अनेक संस्थाओं के पेरन; पता--राजबाड़ी, कासिमबजार, बंगाल, या ३०२ अपर सर्क्यूलर रोड, कलकत्ता

नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ—शि० शास्त्री (पंजाब) वेदतीर्थ (कलकत्ता , मेम्बर प्रोफेसर महाविद्यालय ज्वालापुर (यू पी.): संपादक शंकर, लेखक, आर्य समाज का इतिहास (१ व २ भाग), गीताविमर्श, कारावास आदि; स्वागताध्यक्ष राजनैतिक कान्फ्रेंस (१९२०),स्वागताध्यक्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन १९२४, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९२३; पता----देहरादून।

नरीमन, के. एफ.—हाईकोर्ट वकील, मेम्बर बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल, मेंबर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दो मर्तबे; मेंबर लेजिस्लेटिव कौंसिल बम्बई, डेवलपमेंट मुहकमे की सरकारी नोकरों की मानहानि के इलजाम में मि० हार्वी ने मुकद्दमा चलाया लेकिन निर्दोषी पाये गये,

प्रेसीडेंट बम्बइ प्रांत युवक परिषद व युवक आन्दोलन के बम्बई के नेता, पता—ह्यूस रोड, चोपाटी, बम्बई।

नरेन्द्र देव—आचार्य, काशी विद्यापीठ, जन्म कार्तिक सं० १९४६ विक्रम, एम. ए., एल. बी., पाली, प्राकृत, बौद्ध साहित्य के प्रकाण्ड पंडित, फैजाबाद होमरूल लीग के सेक्रेटरी १९१६, विद्यापीठ में सहयोग १९२१, सम्पादक "विद्यापीठ" त्रैमासिक, पता—काशी।

नरोत्तम मुरारजी—व्यापारी व व मिल एजेण्ट, जन्म १८७७ पोर बन्दर में, शि. एलफिन्स्टन कालेज; भूतपूर्व शेरीफ, खजानची मांटेग्यू मेमोरियल फण्ड, सेक्रेटरी दादा भाई नोरोजी मेमोरियल, मैनेजिंग एजेंट, सिंधिया स्टीम नविगेशन कंपनी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बम्बई वाय स्काउट्स असोसिएशन, पता—शांती भवन; पेडर रोड बंबई।

नवानगर, जामसाहेब कुमार श्री रणजीत सिंह—प्रसिद्ध क्रिकेट पटु; ज० १८७२; उनके चचा सर विभाजी जाम आफ नवानगर ने इन को गोद लिया; शि० राज कुमार कालेज राजकोट; ट्रिनिटी कालेज केम्ब्रिज; प्रसिद्ध टेनिस पटु इ० लनरों को पराजित किया १८९०; क्रिकेट व्लू संपादन किया और जंटलमेन के तरफ से प्लेज के खिलाफ खेले १८९३; तीन मरतबे एक ही सीझन में तीन हजार रनस् निकालें; यार्क शायर के खिलाफ एक ही स्थान में एकही दिन में दोई दल सेचरीज की १८९६-१९०० में सब इंग्लेंड में चंपियन बटसमन् थे आस्ट्रेलिया, कनाडा वा युनाइटेड स्टेटस में क्रिकेट टीमस् में गये राज्यारोहण, १९०५; युद्ध में भाग लिया १९१४-१५. पता—नवानगर।

नाभा, महाराजा श्री गुरुचरण सिंह—पहिले श्री रिपुदमनसिंह के नाम से ज्ञात थे; ज० १८८३; शि० खानगी; अन्य देशों में बहुत प्रवास किया मेंबर वाइसराय की कौंसिल १९०६-८; प्रेसीडेंट हिंदी राष्ट्रीय सामाजिक परिषद १९०९; युद्ध में कई फंडोंमें अच्छी मदद दी, १९२३ में राज्य त्याग करना पडा राजद्रोह के सबब पर १९२९, में महाराजा की उपाधि व अधिकार छीने गये और मासिक पेन्शन की रकम २५ हजार से दस हजार की गई और मद्रास प्रांत में कोडाई केनाल के मुकाम पर रहने का हुक्म हुआ

नायडू, मिसेस सरोजिनी—प्रेसीडेंट, इंडियन नेशल कांग्रेस १९२५ ज० १८७९; डाक्टर एम. जी. नायडू

के साथ १८९८ में शादी, दो पुत्र, दो कन्यायें, शि० हैदराबाद, किंगज कालेज लंडन, गर्टन कालेज कैंब्रिज, अंग्रेजी कविताओं के ग्रंथ लिखे जिनका भाषांतर करीब २ सब हिंदुस्थानी भाषाओं में हो चुका है, कुछ ग्रंथों का अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी भाषांतर हुआ है, जाइंट कमेटी आन रिफार्मस के सामने गवाही दी १९१९, अन्तरराष्ट्रीय स्त्री मताधिकार परिषद जिनेवा के सामने भाषण किया १९१९, हिन्दुस्थान की प्रतिनिधि की हैसियत से दक्षिण अफ्रीका को गयीं, मेंबर बंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन, प्रेसिडेंट बम्बई प्रांतिक कांग्रेस कमेटी, मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी, १९२२, डायरेक्टर इंडियन नेशनल हेरल्ड, प्रेसीडेंट कानपुर कांग्रेस पता:—ताजमहल होटेल बम्बई ।

नायर, दीवाण बहादुर एम. क्रिष्णन्—भूतपूर्व दीवान त्रावणकोर व मेम्बर, मद्रास लेजिस्ले० कौंसिल, ज० १८७०, हाइकोर्ट वकील, पांच साल तक चेअरमेन कलिकता म्युनिसिपिलटी, प्रेसीडेंट मलाबार कृषि सभा चीफ जस्टिस, त्रावणकोर ४ साल तक पता—पालघाट मलाबार ।

नायर सर. सी. शंकरन—ज० १८५७, शि० मद्रास, हाइकोर्ट वकील सरकारी वकील व पब्लिक प्रासिक्यूटर मद्रास सरकार, कुछ दिन तक एडवोकेट जनरल मद्रास, जज हाइकोर्ट मद्रास, कई साल मेम्बर, मद्रास लेजिस्ले० कौंसिल, प्रेसीडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस अम्रावती, प्रेसीडेंट इंडियन सोशल कांफ्रेन्स मद्रास, "मद्रास रिव्यू" व "मद्रास ला जनरल" के संचालक व कुछ दिन एडीटर, मेम्बर गवरनर जनरल की कार्य कारिणी कौंसिल १९१८-१९, पंजाब अत्याचारों के निषेध में पदत्याग, हिन्दी राजकीय सुधारों के विषय में भारत सरकार के खलीतों पर टीकात्मक लेख लिखे, मेम्बर कौंसिल आफ सेक्रटरी आफ स्टेट पता—मलाबार ।

निहालसिंह, सेंट—जर्नलिस्ट, जन्म पंजाब में, प्रवास व देश निरीक्षण की इच्छा से कालेज छोड़ दिया । मकान गुप्त रीती से छोड़ कर हिन्दुस्तान भर भ्रमण किया, और लेख लिखकर ही द्रव्य संपादन करते हैं, जापान व अमेरिका भ्रमण में कुछ दिन 'बोहीमियन मेगेजीन' के संपादक रहे, १९१० में इंग्लैंड गये अमेरिकन महिला से, जो खुद जर्नलिस्ट है, विवाह किया, पता—ग्रैन्डहोटेल, सीलोन ।

नेहरू, जवाहिर लाल—बार-एट-ला; प्रेसीडेन्ट रिपब्लिकन् कांग्रेस १९२७; जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस १९२८, ज० १८८९, शि० हेरो स्कूल व ट्रिनिटी कालेज,

केंब्रिज; बार-एट-ला आफ दी इनरटेंपल, एडव्होकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, सेक्रेटरी होम रूल लीग इलाहाबाद १९१८; मेंबर, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९१८ से, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, कट्टर असहयोगी; १९२१ व फिर १९२२ में कैद; दलित राष्ट्रों की कांग्रेस में हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि, सेक्रेटरी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी संस्थापक, इंडिपेंडेन्स लीग १९२८; पता—इलाहाबाद।

नेहरू, मोती लाल—असेम्बली में कांग्रेस पार्टी के नेता; ज० १८६१; काश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण, हाईकोर्ट परीक्षा पास कर के वकालत शुरु की और जल्द अपने धन्धे में नाम कमाया; प्रेसीडेन्ट यू. पी. प्रांतिक परिषद् १९०७; मोर्ले मिंटो सुधार के बाद यू.पी. लेजि. कौंसिल के मेम्बर रहे; "इंडिपेंडेंट" के संस्थापक १९१२; प्रेसीडेंट इंडियन नेशनल कांगरेस १९१९; पंजाब के मामले की कांग्रेस जांच कमेटी के मेम्बर १९१९-२०, असहयोग में वकालत छोड़ दी १९२०; छः माह की कैद १९२१-२२ मेंबर सिविल डिसओबीडिअन्स कमेटी, १९२१; मेंबर संडहर्स्ट कमेटी लेकिन् बाद में इस्तीफा दे दिया, प्रेसीडेंट नेशनल कांगरेस १९२८, पता—आनंद भवन, इलाहाबाद।

नेहरू, श्याम लाल—सेक्रेटरी टाऊन कांगरेस कमेटी, इलाहाबाद; ज० १८८०, "इंडिपेंडेंट" "लीडर" व "लाजर्नल" प्रेसेस् इलाहाबाद के मैनेजर रहे, गत पांच साल से मेम्बर म्युनिसिपैल्टी, डायरेक्टर "दी डेमोक्रेट" मेंबर आल इंडिया कांगरेस कमेटी १९२२, कैद ६ माह १९२१ पता—इलाहाबाद

पटवर्धन (मिसेस) मालती—आनरेरी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, मद्रास ज० १८९९ सुशोक में शि० दो साल तक इंगलेंड में थियोसोफिकल गर्ल्स स्कूल बनारस से मेट्रिक्युलेट नेशनल यूनिवर्सिटी, अडयार मद्रास की ग्रेज्युएट मि. व्ही. सी. पटवर्धन बेरिस्टर सांगली से विवाह; आनरेरी डेप्यूटी कमिश्नर फारगाइडस; आनरेरी सुपरिंटेंडेंट कन्या गृह, थियोसोफीकल राष्ट्रीय शाला; अडियार, मद्रास, व्हाइस प्रेसीडेंट आलइंडिया युवक परिषद, मद्रास, १९२७; पता—अडियार, मद्रास।

पट्टणी, सर प्रभा शंकर दलपत राम—प्रेसीडेंट कौंसिल आफ एडमिनिस्ट्रेशन, भावनगर स्टेट; १९२० से, ज० १८६२; शि० मोरवी, राजकोट, बंबई; मेंबर एक्जिक्यूटिव कौंसिल बंबई, १९१२-१५; मेंबर, बंबई लेजि० कौंसिल १९१६; मेंबर, इंपीरियल

लेजि० कौंसिल, १९१७; मेंबर, कौंसिल आफ इंडिया १९१७-१९, पता---'अनंदवाडी' भावनगर ।

पटियाला: महाराजा--महाराजा भूपेंद्रसिंह महिन्दर बहादुर, ज० १८९१, शि० एट्किंसन् कालेज; महायुद्ध में इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ काम किया, १९१४; अफगान वार, १९१९; वार कांफरेंस में हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि १९१८; पता----पटियाला

पनिक्कर, के० वलम माधव--- शि० आक्सफर्ड, मेम्बर अकडेमिक कौंसिल, मुसलिम यूनिवर्सिटी; अलीगढ़, सह सम्पादक "स्वराज्य" मद्रास, संपादक 'हिन्दुस्तानटाइम्स १९२४-२५ ग्रंथ "इंडियन नेशनलिज्म् इटसहिस्टरी ऐंड प्रिंसिपल्स" 'इंडियनस्टेट्स्'' पता-पटियाला ।

परमानन्द भाई--शि० एम, ए. देश भक्त तथा राष्ट्रीय कार्य कर्ता, क्रांतिकारी मामले में जन्म कैद हुई, किंतु छोड़ दिये गये, लेखक भारत माता का संदेश आदि पता,---लाहौर ।

पराडकर, बाबू राव,--हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक वर्षो से सम्पादक "आज" काशी, सामाजिक सुधारणा में अग्रसर भाग लेते हैं, विधवा विवाह के कट्टर पक्षपाती, पता---'आज' कार्यालय, काशी ।

परांजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम--- मेंबर; कौंसिल आफ सेक्रेटरी आफ स्टेट, ज० १८७६, शि० हिन्दुस्तान, केंब्रिज, पेरिस, गोटिंगहम, सब यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में प्रथम केंब्रिज में सीनियर रेंगलर, १८९९ प्रिंसिपल फर्ग्युसन कालेज, पूना, १९०२-२०; वाइस चांसलर, इंडियन वुइमेन्स् यूनिवर्सिटी, १९१६-२०; मेम्बर, बंबई लेजि० कौंसिल १९१३-२०, मिनिस्टर आफ एज्यूकेशन बम्बई, १९२१-२३ मेम्बर, रीफार्म्सइंक्वायरी कमेटी १९२४ आक्जिलियरी व टेरिटोरियल फोर्सेस कमेटी १९२४, मेम्बर टेक्सेशन् कमेटी १९२४-२५, प्रेसीडेंट लिबरल फेडरेशन १९२४, पता--इंडिया आफिस, लंदन

प्यारेलाल लाला--- कानून में गोल्डमेडलिस्ट १८८०, पंजाबयूनिवर्सिटी वकील, हाई कोर्ट, जन्म १८५८, प्रेसीडेन्ट, दिल्ली बार एसोसियेशन, वाइस प्रेसीडेन्ट, म्युनिसपिल कमेटी, दिल्ली, आ. सेक्रेटरी, बोर्ड आफ ट्रस्टीज हिंदू कालेज दिल्ली, एक्जीक्यूटिव कौंसिल दिल्ली; यूनियन दिल्ली, वार कांफ्रेंस में दिल्ली के प्रतिनिधि १९१८, पता---चांदनी चौक दिल्ली.

पटेल वल्लभ भाई---बैरिस्टर असहयोग में वकालत त्याग; कांग्रेस के प्रमुख कार्य कर्ता, 'बारडोली सत्याग्रह

१९२८ के प्रमुख संचालक व नेता, इनको जनता ने "सरदार" की पदवी दी है, पता--अहमदाबाद।

पटेल, विट्ठल भाई—बैरिस्टर-एट-ला, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष लेजि० एसेम्बली शि० अहमदाबाद व इंग्लैंड; मेंबर बंबई कारपोरेशन, बंबई कौंसिल व इंपीरियल कौंसिल; भूतपूर्व प्रेसीडेंट, बांबे कारपोरेशन, चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी बांबे स्पेशल कांग्रेस, १९१८, मेंबर सिव्हिल डिस ओबी डियन्स कमेटी, १९२२, पता--दिल्ली व शिमला

पं० किशोरीलाल गोस्वामी, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ज० माघकृष्ण ३० संवत १९२२, आपने करीब ६५ पुस्तकें लिखीं हैं, मंचपराग, पंचपल्लव, रजियाबेगम, प्रसायनी परिणाम, पंच-कलिका आदि, पता—वृन्दाबन।

पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, जन्म संवत १९२७, हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं है, निबंधमालादर्श प्रणयि माधव, मेघदूत, डा० जानसन, रसवाटिका, आदि, पता—लखनउ,

पं० गौरीशंकर, हीराचंद ओझा—हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महामहो-पाध्याय, रायबहादुर, मंगला प्रसाद पारि-तोषिक प्राप्त कर्त्ता,—लेखक राजस्थान का इतिहास (टाड), पता—अजमेर।

पंत, गोविन्द बल्लभ—लीडर स्वराज्यपार्टी यू.पी. कौंसिल, शि०बी.ए. एल. एल. बी., मेम्बर प्रान्तीय तथा आल इंडिया कांगरेस कमेटी, पता----नैनीताल।

प्रकाशम, टी—मेम्बर लेजिस्ले० एसेम्बली, एडीटर 'स्वराज्य' १९२१ से, बैरिस्टर, १९२१ में वकालत छोडी; प्रेसीडेंट, मद्रास बार असोशिएशन्, प्रेसीडेन्ट, आंध्र प्रांतिक कांग्रेस कमेटी; पता---मद्रास -

प्रधान, गोविन्द रघुनाथ—वकील व मेम्बर; सी. पी. लेजिस्लेटिव कौंसिल, ज० १८८७, शि० विलसन् कालेज बंबई व मारिस कालेज, नागपुर; सेक्रेटरी अब्राह्मण कांग्रेस, १९२५, सेक्रेटरी, आल इंडिया सोशल कांफरेंस १९२०; वाइस चेयरमैन नागपुर जिला परिषद; मेंबर, बोर्ड आफ स्टडीज् इन ला नागपुर यूनिवर्सिटी; पता---सिविल स्टेशन; नागपुर।

पानगल, राजा, राम रायैयंगर सर पी—अ-ब्राह्मण हल चल के नेता ज० १८६६, मेंबर, इंपीरियल लेजि० कौंसिल, १९१२-१५ व १९१९, जाइंट पार्लमेंटरी कमेटी के सामने जमीदार प्रतिनिधि की हैसियत से गवाही दी १९१९, मिनिस्टर मद्रास सरकार

१९२०, चीफ मिनिस्टर १९२१-२६, प्रेसीडेंट साऊथ इंडियन लिबरल फेडेरेशन, प्रेसीडेन्ट अब्राह्मण कांगरेस १९२५, पता—मद्रास

पाल, विपिनचंद्र—जर्नलिस्ट ज० १८५८, शि० प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता, हेडमास्टर कटक एकेडमी १८७९, सब एडीटर "बेंगाल पब्लिक ओपीनियन, कलकत्ता १८८३-८४, सब एडीटर, "ट्रिब्यून" लाहौर, १८८७-८८ सेक्रेटरी व लायब्रेरियन, कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी १८९०-९२ लायसेंस इन्सपेक्टर, कलकत्ता कारपोरेशन १८९२-९३, आक्सफर्ड में तुलनात्मक धर्म शास्त्र का अभ्यास करने के लिये साधारण ब्रह्म समाज की तरफ से स्कालरशिप लेकर इंग्लैड गये और वहां हिंदू धर्म व हिंदी राज कारण पर व्याख्यान दियें, नेशनल टेंपरंस फेडरेश के आमंत्रण पर न्यूयार्क गये १९००, हिंदुस्तान लौट कर ब्रह्म मिशनरी की हैसियत से काम किया, कलकत्ता से "न्यू इंडिया" निकाला १९०१, प्रथम एडीटर राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक "बंदेमातरम्" जिस के बाद श्री० अरविंद घोष एडीटर हुये, राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल के प्रमुख नेता १९०५-७, मि० अरविंद घोष के खिलाफ राजद्रोही मामले में गवाही देने से इनकार करने पर अदालत की तौहीन इस इलजाम पर दो माह की सादी कैद १९०७, बाद इंग्लैड में जाकर अंग्रेजी मासिक "स्वराज्य" लंडन से निकाला और इग्लैंड भर हिन्दी राजकीय परिस्थित पर व्याख्यान दिये, १९११ में बंबई पहुंचने पर "स्वराज्य" में राजद्रोही लेख के बाबत एक माह की सादी कैद हुई "दी हिन्दुरिव्यू" मासिक निकाला १९१२, कई ग्रंथ लिखे; मेंबर लेजिसलेटिव असेम्बली, १९२४, पता—कलकत्ता।

पालीवाल, श्री कृष्णदत्त,—शि. एम. ए. (इलाहाबाद), साहित्य रत्न (हिं० सा० सम्मेलन), सन १९२० में ला कालेज छोड़ दिया, असहयोग में प्रवेश, जाइन्ट जनरल सेक्रटरी स्वागत समिति ४०वीं राष्ट्रीय महासभा कानपुर, संयोजक यू. पी. स्वराज पार्टी, प्रेसीडेन्ट आग्रा नागरी प्रचारिणी सभा, उपसम्पादक 'प्रताप' 'प्रभा' मेंबर यू.पी. कौंसिल १९२६ वर्तमान सम्पादक 'सैनिक' आगरा।

पांगारकर, लक्ष्मण रामचन्द्र—शि० बी. ए., भक्ति मार्ग में तल्लीन, अनेक मराठी पुस्तकों के लेखक, सम्पादक "मुमुक्षु", संत तुकाराम के विशेष कर भक्त, मुख्य पुस्तकें, 'महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कविमोरोपन्तका

चरित्र' तथा 'रामदास स्वामी का चरित्र' पता— नाशिक।

पांडेय, रूप नारायण—हिन्दी के उत्कृष्ट लेखक, उप सम्पादक "माधुरी" अनेक वर्षों तक, पुस्तकें; पतित पति, गोरा आदि, सम्पादक सुधा, पता— लखनऊ।

पुरषोत्तमदास ठाकुरदास, सर— मेम्बर इंडियन लेजिसलेटिव एसेम्ली, कपास के व्यापारी ज. १८७९, शि० एल्फिन्स्टन कालेज, प्रेसीडेंट ईस्ट इंडियन काटन एसोसिएशन, मेम्बर इंचकेप कमेटी, गवरनर इम्पीरियल बंक आफ इंडिया (सेंट्रल बोर्ड), मेम्बर रायल-कमीशन आन इंडिया करन्सी अंड फायनेंस १८२६; पता–मल बारकेसल बम्बई।

पूर्णिमादेवी (मिसेस) ज्वालाप्रसाद—जमीदार, प्रथम महिला अध्यक्ष समाजिक परिषद ज० १८८४ डाक्टर रविन्द्रनाथ टागोर की भतीजी, प्रथम बंगाली महिला जिनका विवाह यू. पी. में हुआ १९०३, इनके पति स्वर्गीय पंडित ज्वालाप्रसाद डिप्टी-कमिशनर हरदोई थे, भाषाज्ञान--अंग्रेजी संस्कृत हिंदी उर्दू व फ्रेंच, केंब्रिज ट्रिनिटी कालेज गान परीक्षायें उत्तीर्ण, संस्थापक, पंडित ज्वालाप्रसाद कन्या पाठशाला संस्थापक पर्दा क्लब मुजफरनगर, पता—प्रसाद भवन शहाजहां पूर।

पेटिट, जहांगीर बोमनजी—व्यापारी, मिल मालिक व बेंकर, मेंबर, बंबई लेजि० कौंसिल; सर डी. एम. पेटिट प्रथम बैरोनेट के नाती, जन्म १८७९, शि० सेंट जवियर कालेज, बंबई, मेंबर बंबई कारपोरेशन व डेवलप मेंट बोर्ड अध्यक्ष, हिंदी औद्यगिक परिषद १९१८, ट्रस्टी, पारसी, पंचायत संस्थापक व मालिक 'दी इंडियन डेलीमेल' अधों के लिये व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल व दी इंपीरियल इंडियन सिटीजनशिप असोसिएशन के संस्थापक व आनरेरी सेक्रटरी, मेंबर युनिवर्सिटी रीफार्म कमेटी, १९२४, पता—माउंट पेटिट, पेडर रोड, बंबई, गुलिस्ता, माथेरान, माउंट मालकम महाबलेश्वर.

प्रेमचंद,—आपका असली नाम धनपतराय है; ज० श्रावण संवत् १८३७ बी. ए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सरकारी शिक्षा विभाग में अनेक वर्षों तक नौकरी की; असहयोग में त्यागदी; कांग्रेस मेन तथा सुधारक मेम्बर हिन्दुस्तानी एकाडमी इलाहाबाद; हिन्दी संसार के सुपरिचित उपन्यास लेखक, पुस्तकें सेवा सदन, वरदान प्रेस, प्रेमाश्रम, आदि। सम्पादक 'माधुरी'-लखनऊ।

पोचखानावाला सोराब जी नसरवानजी—सर्टिफाईड अकोशिएट इंस्टिट्यूट आफ बंकर्स (लंडन) १९१० मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल बंक आफ इंडिया लि० ज० १८८१ शि० सेंटझेवियर कालेज बांबे चार्टर्ड बंक आफ इंडिया आस्टेलिया अंड चायना में सात साल व बंक आफ इंडिया में पांच साल नौकरी करने के बादसे ट्रूड बंक आफ इंडियन की स्थापना की मेम्बर गवरमेंट सिक्यूरिटीज कमेटी १९२१ पता—न्यू वरली रिकलमेशन वरली बम्बई

फ्रूम सर आर्थर हेनरी—कौंसिल आफ स्टेट के मेंबर, १९२१, जन्म १८७३, शिक्षा सेंट पाल स्कूल। नौकरी में हुए P. &. O. S. N. कम्पनी बंबई की १९१६, से चेयरमेन मेंबर आफ कामर्स बंबई, १९२०, मेंबर इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल, १९११, मेंबर इंडियन मरकेंटायल मैरीन कमेटी, १९२३-२४ मेंबर सुधार जांच कमेटी, १९२४, मेंबर भारत के रेलवों की सेंट्रल एडवाईजरी कमेटी। पता—मेंट क्लेन्क, डेडीहैंटहिल. बंबई।

फैजी, रहमान—आर्टिस्ट, जन्म १८८०; वि० जंजीरा की वेगम साहबा की बहन से, शि० स्कूल आफ रायल एकेडेमी आफ आर्ट्स, लंडन, रायल एकेडेमी की वार्षिक प्रदर्शनियों में प्रदर्शक, पैरिस, लंडन और अमरीका के मुख्य २ चित्रकला प्रदर्शनों में अपनी कला दिखाई। सन् १९२५ में नेशनल गैलरी आफ ब्रिटिश आर्ट में आपके बनाये हुये दो रंगीन चित्र (हाथ से बनाये हुये रंगीन चित्र) स्थायी संग्रह के लियें लिये गये, गायकवाड़ बड़ोदा के यहां आर्ट एडवाइजर अनेक वर्षों तक पता--ऐकने रिफायत मलावार रोड बम्बई।

बजाज, जमना लाल--जन्म कसीरकाबास जयपुर राज्य; १८८९, चेयरमैन स्वा० स० नागपुर कांगरेस (१९२०) वरधा (C.P.) में मारवाड़ी शिक्षा मण्डल के संस्थापक, आखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के संचालक, खिलाफत और कांगेरस के कार्यों में बहुतसा द्रव्य दान किया, आल इंडिया कांगेरस के खद्दर विभाग के मुख्य कार्य कर्ता पद पर नियुक्ति (१९२१), साबरमती सत्याग्रहआश्रम के ट्रस्टी; पता--वरधा (C.P.)

बटलर, सर मान्टेग्यू शेराड डैविस—१९२५ से मध्य प्रान्त के गवर्नर; ज० १८७३; पंजाब में नौकरी की; १८९६-१९०९, इंडियन गवर्नमेंट के होम विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी; १९११; सोशल डियूटी में पबलिक सरविसेज की जांच करने वाले रायल

कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी, १९१२-१५ सभापति पंजाब कौंसिल १९२१ इंडियन गवर्मेंट के शिक्षा, स्वास्थ्य और भू विभाग के सेक्रेटरी, १९२२; सभापति कौंसिल आफ स्टेट १९२४, पता-गवर्नर का कैम्प सी. पी.।

बटलर सर स्पेंसर हाईकोर्ट-चेयरमैन देशी राज्यों की जांच कमेटी, १९२८, जन्म १८६९. इंडियन सिविल सरविस में नियुक्त गवरमेंट के फिनेशल सेक्रटरी, कृषि विभाग के डायरेक्टर, लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर, वाइसराय की कार्य कमेटी के सदस्य, वर्मा के ले० गवरनर १९१५-१७, ले० गवरनर और गवरनर युक्त प्रांत १९१८-२२; बरमा के गवरनर १९२३-२७।

बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ सर सयाजीराव तृतीय—स्वर्गीय महाराजा बरोदा की विधवा द्वारा गोद लिये गये, १८७५, पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुआ, १८८१, दो विवाह हुये, ३ लडके और १ लडकी राज्य में महाराजा ने अनेक सुधार किये हैं और राज्य प्रबन्ध उत्तम प्रकार से चलाने का आप का सर्वदा प्रयत्न रहा है। विदेशों में बहुत भ्रमण किया है भारतीय सामाजिक कानफ्रेंस के सभापति १९०४, पता-बरोदा राज्य।

बरोदा महारानी चिमना बाई—अनेक गुण सम्पन्न महारानी, विवाह १८८५; प्रेसीडेंट अखिल भारतीय स्त्री कानफ्रेंस, १९२७, बहुत भ्रमण किया है। रचना-भारत में स्त्रियों का स्थान. पता—बरोदा

बनर्जी, जितेन्द्र लाल—बंगाल कानून कौंसिल के मेम्बर, प्रोफेसर विद्यासागर कालज कलकत्ता में, ज० १८८२, रिपन कालेज, कलकत्ता में अंगरेजी के और कलकत्ता विद्यालय में ग्रेजुएट क्लासों के प्रोफेसर; कलकत्ता हाईकोर्ट में कई वर्षों तक वकालत की; असहयोग में वकालत छोडी १९२०, आल इंडिया कांगरेस कमेटी के मेंबर १९२१, राजविद्रोह के दोष पर २ वर्ष की सख्त कैद १९२१ में और १९२३ में जेल से छूटे, सिंध विद्यार्थी सम्मेलन के सभापति १९२५ पता—कार्न वालिस स्ट्रीट कलकत्ता।

बनर्जी सर एलबियन राजकुमार—दीवान काशमीर जन्म बृटल में १८७१; स्व० सर कृष्णगुप्त की कन्या से विवाह, १८९८, शि० कलकत्ता विश्वविद्यालय और अक्सफोर्ड आई. सी. एस. में नियुक्त १८९५. कोचीन के दीवान १९०७-१४, कलक्टर कुडपा, मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल मैसूर राज्य, १९१६. आई. सी. एस.

शि० बी. ए. एल-एल. बी., असहयोग में वकालत का त्याग, स्वागताध्यक्ष बेलगांव कांग्रेस (१९२५), मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली, पता—बेलगांव।

ब्रे, डेनीस डी सावमैरिज़—गवर्नमेंट आफ इंडिया के पर राष्ट्र विभाग के सेक्रटरी; ज० १८७५, शि० रटट गार्ट, ब्लंडल्स, बेलिगोल; आक्सफर्ड मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१८--१९, मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, १९२१, मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२ --२७, पता—देहली।

ब्रेलवी, सैयद अब्दुल्ला—एम. ए., एल-एल, बी., सम्पादक—'बांबे क्रानिकल'। ज० १८९१, एलफिंस्टन कालेज से बी. ए. १९१ ; एम. ए. १९११, फलो एलफिंस्टन कालेज १९१०--११, 'बांबे क्रानिकल' के सम्पादकीय विभाग में अग्र लेख लेखक १९१५, जूनियर असिस्टेंन्ट एडिटर १९१७; सीनियर असिस्टैन्ट १९१८; स्थानापन्न संपादक का कार्य किया, श्री० बी. जी. हार्नीमैन के देश निर्वासन पर अप्रैल १९१९ से सितंबर १९२० तक। 'सोशल सर्विस क्वार्टर्ली' के संपादकीय कमेटी के सदस्य। पता—'बांबे क्रानिकल' बंबई।

बेसेन्ट, एनी डा०—प्रेसीडेंट थियोसोफिकल सोसाइटी और सम्पादिका न्यू इंडिया। ज० १८७४; १ अक्टोबर स्वर्गीय पादरी फ्रैंक बेसेन्ट से विवाह, १८६७, कानूनन उनसे पृथक हुईं, १८७३; नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सम्मिलित हुईं, १८७४; चार्ल्स ब्राडला के चलाये हुये स्वतंत्र विचार और तत्व ज्ञान के प्रचार में कार्य किया। फेबियन सोसाइटी की सदस्या हुईं; थियोसोफिकल सोसाइटी में प्रवेश, १८८९ और उसकी अधिष्टात्री १९०७। बनारस हिन्दू कालेज की स्थापक १८९८, गर्ल्स स्कूल की स्थापक १९०४; भारत रक्षा कानून से नजरबंद, १९१७ राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिष्ठात्री १९१७, इंडियन नेशनल कन्वेंशन के सेक्रटरी, राष्ट्रीय शिक्षा के लिये अत्यन्त प्रयत्न किया। बनारस विश्वविद्यालय से आनरेरी डी. एल. १९२१. धर्म और राजनीति में अनेक पुस्तकों की लेखिका। पता—अडयार (मद्रास)

बेपटिस्टा, जोसेफ—बैरिस्टर; ज० १८६४; शि० सैंट मैरी स्कूल, बम्बई, साइन्स कालेज पूना; कैंब्रिज विश्वविद्यालय; स्व० लो० तिलक के सहकारी और कई प्रसिद्ध राजनैतिक मुकद्दमों में सलाहकार, सभापति महाराष्ट्र होमरूल लीग १९१८, प्रथम इंडियन होमरूल लीग के प्रतिनिधि होकर इंगलैंड गये, पार्लियामेंट के चुनाव में खड़े हुये

१९१८, मजदूर कान्फ्रेंस जेनेवा में प्रतिनिधि १९२४, बंबई कारपोरेशन के प्रेसीडेंट १९२५, मेंबर, बड़ी व्यवस्थापिका सभा १९२५, समुद्र में काम करने वालों के यूनियन के सभापति; रचना—संसार के व्यापारिक कानून (कमर्शल लाज आफ दि वरल्ड) पता—बम्बई।

बोस, सर जगदीश चन्द्र—प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जिनकी पौधों और वनस्पतियों के जीव तत्व संबंधी संधान और आविष्कार से सारा संसार चकित हो उठा है। ज० १८५८। शि० कलकत्ता और केम्ब्रज विश्वविद्यालय, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता; प्रतिनिधि इंटरनेशनल वैज्ञानिक कांग्रेस पैरिस, योरोप और अमरीका जानेवाले डेपूटेशन के वैज्ञानिक सदस्य लीग आफ नेशनल के मानसिक विचारों की प्रगति में सहयोग करने वाली समिति के मेंबर, बोस रिसर्च इंस्टीटयुट की स्थापना की १९१६; रचनायें सजीव और निरजीव का भेद, जीव तत्व संबंधी अनुसंधान में पौधों का स्थान, विद्युतशक्ति का जीवतत्व में योग आदि। पता—बोस इंस्टीटयुट, कलकत्ता।

बोस, सुभाषचन्द्र—सदस्य बंगाल कानून कौंसल ज० १८९७, शि० कलकत्ता केमब्रिज; इंडियन शि० सरविस में नियुक्त, १९२१ में त्याग और असहयोग आंदोलन में शामिल होना, मेनेजर फारवर्ड कलकत्ता, १९२२-२४ मेंबर कलकत्ता कारपोरेशन, १९२४, चीफ एग्जीक्युटिव आफिसर कलकत्ता कारपोरेशन १९२४, बंगाल रेगुलेशन सन १८१८ के अनुसार गिरफ्तारी; बंगाल कौंसिल के मेंबर चुने गये, १९२६ रिहाई. १९२७। मनोरंजन अध्ययन और टैनिस पता—३८।२ एलजिन रोड कलकत्ता।

भगवानदास, बाबू—शि० एम. ए. (कलकत्ता) ज० १८६९; बी. ए. १८८५ और १८८७; गवर्नमेंट नौकरी में तहसीलदार १८९०, पद त्याग १८९९ में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस की सेवा के लिये उक्त कालेज के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सेक्रटरी १८९९—१९१४, प्रिंसिपल काशी विद्यापीठ १९२१, प्रान्तीय राजनैतिक कान्फ्रेंक के सभापति १९२०; एकादश अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति १९२१, राजनैतिक कैदी १५ दि० १९२१ से १९ जन० १९२२ तक। अनेक पुस्तकें और पुस्तिकाओं के लेखक, भारतीय तत्वज्ञान आदि पर जिनमें से अधिकांश का अनुवाद कितनी ही विदेशी भाषाओं में हुआ है। पता—सेवाश्रम, सिंगरा बनारस।

भार्गव, दुलारेलाल—हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक "माधुरी" पत्रिका

के जन्म दाता तथा सम्पादक (१९२२), "माधुरी" से प्रथक होकर 'सुधा' आरंभ की, गंगा पुस्तकमाला के संचालक, पता—लखनऊ ।

भार्गव, भगवन्नारायण—बी. ए.; हिन्दी के अच्छे कवि तथा लेखक, मेम्बर, लेजिसलेटिव कौंसिल यू. पी. स्वराजिस्ट, पता—झांसी ।

भोर, जोसेफ विलियम—सुधार सम्बन्धी रायल कमीशन के सेक्रेटरी, ज० नासिक, १८७८; शि० डेकन कालेज पूना, यूनिवर्सिटी कालेज लंडन; अंडर सेक्रेटरी मदरास गवर्नमेंट १९१०; दीवान को चीन राज्य, १९१४--१९; डिपटी डायरेक्टर सिविल सपलाइज, १९१९; भारतीय हाई कमिश्नर के सेक्रेटरी, १९२२-२३; गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के सेक्रेटरी, १९२४; वाइसराय की कार्य कारिणी कौंसिल के अस्थायी सदस्य, १९२६, पता—६ रायसीना दिल्ली ।

मनोहर लाल—बार-एट-ला, पंजाब सरकार के एज्यूकेशन मिनिस्टर ज० १८७९, शि० लाहोर व कैंब्रिज, कावडेन पारितोषिक प्राप्त, कुछ दिनों तक मिंटो प्रोफेसर कलकत्ता युनिवर्सिटी ट्रस्टी, ट्रिब्यूनटरट्र लाहोर, पता--लाहोर ।

महेन्द्रप्रताप सिंह, राजा—दानवीर तथा देश सेवक, ज० अगहन सुदी ५ सम्बत १९४३, पिता का नाम राजा घनश्यामसिंह, जन्म स्थान मुरसान हाथरस के राजा हरनारायणसिंह के दत्तक पुत्र, ९ वर्ष की अवस्था में पिता का देहान्त, रियासत कोर्ट आफ वार्डस हुई, शि० बी. ए, तक, सन १९०३ में सपत्नीक यूरोप यात्रा, स० १९०९ में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना और ३३००० रु० सालाना की जायदाद तथा महलों का दान देना, गुरुकुल बृन्दावन (आर्य सामाज) को १५००० रु० की जमीन दी (अक्टूबर १९११), प्रेम तथा निर्बल सेवक पत्रों का सम्पादन, दूसरी यूरूप यात्रा १९१२, तीसरी यूरोप यात्रा १९१४ से । उस समय से स्विटजरलैंड जर्मनी, फ्रांस, टर्की, रूस, अफगानिस्तान इत्यादि देशों में रह कर भारतीय स्वतंत्रता के लिये कार्य कर रहे हैं । अभी तक वे भारत के बाहर हैं ।

महमूदाबाद, महाराजा, सर महमदअली, महमद खान—ज० १८७७ ज० मेम्बर कैंसिल आफ स्टेट, होम मेम्बर, यू. पी. गवर्नमेन्ट १९२१-२७, प्रेसीडेंट मुसलिम लीग १९१८; वाइस चांसलर अलीगढ यूनिवर्सिटी, सेक्रेटरी लखनऊ यूनिवर्सिटी कलेक्शन कमेटी, प्रेसीडेंट, आल इंडिया एज्यूकेशनल कमेटी, कट्टर नेशनेलिस्ट पता—केसर बाग लखनऊ

माखन लाल, चतुर्वेदी—प्रसिद्ध देशभक्त तथा हिन्दी के उत्तम लेखक, असहयोग में कार्य तथा जेलयात्रा, सम्पादक 'कर्मवीर, खोडवा ।

माधव राव, वी० पी०—ज० फरवरी १८५०, मैसूर संस्थान में २५ साल तक प्रमुख जगहों पर नौकरी, मेंबर कौंसिल आफ रिजंसी १८९८ से १९०२, दीवान त्रावणकोर १९०४ से १९०६, दीवान मैसूर १९०६ से १९०९; दीवान बरोदा १९१४ से १९१६, कई कांग्रेसों के प्रेसीडेंट, कांग्रेस के डेप्यूटेशन पर इग्लैंड को गये : पता—"पाहन भवन" बंगलौर ।

मालवीय, पंडित मदनमोहन--मेंबर लेजिस्लेटिव एसेम्बली, ज० २५ दि० १८६१: शि० म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद, ग्रेज्युएट १८८४; १८८७ तक गवर्नमेन्ट हाईस्कूल में शिक्षक, "हिन्दुस्थान" और "इंडियन यूनियन" के एडीटर एल. एल. बी. १८९१, हाईकोर्ट वकील १८९३, मेंबर प्रांतिक लेजिसलेटिव कौंसिल १९०२-१२ प्रेसीडेंट यू. पी. राजनैतिक परिषद १९०८, प्रेसीडेंट इंडियन नैशनल कांग्रेस १९०९ और १९१८, मेंबर इंपीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१०-१९, रौलिट कानून की वजह से इस्तीफा दिया, मेंबर इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन १९१६-१९, मायनारिटी रिपोर्ट लिखी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और १९१९ से वाइस चांसलर, मालिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" पता—बनारस ।

मिश्र, रामनरायण,—बी. ए. (इलाहाबाद), ज० १८९५, प्रधान अध्यापक कान्यकुब्ज हाइस्कूल लखनऊ, भूगोल अध्यापक देव--नागरी स्कूल मेरठ, सम्पादक "भूगोल" तथा अध्यापक ई. सी. कालेज प्रयाग ।

मिश्र, रामप्रसाद,—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, ज० १९४६ संवत "जीवन" (१९१०-१२) उत्साह (१९१७), कान्यकुब्ज हितकारी, आदि के सम्पादक उपसम्पादक 'सरस्वती, (१९०९); कांग्रेस में प्रवेश १९०६; असहयोग में प्रमुख कार्यकर्ता प्रान्तीय तथा अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आनेक बर्षोंतक मेम्बर म्यु० बोर्ड १९२३--२६, पता,—कानपुर ।

मिश्र, पं० श्यामबिहारी—ज० १९३०, शि० एम. ए., यह स्वयं और इन के बंधु पं० शुकदेव बिहारी मिश्र कविता तथा पुस्तकें मिश्र बंधु के नाम से प्रकाशित करते हैं, हिंदी संसार में सुपरीचित प्रसिद्ध समालोचक, तथा उत्कृष्ट कवि हैं, पुस्तकें--हिन्दी नवरत्न,

मिश्रबंधु विनोद, भारत का प्राचीन इतिहास, भूषण ग्रन्थावली आदि, पता--दीवान टीकमगढ स्टेट टीकमगढ ।

मिश्र, पं० शुकदेव विहारी— ज० १९३५ शि० बी. ए. हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पता--दीवान छतरपुर बुन्देलखण्ड ।

मिश्र, हरकरण नाथ— ज० १६ जुलाई १८९० ई०, शि० बी. ए. केम्ब्रिज एल. एल. बी. बार-एट-ला (१९१४) असहयोग में प्रवेश १९२१ जेलयात्रा नवंबर १९२१, जाइन्ट एडीटर 'अवध ला जर्नल', सीनियर वाइस चेयरमैन (१९३३-२५); एम. एल. ए. (१९२३-२६),डायरेक्टर 'इंडिपेन्डेंस' मेम्बर प्रांतीय तथा आल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पता---लखनऊ ।

मित्र, सर भूपेन्द्रनाथ— १९२४ से मेंबर वाइसराय कौंसिल,ज० अक्टूबर १८७५; शि० मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूशन, हेअर स्कूल व प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता १८९६ से मिनि-स्ट्रीयल स्थानों पर काम किया १९१९ में एनरोल्ड लिस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में नियुक्ति, असिस्टेंट सेक्रटरी १९१९, रायल कमीशन आन इंडियन फाइनेंस ऐंड करेंसी के साथ जून से सितम्बर १९१३ तक स्पेशल ड्यूटी, मई १९१५ से कन्ट्रोल आफ वार एकौंटस की हैसियत से डेपूटेशन पर ओ. बी. ई. १९१७, मिलिटरी एकौंटंट जनरल १९१९, मिलिटरी फाइनेंस शाखा के अरथाई सरकारी एडवाइजर, मई १९२०, स्थाई हुए, मई १९२२,रथाई फाइनेंस मेंबर मार्च से जून १९२५ तक पता—दिल्ली व शिमला ।

मित्र, सर सत्येन्द्र चन्द्र— मेंबर लेजिसलेटिव असेंबली, ज०१८८८ शि० कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वकील कलकत्ता हाइकोर्ट सेक्रटरी बंगाल प्रांतिक स्वराज्य पार्टी १९२४; मेंबर ए. आई. सी. सी. १९२०-२७; मेंबर बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल, १९२३--२६, डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के अनुसार नजर कैद १९१६-१९; असहयोग में वकालत छोड़ी १९२१, रेगुलेशन तीसरा १८१८ के अनुसार कैद १९२४-२७, जेल में ही एसेम्बली के लिये निर्वाचित हुए; पता—नौखाली; बंगाल.

मीर, सैयद अमीर अली— हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट कवि, जन्म संवत १९३०, ब्रजभाषा के प्रेमी, इन्स्पेक्टर आफ पुलिस उदयपुर, लेखक-बूढ़े का विवाह, बच्चे का विवाह, नीतिदर्पण की भाषाटीका, काव्यसंग्रह आदि,—पता--देवरी, जिला सागर ।

मुकन्दी लाल—बार-एट-ला, मेंबर, यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल, ज० १८९०, शि० इलाहावाद, वनारस व कलकत्ता और क्राइस्ट चर्च, आक्सफोर्ड बेरिस्टर, ग्रेज-इन १९१८, एडवोकेट इलहाहावाद हाईकोर्ट, यू. पी. लेजि० कौंसिल में गढवाल के मेंबर १९२३, हिन्दी व अंग्रेजी अखबारों में लेखक, मेंबर, स्वराज्यपार्टी, पता—देहरादून, लैंसडाऊन, जिला गढवाल यु. पी.

मुकर्जी, प्रो० राधाकुमद—ज० २५ जनवरी १८८४; डवल एम. ए. कलकत्ता (१९०१-१९०२); दो बड़े मेडल प्राप्त, प्रेमचंद रायचंद स्कालर (रु० ७०००) और मेडल 'विद्यावैभव' उपाधि (धर्म महा मंडल काशी); बडोदा राज्य से रु० ७००० का पारितोषिक 'इतिहास' के लिये मिला; इतिहास शिरोमणि', बडोदा सरकार; कलकत्ता यूनिवर्सिटी रीडर (१९२५); हिन्दू यूनिवर्सिटी में सर मणीन्द्रचन्द्र नन्दी लेक्चरर, मैसूर यूनिवर्सिटी लेकचरर १९१८-२०; इलाहावाद, लखनऊ, अलीगढ, यूनिवर्सिटियों की अनेक सभाओं के सदस्य, नैशनल कौंसिल आफ एडूकेशन बंगाल, प्रोफेसर और मुख्य इतिहास विभाग, लेखक, हिस्टरी आफ इंडियन शिपिंग; फन्डामेन्टल यूनिटी आफ इंडिया, लोकलगवर्नमेन्ट इन एनशिएन्ट इंडिया, नैशनलिजम इन एन्शियन्ट इंडिया, हर्ष, आदि पता—लखनऊ।

मुकर्जी, सतीशचन्द्र—वकील कलकत्ता, मेम्बर बंगाल लेजि० कौंसिल ज० १८७२, एम. ए. बी. एल. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसीडेंट इंडियन क्रिश्चन परिषद १९२१, प्रेसीडेंट राष्ट्रीय क्रिश्चन कौंसल हिंदुस्तान, बर्मा व सीलोन; १९१८; प्रेसीडेन्ट बंगाल क्रिश्चन फेमिली प्रेशन फन्ड, पता—६ मुलेन स्ट्रीट, कलकत्ता।

मुन्शी, कन्हैयालाल मणिकलाल—एडवोकेट, बंबई हाईकोर्ट व मेम्बर बंबई लेज० कोंसिल; ज० १८८७; भरोंच में, शि० वरोदा कालेज, मेंबर बंबई यूनिवर्सिटी सेनेट, एडीटर "यंगइंडिया" १९१५, एडीटर "दी गुजरात" गुजराती सचित्र मासिक; प्रेसीडेन्ट साहित्य संसद बंबई; चंदरोज सेक्रेटरी बंबई होमरूल लीग; कई गुजराती उपन्यास लिखे, पता—नेपियन सी रोड, बंबई।

मेमन, सी गोपाल—मेंबर लेजिसलेटिव कौंसिल, मद्रास, ज० १८७५, कई सालों तक मद्रास महाजन सभा के प्रेसीडेन्ट, सेक्रेटरी, साऊथ इंडिया चैंबर आफ कामर्स प्रमुख ग्रन्थ व्यापारिक विषय पर छोटी किताबें पता—२४ पथियान रोड, एगमोर, मद्रास।

मेहता, जमनादास माधव जी बैरिस्टर, लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२४ से, ज० जामनगर में १८८४, वाइस प्रेसीडेन्ट लंडन इंडियन एसोशिएसन १९१४, मेंबर बंबई कारपोरेशन १९२२, एडीटर "राष्ट्र सेवक"। पता—नेपियनसी रोड बंबई।

मेहता, जमशेद एन. आर—प्रेसीडेन्ट, कराची म्युनिसपेलटी छः साल से, ज० ७ जनवरी १८८६, तेरा साल की उमर में मेट्रिक हो कर डावर कालेज आफ कामर्स बंबई में भरती हुए; होम रूल आंदोलन (१९१६) में शामिल हुए; प्रेसीडेंट सिंध प्राविनशियल कान्फ्रेंस १९१८, सिंध नेशनल कालेज का प्रमुख संचालक व सहायक, 'पारसी पंचायतवाडी' के संचालक, मेंबर एक्साइज कमेटी, मेंबर करांची पोर्टट्रस्ट, डिवीजनल सेक्रटरी, आर्डर आफ दी स्टार, पता—कंप, कराची।

मेहता, लज्जाराम शर्मा,—जन्म कु० २ संवत १९२०, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के लेखक; श्री वेंकटेश्वर 'समचार' के अनेक वर्षों तक सम्पादक 'धूर्त रसिकलाल', 'हिंदू गृहस्थ' आदि अनेक पुस्तकें, पता—बम्बई।

मेहता, सर चुन्नीलाल विजभूकनदास—फइनेन्स मेंबर गवरमेंट आफ बंबई और लीडर आफ हाउस १९२४ से, ज० १८८१, शि० सेंट-जेवियर कालेज बंबई, बंबई म्युनिसपिल कारपोरेशन के सदस्य, प्रेसीडेंट म्युनिसपिल कारपोरेशन १९१६; मेंबर बंबई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६, चेयरमैन इंडियन मर्चेन्टस सेंबर १९१८, मिनिस्टर बंबई गवरमेंट १९२१-२३, प्रमुख मिल मालिक व्यापारी और ज्वाइंट स्टाक कंपनी के डायरेक्टर। पता—रिजरोड बंबई।

मेहता, सर लल्लूभाई सामलदास, ज० १८६२, सामलदास परमानन्ददास दीवान भावनगर के पुत्र, शि० भावनगर हाईस्कूल एलफिन्स्टन कालेज, सामलदास भावनगर स्टेट सर्विस में नियुक्ति १८८१, महाराजा के अंडर सेक्रटरी, १५ साल तक रेविन्यू कमिश्नर, १८९९ में स्तीफा देकर बंबई में ग्यारंटी ब्रोकर के धंदे का आरंभ, बंबई सेंट्रल को आपरेटिव बैंक, बैंक आफ इंडिया बैंक आफ बड़ोदा, इंडियन सीमेंट कंपनी और दो हायड्रो इलेक्ट्रिक कंपनियों के निर्माण में मदद की, मेंबर बंबई कौंसिल मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १९२०; कराची औद्योगिक परिषद के प्रसीडेन्ट १९१३, मेंबर मेकलेगन कोआपरेटिव कमेटी १९१४-१५, प्रसीडेंट मैसूर कोआपरेटिव कान्फ्रेंस १९१५; चेयरमैन

मैसूर कोआपरेटिव कमेटी १९२१-२३; मेंबर सेनेट बम्बई यूनिवर्सिटी १९१८ से, प्रेसीडेंट इंडियन मर्चैंट्स चेंबर १९१७-१८, मेंबर इंडियन मर्चैंट इल मेरीन कमेटी १९२३-२४, ऐक्टिङ्ग मेंबर बंबई एक्जीक्यूटिव कौंसिल १९२१, पता—६५ अपोलो स्ट्रीट बम्बई।

मोती चन्द्, राजा—ताल्लुकदार बैंकर व मिलओनर,ज० १८७६; बनारस मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, चेयरमेन सरकारी वीविंग इन्स्टीटयूट बनारस, चेयरमैन दी बनारस बंक कंपनी, चेयरमैन बोर्ड आफ डायरेक्टर सकटन ऐंड सिल्क मिल्स लि०, मेंबर कोर्ट एन्ड कौंसिल व खजानची बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी; मेंबर लखनऊ यूनिवर्सिटी व दीगर गैरसरकारी संस्थायें। पता—बनारस।

मोहनलाल महतो,—साहित्यालंकार, कविरत्न, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, गया की हिंदी साहित्य सभा के उपसभापति; लेखों के लिये माधुरी सुवर्णपदक,तथा भिन्न २ सभाओं से पदक प्राप्त किये, पुस्तकें,—निर्मिल्य, एकतारा, उत्सर्ग, आदि, पता—गया।

मोहनलाल सकसेना—ज० २४ अक्तूबर १८९६, बी० ए, एल. एल. बी०, यू. पी. कौंसिल के मेंबर, (१९२३-२६),चीफ विहपस्वराज्य पार्टी (१९२३-२६); जेल यात्रा (१९२१) व (सितम्बर १९२३); मंत्री नगर कांग्रेस कमेटी, लखनऊ पता—लखनऊ।

मोहानी, हसरत—आल इंडिया मुसलिम लीग के भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट,१९०३ में ग्रेजुऐट होनेपर "उर्दू-ए-मुअल्ला" नाम का उर्दू पत्र निकाला व कांग्रेस में प्रवेश किया, राजद्रोह में दो साल की सख्त कैद व ५०० रुपये जुर्माना१९०८, जुर्माना देने से इनकार करने पर पुलिस ने उनकी लायब्रेरी में से हजारों रुपयों की किताबें जप्त करलीं छूटने पर 'स्वदेशी स्टोर्स' खोला, 'तजकराय शुअरा' त्रैमासिक निकाला. दुबारा कैद छूटने पर फिर देश सेवा में मग्न, प्रेसीडेन्ट मुसलिम लीग १९२१; फिर कैद १९२२, पता—कानपुर।

रत्नाकर, जगन्नाथप्रसाद्—जन्म भाद्रपद शु० ५संवत १९२३,शि० बी. ए. ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि, हिंदी संसार में सुपरिचित लेखक, 'गंगावतरण' काव्य पर हिंदुस्थानी एकाडेमी और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सर्व प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ;—पुस्तकें-हिन्डोला, साहित्यरत्नाकर, समालोचनादर्शी, घनाक्षिरी नियम रत्नाकर आदि पता—इलाहाबाद।

रशब्रुक विलियम्स, एल. फ्रेडरिक—फारिन मिस्टर पटियाला स्टेट; ज० १८९१, शि० यूनिवर्सिटी कालेज आक्सफर्ड, पेरिस व वेनिस व रोम में अभ्यास, ट्रिनिटी कालेज आक्सफर्ड में लेक्चरर, १९१२, केनेडा व यूनाइटेड स्टेटस में प्रवास १९१३, फेलोआफ आल सोल्स १९१४, जनरल स्टाफ आर्मी हेडक्वार्टर्स इंडिया में नियुक्त १९१६, प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी १९१५-१९; प्रिंस आफ वेल्स के हिंदुस्तान भ्रमण के सरकारी इतिहासकार १९२१-२२, सेक्रटरी, इंडियन डेलीगेशन इम्पीरियल कानफ्रेंस १९२३; १९२५ तक हिन्दुस्तान सरकार के डायरेक्टर आफ पब्लिक इनफारमेशन, सरकार की ओर से अनेक पुस्तकें लिखीं, पता—पटियाला।

रहीम, सर अब्दुल—जन्म १८६७, शि० प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता मिडल टेंपल; एडवोकेट, कलकत्ता १८९०, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता, १९००-०३; कई सालतक जज मद्रास हाईकोर्ट, अस्थाई चीफ जस्टिस, मेंबर, रायल कमीशन आन पब्लिक सर्विसेस १९१३-१५, बंगाल सरकार के एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर रहे, पता—कलकत्ता

रहीमतुल्ला, सर इब्राहीम—ज० १८६२; मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल, बंबई सरकार, इंपीरियल लें० कौंसिल के मेंबर, प्रेसीडेंट बंबई लेजि० कौंसिल १९२३, पता—पेडर-रोड कम्बाला हिल बंबई।

रंगाचारियर, दीवान बहादुर, तिरूवेंकटा—मेंबर लेजि० एसेंबली, वकील हाईकोर्ट मद्रास, ज० १८६५, ३ साल स्कूल मास्टर; वकील हाईकोर्ट मद्रास १८९१, प्रोफेसर ला कालेज १८९८-१९००, मेंबर मद्रास कारपोरेशन १९०८ से, मेंबर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६-१९; मेंबर इंडियन बार कमेटी; मर्कंटाइल मेरीन कमेटी, ईशर कमेटी, डिपटी प्रेसीडेंट; लेजिसलेटिव एसेम्बली में रहे, मेंबर इंडियन कोलनीज कमेटी, कलोनियल आफिस लंडन को डेप्यूटेशन पर गये, प्रेसीडेंट टेलीग्राफ कमेटी १९२१, मेंबर फ्रांटियर कमेटी प्रेसीडेण्ट इंडियन सिनेमा इन्क्वायरी कमेटी, चेयरमैन मद्रास पबलिक सिटी बोर्ड, पता—रिथरडन हाऊस वेपेरी, मद्रास।

राजा गोपालाचार्य, चक्रवर्ती—वकील हाईकोर्ट मद्रास, ज० १८७९, शि० सेंटल कालेज बंगलोर, व ला कालेज मद्रास; सालेम में वकालत की, चेयरमैन सालेम म्युनिसिपैलिटी १९१७-१९, असहयोग में वकालत छोड़ी

१९२०, बेलोर में कैद १९२१, महात्मा गान्धी के कारावास के समय संपादक 'यंग इंडिया', असहयोग के जमाने में सविनय आज्ञा भंग की हलचल हाथ में लेने से फ्रीमेसन सोसायटी ने अलग किया, सविनय आज्ञा भंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से कौंसिल बहिष्कार कायम रखने की राय दी, स्वर्गीय देश बन्धु सी. आर. दास. के खिलाफ गया कांग्रेस में कट्टर असहयोगियों के नेता १९२२; इस वक्त डायरेक्टर गांधी आश्रम; पता—ट्रिचगोड्, जिला सालेम

राजेन्द्रप्रसाद—ज० १८८४, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मेट्रिक्यूलेशन में प्रथम एम. ए. १९०७, एम. एल. १९१५, मेंबर सिंडिकेट पटना यूनिवर्सिटी, लेकिन असहयोग में इस्तीफा दिया व वकालत भी छोड़ी, प्रेसीडेंट विहार छात्र परिषद, कुछ दिन जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय महासभा, चंपारन में महात्मा गांधी के साथ काम किया पता—खद्दर डिपो, बंकीपुर पो. आ. पटना।

रामपालसिंह, राजा सर—ताल्लुकदार कुरी-सुदोली राज रायबरेली, ज० १८९७, शि० एम. ए. ओ० कालेज अलीगढ; यू. पी. लेजिस० कौंसिल के कई साल तक मेंबर; मेंबर इम्पीरियल लेजिस० कौंसिल; दो बार निर्वाचित मेंबर, कौंसिल आफ स्टेट प्रेसीडेंट अखिल भारतीय शुद्धि सभा, व हाल प्रेसीडेंट अखिल भारतीय हिन्दू महासभा, डायरेक्टर अलाहाबाद बैंक लि०, फेलो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कई धर्मादाय संस्थाओं के प्रेसीडेण्ट, पता—कुरी-सुदोली राज, जिला रायबरेली, अवध।

रामजी, सर मनमोहनदास—मिल मालिक व मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, ज० १८५७, इंडियन मर्चेंट्स चेंम्बर के संस्थापक; व प्रेसीडेण्ट १९०७-१३; फिर १९२४ में; बांबे नेटिव पीस गुड्स मर्चेंट्स असोसियेशन के ३० साल से ऊपर प्रेसीडेण्ट, कई साल तक ट्रस्टी बांबे पोर्ट ट्रस्ट, मेंबर बांबे लेजिस० कौंसिल १९१०-२०, मेंबर लेजिस० असेम्बली १९२१-२३, १८ साल तक मेंबर बांबे कारपोरेशन व प्रेसीडेण्ट १९१२-१३, पता—रिजरोड, मलाबार हिल बांबे।

रामदास गौड़, प्रो०—शिक्षा एम. ए, बनारस यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक प्रोफेसर थे; असहयोग में कांग्रेस कार्य, हिन्दी रीडरें स्कूलों के लिये राष्ट्रीय ढंग पर लिखीं जो जप्त हुई अन्य पुस्तकें—इटली के विधायक महात्मा, वैज्ञानिक अद्वैतवाद, आदि पता—विहार विद्यापीठ पटना।

रामदेव, प्रो०—गुरुकुल (कांगड़ी) विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ता तथा संचालक, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, आर्य समाज की ओर से अफ्रीका आदि देशों में प्रचार कार्य किया है, पता—गुरुकुल, कांगड़ी।

रामनरेश त्रिपाठी,—हिंदी के प्रसिद्ध लेखक तथा उच्च कोटि के कवि, जन्म संवत १९४६, हिंदी, उरदू, अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान, बंगला, मराठी आदि भाषायें भी जानते हैं; हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री अनेक वर्षोंतक, असहयोग आंदोलन में १८ महीने की कैद, साहित्य सेवी, पुस्तकें—कविता कौमुदी, मिलन, पथिक, स्वप्न, भूषण ग्रंथावली, व रामचरित मानस की टीका आदि, संचालक हिन्दी मन्दिर प्रयाग।

राममूर्ति, प्रो०,—भारत के आधुनिक भीम, मोटरों को रोकना; वजन उठाना, छाती पर भारी पत्थर तुड़वाना, लोहे के जंजीर को तोड़ना, आदि कार्य शारीरिक बलद्वारा अनेक वर्षों तक किया; राममूर्ति सरकस के संचालक व मालिक, ब्रह्मचर्य को शारीरिक बल का तत्व बताते हैं; जापान आदि देशों में मान मर्यादा प्राप्त, पता—मद्रास।

रामाज्ञा द्विवेदी, 'समीर,'—ज० पौष सुदी ५ संवत १९५८; शि० एम. ए.; एम. आर. ए. एस., अनेक छात्र वृत्तियां प्राप्त कीं, स० १९२४, में माधुरी पुरस्कार मिला, नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य तथा साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य; सम्पादक 'उदय' "यमदूत" आदि, पुस्तकें—एसेज (अंग्रेजी) १९२३; त्रिकलिका (१९२०), सुहागरानी १९२२, सोने की गाडी (नाटक), माधुरी, मनोरमा, आदि पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं, प्रोफेसर डी., ए. वी. कालेज कानपुर।

राय, एम. एन., जगत प्रसिद्ध भारती कम्यूनिस्ट; जर्मनी, फ्रांस; रूस आदि देशों में भारत की स्वतंत्रता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के उत्तम लेखक तथा विद्वान, पता—विदेश,

राय, कालीनाथ—एडीटर "ट्रिब्यून" लाहौर; ज० १८७८; जैसूर बंगाल में, "बंगाली" के सत्र एडीटर, १९००, मि० बनर्जी के इंगलैंड जाने पर पत्र के मुख्य संपादक "दी पंजाबी" १९१५-१७, १९१७ से "ट्रिब्यून" के एडीटर, १९१९ में राजद्रोह म दो साल की सख्त कैद, पता—"ट्रिब्यून" लाहौर।

राय, केशव चन्द्र—एसोशिएटेड प्रेस आफ इंडिया के संस्थापकों में

से एक व बैंक के डायरेक्टर; ज० १८७३ मेंबर लेजि० असेम्बली, कौंसिल आफ स्टेट के मेंबर रहे, मेंबर कोलोनाइजेशन कमेटी, पता—४, अंडर हिललेन दिल्ली ।

रुस्तमेहिन्द, गामा—भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ पेहलवान, इंग्लैंड जाकर अनेक पेहलवानों को हराया, पटियाला में प्रसिद्ध रूसी पेहलवान जैबिस्को को १ मिनट में परास्त किया १९२८, फ्रांसीसी पेहलवान को पटियाला में परास्त किया, महाराजा पटियाला का इन पर अत्यन्त प्रेम है, पता—पटियाला ।

रेड्डी, डाक्टर मथुलक्ष्मी—ब्रिटिश इंडिया में प्रथम स्त्री एम.एल.सी. डिप्टी प्रेसीडेंट मद्रास लेजि० कौंसिल ज० १८८६, पुदु कोटा में डाक्टर टी. सुन्दरा रेड्डी प्रोफेसर आफ एनाटोमी मद्रास मेडिकल कालेज से विवाह हुआ, स्त्रियों व बच्चों की बीमारियों की खास तरह पर शिक्षा लेने के लिये इंग्लैंड भेजी गई' अन्तराष्ट्रीय महिला परिषद पेरिस की प्रतिनिधि, १९२६, पता—मद्रास ।

लक्ष्मणराव कदम—संयुक्त प्रांत के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता, मजदूर किसान आन्दोलन में प्रमुख भाग, जी. आई. पी. रेलवे मेन्स यूनियन झांसी के सेक्रटरी, किसान मजदूर कान्फ्रेन्स यू. पी (१९२८) के सेक्रटरी, राजद्रोह के मुकदमें में गिरफतार (१९२९) पता—झांसी ।

लाला सीताराम,—जन्म जनवरी १९५८, ई०; शि. बी. ए. साहित्य रत्न, रायबहादुर, फारसी. अरबी, संस्कृत, फ्रेंच, तथा हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान, आपने अनेक संस्कृत नाटकों तथा काव्य ग्रंथों का गद्य पद्य अनुवाद किया है । पता—खेरी ।

वर्मा, वृन्दावन लाल,—शि० बी. ए. एल. एल. बी., हिन्दी भाषा के अच्छे लेखक तथा साहित्य प्रेमी; पुस्तकें 'लगन' आदि, लिबरल दल के मेंबर, संपादक "स्वाधीन", पता—झांसी

वर्मा, सूर्य कुमार;—हिंदी के अच्छे लेखक; गवालियर राज्य में अच्छे पद पर हैं, जन्म अषाढ शु० २ संवत १९३४; पुस्तकें, जर्मनी का विकास, बाल भारत, आदि; पता—लश्कर ।

वाडिया, सर हुरमस जी अरदेसर—बेरिस्टर ज० १८४९; शि० एलफिन्स्टन कालेज बंबई, व यूनिवर्सिटी कालेज लंडन, पर्सनलअसिस्टेंट मि० दादा भाई नौरोजी दीवान आफ बरोदा १८७४--७५, १८७४ से काठियावाड में वकालत, ट्रस्टी, पारसी

पंचायत १९१२, कैसरई हिंद सुवर्ण पदक मिला १९१८, पता—३७,मेरीन लाइन्स बंबई व पूना ।

वाच्छा ,सर दिनशा एडल जी,—मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, डायरेक्टर, दी सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया एंड दी सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी, ज० १८४४, शि० एलफिन्सटन कालेज, बंबई, १८७४ से कपास के व्यापारी, ३० साल तक बंबई म्युनिसपल कारपोरेशन के मेंबर व उसके प्रेसीडेन्ट १९०१-०२, मेंबर बंबई मिलओनर्स एसोशिएशन कमेटी, १८८९-१९२७, १ प्रेसीडेंट १९१७,मेंबर बंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट १८९८-१९१९, प्रेसीडेन्ट, १७वीं राष्ट्रीय महासभा कलकत्ता १९०१, प्रेसीडेंट, बेलगांव प्रांतिकपरिषद १८९४ जनरल सेक्रटरी, राष्ट्रीय महासभा; १८९४--१९१२ ट्रस्टी विकटोरिया ज्युबिली टेकनिकल इंस्टीट्यूट १९०२ से, व आनरेरी सेक्रटरी १९०९-२३; मेंबर बंबई लेजि० कौंसिल १९१५-१६, प्रेसीडेंट वेस्टर्न इंडिया लिबरल एसोसियेशन १९१९ से, सेक्रटरी, बंबई प्रेसीडेंसी एसोसियेशन १८८५-१९१५, व प्रेसीडेन्ट १९१५-१८, प्रेसीडेन्ट प्रथम बंबई प्रांतिक लिबरल कानफ्रेंस १९२२, पता—जिजी हाउस, रेवेलीन स्ट्रीट, फोर्ट बंबई ।

विष्णु दिगम्बर पलुस्कर—पं० गायनाचार्य, ज० १८७२, शि० मिरजस्टेट; गायन विषय पर नोटेशन्स की ५४ किताबें लिखीं; पता—श्रीरामनामाधार आश्रम पंचवटी, नाशिक,

विश्वनाथ, प्रोफेसर—जन्म १८९०, शि० विद्यालंकार (गुरुकुल वि०), लेखक वैदिक जीवन, वीरमाता का संदेश, पशुयज्ञ मीमांसा, गृहस्थ जीवन का वैदिक आदर्श, वाइस प्रिंसिपल गुरुकुल यूनिवर्सिटी, प्रो० वैदिक साहित्य पता—कांगड़ी ।

विश्वेश्वरय्या, सर मोक्षगुंडम—ज० १८६१, शि० सेन्ट्रल कालेज, बंगलौर व सायन्स कालेज पूना, असि० इंजीनियर, पी. डब्लू. डी. बम्बई, १८८४, सुपरि० इंजीनियर १९०४ रिटायर्ड १९०८, स्पे० कन्सल्टिंग इंजी. निजाम सरकार, १९०९; चीफ इंजीनियर व सेक्रेटरी पी.डब्ल्यू.आई.आर डिपार्टमेंट मैसूर सरकार १९०९; दीवान मैसूर, १९१२–१८, भ्रमण; युरप, अमेरिका व जापान; १९१९–२०, चेयरमेन; बम्बई टेकनिकल व इंडस्ट्रियल एज्यूकेशन कमेटी, १९२१-२२, चेयरमेन भारतीय आर्थिक जांच कमेटी १९२५, ग्रंथ "रीकन्स्टक्टिंग इंडिया" पता—अपलेंड्स हाई ग्राउंड, बंगलोर ।

घी. डी. ऋषि, प्रो०—परलोक विद्या के ज्ञाता तथा प्रचारक; अनेक समाचार पत्रों में लेख लिखते हैं, फ्रांस में परलोक विद्या परिषद में भारतीय प्रतिनिधि, पता–इंदौर।

वैद्य, चिन्तामण विनायक—रिटायर्ड चीफ जस्टिस ग्वालियर स्टेट शि० बी. ए. एल. एल. बी.; कुछ काल तक सबजज ब्रिटिश इंडिया तदनंतर चीफ जस्टिस ग्वालियर राज्य, प्रसिद्ध इतिहास संशोधक तथा लेखक, "रिडिल आफ दी रामायण" "हिस्ट्री आफ ए. फारगोटन अंपायर," "अवलोकित माला" "मध्ययुगनी भारत;" ज्योतिष शास्त्र वेत्ता, प्रेसीडेन्ट बृहन्महाराष्ट्र परिषद झांसी (१९२७), पता–कलयान। बंबई

शफी, मिर्जा सर महम्मद, खान बहादुर—प्रेसीडेन्ट, पंजाब राष्ट्रीय लिबरल लीग, पंजाब मुसलिम शिक्षा परिषद, अंजुमन-इ-रेयन-इ-हिंद व सर्व जातीय क्लब लाहौर, प्रो-चांसलर, दिल्ली युनिवर्सिटी, १९२२-२५ लीगल ऐंडवाइजर भावलपुर स्टेट; जन्म १८६९, शि० गवरमेंट कालेज व फोरमेन क्रश्चयन कालेज, लाहौर, विद्यार्थी व बैरिस्टर मिडल टेम्पल; प्रेसीडेंट आल इंडिया उर्दू परिषद १९११, प्रेसीडेंट आलइंडिया मुसलिमलीग;१९१३,प्रेसीडेंट इंडिया मुसलिम शिक्षा परिषद १९१६; प्रेसीडेंट हाइकोर्ट बार एसोसियेशन, १९१७-१९, प्रेसीडेंट पंजाब प्रांतिक बार कानफ्रेंस, १९१९, मेंबर पंजाब लेजि० कौंसिल व इंपीरियल लेजि० कौंसिल १९०९–१९, शिक्षा मंत्री भारत सरकार १९१९-२२, वाइस प्रेसीडेंट कार्यकारी कौंसिल व ला मेंबर, भारत सरकार (१९२२-२४); प्रेसीडेंट इंडियन सोलजरस बोर्ड, १९२४; अन्य "पंजाब टेननसी एक्ट विथ नोटस" प्रविन्शियल स्माल काजेस कोर्टस एक्ट विथ नोटस व ला आफ काम्पेन्सेशन फार इम्प्रूवमेंटस इन ब्रिटिश इंडिया, पता—'इकबाल मंजिल' लाहौर।

शर्मा, कृष्ण गोपाल, देशभक्त तथा कांग्रेस कार्य कर्ता, अनेक वर्षों तक संचालक व सम्पादक 'उत्साह' उर्दू व झांसी, राष्ट्र कार्य में जेलयात्रा दो बार; मेंबर युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, सेक्रटरी स्वागत कमेटी २२ वीं यू. पी. प्राविंशियल कानफ्रेंस झांसी (१९२८) वर्तमान सम्पादक-'क्रांतिकारी' झांसी।

शर्मा, नाथूराम शंकर—ज० चैत्र शुक्ल ५ संवत १९१६, आपने अनेक वर्षों तक हिन्दी साहित्य की सेवा की है, उत्कृष्ट लेखक, पुस्तकें अनुरागरत्न, गर्भरंडारहस्य, वायस-विजय। पता—बनारस।

शर्मा, पण्डित नेकीराम—हिंदी के प्रसिद्ध वक्ता सेक्रटरी हिंदू महासभा, ज० १८८७, असहयोग में अग्रसर भाग; देश कार्य में आठ माह कैद १९२१, पता—भिवानी, पंजाब।

शर्मा, बालकृष्ण—ज० ८ दिसंबर १८९७; शि० बी. ए. तक असहयोग में शिक्षा त्याग; प्रताप में कार्य आरंभ (१९२०); रायबरेली जिले में किसान आन्दोलन के समय प्रताप की ओर से काम किया (१९२१) जिस समय वीरपाल सिंह शूटिंग केस चला; जेल यात्रा (१९२१); सम्पादक 'प्रभा' (१९२३-२५) सह-संपादक 'प्रताप' (१९२३); हिन्दी के अच्छे कवि व लेखक, 'नवीन' नाम से लिखते हैं, पता—कानपुर।

शर्मा, पं० रामावतार—शि० एम. ए. साहित्याचार्य, अनेक वर्षों तक पटना कालेज में प्रोफेसर, संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओंके प्रसिद्ध विद्वान व लेखक, नागरी प्रचारणी सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्य के प्रमुख सदस्य पता—बनारस।

शर्मा, रामेश्वर प्रसाद—हिंदी भाषा के सुपरिचित लेखक, "सरस्वती" पत्रिका के उप-संपादक कुछ काल तक, अनेक पुस्तकों के लेखक, सम्पादक 'न्याय' 'साहस' 'महिला' आदि, पता—झांसी।

शर्मा, सर वी. नरसिंह—ज० १८६७, शि० हिन्दू कालेज विजगापट्टम, राजमहेंद्री कालेज व प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, वाद शिक्षक व वकील विजगापट्टम व मद्रास; भूतपूर्व ला मेंबर, भारत सरकार पता—मद्रास।

श्यामसुन्दर दास, बा०—शि० बी. ए., हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक; नागरी प्रचारणी सभा के कर्णाधार, आपने हिन्दी भाषा का एक विशाल कोश तैयार किया है, पुस्तकें; संक्षिप्त रामायण; साहित्यालोचन; भाषा विज्ञान, पता—काशी।

शास्त्री, श्रीनिवास; राइट आनरेबिल वी. एस.—भूतपूर्व एजेंट जनरल इन साउथ अफ्रीका १९२७ से १९२९, ज० १८६९; शि० कुंभकोनम, हेडमास्टर ट्रिप्लिकेन हाइस्कूल, इस्तीफा १९०६, व सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी को १९०७ में प्रवेश, स्व० मि० गोखले के बाद सोसायटी के प्रेसीडेण्ट १९१५-२७, मेंबर मद्रास लेजिस० कौंसिल १९१३-१६, व इंपीरियल लेजिस० कौंसिल १९१६-२०, मेंबर साउथवरो कमेटी, मेंबर अक्वर्थ इंडियन रेलवे कमेटी १९२१-२२, मेंबर माडरेट [illegible] को १९१९, इंपीरियल पीस कान्फ्रेंस १९२१; लीग आफ नेशंस जिनेवा व वाशिंगटन परिषद में

हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि, नियुक्ति प्रीवी कौंसिलर वा फ्रीडम आफ दी सिटी आफ लंडन को पदवी मिली १९२१, उपनिवेशों में हिन्दुस्तान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से दौरा किया १९२२, मेंवर कौंसिल आफ स्टेट १९२१--२४; मेंबर केनियां डेप्युटेशन १९२३, मेंवर भारतीय डेलीगेशन साउथ अफ्रीका को राउंडटेबल परिषद् के लिये १९२६--२७, पता—सर्वेंट आफ इंडिया सोसायटी, बम्बई व पूना।

शर्मा, विश्वम्भरनाथ, कौशिक हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक समाचार पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं; पुस्तकें, संसार की असभ्य जातियों की स्त्रियां पता—कानपुर।

शीतला सहाय,—बी. ए. कांग्रेस के कार्य कर्ता, असहयोग में प्रवेश; हिन्दी के लेखक, पुस्तकें, हिन्दी त्योहारों का इतिहास, मनोरमा, यू. पी. प्रांतीय चर्खा संघ के संचालक, पता—इलाहाबाद।

श्रीयुत छगनलाल नाथूभाई, जोषी,—जन्म १९ सितम्बर १८९६; गुजरात विद्यापीठ में अर्थ शास्त्र के अध्यापक, लेखक, 'खादी निबंध', मंत्री सत्याग्रह आश्रम, साबरमती अहमदाबाद।

श्री झाबवाला, शावकशा हुरमस जी,—जन्म २० मई १८८७, सूरत शि० बी. ए. सेक्टरी अनेक राजनैतिक सामाजिक संस्थायें, बंबई के मजदूरों के नेता, चीफ सेक्टरी जी. आई. पी. रेलवेमेंस यूनियन बंबई. स्वार्थ त्यागी और उच्च कोटि के कार्यकर्ता, किसान मजदूर कानफ्रेंस यू. पी. झांसी के सभापति १९२८; राजद्रोह के मामले में ३१ मनुष्यों के साथ गिरफ्तार अप्रैल १९२९; पता—बंबई।

श्रीप्रकाश,—जन्म; भाद्रपद कृष्ण ४. संवत १९४७, शि० सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, काशी, ट्रिनिटी कालेज, केम्ब्रिज, बी. ए., एल. एल. बी., बार-एट-ला; हिन्दू कालेज तथा यूनिवार्सिटी में प्रोफेसर (१९१४-१७), इंडिपेंडेंट और 'लीडर' पत्रों के सम्पादकीय विभाग में कार्यकर्ता; कांग्रेस के कार्यकर्ता अनेक वर्षों तक. 'आज' के सम्पादक १९२०-२४, स० १९२१, से बराबर 'काशी विद्या पीठ' के अध्यापक, स० १९२६, में कांग्रेस की ओर से लेजि० असेम्बली के लिए खडे हुए, पता—काशी।

सकलत वाला, शापुरजी—मेंबर ब्रिटिश पार्लमेंट १९२२--२३, और अक्टूबर १९२४ से, ज. १८७४, बंबई में; शि० सेंटजेवियर स्कूल व

कालेज बम्बई व लिन्कन्स इन, टाटा-सन्स में शरीक होकर हिन्दुस्थान के जंगलों में लोहा वगैरः की ३ साल तक खोज की जिसके फल स्वरूप टाटा, आयर्न ऐंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई, जनरल वर्क्स यूनियन में शरीक हुये, आई. एल. पी.; बी. एस. पी. कोआपरेटिव आंदोलन व थर्ड इन्टर-नेशनल के मेंबर हुये; मेंबर ब्रिटिश-कम्यूनिस्ट पार्टी, लन्दन में वर्क्स वेल-फेयर लीग आफ इंडिया के संस्थापक, लोक प्रिय वक्ता, १९२७ में भारत में आने पर अपूर्व सत्कार हुआ, ग्रंथ-भारतीय मजदूर दल पर छोटी राज-कीय किताबें, पता—२ सेंट अलबियन्स विलास, हायगेट रोड, एन. डब्ल्यू. ५ लंडन।

सत्यदेव, स्वामी—हिन्दी भाषा तथा राष्ट्र के निर्भीक सेवक, अमरीका में स्वतन्त्र रूप से विद्याभ्यास तथा भ्रमण अनेक वर्षों तक, लौट कर देश कार्य में प्रवेश, असहयोग में प्रमुख भाग, हिन्दू संगठन के अग्रसर कार्य-कर्ता, हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक तथा वक्ता, राष्ट्रीय शिक्षा, हिंन्दू संगठन का बिगुल तथा अन्य पुस्तकों के लेखक, वर्तमान पता--आस्ट्रिया देश।

सत्यमूर्ति, एस.—वकील हाई-कोर्ट व १९२३ से मेंबर मद्रास लेजि० कौंसिल, ज० १८८७; पदुकोटा में, शि० राज्य कालेज पदुकोटा, क्रिश्चन ला कालेज मद्रास; मेंबर सेनेट व सिंडि-केट मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास कौंसिल में कांग्रेस पार्टी के डेपुटी लीडर, भ्रमण यूरुप, ग्रन्थ नागरिकों के हक; पता—२।१९ सिङ्गर्च्यु स्ट्रीट त्रिप्लीकेन मद्रास

सत्यव्रत; प्रो०—ज० १८९७, शि० गुरुकुल विश्वविद्यालय (कांगड़ी) की सिद्धांतालंकार उपाधि प्राप्त; अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सुवर्ण पदक प्राप्त, मद्रास तथा मैसूर प्रान्तों में आर्य समाज केन्द्रीय निर्माण का ३ वर्ष तक कार्य किया, कोल्हापुर के राजाराम कालेज में प्रोफेसर रहे, बंगलोर के दया-नन्द ब्रह्मचर्याश्रम को स्थापित किया; हिंन्दी में ब्रह्मचर्य संदेश और अंग्रेजी में How to learn Hindi तथा Confidential Talks to Young men लिखीं, 'अलंकार' मासिक के सम्पादक; आपकी धर्म पत्नी श्रीमती चन्द्रावती इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एम. ए. हैं। उन्होंने 'मदर इंडिया का जवाब' पुस्तक लिखी है, भ्रमण, अफ्रीका, बर्मा, गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा रजिस्ट्रार; पता—कांगड़ी।

सनेही, गयाप्रसाद शुक्ल—हिंन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि; अनेक

पुस्तकें हिन्दी कविता की लिखी हैं। 'सनेही' व 'त्रिशूल' नामों से कविता लिखते हैं, पुस्तकें; त्रिशूल तरंग, कृषक-क्रन्दन, कला में त्रिशूल; पता—कानपुर

सन्तानम; कृष्णमाचारि—बैरिस्टर, ज० १८८५ तंजौर जिले में, शि० मद्रास, केंब्रिज व बैरिस्टर १९१०, पंजाब हाइकोर्ट में वकालत शुरू की १९११, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०, सेक्रटरी पंजाब कांग्रेस जांच कमेटी १९१९-२०; मेंबर लाहौर म्युनिस्पैलटी १९२१, प्रेसीडेण्ट पंजाब प्रांतिक परिषद १९२२, ला० लाजपत राय के साथ नजर कैद हुई, और १८ माह की कड़ी कैद व ५०० रु० जुर्माना हुये. कैद माफ होकर ३१ जनवरी सन १९२२ को छूटे, पता—फेन रोड, लाहौर

सप्रू, सर तेजबहादुर—ज० १८७५, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद १८९६ मेंबर यू. पी. लेजि० कौंसिल, १९१३-१६, मेंबर, इंपीरियल लेजि० कौंसिल १९१६-२०; मेंबर साउथबरो फंकशंस कमेटी १९१८-१९ मेंबर माडरेट डेप्यूटेशन व लार्ड सेलबोर्न कमेटी लंडन के सामने गवाह १९१९, प्रेसीडेंट यू.पी. राजकीय परिषद १९१४; प्रेसीडेंट यू. पी. सामाजिक परिषद १९१३, प्रेसीडेंट यू. पी. लिबरल लीग १९१९-२०, फेलो इलाहाबाद युनिवर्सिटी १९१०-२०, भारत सरकार के ला मेंबर १९२०-२२, इस्तीफा, १९२२, मेंबर इम्पीरियल कांनफ्रेंस लंडन १९२३, प्रेसीडेंट आल इंडिया लिबरल फेडरेशन पूना १९२३, व बंबई १९२७, मेंबर रिफार्म्स इन्क्वायरी कमेटी १९२४, एडीटर इलाहाबाद ला जर्नल १९०४-१७, पता—१९ अलबर्ट रोड इलाहाबाद।

सम्पूर्णानन्द,—हिन्दी के अच्छे लेखक, शि० बी. ए. कांग्रेस कार्यकर्ता, सेक्रेटरी यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर; पुस्तक 'अन्ताराष्ट्रीय विधान' हर्षवर्धन सम्राट अशोक पता—काशी।

सरकार, जदुनाथ—शि० प्रेसीडेन्सी कालेज कलकत्ता प्रेमचंद रामचंद स्कालर, आनरेरी मेंबर रायल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन सन १९२३, सरजेम्स कैमवेल गोल्ड मेडलिस्ट; बंबई ब्रिटिश आर. ए. एस. वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी (१९२६), इंडियन एजुकेशनल सर्विस, ज० १८७०, कुछ दिन हिंदू यूनि० बनारस में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर, १९१७-१९; रीडर इन

इंडियन हिस्टरी पटना यूनिवर्सिटी, १९२०-२२, पता—कलकत्ता।

सहगल, रामरख सिंह,—प्रसिद्ध पत्रिका 'चांद' के जन्मदाता तथा संचालक, असहयोग आंदोलन में राजनैतिक कार्य, पता—चांद कार्यालय इलाहाबाद -

सारदा, रायसाहब, हरविलास मेंबर लेजि० असेंबली १९२४ से, ज० १८६७, शि० अजमेर व आगरा कालेज, ग्रेजुएट कलकत्ता यूनि०, प्रोफेसर गवर-मेंट कालेज अजमेर, १८८९, गार्डियन टू महारावल जैसलमेर १८९४, जज, स्माल काजकोर्ट अजमेर १९१२, महा-युद्ध में सेक्रटरी अजमेर-मारवाड़ पबलि-सिटी बोर्ड कमांडर-इन-चीफ के डिस-पेच में उल्लेखित हुए, जज चीफ कोर्ट जोधपुर १९२५, अध्यक्ष, अखिल, भारतीय वैश्य परिषद १९२५, प्रसिद्ध सारदा बिल के निर्माण कर्ता, ग्रंथ, महाराजा कुंथ; हिन्दू सुपीरिआरिटी महा-राणा सांगा, अजमेर, पता— हरनिवास, सिविललाइन्स, अजमेर।

सावरकर, गणेश दामोदर—एडीटर 'श्रद्धानन्द', बैरिस्टर-एट-ला, प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय देश भक्त नेता, देश अभिमान पूरित कविताओं के निर्माण कर्ता कवि, राजद्रोह करने के अभियोग में आजीबन देशनिर्वासन की सजा १९१०, पोर्टब्लेअर में १९१०-२१ तक कैद रहे, सितंबर १९२२ में छूटे बंबई निवासियों ने उनका सार्व-जनिक आदर सतकार किया। पता—बंबई।

सिंह, अनुग्रह नारायण,—बिहार में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, शि० एम. ए. बी. एल. (पटना) असह-योग आन्दोलन में वकालत त्याग, गया कांग्रेस में सेक्रटरी स्वागत कमेटी, मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १९२३-२६, (१९२६ से फिर) पता—पटना।

सिंह, गयाप्रसाद—वकील, १९२४ से मेंबर लेजि० असेम्बली, असेम्बली में नेशनालिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक, मुजफ्फरपूर म्युनि-सिपेलटी के मेंबर रहे, ग्रन्थ 'चित्रमय काश्मीर' पता—मुजफ्फरपुर विहार।

सिंह, नरबदा प्रसाद—जन्म सं० १८४६; शि० हायर डिपलोमा मेयो-कालेज अजमेर, (१९०९), असहयोग में प्रवेश, १९२१, रीवां राज्य में रेविन्यू कमिश्नर, त्याग पत्र (१९२१); पता—इलाहाबाद।

सिंह, सच्चिदानन्द—बैरिस्टर मेंबर, एक्जीक्यूटिब कौंसिल, विहार व

उड़ीसा १९२१-२२, ज० १८७१, कलकत्ता, बैरिस्टर (मिडलटेंपल) १८९८ एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट १८९३; इलाहाबाद हाइकोर्ट १८९६; पटना हाईकोर्ट १९२६; संस्थापक व संपादक हिंदुस्तान रिव्यू १८९९-१९२१; दोबारा लेजि० असेम्बली में निर्वाचित १९२०, असेंबली के प्रथम डिप्टी प्रेसीडेंट निर्वाचित १९२१, अपने पत्नी के स्मारक में १९२४ में श्रीमती राधिका इंस्टीटयूट नामक संस्था निर्माण की व उसके लिये द्रव्य अर्पण किया। इस संस्था का पटना में सबसे बडा सार्वजनिक हाल व उत्तम अंगरेजी साहित्य से सज्जित 'सच्चदानंद सिंह' लायब्रेरी है। पता—पटना विहार व ७ एलगिन रोड, इलाहाबाद।

सीतलवाद, सर चिमनलाल, डी. एल., एडवोकेट हाईकोर्ट, बंबई, ज० १८६६. शि० एलफिंसटन कालेज, बंबई लीडर हाईकोर्ट बंबई; मेंबर साउथबर रिफार्म्स कमेटी १९१८, मेंबर हंटर कमेटी १९१९, एडीशिनल जज, बंबई हाईकोर्ट १९२०, मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बंबई सरकार जनवरी १९२१ से जून १९२३, वाइस चांसलर बंबई यूनिवर्सिटी. पता—सीतलबाद रोड. मलवार हिल, बंबई.

सील, सर बृजेन्द्रनाथ; वाइस-चांसलर मैसूर युनिवर्सिटी, जार्ज दी फिफ्थ प्रोफेसर आफ मेंटल ऐंड मोरल सायंस कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९१४-२०, मैसूर सरकार कौंसिल के मेंबर १९२५-२६, ज० १८६४, पौर्वात्य परिषद रोम के प्रतिनिधि १८९९, फर्स्ट यूनिवर्सिटी रेसेस कांगरेस लंडन के प्रथम वक्ता, १९२१, कलकता यूनिवर्सिटी रेग्यूलेशन के तय्यार करने के शिनल कमेटी के मेंबर १९०५; चेयरमेंन, मैसूर कांस्टीटयुशनल रिफार्मस कमेटी १९२२-२३.

सुन्दरलाल, पंडित—प्रसिद्ध देश सेवक, शि० बी. ए. तक, विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में प्रवेश (इलाहाबाद), शिक्षा त्याग, हिन्दी 'कर्मयोगी' व 'भविष्य' के भूतपूर्व सम्पादक, असहयोग आंदोलन में अग्रसर, सी. पी. में अनेक वर्षों तक कार्य किया, हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक; महात्मा गांधी के परमभक्त, खद्दर प्रचार में रुचि, लेखक 'भारत में अंग्रेजी राज्य, 'सभ्यता महा रोग' पता—इलाहाबाद।

सुहरावर्दी, महमूद—'रईस' मिदनापुर; मेंबर लेजि० एसेम्बली, ज० १८८७, १५ साल रजिस्टरिंग आफिसर, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वोर्ड मिदनापुर, सार्वजनिक काम करने के लिये सरकारी नौकरी का

(अमरीका) के रेनिच म्यूजियम के प्रतिष्ठित सलाहकार। प्रकाशन—अजंटा बंगला में 'पता—लखनऊ।

हर्डीकर डाक्टर नारायण सुबराव—ज० १८८९, शि० राष्ट्रीय मेडिकल कालेज कलकत्ता, अमरीका का मिचिगोन बि० बि०, न्युयार्क के 'यंग इंडिया' के प्रबन्ध संपादक. कुछ समय तक कर्णाटक प्रांतीय कांगरेस कमेटी के प्रधान मंत्री; हिन्दुस्तानी सेवा दल के मंत्री, संपादक 'वालिंटियर', कर्णाटक के स्वयं सेवकों का नागपुर झण्डा सत्याग्रह में संचालन किया और जेल गये, चीन को सेवा दल भेजने का प्रस्ताव किया जिसे गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया। पता—हुवली।

हिदायतुल्ला खां बहादुर सर शेख गुलाम हुसैन—मिनिस्टर बंवई गवर्नमेंट, ज० १८७९, शि० शिकारपुर हाई स्कूल, डी. जे. सिंध कालेज और गवर्नमेंट ला स्कूल बम्बई, वकील, सदस्य और चुने हुये वाइस चेयरमैन, हैदराबाद म्यु० वो०. सभापति डिस्ट्रिक्ट बो० हैदरावाद और मेम्वर वंवई कौंसिल पिछले १४ वर्षों तक; बम्बई के मिनिस्टर १९२१ से, पता—सेक्रटरियट वम्बई।

हिन्दी कोविद जहूरबख्श—ज० १९००, गढाकोटा (सागर), हिन्दी भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, अनेक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं, हिन्दी अक्षरों को भिन्न प्रकार से सुन्दर पूर्वक लिखते हैं। 'चांद' व गंगा पुस्तक माला के लिये अनेक डिजाइन्स तैयार किये हैं, कुछ स्कूली पुस्तकें भी लिखी हैं, स्त्री उपयोगी पुस्तकों में देवी सीता देवी सती, देवी पार्वती प्रमुख हैं. मनोहर ऐतिहासिक कहानियां, भारत के सपूत ऐतिहासिक कथा माला; वीरों की सच्ची कहानियां, आदि औद्योगिक प्रदर्शिनी सागर में सुवर्ण पदक प्राप्त (१९२०), पता—शिक्षक म्युनि० स्कूल सागर।

हॉर्नीमैन, बी. जी.—प्रबन्धक सम्पादक और डाइरेक्टर 'इंडियन नेशनल हेरल्ड', ज० १८७३, पत्र संपादन व्यवसाय में लगे १८९४, 'सदर्न डेली-मेल' के सम्पादक हुये १८९६, सहायक संपादक 'स्टेटस मैन' कलकत्ता १९०६-१३, संपादक 'बम्बई क्रानिकल' १९१३-१९, पंजाब हत्याकांड पर लेखों के कारण इंगलैंड भेजे गये १९१९, ७ वर्ष तक भारत आने के लिये पासपोर्ट नहीं दिया गया; भारत में पुनरागमन सन १९२६; प्रकाशन—'अमृतसर और हमारी ड्यूटी भारत के लिये', 'अमृतसर के जुल्म' तथा अन्य पुस्तकें, पता—वम्बई।

कांग्रेस ।

इंडियन नेशनल कांग्रेस अथवा हिन्दी राष्ट्रीय महासभा उस बड़ी सभा का नाम है जिसमें भारत निवासियों के चुने हुए डेलीगेट या प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष एक स्थान पर एकत्र होकर भारतवर्ष सम्बन्धी राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करते हैं और वादविवाद करके स्वराज्य प्राप्ति के लिये उपाय सोचते हैं।

कांग्रेस की रचना ।

पूरे भारतवर्ष के लिये एक मुख्य कमेटी है जिसको भारतीय कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) कहते हैं प्रत्येक वर्ष जो कांग्रेस का सभापति चुना जाता है वही इस कमेटी का भी सभापति एक साल के लिए होता है इस कमेटी के अधिकतर मेम्बर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के मेम्बरों द्वारा चुने जाते हैं और पुराने सभापतियों व कांग्रेस के कुछ मुख्य कर्मचारियों को मेम्बर बने रहने का मान जन्म भर के लिये स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आल इण्डिया कमेटी अपना कार्य चलाने के लिये एक छोटी कमेटी बनाती है जिसे Working Committee कहते हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक एक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी (Provincial Congress Committee) होती है जिसके मेम्बरों को जिलों के प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्येक जिले में कई जिला कांग्रेस कमेटी (District Congress Committee) होती हैं जिसके सदस्य नगर कांग्रेस कमेटी (Town Congress Committee) तथा तहसील कांग्रेस कमेटी (Tahsil Congress Committee) द्वारा चुने हुये सज्जन होते हैं। तहसील के अन्तर्गत ग्राम कांग्रेस कमेटी होती है जिसका सदस्य प्रत्येक मनुष्य जो कांग्रेस का ध्येय मानता हो हो सकता है। इन सब कमेटियों में सभापति, मन्त्री, खजांची इत्यादि पदाधिकारी चुने हुए होते हैं। जो एक साल तक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस की बैठक एक मुख्य स्थान पर होती है। भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ ही कांग्रेस की बैठक होने के पहिले सभापति चुन लिया करती हैं। इसके पश्चात सभापति अपनी आसन ग्रहण करता है। भारतनिवासी को यदि कोई सबसे ऊंचा सम्मान प्रजा की ओर से मिल सकता है तो वह कांग्रेस का सभापति चुना जाना है।

कांग्रेस क्यों कायम हुई ?

कांग्रेस के कायम किये जाने के मुख्य तीन कारण हैं (१) भारत वासियों के हृदय में एक जातीयता का भाव फिर से उत्पन्न होना (२) राज्य

पद्धति सन्तोषकारक न होने से राजनैतिक जागृति होना (२) देशोन्नति के मार्गों को ढूंढ़ जाने के प्रयत्न आरम्भ होना। ब्रिटिश राज्य के पहिले हिन्दुस्थान में बहुत काल से पृथक पृथक कई स्वतन्त्र राज्य होने से एक जातीयता का भाव (Idea of Nationalism) नष्ट सा होने लगा था किन्तु हिन्दू धर्म के सिद्धान्त देश में अति प्रबल और बहुत गहरे जमे हुये होने के कारण यह भाव निर्मूल न हो सका और ज्योंही कि ब्रिटिश साम्राज्य ने देश में शान्ति स्थापित करना आरम्भ की त्योंही एक जातीयता का भाव पुनः उत्पन्न हो उठा राज्य पद्धति जो ब्रिटिश सरकार ने कायम की उसके सिद्धान्त जांचे जाने लगे और उनमें न्यूनता प्रतीत होने पर राजनैतिक जागृति का आरम्भ हुआ। देशोन्नति एक ध्येय के स्वरूप में प्रजा के सामने उपस्थित हुई। भारतवासियों को यह मालूम होने लगा कि देशोन्नति करना उनका कर्तव्य है और देश भक्ति एक अमूल्य वस्तु है।

करीब १०० वर्ष हुए जब पहिले पहल राजा राममोहन राय (बङ्गाल निवासी) ने राजनैतिक प्रश्नों पर चरचा आरंभ की। उन्होंने प्रजा की कुछ आवश्यकताओं को एक संगठित रूप में सरकार के सामने रक्खा। किन्तु उस समय प्रायः कुछ प्रमुख भारत-वासियों का यह विश्वास था कि देश की हीन दशा का मुख्य कारण भारत-वासियों का धर्म में विश्वास व श्रद्धा कम हो जाना है इस कारण राजनैतिक सुधार की ओर उचित ध्यान न दिया गया। इसके बाद जब अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ और भारत वासियों को राज्यप्रणाली की जांच का ज्यादा अवसर मिला तो राजनैतिक सुधारों की आवश्यकता अधिक मालूम होने लगी करीब १८५० ई० के कलकत्ता में "ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन" व बम्बई में "बम्बई असोसियेशन" राजनैतिक चरचा के लिये खोली गई। १८७५ ई० में पूना की सार्वजनिक सभा खोली गई जो अभी तक जारी है। इसी समय कुछ पार्लीमेण्ट के मेम्बरों ने विलायत में भारत सम्बन्धी प्रश्नों पर चरचा करना आरम्भ किया इनमें से 'जान ब्राइट' 'हेनरी फासेट' और 'चार्लस ब्रेडला' ने भारत के लिये बड़ी सहानुभूति दिखलाई। इसी काल में समाचार पत्र भी जारी होना शुरू हुये और सर्व साधारण का ध्यान देश की गिरी दशा की ओर आकर्षित होना आरम्भ हुआ सरकारी कर्मचारियों की बुराइयां जनता की निगाह में आने लगीं। इन समाचार पत्रों पर सरकारी कर्मचारियों की कुदृष्टि होने के कारण छापेखानों की स्वतन्त्रता प्रायः बहुत काल तक नष्ट ही कर दी गई जिसका यह परिणाम हुआ कि देश में असन्तोष फैलना शुरू हुआ। सन् १८७६ ई० के करीब सिविल सर्विस की परीक्षा के लिये विद्यार्थियों की उम्र

केवल १९ वर्ष कर दी गई और चूंकि यह परीक्षा विलायत में होती है और इसी परीक्षा के पास किये लोगों को कलेक्टर कमिश्नर इत्यादि ऊंचे उहदे मिलते हैं इस कारण यह स्पष्ट हो गया कि उम्र का कम किया जाना केवल हिन्दुस्थानियों के मार्ग में कठिनाई डालना है। देश में बड़ा असन्तोष फैला और राजनैतिक आन्दोलन को बड़ा उत्तेजन मिला। यद्यपि सन् १८५७ के गदर के बाद महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि भारतवासियों को वही हक होंगे जो अंग्रेजों को हैं और सरकारी कर्मचारी नियत किये जाने में जाति, धर्म, या रंग का कोई भेद भाव नहीं किया जावेगा लेकिन यह सिद्धान्त व्यवहारिक रीति में बरता न गया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उस समय देश में घूम कर कई जगह व्याख्यान दिए प्रजा की ओर से यह मांग की गई कि सिविल सर्विस की परीक्षा हिन्दुस्थान में भी हुआ करे इस आन्दोलन में देश के प्रमुख सज्जनों को एक दूसरे से मिलने और अपने विचार प्रगट करने का सुअवसर मिला। इसके बाद इलबर्ट साहब के बिल ने जो उन्होंने बड़े लाट साहेब के काउन्सिल में सन् १८८३ में पेश किया देश को बहुत जागृति कर दिया। इलबर्ट साहब की यह राय थी कि हिन्दुस्थानी मजिस्ट्रेटों को भी यह अख्तियारात दिये जावें कि वह यूरोपियन और अमेरिकन मुलजिमों का मुकदमा कर सकें लेकिन हिन्दुस्थान भर के अंग्रेजों ने ऐसा असन्तोष प्रगट किया कि जिससे यह कानून पास न हो सका। इस कानून के पास न होने से भारतवासियों को यह प्रतीत होने लगा कि सरकारी कर्मचारियों के हृदय में साम्यता का भाव नहीं है और जब तक भारतवासियों को राजशासन में प्रबल भाग न मिलेगा उनकी उन्नति नहीं हो सकती। इन मुख्य कारणों के अतिरिक्त असन्तोष का एक बड़ा भारी कारण यह भी हुआ कि देशी उद्योग धन्धे विलायती तिजारत के मुकाबिले के कारण दिन पर दिन नष्ट होने लगे और भारत वासियों की गरीबी बढ़ने लगी। राज्य पद्धति की सुधारणा बड़ी आवश्यक मालूम होने लगी। इस आवश्यकता को केवल भारत वासियों ही ने नहीं किन्तु कुछ उदार चित्त अंग्रेजों ने भी मालूम किया मि० ए० ओ० ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न और सर हेनरी काटन प्रभृति सज्जनों ने इन कुल कारणों को भली प्रकार मनन किया और भारतवासियों से सहानुभूति प्रगट की। मि० ह्यूम ने पहिले पहल आगे होकर संगठित राजनैतिक आन्दोलन करने की युक्ति सोची। उन्हों ने पत्र व्यवहार द्वारा प्रमुख भारत वासियों को यह बतलाया कि देश में एक ऐसी सार्वजनिक संस्था की आवश्यकता है जिससे कुल भारतवासी

मिलकर अपनी आवश्यकताओं को सरकार के सामने उपस्थित कर सकें इस कारण मि० ह्यूम ने बड़ा ही परिश्रम किया और सन् १८८५ ई० में कांग्रेस कायम की गई।

कांग्रेस के जन्म दाताओं में मुख्य सज्जन मिस्टर ह्यूम, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सरदिनशा एडलजी वाच्छा, श्री० एस सुब्रह्मण्य अय्यर, श्री० महादेव गोविन्द रानडे, श्री० सीताराम हरी चिपलूणकर, श्री० आनन्दाचालू, सर फीरोजशाह मेहता, मुन्शी गंगाप्रसाद वर्मा, श्री० काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग, श्री दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस की पहिली बैठक बम्बई में हुई जिसके सभापति बाबू उमेशचन्द्र बनर्जी चुने गये।

कांग्रेस का इतिहास।

प्रथम कांग्रेस पूना में होने वाली थी। उसी स्थान से गश्ती चिठ्ठियां सारे देश में भेजी गई थीं और एक स्वागत सभा भी बन गई थी। किन्तु कांग्रेस के पहिले पूना में कालरा फेल गया इस कारण कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में ता० २८ दिसम्बर १८८५ ई० को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज हाल बम्बई में हुआ। प्रत्येक अधिवेशन के मुख्य प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं। साधारण प्रस्ताव तथा ऐसे प्रस्ताव जो केवल दुहराये गये उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

१—बम्बई—१८८५

सभापति—श्री० वोमेशचन्द्र बनर्जी

मुख्य प्रस्ताव (१) भारतीय शासन की जांच के लिये रायल कमीशन की नियुक्ति (२) इंडिया कौंसिल को तोड़ देना, (३) कौंसिलों का सुधार (४) आई. सी. एस. की परीक्षायें भारत व इङ्गलैंड दोनों जगहों में होना और उम्मेदवारों की उम्र बढ़ा देना (५) फौजी खर्च को कम करना (६) ब्रह्मदेश पर कब्जा करने पर असंतोष।

२—कलकत्ता—१८८६

सभापति—श्री० दादाभाई नौरोजी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारतीयों की गरीबी हटाने के लिये प्रातिनिधिक संस्थायें ही एक मात्र उपाय हैं (२) कौंसिलों का सुधार (३) न्याय और प्रबंध खातों का अलग २ किया जाना। (४) वालंटियर बनने की सरकारी अनुमति।

३—मद्रास—१८८७

सभापति—श्री० बद्रूद्दीन तय्यबजी।

विषयनियामक सभा सर्वप्रथम बनाई गई।

मुख्य प्रस्ताव—(१) देशी धंधों की उन्नति (२) सैनिक कालेजों के खुलने की सरकार से सिफारिश।

४—इलाहाबाद—१८८८

सभापति— सर फीरोज शाह मेहता।

मुख्य प्रस्ताव (१) पुलिस प्रबंध पर असंतोष। (२) आबकारी मुहकमे का सुधार।

५—बंबई—१८८९

सभापति—सर विलियम वेडरबर्न।

मुख्य प्रस्ताव—(१) एक शिष्ट मंडल की नियुक्ति जो इंग्लैंड में राजनैतिक आंदोलन भारत की ओर से करे।

६—कलकत्ता—१८९०

सभापति—सर फीरोजशाह मेहता।

मुख्य प्रस्ताव—(१) मद्यपान निशेध (२) नमक कर कम किया जाना (३) इसतिमरारी बन्दोबस्त (४) बंगाल सरकार की इस आज्ञा पर कि सरकारी नौकर कांग्रेस में जावें असंतोष।

७—नागपुर—१८९१

सभापति—श्री० आनंद चारलू।

मुख्य प्रस्ताव—(१) प्रातिनिधिक संस्थाओं की वृद्धि होना चाहिये (२) भारतीयोंको अधिक भाग सरकारी शासन में मिलना चाहिये।

८—इलाहाबाद—१८९२

सभापति—वोमेशचन्द्र बनर्जी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन की रिपोर्ट पर असंतोष।

९—लाहौर—१८९३

सभापति—दादाभाई नौरोजी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कौंसिल ऐक्ट (१८९२) पर असंतोष (२) पंजाब के लिये हाईकोर्ट और कौंसिल की मांग। (३) मुफ्त व अनिवार्य शिक्षाकी मांग। (४) यूरोपियन अफसरों को बट्टा दिये जाने पर असंतोष।

१०—मद्रास—१८९४

सभापति—ऐलफ्रेड वेब।

मुख्य प्रस्ताव—(१) रुई के कपड़ों पर टैक्स पर असंतोष। (२) इंडिया कौंसिल का तोड़ा जाना। (३) दक्षिणी अफ्रीका में हिंदुस्थानियों का मताधिकार छीने जाने पर असंतोष।

११—पूना—१८९५

सभापति—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) सरकारी जमाखर्च पर असंतोष और खर्च कम करने की माँग। (२) जूरी पद्धति की मांग। (३) रेलवे के तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की दशा पर असंतोष। (४) जंगल सम्बन्धी दुःख।

१२—कलकत्ता—१८९६

सभापति—मु० रहीमतुल्ला सयानी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) प्रान्तीय सरकारों को खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता (२) शिक्षा विभाग में हिंदुस्थानियों की तनखाहें पहिले से कम कर दी गईं इस संबंध में असंतोष। (३) दुर्भिक्ष का उचित प्रबंध किया जावे (४) यूनिवर्सिटियों का सुधार (५) देशी नरेश बिना अदालती निर्णय के पदच्युत न किया जावे।

१३—अमरावती—१८९७

सभापति—सी० शङ्करनय्यर

श्री० खापर्डे स्वागताध्यक्ष ने अन्य बातों के अतिरिक्त पूना में प्लेग और उसके संबंध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये हुये अत्याचारों को बताया।

मुख्य प्रस्ताव—[१] सरहद्दी चढ़ाइयों पर असंतोष [२] सन १८१८, १८१९, १८२७ के रेगुलेशनों का दुरुपयोग। [३] राजद्रोह संबंधी कानून के परिवर्तन पर असंतोष क्योंकि उस से भाषण स्वातंत्र्य पर प्रहार किया गया।

१४—मद्रास—१८९८

सभापति—अनान्दमोहन बोस।

मुख्य प्रस्ताव—[१] उपरोक्त राजद्रोह का कानून जनता के विरोध पर भी पास किया गया इस बात पर घृणा प्रदर्शन [२] कलकत्ता म्युनिसिपल बिल और बंबई सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कारण असंतोष।

१५—लखनऊ—१८९९

सभापति—रमेशचन्द्र दत्त

मुख्य प्रस्ताव—[१] पंजाब लैंड एलीनेशन ऐक्ट का विरोध [२] मिस गारलैंड [ब्रिटिश कमेटी की प्रतिनिधि] ने प्रस्ताव किया कि भारत की अंग्रेजी सेना का खर्च इंग्लैंड देवे [३] भारत में गोल्ड स्टैंडर्ड का विरोध [४] राजनैतिक सभाओं शिक्षकों के जाने पर मनाई पर असंतोष। [५] कांग्रेस की रचना के नियम पास हुये।

१६—लाहोर—१९००

सभापति—एन. जी. चन्दावरकर।

मुख्य प्रस्ताव—[१] भारत की आर्थिक दशा की जांच की जावे जिस से दुर्भिक्षों के कारण मालूम पड़ें। [२] सैनिक कालेजों की मांग [३] शिक्षा तथा औद्योगिक विषयों पर चरचा प्रत्येक कांग्रेस में आधे दिन हुआ करे। [४] शराब रोकने के कानून की मांग [५] वाइसराय के पास प्रस्तावों को पेश करने के लिये शिष्ट मंडल कायम किया गया।

१७—कलकत्ता—१९०१

सभापति—दिनशा इदलजी वाच्छा

मुख्य प्रस्ताव—(१) प्रीवी कौंसिल में भारतीय अपीलें सुनने के लिये भारतीय जज नियत किये जावें। (२) श्री० गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका के दुःखों पर व्याख्यान दिये। (३) आसाम कुलियों पर अत्याचारों पर असन्तोष।

१८—अहमदाबाद—१९०२

सभापति—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) गोरे सिपाहियों के वेतन में वृद्धि पर असन्तोष (२) कटन इकसाइज ड्यूटी और नमक टैक्स पर असन्तोष [३] जजों की जगहों पर सिविलियनों की नियुक्ति पर असन्तोष। [४] टाटा रिसर्च इन्स्टीट्यूट को सरकार सहायता देवे।

१९—मद्रास—१९०३

सभापति—लालमोहन घोष

ब्रह्मदेश के प्रतिनिधि पहिले पहल आये

मुख्य प्रस्ताव (१) लार्ड कर्जन के दिल्ली दर्बार की फिजूल खर्ची (२) भारतीयों को ऊंची नौकरियां न देने पर असन्तोष। (३) आफीशियल सीक्रेट्स बिल का विरोध (४) बंगाल के दो टुकड़े करने पर असन्तोष।

२०—बम्बई—१९०४

सभापति—सर हेनरी काटन।

मुख्य प्रस्ताव (१) भारत की गरीबी [२] किसानों की दशा की जांच [३] ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों को दुःख। [४] सेक्रटरी आफ स्टेट का खर्च इंग्लैंड पर डाला जावे। [५] इङ्गलैंड में इस लार्ड जनरल इलेक्शन के समय एक शिष्ट मन्डल वहां भेजा जावे जो वहां के मत दाताओं को भारत की दुर्दशा बतावे।

२१—बनारस—१९०५

सभापति—गोपालकृष्ण गोखले।

मुख्य प्रस्ताव [१] वंग भंग पर असन्तोष [२] दमनकारी नीति पर घृणा [३] विदेशी माल का बायकाट। [४] हौस आफ कोमन्स में प्रत्येक प्रांत से दो मेम्बर जाया करें। इस वर्ष बंगाल में सभायें, संकीर्तन, वन्देमातरम् गीत आदि बन्द कर दिये गये थे।

नोटः—कांग्रेस के इस समय के जीवन काल में दो प्रवृत्तियां स्पष्ट होने लगी थीं। [१] लो० टिलक के नेतृत्व में युवक राजनीतिज्ञ कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वातंत्र्य रखना चाहते थे और उसी ध्येय की पूर्ति के लिये सरकारी दमन से भी मुकाबला करने पर तैयार थे। स्वदेशी व बायकाट इसी प्रवृति का प्रकाश था [२] दूसरे प्रकार के राजनीतिज्ञ कांग्रेस के ध्येय का पूर्ण स्वातंत्र्य नहीं समझते थे वरन औपनिवेशिक स्वातंत्र्य ही पर संतुष्ट थे। यह ध्येय भी उन्हों ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया था। इन्हीं प्रवृत्तियों की भिन्नता से दो दल [गरम] और [नरम] कायम हो चले थे। पहिले को Extremist और दूसरे को Moderate (आगे चल कर Liberal) कहने लगे।

२२—कलकत्ता—१९०६

सभापति—दादा भाई नौरोजी।

इस कांग्रेस के लिये लो० टिलक को सभापति बनाने की करीब २ सबों की इच्छा थी। किन्तु बंगाल के कुछ डरपोक नेताओं की तथा बृद्ध कांग्रेस-मैनों की ऐसा करने में हिम्मत नहीं पड़ती थी। इस कारण उन्हों ने गुप्त रीति से श्री० दादा भाई नौरोजी को सभापति बनाना निश्चय किया और उन्हें आमंत्रित भी कर दिया। उनके विरूद्ध आवाज उठाने की फिर किसी की इच्छा न हुई।

मुख्य प्रस्ताव —(१] वंग भंग के कारण आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार ने जो दमन नीति चलाई उस पर असन्तोष। नोटः—दादा भाई नौरोजी ने गरम दल वालों के विचारों को मान लिया और कांग्रेस का ध्येय औपनि-

वैशिक स्वराज्य है ऐसा घोषित कर दिया।

२३—सूरत-मद्रास-१९०७-०८

सभापति—डा० रासबिहारी घोष

सूरत कांग्रेस। [१९०७]

सूरत कांग्रेस होने के पहिले से ही गरम दल व नरम दल में अन बन काफी हो गई थी। कांग्रेस के आरम्भ होने के पहिले ही से लो० टिलक, श्री० अरबिन्द घोष आदि जनता में जोरों से व्याख्यान द्वारा पूर्ण स्वातंत्र्य के ध्येय का प्रचार करने लगे थे। इस समय जनता भी कांग्रेस की कार्यवाही में भाग लेने लगी थी और सर्व साधारण का झुकाव गरम दल के ही ओर था।

ज्योंही श्री० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने २६ दि० १९०७ को सभापति के चुनाव के प्रस्ताव पर बोलना आरम्भ किया कि सभा में बड़ी गड़बड़ी मच गई और सभा वहीं विसर्जन हुई। दूसरे दिन सभापति के प्रस्ताव की उपस्थिति और अनुमोदन के बाद लो० टिलक प्लैटफारम पर आये और उन्हों ने सभापति के चुनाव के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करना चाहा। सभापति ने ऐसा न करने दिया इस पर फिर गड़बड़ी पैदा हुई। औा कांग्रेस स्थगित कर दी गई।

उसी के बाद ही रासबिहारी घोष, फीरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जी.के. गोखले, डी.ई वाच्छा, नरेन्द्रनाथ सेन, अंबालाल शक्कर लाल देसाई, वी. कृष्ण स्वामी अय्यर, त्रिभुवनदास, मदन मोहन मालवीय तथा अन्य सज्जनों के हस्ताक्षरों पर निम्नलिखित आशय का नोटिस जारी किया गया और एक "नेशनल कन्वेन्शन" में आने के लिये आमंत्रित किया:—

२३वीं कांग्रेस दुःखमयी घटनाओं के कारण स्थगित कर दी गई है अब आगे राजनैतिक कार्य चलाये जाने की इच्छा से यह प्रस्ताव पास किया गया है कि केवल ऐसे ही प्रतिनिधियों को कन्वेन्शन में बुलाया जावे जो निम्नलिखित बातें मानते हों:—

[१] ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य स्वशासित विभागों के सदृश स्वराज्य प्राप्ति तथा उन्हीं की भांति बराबरी से साम्राज्य के स्वत्वों और उत्तरदायित्वों में समान भाग रखना भारत का ध्येय है

[२] इस ध्येय को ओर प्रगति केवल वैध उपायों से, राष्ट्रीय ऐक्य से, शासन में उत्तरोत्तर सुधार से, सार्वजनिक भाव की उत्पत्ति से, और सर्वसाधारण की हालत सुधरने ही से हो सकेगी।

[३] कनवेन्शन का संचालन उन्हीं के हाथों में रहेगा जिन्हें ऐसे अधिकार दिये गये हों।

२८ दिसम्बर १९०७ को इस कन्वेन्शन की बैठक हुई जिस में कांग्रेस का ध्येय [१] के अनुसार निश्चित किया गया। इसके पश्चात प्रत्येक प्रतिनिधि को ध्येय पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया। फलतः

गरमदल के लोगों ने कांग्रेस में आना बंद कर दिया।

मद्रास कांग्रेस [१९०८]

२३वीं कांग्रेस जो सूरत में स्थगित हुई थी मद्रास में डा० राशबिहारी घोष के सभापतित्व में हुई।

मुख्य प्रस्ताव—[१] बंगभंग को रद्द करने की सिफ़ारिश [२] स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन [३] बंगाल रेगूलेशन ३ सन १८१८ के रद्द किये जाने की सिफ़ारिश [४] ऐक्ट ७ सन १९०८ [अखबारों के छापेखानों की जब्ती का कानून] और ऐक्ट १४ स० १९०८ [सरकार द्वारा नामंजूर किये हुये किसी सभा में चंदा देना जुर्म है] के रद्द किये जाने की सरकार से सिफारिश।

२४—लाहौर—१९०९

सभापति—पं. मदनमोहन मालवीय।

मुख्य प्रस्ताव-[१] इंडिया कौंसिल ऐक्ट १९०९ पर असंतोष [२] यू. पी., पंजाब, पूर्वी बंगाल, ब्रह्मदेश में इकजीक्यूटिव कौंसिलों का बनाया जाना [३] दक्षिणी अफ्रीका में भारतवासियों की दुर्दशा पर दुःख प्रदर्शित किया गया।

२५—इलाहाबाद—१९१०

सभापति—सर विलियम वेडरबर्न।

मुख्य प्रस्ताव—[१] कुल स्थानिक संस्थायें [ग्राम पंचायतें, म्युनिसिपेलिटियां, और जिला बोर्ड] प्रतिनिधिक बना दी जावें [२] सिडीशस मीटिंग्स ऐक्ट मियाद खतम होने पर आगे न चलाया जावे। और प्रेस ऐक्ट एकदम हटा दिया जावे [३] प्रातिनिधिक संस्थाओं में साम्प्रदायिक तत्व का निषेध।

२६—कलकत्ता—१९११

सभापति—पं. विशन नरायण दर

मुख्य प्रस्ताव—[१] सम्राट को धन्यवाद कि उन्हों ने वंग विच्छेद रद्द कर दिया [२] दमनकारी कानून हटाये जावें। [३] पुलिस सुधार।

२७—बांकीपूर [पटना]—१९१२

सभापति—आर. एन. मुधोलकर

मुख्य प्रस्ताव—[१] ब्रिटिश उपनिवेशों में हिन्दुस्थानी मजदूरों की दुर्दशा और कुली प्रथा की बंदी [२] फौजों में ऊंचे अफसरों की जगहें भारतियों को नहीं दी जाती हैं इस पर निशेध।

२८—कराची—१९१३

सभापति—नवाब सैय्यद मुहम्मद

मुख्य प्रस्ताव—[१] मुसलिम लीग ने स्वराज्यका ध्येय ग्रहण कर लिया इसपर उसे बधाई। [२] आल. इन्डिया कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया गया कि इंगलैंड को एक शिष्ट मन्डल भेजे।

२९—मद्रास—१९१४

सभापति—सुरेन्द्रनाथ बसु।

मुख्यप्रस्ताव—(१) जर्मन लड़ाई में देशी फौज भेजने पर संतोष (२) हथियारों के कानून में सुधार (३) देशी उद्योगों की रक्षा।

३०—बम्बई—१९१५

सभापति—सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह

मुख्य प्रस्ताव— (१) फौजों में देशी आदमियों को कमीशन मिलना चाहिये और फौजी कालेजों में उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिये। (२) कांग्रेस की रचना में कुछ परिवर्तन।

३१—लखनऊ—१९१६

सभापति—बा. अम्बिकाचरन मजुमदार।

कांग्रेस में गरमदल के लोग शामिल हुये। लो. टिलक प्रभृति सज्जन आये।

मुख्य प्रस्ताव— (१) स्वराज्य प्रस्ताव— (क) सम्राट को चाहिये कि यह घोषणा करदें कि ब्रिटिश नीति का लक्ष भारत को जल्द स्वराज्य देने का है (ख) कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कमेटियों द्वारा बनाये हुये सुधारों के मसौदे के अनुसार ब्रिटिश सरकार को भारत में स्वराज्य की पहिली मात्रा देवे। (ग) साम्राज्य की पुनर्घटना में भारत को "डिपेन्डेन्सी" की हैसियत से उठा कर साम्राज्य के अन्य स्वशासित विभागों के समान कर दिया जावे।

३२—कलकत्ता—१९१७

सभानेत्री—मि० एनी. बेसेन्ट

मुख्य प्रस्ताव— (१) स्वराज्य का ध्येय। (२) मि. मांटेगू की २१ अगस्त १९१७ वाली घोषणा पर विचार।

विशेष अधिवेशन—बम्बई—१९१८

सभापति— हसन इमाम।

२८ अगस्त १९१८ को यह अधिवेशन मांटेगू चेलम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार के लिये खास कर किया गया। नरम दल वाले अलग हो गये उन्हें रिपोर्ट बहुत कुछ पसंद आई और उन्होंने अलग कान्फ्रेन्स की जो आगे चलकर नैशनल लिबरल फिडरेशन हुई।

मुख्य प्रस्ताव— (१) सुधार कुछ हद तक उत्तरदायी शासन की मात्रा हैं किन्तु वे "नाकाफी, असंतोषजनक, और निराशाजनक हैं। (२) पार्लीमेंट द्वारा भारतवासियों के "स्वत्वों की घोषणा" (Declaration of Rights) इस प्रकार कर दी जावे (क) सब प्रजा समान है और किसी भेद के कारण किसी प्रकार का भिन्न भांति का कानून किसी के लिये न रहेगा (ख) सम्राट की प्रजा का किसी देशी मनुष्य को बिना अदालत में मुकदमा चलाये हुये कोई दंड न दिया जावेगा। (ग) सब को लाइसेंस लेने पर हथियार रखने का अधिकार होगा। (घ) अखबारों को आजादी होगी और कोई जमानत उनसे न मागी जावेगी। (ङ) फौज में देशी मनुष्य को किसी प्रकार का ऐसा शारीरिक दंड न दिया जावेगा जो अन्य सैनिकों को नहीं दिया जाता हो।

३३—दिल्ली—१९१८

सभापति— पं. मदनमोहन मालवीय

मुख्य प्रस्ताव— (१) स्त्रियों को

मताधिकार दिया जावे (२) स्वभाग्य निर्णय का प्रस्ताव जो इस प्रकार था--

चूंकि प्रेसीडेंट विलसन मि० लायड जार्ज, तथा अन्य ब्रिटिश राजनैतिज्ञों ने यह घोषणा की है कि जगत की आगामी शांति के लिये स्वभाग्य निर्णय का तत्व सब प्रगतिशील राष्ट्रों को लागू होगा— इस कारण यह प्रस्ताव किया जाता है कि।

१—यह कांग्रेस दावा करती है कि संधि कांफ्रेन्स और ब्रिटिश पार्लीमेंट भारत को ऐसा प्रगति शील राष्ट्र माने जिसे उपरोक्त तत्व लागू हो।

२—व्यवहारिक रीति से इस सिद्धांत का उपयोग इस प्रकार हो कि—

क—वाद विवाद स्वातंत्र्य पर सब रोक टोक हटा लेना, दमनकारी कानूनों का रद्द होना जो समाचार पत्रों, सभाओं, विचार प्रकाशन, राजनैतिक प्रश्नों पर चर्चा आदि से सम्बन्ध रखते हैं जिससे भारत के कुल निवासी निडर होकर अपने ध्येय और राय प्रगट कर सकें, इसी प्रकार सब कायदे व कानून रद्द कर दिये जावें जिन के द्वारा शासक वर्ग को विना साधारण फौजदारी कानून की सहायता के गिरफ्तारी, रोकटोक, निर्वासन, आदि के अधिकार हैं और राजद्रोह का कानून इङ्गलेंड में जैसा है वैसा कर दिया जावे।

ख—ऐसा कानून ब्रिटिश पार्लीमेंट पास करे जो भारत में शीघ्र उत्तरदायी शासन कायम करदे।

ग—जब उत्तर दायी शासन कायम हो जावे तो आन्तरिक विषयों में सर्वोच्च शक्ति केवल सुप्रीम लेजिसलेटिव ऐसेम्बली होगी जो भारतीय राष्ट्र की आवाज होगी।

घ—साम्राज्य की नीति में, विदेशी नीति में लीग आफनेशन्स में भारत को स्वशासित उपनिवेशों की नांई समान स्थान मिलेगा।

होमरूल लीग।

लखनऊ कांग्रेस १९१६ के स्वराज्य विषयक प्रस्तावानुसार लो० टिलक और श्री० बेसेन्ट ने "होमरूल लीग" कायम की। स्थान २ पर उसकी शाखायें खोली गईं और आन्दोलन तीव्रता से चलाया गया। लीग के मुख्य दफ्तर पूना तथा अडयार में थे। सहस्रों सदस्य भरती हुये और भारतवासियों में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो उठी। महायुद्ध के कारण लाखों भारतवासियों को विदेशों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिसके कारण भारतवासियों के विचार विस्तृत हुये। मि० लायड जार्ज प्रधान मन्त्री इङ्गलेंड, तथा मि० वुडरो विलसन प्रेसीडेंट यूनाइटेड स्टेटस अमरीका ने 'स्वभाग्य निर्णय' और "छोटे २ राष्ट्रों की स्वतत्रता के सिद्धांत का बड़े वेग से प्रचार किया। भारतवासियों से जब महायुद्ध के लिये अंग्रेजी सरकार ने धन और सैनिक लिये उस समय उन्हें स्वशासन व स्वतन्त्रता देने के अभिवचन

भी दिये और इनकी स्वराज्य की उमंग को उत्तेजना भी दी। इन सब कारणों से जब होमरूल लीग के सहस्रों सदस्यों ने अविश्रांत होकर स्वराज्य आन्दोलन को तेजी से बढ़ाया तो सरकार को बेचैनी उत्पन्न हो गई उसने दमन नीति का प्रारम्भ किया। मिसेज ऐनी बेसेन्ट, मि० एरंडेल और मि० वाडिया को "इंडियन डिफेन्स" (भारत रक्षा कानून के अनुसार नजर बन्द कर दिया। देश भर में प्रतिवाद सभायें हुईं आन्दोलन और अधिक चमका। भारत मन्त्री को अनेक तार दिये गये कि मि० एनी बेसेन्ट प्रभृति सज्जनों को मुक्त कर दिया जावे। इन बातों से 'होमरूल लीग" का कार्य बहुत बढ़ गया परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तीनों सज्जन तीन मास ही में मुक्त कर दिये गये।

पंजाब हत्या कांड (१९१९)

भारत की स्वराज्य प्राप्ति की इच्छायें प्रबलता से बढ़ रही थीं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई जिस के सभापति सर सिडनी रौलैट नियत हुये। इस कमेटी को यह कार्य सुपुर्द हुआ कि भारत में खुफिया अराजक समितियों की जांच करे और उस पर रिपोर्ट देवे। कमेटी ने एक बृहत रिपोर्ट तैयार की और उस के आधार पर एक बिल इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल में सर विलियम विन्सेन्ट ने ता० ६ फरवरी १९१९ को पेश किया जिसके अनुसार सरकारी अफसरों के साधारण जाप्ता फौजदारी के अतिरिक्त विशेष अधिकार दिये जाने की योजना की गई। इस बिल के पास होने से सार्वजनिक स्वातंत्र्य पर आक्रमण होने की संभावना से जनता ने इस का घोर विरोध किया और असन्तोष सूचक लेख प्रकाशित हुये, सभायें की गईं और व्याख्यान भी दिये गये। १२ मार्च १९१९ को कमान्डर-इन-चीफ ने इंडियन डिफेन्स फोर्स ऐक्ट १९१७ [जो महा युद्ध के समय आकास्मिक आवश्यकता के लिये बनाया था] की मियाद बढ़ाये जाने के लिये बिल पेश करने की अनुमति प्राप्त करली। इस से असन्तोष और भी बढा। उसी रोज सर विलियम विन्सेन्ट ने "इमरजेन्सी पांवर्स [रौलट] बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सम्बन्धी विचार आरंभ कराया जिस पर बड़ा वाद विवाद हुआ। यह 'रौलट' बिल जिस का नाम "एनार्कीकिल ऐन्ड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल" इम्पीरियल कौंसिल में ता० १८ मार्च १९१९ को बहुमत [३५ वोट पक्ष २० विपक्ष] से पास हो गया। भारतवर्ष भर में खलबली मच गई। ३१ मार्च १९१९ सारे भारत में "अपमान व प्रार्थना का दिन [Day of Humiliation and Prayer] माना गया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शक विराट जुलूस निकाला। पुलिस ने उस पर गोली चलाई। स्वर्गीय स्वामी

श्रद्धानन्द ने बड़ी वीरता बताई। और गोरखा फौज के सामने सीना खोल कर खड़े हो गये। देश भर में ता० ६ अप्रेल १९१९ को रौलेट ऐक्ट के खिलाफ असन्तोष व दुख सूचक हड़तालें की गईं और सहस्त्रों सभायें विरोध प्रगट करने के लिये की गईं। बम्बई में उसी रोज महात्मा गांधी ने विराट सभा के सम्मुख व्याख्यान दिया। ता० ७ अप्रेल १९१९ सत्याग्रह सभा ने बम्बई में हस्त लिखित समाचार पत्र बिना रजिस्ट्री व जमानत प्रकाशित किये व बेचे। महात्मा गांधी जब रेल द्वारा पंजाब में राजनैतिक कार्य के उद्देश्य से दिल्ली में शांति स्थापित करने की नियत से जाने लगे तो १० अप्रेल १९१९ को पंजाब सरकार ने उन पर एक आज्ञा इस विषय की तामील की कि वे पंजाब में न आवें जिसे उन्होंने अस्वीकृत किया। फलतः सरकार ने पलवल व कोसी स्टेशनों के बीच उन्हें रेल से उतार लिया और बम्बई की दूसरी ट्रेन में रवाना कर दिया। देश भर में सनसनी फैल गई विशेषतः यह समझ कर कि महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं बंबई लाहौर, अहमदाबाद, अमृतसर आदि स्थानों में दंगे हुये और अमृतसर में कुछ अंग्रेज भी मारे गये।

१४ अप्रेल १९१९ को लाहौर व अमृतसर जिलों में 'फौजी कानून' जारी कर दिया गया। अकथनीय अत्याचार भारतीय स्त्री पुरुषों पर किये गये। पेट के बल रेंगाया गया, कोड़े मारे गये, विद्यार्थियों व शिक्षकों को अनेक कष्ट दिये गये, स्त्रियों की लज्जाहरण की गई, जलयान वाला बाग में निःशस्त्र स्त्री पुरुष और बच्चों पर जनरल डायर ने मशीनगनें चलाईं। सैकड़ों मनुष्य हताहत हुए। ला० हरिकिशुनलाल, डा० किचलू, डा० सत्यपाल तथा अनेक सज्जन पकड़ लिये गये और उन्हें लम्बी लम्बी सजायें भी दी गईं। भारतीय क्षोभ का पारावार न रहा। गवरमेंट ने एक कमेटी लार्डहन्टर के सभापतित्व में पंजाब हत्याकांड की जांच के लिये नियत की किन्तु इस कमेटी ने अपराधी अधिकारियों को निर्दोषी ठहराया कांग-रेस ने स्वयं एक सब-कमेटी हत्याकांड की जाँच के लिये नियत की जिसने अनेक विश्वास्नीय गवाहियों की गवाही से सिद्ध कर दिया कि सरकारी अधिकारियों ने निष्कारण जनता पर अत्याचार किये हैं। काँगरेस ने हन्टर कमेटी के सामने गवाही पेश करने से इनकार कर दिया था। हन्टर कमीशन के तीन हिन्दुस्थानी सदस्यों ने जो राय लिखी थी वह भी सरकार ने मान्य नहीं की। ५ अंग्रेज सदस्यों की ही राय मानी गई।

२४ दिसम्बर १९१९ को एक घोषणा प्रकाशित हुई जिसमें सम्राट सुधार ऐक्ट को जो पार्लीमेंट ने पास किया था अपनी अनुमति देदी साथ २ पंजाब के सब ऐसे अभियुक्तों को आम माफी देदी जो

वास्तव में हिंसात्मक जुर्मों के अपराधी न थे। और अन्य राजनैतिक कैदियों को भी छोड़ दिया। इसके कारण देश में शांति के चिन्ह दिखाई देने लगे। सन् १९१९ की कांग्रेस में जो २६ दिसम्बर १९१९ को अमृतसर में आरंभ हुई ला० हरकिशन लाल, डा० किचलू मौ० मुहम्मद अली प्रभृति कैद से छूट कर शामिल हो सके।

३४—अमृतसर—१९१९

सभापति—पं० मोतीलाल नेहरू।

मुख्य प्रस्ताव—(१) पंजाब अत्याचारों पर असन्तोष। (२) रिफार्मस ऐक्ट १९१९ ना काफी असन्तोष जनक, तथा निराशा जनक है किन्तु कांग्रेस उसे मन्जूर करने पर तैयार है और जो कुछ लाभ हो सकता है उठायेगी।

नोट—(१) प्रस्ताव नं० २ महात्मा गांधी के अनुरोध पर पास हुआ था। (२) इसी अवसर में लो० टिलक ने रिफार्मस के सम्बन्ध में कहा था कि भारतीय "रिस्पान्सिव कोआपरेशन" [प्रतियोगी सहकारिता] करेंगे। आगे चल कर दोनों महात्माओं के यह दोनों विचार भारतीय राजनैतिक कार्यक्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के हो गये।

असहयोग का जन्म।

कांग्रेस १९१९ की बैठक के बाद आशा उत्पन्न होने लगी थी कि भारत के साथ अब कुछ न्याय होगा और स्थिति में कुछ उन्नति होगी किन्तु शीघ्र ही यह पता चल गया कि मि० लायड जार्ज, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री द्वारा दिये हुये टर्की तथा इसलामी पवित्र स्थानों सम्बन्धी बचन निरर्थक ही रहेंगे अर्थात खिलाफत के प्रश्न तथा पवित्र स्थानों के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार मुसलमानों का पक्ष न लेगी। इसी प्रकार पंजाब अत्याचारों के सम्बन्ध में भी सरकार ने अच्छी नीति न बरती। अत्याचार करने वाले अधिकारी निकाले न गये, उन्हें कोई सजायें न दी गईं उनकी पेन्शनें जप्त न की गईं, वरन कुछ अधिकारियों को इनामें दी गईं। इन बातों से शीघ्र ही असन्तोष फैलने लगा। और अहिंसात्मक असहयोग का सिद्धांत महात्मा गान्धी ने कष्टों के निवारण का उपाय सबसे पहिले ९ अप्रैल १९२० को बताया। इस सिद्धांत को पहिले भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत प्रश्न के सुलझाने के उपयोग में लाने का निश्चय किया।

३५—नागपुर—१९२०

सभापति—विजयराघवाचार्य्य।

मुख्य प्रस्ताव (१) असहयोग का कार्यक्रम मन्जूर किया गया और कुछ परिवर्तन किया गया (२) प्रत्येक ग्राम में कांग्रेस कमेटियां बनाई जावें जो असहयोग का कार्य करें। (३) आल इंडिया टिलक स्वराज्य फन्ड कायम किया गया जिस में १ करोड़ रुपये की अपील की गई (४) कांग्रेस ध्येय में इस प्रकार परिवर्तन किया गया—कांग्रेस का यह उद्देश्य है कि भारतवासी

कुछ उचित तथा अहिंसात्मक उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लें।

असहयोग का आरम्भ।

ऊपर बताया जा चुका है कि असहयोग मुसलमानों ने आरम्भ किया। इसी सिलसिले में यह कहना आवश्यक है कि मौ० शौकतअली और मौ० मुहम्मद अली ने "तरके मवालात" को खिलाफत कमेटी द्वारा पास कराया। वाइसराय को एक 'अल्टीमेटम' भी भेजा गया कि वे खिलाफत आन्दोलन में भाग लें और विश्वास दिलायें कि यदि ब्रिटिश मन्त्री मुसलमानों की इच्छानुसार टर्की सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन न करेंगे तो वे अपने पद (वाइसराय) का त्यागपत्र दे देंगे अन्यथा ता० १ अगस्त १९२० ई० में सरकार से भारती मुसलमान सम्बन्ध तोड देंगे। और ऐसा हुआ भी कि अवधि के बाद मुसलमानों ने असहयोग आरंभ कर दिया।

इस निर्णय से यह आवश्यक हो गया कि देश की राजनैतिक महासभा (कांग्रेस) भी इस पर विचार करे। इस लिए कलकत्ते में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया।

विशेष कांग्रेस—कलकत्ता—१९२०

ता० ४ सितम्बर १९२०

सभापति—लाला लाजपतराय,

मुख्य प्रस्ताव—असहयोग।

चूंकि भारतीय सरकार और विलायत की सरकार ने खिलाफत प्रश्न के सुलझाने में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और वजीर आजम ने मुसलमानों से वादा खिलाफी की है और अब प्रत्येक गैर मुसलिम (हिन्दू इत्यादि) का कर्तव्य है कि अपने मुसलमान भाई की मदद करें।

चूंकि भारतीय और विलायती सरकार ने पंजाब में बे गुनाहों की रक्षा करने में कोताही की और अपराधियों को सजा नहीं दी।

इन कारणों से भारतवर्ष में सन्तोष तब तक नहीं हो सकता है जब तक इन दोनों दुःखों को निवारण न किया जाय और न इन प्रकार के दुःखों के दुहराये जाने की सम्भावना मिट सकती है जब तक हिन्दुस्तान को स्वराज्य न प्राप्त हो ऐसे समय भारतवर्ष को सिवाय असहयोग के (जो प्रतिदिन बढ़ता जावे) और कोई मार्ग नहीं है।

आरम्भ में निम्न लिखित बातें करनी चाहिए। (१) सरकार के दिये हुए खिताब, उहदे, व मेंम्बरी छोड़ना। (२) सरकारी दरबार व जलसे इत्यादियों में न जाना। (३) क्रमशः लड़कों को सरकारी मदद या इन्तजाम वाले स्कूल व कालेजों से हटा लेना और उनकी जगह राष्ट्रीय स्कूल व कालेज बनाना। (४) क्रमशः सरकारी अदालतों में वकीलों व सायलों का न जाना और पंचायतें कायम करना। [५] मेसोपोटेमियां में फौजी, क्लर्क या मजदूर बनकर न जाना [६] कौंसिल की मेंबरी के लिये खड़े न होना और किसी को वोट न देना। [७] विदेशी माल का त्याग [बहिष्कार] [८] स्वदेशी माल का बड़े प्रमाण पर

प्रचार और घरों में सूत कातने और जुलाहों को कपड़े, बनाने में उत्तेजना देना।

असहयोग की सफलता —१९२१

असहयोग कार्यक्रम ने बड़ी तेजी से जोर पकड़ा पं० मोतीलाल नेहरू मि० सी० आर० दास तथा सहस्रों वकीलों ने वकालत छोड़ी, विद्यार्थियों ने सरकारी पाठशालायें छोड़ दीं, विलायती कपड़े का बायकाट हुआ और जलाया भी गया; खिताब अनेक त्याग दिये गये। ग्राम २ में असहयोग का प्रचार हुआ और टिलक स्वराज्यफन्ड में लाखों रुपया तुरन्त आ गया। विलायती कपड़े की दुकानों पर धरना तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और सहस्रों मनुष्य जेल गये। आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने प्रान्तीय कमेटियों को सविनय आज्ञा भङ्ग (Civil Disobedience) अकेले व्यक्ति द्वारा या सब जनता द्वारा करने का अधिकार दे दिया था। गुजरात की प्रांतीय कमेटी ने बारडोली और आनन्द ताल्लुकाओं को आज्ञा भङ्ग करने के लिये तैयार कर लिया। २३ नवम्बर १९१९ को सत्याग्रह आरम्भ होना था किन्तु १७ नवम्बर १९१९ को जिस रोज युवराज भारत में आये बम्बई में बड़ा दङ्गा हो गया इस कारण चन्द दिनों के लिये स्थगित हुआ। वर्किंग कमेटी ने प्रांतीय कमेटियों को आगाही दी कि समष्टि रूप में आज्ञा भंग के लिये अहिंसात्मक (शांतिमय) वातावरण आवश्यक है।

यू. पी. और बंगाल में सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत वालंटियर गैर कानूनी कर दिये फलतः सहस्रों मनुष्य आज्ञा भंग करके जेल चले गये जिनमें पं० मोतीलाल नेहरू, श्री० सी० आर० दास, पं० जवाहिर लाल नेहरू तथा अन्य ५५ सदस्य यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भी शामिल थे। सरकार ने १४४ दफा जाबता फौजदारी का भी अनेक अवसरों पर उपयोग किया।

३६—अहमदाबाद—१९२१

सभापति—सी. आर. दास (जेल में)
हकीम अजमल खां।

मुख्य प्रस्ताव—(१) वालंटियर संस्थायें मजबूत की जावें और लोग सविनय आज्ञा भंग करने के लिये भर्ती हों। (२) महात्मा गांधी डिक्टेटर (आज्ञा देने वाले) बनाये गये और कांग्रेस कार्य क्रम का कुल संचालन उन्हीं के हाथों में दिया गया।

बारडोली सत्याग्रह (प्रथम)

बारडोली ताल्लुक में पूर्ण रूप से सविनय आज्ञा भंग करने की तैयारी की जाने लगी और वाइसराय को अलटीमेटम भी भेजा गया। किंतु ४ फरवरी १९२२ को चौरी चौरा (गोरखपुर) में कुछ लोगों ने कुछ पुलिस वालों को मार डाला, थाने में आग लगा दी आदि। इस कारण ११ और १२ फरवरी १९२२ को वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया—(१) बारडोली सत्याग्रह स्थगित किया गया (२) देश में सविनय

आज्ञा भंग भी स्थगित किया गया (३) १ करोड़ मेम्बर बनाये जावें (४) चरखा चलाना और सूत कातने का कार्य बढ़ाया जावे (५) राष्ट्रीय पाठशालाओं का संगठन (६) अछूतोद्धार (७) ग्राम पंचायतें कायम की जावें।

इसके बाद ही दिल्ली की बैठक में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने उपरोक्त प्रस्ताव को पास कर दिया किन्तु वैय-क्तिक सविनय आज्ञा भंग करना तथा विलायती कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना (पिकेटिंग) देने का अधिकार दे दिया गया।

१०मार्च १९२२ को सरकार ने महात्मा गांधीपर राजद्रोह का मामलाचलाकरगिर-फ्तार कर लिया और उन्हें ६ साल की सादी कैद की सजा दे दी।

सविनय आज्ञा भंग कमेटी।

महात्मा गांधी के कैद जाने से असहयोग आंदोलन को बड़ा धक्का पहुंचा। राजनैतिक नेताओं में मत भेद होकर असहयोग प्रोग्राम बदलने का विचार उत्पन्न हुआ कुछ लोगों की राय कौंसिलों में प्रवेश करने की भी हुई। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी नियत की जिसे वह काम सुपुर्द हुआ कि वह इस बात की जांच करे कि देश सविनय आज्ञा भङ्ग के लिये कहां तक तैयार है। कमेटी ने ६ सप्ताह दौरा किया और ४५९ साक्षी दारों के बयान लिये। कमेटी की दो रिपोर्टें प्रकाशित हुईं (१) हकीम अजमल खां, पं० मोती-लाल नेहरू, और वी. जी, पटेल ने कौंसिल प्रवेश की राय दी, (२) डा० अंसारी सी० राज गोपालाचार्य और एस कस्तूरी रङ्गाअयङ्गर ने कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध राय लिखी। इस कारण देश में दो दल (Pro-changer और Nochanger हो गये।

३७—गया—१९२२

सभापति—सी. आर. दास

मुख्य प्रस्ताव—कांग्रेस ने असह-योग प्रोग्राम में परिवर्तन करना मंजूर नहीं किया और असली प्रोग्राम पास कर दिया।

स्वराज्य पार्टी।

कांग्रेस में कौंसिल पक्ष की सफलता न देख कर श्री० सी. आर. दास और पं० मोतीलाल नेहरू प्रभृति नेताओं ने कौंसिल प्रवेश तत्व पर एक पार्टी कायम की जिसका नाम "कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी" रक्खा गया। इस पार्टीका जोर बढ़ता ही गया और मई १९२३ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक बम्बई में हुई उसमें कौंसिल पक्ष जीत गया क्यों कि कमेटी ने बहुमत से यह पास किया कि वोटरों में कौंसिल बायकाट का प्रचार नहीं किया जावे।

इस प्रकार स्वराज्य पार्टी मजबूत होती गई और कांग्रेस के विशेष अधि-वेशन की आवश्यकता पड़ी।

विशेष कांग्रेस—दिल्ली—१९२३

सभापति—अबुलकलाम आजाद

यह विशेष अधिवेशन सितम्बर

सन १९२३ में कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को ही सुलझाने के लिये हुआ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कौंसिल प्रवेश बायकाट उठा लिया गया। ऐसा प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस के सदस्य अपनी वैयक्तिक हैसियत में कौंसिल चुनाव के लिये खड़े हो सकते हैं। हिंदू मुसलिम एकता के स्थापित करने के लिये एक कमेटी बनाई गई जिसे राष्ट्रीय समझौता तैयार करने का काम सुपुर्द किया।

स्वराज्य पार्टी ने अपने प्रोग्राम, की सफलता के लिये फन्ड भी जमा किया समाचार पत्र भी चलाये, कार्यकर्ता भी मुकर्रर किये और चुनाव के समय तक बड़ी शक्ति शाली हो गई। पार्टी की तरफ से एक 'मेनीफेस्टो' भी प्रकाशित हुआ जिसमें यह प्रगट किया गया कि पार्टी का यह ध्येय है कि (१) कौंसिलों की सन्स्थायें सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रगति के विरुद्ध उपयोग में न लाई जा सकेगी [२] सरकार को राष्ट्रीय मांग द्वारा 'अलटीमेटम' दिया जावेगा कि अगर वह न मानी गई तो स्वराजपार्टी की ओर से कौंसिलों व एसेम्बली में "सतत लगातार और एकसी अडन्गा नीति" का उपयोग किया जावेगा। और कौंसिलों को तोड दिया जावेगा। चुनाव में हर प्रांत में स्वराज पार्टी के उम्मेदवार बड़ी संख्या में आये और विशेष कर बंगाल व मध्यप्रदेश में काफी बहुमत में आये।

बंगाल पैक्ट।

मि० सी. आर. दास ने बंगाल के लिये हिन्दू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिये एक 'पैक्ट' बनाया जिसमें [१] मुसलमानों को ५५ प्रतिशत सरकारी नौकरियां दी जावें और [२] स्थानिक सन्स्थाओं में ६० प्रतिशत सदस्यों की सख्या दी जावे ऐसी मुख्य शर्तें रक्खी गई। कोकोनाडा कांग्रेस ने इसे न माना।

सन १९२३ में हिन्दू मुसलिम वैमनस्य बहुत बढ़ गया था। दोनों धर्मों के लोग आक्रमणिक नीति का पालन करने पर तत्पर थे। शुद्धि, संगठन, तबलीग तनजीम आदि कार्य बडे बेग से चलाये गये और भारतीय वातावरण शांति व सुख की दृष्टि से बड़ा दूषित हो गया था।

इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा कि सन १९०८ से नरम दल कांग्रेस से अलग हो गया था और उसने एक अलग संस्था (लिबरल फिडरेशन) कायम कर दी थी जिसका इतिहास अलग दिया गया है। असहयोग आन्दोलन के समय यह दल नाम मात्र के लिये जीवित रहा।

३८—कोकोनाडा—१९२३

सभापति—मौ० मुहम्मद अली

मुख्य प्रस्ताव—दिल्ली की बैठक में पास किया हुआ प्रस्ताव फिर पास हुआ किन्तु महात्मा गांधी का पुराना त्रिमुखी बायकाट भी पास हुआ। वस्तुतः

स्वराज पार्टी को कौंसिल में कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई।

राजनैतिक परिस्थिति १९२४

सन १९२४ के आरम्भ में स्वराज पार्टी बड़ी शक्ति शाली हो गई। उसकी जेनरल कौंसिल ने सदस्यों के लिये नियम बनाये और यह तय किया कि सरकार के सामने जो मांग पेश की जावेगी उसमें मुख्य बातें ये होंगी (१) सब राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जावें। (२) कुल दमनकारी कानून रद्द कर दिये जावें। (३) एक नैशनल कनवेन्शन बुलाई जावे जो भारी शासन की रचना तैयार करे। यदि सरकार न माने तो अड़ंगा नीति चलाई जावे। यह भी निश्चय किया गया कि स्वराज पार्टी का कोई सदस्य (१) सरकारी पद न ग्रहण करेगा (२) किसी सिलेक्ट कमेटी पर सदस्य न बनेगा और न अपना नाम उसमें देगा। (३) कौंसिलों के साधारण कार्य में भाग न लेंगे। इसी निश्चय के अनुसार जिस प्रांत में स्वराज पार्टी के सदस्य बहुमत में थे वहां उनके सदस्यों ने मिनिस्टर होने से इंकार कर दिया (बंगाल व सी. पी.)

एसेम्बली की आरम्भिक बैठकों में ही स्वराज पार्टी के नेता प० मोतीलाल नेहरू ने सरकार से कहा कि भारत के शासन के लिये नया विधान बनाने के लिये "रौंडटेबल कान्फ्रेंस" बुलाई जावे किन्तु सरकार ने न माना।

स्वराज पार्टी ने सरकारी आय व्यय का ब्यौरा (फाइनेन्स बिल) बहुमत से अस्वीकृत कर दिया। लार्ड रीडिंग को अपने 'सार्टीफिकट' से कायम करना पड़ा।

महात्मा गांधी ५ फरवरी सन १९२४ को बीमारी के कारण छोड़ दिये गये २७ जून १९२४ ई० को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हुई उसमें महात्माजी ने अनेक प्रस्ताव पेश करने चाहे (१) प्रत्येक कांग्रेस का सदस्य १ मास में २००० गज सूत बिने (२) प्रांतीय कमेटियाँ अपने अधिकारियों के कार्य की जांच करें (३) जो बायकाट न मानें उन्हें कमेटियों से निकाल दिया जावे। (४) बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव मि० डे के मारने वाले श्री० गोपीनाथ शाहा के सम्बंध में पास किया है उसकी नीति की अस्वीकृति, आदि। महात्माजी के प्रस्ताव पास हुए किन्तु अल्प बहुमत से। इस कारण उन्होंने फिर स्वराज पार्टी से समझौता कर लिया और उन्होंने कौंसिल प्रोग्राम की पूर्ति की स्वतंत्रता देदी।

एसेम्बली में स्वराज पार्टी के सदस्यों की संख्या ५० थी इस कारण उसने स्वतंत्र सदस्यों से मेल कर के एक 'नैशनैलिस्ट पार्टी" एसेम्बली के लिये बना ली जिससे सरकार को अनेक बार हारना पड़ा।

हिन्दू मुसलिम दंगे तथा
एकता कानफ्रेंस।

जुलाई सन १९२४ में दिल्ली में

हिन्दू मुसलिम दंगे हुए और उसी मास में नागपुर में हुए । अगस्त में लाहौर, लखनऊ, मुरादाबाद, भागलपुर, नागपुर और हैदराबाद [निजाम राज्य] में हुए। कोहुए में सब से बड़ा दंगा हुआ जिसमें हिन्दू जनता को शहर से भागना पड़ा। सैकड़ों घर जला दिये गये और अनेक मनुष्य मारे गये और सहस्त्रों अत्याचार हुए। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ता० १८ सितम्बर १९२४ से २१ दिन का उपवास करेंगे और एसा किया भी चारों ओर से "एकता कानफ्रेंस" किये जाने की सूचना की गई । यह कानफ्रेंस ता० २६ सितम्बर को आरम्भ हुई जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, सब शामिल हुए । मेट्रोपोलिटन आफ इंडिया भी इस में शामिल हुये थे। बड़ी कठिनता से 'एकता कानफ्रेंस' ने अनेक प्रस्ताव पास किये जिसका आशय इस प्रकार है—

[१] कोई मनुष्य धर्म सम्बन्धी पीड़ा होने पर कानून को अपने हाथ में न ले अर्थात स्वय मार पीट से बदला लेने पर तैयार न होवे ।

[२] कुल धर्म सम्बन्धी झगडे पंचायत में फैसल कराये जावें, अगर वहां न तै हों तो अदालत से तै करावे ।

[३] सब धर्म पवित्र हैं और सब लोगों को चाहिए कि अपनी धार्मिक रीतियां दूसरे के विचारों का ख्याल करके बातें।

[४] गौहत्या हिन्दू लोग जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। मुसलमानों को चाहिये कि इस मामले में हिन्दुओं के दिल जहां तक बने न दुखावें।

[५] मसजिद के सामने बाजा बजाना, अजान देना आदि बातें दूसरों के विचारों तथा सुविधा को ख्याल में रख कर की जावें

[६] १५ मनुष्यों का एक पंचायत बोर्ड कायम किया गया। जिसमें सब जातियों के सदस्य रक्खे गये।

आल पार्टी लीडर्स कानफ्रेंस

अर्थात

सर्वदल नेता सम्मेलन।

२५ अक्टूबर १९२४ को लार्ड रीडिंग ने आर्डीनेन्स न० १ जारी किया जिसके द्वारा राजनैतिक अपराधियों की सरसरी गिरफ्तारी व खास कमिश्नरों के सामने तहकीकात की रीती पास करदी गई। इसी 'आर्डीनेन्स' के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र बोस, [स्वराजिस्ट] चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर कलकत्ता कारपोरेशन तथा अन्य स्वराजिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये। यह आर्डीनेन्स और यह गिरफ्तारियां स्वराज्य पार्टी को कुचलने के लिये ही की गई ऐसा पं० मोतीलाल नेहरू तथा श्री० सी. आर. दास ने प्रगट किया। महात्मा गांधी ने भी इस आर्डीनेन्स की निंदा की और नवम्बर १९२४ में एक ब्यान गांधी-दास-नेहरू के हस्ताक्षरों से प्रकाशित किया गया कि जिसके द्वारा यह सुझाया गया कि

[१] समय आ गया है कि सब राजनैतिक दल मिल जावें [२] आगामी कांग्रेस [बेलगांव] से सिफारिश की गई कि विदेशी कपड़ों के बायकाट के सिवाय सब बायकाट बन्द कर दिये जावें [३] स्वराज्यपार्टी कौंसिलों में कांग्रेस के नाम पर काम करे। [४] कांग्रेस और सब दल रचनात्मक कार्यक्रम मानें [५] कांग्रेस का चन्दा २००० गज मासिक हाथ का कता हुआ सूत रक्खा जावे [नोटः—यह सूत खरीद कर भी दिया जा सके]

सब राजनैतिक दलों को सर्व दल नेता सम्मेलन में आने के लिये आमंत्रित किया गया। सिवाय योरोपियन एसो-सियेशन के बाकी सब दलों ने—लिबरल इंडिपेन्डेन्ट, मि० बेसेन्ट की होम रूल लीग, आदि ने—निमंत्रण मन्जूर किया।

२१ नवम्बर १९२४ को यह सर्व दल नेता सम्मेलन की बैठक हुई। इस सम्मेलन ने [१] एक स्वर से 'आर्डीनेन्स' पास करने के कारण सरकारी नीति की निन्दा की [२] एक कमेटी नियत की जो सब राजनैतिक दलों को कांग्रेस में लाने के लिये उपाय सोचे, स्वराज्य का मसौदा बनावे और साम्प्रदायिक प्रश्नों को सुलझाने के उपाय बतावे। इस कमेटी के लिये समय ३१ मार्च १९२५ तक दिया गया।

इस कमेटी की बैठक जनवरी व फरवरी १९२५ में हुई। उसने एक उप-समिति हिन्दू मुसलिम झगड़ों के निपटारे के लिये बनाई लेकिन इस उप-समिति ने कोई कार्य नहीं किया और टूट गई। दूसरी उपसमिति जो शासन के मसौदे के लिये बनी उस की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

३९—बेलगांव—१९२४

सभापति—महात्मा गांधी।

मुख्य प्रस्ताव (१) स्वराज पार्टी के साथ जो समझौता पहिले महात्मा गांधी से हुआ था उसका समर्थन इस कांग्रेस ने किया (२) बंगाल आर्डीनेंस पर असन्तोष प्रगट किया गया (३) असहयोग बन्द कर दिया गया

इस कांग्रेस के पहिले यह प्रयत्न किया गया था कि कांग्रेस में सब राजनैतिक दल मिल जावें किन्तु ऐसा न हो सका।

राजनैतिक परिस्थिति १९२५

इस वर्ष में राजनैतिक आन्दोलन गिरता गया। स्वराज पार्टी का जोर अवश्य रहा। ७ जनवरी सन् १९२५ को लार्ड लिटन ने बंगाल कौंसिल में "आर्डीनेंस" विषयक कानून पेश किया किन्तु स्वराजिस्ट सदस्यों ने बहुमत से गिरा दिया। लार्ड लिटन ने सार्टीफिकेट द्वारा उसे पास कर दिया। कुछ दिनों के बाद स्वराज पार्टी में कुछ मेम्बरों की राय यह होने लगी कि स्वराजिस्टों को 'मिनिस्टर' बनना चाहिये। संयुक्त प्रांत में यह सवाल उठा था किन्तु स्वराजिस्ट कौंसिल ने उसे ना मन्जूर कर दिया। १७ फरवरी १९२५ को बंगाल लेजिस्लेटिव

कौंसिल ने मिनिस्टरों के वेतन बजट में रक्खे जाने का प्रस्ताव पास कर दिया। दो मिनिस्टर निश्त भी कर दिये गये। किन्तु २३ मार्च १९२५ को बजट के पेश होने पर मिनिस्टरों के वेतन (६९ पक्ष ६३ विपक्ष) अस्वीकृत कर दिये। लेजिसलेटिव एसेम्बली में मि० डुरायस्वामी अय्यङ्गर ने बंगाल आर्डिनेन्स को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया जो सरकार के विरोध पर भी (५८—४५ वोटों से) पास हुआ। इसी प्रकार मि० वी. जे. पटेल का बिल कि बंगाल, मद्रास, बम्बई स्टेट प्रिजनर्स ऐक्ट १८५०, व पंजाब फ्रांटियर औटरेजेस ऐक्ट १८६७ और प्रिवेन्शन आफ सिडीशस मीटिंग्स ऐक्ट १९२१ रद्द कर दिये जावें। इस प्रकार के संशोधनों के गिरने पर प्रस्ताव पास हुआ केवल पंजाब फ्रान्टियर औटरेजेस ऐक्ट १८६७ प्रस्ताव में से वापिस ले लिया गया क्योंकि वह उपयोगी समझा गया। मि० के. सी. नियोगी को रेलवे ऐक्ट संशोधन (५०—३६ वोटों से) पास हुआ। मि० व्यंकटपति राजू का प्रस्ताव, कि तुरन्त एक फौजी कालेज भारत में खोला जावे प० मालवीय के संशोधित रूप में सरकारी विरोध पर भी पास हुआ बंगाल क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट को सम्राट ने स्वीकृति दे दी ऐसा सर एलेक्जेन्डर मुडीमैन ने एसेम्बली में प्रगट किया और एक बिल उसी की पुष्टि रूप में एसेम्बली में पेश किया। स्वराजिस्ट और इंडिपेन्डेन्ट मेम्बरों ने उस में के कुछ भाग हटा कर पास करना चाहा लार्ड रीडिंग ने सिफारिश की कि बिल असली हालत में ही पास किया जावे किन्तु ७२—४५ वोटों से लार्ड रीडिंग की राय गिर गई कौंसिल आफ स्टेट ने लार्ड रीडिंग की इच्छानुसार बिल पास कर दिया और लार्ड रीडिंग ने ६७ वी (२) गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार सार्टीफिकेट देकर पास कर दिया।

१६ जून १९२५ को श्री० सी. आर. दास का स्वर्गवास हुआ जिससे स्वराज-पार्टी को बड़ी हानि पहुंची। किन्तु पं० मोती लाल नेहरू ने कार्य सम्भाल लिया। सितम्बर १९२५ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि "कांग्रेस स्वयं आवश्यक राजनैतिक कार्य करे"

४० —कानपूर—१९२५

सभापति—श्रीमती सरोजनी नायडू

मुख्य प्रस्ताव—कांग्रेस ने स्वराज पार्टी की नीति तथा कार्य क्रम को पूर्ण रूपसे अपना लिया। और जो "नैशनल डिमांड" राष्ट्रीय मांग एसेम्बली में पेश की गई थी उसे मंजूर किया।

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपने अभिभाषण में कहा कि यदि अगले तीन चार महीने में सरकार ने हमारी मांग को पूरा न किया तो कांग्रेस को चाहिये कि प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य अपनी

मेम्बरियां छोड़ दें और सब मिलकर ध्येय प्राप्ति के लिये स्वार्थ त्याग करने पर तैयार हो जावें

राजनैतिक परिस्थिति । १९२६

कानपुर कांग्रेस के अवसर पर ही मि० केलकर, डाक्टर मुंजे और मि० जयकर ने एसेम्बली से इस्तीफा दे दिया था और वे स्वराज पार्टी के साथ चलने पर तैयार न थे। और चाहते थे कि रिस्पान्सिव कोआपेरेशन" (प्रतियोगी सहकारिता) नीति का उपयोग किया जावे।

रिस्पान्सिविस्ट कान्फ्रेन्स, अकोला।
फरवरी १९२६

सभापति—मि० एम. आर. जयकर

कांग्रेस के बाद ही रिस्पानसिव कोआपरेशन के पुरस्कर्ताओं ने अपनी पार्टी बनाना आरम्भ की और १४ फरवरी १९२६ को अकोला (वरार) में एक कानफ्रेन्स की जिसके सभापति मि० एम. आर. जयकर हुये। मि० जयकर ने पार्टी की नीति इस प्रकार बताई, वर्तमान परिस्थिति में केवल एक ही नीति है और वह रिस्पानसिव कोआपरेशन कि जिसका अर्थ है—सुधारों का उतना उपयोग करना-नाकाफी, असन्तोष जनक, और निराशा जनक के अवश्य हैं—जितना उन में तथ्य हो और उन्हें इस रीति से काम में लाना जिससे स्वराज्य शीघ्रता से प्राप्त हो सके, सुधारों का इस लिये भी उपयोग करना कि जनता को अपने हितों के साधन के अवसर मिलें और अन्याय तथा दुःशासन से मुकाबला करने की शक्ति पैदा हो। मि० जयकर ने यह भी बताया कि इस नीति से न तो वे किसी सिद्धांत को ही छोड़ते हैं और न पीछे ही हटते हैं। सुधारों के उपयोग में ये बातें शामिल हैं—कौंसिलों के प्रति उत्तर—दायित्व रखनेवाली सब नौकरियों को ग्रहण करना और उसके लिये इस प्रकार के वेतन लेना जो समय २ पर पार्टी के नियमों द्वारा निश्चित हों।

मुख्य प्रस्ताव—[१] एक कमेटी बनाई गई जो पार्टी के कार्यक्रम को निश्चित करे। मि० जयकर, मि० देशमुख, डा० मुन्जे मि० एन. सी. केलकर, अणे, मि० एस. बी. केलकर (बरार) मि० जयकर, बेपटिस्टा। [२] पार्टी के सिद्धान्त उपरोक्त रीति पर निश्चित हुये [३] स्वराजपार्टी व कांग्रेस की वर्तमान नीति की निन्दा [४] पार्टी का कार्यक्रम "कांग्रेस डिमाकरेटिक पार्टी" (१९२० में जो स्थापित हुई थी) के कार्यक्रम की भांति ही रक्खा गया।

मार्च १९२६ में स्वराजपार्टी के सदस्यों ने तमाम कौंसिलों और एसेम्बली से विरोधात्मक "वाकाउट" (उठ जाना) कर दिया क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय मांग की ओर किसी प्रकार का ध्यान न दिया। स्वराजिस्ट और रिस्पान्सिविस्ट नेताओं ने एक दूसरे पर बड़ी टीकायें कीं। अन्त में महात्मा गांधी को बीच

पड़ों से ग़ : सन्धि बनाई गई जिसे 'साबरमती' पैक्ट कहते हैं। इस संधि के अनुसार स्वराजिस्ट सदस्यों को मन्त्री पद स्वीकार करने की स्वतंत्रता दे दी गई केवल यही रुकावट रक्खी गई कि अगर सरकार उन्हें पूरी संचालन शक्ति पूरा उत्तर दायित्व देने पर रजामन्द होवें तो मन्त्री पद लिया जावे। पं० मोतीलाल नेहरू को बम्बई व मद्रास के स्वराजिस्टों ने बड़ा बुरा भला कहा। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस पैक्ट को पास नहीं किया जिससे रिस्पान्सिविस्ट फिर बिगड़ गये।

ला० लाजपतराय जेनेवा (यूरुप) से इसी समय लौटे किन्तु उन्हें स्वराजिस्ट नीति पसन्द न आई। उन्होंने पं० मालवीय की सहायता से एक नवीन पार्टी बनाई जिस का नाम "इनडिपेन्डेन्ट" रक्खा गया। हिन्दू सभा के प्रोग्राम को इस पार्टी ने आगे रक्खा।

अक्तूबर १९२६ से कौंसिलों और एसेम्बली के चुनावों के लिये देश भर में आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस समय देश की विचित्र अवस्था हो गई स्वराज पार्टी, रिस्पान्सिविस्ट पार्टी, इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, हिन्दू सभा, मुसलिम लीग, खिलाफत पार्टी, दक्षिण में अब्राह्मण पार्टी, अनेक दलों के उम्मेदवार खड़े हुए और आपस में सब प्रकार के झगड़े होने लगे। चुनाव का फल स्वरूप अच्छा न हुआ। स्वराज पार्टी ने हर प्रान्त और एसेम्बली में अधिक संख्या में मेंबर पाये किन्तु बहुमत सिवाय मद्रास के और कहीं नहीं पाया।

४१—गोहाटी—१९२६

सभापति—श्रीनिवास अयंगर

इस कांग्रेस में ला० लाजपतराय और श्री० जयकर शामिल नहीं हुये। स्वामी श्रद्धानन्द को एक मदांध मुसलमान अबदुल रशीद ने दिल्ली में मार डाला यह समाचार कांग्रेस में फैलने पर हिन्दू मुसलिम एकता को बड़ा धक्का पहुंचा।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कांग्रेस ने सरकारी पद (मन्त्री पद आदि) को ग्रहण करना अस्वीकृत किया और जब तक 'राष्ट्रीय मांग' की पूर्ति न की जाय और बंगाल के नजर बन्द कैदी न छोड़े जायें तब तक सरकारी बजटना मन्जूर किया जाया करे। (२) राष्ट्रोन्नति के लिये कौंसिल और एसेम्बली में प्रस्ताव पेश करने व समय २ पर पार्टी की आज्ञानुसार बहस करने की भी अनुमति कांग्रेस ने दे दी। (३) सर्व साधारण को राजनैतिक शिक्षा, चरखा और खद्दर का प्रचार (४) जातियों में परस्पर ऐक्य (५) कांग्रेसमैन सब रोजाना खद्दर पहना करें ऐसा प्रस्ताव दुहराया गया।

पूर्ण स्वातन्त्र्य कांग्रेस का ध्येय है ऐसा प्रस्ताव इस साल भी पेश हुआ किन्तु महात्मा गान्धी ने विरोध करके उसे गिरा दिया।

राजनैतिक परिस्थिति १९२७

सन १९२७ के आरम्भ में हिंदू मुसलिम वैमनस्य बहुत बढ़ गया। स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या के कारण राजनैतिक वातावरण अत्यन्त दूषित होगया। काकोरी डकेती नामक मामला भी इसी काल में चला जिसमें भारत के अनेक युवक गिरफ्तार कर लिये गये। सरकार की ओर से डकेती को राजनैतिक स्वरूप दिया गया और अमानुषिक सजायें अनेक अभियुक्तों को दी गईं। मिस मेयो की 'मदर इंडिया' नामक पुस्तक प्रकाशित होने से भारत में खलबली मचगई। ऐसी असत्यता पूर्ण और अपमान जनक पुस्तक भारतीय संस्कृति के लिये कभी पहले किसी ने नहीं लिखी थी। 'रंगीला रसूल' पुस्तक पर सरकार ने फौजदारी कानून के अनुसार पुस्तक रचियता पर मुकदमा चलाया और उसे सजा हुई। लेजिसलेटिव असेम्बली और कौंसिलों में स्वराज पार्टी का जोर जैसा पहिले था वैसा नहीं रहा एसेम्बली में श्रीयुत हर विलास शारदा ने लड़कियों के विवाह की उम्र निश्चित कर दी जावें इसके सम्बन्धी कानून पेश किये।

अक्टूबर १९२७ में ब्रिटिश पार्लीमेंट ने स्टेचुटरी कमीशन 'सायमन कमीशन' कायम किया। जिसमें सब अंग्रेज मेंबर ही रक्खे गये। भारत में इस पर बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ। भारतवासी जिस सिद्धांत पर स्वभाग्य निर्णय के लिये आंदोलन कर रहे हैं उसी सिद्धांत पर पार्लीमेंट ने आक्रमण किया। कमीशन में भारतियों को कोई भाग नहीं मिला इसी से स्पष्ट है कि भारतियों की आवाज का निरादर किया गया। सब राजनैतिक दलों ने एक स्वर से कमीशन के वायकाट को घोषित कर दिया। देशीराज्यों से व अंग्रेजी सरकार से कैसा सम्बन्ध है इसकी जांच के लिये एक कमेटी (बटलर कमेटी) नियत की गई इसके कारण भी बड़ी असन्तोष फैला ऐसी परिस्थति में अगली कांग्रेस मद्रास में हुई। साइमन कमीशन और बटलर कमेटी का संक्षिप्त वर्णन आगे दिया हुआ हैं।

४२—मद्रास १९२७

सभापति—डा० एम. ए. अंसारी

मुख्य प्रस्ताव—(१) पूर्ण स्वातंत्र्य कांग्रेस का ध्येय हैं। (२) हिन्दू मुसलिम ऐक्ट (३) ब्रिटिश माल का बायकाट (४) चूंकि स्वभाग्य निर्णय के तत्व के विरुद्ध कमीशन नियत किया गया है। इस कारण कांग्रेस निश्चित करती है कि स्वाभिमानी भारत के लिये केवल एक ही मार्ग है कि कमीशन का वायकाट करे। इस लिये [क] कमीशन के भारत में आने के दिन देश भर में जलूस आदि से विरोध प्रगट किया जावे [ख] कमीशन के वायकाट के लिये देश व्यापी आंदोलन किया जावे। [ग] कमीशन के सामने राजनैतिक नेता, कौंसिल व एसेम्बली के गैर सरकारी सदस्य गवाही

न दें और न उनसे निजी मुलाकातों से सहयोग करें उनके साथ भोजनादि में शरीक न हों। [घ] कौंसिल व एसेम्बली के गैर सरकारी सदस्य कमेटियों में शामिल न हो और कमीशन के खर्च के लिये वोट भी न दें। [ङ] जब तक कमीशन भारत में रहे तब तक कांग्रेसी मेंबर कौंसिलों में और एसेम्बली में हाजिर न हों केवल उस समय हाजिर हो सकते हैं अगर गैर हाजिरी से उनकी जगह खाली होने की सम्भावना हो या वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय कार्य के लिये जरूरी समझे। [४] संयुक्त साम्प्रदायिक चुनाव का तत्व मान्य किया गया [५] सरहदी प्रांत और ब्रिटिश बिलोचिस्तान में सुधार कानून लागू कर दिया जावे। [६] प्रांतों की रचना भाषा भेद पर होना चाहिये कर्णाटक सिंध और आंध्र प्रांत नवीन बनाये जावें।

कांग्रेस के मुख्य नियम।

१—कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वातन्त्र्य है।

२—प्रत्येक भारतवासी स्त्री पुरुष जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो कांग्रेस के ध्येय को मानता हो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है।

३—प्रत्येक सदस्य को चार आना चन्दा अथवा २००० गज हाथ का कता हुआ सूत देना चाहिये। सूत अखिल भारतीय चरखा संघ को दे दिया जाता है। चन्दे का वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक होता है।

४—प्रांतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रबन्ध करती है।

५—प्रांतीय कमेटियां निश्चित धन आल इण्डिया कमेटी को देती हैं।

६—कांग्रेस की बैठक के अधिवेशन से कम से कम ६ मास पहिले स्वागत समिति बनना चाहिये।

७—स्वागत समिति को डेलीगेटों (प्रतिनिधियों) की फीस का आधा हिस्सा मिलता है। यह फीस १) होती है।

८—आल इण्डिया कमेटी के मेंबर को १०) वार्षिक देना होता है।

९—आल इण्डिया कमेटी में ३५० सदस्य होते हैं जो संख्या प्रत्येक प्रांत को बांट दी गई है।

१०—कांग्रेस का प्रेसीडेण्ट अगले साल आल इण्डिया कमेटी का अध्यक्ष होता है।

११—कमेटी में १५ मेंबर होते हैं जिसमें ५ पदाधिकारी और १० सदस्य आल इण्डिया कमेटी द्वारा चुने हुये होते हैं।

आलइन्डियाकांग्रेस कमेटी १९२९ ।

वर्किङ्ग कमेटी ।

अधिकारी मेम्बर ५

प्रेसीडेण्ट

पण्डित मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद ।

खजांची

सेठ जमनालाल बजाज बम्बई श्री० शिवप्रसाद गुप्त बनारस

जनरल सेक्रटरी

श्री० जवाहिरलाल नेहरू, इलाहाबाद डा० एम. ए. अन्सारी दिल्ली

निर्वाचित मेंबर १०

श्री० एस. श्रीनिवास आयङ्गर
,, बा० शम्भू मूर्ति कोकानाडा
,, सुभाष चन्द्र बोस
महात्मा गांधी
मौलाना अबुल कलाम आजाद
श्रीमती सरोजनी नायडू बम्बई
श्री० जे.एम. सेन गुप्ता
पं० मदन मोहन मालवीय
सरदार शारदूल सिंह
श्री० राजेन्द्र प्रसाद

आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी १९२९ ।

अधिकारी मेंबर १४

प्रेसीडेन्ट

१ पं० मोतीलाल नेहरू

भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट

२. पं० मदन मोहनमालवीय
३. डा० एनीबेसेन्ट
४. डा० एम. ए. अंसारी
५. श्री० सी. वीजैराघवाचार्यर
६. मौलाना अबुल कलामआजाद
७. मौलाना मुहम्मद अली
८. महात्मा गांधी
९. श्रीमती सरोजिनी नायडू
१०. श्री० एस श्रीनिवास अयङ्गर

जनरल सेक्रटरी

११. श्री० जवाहर लाल नेहरू १२. डा० एम. ए. अंसारी.

खजानची

१३. सेठ जमनालाल बजाज १४. श्री० शिवप्रसाद गुप्त

निर्वाचित मेंबर ३५० (प्रांत २१)

अजमेर—७

१. मुही युद्दीन साहब अजमेर
२. मिरजा अबदुल कादर बेग साहब अजमेर
३ श्री० अर्जुन लाल सेठी अजमेर
४. ,, दुर्गाप्रसाद अजमेर
५. श्री० कुमारा नन्द अजमेर
६. ,, बी० राजाराव, इलाहाबाद
७. ,, केशव चन्द्र गुप्ता अजमेर

आंध्र—२४

१ श्री० वी. वी-जोगिया एम.एल. ए. जिला गंजम
२. ,, टी. विश्वनाथम विजगापट्टम
३. ,. बा० शम्भू मूर्ति कोकानाडा
४. डा० पट्टाबी.सीताराम मछलीपट्टम
५. श्री० डी. नारायनराजू एम. एल. सी. गोदावरी
६. श्री० ए. कालेश्वर राव एम. एल. सी. कृष्णा
७. श्री० एस. रामास्वामी गुप्ता गन्तूर
८. ,, एल सूबाराम रेडी बुचीरेडीपालेम जिला नीलोर
९ ,, बा० पीरूमल नाइडू नीलोर
१०. ,, जी. हरी सरवोत्तम राव एम. एल.सी. जिला करनाल
११. ,, जी, वी, पुन्नाई शास्त्री गन्तूर
१२. ,, ए. रङ्गनाथ मुदालियर मद्रास
१३ श्री० सुब्बाराव काल्लुर जिला अनन्तपुर
१४. श्री० टी. प्रकाशम मद्रास
१५. ,, के. नागेश्वर राव मद्रास
१६. ,, वी. एल. शास्त्री मद्रास
१७. ,, ए. गोविन्दाचारी एलोर
१८. ,, वी. रामदास मद्रास
१९ ., डी. राघवेन्द्र राव मद्रास
२०. डा० नजीर अहमद गोदावरी
२१ श्री० एम थिरूमलराव गोदावरी
२२. ,, जी रङ्गीहा नाइडू मद्रास
२३. ,, एम बाला सुबरामन्य गुप्ता कृष्णा
२४. ,, देशबंधवी दुब्वरी सुब्बमा गरू मद्रास

आसाम—५

१. श्री० टी- आर. फोकन गोहाटी
२. ,, एन. सी. बारडोली गोहाटी
३. ,, कुलधर चालीहा जोरहट
४. श्री० गोपीनाथ बारडोली गोहाट
५. ,, एम. तयूब उल्ला गोहाटी

बिहार—३३

१, श्री० राजेन्द्रप्रसाद पटना
२. श्री श्रीकृष्ण सिंह एम.एल.सी. मुंगेर

३. श्री० अनुग्रह नरायनसिंह पटना
४. ,, दीप नरायन सिंह भागलपूर
५. ,, ब्रज किशोर प्रसाद पटना
६. ,, रामदयालु सिंह एम. एल. सी, मुजफ्फरपूर
७. ,, मथुरा प्रसाद पटना
८. ,, कृष्णवल्लभ पटना
९. ,, विपिन विहारी वर्मा चम्पारन
१०. ,, रामविनोद सिंह सारन
११. ,, डा० पूरन चन्द्र रांची
१२. डा० सैयद मुहम्मद बार-एट-ला छपरा
१३. श्री० प्रजापति मिश्र चम्पारन
१४. ,, रामानन्दन सिंह एम. एल. सी. मुजफ्फरपूर
१५. ,, सत्यनरायन सिंह एम.एल.सी दरभंगा
१६. " पुनियानन्द झा पूरनिय
१७. " रामचरित्र सिंह एम. एल. सी. मुंघेर
१८. ,, राशविहारी लाल भागलपूर
१९. श्री० विनोद नन्दा ओझा देवगढ
२०. अब्दुल बारी विहार
२१. श्री० रामनरायन सिंह एम एल. ए. हजारीबाग
२२. " जीमुत बाहन सेन पिरूलिया
२३. " रामलगनराम सिंगभूमि
२४. " हरीहर सिंह शाहाबाद
२५. ,, वलदेव सहाय एम एल. सी. पटना
२६. ,, मुकुटधारी प्रसाद वर्मा गया
२७. ,, श्रीमती लीला सिंह भागलपूर
२८. ,, मौ० आजाद सुबहानी कानपूर
२९. ,, मौ० सफी दाउदी एम. एल. ए. मुजफ्फरपूर
३०. ,, शाह मुहम्मद जुबीर मोंजियर
३१. ,, वारी मुहम्मदसाकी पटना
३२. ,, मौलाना जहूरुलहुसैन हाशिमी भागलपूर
३३. ,, काज़ी अहमद हुसैन साहेब एम. एल. सी. गया

बंगाल—४८

१. श्रीमती बसंती देवी कलकत्ता
२. ,, अन्नपूर्णा देवी कलकत्ता
३. मिसे ज्योतिरमई गङ्गोली कलकत्ता
४. सैयद जलालुद्दीन हाशिमी, कलकत्ता
५. मुहम्मद यासीन बरदवान
६. मौलाना मुहम्मद अकरम खां कलकत्ता
७. शमसुद्दीन अहमद साहेब, कलकत्ता
८. मुजीबुर्रहमान साहेब कलकत्त
९. अब्दुलाहिल बाकी साहेब नूरुलहुदा दीनाजपूर
१०. गयासुद्दीन अहमद साहेब मनसिंह
११. सैयद आलअफजदौला साहेब शीराजी कलकत्ता
१२. के नूरुद्दीन साहेब कलकत्ता

१३. श्री अब्दुलमतीन चौधरी कलकत्ता
१४. ,, मुहम्मद कासिम साहेब कलकत्ता
१५. ,, मुजफ्फर अहमद साहेब कलकत्ता
१६. ,, श्री० आफ्ताबुद्दीन चौधरी हिलीवोगरा
१७. ,, सैयद मजीद बख्श साहेब जैसोर
१८. ,, मुहम्मद मुनीरुज्जमां साहेब इसलामाबादी कलकत्ता
१९. " मुहम्मद मुहसिन अली साहेब कलकत्ता
२०. " आफ्ताब अली साहेब कलकत्ता
२१. ,, मुहम्मद खैरुलअनाम खां साहेब कलकत्ता
२२. श्री० सुभाष चन्द्र बोस कलकत्ता
२३. ,, जे. एम. सेन गुप्ता कलकत्ता
२४. डा० वीधान चन्द्र राय कलकत्ता
२५. श्री० सत्येन्द्र चन्द्र मित्र कलकत्ता
२६. ,, सुरेन्द्र मोहन घोष कलकत्ता
२७. ,, ज्ञानान्जन नियोगी कलकत्ता
२८. ,, नलिनीरञ्जनसरकार कलकत्ता
२९. ,, हरी कुमार चक्रवर्ती कलकत्ता
३०. ,, सरतचन्द्रचटर्जी हावड़ा
३१ श्री० पुरुषोत्तमराय कलकत्ता
३२. ,, ललितमोहनदास कलकत्ता
३३. ,, सुपेन्द्रकुमारदत्त कलकत्ता
३४. ,, अमरेन्द्रनाथघोष कलकत्ता
३५. ,, सतीशचन्द्र चक्रवर्ती कलकत्ता
३६. ,, मनरञ्जनगुप्ता कलकत्ता
३७. ,, सत्यरञ्जनबक्शी कलकत्ता
३८. ,, सुरेशचन्द्रदास कलकत्ता
३९. ,, प्रतुलचन्द्र गंगोली ढाका
४०. ,, अखिलचन्द्रदत्त कलकत्ता
४१. ,, अमरेन्द्र नाथ चटर्जी हुगली
४२. ,, निर्मल चन्द्र चुंदेर कलकत्ता
४३. ,, नृपेन्द्र चन्द्र बनर्जी कलकत्ता
४४ ,, ज्ञानेन्द्र चन्द्र मजूमदार मैमनसिंह
४५. ,, सरत चन्द्र बोस कलकत्ता
४६. ,, किरण शंकर राय कलकत्ता
४७. ,, पूर्ण चन्द्र दास फरीदपूर
४८. डा० जे. एम. दास गुप्ता कलकत्ता

बरार—७

१ माधौ श्री हरी अनो यवतमाल
२. डा० बी. एस. मुंजे नागपुर
३ पी. बी. गोले अकोला
४ एन. एस. पराजपे यवतमाल
५. मि० एम. के. चन्दे खामगांव
६. मि० वी जी. खापर्डे अमरावती
७. मि० डी. वाइ. राजौरकर अकोला

बर्मा—१२

१. एन. एस. बोस रंगून
२. श्याम सुन्दर चक्रवर्ती २४ परगना

३. आर. एच. गांधी रंगून
४. ए. के. हाजी गनो साहब रंगून
५. वी. मदनजीत रंगून
६. वी. डी. मेहता रंगून
७. मौलवी हाजी अहमद रंगून
८. जमुनादास एम, मेहता बंबई
९. नानालाल कालीदास रंगून
१०. डा० एम. ए. रऊफ रंगून
११. यू. टोक कई एम एल. ए मोलमीन
१२. एस. ए. एस. तैयब जी एम.एल.सी. रंगून

बंबई सिटी—७

१. के. एन जोगलेकर बंबई नं० २
२. मु० मिरजा मुहम्मद अली बंबई " ८
३. आर. एस. निम्बकर बंबई " ४
४. एस. डी. डांगे बबई " ४
५. एम. एन. तालपदे बंबई नं० २
६. बलू भाई टी. देसाई बबई " ४
७. गणपति शंकर एन. देसाई, बंबई " २

सी. पी. हिन्दुस्तानी—१३

१. श्री० केशव रामचन्द्र खांडेकर एम. एल. सी. सागर
२. ,, सुकुमार चटर्जी आई. जे. जबलपुर
३. ,, द्वारका प्रसाद मिश्र एम. एल ए. जबलपुर
४. ,, माखन लाल चतुर्वेदी खंडुआ
५ " सेठ गोविन्द दास जबलपुर
६. " वासुदेवराव सूबेदार सागर
७. ,, घनश्याम सिंह गुप्ता एम एल. सी. दुर्ग
८. श्री० पाण्डुरंग डोंगनकर गोंधी
९. " सेठ दीपचन्द एम. एल. सी. बैतुल
१०. " सिद्धनाथ माधव आगरकर खन्डुवा
११. ,, नाथूजी जगताप धमतरी
१२. " डा० शिवदुलारे बिलासपुर
१३. ,, दुर्गा शंकर मेहता एम एल सी सिओनी

सी. पी. मराठी—७

१. श्री० एम वी अभ्यंकर नागपुर
२. " एन वी खरे वी. ए. एम डी एम एल सी नागपुर
३. ,, सेठ कुशल चन्द खजांची चांदा
४. ,, नीलकन्ठ राव देशमुख वोरूल
५. श्री० भगवानदीन जी नागपुर
६. ,, वी एम वटवई हींगनघाट
७. ,, एस वी पलसुले भनडरा

दिल्ली—८

१. ,, फरीदु ल हक अन्सारी शाह, दिल्ली
२. ,, शंकरलाल दिल्ली

३. श्री० प्रोफेसर इन्द्र दिल्ली
४. ,, विशम्भर दयाल दिल्ली
५. ,, आरिफ हसवी दिल्ली
६. श्री० पं० प्यारेलाल शर्मा मेरठ
७. ,, प्रोफेसर जुगल किशोर मथुरा
८. ,, आचार्य कृपलानी मेरठ

गुजरात—१२

१. काली दास जसकरन झावरी अहमदाबाद
२. हरप्रसाद पीताम्बर दास मेहता अहमदाबाद
३. मनीलाल वल्लभजी कोठारी साबरमती
४. इमाम अब्दुल कादिर वजीर साहब साबरमती
५. महादेव हरीभाई देसाई, साबरमती
६. वल्लभभाई जावरभाई पटेल अहमदाबाद
७. फूलचन्द बापूजीशाह केरा
८. गोपालदास अम्बाईदास देसाई वोरसद
९. अब्बास एस तयाबजी, केम्प बड़ोदा
१०. चन्दूलाल मनीलाल देसाई भड़ौंच
११. दयालजी ननूभाई देसाई सूरत
१२. चिमनलाल छबीलदास सूरत

करनाटक—१५

१. एस. वी. कुवजलजी वीजापूर
२. एम. आर. केमभाई वीजापूर
३. जी. बी. देश पांडे बैलगांव
४. डी बी बेलवी एम. एल.ए. बैलगांव
५. वी.एन.जोग एम.एल.सी., धारवार
६. आर. आर. दिवाकर धारवार
७. आर. ए. जागीरदार बम्बई
८. डा० एन. एस. हार्डीकर हुबली
९. के. गुरु राजाराव बिलारी
१०. एस. यू. फनियादी, दक्षणी किनारा
११. आई. विसुपलापा बिलारी
१२. वामनराव नायक, हैदराबाद (दक्षिण)
१३. होसाकुपा कृष्ण राव कोपा-कदूर
१४. सी. एन. वेन्कापय्या मेरकारा
१५. डा० यू. रामराव मद्रास

केरल—८

१. वी. के. मेनोन तेलीचेरी
२. एस. के. कोमबरा वेल, तेलीचेरी
३. के. माधवनार कालीकट
४. बी.जी. होरनीमन बंबई
५. शीवराव मद्रास
६. यू. गोपालमेनन कालीकट
७. एम. मुहम्मद अब्दुलरहमान अल अमीन कालीकट
८. के.जी. कुंजुकृष्ण पिल्ले, त्रिवन्द्रम

महाराष्ट्र—१६

१. एन. सी. केलकर एम.एल.ए. पूना
२. सी. वी. वैद्य पूना
३. आर. जी. सुमन सितारा
४. आर. एन. राजवाडे शोलापुर
५. डी. वी. दिवेकर पूना
६. जे. के. मेहता थाना
७. डी. वी. जोशी खानदेश
८. जी. के. फाडके कलयान
९. ढुंढी राजपन्थ ठेंगडी पूना
१० डा० डी. डी. साठे पूना
११. बी. एम. फागसे कोलावा
१२. डी. एन. बांडरेकर बंबई नं० २०
१३. श्रीमती सरस्वती बाई फडके कलयान
१४. एम. अहमदभाई तमोली पूना
१५. एम. हुसेन भाई पूना
१६. हाजी अब्दुल्ला इसाक केम्प पूना

उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबा—४

१. अब्दुल गफ्फार पेशावर
२. हबीब उल्ला खां बानू
३. अब्दुल रहमी खां, देराइस्माइल खां
४. स्वराज्य सेवक उर्फ पैराखां देराइस्माइलखां

पंजाब—३३

१. केदार नाथ सेगल लाहौर
२ सरदार सरदूल सिंह लाहौर
३. डा० सईफ उद्दीन अमृतसर
४. डा० सत्यपाल लाहौर
५. अब्दुल रहमान गाजी अमृतसर
६. एम. अब्दुल कादर कसूरी लाहौर
७ सरदार मंगलसिंह लाहौर
८. एम सराजदीन प्राच लाहौर
९, एम. दाउद गजनवी अमृतसर
१०, लाल चन्द फलक लाहौर
११. दुनी चन्द लाहौर
१२, एम. जफर अली खां लाहौर
१३. डा० मुहम्मद अलाम लाहौर
१४. दुनी चन्द अम्बाला
१५. किशन सिंह लाहौर
१६. डा० खान चन्द्र देव लाहौर
१७. रूपलाल पुरी अमृतसर
१८. अमर सिंह झावालिया अमृतसर
१९. सोहन सिंह जोश अमृतसर
२०. श्रीमती पारवती देवी पटना
२१. बोधराज एम. एल. सी, मुलतान
२२. डा० परशुराम शर्मा लाहौर
२३. मेहता आनन्द किशोर लाहौर
२४, काबुलसिंह जलन्धर
२५. पिन्डी दास लाहौर
२६. गिरधारी लाल दिल्ली
२७. हबीबुल रहमान लुधियाना
२८. रायजादा हंसराज जलन्धर
२९. मियां मुहम्मद अब्दुल्ला लुधियाना
३०. गोवरधन दास लाहौर
३१. एम. अफजल हक एम. एल. सी, होशियारपुर
३२. ए. रंगा स्वामी अयंगर मद्रास
३३. गुरदयाल सिंह लाहौर

सिंध—९

1. स्वामी गोविन्दानन्द　किरांची
2. कृष्णानन्द　मीरपुर खास
3. नारायन दास　किरांची
4. धनश्याम जीतानन्द　हैदराबाद
5. चोइथ राम　हैदराबाद सिंध
6. जैरामदास　हैदराबाद सिंध
7. डा० ताराचन्द　किरांची
8. लाल चन्द　किरांची
9. आर. के. सिद्धव　किरांची

टामिल नाडू—२५

1. सी वैंकट रङ्गम नायडू एम.एल, सी　मद्रास
2. एस. सत्य मूर्ति एम. एल. सी,　मद्रास
3. सी. मारुदवनम　तन्जौर
4. एम. अन्नपूरणा डब्ल्यू. गोदावरी
5. सी. एन. मथुरङ्ग मुडालियर　मद्रास
6. सेठ याकूब हसन साहब　मद्रास
7. ऐम. बशीर अहमद सैयद ऐम. ऐल. सी　मद्रास
8. ऐम. सफी मुहम्मद　मद्रास
9. राजाराम पांडे　रामनद
10. टी. आदिनरायन चेटियर　सलीम
11. के. भाश्याम अयंगर　मद्रास
12. आर. के. सनमुखम चाटियर एम एल. ए. कोइमबटूर
13. अब्दुला हमिद खां　मद्रास
14. आर. चीना स्वामी　मद्रास
15. सैयद मुरतजा साहब एम. एल ए. त्रिचनापल्ली
16. एम. भक्तवत्सलम　मद्रास
17. रामनाथ गोइंक　मद्रास
18. पालानिआनन्दी मुडालियर तेनावली
19. एम. जयवेलू　मद्रास
20. पेरूल स्वामी रेडियर　मद्रास
21. एस. गणेस　मद्रास
22. एस. वैंकटा रास　मद्रास
23. पी. भगवत्सल नायडू एम.एल.सी.　मद्रास
24. ओ. कन्दास्वामी चेटियर　मद्रास
25. हरीहर शर्मा　मद्रास

संयुक्तप्रांत—४५

1. श्रीप्रकास　बनारस
2. पुरुषोत्तमदास टन्डन　लाहौर
3. नरेन्द्र देव　बनारस
4. टोडर सिंह　अलीगढ
5. कृष्णदत्त पालीवाल　आगरा
6. चन्द्रधर जोहरी　आगरा
7. विशेषर दयाल　आगरा
8. कुंवर हरप्रसाद सिंह　बांदा
9. सैयद मुहम्मद काजिम　झांसी
10. आर. वी. धुलेकर　झांसी
11. डा० विश्वनाथ मुकर्जी　गोरखपुर
12. सीताराम शुक्ला　बस्ती

१३. एम मासुद अलीनदवी आजमगढ़
१४. ललन जी फैजाबाद
१५ एम. रफी अहमद किडवई बाराबंकी
१६. बालकृष्ण शर्मा कानपुर
१७. गौरीशंकर मिश्र इलाहाबाद
१८. गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर
१९. नर्वदा प्रसाद सिंह इलाहाबाद
२०. मन्जीत सिंह राठौर एम. एल. सी. देहरादून
२१. मोहनलाल सक्सेना लखनऊ
२२. हरकरण नाथ मिश्र लखनऊ
२३. हरनाम सुन्दरलाल खेरी
२४. चौधरी खलीकुज्जमां खां, लखनऊ
२५. ब्रजमोहनलाल बरेली
२६ भगवती सहाय बेदार, शाहजहांपुर
२७ रघुवीरसहाय एम एल सी. बदायूं
२८. विहारीलाल देहरादून
२९. नरदेव शास्त्री ज्वालापुर
३०. मोहन जोशी हीराडोंगरी
३१. भगवानदास विश्राम चुनार
३२. गोविन्द वल्लभ पन्त एम. एल सी. नैनीताल
३३. चन्द्रदत्त पांडे बनारस
३४. डा० मुरारीलाल कानपुर
३५. मिस्टर टी ए. के. शेरवानी इलाहाबाद
३६ कृष्णचन्द्र शर्मा बनारस
३७. हरगोविन्द पन्त रानीखेत
३८ डा० कैलाशनाथ कटजू इलाहाबाद
३९. मु० सैदुर रहमान किडवई लखनऊ
४०. शिवराम अग्निहोत्री इलाहाबाद
४१. जगन्नाथप्रसाद शुक्ल इलाहाबाद
४२. हरीशचन्द्र बाजपेई उन्नाव
४३. रामप्रसाद मिश्र उन्नाव
४४. हरीहरनाथ शास्त्री कानपुर
४५. नारायणप्रसाद अरोड़ा कानपुर

उत्कल १२

१. गोपबन्धु चौधरी कटक
२, नीलकण्ठदास पुरी
३ लिंगराज मिश्र कटक
४. हरे कृष्ण मेहताब बालासोर
५. बी. दास डागरपद कटक
६. अच्युतानन्द पुरोहित सम्भलपुर
७. गोदावरीश मिश्र पुरी
८. बिचित्रानन्द दास कटक
९. विश्वनाथदास बीजापुर
१०. जदूमनी मङ्गराज कटक
११. राजकृष्ण बोस कटक
१२. निरञ्जन पतनायक बहरामपुर

चुनावों के झगड़ों के लिये पंचायत

१ एस सत्यमूर्ति टामिल नाद
२. जी. हरिसर्वोत्तम राय आंध्र
३. जी. बी. देश पांडे कर्नाटक
४. डी. वी. गोखले महाराष्ट्र
५. एस ए. एस. तय्यबजी बरमा
६. डा० बी. एस. मुन्जे बरार
७. आर. के. सिधवा सिंध
८. राजेन्द्रप्रसाद विहार
९. सैयद मुरतजा साहब तामिल नाद
१०. डा० सत्यपाल पंजाब
११. ,, मुरारीलाल यू० पी०
१२. किरन शंकर राय बङ्गला

प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के दफ्तरों के पते ।

१.	सेक्रटरी	न्यू कां इ० क०	अजमेर	घासीराम धर्मशाला अजमेर
२.	,,	प्रां० कां० क०	आंध्र	७ थम्बू चेटी स्ट्रीट जी० टी० मद्रास
३.	,,	,,	आसाम	गोहाटी
४.	,,	,,	बिहार	सदाकत आश्रम पोष्ट० डीघा घाट पटना
५.	,,	,,	बङ्गाल	११६ बोबाजार स्ट्रीट कलकत्ता
६.	,,	,,	बरार	अमरावती
७.	,,	,,	बर्मा	२४ मर्चेन्ट स्ट्रीट पो० बौक्स ८३१ रंगून
८.	,,	,,	बम्बई सिटी	कांग्रेस हाऊस ४१४ गिरगांव बैक रोड, बम्बई,
९.	,,	,,	सी. पी. हिन्दुस्तानी	सिविल लाइन जबलपूर
१०.	,,	,,	सी० पी० मराठी	महल नागपुर
११.	,,	,,	दिल्ली	दिल्ली
१२.	,,	,,	गुजरात	अहमदाबाद
१३.	,,	,,	कर्नाटक	गाडग (बम्बई प्रेसीडेन्सी)
१४.	,,	,,	केरल	मातृभूमि बिल्डिङ्ग कालीकट (मद्रास प्रेसीडेन्सी)
१५.	,,	,,	महाराष्ट्र	५६८ नारायन पेठ पूना सिटी
१६.	,,	,,	एन. डब्ल्यू. एफ.	पेशावर
१७.	,,		पंजाब	ब्रैडला हाल लाहौर
१८.	,,	,,	सिन्ध	केशरी आफिस करांची
१९.	,,	,,	तामिल नाद	महाजन सभा हाल माउन्ट रोड मद्रास
२०.	,,	,,	यू० पी०	बनारस कैन्ट
२१.	,,	,,	उतकल	दी युवक बिल्डिंग कटक

सम्बद्धित समितियां ।

दी सेक्रेटरी नेटाल इण्डियन कांग्रेस कमेटी १७५ ग्रेई स्ट्रीट डरबन (दक्षिणी अफ्रीका)

,, ब्रिटिश इण्डियन असोसियेशन जोहन्सबर्ग ,,

,, ब्रिटिश इण्डियन लीग कैप टौन ,,

,, पौइन्ट इण्डियन असोसियेशन डरबन (दक्षिणी अफ्रीका)

,, काबुल कांग्रेस कमेटी काबुल

मिस्टर सी० बी० वकील सेक्रटरी लण्डन ब्रांच इण्डियन नेशनल कांग्रेस ३२० क्वीन्स रोड न्यू क्रौस गेट लण्डन एस. ई. १४ (इङ्गलैण्ड)

मिस्टर रामलाल बाजपेई सेक्रेटरी अमेरिकन ब्रांच इडियन नेशनल कांग्रेस ३१ यूनियन स्क्वायर न्यू योर्क सिटी (यू. एस. ए.)

मिस्टर टी. ब्रागनका कुनहा सेक्रेटरी गोआ कांग्रेस कमेटी कन्सौलिम गोआ (इण्डिया)

मिस्टर एच. एन. चांदा सेक्रटरी कोबे ब्रांच इण्डियन नेशनल कांग्रेस पो० बौक्स नं० ३१२ कोबे (जापान)

इम्पीरियलिजम के विरुद्ध सङ्घ।

हरन वी. चट्टोपाध्याय सेक्रेटरी लीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिजम २४ फ्रेडरिक-स्टरसे बरलिन एस. डब्ल्यू. ४८ (जर्मनी)

बरलिन समाचार प्रकाशन विभाग।

हरन ए. सी. एन. नम्बियर बरलिन डब्ल्यू ८ मनेरस्ट ५२ (जर्मनी)

प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां।

बंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी।

प्रेसीडेन्ट

मि० सरोजिनी नायडू बम्बई

वाइस प्रेसीडेन्ट

जहांगीर बी. पटेल बम्बई ६

जोआन्ट ओन० सेक्रटरी

१. के. बी. सेन्जगिरि

२. आर. एस. निम्बकर बम्बई ४.

खजानची

आर. कृष्ण अय्यर

आडीटर

मेसर्स आर. सी. मेहता एन्ड को.

बंगाल प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेन्ट

सुभाष चन्द्र बोस कलकत्ता

वाइस प्रेसीडेंट

१ निर्मल चन्द्र चुन्दर कलकत्ता

२. ललित मोहन दास कलकत्ता

३ सतेन्द्र चन्द्र मित्र कलकत्ता

४. मौलवी मुहम्मद अकरम खां साहब कलकत्ता

सेक्रटरी

किरण शंकर राव कलकत्ता

असिस्टेन्ट सेक्रटरी

१. लाल मोहन घोष कलकत्ता

२. सिशर कुमार चौधरी कलकत्ता

३. मौलवी शम्शुद्दीन अहमद साहब कलकत्ता

खजानची

जे. एम. सेन गुप्ता कलकत्ता

आडीटर

नलिनी रंजन सरकार — कलकत्ता

पंजाब प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेन्ट

मौलाना अब्दुल कादर कासुरी — लाहौर

वाइस प्रेसीडेन्ट

१. डा० सत्यपाल — लाहौर
२. डा० मुहम्मद अलाम — लाहौर
३ सरदार किशन सिंह — लाहौर

खजानची

लाला केदार नाथ सहगल — लाहौर

जनरल सेक्रटरी

डा० खां चन्द देव — लाहौर

आफिस सेक्रटरी

१. डा० परशुराम शर्मा — लाहौर
२. लाला पिन्डी दास — लाहौर

सेक्रटरी

१. मेहता आनन्द किशोर — पंजाब
२. लाला छबील दास — पंजाब
३. सरदार संगल सिंह — लाहौर

संयुक्तप्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेंट

पं० जवाहर लाल नेहरू — इलाहाबाद

वाइस प्रेसीडेंट

१. गोविंद वल्लभ पन्त — नैनीताल
२. शिव प्रसाद गुप्त — बनारस
३. मि०तसदुक्क अहमद खां शेरवानी
४. मौलाना आजाद सुबहानी

जनरल सेक्रटरी

श्रीप्रकाश — बनारस

सेक्रटरी

कृष्णचन्द्र शर्मा — बनारस

खजांची

विश्वनाथ शर्मा — बनारस

आडीटर

बलदेव दास — बनारस

उत्कल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी।

प्रेसीडेण्ट

गोपबन्धु चौधरी — कटक

वाइस प्रेसीडेण्ट

डा० अटलविहारी आचार्य

ज्वाइन्ट सेक्रेटरी

१. पंडित लिंगराज मिश्र — कटक
२. ,, बन्शीधर ,,

खजांची

पंडित बन्शीधर मिश्र

बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी।

प्रेसीडेण्ट

आनरेबिल अनुग्रहनारायण सिंह — पटना

वाइस प्रेसीडेन्ट

१. बृजकिशोर प्रसाद — पटना
२. दीपनरायन सिंह — भागलपुर
३ शाह मुहम्मद जुब्बेर — मुन्घेर

जनरल सेक्रटरी

१. राजेन्द्र प्रसाद — पटना
२. श्रीकृष्ण सिंह — मुन्घेर

असिस्टेन्ट सेक्रटरी

१. मथुराप्रसाद — पटना
२. विनोदानन्द ओझा — देवगढ़
३. प्रोफेसर अबदुल बारी साहब — बिहार

खजांची

सारंगधर सिंह वकील — पटना

महाराष्ट्र प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेंट

एल. बी. भोपटकर — पूना

वाइस प्रेसीडेंट

१. डा० एम बी. गेलकर — बम्बई २
२. एस. एस. नायक — थाना
३. पी. के. शिरालकर — सितारा
४. एन. पी पाटनकर — नासिक

सेक्रटरी

१. डी. बी. दिवेकर — पूना
२. आर. एन. मंडलीक — कोलाबा
३. डी० के० गोसावी — सतारा
४. पी० वी० महाजन — कल्यान

खजांची

१. डी० वी० गोखले — पूना
२. जी० के० फडके — कलयान

आडीटर

एस. आर. केतकर — पूना

सी. पी. मराठी प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेंट

एम. वी. अभ्यन्कर — नागपुर

वाइस प्रेसीडेंट

भगवान दीन जी — नागपुर

जनरल सेक्रटरी

पूरन चन्द रन्का — नागपुर

जुआन्ट सेक्रटरी

एन. एम. घटवई — हींगनघाट

खजानची

सेठ, जमना लाल बजाज — बारधा

करनाटक प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेंट

एस. वी. कुरजलगी — बीजापुर

वाइस प्रेसीडेंट

१. जे.ए. सलधाना एम.एल.सी. मंगलोर
२. डी वी. बैलवी एम.एल.ए. बेलगांव
३. यू. रामराव — मद्रास

आन० सेक्रटरी

१. आर, आर. दिवाकर — धारवार
२. एम. आर. केम्भवी — बीजापुर
३ वी. आर. हुईलगोल — गाडग

खजानची

वी. एस. युमचिगी — गाडग

देहली प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेंट

डा० एम. ए. अंसारी — दिल्ली

वाइस प्रेसीडेंट

१. हकीम बृजलाल — मथुरा
२. लाला शंकरलाल — दिल्ली
३. डा० बाबू राम गर्ग — मुजफ्फरनगर

जनरल सेक्रटरी

प्रो० इन्द्र — दिल्ली

ओरगनाजिंग सेक्रटरी

मि० फरीदुल हक अंसारी — दिल्ली

एन. डब्ल्यू. एफ. प्रांतीय कांगरेस कमेटी

प्रेसीडेंट

सैयद आगा लाल बादशाह

वाइस प्रेसीडेंट

१. मि० अब्दुल रहीम खां

२. मि० अब्दुल गफ्फार खां
३. मि० हबीब उल्ला खां

जनरल सेक्रटरी
तथा खजानची

डा० सी. सी. घोष

असिस्टेंट सेक्रटरी

हकीम अब्दुल जलील नदवी

केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेंट

के. मधुवन नैयर एम. एल. सी.

सेक्रटरी

के. माधवनर

तामिल नाडु प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेंट

एस. श्रीनिवास अयंगर एम. एल. ए. मद्रास

वाइस प्रेसीडेंट

१. सी. एन. मधुरंगामुडालियर मद्रास

सेक्रटरी

१. सी मरुद्वनम पिल्ले जि० तंजोर
२. मि० बशीर अहमद सैयद मद्रास

खजानची

सी. वी. व्यंकटेरामन अयंगर कोयमबटूर

मैनेजर

एस व्यंकटरामन

सिंध प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेन्ट

स्वामी गोविंदा नन्द

आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेन्ट

टी. प्रकाशम मद्रास

सेक्रटरी

के. नागेश्वर राव मद्रास

सी. पी. हिन्दुस्तानी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

सेक्रटरी

द्वारिका प्रसाद मिश्र जबलपुर

बरार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेन्ट

एम. एस. अणे बरार

सेक्रटरी

जी. वी. डांगे बरार

आसाम प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेंट

टी. आर. फोकन गोहाटी

वाइस प्रेसीडेंट

१. एन. सी. बरदलोई गोहाटी
२. मौलवी फैजनूरअली
३. कुलधर चलीहा जोरहाट

जनरल सेक्रटरी

एस. तय्यबुल्ला साहब गोहाटी

खजानची

जुगेन्द्र नाथ बरुआ

बर्मा प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

सेक्रटरी

वी. मदन जीत रंगून

गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्रेसीडेंट

वल्लभ भाई जे. पटेल अहमदाबाद

सेक्रटरी

१. मनीलाल वी. कोठारी साबरमती
२. जीवन लाल एच. दीवान

नेशनल लिबरल फिडरेशन ।

(नरम दल सभा)

सन् १९०७ के पहिले से ही कांग्रेस में दो दल (गरम और नरम) बन गये थे। गरम दल में वे लोग थे जो राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रबलता से चलाना चाहते थे और स्वदेशी व बायकाट शस्त्रों का पूर्ण रीति से उपयोग करना चाहते थे। इस दल के नेता लो० बाल गंगाधर तिलक, श्री० अरविन्द घोष, श्री० विपिन चन्द्र पाल प्रभृति सज्जन थे । नरम दल में वे थे जो धीमी चाल चलना चाहते थे और सरकार से मुठभेड करने पर तत्पर न थे और न किसी प्रकार सरकारी रोष का मुकाबिला करने पर ही तैयार थे। स० १२०७ की सूरत कांग्रेस में यह दल स्पष्ट रीति से पृथक २ दिखाई देने लगे और कांग्रेस में गड़बड़ी मच जाने के कारण कांग्रेस की बैठक न हुई । बाद को कांग्रेस नरम दल वालों के हाथों में ही रही । स० १९१६ में आपसी समझौता होने पर लखनऊ की कांग्रेस में गरम दल के नेता सम्मिलित हुये। किन्तु यह एका बहुत दिन न चला । स० १९१७ में मि० मांटेग्यू (भारत मन्त्री) ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को स्वराज्य देने का है किन्तु उसकी मात्रा तथा समय ब्रिटिश पार्लीमेंट निश्चित करेगी। स० १९१८ में मांटेग्यू चेलम्स-फोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसी समय नरम और गरम दलों में अधिक अन्तर पड़ गया। प्रश्न यह आगे आया कि सुधारों की उपरोक्त का किस प्रकार स्वागत करना चाहिये । गरम दल चाहता था कि रिपोर्ट बिलकुल अमान्य कर दी जावे । नरम दल इसके लिये तैयार न था।

अगस्त १९१८ में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसमें मांटेग्यू चेलम्स फोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया गया किन्तु उसमें नरम दल के लोग न आये । उन्हों ने अपनी एक अलग कांफ्रेंस कायम की जिस का नाम "आल इंडिया माडरेट कांफ्रेंस" रक्खा गया। यह बैठक श्री० सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के सभापतित्व में बम्बई में हुई इस कांफ्रेंस में यह निश्चय कर लिया गया कि कांग्रेस से अलग रह कर ही नरम दल अपना कार्य करेगा। दिसम्बर में फिर कांफ्रेंस हुई और इस का नाम "आल इंडिया लिबरल फिड-रेशन" हुआ। बाद को नाम "नैशनल लिबरल फिडरेशन" हो गया।

१९१८ दिसम्बर की कांफ्रेंस में

यह खास रीति से प्रगट किया गया कि सुधार रिपोर्ट से देश का लाभ है और भारतवासियों को राजनैतिक क्षेत्र में तथा प्रबन्ध क्षेत्र में अनेक सुविधायें दी गई हैं और यह लिबरल दल उसे स्वीकार करने पर तैयार है।

नैशनल लिबरल फिडरेशन ने अपना ध्येय वही रक्खा था जो उस समय कांग्रेस का था। कांग्रेस ने सन् १९२० व १९२७ में दो बार अपना ध्येय बदला जिसे फिडरेशन नहीं मानता।

स० १९१९ ई० में जो अधिवेशन नैशनल फिडरेशन का हुआ उसके प्रस्तावों का सार दिया जाता है जिससे इनकी दृष्टि वर्तमान गवर्मेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट की ओर क्या है स्पष्ट होगी। इस अधिवेशन के सभापति सर पी० एस शिवस्वामी अय्यर थे।

(१) मि० मांटेग्यू को उनकी बुद्धिमत्ता पर बधाई।

(२) लार्ड सिन्हा को बधाई (रिफार्म ऐक्ट पास कराने तथा पीस कान्फ्रंस में शामिल होने के कारण)

(३) पार्लीमेंट की जुआइन्ट कमेटी को बधाई।

(४) केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व नहीं है इस पर अफसोस प्रगट किया गया और स० १९१९ के सुधार ऐक्ट को साधारण रूप में 'निश्चित व ठोस' मात्रा (Definite and Substantial Step) उत्तरदायी शासन की बतलाई गई।

(५) टर्की से सन्धि व खिलाफत सम्बन्धी प्रश्नों के निपटारे में देर होने पर खेद प्रगट किया गया।

(६) पंजाब में जनता द्वारा किये हुये अत्याचारों पर घृणा और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये हुये अनाचारों पर रोष प्रगट किया गया।

(७) सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अत्याचार किये हों सजा देने की सिफ़ारिश की जावे।

(८) कार्य कारिणी कमेटी को 'हन्टर कमेटी की रिपोर्ट' पर (जो आगे प्रकाशित होगी) उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया तथा अन्य विषयों पर उचित कार्यवाही करने का भी अधिकार दिया गया।

इसके बाद स० १९२० में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया और स० १९२१ में तीव्रता से आंदोलन चलने लगा। लिबरल दल इसमें शामिल नहीं हुआ। स० १९२१ व १९२२ के अधिवेशनों में असहयोग, सविनय आज्ञा भंग करना (Civil Disobedience) बायकाट आदि का निषेध किया गया।

इस दल का उद्योग केवल वैध (Constitutional) आन्दोलन द्वारा ही राजनैतिक स्वत्वों को मांगना है। (Direct Action) प्रत्यक्ष कार्य के यह दल विरुद्ध है। कौंसिलों में प्रवेश करके कार्य करना इस दल का मुख्य कार्य क्रम है। इस दल ने निम्न-

लिखित विषयों पर अपने प्रस्तावों द्वारा जोर दिया है—

(१) प्रान्तीय स्वराज्य।

(२) सरकारी नौकरियों में केवल भारतवासी ही हों।

(३) केन्द्रीय सरकार में विस्तृत अधिकार।

(४) फौजों में देशी अफसरों की नियुक्ति।

(५) सरकारी आमदनी व खर्च का उचित प्रमाण में होना।

सर पी सी. एस. शिवस्वामी अय्यर मि० सी. वाइ. चिन्तामणि, डा० सर तेजबहादुर सप्रू, श्री० श्रीनिवास शास्त्री, सर मोरोपन्त जोशी, प्रभृति सज्जन इस संस्था के आधार स्तम्भ हैं।

सं० १९२८ में सायमन कमीशन के बायकाट में लिबरल दल शामिल हुआ है और उसने सब प्रकार से कमीशन का बायकाट किया है। नेहरू कमेटी की यारी तथा सर्वदल सम्मेलन की कार्यवाही में भी नरम दल के नेताओं ने अग्रसर भाग लिया है। सं० १९२८ का अधिवेशन प्रयाग में हुआ जिसका वर्णन अन्यत्र दिया गया है।

मुसलिम लीग।

मुसलिम लीग की स्थापना सं० १९०६ में हुई। इसके पहिले मुसलमानों ने राजनीति में बहुत कम भाग लिया सर सैयद अहमद की नीति थी कि मुसलमानों को राजनीति में न पड़ना चाहिये इसलिये उन्होंने शिक्षा की ओर ही ध्यान दिया। कुछ मुसलमान कांग्रेस में आते रहे किन्तु मुसलमान समाज शामिल नहीं हुआ।

सं० १९०६ के करीब जब कौंसिल सुधार का प्रश्न छिड़ा उस समय मुसलमानों ने अपने स्वत्वों की रक्षा का विचार किया और हिज हाइनेस दि आगा खाँ के नेतृत्व में वाइसराय के पास एक मुसलमान शिष्ट मंडल गया और अपनी मांग लिखकर पेश की। उसी समय मुसलमानों ने यह भी सोचा कि राजनैतिक प्रश्नों को जो विशेषतः मुसलमानों से सम्बन्ध रखते हैं सोचने तथा उन पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि कांग्रेस से भिन्न एक संस्था कायम की जावे। इन्हीं कारणों से मुसलिम लीग की स्थापना हुई।

उद्देश्य।

मुसलिम लीग के उद्देश्य निम्नलिखित रक्खे गये—

(१) ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की ओर से राजभक्ति बढ़ाना तथा सरकारी कार्यों से यदि कोई भ्रम उत्पन्न हो तो उसे हटाना।

(२) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक तथा अन्य हितों की रक्षा करना और नम्र भाषा में उनकी आवश्यकताओं और उनके ध्येयों को सरकार के सामने रखना।

(३) उपरोक्त ध्येयों के आधीन,

मुसलमानों और अन्य समाज वालों से मित्रता बढ़ाना।

सन् १९१२ व स० १९१३ में परिस्थिति में अन्तर पड़ने से मुसलमानों के विचारों में परिवर्तन हो गया। पहिले कार्य कारिणी सभा की बैठक में और पीछे वार्षिक अधिवेशन में मुसलिमलीग के ध्येयों में 'भारत के लिये स्वराज्य शासन की प्राप्ति" का ध्येय भी जोड़ दिया गया।

इस परिवर्तन पर बड़ा वादविवाद हुआ और वृद्ध मुसलमान विशेषतः इस परिवर्तन के विरुद्ध थे।

मुख्य स्थान लखनऊ में है। एक ब्रांच लन्दन में भी है।

स० १९१८ में मांटेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके पहिले मुसलिम लीग ने कांग्रेस के साथ स्वराज्य की एक योजना बनाई (जिसे "कांग्रेस-लीग स्कीम" कहते हैं) जो मि० मांटेग्यू के सामने पेश की गई थी।

स० १९१९ की अमृतसर कांग्रेस के समय मुसलिम लीग की राजनीति और कांग्रेस की नीति में कुछ भेद नहीं रहा।

स० १९१९ के स्वागताध्यक्ष डा० सैफुद्दीन किचलू थे जिन्हें सरकार ने पंजाब हत्याकांड के समय कड़ी सजा दे दी थी और जो लीग की बैठक के थोड़े ही पहिले छोड़ दिये गये थे। हकीम अजमल खाँ प्रेसीडेण्ट थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के साथ अमृतसर ही में हुआ था।

हकीम अजमल खाँ ने खिलाफत तथा इसलामी पवित्र स्थानों के सम्बन्ध में बताया कि ब्रिटिश सरकार की नीति ठीक नहीं है। किसी भी गैर-मुसलिम शक्ति को इसलामी पवित्र स्थानों पर किसी प्रकार का अधिकार जमाने का हक नहीं है।

स० १९१६ में कांग्रेस और लीग के बीच एक 'पैक्ट' हो गया था जिसके द्वारा मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या कौंसिलों में निश्चित कर दी गई थी। यही पारस्परिक प्रतिनिधि प्रतिशत औसत मुसलमानों के लिये गवरमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट [१९१९] में स्वीकृत कर लिया गया था।

खिलाफत कमेटी स० १९२० में स्थापित होने से मुसलिम लीग का अस्तित्व मिट सा गया था। अप्रैल स० १९२३ में मि० भुरग्री के सभापतित्व में बैठक हुई किन्तु आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित न हुये इस कारण सभा न हो सकी। स० १९२४ में मि० जिन्ना ने यह सोचकर कि खिलाफत प्रश्न का अन्त हो गया है मुसलिम लीग को पुनर्जीवित किया। यह अधिवेशन लाहौर में उन्हीं के सभापतित्व में हुआ। स० १९२५ का अधिवेशन अलीगढ़ में सर अबदुररहीम के सभापतित्व में हुआ। सर अबदुलरहीम ने मुसलमानों को अपने स्वत्वों की याद दिलाकर उन्हें उत्तेजित किया। स० १९२६ के अधि-

वेशन में खान बहादुर शेख़ अबदुल कादिर (सभापति) ने कांग्रेस व लीग के बीच एक रौंडटेबल कान्फ्रेंस किये जाने की सिफारिश की जिस कान्फ्रेंस में लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या निश्चित हो जावे। मि० एम० ए० जिन्ना ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें 'स्टेचुटरी कमीशन' के नियत किये जाने की मांग सरकार के सामने पेश की गई अन्य प्रस्तावों द्वारा बंगाल के कैदियों को छोड़ना, दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के कष्ट निवारण आदि की मांगें की गईं।

स० १९२७ में सायमन कमीशन नियत हुआ और साथ २ सर्वदल सम्मेलन की योजना भी देश की ओर से हुई। मुसलिम लीग में दो भाग हो गये और सर मुहम्मद शफी ने लीग को अपने कबजे में करना चाहा और कोशिश की कि सायमन कमीशन का बायकाट न हो। उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि नेहरू कमेटी रिपोर्ट को मान्यता न दी जावे। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर उन्होंने मत भेद आरम्भ कर दिया। सर मुहम्मद शफी ने अधिवेशन अलग भी कराया। इस पर महाराजा साहेब महमूदाबाद ने इसका तीव्रता से विरोध किया और कांग्रेस के साथ २ कलकत्ते में स० १९२८ में मुसलिम लीग का अधिवेशन हुआ। उक्त अधिवेशन का विवरण अन्यत्र दिया गया है।

खिलाफत कमेटी।

सन् १९२० में मौ० शौकत अली ने महात्मा गांधी की सहायता से 'खिलाफत कष्टों' के निवारणार्थ यह सन्स्था स्थापित की। इस संस्था द्वारा हिंदुओं से अपील की गई कि इसलामी पवित्र स्थानों की रक्षा तथा खिलाफत प्रश्न को सुलझाने के लिये वे मुसलमानों की सहायता करें। महात्मा गांधी ने देश व्यापी आन्दोलन इस सम्बन्ध में किया। फलतः हिन्दू खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ हो गये और कांग्रेस द्वारा असहयोग पास होने के पहिले ही अनेक हिन्दू नेता खिलाफत आन्दोलन में तन, मन, धन से पड़ गये। मद्रास में खिलाफत कांफ्रेंस मौ० शौकत अली के सभापतित्व में हुई उस में असहयोग का प्रोग्राम रक्खा गया। कलकत्ता की विशेष कांग्रेस (१९२०) ने सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी के निश्चयानुसार वाइसराय को अलटीमेटम भेज कर कहा गया कि आप खिलाफत आन्दोलन में प्रमुख भाग लें और यह विश्वास दिलावें कि यदि ब्रिटिश मन्त्री हमारी इच्छानुसार टर्की सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन न करेंगे तो आप अपने आने पद से इस्तीफा दे देंगे अन्यथा १ अगस्त १९२० से सरकार से सम्बन्ध त्याग देंगे और असहयोग करेंगे यह सब असहयोग प्रोग्राम मंजूर किया और उद्देश्यों में दो बातें जोड़ दीं (१) स्वराज्य प्राप्ति और (२) पन्जाब

अत्याचारों की भरपाई मौ० मुहम्मद अली और मौ० शौकत अली ने कमेटी को बड़े जोर शोर से चलाया।

खिलाफत कमेटी की स्थापना इस प्रकार है। सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी में १ प्रेसीडेंट, २ वाइस प्रेसीडेन्ट, अनेक सेक्रेटरी खजांनची और अनेक मेम्बर होते हैं। प्रान्तीय खिलाफत कमेटियों के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी सेन्ट्रल कमेटी के सदस्य समझे जावेंगे इन सदस्यों के अतिरिक्त सेन्ट्रल कमेटी में २०० सदस्य होंगे।

सेन्ट्रल कमेटी के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय कमेटी द्वारा होगा। सन् १९२१ में मियां मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानी प्रेसीडेन्ट थे। उनके पास बहुत सा कमेटी का रुपया जमा हुआ वह उन्होंने अपने कार्य में लगा लिया जनता में इस कारण बडा असन्तोष फैला इस पर उन्होंने अपनी दो मिलें कमेटी के स्वाधीन कर दीं। मुसलमानों को उलमाओं ने फौजी सरकारी नौकरी करना मुसलमानों के लिये हराम है ऐसा फतवा दिया। इस फतवे के प्रचार करने में अली बन्धु श्री शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ प्रभृति ६ सज्जनों को ता० १ नवम्बर सन् १९२१ को कडी सजायें दी गईं।

स० १९२२ की कांग्रेस (गया) में सुल्तान अवदुल मजीद खलीफा माने गये और तुर्कों को बधाई दी गई। अन्य प्रस्तावों द्वारा यह बताया गया कि लासेन कान्फ्रेंस की ऐसी शर्तों का मुसलमान विरोध करेंगे जो खिलाफत की इज्जत को कम करेंगी या खलीफा की स्वतन्त्रता में या पवित्र स्थानों की रक्षा में बाधक होंगी। एक प्रस्ताव द्वारा कान्फ्रेंस ने अपना सन्तोष अंगोरा नेशनल ऐसेम्बली के इस कार्य पर प्रगट किया कि उसने इसलामी जगत के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस सुल्तान अवदुल मजीद के खलीफा चुने जाने की स्वीकृति करने के लिये बुलाने का निश्चय किया है। एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश माल का बायकाट पास किया गया।

एक प्रस्ताव द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई कि टर्की से लडाई छेडने पर भारत के मुसलमान "सविनय आज्ञा भङ्ग" करेंगे और यह प्रोग्राम पुलिस और फौज़ में प्रसार करेंगे, युद्ध का कर्ज न देने देंगे, अँगोरा फौज के लिये भर्ती करेंगे, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करेंगे। कान्फ्रेंस ने १० लाख रुपये और ५०००० वालन्टियरों की भर्ती के लिये अपील की।

यह कान्फ्रेंस अत्यन्त महत्व पूर्ण थी। उलमाओं की सभा ने यह भी पास किया कि कौंसिलों में प्रवेश हराम है।

इसके बाद असहयोग आन्दोलन गिरता गया और टर्की में भी खलीफा

का देश निकाला हो गया। एक खिलाफत डेपुटेशन मेजद को भेजा गया और आपसी झगड़े का निपटारा करने का प्रयत्न किया गया किन्तु निष्फल रहा। एक डेपुटेशन टर्की भी जाना चाहता था किन्तु टर्की सरकार ने पसन्द नहीं किया।

स० १९२५ की कान्फ्रेंस में मौ० हसरत मोहानी ने इब्नसऊद पर असन्तोष प्रगट किया। मौ० अबुल कलाम आजाद सभापति थे। एक प्रस्ताव द्वारा इराक सम्बन्धी ब्रिटिश नीति का खण्डन किया गया। और मोसल सम्बन्धी लीग आफ नेशन्स के फैसले का भी विरोध किया गया और यह भी घोषणा की गई कि यदि टर्की इस प्रश्न पर लड़ेगी तो मुसेलमान उसकी मदद करेंगे।

स० १९२८ की कान्फ्रेंस का विवरण आगे दिया गया है।

इन्डिपेन्डेन्स आफ इन्डिया लीग।

कांग्रेस के भीतर एक पूर्ण स्वाधीनता संघ' की स्थापना पिछले साल हुई है। ध्येय इस संघ का स्पष्ट है—भारतवर्ष के लिये पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना।

इस संघ के सभापति श्रीयुत श्री० निवास अयंगर और मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू नियत हुये।

संघ की प्रांतीय शाखायें भी स्थापित हुई हैं। नवम्बर १९२८ में एक कार्य क्रम प्रकाशित हुआ था जिसकी मुख्य बातें निम्न लिखित हैं—

१--राजनैतिक लोक तंत्र

क--पूर्ण राजनैतिक स्वाधीनता।

२--आर्थिक लोक तन्त्र

क—आर्थिक भेदभाव का त्याग

ख-सम्पत्ति का सम वितरण

ग--सब के लिये आत्मोन्नति के समान साधनों की उपस्थिति करना

घ--जीवन की आवश्यकताओं का बढ़ाना।

३--व्यापारी लोकतन्त्र

क--राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्ध रखने वाले उद्योग धन्धों का राष्ट्रीकरण

ख--यद्यपि संघ का विश्वास बड़े कारखानों की उपयोगिता में है तथापि वह गृह शिल्प की उन्नति में सहायक होगा।

ग--रेल, जहाज, और वायुयानों का राष्ट्री करण

घ-कारखाने बिना मजदूरों की राय के बन्द न हों

ङ—कारखानों के लाभ में मजदूरों को हिस्सा मिलना

च--मिल मालिकों व मजदूरों के झगड़ों के लिये पंचायतें कायम करना।

छ--वैयक्तिक पूंजी के प्रभाव की सीमा निर्द्धारण।

४--सामाजिक लोकतन्त्र

क--सामाजिक कुरीतियों का त्याग

जैसे अस्पृश्यता जातपांत, खानपान, में भेद-भाव, परदा, स्त्रियों को समानाधिकार न देना आदि—

इसके अनन्तर दिसम्बर १९२८ में कांग्रेस के अवसर पर कलकत्ता में इस लीग की बैठक हुई जिसमें नेहरू कमेटी द्वारा पेश किये हुये "औपनिवेशिक शासन" की रचना तथा ध्येय पर चरचा हुई। वाद विवाद के पश्चात 'लीग' ने बड़े भारी बहुमत से इस ध्येय को नामंजूर किया और अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता ही रक्खा।

किसान मज़दूर पार्टी

सन् १९२८ में भारतवर्ष में सर्वदेशिक मजदूरों की हड़तालें हुई। ई० आई० रेलवे, जी. आई. पी. रेलवे, बम्बई की कपड़ों की मिलें, एस. आई. रेलवे आदि अनेक औद्योगिक कम्पनियों के मजदूरों ने हड़तालें अनेक कारणों से कीं जिन सब का मुख्य नतीजा यह निकला कि मजदूरों का सङ्गठन होने लगा और जो मजदूर संस्थायें पहिले निर्जीव सी थीं उनमें जान सी पड़ गई। कांग्रेस अनेक वर्षों से किसानों के सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पास करती चली आ रही है किन्तु उसकी ओर से कुछ न हुआ मजदूर नेताओं ने किसानों का भी सङ्गठन करना आरम्भ किया। बारदोली सत्याग्रह ने किसानों की सन्घ शक्ति को सफलता दिखाकर सिद्ध कर दिया। सरकार ने विदेशी मजदूर कार्यकर्ताओं के देश निकाला करने का अधिकार लेने के लिये "पबलिक सेफटी बिल" एसेम्बली में पेश किया जो रद्द हो गया। इस प्रकार अनेक कारणों का फल स्वरूप "किसान मजदूर पार्टी" बन गई।

झांसी में २९-३० अक्टूबर १९२८ को यू. पी किसान मजदूर कान्फ्रेन्स हुई जिसके सभापति मि० झाबवाला थे। वाद को मेरठ में बंगाल, पंजाब यू. पी. आदि प्रांतों के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें "किसान मजदूर पार्टी" का नियमित रूप से सङ्गठन हुआ। डा० विश्वनाथ मुकर्जी (गोरखपुर) सभापति और पूरणचन्द्र जोशी (इलाहाबाद) सेक्रटरी बनाये गये।

ध्येय।

[१] भारत को लोक तन्त्री तथा [२] सब स्त्री पुरुषों को आर्थिक और राजनैतिक रीति से स्वतन्त्र बना कर ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वाधीन करना।

रीति।

प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्य

इन ध्येयों को खुलासा करने के लिये अनेक प्रस्ताव भी पास किये गये।

इसके पश्चात कलकत्ते में २१ दिसंबर १९२८ को इस पार्टी की प्रथम अखिल भारतीय कान्फ्रेन्स हुई जिसके सभापति कामरेड सोहन सिंह जोश थे।

भारत के देशी राज्य।

भारत के देशी राज्य।

भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था में देशी राज्यों का वर्णन बड़े महत्व का विषय है। देशी नरेशों के आधीन भारत का क्षेत्रफल ७११०३२ वर्ग मील है और इस क्षेत्रफल में रहने वाली ८१९६९१८७ हैं।

बहुत अंशों में देशी राज्य स्वतंत्र प्रदेश है उनके आंतरिक प्रबन्ध से और अंग्रेजी सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं। पुलिस, न्याय, टैक्स, मालगुजारी, कस्टम आदि सब खाते स्वतंत्र रीति से चलाने का अधिकार लगभग सब देशी नरेशों को है। तात्विक दृष्टि से अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच सम्बन्ध संधि पत्रों द्वारा ही है और एक दूसरे से इन संधियों की शर्तों के आधीन स्वतंत्र हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है समय २ पर अंग्रेजी सरकार ने देशी नरेशों के आन्तरिक प्रबन्ध में भी हस्तक्षेप किया है, उनके उत्तराधिकारियों के राज्यारोहण में भी फेर बदल की है, कुछ देशी नरेशों को पदच्युत भी किया है और समय पड़ने पर देशी नरेशों के पूर्ण स्वातंत्र्य मांगने से इनकार भी किया है—काश्मीर, नागपुर, झांसी, दतिया, इन्दौर, नाभा आदि इसके उदाहरण हैं। सन् १९२६ में लार्ड रीडिंग ने हैदराबाद (निजाम) को एक खलीते में स्पष्ट लिखा दिया कि देशी राज्य स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है जब तक अंग्रेजी सरकार न माने तब तक गद्दी का कोई वारिस जायज नहीं है, और भारतवर्ष भर में (अंग्रेजी व देशी) के वली अंग्रेजी सरकार ही सर्वोच्च शासन शक्ति हैं उसी के आधीन सब हैं।

देशीराज्यों के तीन वर्ग हैं—१ ऐसे देशी राज्य जो ऊंची श्रेणीके हैं और जिनका सम्बन्ध सीधा वाइसराय से है। इनमें से प्रत्येक राज्य में "रेजीडेन्ट" रहता है—हैदराबाद, मैसूर, बड़ोदा, कश्मीर, गवालियर और सिक्किम।

२—दूसरे वर्ग में वे देशी राज्य हैं जिनका वर्गीकरण अलग २ समूह अथवा "एजेन्सी" में कर दिया गया है और इनका सम्बन्ध इस समूह के एजंट टू दी गवरनर जनरल से रहता है इस प्रकार के समूह अथवा एजेन्सियां ४ हैं—(१) राजपूताना एजेन्सी (२) सेण्ट्रल इंडिया एजेन्सी (३) बिलोचिस्तान एजेन्सी (४) उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रदेश एजेन्सी।

(३) प्रांतीय सरकारों के आधीन राज्य जो लगभग ५०० हैं।

देशी राज्यों का वर्गीकरण।

वर्ग	संख्या	देशी राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या (१९२१)
प्रथम	१	हैदराबाद	८२,६९८	१,२४,५३,६२७
	२	मैसूर	२९,४४४	५९,७६,६६०
	३	बड़ौदा	८,०९९	२१,२१,८७५
	४	कशमीर	८०,९००	३३,२२,०८०
	५	सिक्कम	२,८१८	८१,७२२
	६	गवालियर	२६,३८०	३१,९५,०२२
द्वितीय	लगभग १७५ राज्य	राजपूताना एजन्सी	१,२७,५४१	९८,५७,०१२
		विलोचिस्तान एजन्सी	८६,५११	३,७८,९९९
		पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ए०	२५,५००	२८,२८,०५५
		मध्य भारत एजन्सी	७८,७७२	९१,८०,४०३
तृतीय	लगभग ५०० राज्य	पंजाब में	३६,५३२	४४,१५,४०१
		बिहार उड़ीसा में	२८,६४९	३९,६५,४३१
		बंगाल में	३२,७७३	८,९६,१७३
		बम्बई में	६५,७६१	७४,१२,३४१
		मध्य प्रान्त में	३१,१८८	२०,६८,४८२
		आसाम में	८,४५६	३,८३,६७२
		मद्रास में	९,९९६	५४,६०,०२९
		संयुक्त प्रान्त में	५,०७९	११,३४,८२४
		वर्मा में	६०,५९३	१४,९७,३९२
		योग	७,३७,६६७	७,६६,२९,२००

चेम्बर आफ प्रिन्सेज़।

चेम्बर आफ प्रिन्सेज़ अथवा नरेन्द्र मन्डल की रचना तथा स्थापना मान्टेग्यू चेलम्स फोर्ड सुधार १९१९ के अनुसार हुई है।

इन सुधारों के पहिले वाइसराय के निमन्त्रण पर देशी नरेशों की कान्फ्रेन्स हुआ करती थी और आवश्यक विषयों पर चरचा हुआ करती थी। सुधार रिपोर्ट ने यह सिफारिश की कि देशी नरेशों की एक स्थायी कौंसिल बनाई जावे जिसका अध्यक्ष वाइसराय हो और उसकी अनुपस्थिति में कोई एक नरेश हो। कार्यवाही के नियम वाइसराय देशी नरेशों की सलाह से बनावे। इसी रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की थी कि वह कौंसिल हर साल एक छोटी सी स्थायी कमेटी बनावे जिसके सामने वाइसराय समय २ पर देशी राज्यों सम्बन्धी आवश्यक प्रश्न पेश किया करें। यह भी सिफारिश की गई कि देशी राज्यों के पारस्परिक झगड़ों के फैसले के लिये तथा नरेशों के राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ियों की जाँच के लिये "कमीशन" नियत किये जाया करें।

जनवरी १९१९ में नरेशों की एक कान्फ्रेन्स उक्त प्रश्नों के विचार के लिये दिल्ली में हुई। एक प्रश्न पर बहुत बड़ी बहस हुई। वह प्रश्न यह था कि सुधार रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि देशी राज्यों के दो भाग कर दिये जावें (१) जिन राज्यों को पूर्ण अधिकार हैं और (२) जिन राज्यों को पूर्ण नहीं हैं। कुछ नरेशों की यह राय थी कि नरेशों की कौंसिल के सदस्य केवल वर्ग (१) वाले नरेश ही समझे जावें वर्ग (२) को उसमें अनेक अधिकार न हों। अन्य नरेशों की यह राय थी कि वर्ग २ वाले नरेशों को कौंसिल में प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जावे। इस प्रश्न का निपटारा न हुआ। किन्तु कौंसिल बनाई जावे इस विषय पर साधारण रीति से लगभग सब ही रजामन्द थे। यह भी कहा गया कि इस कौंसिल का नाम नरेन्द्र मन्डल रखा जावे।

कान्फ्रेन्स की कार्यवाही भारत मन्त्री के सामने रक्खी गई और नवम्बर १९१९ में लार्ड चेलम्स फोर्ड ने "चेम्बर आफ प्रिन्सेज" की रचना कान्फ्रेन्स के सामने पेश की, जिसने उसे पास कर दिया।

ता० ८ फरवरी १९२१ को नरेन्द्र मन्डल का उद्घाटन हुआ। चेम्बर का अध्यक्ष चुना हुआ होता है जिसे 'चांसलर" कहते हैं। इस समय महाराजा बीकानेर चान्सलर हैं। ६ सदस्यों की एक "स्टैंडिंग कमेटी" होती है जो एक वर्ष में दो तीन वार बैठती है। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर वह विचार करती है। डाक, तार, रेलवे लैनों पर पुलिस, कस्टम आदि प्रश्नों पर इस कमेटी ने विचार किया है। लगभग ४०-५० नरेश इस चेम्बर में आते हैं। कार्यवाही चेम्बर की गुप्त रक्खी जाती है।

प्रबन्ध की जांच।

ता० २९ अक्तूबर १९२० को गवरनर जनरल ने एक "रिजोल्यूशन" प्रकाशित किया जिसमें यह निश्चित किया कि "जब कभी किसी देशी नरेश के पदच्युत करने अथवा उसके अधिकार, स्वत्व, आदर, उपाधि आदि के जप्त करने का प्रश्न उठेगा उस समय जाँच की जावेगी और (१) एक कमीशन नियमानुसार नियुक्त होगा (२) उक्त नरेश को किसी कमिश्नर की नियुक्ति पर आक्षेप करने का अधिकार होगा। (३) जांच की रिपोर्ट पर उक्त नरेश को अधिकार होगा कि प्रकाशित होने दे या नहीं (४) अपने वकील द्वारा काम करा सकेगा (५) और सेक्रटरी आफ स्टेट के पास गवर्मेंट आफ इण्डिया के फैसले की अपील कर सकेगा।

बटलर कमेटी।

ता० १७ दिसम्बर १९२७ ई० को सेक्रटरी आफ स्टेट ने एक जाँच कमेटी नियुक्त की जिसके सदस्य (१) सर हारकोर्ट बटलर (अध्यक्ष), (२) दि आनरेबल सिडनी पील और (३) डब्ल्यू. एस. होल्डसवर्थ रक्खेगये। इस कमेटी का कार्य यह था—(१) यह रिपोर्ट करना कि ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के बीच वास्तविक सम्बन्ध क्या है। इस जाँच में कमेटी सब प्रकार के सन्धिपत्र, सनद, इकरारनामे, रसूम, अधिकार आदि सब कारणों पर विचार करे। (२) ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के बीच आर्थिक और औद्योगिक सम्बन्धों की जाँच करे (३) योग्य सिफारिशें पेश करे।

देशी नरेशों ने अपनी ओर से सर लेसली स्काट को वकील नियत किया और उनके द्वारा अपना मामला पेश कराया। मुख्य बात जिस पर मि० स्काट लड़े वह यह थी कि देशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध सम्राट से है भारत सरकार से नहीं।

बटलर कमेटी रिपोर्ट।

कमेटी की रिपोर्ट पर १४ फरवरी १९२९ को मेम्बरों के हस्ताक्षर हुये और ता० १६ अप्रेल १९२९ को इंग्लैंड और भारत में साथ २ प्रकाशित हुई। रिपोर्ट ५२ पृष्ठों की है और तीनों सदस्यों के एक मत से लिखी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य मन्तव्य ये हैं—(१) अंग्रेजी सरकार ही सर्वोच्च शक्ति है। देशी नरेशों और सरकारी राजनैतिक विभाग के बीच किसी भी प्रश्न पर चरचा का पूरा अवसर नरेशों को दिया जावेगा किंतु अंतिम फैसला सर्वोच्च शक्ति (Paramount Power) के ही हाथों में रहेगा (२) देशी नरेशों से और भारत सरकार से ही सीधा सम्बन्ध रहेगा। (३) पिछले दस वर्षों में १८ अवसरों पर देशी शासकों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप किया गया उसमें से ९ मामले बुरे प्रबन्ध के कारण हुये, ४ फिजूलखर्ची के कारण और ५ विभिन्न कारणों

से हुये। केवल तीन अवसरों पर देशी नरेश पदच्युत किये गये हैं। कमेटी का कहना है कि बड़ोदा, मनीपुर और हैदराबाद के मामलों में "पैरामौंट पावर" के इस अधिकार को सरकार ने अचूक रीति से दर्शा दिया है। (४) कमेटी ने सिफारिश की है कि आर्थिक व हिसाबी संबन्धों के तै करने के लिये एक सिद्धहस्त कमेटी नियत की जावे जो कस्टम की आमदनी का बटवारा कर दे और साम्राज्य के खर्च में देशी-राज्य क्या दें यह भी निश्चित करे (५) कमेटी की यह भी सिफारिश है कि चेम्बर आफ प्रिन्सेज के सब सदस्यों के लिये मौजूदा सुविधा दे दी जावे कि नरेशों के निजी उपयोग की वस्तुओं पर कस्टम नहीं लिया जाता। (६) देशी राज्यों में अफसरों की जगहों के लिये इंगलैंड की यूनिवर्सिटियों से खास तौर से मनुष्य लिये जावें। आई सी. एस. और देशी फौजों से काफी आदमी नहीं मिल सकते। (७) ब्रिटिश इन्डिया और देशी राज्यों के बीच झगड़ों के निबटारे के लिये कमेटियां बनाई जावें।

हैदराबाद।

शासक—हिज इक्जाल्टेड हाइनेस सर उसमान अली खान बहादुर फतेहजंग जी. सी. बी., जी. सी. एस. आई.।

यह राज्य देशी राज्यों में प्रधान है। क्षेत्रफल ८२६९८ वर्गमील है और आबादी १,२४,५३,६२७ है। करीब ८५ प्रतिशत हिन्दू हैं, १० प्रतिशत मुसल-मान हैं। इस प्रदेश की जमीन बड़ी उपजाऊ है और तिलहन बहुत पैदा होता है। शासक "निजाम" कहलाता है। शासन के लिये ८ सदस्यों की कौंसिल है और कानून बनाने के लिये एक व्यवस्थापक सभा है जिसमें १२ सरकारी ६ गैर सरकारी, और २ विशेष सभासद होते हैं। रियासत में ९ सूबे और ८८ ताल्लुके हैं। डाक, स्टाम्प और टकसाल विभाग स्वतन्त्र हैं। सिक्के को "उसमानिया" कहते हैं। इस राज्य की फौज में १९५८२ सिपाही हैं। १०६८ इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स भी हैं। राज्य की आर्थिक दशा अच्छी है। न्याय विभाग और प्रबन्ध विभाग बिलकुल अलग हैं। उसमानिया यूनिवर्सिटी का माध्यम उर्दू है और प्राथमिक शिक्षा बिलकुल मुफ्त है। राज्य में ४००१ स्कूल हैं।

सरकारी जमा खर्च—वार्षिक आम-दनी लगभग ७ करोड़ ९६ लाख है और खर्च लगभग ६ करोड़ ७८ लाख है।

रेलवे—राज्य के भीतर ५२४ मील [बडी लैन] और ५८० मील [छोटी लैन] रेलवे है। इसमें से अधिकतर निजाम की गैरेन्टीड स्टेट रेलवे की लैनें हैं।

बरार—सं० १८५३ में बरार अंग्रेजी सरकार को पट्टे पर दिया गया था।

इसके बदले सरकार को हैदराबाद की रक्षा के लिये एक फौज रखना पड़ती थी जो खर्च से बचे वह निजाम को मिलता था। इस प्रबन्ध में कठिनाई पड़ने पर स० १९०२ में सदा के लिये बरार अंग्रेजी सरकार को २५ लाख रुपया सालाना पर दे दिया गया। स० १९२३ में निजाम ने बरार वापिस मांगा लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया।

मैसूर।

शासक—महाराजा कर्नल श्रीकृष्ण राजेन्द्र वाडयार बहादुर जी. सी. एस. आई., जी. बी. ई.

भारत के देशी राज्यों में यह राज्य सब से अधिक प्रगतिशील है। कुछ बातों में बृटिश भारत से भी आगे है। इस का क्षेत्रफल २९,४६९ वर्गमील है और ५९,७८,८९२ जन संख्या है। भाषा कानडा है।

दीवान तथा तीन सदस्यों द्वारा राज्य का प्रबन्ध चलाया जाता है। यह प्रबन्ध कारिणी कमेटी महाराजा के निरीक्षण में कार्य करती है। तीन जजों का एक चीफ कोर्ट है।

सन् १८८१ में प्रतिनिधि सभा (Representative Assembly) स्थापित की गई रेगुलेशन १८ सन् १९२३ के अनुसार यह सभा शासन की कानूनी अंग बना दी गई है। मताधिकार विस्तृत कर दिया गया है और स्त्रियों को भी दे दिया गया है। बजट पर बहस करने और साधारण नीति पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार सदस्यों को है नये टैक्स लगाने के लिये प्रतिनिधि सभा की अनुमति होना चाहिये। व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या ३० से ५० कर दी गई हैं जिसमें २० सरकारी और ३० गैर सरकारी हैं। इस व्यवस्थापक सभा के लिये एक 'सार्वजनिक हिसाब कमेटी'' है जो सब हिसाबों की जांच का निरीक्षण करती रहती है और देखती है कि बजट से किस खर्च में अन्तर पड़ा है।

प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्थापक सभा दोनों का अध्यक्ष दीवान ही होता है।

[१] स्थानिक स्वराज्य [२] रेलवे बिजली, और पब्लिक वर्कस विभाग [३] अस्पताल, सफाई, और सार्वजनिक तन्दुरुस्ती के कार्यों के निरीक्षण के लिये प्रतिनिधि सभा और व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों की तीन स्थायी कमेटियां हैं।

फौज—फौजी सिपाहियों की संख्या ३७८० है, जिस में २४९२ मैसूर लान्सर्स में, ३९३ सवार, और १७२७ पैदल भी हैं।

जमा खर्च—सालाना आमदनी और खर्च लगभग ३ करोड़ के हैं—

आमदनी ।

१९२२–२३	३,३० लाख
१९२३–२४	३,३२ लाख
१९२५–२६	३,४० लाख
१९२६–२७	३,४१ लाख

खर्च ।

१९२२–२३	३,३० लाख
१९२३–२४	३,३२ लाख
१९२५–२६	३,३९ लाख
१९२६–२७	३,४१ लाख

खेती व उद्योग धन्धे—सरकारी खेती का विभाग बडा अच्छा कार्य कर रहा है। नये खेती के तरीके किसानों को बताये जाते हैं और अच्छा बीज भी दिया जाता है। सन् १९१३ में उद्योग और व्यापार विभाग खुला था। सरकारी कारखाने साबुन, चन्दन, लोहा आदि के चल रहे हैं।

शिक्षा—ता० १ जुलाई १९१६ को मैसूर में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई महाराजा कालेज के अतिरिक्त स्त्रियों के लिये एक कालेज है जिसका नाम महारानी कालेज है।

मैसूर में कुछ स्थानों में अनिवार्य शिक्षा जारी है। सरकारी स्कूलों को संख्या ६८७१ और गैर सरकारी स्कूलों की संख्या ११३१ है। इस प्रकार ३.६८ वर्गमील में एक स्कूल है और ७३२ मनुष्यों की संख्या के लिये एक स्कूल है.

———

बड़ौदा ।

हिज हाइनेस फरजन्दे खास दौलते इंगलिशिया महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ सेना खास खेल शमशेर बहादुर जी. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई. ?

इस प्रदेश का क्षेत्रफल ८१२७ वर्ग मील है और २१,२६,५२३ जन संख्या है। यह राज्य भी बड़ा प्रगति शील है और व्यापार तथा कला कौशल में बढ़ा चढ़ा है। यहाँ के नरेश राज्य की उन्नति में बड़ी रुचि रखते हैं।

प्रबन्ध—एक प्रबन्ध कमेटी जिसमें राज्य के मुख्य अफसर होते हैं महाराजा के निरीक्षण में काम करती है। एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायतें कायम की गई हैं।

शिक्षा—इसी राज्य ने पहिले पहिल प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की। वाचनालय देश भर में खोले गये हैं। बड़ौदा राज्य में २९१६ विद्यालय हैं। बड़ौदा कालेज का कलाभवन बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय है। जिला बोर्डों में स्त्रियों को मताधिकार है।

सरकारी जमा खर्च—सरकारी आमदनी लगभग २.५ करोड़ है और खर्च लगभग २ करोड़ है। केवल मालगुजारी से आमदनी १.२ करोड़ है। स० १९०१ से अंग्रेजी रुपया जारी हुआ।

उद्योग—मुख्य उद्योग खेती है जिसे

में ६३ प्रतिशत मनुष्य लगे हैं। ८९ रजिस्टर्ड कम्पनियाँ उद्योग धन्धों की हैं।

कश्मीर।

हिज हाइनेस महाराजा सर श्री० हरीसिंह जी बहादुर।

इस राज्य का क्षेत्रफल ८४,२५८ वर्गमील और जन संख्या ३२,२०,५१८ है। यह राज्य दो मुख्य प्रदेशों का संयुक्त राज्य है—जम्मू तथा कश्मीर प्रदेश अत्यन्त ही सौंदर्य पूर्ण है। केशर यहीं पैदा होता है। इस प्रदेश में अत्युत्तम ऊन उत्पन्न होती है जिसके कपड़ों को 'पश्मीना' कहते हैं। सारे जगत में काश्मीरी शालें प्रेम से खरीदे जाते हैं।

प्रबन्ध कारिणी सभा में चार सभासद होते हैं जिसके अध्यक्ष महाराजा हैं।

आय—व्यय—आमदनी लगभग २ करोड़ २५ लाख है। खर्च इससे कम है।

उद्योग—रेशम और ऊन का काम जगद्विख्यात है।

काश्मीर में कोई रेल नहीं है।

गवालियर।

स० १९२१ में यह राज्य सेन्ट्रल इण्डियन एजेन्सी से अलग कर दिया गया और एक रेजीडेण्ट नियत कर दिया गया। इस रेजीडेन्ट के नीचे खनियाधाना राज्य भी कर दिया गया।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा जयाजीराव।

इस प्रदेश का क्षेत्रफल २६३८० वर्ग मील और जन संख्या ३१९५०२२ है। उत्तरी भारत में मरहठों का सबसे बड़ा संस्थान है। स० १८५७ में गवालियर राज्य के शासक सेंधिया घराने ने ब्रिटिश सरकार की बड़ी सहायता की। यदि सेंधिया विपक्ष में हो जाते तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन का इतिहास बदल जाता।

यह राज्य बड़ा ही प्रगति शील है। महाराजा माधवराव सेंधिया ने शासन प्रबन्ध को बड़ी अच्छी भांति देखा और उसमें सुधारथायें कीं। राज भर में सहकारी सन्स्थायें, ग्राम पंचायतें, पाठशालायें, उत्तम सड़कें, तथा पुल उत्तमोत्तम इमारतें तैयार कराईं। गवालियर और सीपरी (शिवपुरी) को बड़ा सुन्दर बना दिया। महाराजा माधौराव व्यापार भी अच्छा करते थे। अपने राज में "गवालियर लाइट रेलवे" द्वारा सब मण्डियों को मिला दिया जिससे व्यापार बढ़ गया।

गवालियर में विक्टोरिया कालेज है। चमड़ा, फेक्टरी (मिट्टी के बर्तन) कांच, पत्थर, आदि की फैक्टरियां सरकारी चलाई गई हैं।

इस राज में तांबट बदस की एका उत्तम नवीन फेक्टरी है। चन्देरी जहांक सूती कपड़ा मशहूर है इसी राज में है।

उज्जैन और ग्वालियरमें कपड़ों की मिलें हैं।

सरकारी आय लगभग २ करोड़ सालाना है।

खनियाधाना।

शासक—राजा खलकसिंह साहेब।

यह राज ग्वालियर रेजीडेन्सी में है। छोटा होने पर भी बड़ा प्रगति शील हैं। राय साहेब प्रभूदयाल मुख्य प्रबन्धक हैं। राजा साहेब को साहित्यसे बड़ा प्रेम है।

सिक्किम।

हिज हाइनेस महाराजा सर तशीना मग्याल के. सी. आई. ई.।

पहिले यह प्रदेश बंगाल सरकार से सम्बद्धित था किन्तु १९०६ से भारत सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध है। स० १८३५ में दार्जीलिंग इस राज से २१००० रुपया सालाना पर मिला था।

इसका क्षेत्रफल २८१८ वर्गमील और जन संख्या ८१७२१ है जिनमें सब हिन्दू और बौद्ध ही हैं।

वर्तमान महाराजा स० १९१४ में शासक हुये और उन्हें स० १९१८ में पूरे अधिकार मिले।

आमदनी लगभग ४,१२,४२२रु० है।

राजपूताना एजेन्सी।

इस एजेन्सी में १७ राजपूत राज्य, १ मुसलमान, और दो जाट राज्य हैं। प्रबन्ध के लिये ७ विभाग कर दिये गये हैं।

बीकानेर।

इस प्रदेश की जन संख्या ६५९६८५ है जिस में ८४ प्रतिशत हिन्दू हैं। महाराजा श्री० सर गङ्गासिंह जी बहादुर प्रगतिशील शासक हैं। यूरोपियन महा-युद्ध में स्वयं गये थे और प्रशंसनीय सहायता सरकार को दी। सन् १९१७ में इम्पीरियल वार कांफ्रेंस और केबिनेट में देशी नरेशों के प्रतिनिधि होकर गये और फिर १९१८–१९ में पीस कांफ्रेंस में गये।

प्रबन्ध—प्रबन्ध कमेटी में ६ सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री युवराज हैं। सन् १९१३ में एक लेजिस-लेटिव एसेम्बली बनाई गई है जिस में ४५ सदस्य हैं। जिनमें १५ चुने जाते हैं।

आय व्यय—आमदनी लगभग ९० लाख है। ५६८ मील रेलवे राज्य की सम्पत्ति है।

खेती की उन्नति के लिये पिछले साल एक 'गंगा नहर' बनाई गई है और दूसरी बनाई जाने वाली है।

सिरोही।

शासक हिज हाइनेस महाराजाधिराज महाराव श्री सर सरूप रामसिंह बहादुर के. सी. एस. आई. हैं। सिरोही राजधानी सन् १४२५ में बनी थी। जोधपुर राज्य इस प्रदेश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था किन्तु सन् १८२३ में अंग्रेजी सरकार ने अपनी संरक्षता में कर लिया।

राजपूताना एजेन्सी ।

राज्य	क्षेत्रफल	जन संख्या
१-एजेन्ट गवरनर जनरल से सीधा सम्बंध		
बीकानेर	२३३१५१२	६५९६८५
सिरोही	१९६४	१८९१२७
झालवार	८१०	९६१८२
२-मेवाड रेजीडेन्सी		
उदयपूर	१२६९१	१३८००६३
३-दक्षिणी राजपुताना राज्य एजेन्सी		
बंसवाड़ा	१६०६	१९०३६२
डुंगरपुर	१४४७	१८९१९२
परताव गढ	८८६	६७११४
कुशलगढ	३४०	२९१६२
४-पश्चिमी राज्य रेजीडेन्सी		
जोधपुर	३४९६३	१८४१६४२
जैसलमीर	१६०६२	६७६५२
५-जयपुर रेजीडेंसी		
जयपुर	१५५७९	२६३६६४७
किशनगढ	८५८	७७८०६
लावा	१९	२२६२
६-हरावटी टोंक एजेन्सी		
बून्दी	२२२०	२१८७३०
टोंक	२५५३	२८७८९८
शाहपुरा	४०५	४७३९७
७-पूर्वी राज्य एजेन्सी		
भरतपुर	१९८२	४९६४३७
धौलपुर	१२००	२३०१८८
करोला	१२४५	१३३७३०
अलवर	३२२१	७०११५४
कोटा	५६८४	६३००६०

झालवार ।

सन् १८९६ में पिछले शासक गद्दी से उतारे गये। एक हिस्सा कोटा को दिया गया और कुंअर भवानीसिंह (ठाकुर छत्रशाल जी के पुत्र) शासक बनाये गये। सन् १९०८ में के. सी. एस. आई. बनाये गये। आमदनी ७ लाख सालाना है।

उदयपुर ।

उदयपुर राज्य सन् ६४६ में स्थापित हुआ यहां के शासक हिज हाइनेस महाराजाधिराज महाराना सर फतह सिंह जी बहादुर सं० १८८४ में गद्दी पर बैठे। सीसौदिया राजपूतों के मुख्य हैं। सालाना आमदनी ४५ लाख रुपया है और इसी कदर खर्च है।

बांसवाडा ।

शासक—हिज हाइनेस राय रायन महारावल साहेब श्रीपृथ्वी सिंह जी बहादुर।

इसका क्षेत्रफल १९४६ वर्गमील और जन संख्या २१९८२४ है (इस जन संख्या में पट्टा कुशलगढ की भी शामिल है)।

बांसवाडा और डुंगरपुर दोनों पहिले एक ही प्रदेश 'बगर' नामक था और शासक भी एक ही था। यह ठाकुर सीसोदिया वंश के हैं। करीब १५२९ के उदयसिंह नरेश की मृत्यु पर दो भाइयों ने बटवारा कर लिया और बांसवाडा व डुंगरपुर दो भाग हो गये।

शासक को १५ तोपों की सलामी है।

प्रबन्ध—दीवान (मि० एन भट्टाचार्य एम. ए.) और व्यवस्थापक सभा द्वारा प्रबन्ध होता है।

वार्षिक आय लगभग ९ लाख रुपया है।

डुंगरपुर ।

शासक—राय रायन महारावल श्री० लक्ष्मण सिंह जी।

शासक नाबालिग है इस कारण पोलीटिकल एजेन्ट की निरीक्षणता में एक कौंसिल कार्य करती है।

वार्षिक आय साढ़े छः लाख है।

परताबगढ (राजपूताना)

शासक—हिज हाइनेस महारावल सर रघुनाथ सिंह बहादुर के.सी.आइ.ई.

महाराजा होलकर को ३६३५० रुपया खिराज देना पडते हैं।

दीवान और एक राज सभा (११ सदस्य) द्वारा प्रबन्ध किया जाता है।

वार्षिक आय लगभग ६ लाख रुपया है।

जोधपुर ।

शासक—मेजर महाराजा सर उम्मेद सिंह जी साहेब बहादुर।

महाराजा सं० १९१८ में शासक हुये जब वे नाबालिग थे। सं० १९२३ में बालिग होकर राज्यसूत्र अपने हाथों में लिये।

महायुद्ध—इन के बड़े भाई जो शासक थे युद्ध में गये थे। राजपूताना में यह राज्य सब से बड़ा है।

राठौर वंश के मुख्य समझे जाते हैं और श्रीरामचन्द्र के वंशज हैं।

इस राज का क्षेत्रफल ३४९६३ वर्ग मील है और जन संख्या १८,४१,६४२ है।

वार्षिक आय १,२१,९०,००० है। राज में पत्थर की उत्तम खानें हैं।

जैसलमीर।

शासक—हिज हाइनेस महाराजाधिराज महारावल श्री० सर जवाहिर सिंह जी बहादुर।

जैसलमीर नगर स० ११५६ में स्थापित हुआ था। स० १८१८ में सन्धि द्वारा ब्रिटिश राज से सम्बन्ध हुआ। महाराजा साहेब यदुवन्शी हैं।

क्षेत्रफल १६,०६,२५९ और जन संख्या ६७६५२ है।

वार्षिक आय ४,३२,००० है। राज का सिक्का अलग है।

जैपुर।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा सवाई मानसिंह बहादुर (द्वितीय) (ज० १९११)

भूतपूर्व महाराज ने स० १९२१ में वर्तमान महाराज को गोद लिया है और स० १९२२ में इनका राज्यारोहण हुआ महाराजा जोधपुर की बहिन से व्याह हुआ है।

राज का क्षेत्रफल १५५७९ वर्गमील और जन संख्या २३,८८,८०२ है।

जयपुर नगर की बड़ी सुन्दर रचना है। राज प्रगति शील है। वार्षिक आय १,२०,००,००० रुपया है।

किशनगढ़।

शासक—ले० क० हिज हाइनेस महाराजाधिराज सर मदनसिंह बहादुर के. सी. एस. आई., के. सी. आई. ई.

शासक राठोर राजपूत हैं। महाराजा किशनसिंह ने किशनगढ़ स० १६११ में स्थापित किया।

प्रबन्ध के लिये एक कौंसिल है। योरोपियन युद्ध में फ्रांस में कार्य किया।

वार्षिक आय ६ लाख है।

लावा राज्य।

शासक—ठाकुर मंगलसिंह।

पहिले यह प्रदेश जयपुर के आधीन था। फिर टोंक रियासत के आधीन हुआ। फिर स्वतन्त्र हो गया।

वार्षिक आय १३००० रुपये के करीब है।

बून्दी।

शासक—हिज हाइनेस महाराव राजा सर रघुवीर सिंह बहादुर।

यहां के शासक चौहान राजपूतों के मुख्य हैं। मुसलमानी काल में मुसलमानों की ओर रहे। ब्रिटिश सम्बन्ध १८१८ में हुआ।

वार्षिक आय १० लाख है।

टोंक।

शासक—हि० हा० अमीरुद्दौला वजीरुल मुल्क नवाब सर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम अलीखां बहादुर।

प्रबन्ध—नवाब साहेब की सहायता के लिये एक कौंसिल ४ सदस्यों की है। होलकर ने यह प्रदेश नवाब साहब के पूर्वजों को दिया था। ५ परगने हैं जो अलग २ हैं।

वार्षिक आय रु० २३,६५,७८५ है। खर्च इस आय से कुछ अधिक है।

शाहपुरा।

शासक—राजाधिराज सर नाहर सिंह जी के. सी. आई. ई.।

यहां के शासक सीसोदिया वंश के हैं। महाराज सुजानसिंह को शाहजहां मुगल बादशाह ने फुलिया परगना दिया था। महाराना उदयपुर ने परगना कछोला राजा रणसिंह को दिया था।

भरतपुर।

शासक—कर्नल हि० हा० श्री० महाराजा बृजेन्द्र सवाई सर किशनसिंह बहादुर बहादुर जंग के. सी. आई. ई.।

यह राज्य जाटों का है। राजपूताना में यह पहिला राज्य है जिस ने ब्रिटिश से सम्बन्ध किया (१८०३) और लार्ड लेक को ५००० सवारों से मरहटों के विरुद्ध सहायता दी। स० १८०४ में भरतपुर ने होलकर का साथ अंग्रेजों के विरुद्ध दिया। किन्तु स० १८०५ में फिर अंग्रेजों से संधि हुई।

इस राज्य ने अंग्रेजों को अनेक बार सहायता दी। महायुद्ध में बहुत धन और सेना द्वारा ब्रिटिश की मदद की।

वार्षिक आय ५० लाख है।

धौलपुर।

शासक—हि० हा० रईस उद्दौलाह सिपह दारुल मलक सर मद राजहाय हिंद महाराजाधिराज श्री सवाई महाराज राना सर उदयभान सिंह लोकेन्द्र बहादुर दिलेर जंग जयदेव के. सी. एस. आई. के. सी. वी. ओ.।

इस राज्य के नरेश का सम्बन्ध पटियाला, सिंध, नाभा, भरतपुर नरेशों से है। वर्तमान महाराजा की मां महाराजा रंजीत सिंह के खानदान की थीं।

१३ अक्तूबर १७८१ में ब्रिटिश सरकार और सेंधिया से एक सन्धि हुई थी जिसके अनुसार भरतपुर नरेश के पूर्वजों का शासन वर्तमान राज्य के एक विशिष्ट भाग पर निश्चित किया गया। बाद को गोहद स्थान सम्बन्धी सेंधिया से झगड़ा होने पर १८०५ में गोहद और ग्वालियर किला सेंधिया को दे दिया गया। और धौलपुर आदि महाराज राय कीरत सिंह को मिला।

राज्य प्रगतिशील है। शासक साहित्यप्रेमी हैं।

करौली।

शासक—हि० हा० महाराज सर भंवर पाल बहादुर यदुकुल चन्द्र भाल जी. सी. आई. ई.।

प्रदेश का क्षेत्रफल १२४२ वर्गमील है। गवालियर और इस राज्य के बीच होकर चम्बल नदी बहती है।

कोटा।

हि० हा० ले० कर्नल महाराव सर उम्मेदसिंह बहादुर जी. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई., जी. बी. ई.।

यह प्रदेश १८१७ में ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित हुआ।

झालवार स्टेट के १५ जिले जो पहिले इसी कोटा राज्य में से दिये गये थे वापिस मिल गये।

वार्षिक आय ५३ लाख और खर्च ४८ लाख है।

अलवर।

हि० हा० वीरेन्द्र शिरोमणि देव कर्नल श्री सवाई महाराज सर जैसिंह जी बहादुर।

शासक—सूर्य वन्शी क्षत्रिय हैं। उदयकरण जी पूर्वज थे जिनके वन्शज अलवर और जयपुर नरेश दोनों हैं।

प्रबन्ध—४ मन्त्री, एक कौंसिल तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा होता है।

क्षेत्रफल ३२२१ वर्ग मील और जन संख्या ७,०१,१५४ है।

वार्षिक आय लगभग ४० लाख रुपये के है।

महायुद्ध (१९१४-१९१७) में अलवर ने सब से अधिक सैनिक दिये। अलवर राजधानी दिल्ली से ९८ मील पश्चिम में है:—

सेन्ट्रल इण्डिया एजेन्सी।

इस एजेन्सी का मुख्य स्थान इन्दौर है जहां एजेन्ट गवरनर जनरल रहता है।

इस एजेन्सी के दो प्राकृतिक भाग हो गये हैं दोनों के बीच में झांसी और सागर जिले तथा गवालियर राज्य पड़ गये हैं। (१) पूर्वी भाग में बुन्देलखन्ड और बघेलखन्ड एजेन्सियां हैं और (२) पश्चिमी दक्षिणी भाग में भूपाल, मालवा और दक्षिणी स्टेट एजेन्सियां हैं।

क्षेत्रफल ५१,५०९ वर्गमील है और जन संख्या ५९,९७,०२३ है।

इस एजेन्सी में २८ सेल्यूट स्टेट्स हैं जिनमें १० मुख्य हैं जिनसे सरकार से सीधी रीति पर संधिपत्र है वे इस प्रकार हैं:—(१) इन्दौर (२) भोपाल (३) रीवां (४) ओड़छा (५) दतिया (६) देवास (सीनियर) (७) देवास (जूनियर) (८) समथर (९) धार (१०) जावरा। केवल जावरा और भोपाल मुसलमान राज्य हैं बाकी हिन्दू हैं।

इनके अतिरिक्त ६३ छोटे २ राज्य हैं एजेन्सी का प्रबन्ध आठ समूह बनाकर किया जाता है।

(१) भोपाल　८ राज्य।

(२) बघेलखन्ड १२ राज्य मुख्य रीवां)
(३) बुन्देलखन्ड २२ ,, (मुख्य ओड़छा)
(४) दक्षिणी राज्य और मालवा—
एजेन्सी ४६ राज्य

इन्दौर, हीरापुर लालगढ़ राज्यों का प्रबन्ध अलग होता है।

मुख्य राज्यों का ब्योरा इस प्रकार है:—

इन्दौर।

शासक—महाराजा यशवन्त राव होलकर।

यह राज्य बड़ा ही प्रगतिशील है। व्यापारिक उन्नति इस प्रदेश ने खूब की है।

प्रबन्ध—महाराजा इस समय नाबालिग हैं इस कारण एक कौंसिल तथा प्रधान मन्त्री द्वारा चलाया जाता है।

राज्य में स्त्री शिक्षा, साधारण शिक्षा व्यापार आदि के लिये अनेक सुविधायें हैं।

मुख्य आयात की वस्तुयें कपडा मशीने, कोयला, शकर, निमक, मट्टी का तेल, और धातु है जिनका वार्षिक मूल्य रु० ३,१६,२४,०० के लगभग है और मुख्य निर्यात के पदार्थ रुई, कपड़ा, तम्बाकू, दालें आदि हैं जिन का मूल्य रु० ४१,२० ००० है। मिलों में जो कपड़ा तैयार होता है उसका सालाना मूल्य करीब २ करोड के है।

साढ़े तीन रु० प्रतिशत का टैक्स रुई के कपड़ों पर ता० १ मई १९२६ से बन्द कर दिया गया है और मिलों पर रु० ५०००० की आमदनी तक डेढ़ आना फी रुपया और उसके ऊपर ढाई आना फी रुपया टैक्स लगाया गया है।

क्षेत्रफल ९५२० वर्गमील है और जन सख्या ११,५१, ५७८ है।

वार्षिक आय १ करोड ४४ लाख के लगभग है।

भोपाल।

शासक--हि०हा० सिकन्दर सौलत नवाब इफतिखां रुल मुल्क मुहम्मद हमीदुल्ला खान बहादुर बी. ए., सी. एस. आई., सी. वी. ओ.।

क्षेत्रफल ६९०२ वर्गमील और जन संख्या ६,९२,४४८ है।

स० १८१७ से यह राज्य ब्रिटिश सरकार से सम्बंन्धित है।

नवाब साहेब के पहिले इन की मां गद्दी पर थीं उन्होंने मई स० १९२६ में गद्दी नवाब साहेब को अपने सामने दी।

प्रबन्ध—१ कौंसिल जिस में ५ सदस्य और एक अध्यक्ष होता है कार्य करती है।

राज्य ने कोई खास उन्नति किसी विभाग में नहीं की है।

वार्षिक आमदनी ५६ लाख रु० है।

रीवां।

शासक—हि० हा० महाराजा गुलाव सिंह बहादुर।

क्षेत्रफल इस प्रदेश का १३००० वर्गमील है और जन संख्या १४ लाख है।

शासक बघेले राजपूत हैं जो गुजरात में १० वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक राज्य करते थे स० १८१२ में पिंडारियों के भय से रीवां ने ब्रिटिश सरकार से सन्धि करली। गदर (१८५७) में रीवां ने अंग्रेजों की सहायता की थी जिसके बदले में अनेक परगने जो मरहठों ने छीन लिये थे वे वापिस दिये गये।

प्रबन्ध—स्वयं महाराज के हाथ में है।

व्यापार की वस्तु मुख्य लाख है। जंगल इस राज्य में बहुत बडा है।

वार्षिक आमदनी ५५ लाख रु० है।

धार।

इस समय कौंसिल आफ रीजेन्सी द्वारा कार्य चलाया जा रहा है। दीवान राय बहादुर के नाडकर हैं।

यहां के शासक मराठे पवार हैं।

वार्षिक आय १६ लाख रुपये के लगभग हैं।

जावरा।

शासक—ले० क० हि० हा० फखरुद्दौला नवाब सर मुहम्मद इफ़तिखार अलीखां साहेब बहादुर सौलतजग के. सी. आई. ई.।

क्षेत्रफल ६०१ वर्गमील और जन संख्या ८५७७८ है।

वार्षिक आमदनी ११ लाख है।

रतलाम।

शासक—कर्नेल हि० हा० महाराजा सर सज्जन सिंह के. सी. एस. आई, वी. सी. वी ए.।

मालवा एजेन्सी का यह प्रधान राज्य है। इस का क्षेत्रफल ८७१ वर्गमील है।

शासक को दीवानी व फौजदारी के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। महाराजा सज्जनसिंह ने महायुद्ध में १९१५ से १९१८ तक कार्य किया। १३ तोपों की सलामी है।

दतिया।

शासक—हि० हा० महाराजा सर गोविंद सिंह जू देव।

यह राज्य बुन्देले राजपूतों का है। दतिया स्थान झांसी से १६ मील पर है। यहां बडी उत्तम २ इमारतें हैं।

प्रबन्ध—काजी अजीजुद्दीन अहमद ओ वी. ई. दीवान हैं।

क्षेत्रफल ९११ वर्गमील और जन संख्या १,४८६५० है। वार्षिक आमदनी लगभग १९ लाख है।

ओड़छा।

शासक—हि० हा० सर प्रतापसिंह जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई.।

क्षेत्रफल २०८० वर्गमील है और जन संख्या ३३०,०३२ है। राजधानी टीकमगढ में है। ओडछे में किला है और श्रीरामचन्द्र जी का प्रसिद्ध मन्दिर है।

ओडछा राज्य ही का हिस्सा झांसी राज्य बन गया था जब ओडछा नरेश ने बाजीराव पेशवा को एक भाग दे दिया।

वार्षिक आमदनी लगभग १० लाख है।

चरखारी।

शासक—हि० हा० महाराजाधिराज सिपहदारुल मल्क अरिमर्दन सिंह जू देव बहादुर।

क्षेत्रफल ८८० बर्गमील है जन सख्या १,२३,४०५ है आय ६,००,००० रुपया है कृषि मुख्य व्यापार है। कुछ हीरे की खानें हैं।

छतरपूर।

शासक—हि० हा० महाराजाधिराज बिश्वनाथ सिंह जू देव बहादुर।

इस राज्य का क्षेत्रफल ११३० बर्ग-मील है जन संख्या १,६६,५४९ है वार्षिक आय ७ लाख रुपया है शासक बड़े विद्वान पुरुष हैं और हिन्दी साहित्य से बड़ा प्रेम रखते हैं।

पन्ना।

इस राज्य का क्षेत्रफल ७५९६ वर्ग-मील है जन संख्या १,९७,६०० है और वार्षिक आय ९ लाख ४८ हजार रुपया है और राज्य में हीरों की खानें हैं जिन में प्राचीन काल से हीरे निकलते आते हैं। इस राज्य में जङ्गल बहुत बड़ा है और उससे आमदनी भी अच्छी है। हाथी दाँत का काम बहुत अच्छा होता है।

बिजावर।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा सावन्त सिंह जू बहादुर।

क्षेत्रफल ९७३ वर्गमील है और जन संख्या ११३७२३ है। वार्षिक आय ३ लाख ३४ हजार रुपया है इस राज्य में भी अनेक स्थानों में हीरे निकलते हैं।

बिलोचिस्तान एजेन्सी।

इस एजेन्सी में कलात राज्य और सहायक राज्य लसबेला है।

क्षेत्रफल ८०,४१० वर्गमील है और जन संख्या ३०२००० हैं। निवासी ब्रहुयी अथवा बलोच जाति के मुसलमान हैं।

पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य।

अम्ब, चितराल, दीर और फुलेरा इस में है। क्षेत्रफल ७७०४ वर्गमील है और जन संख्या १६,२२,०९४ है।

चितराल के शासक लगभग ३००वर्षसे स्वतन्त्र चले आते हैं। सं० १८८५ में ब्रिटिश सरकार की ओर से 'लाकहार्ट मिशन' गया फिर सं० १८८९ में ब्रिटिश सरकार उन्हें वार्षिक सबसेडी देने लगी और गिलगिट में पोलीटिकल एजेन्ट नियत किया गया। अमानुल मुल्क जिसे सबसिडी दी जाती थी वह १८९२ में मर गया उसका लड़का निजामुल मुल्क को ब्रिटिश सरकार ने माना किंतु वह मार डाला गया। फिर विरासत का

युद्ध होने लगा। ब्रिटिश एजेन्ट स० १८९५ में घेर लिया गया और हिन्दुस्थान से फौज भेजी गई।

इस प्रदेश का शासक इस समय हिज हा० सर शुजाउल मुल्क के. सी. आई. ई. मेहतर चितराल है मालाकन्द में पोलीटिकल एजेन्ट है।

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज्य

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज ५ हैं। इन से भारत सरकार से सीधा संबन्ध है प्रान्तीय सरकार से संबन्ध रखने वाले राज अन्य हैं। इन ५ राजों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार से १ अक्टूबर स० १९२३ से हुआ।

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज्यों का व्योरा।

राज्य	क्षेत्रफल	जन संख्या	वार्षिक आमदनी
ट्रावङ्कोर	७६२५	४००६०६२	२० करोड
कोंचीन	१४१८	९७९०१९	७० लाख
पुदु कोटाइ	११७९	४२६८१३	२३ लाख
बंगनपल्ले	२५५	३६६९२	३.८ लाख
संदुर	१६७	११६८४	१.४८ लाख

ट्रावङ्कोर।

इस देशी राज ने बड़ी उन्नति की है। राज व्यवस्था अति उत्तम है और प्रजा की प्रगति के लिये अनेक प्रकार की सुविधायें हैं। महाराजा इस समय नाबालिग हैं। उनकी आयु १६ वर्ष की है इस कारण उनकी चाची महारानी सेतु लक्ष्मीबाई प्रबंध करती हैं।

स० १८८८ में एक प्रबन्ध समिति कौंसिल बनाई गई थी। अब वह कौंसिल स० १९२१ से बड़ी बना दी गई है, और उसमें गैर सरकारी चुने हुये सदस्यों का बहुमत हैं। इस कौंसिल को वजट पर वोट देने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त एक श्री मुलम सार्वजनिक प्रतिनिध सभा हैं जो प्रत्येक वर्ष बैठती है और प्रबन्ध संबन्धी चर्चा करती है और अपनी इच्छायें और लोक मत प्रगट करती हैं। किसी देशी राज ने अपनी प्रजा को इतने स्वत्व नहीं दिये।

शिक्षा—राज में शिक्षा का बड़ा प्रचार हुआ है।

राजधानी त्रिबेन्द्रम स्थान में है। प्रदेश की मुख्य फसल चावल है अन्य उपज मिरच, पीपल।

कोचीन।

शासक—हिज हा० श्री० सर राम वर्मा जी. सी. आई. ई.।

इस राज में साखू इबोनी संगमूसा आदि लकड़ियां बहुत हैं।

दीवान राव बहादुर टी. ए. नारायण अय्यर एम. ए. बी. एल।

पश्चिमी भारत के राज्य ।

बम्बई सरकार से सम्बद्धित देशी राज्यों की सख्या बहुत बड़ी थी इस कारण अक्तूबर १९२४ में एक नई रेजीडेन्सी कायम की गई जिसमें काठियाबाड़, पालनपुर और कच्छ एजेन्सियों के सब राज रक्खे गये और अब इन सब का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार से कर दिया गया ।

काठियाबाड़ एजेन्सी ।

इसका क्षेत्रफल २०८८२ वर्गमील है और जन संख्या २५,४२,५३५ है। इसमें बहुत से देशी राज हैं। मुख्य ८ का वर्णन नीचे दिया जाता है।

भावनगर ।

शासक—हि० हा० महाराजा कृष्ण कुमारसिंह जी।

यह राज भारत सरकार को रुपया १२८०६० वार्षिक खिराज देता है, रु० ३५८१—८—० पेशकशी बडौदा को, और रु० २२८५८ जर तलबी जूनागढ़ को देता है।

शासक नाबालिग हैं इस कारण एक प्रबन्ध कमेटी है जिसके अध्यक्ष प्रभाशंकर डी. पट्टाणी हैं। इस राज में प्रबन्ध खाता और न्याय खाता अलग अलग हैं।

नाज, रुई, गन्ना, नमक, मुख्य पदार्थ हैं जो इस राज में उत्पन्न होते हैं।

भावनगर स्टेट रेलवे २८२ मील है। भावनगर राजधानी भी है और एक अच्छा बन्दरगाह है।

क्षेत्रफल जन संख्या ४२६,४०४ है। वार्षिक आय ८६,५५,६२९ है और रु० ७९,०२,४१४ वार्षिक खर्च है।

गोन्डल राज्य ।

शासक—हि० हा० श्री भगवत सिंह जी. जी सी. आई. ई.।

यह राज्य भारत सरकार १,१० ७२१ रु० खिराज देता है। इस राज्य में जरतार का काम, और ऊनी कपड़े बहुतायत से पैदा होते हैं।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जारी की गई है। रु० १३ लाख तालावों, नहरों आदि पर खर्च किये गये हैं।

जूनागढ़ ।

शासक—नबाव हि० हा०सर महावत खां तृतीय ।

इस राज का क्षेत्रफल ३३३६ वर्गमील है और वार्षिक आय रु० ८०००००० हैं। जन सन्ख्या ४६५४९३ है।

सन १८०७ में यह राज ब्रिटिश सरकार से सम्बद्धित हुआ वार्षिक खिराज भारत सरकार को रु० २८३९४ देना पड़ती हैं। और ३७२१० रुपया गायकबाड़ को बतौर पेशकशी देना पड़ता है। साथ साथ यह राज स्वयं १३४ छोटे २ राजों से कुल मिलाकर ९२४२१ रूपया जर तलबी की तरह पाता है।

नावनगर।

शासक—जाम साहेब हि० हा० श्री रंजीत सिंह जी विभाजी।

यह राज रुपया १२००९३ वार्षिक खिराज देता है जो भारत सरकार गायकवाड़ और नवाब जूनागढ को देती है।

जाम साहेब जगद्विख्यात क्रिकेटियर हैं।

मोती भी समुद्र तट पर निकलते हैं। अनेक समुद्री बन्दर हैं जहां से बाहर के देशों को माल जाता है।

कच्छ।

शासक—हि० हा० महाराव श्री० खेन्गारजी सवाई बहादुर जी. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई.।

राजधानी भुज [नगर] है। इस राज में बहुत सा प्रदेश ऐसा है जिसमें नमक का गाढा पानी भरा है और जहां नमक तैयार होता है। इस प्रदेश को छोड़ कर इसका क्षेत्रफल ७६७७ मील है।

इस राज से ब्रिटिश सबन्ध स० १८१५ से है। इस राज में १३४ सरदार हैं जिन्हें जागीरें लगी हुई हैं। वार्षिक खिराज रू० ८२२५७ देना पड़ती है। इनके अतिरिक्त पालनपुर एजेन्सी और राधनपुर राज भी इसी काठियावाड़ एजेन्सी में हैं।

बम्बई सरकार के आधीन

देशी राज्य।

बम्बई सरकार के आधीन ५१ देशी राज हैं जिनका क्षेत्रफल २८०३९ वर्ग-मील है। और जनसख्या ३८७९०९५ है। प्रबन्ध के लिये विभिन्न एजेन्सियों में यह राज्य बटे हुये हैं।

(१) बेलगांव एजेन्सी (२) बीजापुर एजेन्सी (३) खेड एजेन्सी (४) धारवाड (५) कुलाबा एजेन्सी कोल्हापुर रेजीडेन्सी और दक्षिणी महरठा प्रदेश एजेन्सी। (६) महीकांथा एजेन्सी ५१ राज्य (७) नासिक एजेन्सी (८) पूना एजेन्सी (९) रेवकान्था एजेन्सी ६२ राज्य (१०) सतारा एजेन्सी (११) शोलापुर एजेन्सी (१२) सक्खर एजेन्सी (१३) सूरत एजेन्सी ३ राज और १४ डंग सरदार (१४ थाना एजेन्सी।

कोल्हापूर।

शासक—हि० हा० कै० कर्नल सर श्री० राजाराम छत्रपति महाराज।

इस राज का क्षेत्रफल ३२१७ वर्ग मील और जन संख्या ८३३७२६ हैं। कोल्हापुर के आधीन ९ राज हैं जिसमें विशलगढ, कागल और इचल करञ्जी मुख्य हैं।

शासक—शिवाजी महाराज के वंशज हैं सन १८१२ में सन्धिद्वारा ब्रिटिश राज से सबन्ध हुआ।

राज प्रगतिशील है। शिक्षा, न्याय,

साधारण प्रबन्ध अच्छा है । प्रबन्ध कौंसिल में न्याय, माल और खासगी विभाग के मन्त्री तथा दीवान होते हैं ग्राम पंचायतें ऐक्ट द्वारा कायम की गई हैं। देव स्थान और ताज़ी रात खास पंचायतों के हाथ में है। शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है। वार्षिक आय ९० लाख रुपया है। रेलवे लाइन जिसका मालिक राज्य है २९२८ मील हैं और रुपया २४,४३,३५२ लागत में लगे हुये हैं। ३ लाख रुपये का रेलवे से लाभ है।

मुख्य राज्यों का क्षेत्रफल उनकी जन संख्या और वार्षिक आय निम्न लिखित कोष्टक में दी गई हैं।

मुख्य राज्यों का व्योरा।

राज्य	क्षेत्रफ़ल वर्गमील	जन संख्या (१९२१)	औसत्त मालगुजारी (रुपयों में)
बालासीनियर	१८९	४४,०३०	३,९१,९५२
बन्सदा	२१५	४०,१२५	७,६५,०९८
बरिया	८१३	१३७,२९१	१२,५४,२६४
कैम्बे	३५०	७१,७१५	९,२३,७६१
छोटा उदयपुर	८९०	१२५,७०२	१३,५८,५५७
दन्ता	३४७	१९,५४१	१,४७,५९८
धरमपुर	७०४	९५,१७१	११,९६,७२८
इडर	१,६६९	२२६,३५५	१४,४८,४४८
जन्जीरा	३७७	९८,५३०	७,८०,९२३
जौहर	३१०	४९,६६२	५,४५,२८०
खेरपुर	६,०५०	१९३,१५२	२३,४१,०५०
कोल्हापूर	३,२१७	८३३,७२६	९९,८४,१३३
लुनौदा	३८८	८३,१३६	३,७१,७८४
मुधाल	३६८	६०,१४०	३,८६,९८७
राजपीपला	१,५१७	१६८,४५४	१८,९३,८५१
सेचीन	४९	१९,९७७	३,७८,०९८
सेन्गली	१,१३६	२२१,३२१	१२,००,६८५
सेबन्तवादी	९२५	२०६,४४०	६,८१,०३०
सेन्ट	३९४	७०,९५७	३,५७,१८९

दक्षिणी महाराष्ट्र के राज्य निम्न लिखित हैं।

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या	औसत मालगुजारी (रुपयों में)
१ संगली	१,१३६	२२१,३२१	१२,७३,७९९
२ मीराज (सीनियर)	३४२	८२,५८०	४,०६,०४८
३ मीराज (जूनियर)	१९६॥	३४,६६५	३,४७,१२२
४ कुरन्दबाद (सीनियर)	१८२	३८,७६०	२,९५,५३२
५ कुरन्दबाद (जूनियर)	११४	३४,२८८	१,९४,१०३
६ जमखन्डी	५२४	१०१,१९५	८,३६,५७१
७ मुधोल	३६८	६०,१४०	४,१५,१८६
८ रामदुरग	१६९	३३,९९७	२,५४,२३६
जोड़	३,०३२	६०६,६४६	४०,२२,५६७

इडर।

शासक—लें० कर्नल हि० हा० सर दौलत सिंह जी। के. सी. एस.आई।

इस राज्य का क्षेत्रफल १६६९ वर्गमील जनसंख्या २२६,३५५ है। वार्षिक आय रू० १४,४८,००० हैं। मही कन्था एजेन्सी में इस राज्य के अतिरिक्त ५१ छोटे २ राज्य हैं।

औंध।

शासक — मेहरवान भवनराव श्री०निवास राव उर्फ वाला साहेव पन्त प्रतिनिधि।

इस राज्य का क्षेत्रफल ५०१ वर्गमील है। जन संख्या ६४,५६० है। वार्षिक आय रु० ८८१००० है। इस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है प्रातनिधिक सभा भी बनाई गई हैं जिसे वजट पर बोट देने का अधिकार हैं -

कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें सतारा जागीर कहते हैं।

सतारा जागीर में निम्नलिखित राज्य हैं।

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या	औसत मालगुजारी (रुपयों में)
औंध	५०१	६४,५६०	४ लाख
फलटन	३९७	४३,२८६	३ ,,
भोर	९२५	१३०,४२०	५ ,,
अकलकोट	४९८	८१,२५०	९ ,,
जथ	९८१	८२,६५४	३॥ ,,

खैरपूर (सिंध)

शासक—मीर अली नवाज खां।

सिंध विभाग में यही एक देशी राज्य है। क्षेत्रफल ६०५० वर्गमील, जन संख्या १९३,१५२ और वार्षिक आय २६ लाख रुपया है।

बंगाल सरकार के आधीन देशी राज्य।

कूचबिहार।

शासक—युवराज कुमार जगद्दीपेन्द्र नारायण (ज० १५ दिसम्बर १९१५)

इस राज्य का क्षेत्रफल १३०७ वर्ग-मील है जन संख्या ५,९२,४७२ है।

युवराज कुमार के पिता महाराजा सर जितेन्द्र नारायण का इग्लैंड में स० १९२२ में देहांत हुआ। उनकी रानी हि० हा० महारानी साहिबा रीजेन्ट नियत हुई हैं। ४ सभासदों की एक कौंसिल भी है। पहिले यह राज्य कामरूप देश का भाग था।

स० १७७२ में यह राज्य ईस्टइंडिया कम्पनी से सम्बद्धित हुआ।

राजधानी कूचविहार है। वार्षिक आय ३६ लाख रुपया है।

त्रिपुरा।

शासक—महाराजा वीरविक्रम किशोर देव वर्मन माणिक्य बहादुर।

इस राज्य का क्षेत्रफल ४११६ वर्ग-मील और जन संख्या ३०४,४३७ है। प्रदेश में पहाड़ियां और जंगल ही अधिक है। शासक के पास टिप्परा, नोआखाली और सिलहट जिलों में बहुत सी जमीदारी भी है। विरासत के समय सदा झगड़े होते रहे किन्तु स० १९०४ से एक सनद द्वारा विरासत का हक निश्चित कर दिया गया है।

बिहार सरकार के आधीन देशी राज्य।

इस प्रांतीय सरकार के आधीन खारसवान, सिराइकेला और उडीसा के छोटे २ लगभग २४ राज हैं। पहिले दो का क्षेत्रफल २८,६५६ और जन संख्या ३९३१३२२ है

२४ राज्यों का नाम—अथगढ़, तलछर, मयूरभंज, नीलगिरि, केन्उझर पाल लहाड़ा, धेनकनल, अथमलिक, हिंडोल, नरसिंहपूर, बारम्बा टिगिरिया खानपुरा, नयागढ़, रनपुरा, दसपल्ला बौद, बमरा रैराखोल, सोनपुर, पटना कलइन्डी, गंगापुर, बोनाई। इन की जन संख्या ३७७७,३७४ है और वार्षिक आय लगभग ७८ लाख है।

यू. पी. सरकार के आधीन देशी राज्य।

इस सरकार के आधीन तीन राज्य हैं—रामपुर, टेहरी, बनारस।

रामपूर।

शासक—कर्नेल हि० हा० आलीजाह फरजन्दे दिलपिजीर दौलत इंगलीशिया।

मुखलिसुद्दौला नसीरुल मुलक अमीरुल उमरा नवाब सर सैय्यद मुहम्मद हामिद अलीखां बहादुर मुस्तैद जंग।

यह राज रोहिल्ला राज का शेष है।

क्षेत्रफल ८९२ वर्गमील और जन संख्या ४५३,६०७ है।

महायुद्ध में सेना द्वारा सरकार की सहायता की थी।

वार्षिक आय ५४ लाख रूपया है।

टेहरी।

शासक—कैप्टेन हि० हा० नरेन्द्र शाह सी. एस. आई.।

यह प्रदेश हिमालय पर्वत में है। गंगा व यमुना के उगमस्थान इसी राज्य में हैं। गेहूं और चावल इस प्रदेश में पैदा होता है जंगल में उत्तम लकड़ी होती है जिससे राज को अच्छी आमदनी है। क्षेत्रफल ४५०० वर्गमील है और जन संख्या ३१८४८२ है।

साधारण राजधानी टेहरी है और गर्मी की राजधानी प्रताब नगर है जो समुद्र तट से ८००० फीट ऊंचा है।

वार्षिक आय १२ लाख रु० है।

बनारस।

शासक—ले० कर्नल हि० हा० महाराज सर प्रभुनारायण सिंह बहादुर जी. सी. एस. आई. एल. एल. डी.।

यह राज्य श्रीमान मन्साराम ने कायम किया। श्रीमान बलवन्त सिंह ने बहुत से प्रदेश जीत लिये जिस पर स० १७७० तक वे शासन करते रहे। स० १७९४ में ब्रिटिश सरकार ने राज्य अपने प्रबंध में कर लिया और शासक को १ लाख रुपया वार्षिक देना निश्चित किया। इस काल में शासक को अपने राज के भीतर कलक्टर के समान माली अधिकार प्राप्त थे। १ अप्रेल १९११ को रामनगर भदोही और चकिया आदि प्रदेश मिलाकर एक सम्पूर्ण राज्य बना दिया गया और शासक को कुछ नियमों के आधीन स्वतन्त्र कर दिया गया।

महाराजा को १५ तोपों की सलामी है। राज्य का क्षेत्रफल ८७५ वर्गमील, जन संख्या ३,६२,७३५, और वार्षिक आय २६ लाख रुपया हैं।

पंजाब के देशी राज्य।

पंजाब के निम्नलिखित देशी राज्य ता० १ नवम्बर १९२१ से भारत सरकार के प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर दिये गये हैं।

कपूरथला।

शासक—हि० हा० महाराजा सर जगजीत सिंह बहादुर जी. सी. एस. आइ, जी. सी आई. ई.।

यह प्रदेश जलन्धर के द्वाब में तीन भागों में है। स० १८१७ में अंग्रेजी सरकार को सहायता देने के कारण अवध में कुछ प्रदेश दिया गया जिसकी अच्छी आमदनी राज्य को मिलती है। स० १९११ में महाराजा की पदवी दी गई। सलामी १५ तोपों की कर दी गई और ले० कर्नल बनाये गये।

शासक—सिख हैं किन्तु प्रजा

अधिकतर मुसलमान हैं।

प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। स० १९१६ में एक व्यवस्थापक सभा महाराज ने कायम की है। वार्षिक आय रु० ३७५०००० है।

पंजाब के मुख्य २ देशी राज्य निम्न लिखित हैं।

नाम	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या (१९२१)	औसत मालगुजारी (लाखों में)
१ वहावलपुर	१५,०००	७८१,१९१	४६,२५,३६४
२ बिलासपूर (कहलुर)	४४८	९८,०००	३,००,०००
३ चम्बा	३,२१६	१४१,८६७	७,६१,०००
४ फरीदकोट	६४३	१५०,६६१	१८,११,२११
५ जिन्द	१,२५९	३०८,१८३	२८,००,०००
६ कपूरथला	६३०	२८४,२७५	३७,५०,०००
७ लुहारू	२२२	२०,६१४	१,३०,०००
८ मलीरकोटला	१६८	८०,३३२	१४,०३,०००
९ मण्डी	१,२००	१८५,०४८	१०,७७,४०१
१० नाभा	९२८	२६३,३३४	२४,६३,०००
११ पटियाला	५९३२	१,४९९,७३९	१६,३२,३६००
१२ सिरमूर (नाहन)	१,१९८	१४०,४६८	६,००,०००
१३ सुकैट	४२०	५४,३२८	२००,०००
जोड़	३१,२६४	४०,०८,०४०	३,६५,७५,५७६

नाभा।

शासक—हि० हा० महाराज रिपुदमन सिंह। (निर्वासित)

स० १७६३ में यह राज पृथक बना था। राज का क्षेत्रफल करीब १००० वर्ग मील है और जन संख्या ३ लाख है स० १९२३ में महाराजा नाभा को राज छोड़ना पड़ा। कारण उसका यह बताया जाता है कि नाभा व पटियाला में परस्पर अनेक झगड़े थे जिसमें महाराजा नाभा दोषी ठहराये गये। यह भी मत है कि महाराजा नाभा के राजनैतिक बिचार सरकार को पसन्द नहीं थे।

पटियाला।

शासक—मेजर जनरल हि० हा० फरजन्दे खास दौलते इंगलिशिया मसूरउलजमान अमीरउलउमरा महाराजाधिराज राजेश्वर श्री० महाराजा राजमान सर भूपेन्द्र सिंह मोहिन्द्र बहादुर जी सी. एस. आई।

इस प्रदेश में जंगल बहुत हैं। सरहिन्द और यमुना की नहरों से आबपासी होती है।

क्षेत्रफल राज का ५९३२ वर्गमील और जन संख्या १४९९७३९ हैं।

वार्षिक आय १करोड़ ३५ लाख रु० के लगभग है।

मन्डी ।

शासक—ले० हि० हा० राजा जोगेन्द्र सेन बहादुर ।

क्षेत्रफल १२०० वर्ग मील और जन संख्या १८५०४८ है। वार्षिक आय १० लाख रू० है।

रानी साहिब मंडी प्रगतिशील विदुषी हैं और स्त्री समाज की उन्नति में बड़ी रुचि रखतीं हैं।

बहावलपुर ।

शासक—केप्टन हि. हा. रूकनुद्दौला नसरत जंग हाफिज़ुलमुल्क नबाब सर सादी मुहम्मद खां बहादुर अब्बासी के. सी. वी. ओ.

क्षेत्रफल १५ हजार और जनसंख्या ७८११९१ हैं। वार्षिक आय लगभग ५० लाख रूपया है।

आसाम सरकार के आधीन देशी राज्य।

मणिपूर ।

हि हा महाराजा चूडाचन्द्र सिंह।

ब्रह्म देश से इस राज से अनेक वार युद्ध हुआ और मणिपुर के लोग सदा स्वतन्त्र रहना चाहते थे। सन १८२६ से बराबर यह राज स्वतन्त्र रहा। सन१८९१ में ब्रिटिश सरकार ने कुल चन्द्र सिंह का पक्ष लेकर हस्तक्षेप किया। मि० कुइन्टन कमिश्नर मारे गये जिस पर ब्रिटिश सरकार ने राज अपने प्रबन्ध में कर लिया और सन १९०७ तक पोलीटिकल एजेन्ट द्वारा प्रबन्ध होता रहा। उस साल वर्तमान महाराजा के वालिग होने पर उन्हें शासन सौंपा गया। महायुद्ध में सहायता देने के कारण महाराजा की पदवी दी गई।

सी. पी. सरकार के आधीन देशी राज्य।

इस सरकार के आधीन १५ राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल ३११७२ और जन संख्या २०६६९०० है। होशंगाबाद जिले में मकराई राज्य हैं और बाकी छत्तीसगढ़ कमिश्नरी में हैं।

यह राज्य सब मिलकर सरकार को ढाई लाख रु० खिराज देते है। मुख्य राज्यों का व्योरा इस प्रकार है।

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या १९२१	औसत मालगुजारी रु०
बसतर	१३०६२	४६४१३७	७ लाख
जशपूर	१९६३	१५४१५६	२ ,,
कांकर	१४२०	१२४९२८	३ ,,
खैरगढ	९३१	१२४००८	५ ,,
नांदगांव	८७१	१४७९१[illegible]	८ ,,
रायगढ	१४८६	२४१६३४	५ ,,
सरगजा	६०५५	३७८२२६	४ ,,
आठ अन्य राज्य	५२८४	४३२८८३	१२ ,,
जोड	३११७२	२०६७६९२	४६

भारतीय जनसमाज ।

भारतीय जनसमाज।

जन समाज की घनता।

भारतवर्ष के पूर्ण क्षेत्रफल तथा जन संख्या के अनुसार, लोक संख्या की घनता प्रति वर्गमील १७७ है। ब्रिटिश भारत में घनता प्रति वर्गमील २२६ और देशी भारत में १०१ है।

घनता का सम्बन्ध सामाजिक परिस्थिति पर है। व्यापारी तथा औद्योगिक केन्द्रों में घनता सब से अधिक है। इसी प्रकार नगरों में और ग्रामों में बडा अन्तर पड जाता है। केवल ग्रामीण लोक संख्या में भिन्न २ प्रदेशों की घनता में परस्पर भेद भूमि की न्यूनाधिक उपज के अनुसार पडता है। इस कारण यदि नगरों की लोक संख्या अलग कर दी जावे तो ग्रामीण जन संख्या प्रति वर्गमील कहीं २ केवल १ मनुष्य और कहीं २ संख्या प्रति वर्गमील १८८२ है।

कुछ देशों की घनता।

देश	प्रति वर्गमील
बेलजियम	६५४
इङ्गलैंड वेलस	६४९
फ्रांस	१८४
जर्मनी	३३२
हौलैंड	५४४
आस्ट्रिया	१९९
स्पेन	१०७
जापान	२१५
यूनाइटेड स्टेटस	३२
भारत	१७०

भारत के नगर तथा ग्राम।

ग्राम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगर	१५६१	७५५	२३१६
ग्राम	४,९८,५२७,	१,८७,१३८	६,८५,६६५

भारत की घर संख्या।

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	५०,४६,८२०	१७,१८,१९४	६७,६५,०१४
ग्रामों में	४,५३,९४,८१६	१,३०,३८,५५९	५,८४,३३,३७५

भारत की लोक संख्या

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	२५०४४३६८	७४३०९०८	३२४७५२७६
ग्रामों में	२२१९५८९२५	६४५०८२७९	२८,६४ ६७,२०४

भारत में जन संख्या की बढ़ती ।

	१९११	१९०१	१८९१	१८८१	१८७२
भारत	३१५१५६३९६	२९४३६१०५६	२८७३१४६७१	२५३८९६३३०	२०६१६२३६०
प्रांत	२४४२६७५४२	२३१६०५९४०	२२१२४०८३६	१९८८८२८१७	१८५१६३४३५
अजमेर मारवाड	५०१३९५	४७६९१२	५४२३५८	४६०७२२	३९६३३१
अंडमान नीकोवार	२६४५९	२४६४९	१५६०९	१४६२८	....
आसाम	६७१३६३५	५८४१८७८	५४७७३०२	४९०७७९२	४१५०७६९
बिलोचिस्तान	४१४४१२	३८२१०६	...	...	....
बंगाल	४५४८३०७७	४२१४१४७७	३९०८९६३२	३६३१६७२८	३४११९४६५
बिहारऔरउड़ीसा — बिहार	२३७५२९६९	२३३६०२१२	२३५८१५३८	२२४१८३६७	१९७३५६२७
बिहारऔरउड़ीसा — उडीसा	५१३१७५३	४९८२१४२	४६६६२२७	४३४३९६४	३६०३१५६
बिहारऔरउड़ीसा — छोटा नागपूर	५६०५३६२	४९००४२९	४६२८७९२	४२२५९८९	३१४७६९९
बम्बई प्रेसीडेंसी — बबई	१६११३०४२	१५३०४७६६	१५५५९२९२	१४०४२६२१	१४०७५५०८
बम्बई प्रेसीडेंसी — सिन्ध	३५१३४३५	३२१०९१०	२८७५१००	२८७५१००	२२०६५६५
बम्बई प्रेसीडेंसी — अदन	४६१६५	४३९७४	४४०७९	३४८६०	१९२८९
बरमा	१२११५२१७	१०४९०६२४	७७२२०५३	३७३६७७१	२७४७१४८
मध्यप्रदेशऔर बरार — मध्यप्रदेश	१०८५९१४६	९२१७४३६	१०१५१४८१	९२७०६९०	७७२३६१४
मध्यप्रदेशऔर बरार — बरार	३०५७१६२	२७५४०१६	२८९७४९१	२६७२६७३	२२२७६५४
कुर्ग	१७४९७६	१८०६०७	१७३०५५	१७८३०२	१६८३१२
मद्रास	४१४०५४०४	३८२२९६५४	३५६४४४२८	३०८४११५४	३१२३०६२२
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	२१९६९३३	२०४१५३४	१८५७५१९	१५७५९४३	१७६०९६७२
पंजाव	१९९७४९५६	२०३३०३३७	१९००९३६८	१७२७४५९७	१७६०९६७२
यू. पी. — आगरा	३४६२४०४०	३४८५९१०९	३४२५४५८८	३२७६२१२७	३०७८०९६१
यू. पी. — अवध	१२५५८००४	१२८३३१६८	१२६५०९२४	११३८७८३२	११२२१०४३

भारत की पुरुष संख्या।

नाम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	१,३९,७१,१३६	३८,७४,११२	१,७८,४५,२४८
ग्रामों में	११,२९,००९,९८०	२,२२,४२,३२६	१४८१,५१,३०६

भारत की स्त्री संख्या।

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	१,१०,७३,२३२	३५,५६,९९६	१४६३००२८
ग्रामों में	१०९०५७९४५	३१२५८९५३	१४०३१६८९८

भारत के स्त्री पुरुषों का औसत।

प्रति १०,००० मनुष्य।

उम्र	१९२१		१९११	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
०—५	१२०२	१३१६	१३२७	१४३३
५—१०	१४७१	१४९४	१३८३	१३८३
१०—१५	१२४५	१०८१	११६५	९९७
१५—२०	८४२	८१५	८४८	८२६
२०—२५	७७५	८८१	८२२	९३०
२५—३०	८६५	८८५	८९६	९०९
३०—३५	८२५	८३३	८२९	८३५
३५—४०	६३६	५६५	६२२	५५६
४०—४५	६२१	६२१	६३४	६३१
४५—५०	३९२	३४६	३८०	३३८
५०—५५	४३४	४३८	४३२	४४३
५५—६०	१८५	१६८	१७७	१६४
६०—६५	२६६	२९८	२५७	३०५
६५—७०	८१	७९	८३	७५
७०—व अधिक	१६०	१८०	१४५	१७५
औसत उम्र	२४.८	२४.७	२४.७	२४.७

भारत में योरोपियन व एंगलो इंडियन।

प्रांत, राज्य तथा एजेन्सी	योरोपियन व अन्य जातियां			योरोपियन व अन्यजाति १९११	एंगलो इंडियन	
	अंग्रेजी प्रजा	अन्य	योग		१९२१	१९११
भारत	१६३९१८	१०१३९	१७४०५७	१९७६३९	११३०१२	१००४२०
प्रान्त	१४८५२५	९१२४	१५७६४९	१७८१३०	९६५२९	८६११६
राज्य तथा एजेंन्सी	१५३९३	१०१५	१६४०८	१९५०९	१६४८३	१४२२४

भारतीय जन संख्या की बढ़ती । (देशी राज्य)

	१९११	१९०१	१८९१	१८८१	१८७२
राज्य और एजेन्सी	७०८८८८५४	६२७५५११६	६६०७३८३५	५५०१३५१३	२०९९८९२५
आसाम स्टेट (मनीपूर)	३४६२२२	२८४४६५	...	३२१०७०	...
बिलोचिस्तान स्टेट	४२०२९१	४२८६४०	...	...	...
बडोदा स्टेटस	२०३२७९८	१९५२६९२	२४१५३९६	२१८२१५८	१९९७५९८
बंगाल स्टेटस	८२२५६५	७४०२९९	७१६३१०	६९८२६१	५६७८२७
बिहार और उडीसा स्टेटस	३९४५२०९	३३१४४७४	३०२८०१८	२४१०६११	१७२३९००
बंबई स्टेटस	७४११६७५	६९०८५५९	८०८१९५०	६९३७८९३	६७९७९७०
सेन्टल इंडिया एजेन्सी	९३५६९८०	८४९७८०५	१०१३६४०३	९२६११०७	...
मध्यप्रदेश स्टेटस	२११७००२	१६३११४०	१७१२५६२	१३८७२९४	९२८११६
हैदरावाद	१३३७४६७६	१११४११४२	११५३७०४०	९८४५५९४	...
कशमीर	३१५८१२६	२९०५५७८	२५४३९५२	...	...
मद्रास स्टेटस	४८११८४१	४१८८०८६	३७००६२२	३३४४८४९	३२८९३९२
मैसूर स्टेटस	५८०६१९३	५५३९३९९	४९४३६०४	४१८६१८८	५०५५४०२
उत्तर पश्चिमी सरहद्दीसूबा एजेन्सी	१६२२०९४	८३९६२	...	...	...
पंजाब स्टेटस	४२१२७९४	४४२४३९८	४२६३२८०	३८६१६८३	...
राजपूताना एजेन्सी	१०५३०४३२	९८५३३६६	१२१७१७४९	९९३४२५५	...
सिक्किम स्टेट	८७९२०	५९०१४	३०४५८	...	...
संयुक्त प्रान्तीय राज्य	८३२०३६	८८२०९७	७९२४९१	७४१७५०	६३८७२०

भारतीय लोक संख्या।
(जातियों के अनुसार)

जाति	मनुष्य	
	१९२१	१९११
अहीर	९,०३२८६१	९४८११९४
अरांय	१,११९४८६	९९८२२२
भन	१,१६७३७३	१२६४३७९
बागदी	८९५३९७	१०१५७३८
बालीजा	१,०४२०९७	१०४१२४६
बलोच	१,३२४०५३	१३३४७३६
बनिया	२,७२६,००७	२०८५४२७
बन्जारा	६५१९२७	८६६०२०
बढ़ई	९६९०४७	१०३३८७९
भील	१७९५८०८	१५९०६९०
ब्राह्मण	१४२३४९९१	१४५६८४७२
बर्मीज (ब्रम्हदेश)	८३७०१५२	७६४३७४२
चमारा	११२२४५५७	११४४८७८६
चुहरा	११४६७७९	१२५४१५०
धोबी	२०२०५३१	२०२९४९५
दुसाध	११६७६८६	११८९२७४
फकीर	७९०७१४	८६५५११
गड़रिया	१२९९७७०	१३४०६३१
गोला	१४१६७५८	१५१५७९४
गोंड	२९०२५९२	२९९५५९८
गूजर	२१७९४८५	२१९५१६८
हज्जाम	२९०५७२४	२९१२९२८
जाट	७३७४८१७	६८८७६५१
जुलाहा	२६९८१३२	२७१९६२३
काछी	१२२८५९०	१२८१५११
कहार	१७०७२२३	१७२६५४६
कलवर्त	२८११७५८	२७११९६०
काममा	११६०९८३	११२६०९१
कम्मलन	१२८८७११	१०४७५८१
कपू	३३११३२८	३३२७१७२
करेन	१०४२१३१	११०२६९५
कायस्थ	२३१२२३५	२१३३३१३
केवट	११५०४२७	११२९७९९
कोइरी	१६८०६१५	१७२६९७७

जातियों के अनुसार भारतीय लोक संख्या (चालू)

जाति	मनुष्य	
	१९२१	१९११
कोली	२४९९०१४	३१६४९६८
कोरी	८३७०२५	९०००६२
कुम्हार	३३५३०२९	३४२३९४२
कुनवी	३१९४६९४	४५१२१८२
कुरमी	३५७४८०८	३७००७०९०
लिंगायत	२७३८२१४	२९६८४४०
लोधी	१६१६६६२	१७०३५५६
लुहार	१५४६३१३	१५१७५८७
कासर	७७९८८६	७८६४३१
मदिठा	१६८७८५७	१९२०४६२
महार	३००२५१६	३३२५७१२
माल	१९८६४१४	२०६७५२१
माली	१८७५६१०	१९३९८६९
मोपला	११०८३८५	१०४४५५७
मरहठा	६५६६३३४	४९७२९५४
मोची	९२३७१४	९२६४२६
नामशूद्र	२१७२८२३	२०८२५४७
नायर	१३११११२	११२७२६४
पाली	२८०९९६९	२८२०१६१
परायणां	२४०७३०९	२४४७३७०
पासी	१४८८५८२	१४६१९०२
पठान	३५४७८६८	३६२९५३४
राजबन्सी	१८१८६७४	१९१४८६३
कोच	३६०६०२	३६७१००
राजपूत	९७७२५१८	९४००८८५
सैयद	१६०१२४७	१५४४६२९
सन्थाल	२२६५२८२	२१२७८७८
शेख	३३३८७९०९	३१८५१०२८
सिंधी	८५८०५४	१६९७४८६
सुनार	११३७६११	११८०३२४
तेली	४१५९४७९	४१७८१४५
वक्कालीग	१३०२५५२	१३४६७५८
विलाला	२७१६३५९	२५११२२८२

भारत के अछूत।

आसाम	२००००००	पंजाब	१८९३०००
बंगाल	९००००००	यू. पी.	९००००००
बिहार और उडीसा	८००००००	बडौदा	१७७०००
बम्बई	२८०००००	सेन्ट्रल इंडिया	११४००००
मध्य प्रदेश और बरार	३३०००००	गवालियर	५०००००
मद्रास	६३७२०००	हैदराबाद	२३३९०००
मैसूर	९३२०००	राजपूताना	२२६७०००
ट्रावनकोर	१२६००००	जोड़	५२६८००००

भारत में हिन्दू (प्रान्तवार)

अजमेर मारवाड़	३६४३४१	अदन	३६९१
अंडमान और नीकोबार	८८८०	बरमा	४८६१५०
आसाम	४१३२९६८	मध्यप्रदेश और बरार	११६२२०४४
बिलोचिस्तान	३८६७३	कुर्ग	१२६६९७
बंगाल	२०२०६८५९	दिल्ली	३२५५५१
बिहार और उडीसा	२८१६६४५९	उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा,	१४९८८१
बम्बई प्रेसीडेन्सी	१४८१६२३६	पन्जाब	९३७८७५९
सिंध	८४१२६७	यू. पी.	२१५८८०४३

भारत के विद्यालय तथा विद्यार्थी

	विद्यालय		विद्यार्थी	
	१९२४	१९२५	१९२४	१९२५
आर्ट्स कालेज	१७०	१८५	५६,१८६	६२,५४३
प्रोफेशनल कालेज	६७	७४	१६,०८४	१७,२८६
हाई स्कूल	२,४२१	२,५३०	६७८,०६४	७१४,४३६
मिडिल स्कूल	६,९७७	७,५१९	७५०,१८८	८२६,७२२
प्राइमरी स्कूल	१६८,००४	१७५,५९६	६,९५४,७६४	७३०७,२६२
मुख्य स्कूल	६,६१७	७,७२३	२१७,३४४	२५५,१६२
अन्य स्कूल	३४,८३०	३४,६०२	६६२,६५१	६१०,९३३
जोड	२१९,११६	२२८,२२९	६,३१५,२८४	९७९७,३४४

भारत की लोक सन्ख्या धन्धों के अनुसार ।

धन्धे	मनुष्यों की गणना
भारत	३१६,०५५,२३१
चरागाह तथा खेती	२२६,०४५,०१६
मछली की शिकार तथा अन्य शिकार	१,६०७,३३१
खदानें, नमक की खदानें इत्यादि	५४२,०५३
उद्योग	३३,१६७,०१८
बुनाई (कपडे)	७,८४७,८२९
पोशाक	७,४२५,२१३
लकडी	३,६१३,५८३
भोजन पदार्थ	३ १००,३६१
सिरामिक्स	२,२१५,०४१
इमारत	१,७५३,७२०
धातु	१,८०२.२०८
केमिकल (रसायन) इत्यादि	१,१६४,२६३
चमडे की खाल (हाइडस) इत्यादि	७३१,१२४
अन्य तिजारत	३,४८३,६७६
ट्रान्सपोर्ट (पोस्ट व तार, व टेलीफून)	४,३३१,०५४
तिजारत	१८,११४,६२२
खाद्य पदार्थ	६,६८८,६८३
टेक्सटाइल तिजारत	१,२८६,२७७
बेंक, बीमा, इत्यादि	९९३,४९२
अन्य तिजारत	५,८४१,८७०
फौज और जल सेना	७५७,९५४
हवाई सेना	१,०३३
पुलिस	१,४२२,६१०
पब्लिक शासन प्रबन्ध	२,६४३,८८२
शिक्षित धंधे	५,०२०,५७१
धर्म	२,४५७,६१४
शिक्षक	८०५,२२८
वैद्य	६५६,५८३
अन्य	१,०९८,१४६
घरेलू नौकर	४,५७०,१५१
अन्य सर्व	१४,८३१,६३३

जन संख्या प्रांतों तथा राज्यों में निम्न लिखित हैं:—

प्रांत व राज्य	जन संख्या १९२१	जनता प्रति वर्गमील
भारत	**३१८९४२४८०**	**१७७**
प्रांत	२७०९५०४३३	१९६
अजमेर मारवाड़	४९५२७१	१८३
अंडमान नीकोबार	२७०७	९
आसाम	७९९०२४६	१३०
बिलोचिस्तान	७९९६२५	६
बंगाल	४७५९२४६२	५७८
बिहार और उड़ीसा	३७९६१८५८	३४०
बंबई	२६७५६४८	१४३
बर्मा	१३२१२१९२	५७
मध्यप्रदेश व बरार	१५९७९६६०	१२३
कुर्ग	१६३८३८	१०४
देहली	४८८१८८	८२३
मदरास	४२७९४१५५	२९७
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा	५०७५४७६	१३०
पंजाब	२५१०१०६०	१८३
संयुक्त प्रांत आगरा व अवध	४६५१०६६८	४१४
राज्य तथा एजेन्सी	**४७९९२०४७**	**११३**
बड़ोदा राज्य	२१२६५२२	८६२
सेन्ट्रल इंडिया (एजेन्सी)	५९९७०२३	११६
कोचीन राज्य	९७९०८०	६६२
ग्वालियर राज्य	३१८६०७५	१२१
हैदराबाद राज्य	१२४७१७७०	१५१
काश्मीर राज्य	३३२०५१८	३९
मैसूर	५९७८८९२	२०३
राज्यपूताना (एजेन्सी)	९८४४३८४	७६
सिक्किम राज्य	८१७२१	२९
ट्रावन कोर	४००६,०६२	५२५

सन् १९२१ में हिन्दू विधवाओं का ब्योरा (भारत)

अवस्था	संख्या	अवस्था	संख्या
०—१	५९७	५—१०	८५,०३७
१—२	४९७	१०—१५	२,३२,१४७
२—३	१,२५७	१५—२०	३,९६,१७२
३—४	२,८३७	२०—२५	७,४२,८९०
४—५	६,७०७	२५—३०	११,६३,७२०

भारत के गूंगे बहरे आदि।

रोग	संख्या तथा औसत प्रति १ लाख				
	१९२१	१९११	१९०१	१८९१	१८८१
पागल	८८३०५	८१००६	६६२०५	७४२७९	८११३२
बहरे व गूंगे	१८९६४४	१९९८९१	१५३१६८	१९६८६१	१९७२१५
अन्धे	४७९६३७	४४३६५३	३५४१०४	४५८८६८	५२६७४८
कोढी	१०२५१३	१०९०९४	९७३४०	१२६२४४	१३११६८
जोड	८६००९९	८३३६४४	६७०८१७	८५६२५२	९३७०६३

भारतीय स्त्री तथा लड़कियों के विद्यालय १९२४—२५

	विद्यालय		विद्यार्थिनी	
	१९२५	१९२४	१९२५	१९२४
आर्ट्स कालेज	१६	१४	१२००	११३८
प्रोफेशनल कालेज	७	८	१७३	१४९
हाई स्कूल	२३६	२३६	४३६९३	४२१२०
मिडिल स्कूल	२६८	६४८	७९०५१	७२४१६
प्राइमरी स्कूल	२४६७७	२३५७९	८५५३३७	८१७७०९
स्पेशल स्कूल	३०१	२८७	११०९३	१००८४
सामान्य विद्यालय	२५७५	२६६३	५५२९८	५७४१६
जोड	२८५१०	२७४२५	१०४५८४५	१००१०३२

शिक्षितों की संख्या (धर्मानुसार)

(प्रति एक हजार)

	पुरुष	स्त्री
जोरोस्ट्रयन	७८९	६७२
जैन	५११	७६
बौद्ध	४८४	९६
क्रिश्चियन	३०९	१८०
हिन्दू	११५	१४
सिक्ख	९४	१४
मुसलमान	८१	१७

संसार में शिक्षितों की संख्या

(सं० १९२४ प्रतिशत)

देश	पुरुष	स्त्रियाँ
इंग्लैण्ड	९३.४	९१.५
संयुक्त अमेरिका	९५.५	९३.०
डेनमार्क	१००.०	१००.०
जर्मनी	१००.०	१००.०
जापान	९८.०	९६.०
फिलिपाइन्स	७०.५	६१.०
फ्रान्स	९३.५	९४.०

भिन्न भिन्न देशों में जन संख्या के किस अनुपात में स्कूलों में बालक बालिकायें शिक्षा पा रहे हैं इसका ब्योरा इस प्रकार है—

जर्मनी	१९.५
इंग्लैण्ड	२९.२
फ्रान्स	२८.६
डेनमार्क	१५.४
ब्रिटिश भारत	३.२
जापान	१८.५
संयुक्त राज्य अमेरिका	१७.५

भारत में शिक्षितों की संख्या (प्रति १०००)

प्रांत व राज्य	प्रति हजार जन	प्रति हजार पुरुष	प्रति हजार स्त्रियाँ
भारत	८२	१३९	२१
आसाम	७२	१२४	१४
बिलोचिस्तान	४७	७६	७
बड़ौदा	१४७	२४०	४७
बङ्गाल	१०४	१८१	२१
बिहार और उड़ीसा	५१	९६	६
बम्बई	९५	१५७	२७
बर्मा	३१७	५११	११२
मध्यप्रदेश व बरार	४९	८७	९
कोचीन	२१४	३१७	११५
हैदराबाद	३३	५७	८
काश्मीर	२६	४६	३
मद्रास	९८	१७३	२४
मैसूर	८४	१४३	२२
उत्तर पश्चिमी-सरहदी सूबा	५०	८०	१०
पञ्जाब व देहली	४६	७६	९
ट्रावनकोर	२७९	३८०	१५३
यू. पी.	४२	७३	७

अंग्रेजी भाषा के शिक्षितों की सन्ख्या प्रति १०,०००

प्रान्त व राज्य	पुरुष	स्त्री
भारत	१६०	१८
अजमेर मारवाड़	३६४	५६
आसाम	१८९	११
बिलोचिस्तान	१८४	२५
बंगाल	३२९	२३
बिहार और उड़ीसा	७८	५
बम्बई	२३०	३७
बर्मा	१५५	३८
मध्य प्रदेश व बरार	८४	९
कुर्ग	३०१	६५
देहली	५६३	१०२
मद्रास	१९३	२३
उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबा	१६९	१५
पंजाब	११७	१२
यू० पी० (संयुक्त प्रान्त)	७३	१०
बड़ौदा राज्य	१५२	१०
कोचीन ,,	३५२	७१
गवालियर ,,	५६	२
हैदराबाद ,,	५५	१०
काश्मीर ,,	६८	३
मैसूर ,,	२०२	३३
सिकिम ,,	७०	३
ट्रावनकोर ,,	२४७	७८

भारत में जंगली जानवरों से मृत्यु । (सन् १९२५)

जंगली जानवर	मृत्यु	जङ्गली जानवर	मृत्यु
टाईगर (बाघ)	९७४	हिनाज	६
लेपर्ड (चीता)	१८१	अन्य जंगली जानवर	३८८
भेड़िया	२६५	जंगली सुअर	७३
रीछ	८२	अजगर	९८
हाथी	७८	सांप	१९३०८

जन्म और मृत्यु का औसत । (प्रति १०००)

प्रान्त	जन्म	मृत्यु	बच्चों की मृत्यु
दिल्ली	४१.६०	२९.६६	१९२.३५
बंगाल प्रेसीडेन्सी	२९.६	२४.९	१७६.१३
बिहार और उड़ीसा	३५.६	२३.७	१३७.७६
आसम	२९.०८	२२.५२	१७४.४५
संयुक्तप्रान्त	३२.७३	२४.७८	१७५.७१
पंजाब	४०.०६	२९.९७	१८७.७१
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	२६.६	१९.८१	१३९.१२
मध्यप्रदेश और बरार	४३.६०	२७.२७	२०४.४४
मद्रास प्रेसीडेन्सी	३३.७	२४.४	१८०.९४
	१८.८८	३०.८२	२१३.५६
बम्बई प्रेसीडेन्सी	३४.६६	२३.६६	१६२.९४
बरमा	२५.३८	१८.७५	१८९.९८
अजमेर मारवाड़	३३.१८	२३.५०	२०७.३५
ब्रिटिश इंडिया	३२.६५	२४.७२	१७४.४०

मुख्य रोगों से मृत्यु संख्या ।

रोग	मृत्यु संख्या
हैजा	११५६४२
सीतला	८५,९८६
प्लेग	११७,७१७
बुखार	३,६३६,२६४
पेचिस	२०८,९१२
रेसपिरेटरी रोग	३२६,५५७
अन्य रोग	१,४७७,३३७

बच्चों की मृत्यु संख्या
(मुख्य शहरों में)

शहर	मृत्यु संख्या
बम्बई	३५९
कलकत्ता	३२६
मद्रास	२७९
रंगून	३५२
हावड़ा	२९१
ढाका	२२२
पूना	६११
इलाहाबाद	२३९
नागपुर	२५८
दिल्ली	१८३
पुरी	४१९
लखनऊ	२६०
शिकारपुर	३२५
अहमदाबाद	३२३
करांची	२२२
सूरत	३३०
कानपुर	४२०
बनारस	२५३
जबलपुर	२५९
लाहौर	२२२

विदेशों में भारतवासी ।

विदेशों में भारतवासियों की संख्या इस समय लगभग २१ लाख है ।

दक्षिणी अफ्रीका में सबसे बड़ी संख्या है—अर्थात १५०००० है जिन में से १,३५००० भारती नेटाल में ११००० ट्रान्सवाल में और ७००० केप में है । मलाया में लगभग ५,००००० और जावा में करीब ३०,००० भारती हैं । बाली द्वीप में कुल जन समाज हिन्दू ही है और उसने अभी तक अपनी सभ्यता कायम रक्खी है ।

इंग्लैंड व आयरलैंड में लगभग १३६१ भारती विद्यार्थी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स अमरीका में ३१७५ भारती हैं ।

प्राचीन काल में भारत वासी व्यापार के लिये जलसंचार किया करते थे और सुमात्रा, जावा, अफ्रीका, अरब आदि देशों तक भारती जहाज जाया करते थे । श्रीयुत राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "हिस्टरी आफ इंडियन शिपिंग ऐन्ड मेरीटाइम ऐक्टिविटी" में जो सामग्री प्रकाशित की है उससे पता चलता है कि ३००० वर्ष ई० पू० भारत का समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था और भारत के ही बने हुये जहाजों में भारत की बनी हुई वस्तुयें जाया करती थीं । प्लिनी इतिहासकार ने भी इसी सम्बन्ध में लिखते हुये कहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार द्वारा भारत सारा सोना खींच रहा है । अनेक यूनानी, मुसलमान चीनी और अन्य विदेशी इतिहासकारों के लेखों से भी सिद्ध होता है कि भारतीय शासकों की सेना में जहाजी बेड़ा मुख्य अंग था और सब प्रकार के बड़े से बड़े लड़ाई और व्यापार के जहाज भारत में बनते रहे । सम्राट अकबर के पास भी बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था । बंगाल, कश्मीर, सिंध जहाजों के बनाने के लिये प्रसिद्ध थे । कुस्तुन्तुनिया के सुल्तान भी भारत में जहाज बनवाया करते थे (सीजर डि फेडरिची १५६५) । शिवाजी महाराज के पास भी काफी बड़ा जहाजी बेड़ा था ।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारतवासियों के लिये समुद्र यात्रा में कोई रुकावट न थी । किन्तु धीरे २ मुसलमानी काल में गृहयुद्ध के कारण तथा अन्य सामाजिक कारणों से समुद्र यात्रा हिन्दुओं के लिये निषिद्ध समझी जाने लगी ।

आधुनिक काल में जो भारतवासी अन्य देशों में पाये जाते हैं उन में से अधिकतर स्वयं अथवा उनके पूर्वज मजदूरी के लिये गये हुये हैं । ईसा की १९वीं शताब्दी के आरंभ में गुलाम प्रथा योरोपियन राष्ट्रों ने बन्द कर दी जिससे "मारीशस" आदि द्वीपों के योरोपियन शक्कर तैयार करने वाले व्यापारियों को

असुविधा होने लगी। इन्होंने भारत से मजदूरों की भरती करना आरम्भ किया और स० १८३४–३७ में लगभग ७०००, मजदूर भरती हुये। धीरे २ यह बात प्रगट होने लगी कि मजदूरों की भरती धोखेबाजी से की जाती थी। दलालों को प्रत्येक मजदूर पर कमीशन दिया जाता था। यह कुली प्रथा भारतवासियों के लिये अत्यंत अपमान कारक सिद्ध हुई। कुलियों में स्त्री पुरुष दोनों भरती किये जाते थे किन्तु स्त्री और पुरुष मजदूर अकेले ही यहां से भरती किये जाते थे उनके विवाहित भतार तथा पत्नियां साथ नहीं जाती थीं, इस कारण इन कुलियों में बड़ा व्यभिचार होता था। साथ २ यह बात थी कि स्त्रियों की संख्या कम होने से अनेक प्रकार के जुर्म भी कुलियों में हुआ करते थे। ५ साल का इकरारनामा होने से कोई कुली बीच में न लौट सकता था। मारीशस की देखा देखी ब्रिटिश गायना ने भी कुली भरती करना आरम्भ किये। १८३८ में मजदूरों की भरती कुछ काल के लिये बन्द हो गई और स० १८४०. में ब्रिटिश सरकार की एक जाँच कमेटी ने कुली प्रथा की बुराइयां प्रकाशित कीं इसपर जमैका, ब्रिटिश गायना और ट्रिनिडाड के सिवाय अन्य देशों के लिये भरती बन्द कर दी गई।

स० १८५८ में सेन्ट लूशिया सेन्ट विन्सेन्ट नेटाल और सेन्ट किट्स को मजदूरों की भरती खोल दी गई। स० १८७२ में सुरीनम को और १८७९ में ग्रेनैडा की भरती खुली। इसी समय में जांच कमीशन नियत हुआ जिसके कारण ब्रिटिश गायना के लिये कानून बनाया गया और वही ट्रिनिडाड को भी लागू किया गया।

स० १८९२ में कुली प्रथा की बहुत सी बुराइयां प्रगट हुईं और फिर कड़ा कानून बनाया गया। १ जुलाई १९११ में नेटाल को कुली भेजना बंद कर दिया गया। स० १९१५ में श्री० चिमनलाल और मि० मैकनील की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने सिफारिश की कि "प्रतिज्ञा बद्ध कुली प्रथा" बंद करदी जावे। स० १९१६ में सेक्रटरी आफ स्टेट ने यह सिफारिश पसंद करली। इस के पश्चात् एक्ट ७ स० १९२२ द्वारा विदेशों को मजदूरों का भेजना बन्द कर दिया गया। केवल उन देशों को भेजना कानूनी रक्खा गया जिसे एसेम्बली निश्चित करे।

विदेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार

उपरोक्त वर्णन से यह पता चलेगा कि विदेशों में प्रायः सभी भारती "कुलियों" की भांति गये। उन के पूंजीपति मालिक उन से अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते रहे। इस कारण सब प्रकार की असुविधायें भारतियों के लिये उपस्थित की गईं। व दक्षिणी अफ्रीका में भारतियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। "बोर युद्ध" के छिड़ने पर यह कहा गया था कि भारतियों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस के लिये ब्रिटिश जाति

उठ रही है। लार्ड लैन्सडाउन ने भी यही विचार प्रगट किये कि ट्रान्सवाल रिपब्लिक का जो व्यवहार भारतियों के प्रति है वह अत्यन्त खराब है। युद्ध के बाद जब यही ट्रान्सवाल भारत साम्राज्य का भाग बन गया तब भी भारतियों की दशा न सुधरी। भारतियों के स्वत्वों का अस्तित्व ही न रहा। इस पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरम्भ किया और अनेक वर्षों तक जारी रक्खा अन्ततः सन् १९१४ में एक संधि हुई जिसे "गांधी-स्मटस" सन्धि कहते हैं जिससे कुछ दिन शांति रही। श्री० गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिणी अफ्रीका गये थे। इस संधि के बाद ही भारतीयों के विरुद्ध फिर से दक्षिणी अफ्रीका के गोरे निवासियों के विचार प्रगट होने लगे और भारतीयों को बड़ा कष्ट होने लगा।

भारत सरकार के उद्योग से सन् १९१७ व सन १९१८ की इम्पीरियल वार कान्फ्रेन्सों में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये तथा वहां उन्हें क्या अधिकार प्राप्त होना चाहिये इस पर चरचा हुई और साम्राज्य की नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये गये जिन में भारतीयों के जन्म सिद्ध नागरिक स्वत्वों पर जोर दिया गया।

इस के पश्चात स० १९२१ की साम्राज्य कान्फ्रेंस में फिर उपरोक्त स्वत्वों के मिलने की सिफारिश की गई।

स० १९२२ में श्री० श्रीनिवास शास्त्री भारत सरकार की ओर से आस्ट्रेलिया, केनाडा, और न्यूजीलैंड गये और स० १९२१ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स के प्रस्तावों के कार्य रूप में परिणित होने का प्रयत्न किया। स० १९२३ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स में भारतीय प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

डोमीनियन सरकारें जिनमें भारतीय आबादी है, तथा ब्रिटिश सरकार स्वयं केनया, उगान्डा फिजी आदि प्रदेश जिनमें भारतीय आबादी है, एक २ कमेटी बनावें जो भारत सरकार द्वारा बनाई हुई कमेटी से परामर्श करें और स० १९२१ के प्रस्ताव में अंकित समानता तत्व को शीघ्र से शीघ्र व्यवहार में लाने का उपाय सोचें।

यह राय कोलोनियल सेक्रटरी तथा डोमीनियन प्रधान मन्त्रियों ने (जेनरल स्मटस छोड़ कर) पसन्द किया। भारत सरकार ने मार्च स० १९२४ में एक कमेटी कीनया और फीजी में भारतीय सम्बन्धी प्रश्नों पर कोलोनियल आफिस के साथ विचार करने के लिये कायम की जिसके सदस्य इस प्रकार थे:—(१) जे. होम सिम्पसन (अध्यक्ष) (२) आगाखां (३) सर बी. राबर्टसन (४) दीवान बहादुर टी. रंगा चार्यर (५) के. सी. राय और आर बी यूबैंक (सेक्रटरी)।

७ अगस्त १९२४ को हौस आफ कामन्स में मि० जे० एच० टामस ने कोलोनियल आफिस का निर्णय बताया इन प्रयत्नों का फल कुछ अच्छा अवश्य हुआ।

स० १९२१ से १९२३ तक नेटाल में एक आर्डीनेन्स कौंसिल में पेश किया जाता रहा जो भारतियों को हानिकारक था। किन्तु यूनियन सरकार ने उसे स्वीकृति न दी। दिसम्बर स० १९२४ में नेटाल बोरो आर्डीनेन्स को दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने स्वीकृति दे दी इसी प्रकार नेटाल टौनशिप आर्डीनेन्स (३ स० १९२५) भी पास हुआ दोनों का परिणाम भारतियों के लिये बुरा था। भारत सरकार ने इन दोनों पर असंतोष प्रगट किया जिस पर कुछ शाब्दिक परिवर्त्तन किया गया। जुलाई स० १९२५ में एरियाज रिजर्वेशन ऐन्ड इमीग्रेशन ऐन्ड रेजिस्ट्रेशन बिल यूनियन एसेम्बली में पेश किया गया। यह बिल भारतीयों के ही खिलाफ था। नवम्बर सन १९२५ में भारत सरकार ने एक शिष्ट मण्डल भेजा जिसके सदस्य (१) जी. एफ पैडीसन (कमिश्नर आफ लेबर, मद्रास) लीडर (२) सैयद रजाअली और (३) सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी मेम्बर थे। श्री० जी. एल. बाजपेयी आई. सी. एस. सेक्रटरी। इसके प्रयत्नों से यह निश्चित हुआ कि यूनियन सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक कांफ्रेन्स होकर बिल में यथा योग्य परिवर्तन कर दिया जावे। दिसम्बर १९२६ में कांफ्रेंस होना निश्चित हुई जिस के लिये (१) सर मुहम्मद हबीबुल्ला लीडर, (२) जी. एल. कोरबेट (डिपटी लीडर) (३) श्री० श्रीनिवास शास्त्री (४, सर डार्सी लिंडसी (५) सर फीरोज सेठना (६) सर जार्ज पैडीसन और जी. एस. बाजपेयी (सेक्रटरी) भेजे गये।

इस कांफ्रेंस के फलस्वरूप भारतीयों के स्वत्वों की रक्षा के लिये एक एजन्ट जनरल भारत सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका में रहने लगा है। पहिले एजेन्ट श्री० श्रीनिवास शास्त्री नियत हुये अब श्री० के. वी. रेड्डी हैं।

उगांडा में भारतीयों को असुविधायें बहुत कम हैं। ब्रिटिश गायना में कोई कानूनी असुविधायें नहीं हैं परन्तु उस पर भी भारतियों को तकलीफ है। फिजी द्वीप में भारतीयों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अफ्रीका में भारतीयों को पहिले समानाधिकार थे और भारती "गोरी सभ्य जाति" के सदस्य समझे जाते थे किन्तु कुछ वर्षों से अफ्रीका के हाई कोर्टों ने भारतीयों को "असभ्य जाति" के सदस्य ठहराना आरम्भ किया है जिसके कारण उन्हें राजनैतिक तथा नागरिक स्वत्व प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई होती है।

इङ्गलैंड में भारती केवल विद्या-उपार्जन के लिये जाते हैं। भारतीय

पार्लीमेंट के मेंबर भी हो सकते हैं। जर्मनी में भी भारती विद्यार्थी हैं। संख्या बहुत कम है।

विदेशों में भारतवासी।

ब्रिटिश साम्राज्य।

देश	भारतीय जन संख्या
लंका (सीलोन)	७५००००
स्टेटस सेटिलमेंटस	१०४६२८
फेडेरेटेड मलाया स्टेटस	३०५२१९
ब्रिटिश मलाया	६१८१९
होंग कोंग	२५५५
मौरीशस	२६४५२७
सिचलीज	३३२
जिबराल्टर	५०
नाइगेरिया	१००
कीनिया	२२८२२
उगान्डा	५६०४
रोडेशिया	३६००
नयासालेंड	५१५
जन्जीवार	१२८४१
टेन्गानीका राज्य	९४४१
जमैका	१८४०१
ट्रीनीडाड	१२१४२०
ब्रिटिश गायना	१२४९३८
फिजी द्वीप	६०६३४
बसूटोलेंड	१७९
स्वाजी लैंड	७
उत्तरी रोडेशिया	५६
दक्षिणी रोडेशिया	१२५०
केनाडा	१२००
आस्ट्रेलिया	२०००
न्यूजी लैंड	६०६
नैटाल	१४१३३६
ट्रान्सवाल	१३४०५
केप कोलोनी	६४९९
ओरेन्जफ्रीस्टेट	१००
न्यूफाउन्ड लैंड	६००
जोड़	२०३४४४१
यूनाइटेड स्टेट अमरीका	३१७५
मैडागास्कर	५१७२
रियूनियन	२१९४
डच ईस्ट इन्डीज	५००००
सुरीनम	३४९५७
मुजम्बिक	११००
फ्रांस	३८२७

वर्तमान हिन्दी साहित्य ।

अनंत कुमार जैन—सेवा धर्म

अंबिका प्रसाद व्यास—पावसपचासा

अयोध्यासिंह उपाध्याय—अधखिला फूल देवबाला, ठेठ हिन्दी का ठाठ, काव्योपवन, प्रियप्रवास

अर्जुनलाल सेठी बी. ए.—महेन्द्र कुमार

ओंकार नाथ वाजपेई—कन्यादिनचर्या

ओंकार नाथ शर्मा—बालविनोद

इन्द्र, प्रो०—राष्ट्रोंकी उन्नति,

ईश्वरदास जालान—लिमिटेड कम्पनियां

ईश्वरी प्रसाद शर्मा—कर्म क्षेत्र

उग्र बेचन शर्मा—चाकलेट, चिनगारियां दिल्ली का दलाल, दोजख की आग

उदयवीर शास्त्री—कौटिल्य अर्थ शास्त्र

उमादत्त शर्मा—भारतीय देश भक्तों की कारावास कहानी

ऋषीश्वर नाथ भट्ट—स्त्रियों की पराधीनता

कन्हैयालाल जी सेठ—काव्य कल्पद्रुम

कन्हैया लाल पोद्दार — अलंकार प्रकाश

कस्तूर चन्द बाडिया—व्यापारी पत्र

कस्तूरीमल बाडिया—कम्पनी व्यापार प्रवेशिका

कामता प्रसाद—हिन्दुस्तानी शिष्टाचार

किशनचन्द—हमारा देश

किशोरी लाल गोस्वामी—पंच पराग पंच पल्लव, पंच पुष्प, पंच मञ्जरिका, पंच कलिका, रजिया बेगम, राजकुमारी

कुन्दनलाल गुप्त—व्यवहार

कृष्णकांत मालवीय—सुहागरात

कृष्णकुमारी—गुप्तसन्देश

कृष्णगोपाल माथुर—भिन्न २ देशों के अनोखे रीति रिवाज

कृष्णानंद गुप्त—गीता रहस्य [बंगला से अनुवाद]

कृष्णलाल शर्मा—जननी जीवन

कृष्ण बिहारीमिश्र—देव और बिहारी, मति राम ग्रन्थावली

कैलाश चन्द्र भटनागर—विदूषक

खूबचन्द सोधिया बी. ए. — सफल गृहस्थ

गणपत राय अग्रवाल—खूनी इतिहास

गणेश दत्त गौड (इन्द्र)—सन्तान-शास्त्र

गणेश शंकर विद्यार्थी—बलिदान

गणेश दत्त शर्मा—भारत में दुर्भिक्ष

गयाप्रसाद शुक्ल (सनेही त्रिशूल)—त्रिशूल तरंग, कृषक क्रन्दन, कला में त्रिशूल
गयादत्त त्रिपाठी—लाख की खेती
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री — प्रणयी माधव
गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए—आस्तिक-वाद, विधवा विवाह मीमांसा
गंगानाथ झा०—डाक्टर वैशेशिक दर्शन
गंगाप्रसाद बी. ए—हिन्दी शेक्सपियर
गिरजा कुमार घोष—गल्पलहरी नारी रत्नमाला, होमरगाथा, नारीउपदेश
गिरधरदास—कुन्डलिया
गिरधर शर्मा—भीष्म प्रतिज्ञा (नाटक) व्यापार शिक्षा
गुलाबराय एम. ए.—कर्त्तव्य शास्त्र नवरस सौंदर्यचित्रावली, सुनहरी नदी का राजा
गोकुल चन्द शर्मा—जयद्रथवध नाटक तपस्वी तिलक
गोपाल चन्द शर्मा — तपस्वी तिलक जयद्रथवध
गोपाल नरायण सेन सिन्हा— ग्रह शिल्प
गोपाल राम—गोवर गणेश संहिता
गोपाल राम गहमर—मायावी, डबल जासूस आदि
गोपाल स्वरूप भार्गव — मनोरंजक रसायन
गोपी लाल वैद्य—मनुष्यों का अहार
गोविंद वल्लभ पन्त — कन्जूस की खोपड़ी
गोविन्दसिंह—इतिहास गुरुखालसा
गौरीशंकर ओझा—अशोक की धर्म लिपियां
चन्डी चरन सेन—महाराज नन्दकुमार को फांसी.
चन्डीप्रसाद बी. ए. (हृदयेश)— मंगल प्रभात, वनमाला, नन्दिननिकुन्ज
चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा—शब्दार्थ पारिजात, बालोपयोगी ग्रन्थ माला
चतुर सेन शास्त्री—सत्याग्रह और असहयोग.
चन्दराज भंडारी—हरफन मौला, नैतिक-जीवन.
चन्द्रशेखर पाठक—पंजाब का भीषण हत्या कान्ड
चन्द्र शेखर शास्त्री — वीरोपाख्यान, वाल्मीकीय रामायण.
चौधरी हरी रामसिंह—कृषिकाव
छविनाथ पांडे—व्यापारदर्पण, कर्मयोग
छेदीलाल एम. ए.—एशिया निवासियों के प्रति यूरोपियनों का वर्ताव
जगन्नाथप्रसाद शुक्ल—रसायन विज्ञान भारत वर्ष का अरवाचीन इतिहास
जगन्नाथ खत्री—अमेरिका का व्यवसाय
जनार्दन भट्ट एम. ए.—संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ
जगतमोहन वर्मा—चीनी यात्री, ह्यूनसांग की यात्रा चीनीयात्रा, फाहयान की यात्रा
जमनादास मेहरा—नियत कसौटी
जयरामदास गुप्त—कलयुग का विचार' भक्त सूरदास

जयशंकर प्रसाद—विशाख (नाटक) अजातशत्रु
ज्वालादत्त शर्मा—भवभूति
जहूर बख्श—मनोहर ऐतिहासिक कहानियां, मनोरंजक कहानियां समाज की चिनगारियां
जी श्रीनिवास चन्द्रदास—प्रतिभा
जी.पी. श्रीवास्तव—प्राणनाथ, मरदानी औरत [नाटक] गुदगुदी भड़ाम सिंह शर्मा नोंके झोंके, लंबी दाढ़ी साहब बहादुर
जी. एस. पथिक — अबलाओं पर अत्याचार.
झावरमल शर्मा—भारतीय गोधन
ठाकुर प्रसाद खत्री—जगत व्यापारिक पदार्थ कोष, सुघर दर्जिन
तोताराम सनाढ्य—फिजी द्वीप में मेरे २१ वर्ष
दयाचन्द्र जैन—शांति वैभव
दयाशंकर दुबे—भारत में कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, किसानों की कामधेनु
द्वारकाप्रसाद(रसिकेन्द्र)—आत्माभिमान सती सारन्धा, ज्ञात वास
दुर्गाप्रसाद खेतान—ज्योतिष शास्त्र
दुर्गाप्रसाद सिंह—कृषिकौमदी, खाद का उपयोग
देवकी नन्दन खत्री—चन्द्रकान्ता चार भाग चन्द्रकान्ता सन्तति चौबीस भाग, भूत नाथ बारह भाग, आदि
देवनरायण द्विवेदी—धर्म और जातीयता
देवीप्रसाद खत्री —रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा,

धर्मानन्द शास्त्री—उपयोगी चिकित्सा
नन्दकुमार देव शर्मा—महाराणा रंजीत सिंह, पत्रसम्पादन की कला
नाथूराम प्रेमी—विद्यार्थियों का सच्चा मित्र
नाथूराम शंकर शर्मा—अनुरागरत्न गर्भ रंडा रहस्य, वायसविजय
नाभादास—भक्तमाल
निष्कामेश्वर मिश्र—हिन्दी शार्ट हैंड
पंडा बैजनाथ—मनुष्य के कोष
पं० माखनलालचतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध (नाटक)
पदमलाल पन्नानाल बख्शी—प्रायश्चित्त
पद्मसिंह—बिहारी सतसई
पद्माकर—गंगा लहरी, जगत विनोद पद्माभरण
प्यारेलाल—सांख्य दर्शन
परमानंद जी स्वामी—दृष्टान्त सुधा
प्रताप नारायण मिश्र—चरिताष्टक, मन की लहर, निबंध नवनीत
प्रवासी लाल वर्मा—सूर्यराज,
प्रभूदयाल—योगदर्शन
प्रसिद्ध नारायण—हठयोगी
प्राणनाथ विद्यालंकार—सम्पत्ति शास्त्र, भारतीय अर्थ शास्त्र
प्रेमचन्द (श्री धनपतराय बी ए.)—अहंकार, नवनिधि, पंचपरमेश्वर, प्रेमप्रसून, प्रेम पच्चीसी, प्रेमाश्रम प्रेमपूर्णिमा, वरदान, रंगभूमि, मनमोदक, कर्बला (नाटक)
प्रो० कालीदास माणिक—राममूर्ति व्यायाम ६ भाग

जयशंकर प्रसाद—विशाख (नाटक) अजातशत्रु
ज्वालादत्त शर्मा—भवभूति
जहूर बख्श—मनोहर ऐतिहासिक कहानियां, मनोरंजक कहानियां समाज की चिनगारियां
जी श्रीनिवास चन्द्रदास—प्रतिभा
जी.पी. श्रीवास्तव—प्राणनाथ, मरदानी औरत [नाटक] गुदगुदी भड़ाम सिंह शर्मा नोंक झोंके, लंबी दाढ़ी साहब बहादुर
जी. एस. पथिक—अबलाओं पर अत्याचार.
झाबरमल शर्मा—भारतीय गोधन
ठाकुर प्रसाद खत्री—जगत व्यापारिक पदार्थ कोष, सुधर दरिजन
तोताराम सनाढ्य—फिजी द्वीप में मेरे २१ वर्ष
दयाचन्द्र जैन—शांति वैभव
दयाशंकर दुबे—भारत में कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, किसानों की कामधेनु
द्वारकाप्रसाद(रसिकेन्द्र)—आत्माभिमान सती सारन्धा, ज्ञात वाल
दुर्गाप्रसाद खैतान—ज्योतिष शास्त्र
दुर्गाप्रसाद सिंह—कृषिकौमदी, खाद का उपयोग
देवकी नन्दन खत्री—चन्द्रकान्ता चार भाग चन्द्रकान्ता सन्तति चौबीस भाग, भूत नाथ बारह भाग, आदि
देवनरायण द्विवेदी—धर्म और जातीयता
देवीप्रसाद खत्री—रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा,
धर्मानन्द शास्त्री—उपयोगी चिकित्सा
नन्दकुमार देव शर्मा—महाराणा रंजीत सिंह, पत्रसम्पादन की कला
नाथूराम प्रेमी—विद्यार्थियों का सच्चा मित्र
नाथूराम शंकर शर्मा—अनुरागरत्न गर्भ रंडा रहस्य, वायसविजय
नाभादास—भक्तमाल
निष्कामेश्वर मिश्र—हिन्दी शार्ट हैंड
पंडा बैजनाथ—मनुष्य के कोप
पं० माखनलालचतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध (नाटक)
पदमलाल पन्नालालबख्शी—प्रायश्चित्त
पद्मसिंह—बिहारी सतसई
पद्माकर—गंगा लहरी, जगत विनोद पद्माभरण
प्यारेलाल—सांख्य दर्शन
परमानंद जी स्वामी—दृष्टान्त सुधा
प्रताप नारायण मिश्र—चरिताष्टक, मन की लहर, निबंध नवनीत
प्रवासी लाल वर्मा—सूर्यराज,
प्रभूदयाल—योगदर्शन
प्रसिद्ध नारायण—हठयोगी
प्राणनाथ विद्यालंकार—सम्पत्ति शास्त्र, भारतीय अर्थ शास्त्र
प्रेमचन्द (श्री धनपतराय बी ए.)—अहंकार, नवनिधि, पंचपरमेश्वर, प्रेमप्रसून, प्रेम पच्चीसी, प्रेमाश्रम प्रेमपूर्णिमा, वरदान, रंगभूमि, मन-मोदक, कर्बला (नाटक)
प्रो० कालीदास माणिक—राममूर्ति व्यायाम ६ भाग

प्रो० नारायणप्रसाद—दूकानदार

प्रो० राधाकृष्ण झा—भारत की साम्पत्तिक अवस्था

प्रोफेसर रामकृष्ण शुक्ल —अमृत और विष अथवा मुगल दरबार रहस्य.

प्रो० लक्ष्मी चन्द—रंग की पुस्तक, आरोग्य विद्या, तन्तुकला, रोशनाई आदि, साबुन वारनिश और पेन्ट

बदरी नाथ भट्ट — तुलसी दास, दुर्गावती, वेन चरित्र चन्द्रगुप्त कुरूवनदहन किंगलियर आदि नाटक

बनारसीदास चतुर्वेदी—भारतभक्त ऐंडरूज फिजी में प्रतिज्ञा वद्ध कुली प्रथा, फिजी की समस्या हृदय तरंगें

बलदेव प्रसाद (दावदे)—राजा शिन

बंसीधर विद्यालंकार—मेरे फूल

ब्रजराज एम ए —मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई का पद्य संग्रह, कथा कादम्बिनी

बाबू राम विन्थरिया—हिन्दी काव्य में (नवरस)

बाबूलाल मय।शंकर दुवे—स्वप्न वासोदत्तग (हिन्दी)

बाबू श्याम सुन्दर दास—संक्षिप्त रामायण, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान

बालकृष्ण रेंगशे—महारानी लक्ष्मीबाई नत्थे खां युद्ध

बालकृष्ण भट्ट—साहित्यसुमन, सौसुजान एक अजाब, नूतन ब्रह्मचारी, शिक्षादान

बालमुकुन्द वाजपेई—गोरा चाम काले काम

विश्म्भरनाथ जिज्जा—रूप में युगान्तर

बिश्वेश्वरनाथ रेव—भारत के प्राचीन राजवंश ३ भाग

भक्तराम—रागरत्नाकर

भगवान दास केला—भारतीय शासन, भारतीय राष्ट्रीय निर्माण, भारतीय जागृति, देश भक्त दामोदर, भारतीय अर्थ शास्त्र, इत्यादि

भगवान दास बा०—समाज सगठन

भगवती प्रसाद वाजपेई—नवीन पद्य संग्रह

भाई परमानन्द—आपबीती, शिक्षा प्रणाली, हिन्दू संगठन, भारत रमणी रत्न, भारत माता का सन्देश

भानु—शीतला माता भजनावली, तुम्हीं तो हो।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—मुद्राराक्षस, भारत जननी, भारत दुरदशा, चन्द्रावली करपूर मन्जरी, विद्या सुन्दर, रत्नावली, सत्य हरिश्चन्द्र, वैदिकहिंसा हिंसन भवति, प्रेम योगिनी, दुर्लभ बन्धु, सुन्दरी तिलक, काश्मीर कुसुम

भास्कर राम चन्द्र भालेराव—मराठों का उत्कर्ष

मक्खन लाल खत्री—सुख सागर

मणिराम शर्मा—पाक विद्या

मतिराम—रजराज

मदारी लाल गुप्त—माणिक मन्दिर, सखाराम

मन्नन द्विवेदी—रामलाल, विनोद, कल्याणी

महर्षि दयानन्द सरस्वती—सत्यार्थ प्रकाश, वेदों के भाष्य तथा अन्य ग्रन्थ

महावीरप्रसाद द्विवेदी—बनिता विलास, नागरी भाषा, रसज्ञरंजन, महाभारत

महिधर शर्मा—गो रक्षा पद्धति

महेन्दुलाल गर्ग डा०—वृद्धावस्था दूर करने के उपाय, ऐलोपेथिक मेटीरिया मेडीका

महेश चरण सिंह—विद्युत शास्त्र

माधव राव सप्रे—गीता रहस्य, दासबोध (अनुवाद) जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के कुछ उपाय

माधव लाल शर्मा—योग चिकित्सा

माधव शुक्ल—महाभारत नाटक, भारत गीतांजली, जागृतभारत

मानकवि—राज विलास

मिश्रबन्धु—मिश्रबन्धु विनोद भारतवर्ष का इतिहास, भारत की प्राचीन झलक, भूषण ग्रन्थावली, भारत विनय

मुख्तयार सिंह—खाद

मुंशी देवीप्रसाद—जहांगीर नामा, कवि-रत्न माला

मुरलीधर शर्मा—शरीर पुष्टि विधान, आरोग्य शिक्षा

मेहता लज्जाराम शर्मा—आदर्श हिन्दू

मेहताब सिंह—भारतीय जेल,

मेहरचन्द—पन्चदशी, धर्मसिंधु,

मैथिली शरण गुप्त—चन्द्रहास (नाटक) भारत-भारती, जयद्रथवध, तिलोत्तमा (नाटक) प्लासी का युद्ध, शकुन्तला, रुबाइयात उमर खय्याम

मोहनचन्द करमचन्द गांधी—स्वाधीन-भारत, आत्मकथा (सत्य के प्रयोग)

मोहनलाल नेहरू—गल्पांजली

यदुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव—अपराधी

रघुकुलतिलक—घर और बाहर

रघुनाथ माधव भगाडे—हिन्दी ज्ञानेश्वरी

रमाशंकर अवस्थी—रूसकी राजक्रान्ति

राजकिशोर सिंह बी. ए.—हिन्दू सगठन

राजा शिवप्रसाद—प्रेमसागर, इतिहास तिमिर नाशक

राजेन्द्रसिंह जी—ग्रामों का सुधार

राधाकृष्ण दास—महाराणा प्रताप

राधावल्लभ वैद्यराज—रक्त

राधा मोहन गोकुलजी—मेजीनी

राधेश्याम कथावाचक—रामायण, महाभारत, वीर अभिमन्यु (नाटक) तुर्कीहूर (नाटक)

राम कवि और बेताव—पिंगलसार

राम किशोर मालवी—शैलकुमारी शान्ता

रामकिशोर शर्मा—यूरोप का इतिहास ३ भाग

रामचन्द वर्मा—भूकम्प सामर्थ समृद्धि और शक्ति

रामचन्द शर्मा—निहिलिस्ट रहस्य

रामचन्द्र शुक्ल—भगवानदीन,

बृजरत्न दास—तुलसी ग्रन्थावली

रामचरित उपाध्याय—उपदेश रत्नमाला, देवदूत, रामचरित चन्द्रिका, राम चरित चिन्तामणि, सूक्ति मुक्तावली

रामजीवन नागर—देशी बटन

रामदास गौड—रोम साम्राज्य

रामदीन मिश्र—साहित्य मीमांसा
रामनरेश सिंह ठाकुर—खनी, पौंडा, धान की खेती, गन्ना, ऊख, केसर की खेती
रामनरेश त्रिपाठी—पथिक मिलन, कविता कौमदी [चार भाग], हिंदी महाभारत
रामप्रसाद—मूंगफली की खेती आलू की खेती, गेंहू की खेती
रामेश्वर प्रसाद पांडे—देशी और विलायती
राम, प्रोफेसर—बोलशेविक की करतूत
रामेश्वर प्रसाद वर्मा—अस्तोदय
रामेश्वर प्रसाद शर्मा—निशोथ चिन्ता
रामयश प्रसाद—अभागी
रामलाल अग्निहोत्री—प्रेम प्रपन्च
रामलाल पांडेय—महारानी लक्ष्मी बाई का आत्म परिचय
रायकृष्णदास—साधना, सन्लाप
रामशरण लाल वर्मा—पाक प्रकाश
रुद्र नारायण—आदर्श भूमि चित्तौड़
रूपनारायण पांडे—भू प्रदक्षिणा
रामेश्वर भट्ट—मनुस्मृति, रामायण
लज्जाराम शर्मा—भारत की कारीगरी
लल्ली प्रसाद पांडे—'राय बहादुर'
लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी—पूर्ण संग्रह
लक्ष्मण नारायण गर्दे—सरल गीता हिंदुत्व
लक्ष्मण सिंह—हिन्दुस्तान गुलाम कैसे बना शकुन्तला

लक्ष्मीधर बाजपेयी—मेघदूत, पञ्जावात
लक्ष्मणसिंह—

लाला निवासदास—परीक्षा गुरु रणधीर प्रेम मोहिनी (नाटक)

लाला भगवानदीन—केशव चन्द्रिका, विहारी बोधिनी, वीर पन्चरत्न,
लाला लाजपतराय—भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास, मेजिनी, दुःखी भारत
लाला सीताराम—अपनी २ रुचि, आत्म माधव, जङ्गल में मगल, मृच्छकटिक, महावीर चरित्र, बगुला भगत, माल विकाग्नो, भूल भुलैयां, मनमोहन का जाल, आदि नाटक
लाला हरदयाल एम. ए.—अमृत में विष, जर्मनी और तुर्की में चवालीस मास
व्यायोग—निर्भय भीम, वारिदनाद वध
वृन्दावनलाल वर्मा—लगन, हृदय की हिलोर
विनायकराव नायक—काव्य कुसुमाकर
वियोगी हरि—योगी अरविंद की दिव्य वाणी, साहित्य विहार, कवि कीर्तन, प्रबुद्ध यमुना नाटक, विनय पत्रिका, तरंगिणी, वीर सतसई, श्री पद्म योगिनी नाटक, छत्रसाल ग्रन्थावली
विष्णुदत्त शुक्ल—नारी विज्ञान
विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक—चित्रशाला, संसार की असभ्य जातियों की नारियां, भीम नाटक
विश्वम्भरनाथ खत्री—लोकोक्ति कोष हीन
शिव प्रसाद गुप्त—पृथ्वी प्रदक्षिणा
शीतला सहाय बी. ए—हिन्दु त्योहारों का इतिहास, मनोरमा
शंकर राव जोशी—फौसल के जन्तु

शंकर प्रसाद मिश्र—बच्चों का जीवन सुधार
शारदा कुमारी देवी—गल्प विनोद
शिवचन्द्र जी भरतिया—विचारदर्शन
शिवनंदन सिंह ठाकुर—देशदर्शन
शिव नारायण मिश्र—अकाली दर्शन राष्ट्रीय विज्ञान
शिव शंकर मिश्र—भारत का धार्मिक इतिहास।
शिव सहाय चतुर्वेदी—सतीदाह
शुकदेव प्रसाद बाजपेयी—हारमोनियम मास्टर
शैलकुमारी देवी—उमासुन्दरी
श्रवणलाल—नारीउपदेश
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल — सेवा मार्ग
श्री चन्द्रमौल शुक्ल—मनो विज्ञान
श्रीमती उमानेहरु—मदर इन्डिया और उसका जवाब
श्रीधर पाठक—गोखले गुणाष्टक, एकान्तवासीयोगी, ऊजड़गाव, आराध्य शोकांजलि, मनोविनोद
श्री नगेन्द्र नाथ वसु—हिन्दी विश्वकोष (१४ भाग)
श्री पुरुशोत्तम दास लोइया—कुललक्ष्मी
श्रीमतीविद्यावती सहगल—पाकचन्द्रिका
श्रीसुख संपत्तिराव भंडारी—संसार की क्रान्तियाँ, जगतगुरु भारतवर्ष
श्रीमती स्फुरना देवी—अबलाओं का इन्साफ
सत्यदेव स्वा०—जातीय शिक्षा, हिन्दू संगठन का बिगुल, आश्चर्य जनक घन्टी, अफ्रीका के निर्धन विद्यार्थियों के परिश्रम
सत्यनारायण (कवि)—उत्तर राम चरित नाटक, मालती माधव
संतराम बी. ए.—एकाग्रता और दिव्य शक्ति
सबल सिंह—महाभारत
सम्पूर्णानन्द—सम्राटहर्ष वर्धन, अंतर राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रान्ति, चेत सिंह और काशी का विद्रोह, अकालियों का सत्याग्रह तथा विजय, भौतिक विज्ञान
स्वामी दयानन्द जी काशी—आर्य गौरव, नवीन दृष्टि में प्रवीण भारत, प्रवीण दृष्टि में नवीनभारत २ भाग सत्यार्थ विवेक ८ भाग
स्वामी राम तीर्थ—राष्ट्रीय सं देश, सफलता की कुंजी
सिया राम शरण—अनाथ, मौर्य विजय
सुन्दर लाल—सभ्यता, महारोग, भारत में अंग्रेजी राज्य
सुदर्शनाचार्य शास्त्री—संगीत सुदर्शन
सुशीला देवी निगम—दाम्पत्य जीवन, सफलमाता
सूर्यकान्ति त्रिपाठी—अनामिका
सूर्य कुमार वर्मा, ठाकुर—जर्मनी का विकास, बालभारत २ भाग
सूर्य नारायण शर्मा—हास्य रत्नाकर
सूरज भानु वकील—जीवन निर्वाह
सैयद अब्दुलमालिक बी.ए.—कृषिरंग
हनुमानप्रसाद जोषी—तमाखू से हानि

हृदयनाथ कुन्जरू—भारत में सरकारी नौकरियाँ

हरीदास मानिक—राजपूतों की बहादुरी २ भाग, भारत की प्राचीन झलक

हरिदास वैद्य—शृंगार शतक

हरिदास हालधार—कर्म पथ

हरी भाउ उपाध्याय—जीवन का सद्व्यय

हीरालालजी — गद्य कुसुमावली

हेमन्त कुमारी देवी—संक्षिप्त स्वास्थ्य रक्षा

समाचार पत्र।

हिन्दी।

दैनिक।

अर्जुन	देहली
आज	बनारस
कलकत्ता समाचार	कलकत्ता
भारतमित्र	,,
वर्तमान	कानपुर
विश्वमित्र	कलकत्ता
स्वतन्त्र	कलकत्ता
हिन्दू संसार	दिल्ली

साप्ताहिक।

अभ्युदय	इलाहाबाद
आर्य मित्र	आगरा
कमल	बरेली
कर्मवीर	खण्डुवा
क्रान्तिकारी	झाँसी
कैलाश	मुरादाबाद
गोरखा समाचार	देहरादून
जयाजी प्रताप	ग्वालियर
प्रताप	कानपुर
प्रेम प्रचारक	आगरा
बलिया गजट	बलिया
बङ्गवासी	कलकत्ता
भारत	इलाहाबाद
मतवाला	कलकत्ता
मल्हारी मार्तण्ड	इन्दौर
लोकमत	उरई
व्यंकटेश्वर समाचार	बम्बई
विश्वमित्र	कलकत्ता
श्रद्धानन्द	बम्बई
श्रीकृष्ण सन्देश	कलकत्ता
स्वाधीन	झाँसी
स्वदेश	पटना
स्वदेश	गोरखपुर
समालोचक	सागर
सैनिक	आगरा
हिन्द राजस्थान	झाँसी
हिन्दी नवजीवन	अहमदाबाद
हिन्दू पन्च	कलकत्ता

मासिक।

कादम्बरी	कानपुर
खिलौना	इलाहाबाद
चाँद	,,

बालक	लहेरियासराय
भ्रमर	बरेली
भूगोल	मेरठ
त्यागभूमि	अजमेर
मातृभूमि	झाँसी
मनोरमा	इलाहाबाद
मनोरंजन	कानपुर
माधुरी	लखनऊ
महारथी	देहली
विशाल भारत	कलकत्ता
शुद्धि समाचार	दिल्ली
सरस्वती	इलाहाबाद
सुधा	लखनऊ

उर्दू ।

दैनिक ।

जमीदार	लाहौर
वन्देमातरम	लाहौर
हमदर्द	दिल्ली

अर्धसाप्ताहिक ।

मदीना	बिजनौर

साप्ताहिक ।

अलहलाल	कलकत्ता
तेज	दिल्ली
प्रकाश	लाहौर
प्रताप	लाहौर
फरिश्ता	आगरा
मेहनतकश	लाहौर
रियासत	दिल्ली
सद्धर्म प्रचारक	अमृतसर

मासिक ।

कृति	लाहौर
नकृती	भोपाल
सूफी	लाहौर
हुमायूं	लाहौर

त्रैमासिक ।

औरंगाबाद	दक्षिण

अंग्रेजी ।

दैनिक ।

अमृत बाजार पत्रिका	कलकत्ता
इंडियन डेलीमेल	बम्बई
इण्डियन डेली टेलीग्राफ	लखनऊ
इंडियन नेशनल हिराल्ड	बम्बई
इंगलिशमैन	कलकत्ता
इवनिंग न्यूज आफ इण्डिया	बम्बई
ऐक्सप्रेस	पटना
जसटिस	मद्रास
टाइम्स आफ इण्डिया	बम्बई
ट्रीवन्ड्रम डेली न्यूज	ट्रीवन्ड्रम
ट्रीब्यून	लाहौर
डेली ऐक्सप्रेस	मद्रास
डेली गजट	करांची
न्यू अम्पायर	कलकत्ता
न्यू टाइम्स	करांची
न्यू लाइट आफ बर्मा	रङ्गून
नागपुर मेल	नागपुर
पाइनियर	इलाहाबाद
न्यू फोरवर्ड	कलकत्ता
बङ्गाली	,,
बम्बई क्रोनीकल	बम्बई

बसुमती	कलकता
बिलोचिस्तान हिराल्ड	क्वेटा
मद्रास मेल	मद्रास
मुसलिम कटक	लाहौर
रंगून गजट	रंगून
रंगून टाइम्स	„
रंगून डेली न्यूज	„
लीडर	इलाहाबाद
स्टेट्स मैन	कलकता
स्वराज्य	मद्रास
सिन्ध औवजरवर	करांची
सिविल एण्ड मिलीटरी गजट	लाहौर
हिन्दुस्तान टाइम्स	देहली
हिन्दू हिराल्ड	लाहौर
हिन्दू	मद्रास
प्रिंसली इन्डिया	देहली
फेडरेटेड इन्डिया	मद्रास
बर्मा औवजरवर	रंगून
बर्मा सन्डे टाइम्स	रंगून
बिहार हिराल्ड	पटना
मराठा	पूना
मातृभूमि	कालीकट
यंग इंडिया	अहमदाबाद
यूनाइटेड इन्डिया एन्ड इण्डियन स्टेटस	देहली
राजस्थान	देहली
सर्च लाइट	पटना
सर्वेन्ट आफ इन्डिया	पूना
हिन्दू पन्च	बम्बई
हिमालियन टाइम्स	देहरादून

साप्ताहिक।

इक्जामिनर	बम्बई
इन्डियन इन्जीनियरिंग	कलकत्ता
इन्डियन सोशल रिफार्मर	बम्बई
कमर्स	कलकत्ता
कलकत्ता म्यूनीसिपल गजट	कलकत्ता
केपीटल	कलकत्ता
गार्जियन	कलकत्ता
टाइम्स आफ आसाम	डिबरुगढ
ढाका गजट	ढाका
न्यू इन्डिया	मद्रास
न्यू बर्मा	रंगून
प्यूपिल	लाहौर

मासिक।

इंडियन रिव्यू	कलकता
करन्ट थौटस	मद्रास
कलकता रिव्यू	कलकता
कल्पक	टिनावेली
प्रबुद्ध भारत	कलकत्ता
बुद्धिस्ट इंडिया	कलकत्ता
मौडर्न रिव्यू	कलकत्ता
यंग थियोसोफिस्ट	बम्बई
लेबर गजट	बम्बई
वेदांत केशरी	मद्रास
वेलफेयर	कलकता
स्त्री धर्म	मद्रास

सन् १९२८ की परिषदें ।

१५ वीं इण्डियन सायन्स (विज्ञान) कान्फ्रेन्स

कलकत्ता—२ जनवरी १९२८

इस कान्फ्रेन्स के अनेक विभाग थे । एक २ विभाग के लिये पृथक २ सभापति था ।

गणित विभाग का उद्‌घाटन डा० डिम्रोफ ने किया और पृथ्वी के स्वरूप पर अपना भाषण दिया । आर्क-डीकन ग्रैट (कलकत्ता) ने हिमालय के आकर्षण पर लेख पढा ।

भूगर्भ विज्ञान विभाग के सभापति प्रो० एच सी. दास गुप्ता प्रेसीडेन्सी कालेज कलकत्ता थे । मि० डी. सी. नाग ने एक लेख गया जिले में टीन पदार्थ पाये जाने के सम्बंध में पढ़ा ।

मि० स्वामी नाथन ने एक लेख 'गारनेट' सम्बन्धी पढ़ा प्रो० कृष्णस्वामी तथा मि० जे. सी. गुप्ता ने इस तत्व के आर्थिक स्वरूप पर विचार किया ।

डा० एम० एस० गुप्त "एन्थ्रोपोलो-जिकल" विभाग (मानवजाति संबन्धी विज्ञान) के सभापति थे ।

मि० अशोक चटर्जी ने एक लेख इस विषय पर पढा कि भारत की असभ्य जातियों की रक्षा होनी चाहिये उन्हें नष्ट न होने देना चाहिये ।

ऐसे प्रस्ताव भी पास किये गये कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में जांच करावे और सायमन कमीशन भी इस पर विचार करे ।

कृषि विभाग के सभापति राव साहेब टी. एस. वेंकटरामन थे और "विद्युतशक्ति और कृषि" और "गन्ने के अन्शों पर विचार" पर ऐसे दो लेख पढे गये प्रो० जी. आर. परांजपे रायल इन्सटीट्यूट आफ सायन्स बम्बई ने रेडियेशन्स के उपयोग पर एक लेख पढा ।

"जूओलाजीकल (प्राणी) विभाग की सभा ४ जनवरी १९२८ को डा० बी. सुन्दरराज की अध्यक्षता में हुई ।

प्रो० एस. एस. भटनागर "रसायन विभाग" के अध्यक्ष थे इन्हों ने सर एलेकजेंडर पेडलर, सर पी. सी. राय, डा० एन. आर. धर, और सर जी. सी. बोष के कार्यों का उल्लेख किया ।

मनोविज्ञान [साइकोलोजी] विभाग के अध्यक्ष प्रो० वेस्ट थे ।

वनस्पति विभाग के सभापति प्रो० पार्थसारथी अयगर थे ।

ता० ७ जनवरी १९२८ को कांफ्रेंस समाप्त हुई ।

इण्डियन इकोनोमिक (आर्थिक) कान्फ्रेन्स ।

लखनऊ—३ जनवरी १९२८

मि० एम. एच. डार्लिंग की अध्यक्षता में हुई । डा० केमरोन स्वागताध्यक्ष थे ।

माननीय राय राजेश्वर बली

शिक्षामन्त्री यू. पी. सरकार ने संयुक्त प्रान्त की कृषि अवस्था पर व्याख्यान दिया।

मि० एम. एच. डार्लिंग ने अर्थ शास्त्र और समाज शास्त्र के सम्बन्ध पर भाषण दिया। डा० एच. सिन्हा ने सहकारी सभाओं द्वारा माल खरीदने के प्रबन्ध सम्बन्धी लेख पढ़ा। डा० जी. एस. सिंह (ढाका युनिवर्सिटी) ने सहकारी पद्धति से किसानों को लम्बी मियाद पर रहिन करने की सुविधा हो इस विषय पर लेख पढ़ा मि० पी.एन. बनर्जी कलकत्ता युनिवर्सिटी] ने किसानों को रुपये की मदद मिलना चाहिये इस सम्बन्ध में लेख पढ़ा।

कांफ्रेन्स की दूसरी बैठक में कृषि सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया गया। डा० राधाकुमद मुकर्जी ने नहर सम्बन्धी विचार पेश किये। मि० वी.एन गंगोली [ढाका यूनिवर्सिटी] ने दुहरी फसल व मि० भटनागर[इलाहाबाद युनिवर्सिटी] ने कृषि ज्ञान प्रचारार्थ फार्मों के उपयोग में चरचा की।

सामाजिक अर्थशास्त्र पर तीसरे दिन विचार हुआ रे० जेम्स केल्लोक बम्बई व मि० के. बी. माधव [मैसूर युनिवर्सिटी] ने इस विषय पर चरचा की।

सामुदायिक बीमा पर मि० डी. पी. मुकर्जी [लखनऊ युनिवर्सिटी] ने विचार प्रगट किये।

प्रिंसिपल फिन्डले शिरास ने सेंट्रल बैंक प्रश्न पर लेख पढ़ा।

आल इण्डिया विमेन्स (स्त्री) कांफ्रेंस (शिक्षा सुधार)

नई दिल्ली—७ फरवरी १९२८

मिसेज एस. आर. दास स्वागता अध्यक्ष और लेडी आयर विन ने सभा आरंभ की। सभा रायल सिनेमा हाल में हुई।

सरजान साइमन लार्ड बर्नहम, मिसेज नायडू, प्रिन्सेस बड़ौदा राज्य, रानी मन्डी, मिसेज के. सी. राय, मिसेज कोटमैन, मि० सरलादेवी चौधरानी, मिसेज नेहरू, सर मुहम्मद हबीबुल्ला, मि० खापर्डे, राजा सर रामपाल सिंह, मि० हरविलास शारदा प्राभृति मंडली उपस्थित थी।

बेगम [माता] भोपाल सभा नेत्री थीं।

लेडी आयर्विन ने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा का सच्चा ध्येय यह होना चाहिये कि मानवी जीवन में वह सहायता दे। केवल ज्ञान प्राप्ति से कोई लाभ नहीं। माताओं का स्थान शिक्षा देने में बड़ा ऊंचा है उनके बाद शिक्षकों का स्थान है।

मिसेज नायडू ने कहा कि कम से कम स्त्री समाज द्वारा पूर्व और पाश्चात्य मिल गये हैं। स्त्रियों के सम्बन्ध में भारतियों के बड़े उच्च ध्येय हैं।

राजमाता बेगम भोपाल ने अपने भाषण में कहा कि स्त्री शिक्षा की असन्तोष जनक वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण यह है कि अभी तक कुल

प्रयत्न मर्दों ने ही किये हैं। स्त्रियों को खुद करना चाहिये । परदा मुसलमानों के धर्म का अंग नहीं है।

मुख्य प्रस्ताव –(१) भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें देशी राज्यों की भाँति शादी की उम्र बढ़ा दें। (२) लड़कों की शादी की उम्र २१ साल और लड़कियों की १६साल कम से कमे रखना चाहिये । (३) अनिवार्य शिक्षा । (४) ऐसेम्बली में स्त्रियों के लिये २ स्थान सुरक्षित होना चाहिये। (५) स्त्रियों के प्रतिनिधि सब ऐसे शिक्षा बोर्डों में होना चाहिये जो प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करते है।

इण्डियन चेम्बर आफ कमर्स ।

कलकत्ता—१८ फरवरी १९२८

द्वितीय वार्षिक अधिवेशन (इण्डियन चेम्बर आफ कमर्स) ता० १८ फ़रवरी १९२८ को मि० डी. पी. खेतान की अध्यक्षता में हुआ।

उपस्थिति सज्जन कुमार चौधरी, ए. डी. भड़ी, सी. एस. रगा स्वामी, एन. एल. पुरी, कुमार कृष्ण कुमार, एन. सेन, एफ. एच. एचार्ड, हाजी अवदुल रज्जाक, अवदुल सत्तार, जे० एन० घोष, फैजुल भाई गञ्ज जी, आर. सीताराम, जी. एल. मेहता, पी. एम. एन. मेहता, डबलू. सी. बनर्जी, ए. डी. माड गांव कर. हबीब मुहम्मद ई. पी. गजदर, राज शेखर बोस, आनन्द जी हरिदास, शिवकिशन भट्टर, फैजुल्ला भाई गञ्ज जी तथा मि० एम. पी. गांधी, (सेक्रेटरी)

श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ने सन १९२७ में भारतीय व्यापार की स्थिति को बताया। करेंसी (रुपया नोट आदि) की बनावटी ऊची कीमत से व्यापार को कितनी हानि पहुंचती है। आयात निर्यात के भारती व्यापारियों को बिलकुल लाभ नहीं हो पाता है। बेकारी बढ़ती जाती है । भारत यदि सोना खरीदता है तो अफ्रीका भी जलता है। बैंक आफ इग्लैंड भी इस बात से बड़ा ही कुढ़ता है । भारत सरकार सदा से भारतीय रुई के उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही करती रही है और भारत के हितों का कभी ख्याल नहीं किया है।

वार्षिक रिपोर्ट १९२६--२७ व हिसाब पेश किये गये जो पास हुये। इसके पश्चात१९२८--२९ के लिये कमेटी बनाई गई। (१) प्रेसीडेन्ट मि०डी.पी. खेतान (२) सीनियर वाइस प्रेसीडेण्ट मि० फैजुल्ला भाई गंग जी, वाइस प्रेसीडेण्ट शिवकिशन बट्टर।

आल इण्डिया डिप्रेसड क्लासेज (दलित जातियों की) कांफ्रेंस।

नई दिल्ली—२६ फरवरी १९२८

राव बहादुर एम.सी. राजा अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा कि ६ करोड़ मनुष्यों की उन्नति के लिये यह कान्फ्रेंस काम कर रही है। जो आदि हिन्दू (अछूत) हैं वही इसमें शामिल होवें क्योंकि बहुतसे लोग सरकार से लाभ

बढाने के लिये खुद को आदि हिन्दू बताने लगते हैं। प्रश्न यहहै कि मोंटेग्यू चेलम्स फोर्ड ने आदि हिन्दुओं को सुखी नहीं किया है और जो भारत-वासियों के प्रतिनिधि कहलाते हैं उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ है। सायमन कमीशन से आदि हिन्दू अवश्य सह-योग करेंगे। व्यवस्थापक सभाओं में दलित जातियों को प्रतिनिधि होना चाहिये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) राजभक्ति (२) कमीशन में दलित जातियों का सन्तोष और स० १९२९ के पहिले कमीशन की नियुक्ति पर धन्यवाद। सर जान सायमन को चाहिये कि दलित जातियों के लिये कौंसिलों व एसेम्बली में काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि रक्खें। एक कमेटी भी नियत की गई जो कमीशन के सामने अपनी मांगें पेश करने के लिये सामग्री जमा करे। (३) सरकार से अनुरोध किया गया कि अछूत जातियों के लिये प्रतिनिधित्व अलग कर दिया जावे। (४) कार्य कारिणी कौंसिलों में अछूत भी नियत किये जावें। (५) लेबर कमिश्नरों के अतिरिक्त "चीफ प्रोटेक्टर्स" अछूतों की रक्षा के लिये प्रान्तों में नियत किये जावें। (६) "मनुस्मृति" तथा "चमार नामा" (शेरखाँ लिखित) को सरकार जप्त कर लेवे। (७) अमरा-वती तथा अन्य स्थानों में सत्याग्रह से सहानुभूति।

आल इण्डिया हिन्दू महा सभा।

जब्बलपुर—८ अप्रैल १९२८

राय बहादुर मथुराप्रसाद स्वागता-ध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि हिन्दू महा सभा का उद्देश्य शुद्धि, संगठन तथा अछूतोद्धार हैं।

श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर (सम्पादक केसरी) सभापति ने अपने भाषण में अनेक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किये। मुसलमानों की यह मांग बेजा नहीं है, कि संयुक्त चुनाव में उनके लिये कुछ प्रतिनिधि संख्या सुरक्षित कर दी जावे। टैक्स के अनुसार से मताधिकार होना चाहिये किन्तु हिन्दू इस बात पर तैयार हैं कि मुसलिमों को संख्या के अनुसार स्थान दे दिये जावें पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के सम्बन्ध में मेरी राय है कि पंजाब के साथ मिलाने में कोई हानि नहीं। किन्तु समझौते के तौर पर मैं उसे नहीं मान सकता। इसी प्रकार सिन्ध का पृथक्करण भी किया जा सकता है यदि उससे कुछ लाभ हो। मुसलमानों की यह मांग कि नौकरियों में भी उनको आबादी के अनुसार मिलना चाहिये, अनुचित है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) हिन्दू संगठन (२) शुद्धि (३) गोवा में शुद्धि आन्दोलन। (४) भावी राजनैतिक योजना। (५) प्रान्तीय समझौते। (६) बाजे का प्रश्न और पटुआ खाली सत्याग्रह से सहानुभूति। (७) अछूत उद्धार। (८) गोरक्षा। (९) भोपाल

के २८३ ए० दफा दण्डपद्धति का विरोध। (१०) आदि हिन्दू आन्दोलन से सावधान रहना।

बम्बई प्रान्तीय युवक कांफ्रेंस।

बम्बई--२१ जनवरी १९२८

मि० आई. के. याज्ञिक स्वागताध्यक्ष ने कहा कि भारत का उद्धार युवकों के हाथ में है। उनका कर्तव्य है कि जनता को तैयार करें और ग्रामों में जाकर ग्रामनिवासियों को संगठित करें।

मि० के. एफ. नरी मैन सभापति, ने इस बात पर जोर दिया कि जिस प्रकार मिश्र देश के विद्यार्थियों ने अपने देश की इज्जत रखली और मिलनर कमीशन का बायकाट सफल कर दिया उसी प्रकार भारत के विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि भारत की इज्जत की रक्षा करें। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि सायमन कमीशन का बायकाट सफल बनावें।

मुख्य प्रस्ताव—(१) सार्वजनिक शिक्षा, विद्यार्थी अपने हाथों में लेवें। (२) स्वयं सेवकों द्वारा ग्रामों की पाठशालाओं और वाचनालयों का निरीक्षण करें। (३) स्वदेशी वस्तु धारण करना और विदेशी वस्तुओं का बायकाट। (४) साम्प्रदायिक झगडे बन्द करके एकता स्थापित की जावे तथा साम्प्रदायिक पृथक प्रतिनिधित्व तोड़ दिया जावे। (५) बेकारी के लिये दफ्तर खोला जावे। (६) सायमन कमीशन का निषेध।

बंगाल प्रांतीय राजनैतिक कांफ्रेंस

वशीर हाट—७ अप्रेल १९२८

जे. एम. सेन गुप्ता (अध्यक्ष) ने अपने भाषण में भारत सरकार की दमन नीति पर कड़ी समालोचना की। शासन और समाज के ध्येय तथा उद्योग एक ही होने चाहिये। भारत सरकार कहती है कि भारतियों को दबाना चाहिये, वे बागी हैं। वे खून बहाना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। सरकारी दमन के कारण नवयुवक बेचैन हो रहे हैं। बेचैनी अत्याचारों से नहीं मिट सकती। देश निकाला, नजरकैद और बिना मुकदमे के गिरफ्तारी इन बेचैनी को अस्थाई रूप से दबा देवें किन्तु क्या यह बुराई (बेचैनी) जड़ से उखड सकती है। एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि "यदि किसी देश में आजादी की आग सुलग जावे तो शासन की ओर से किसी प्रकार का दमन उसे बुझा नहीं सकता"। हम अपना जन्म सिद्ध स्वातंत्र्य अधिकार चाहते हैं सन १९१७ में जो ब्रिटिश जाति ने वचन दिया था उसके अनुसार स्वातंत्र्य नहीं दिया भारत ने भी सुधारों को ठुकरा दिया। सन १९२१ में सरकार घबडा गई और रौंड टेबिल कानफ्रेंस करने के लिये बेचैन होने लगी। किन्तु महात्माजी को गिरफ्तार कर लिया और फिर कानफ्रेंस की बात तक न की। भारत इस पर भी शांत रहा। स्वराज्य पार्टी कायम हुई और कौंसिलों के भीतर लड़ने का कार्य क्रम अस्तित्व में आया। मि० जे. एम. सेन

गुप्ता ने हिन्दू मुसलमान दगों तथा सायमन कमीशन के वायकाट सम्बन्धी अपने विचार प्रगट किये। वालन्टियर सङ्गठन और विदेशी वस्तु वायकाट पर उन्हों ने जोर दिया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारत का ध्येय पूर्ण स्वातन्त्र्य है (२) सायमन कमीशन बायकाट (३) सर्व दल सम्मेलन को धन्यवाद (४) विदेशी कपड़े का बायकाट (५) चरखा का उपयोग (६) साम्प्रदायिक ऐक्य [७] शामनगाछी में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने पर असन्तोष।

पञ्जाब प्रांतीय राजनैतिक कांफ्रेंस

जलयानवाला बाग (अमृतसर)

११ अप्रेल १९२८

पं० जवाहिर लाल नेहरू ने अपने भाषण में पाश्चात्य औद्योगिक परिस्थिति बताते हुए कहा कि औद्योगिक उन्नति के साथ २ पूंजी पतियों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। योरप में पूंजी की महत्ता इतनी बढ़ी चढ़ी है कि सारी शासन की मशीन पूंजीपतियों के हाथ में आगई है। इस पूंजीवाद से ही साम्राज्य वाद उत्पन्न होता है। पुराने साम्राज्य में केवल विस्तृत प्रदेशों का भाव था अब उसके भाव में आर्थिक लूट भी शामिल हो गई है। इस कारण इम्पीरियलिज्म का विरोध करना सब का कर्तव्य है। इससे बचाने का एक ही उपाय दिखाई देता है कि धन व सम्पत्ति के उत्पन्न किये जाने तथा उसके विनिमय के सब साधनों का मालिक देश ही बना दिया जावे। अर्थात हमें समष्टिवाद (Socialism) को ग्रहण करना चाहिये।

इसके बाद सभापति ने आर्थिक परिस्थिति, स्वातन्त्र्य ध्येय, साम्प्रदायिक झगड़े, सायमन कमीशन वायकाट, मिल मालकों से सहयोग प्राप्त करने के उपाय आदि विषयों पर अपने विचार प्रगट किये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) हकीम अजमल खां की मृत्यु पर शोक (२) काकोरी के तथा अन्य राजनैतिक कैदियों से सहानुभूति (३) सरदार गुरुदत्त सिंह (कामागाटामारू के प्रसिद्ध वीर) की गिरफ्तारी पर बधाई (४) स्वातन्त्र्य ध्येय की स्वीकृति (५) महाराजा नाभा के प्रति सरकारी व्यवहार पर असन्तोष (६) जलियानवाला बाग के शहीदों की स्मृति में एक पत्थर लगाया जाय जिस पर सब शहीदों का नाम लिखा हो। (७) खद्दर प्रचार और विदेशी वस्तु वायकाट (८) कांग्रेस से सिफारिश की कि सब उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये ऐसा ध्येय रक्खा जावे।

बङ्गाल प्रांतीय हिंदुसभा कांफ्रेंस

मैमनसिंह—२१ अप्रैल १९२८

उपस्थिति— प्रसिद्ध उपस्थित सज्जनों में डा० मुञ्जे, भाई परमानन्द स्वामी सत्यानन्द, स्वामी विश्वानन्द, प्रो० पद्मराज जैन का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण आदि उपस्थित थे।

महाराजा भूपेन्द्रचन्द्र सिंह (सूसांग) निवासी स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि हिन्दू और मुसलमानों में मेल होना चाहिये।

महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तर्क-भूषण ने विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया और भारतीयों को प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाया और यह भी बताया कि प्राचीन काल में अन्य जातियों को हिन्दू धर्म में आने के लिये पूर्ण सुविधा थी। शक, यवन, हून तथा अन्य जातियाँ जो भारत में व्यापार अथवा अन्य कार्य से आईं वे सब हिन्दू बन गईं।

विषय निर्धारिणी सभा की बैठक में कुछ मेम्बरों ने यह आक्षेप किया कि इस सभा के लिये सदस्यों की नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है। सभा ने कुछ प्रस्ताव पास किये और कान्फ्रेन्स फिर आरम्भ होने पर सभापति को एक छपा हुआ नोटिस दिया गया कि विषय नियामक सभा दूसरी चुनी जावे। सभापति महोदय के प्रार्थना पर विरोधियों ने आक्षेप वापिस ले लिये।

श्रीयुत माखनलाल सेठ ने जबलपुर की हिन्दू महासभा द्वारा पास किया हुआ भावी राजनैतिक योजना सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। श्री० चारुचन्द्रराय ने एक संशोधन पेश किया। बा० सूर्य-कुमार सोम ने प्रस्ताव पेश किया कि कोई भी राजनैतिक प्रस्ताव कान्फ्रेन्स में न पेश हो। इस अवसर में श्री० तर्क भूषण जी थोड़ी देर के लिये चले गये और डा० सुनीति चटर्जी ने अध्यक्ष स्थान लिया। वाद विवाद में झगड़ा बढ़ गया। डा० मुन्जे प्रभृति सज्जनों के प्रयत्न से आपस में मिलाप होकर राज-नैतिक प्रस्ताव पर वोट नहीं लिया गया।

---

९ वीं महाराष्ट्र प्रांतीय कांफ्रेंस।

पूना—३ मई १९२८

श्रीयुत शिवराम महादेव परांजपे स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

श्री० सुभाषचन्द्र बोस सभापति ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कहते हैं कि लोकतन्त्री शासन पाश्चात्य देशों से ही उत्पन्न हुआ है और उन्हीं के लिये उपयोगी है। भारत के लिये उपयुक्त नहीं है किन्तु उनका यह कहना बिलकुल गलत है। मि० एच. पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक "हिन्दू पालिटी" में प्राचीन काल के ८१ लोकतन्त्री राज्यों की सूची दी है। प्रत्येक ग्राम में पंचायतें थीं और एक नगर श्रेष्ठी Mayor भी होता था।

भारतीय राष्ट्रीयता पर लोग आक्रमण करते हैं और कहते हैं कि अन्तर-राष्ट्रीय भावों के विरुद्ध है किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता सत्यम् शिवम् और सुन्दरम पर निर्भर है।

इसके बाद श्री० सुभाषचन्द्र ने हिन्दू मुसलिम दंगे, युवक आन्दोलन, स्वराज्य की पात्रता आदि प्रश्नों पर विचार प्रकट किये।

मुख्य प्रस्ताव—[१] बङ्गाल के कैदियों को छोड़ना [२] डा० सावरकर की असुविधाओं को दूर करना [३] बम्बई और शोलापुर मिलों के हड़तालियों से सहानुभूति और पुलिस द्वारा गोली चलाने पर असन्तोष [४] स्माल होल-डिन्गस विल [बम्बई कौंसिल] का विरोध [५] वारडोली सत्याग्रह से सहानुभूति [६] साइमन कमीशन वायकाट। [७] ब्रिटिश कपड़ों का वायकाट।

करांची युवक कांफ्रेंस।

करांची—२७ मई १९२८

प्रो० वस्वानी सभापति ने अपने भाषण में युवकों से प्रश्न किया, क्या तुमको स्मरण है? क्या तुम उसका—भारत, अपनी माता का—स्मरण अपने खाने, अपनी पोशाक, अपनी शिक्षा और दैनिक जीवन में रखते हो। बहुत से लोग बातों में उसका स्मरण करते हैं किन्तु कहीं बातों से किसी का कुछ काम बना है। स्वातन्त्र्य बातों में, खेल में, सुख में नहीं मिल सकता। शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता और शक्ति मौन रहने से बढ़ती है। आन्तरिक प्रतिज्ञाओं से राष्ट्र शक्तिशाली बने हैं। कागजी प्रस्तावों से नहीं। युवकों के लिये आश्रमों की आवश्यकता है। युवकों को मानसिक रीति से पुष्ट तो होना ही चाहिये किन्तु शारीरिक पुष्टता भी अत्यन्त आवश्यक है शरीर बनाना राष्ट्र बनाना है। युवकों को चाहिये कि भारत के तथा अन्य देशों के वीरों के जीवन चरित्र पढ़ा करें—भीष्म शिवाजी, पृथ्वीराज, हनुमान, मैकस्विनी गैरीबाल्डी, अब्रहम लिन्कन सरीखे वीरों की जीवनियां युवकों को पढ़ना चाहिये।

केरल युवक कांफ्रेंस।

पय्यनूर (जिला टेलीचेरी)—
२७ मई १९२८

मि० कोम्बरबैल स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

डा० वरदा राजुल नायडू सभापति ने कहा कि युवकों के सामने यह प्रश्न है, कि वे इस बात का निर्णय करें कि भारत स्वतंत्र हो जावे या विदेशी जाति के आधीन बना रहे हमारी आजादी और हमारी इज्जत खतरे में है। जाति प्रथा को दूर करो। ब्राह्मणों को और पंचमों को एक होकर काम करना चाहिये। राष्ट्रीयता ही तुम्हें वीर बनायगी।

मुख्य प्रस्ताव—[१] युवकों को चाहिये कि साम्प्रदायिक आन्दोलनों से अलग रहें और खुद को राष्ट्रीय धरती पर संगठित करें। [२] खद्दर धारण करना। [३] हिन्दुस्तानी सेवा दल में युवक प्रवेश करें।

आसाम युवक कांफ्रेंस।

नौगांव—११ जून १९२८

स्वागताध्यक्ष श्री० हलधर भूयन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

श्री० तरुणराम फूकन, अध्यक्ष ने अपने भाषण में युवकों को जाग्रत होने के लिये उत्साहित किया "मेरी उम्र ६० वर्ष की है तो भी देश के लिये प्राण देने के लिये तैयार हूँ"। असहयोग बन्द कर दिया गया है किन्तु उस का भाव अभी जीवित है। हिन्दुओं ने सदा अपने धर्म के बचाने के लिये असहयोग किया है। सायमन कमीशन का बायकाट पूर्ण रीति से होना चाहिये युवकों का सङ्गठन ही देश की आवश्यकता है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) अखाड़े और युवक सभायें प्रान्त भर में बनाये जावें (२) कार्यकारिणी कमेटी बनाई जावे।

यू. पी. पोस्टल (डाक) वर्कर्स कांफ्रेन्स।

बनारस—४ नवंबर १९२८

संयुक्त प्रान्त के डाकखानों के नीची श्रेणी के कर्मचारी पोस्टमैन आदि के यूनियनों की कांफ्रेंस श्री० तसद्दुकहुसैन शेरवानी एम. एल. ए. की अध्यक्षता में ता० ४ नम्बर १९२८ को हुई २० जिलों से प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राय साहेब एस. पी सान्याल प्रेसीडेन्ट बनारस यूनियन ने सब का स्वागत किया।

श्री० शेरवानी ने बताया कि लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने डाकखानों के कर्मचारियों की कुछ मांगें पूरी कर दी हैं और डायरेक्टर जनरल व मेंबर-इन-चार्ज भी सहृदयता से उनकी आवश्यकताओं की ओर देख रहे हैं।

डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल सभा में उपस्थित थे। उन्होंने भी भाषण दिया जिसमें अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की।

अनेक प्रस्ताव भी पास किये गये आगामी कान्फ्रेन्स के लिये लखनऊ का निमन्त्रण स्वीकार किया गया।

आगरा प्रांतीय जमीदार असोसियेशन।

वार्षिक जनरल मीटिंग।

मेजर डी. आर. रंजीतसिंह [आ० सेक्रटरी] ने अध्यक्ष स्थान लेने के लिये राजा सूर्यपाल सिंह साहेब [आवागढ़] से प्रार्थना की जिसका समर्थन होने पर राजा साहेब ने स्थान ग्रहण किया। अन्यान्य कमेटियों व सब कमेटियों की रिपोर्ट तथा हिसाब १३३६ फसली के पास किये गये।

एसोसियेशन की ओर से सायमन कमीशन के सामने पेश किया जाने वाला आवेदन पत्र स्वीकृत हुआ और राजा कालीचरण मिश्र [बरेली] कमीशन के सामने एसोसियेशन की ओर से गवाही देने के लिये चुने गये। राजा मोतीचन्द ने बीमारी के कारण यह कार्य स्वीकार न किया था।

आगरा प्राविन्स जमीदार एसोसियेशन कन्स्टीट्यूशन ऐक्ट (नं० २ सन १९२१) तथा सरकारी उपनियम पढ़े गये और यह बताया गया कि इस ऐक्ट

के पास होने के बाद ९५ जमीदार मेंबर बने हैं। राजा कुशलपाल सिंह के मिनिस्टर बनाये जाने पर सन्तोष प्रकट किया गया।

आगरा प्रांतीय हिंदू कांफ्रैंस।

इटावा—२७ अक्टूबर १९२८

लाला जोरावर सिंह स्वागताध्यक्ष ने उपस्थिति सज्जनों का स्वागत किया। ला० लाजपतराय सभापति चुने गये। लगभग ५००० सज्जन उपस्थिति थे।

ला० जोरावरसिंह ने मुसलमानों के उन प्रयत्नों का खण्डन किया जिनसे हिन्दुओं के साधारण नागरिक स्वत्वों की अवहेलना होती है जैसे मसजिद के सामने बाजा बजाना। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के शासन काल में भी जुम्मा मसजिद दिल्ली के सामने से हिन्दुओं की रामलीला बाजों के सहित निकला करती थी। इसी प्रकार स्वागताध्यक्ष ने हिन्दुओं को भी अछूतों के प्रति उनके दुर्व्यवहारों के लिये दोषी बताया।

ला० लाजपतराय ने कहा कि राजनीति में हिन्दुओं के मन्तव्य अन्य जातियों से भिन्न कोई भी नहीं हैं। भारत की स्वाधीनता ही एक मात्र लक्ष्य है जिसमें अन्य धर्मों के मनुष्यों को भी उजर न होना चाहिये। प्रत्येक जीवित जाति राजनीति अवश्य रखती है। हिन्दू महा सभा किसी भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं है। बहुमत अब यही है कि "लखनऊ पैक्ट" जिसमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का तत्व माना गया बड़ी भारी भूल थी। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीयता के विरुद्ध है। आल इण्डिया हिन्दू महा सभा की कार्य कारिणी कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट को २६ सितम्बर १९२८ वाली बैठक में पास कर दिया है अधिक हिन्दू इस रिपोर्ट के पक्ष में हैं। और मुसलमानों को भी रिपोर्ट से सन्तुष्ट होना चाहिये नेहरू रिपोर्ट में सच्चे लोकतन्त्री राज्य की रूपरेखा दी गई है और सभों को चाहिये कि नेहरू रिपोर्ट को पुष्ट करें।

ला० लाजपतराय ने सायमन कमीशन सम्बन्धी अपने विचार प्रगट करते हुये कहा कि कमीशन का बायकाट ही उचित है।

इसके पश्चात उन्होंने जाति प्रथा, अछूतोद्धार, व्यायाम आदि विषयों पर अपने विचार प्रगट किये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) नेहरू रिपोर्ट का समर्थन। (२) सायमन कमीशन बायकाट। (३) अछूतों को समानाधिकार (४) हिन्दू संगठन।

यू. पी, किसान मजदूर कांनफ्रेंस

झांसी---२९ अक्टूबर १९२८

सयुंक्त प्रांत की प्रथम मजदूर कानफ्रेंस झांसी में ता०२९, ३०, अक्टूबर १९२८ को श्रीयुत एस. एच. झाबवाला सेक्रटरी जी. आई. पी. रेलवे वर्कमैन्स यूनियन बम्बई की अध्यक्षता में हुई।

पं० कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया किसान और मजदूरों की बहुत बड़ी उपस्थिति थी । श्रीयुत लक्ष्मणराव कदम मन्त्री थे ।

श्रीयुत झाबवाला ने अपने व्याख्यान में मजदूरों, साधारण मजदूरों तथा किसानों की वर्तमान दुर्दशा का चित्र खींचा और बताया कि संगठन ही केवल एक मार्ग है जिससे किसान व मजदूर पूंजीपतियों पर विजय पा सकते हैं ।

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये गये ।

---

२२ वीं यू. पी. राजनैतिक कांफ्रेंस

झांसी—३० अक्टूबर १९२८

श्रीयुत र. वि. धुलेकर स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये कहा कि भारतवासियों का ध्येय पूर्ण स्वातंत्र्य है। सायमन कमीशन की नियुक्त से ब्रिटिश पार्लीमेंट ने भारत का अपमान किया है और ऐसे कमीशन का पूर्ण बायकाट होना चाहिये किन्तु दुःख यह है कि मीर जाफर और जयचन्द की सन्तान अभी तक नष्ट नहीं हुई है, और ऐसे भारतवासी अब भी हैं जो देश के साथ चलने पर तैयार नहीं।

पं० जवाहर लाल नेहरू सभापति ने अपने भाषण में भारत की हीन दशा का चित्र खींचा और कहा हमें अपने समाज का संगठन आर्थिक दृष्टि से करना चाहिये । समाज के भिन्न २ अङ्गों में ज़मीन आसमान का आर्थिक भेद होना देशके लिये कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता । हमारा ध्येय होना चाहिये कि इस आर्थिक असमानता को दूर करें। इस के हेतु हमें संचित धन आदि पर ऊंचे टैक्स लगाना चाहिये ।

उपस्थिति बहुत अच्छी थी । राष्ट्रीय झन्डा फहराने का समारम्भ बड़ी सुन्दरता से हुआ ।

कांफ्रेंस के साथ २ स्वदेशी वस्तु प्रदर्शनी भी थी जिसमें अनेक स्थानों से खद्दर, साबुन, चमड़े व लकड़ी की चीजें, बटन आदि वस्तुऐं आईं थीं । सरकारी कृषि विभाग ने अपने हल, और ४ पम्प भेजे थे । झांसी के छेदालाल का बनाया हुआ खेती को पानी देने का पम्प भी दिखाया गया ।

मुख्य प्रस्ताव—[१] पूर्ण स्वातंत्र्य ध्येय के आधीन नेहरू कमेटी का समर्थन [२] महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक बनाये जाने के प्रयत्न पर सन्तोष [३] कांग्रेस के पूर्ण स्वातंत्र्य ध्येय का समर्थन [४] उन जिला और म्युनिसिपल बोर्डों को बधाई जिन्होंने राष्ट्रीय झण्डा अपने दफ्तरों पर लगाया है । [५] बार्डोली को बधाई [६] सायमन कमीशन का बायकाट [७] अकाल पीड़ितों की सहायता [८] ग्राम संगठन ।

अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन

काशी—आश्विन कृष्ण १ सं० १९८५

श्री मज्जगद्गुरु शंकराचार्य मठ संकेश्वर [श्री शिरोलकर] की संरक्षता

में काशी में यह सम्मेलन हुआ। मदुगीर मठ के श्रीरामानुजाचार्य व श्रीनाथद्वार मठाधिपति श्री दामोदर लाल, नागे शास्त्री उप्पन बेटगिरि ।

पं० राजेश्वर शास्त्री, (काशी) मैसूर के म. म. विरूपाक्ष शास्त्री, बन्गाल के म. म. पं० चन्डीदास न्याय तीर्थ मिथिला देश के म. म. पं० शशि नाथ झा, पं० राम भवन उपाध्याय, पं० राजा राम शास्त्री, पं० नन्द किशोर भट्ट, म. म. पं० अनन्त कृष्ण शास्त्री, प० हारानचन्द्र शास्त्री प्रभृति विद्वान उपस्थित थे।

श्री दप्तरी को बैठने की इस कारण आज्ञा नहीं दी गई क्योंकि वे श्री० शंकराचार्य डा० कुर्त कोटि की ओर से आये थे जिन्हों ने मि० नैन्सी-मिलर की शुद्धि की थी।

इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुये वे प्रचलित प्रथाओं के अनुसार ही पास थे। अछूतोद्धार पुनर्विवाह, सहभोज प्रौढ़ विवाह आदि सब विषय अशास्त्र सिद्ध किये गये। अन्त्यजों से मुसलमान ऊंचे हैं ऐसी भी व्यवस्था दी गई। यवनादि जाति जन्म सिद्ध हैं । शुद्धि निशेधात्मक है।

विचार सभा सप्तमी तक हुई । अष्टमी को वेद भगवान की सवारी निकली। सम्मेलन की बैठकें आश्विन-बद्य ९, १०, ११, को महाराना दरभंगा की अध्यक्षता में हुई।

शारदा बिल पर निशेध प्रदर्शक व्याख्यान हुए।

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस झरिया बंगाल ।

२२ दिसम्बर १९२८

यह कान्फ्रेन्स बड़े समारोह के साथ झरिया बंगाल में मि० डाड की अध्यक्षता में हुई।

कई हजार मजदूर कांफ्रेंस में शामिल हुये। बंगाल में कोयले की खानों का झरिया बड़ा भारी केन्द्र है। कांफ्रेंस ऐसे स्थान में किये जाने का उद्देश्य मजदूरों में जाग्रति उत्पन्न करने का था।

प० जवाहरलाल नेहरू तथा राजनैतिक नेता गण उपस्थित थे।

मि० डाड ने अपने भाषण में मजदूरों की परिस्थिति बताते हुये संगठन पर जोर दिया।

इस कांफ्रेंस के कारण मजदूरों में राजनैतिक भावनायें उत्पन्न हो गईं।

मुख्य प्रस्ताव—(१) मजदूरों के संगठन को आवश्यकता (२) मजदूरी की असुविधायें।

सर्वदल सम्मेलन ।

कलकत्ता—२३ दिसम्बर १९२८

[नेहरू कमेटी रिपोर्ट]

सर्वदल सम्मेलन के कलकत्ते वाले अधिवेशन के पहिले सर्वदल सम्मेलन का पूर्व इतिहास देना आवश्यक है ।

गोहाटी की कांग्रेस (१९२६, के बाद ही से कांग्रेस सभापति ने हिन्दू मुसलिम समस्या पर विचार करने के लिये अन्य राजनैतिक नेताओं तथा कमेटियों

से पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया था। साथ २ लिबरल दल तथा मुसलिमों की ओर से इसी प्रकार के प्रश्न पर समझौता हो जाने के विचार भी प्रगट किये गये। २० मार्च १९२७ को कुछ मुसलमान नेताओं ने एकत्र होकर संयुक्त चुनाव मन्जूर किये किन्तु उसके साथ कुछ शर्तें लगाईं। इन शर्तों को "मुसलिम मांग" कहते हैं। मई १९२७ में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी वर्किंग कमेटी को एक स्वराज्य शासन विधान स्वत्वों की घोषणा के आधार पर तैयार करने के लिये प्रस्ताव द्वारा कहा। अक्टूबर स० १९२७ में फिर इस कमेटी ने एक प्रस्ताव हिन्दू मुसलिम एकता पर पास किया।

मद्रास कांग्रेस में प्रस्ताव द्वारा वर्किंग कमेटी को अधिकार दिया कि सब राजनैतिक पार्टियों से मिलकर स्वराज्य का मसौदा तैयार करे और विशेष कनवेनशन में,जिसकी बैठक मार्च में दिल्ली में हो,पेश करें।

वर्किंग कमेटी ने भारत के सब प्रकार की संस्थाओं को निमन्त्रण भेजा। इस निमन्त्रण के अनुसार सर्वदल सम्मेलन की पहिली बैठक १२ फरवरी १९२८ से २२ फरवरी १९२८ तक हुई। डा० एम. ए. अन्सारी सभापति चुने गये इस कांफ्रेंस ने एक कमेटी नियत की जो इन प्रश्नों पर रिपोर्ट देवे (१) शासन में दो सभायें होवें या एक (२) मताधिकार (३) स्वत्वों की घोषणा (४) मजदूर व किसानों के अधिकार। (५) देशी राज्य।

इस कमेटी ने रिपोर्ट दी और कान्फ्रेंस ८ मार्च सन १९२८ को दिल्ली में फिर बैठी। ११ मार्च १९२८ को कान्फ्रेंस ने दो कमेटियां नियत कीं और कान्फ्रेंस मुलतवी हो गई।

१९ मई १९२८ को बम्बई में कान्फ्रेंस हुई जिसने निम्नलिखित सज्जनों की एक कमेटी कायम की (१) सर अली इमाम (२) शुऐब कुरैशी (३) एम. एस. अणे (४) एम. आर. जयकर (५) जी. आर. प्रधान (६) सरदार मंगल सिंह (७) सर तेज बहादुर सप्रू (८) एन. एम. जोशी (९) सुभाषचन्द्र बोस (१०) पं० मोतीलाल नेहरू (अध्यक्ष) रिपोर्ट के लिये कमेटी को १ जुलाई तक का समय दिया गया किन्तु कार्य भारी था कमेटी उस समय रिपोर्ट न दे सकी।

कमेटी ने १० अगस्त १९२८ को रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट पर देश भर में खूब चर्चा हुई। इसके पश्चात लखनऊ में सर्वदल सम्मेलन की बैठक हुई जिसने अनेक प्रस्ताव पास किये और फिर कलकत्ता में रिपोर्ट पर तथा मुसलमानों और सिखों पर पूर्ण विचार हो ऐसा निश्चय किया गया।

दो प्रकार के मुख्य आक्षेप नेहरू रिपोर्ट पर हुये [१] नेहरू रिपोर्ट ने अपना ध्येय औपनिवेशक रक्खा इस

लिये स्वतन्त्रतावादी दल ने असन्तोष प्रगट किया । [२] मुसलमान दल ने इस बात पर असन्तोष प्रगट किया कि उनकी पूरी मांगे उन्हें नहीं दी गईं ।

सम्मेलन की बैठक ता० २२ दिसम्बर १९२८ को डा० एम. ए. अन्सारी की अध्यक्षता में आरंभ हुई । श्री० जे, एन. सेन गुप्ता ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया जो इस प्रकार है—"ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का शासन विधान ऐसा ही होगा जैसा कनाडा, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैन्ड, और आयर लैन्ड में है । इस शासन विधान के अनुसार भारत में एक पार्लीमेंट होगी जिसको अपने देश के लिये सुप्रबन्ध सुशासन और शांति के लिये कानून बनाने का अधिकार होगा । इस पर कार्य कारणी सभा पार्लीमेंट के प्रति उत्तरदायी होगी और यह भारत का प्रजातन्त्र राज्य कहलायेगा । श्री याकूब हसन ने समर्थन किया । मौ० मुहम्मद अली ने प्रस्ताव का विरोध किया । और कहा कि ध्येय पूर्ण स्वाधीनता होना चाहिये । साथ२ यह भी कहा कि मुसल-मानों के साथ न्याय नहीं किया गया ।

श्रीनिवास अय्यङ्गर ने एक बयान स्वतंत्रता वादियों की ओर से पढ़ा । श्री० सत्यमूर्ति ने इस विरोध का समर्थन किया । श्री जितेन्द्रलाल बनर्जी ने कहा कि एकता पर बहुत जोर न देना चाहिये ।

श्रीयुत विपिन चन्द्र पाल, श्री० सी. पी. राम स्वामी अय्यर, श्री० चिंतामणि सर अलीइमाम और मि० एनी बेसेन्ट ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

प्रस्ताव के विरुद्ध १५०० मेंबरों में केवल एक ही मेंबर था ।

अन्य प्रस्ताव—(१)नागरिक की परिभाषा में ब्रिटिश साम्राज्य के सब नागरिक रक्खे जावें इसके लिये कमेटी बनाई गई । [२] जमीन जायदाद की गारन्टी [२] शराब का बायकाट ।

२७—दिसम्बर १९२८

सम्मेलन की बैठक फिर २७-१२-२८ को हुई जिसमें मुसलमानों से परामर्श करने के लिये ३० प्रतिनिधि कान्फ्रेन्स की ओर से चुने गये ।

२८ दिसम्बर १९२८ ।

सब से पहिले यह प्रस्ताव पेश हुआ कि केन्द्रीय सरकार में मुसलमानों के प्रतिनिधि एक तिहाई होना चाहिये । यह प्रस्ताव बहुमत से गिर गया । जो कमेटी३० प्रतिनिधियों की ता०२७-१२-२८ को बनी थी उसने मुसलमानों को मांग सिक्खों की मांग, और बंगाली हिन्दुओं की मांग लिख कर पेश की ।

३० दिसम्बर १९२८ ।

३० दिसम्बर १९२८ को सिक्खों के कुछ मेंबर उठ कर चले गये । बाद को वाद विवाद होने पर सिक्खों की मांग भी बहुमत से गिर गई । ता० १ जनवरी १९२९को सम्मेलन मुल्तवी हो गया और आगामी तारीख निश्चित नहीं की गई ।

अखिल भारतीय मुसलिम शिक्षा कांफ्रेंस।

अजमेर—२६ दिसम्बर १९२८

माननीय जस्टिस डा० ऐस. एम. सुलेमान (जज इलाहाबाद हाईकोर्ट) की अध्यक्षता में आल इंडिया मुसलिम शिक्षा कानफ्रेंस हुई।

डा० सुलेमान ने अपने भाषण में कहा कि साधारण शिक्षा में धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिये मुसलमानों को चाहिये कि अपने लड़कों को अंग्रेजी शिक्षा जरूर दें। यह ख्याल, कि इस वजह से गुमराही विचार पैदा होते हैं सही नहीं हैं, मुफ्त और जबरिया तालीम से भी लाभ हो सकता है। सफाई, तनदुरुस्ती, कला कौशल की भी शिक्षा दी जानी चाहिये। मुसलमान मेंबर जो कौंसिलों में हैं वे बहुत कुछ कर सकते हैं यदि वे कुछ समय और मेहनत करें।

कांफ्रेंस ने उपर्युक्त प्रस्ताव पास किये।

---

१५ वीं अखिल भारतीय देशी ईसाई सम्मेलन

मद्रास—ता० २८ दिसम्बर १९२८

रे० मि० जे०सी० चटर्जी की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ।

मि० चटर्जी ने अपने भाषण में साम्प्रदायिक चुनावों के तोड़े जाने पर जोर दिया। नेहरू कमेटी रिपोर्ट की प्रशंसा की किन्तु यह राय प्रगट की कि देशी ईसाईयों के हितों की पूर्ण रक्षा नहीं की गई है। देशी ईसाइयों को राष्ट्रीय होकर भारतीय बनना चाहिये धार्मिक तत्व पर अन्य जातियों से लड़ना न चाहिये।

देशी ईसाइयों को सरकारी नौकरी ही पर निर्भर न रहना चाहिये अन्य कार्यों में जैसे व्यापार में भी प्रवेश करना चाहिये। दलित जातियों में से ईसाई अधिक हुये हैं यह बात गौरव की है न कि शरम की। ईसा मसीह को पवित्र करने की शक्ति की प्रशंसा होना चाहिये। ईसाई स्त्रियों ने भारतीय समाज की बड़ी सेवा की है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) सरकार से प्रार्थना की जावे कि ईसाई लोग भी फौज में भरती किये जावें। (२) पतित जातियों के सुधार में जो प्रयत्न सरकार करे उसमें पतित जातियों के ईसाइयों का भी ख्याल रक्खा जावे। (३) एक कमेटी बनाई गई जो ईसाइयों के विवाह कानून में क्या सुधार किया जावे इस पर विचार करे।

अखिल भारतीय सेवा दल सम्मेलन।

कलकत्ता—३० दिसम्बर १९२८

हिन्दुस्थानी सेवा दल कान्फ्रेंस का अधिवेशन श्री० सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री० बोस ने कहा—स्वयं संगठन की अत्यन्त आवश्यकता है। हिन्दुस्थानी सेवा दल कांग्रेस की संस्था है इस लिये कांग्रेस के नेताओं को चाहिये

कि इसे उत्साहित करें और लोक प्रिय बनावें। ऐसी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में अल्प संयम शीलता की आवश्यकता है। उनमें निर्भयता, साहस, वीरता, त्याग और बन्धुत्व का भाव होना चाहिये। मेरी यह कामना है कि इस देश में स्वयं सेवक संस्थाओं की वृद्धि हो, जिससे देश में स्वतन्त्रता का उदय शीघ्र हो।

स्वागताध्यक्ष श्री० नृपेन्द्र चन्द्र बनर्जी ने स्वय सेवकों को कांग्रेस भक्त बनने और पुलिस की लाठियों की मार खाने के लिये तैयार होने का उपदेश दिया।

लिबरल फिडरेशन

इलाहाबाद—३० दिसम्बर १९२८

नेशनल लिबरल फिडरेशन का अधिवेशन प्रयाग में श्री० चिमनलाल सीतलवाद की अध्यक्षता में हुआ। श्री० सी. वाई० चिन्तामणि स्वागताध्यक्ष थे।

श्रीयुत चिन्तामणि ने देश के कुछ नेताओं की मृत्यु (ला० लाजपतराय लार्ड सिन्हा) पर शोक प्रगट किया और सम्राट की बीमारी पर चिन्ता प्रगट की। उन्हों-ने अपना विश्वास औपनिवेशिक स्वराज्य तथा बैध आन्दोलन में जाहिर किया। सायमन कमीशन, पुलिस अत्याचार, हिन्दू मुसलिम प्रश्नों तथा नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर अपने विचार प्रगट किये।

सर चिमनलाल सीतल वाद ने अपने भाषण में सरकार को नेक सलाह देते हुये बताया कि अब भारत पुराना भारत नहीं है। भारत अब नाबालिग नहीं रहा अब वह अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध खुद करना चाहता है। कलकत्ते में इस समय जो कुछ हो रहा है उससे स्पष्ट है कि बेचैनी इस तेजीसे बढ़ रही है कि अगर सरकार वाजिबी ढगों से काम न लेगी तो इस बेचैनी में सब कुछ स्वाहा हो जावेगा। सरकार को चाहिये कि देर न करके तुरन्त स्वराज्य दे देवे।

मुख्य प्रस्ताव—[१] स्वराज्य की मांग और सरकार को चेतावनी (प्रस्तावक डा० तेजबहादुर सप्रू) [२] सांप्रदायिक प्रश्नों का फैसला जो नेहरू रिपोर्ट ने किया है उसका समर्थन। [३] देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन होना चाहिये तथा नेहरू रिपोर्ट के इस सम्बन्ध में विचारों का समर्थन। [४] श्री० चिन्तामणि व श्री० कुंजरू आगामी साल के लिये मन्त्री चुने गये। [५] आगामी अधिवेशन मद्रास में होगा।

अखिल भारतीय गो सम्मेलन

कलकत्ता—३० दिसंबर १९२८

पं० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस के अवसर पर गो सम्मेलन हुआ। स्वागताध्यक्ष श्री० कृष्ण-कुंअर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

मुख्य प्रस्ताव —[१] कसाई खानों

में गायों के मारे जाने की मनाई की जाय [२] नकली घी का प्रचार बन्द किया जावे [३] सरकार गो-पालन का काम करे। [४] गोशालायें खोली जावें और जमींदार व किसान इसमें सहायता दें।

सर्व दल मुस्लिम सम्मेलन ।

दिल्ली—३१ दिसम्बर १९२८

सर्वदल मुस्लिम सम्मेलन दिल्ली में ता० ३१ दिसम्बर १९२८ को सर आगाखाँ के सभापतित्व में हुआ।

६०० प्रतिनिधि और ३००० दर्शक उपस्थित थे। मुख्य उपस्थित सज्जन ये थे--इब्राहीम रहीमतुल्ला, सर ए. के. गजनवी, मुहम्मद सुहरावर्दी, सर जुल-फिकार अली खाँ, सर मुहम्मद शफी, सर मुहम्मद इकबाल, मलिक फीरोज खाँ नूर, नवाब मुहम्मद यूसुफ, मुहम्मद इसमाइल, सरदार सुलतान अहमद खाँ, मुहम्मद याकूब चौधरी, शफी दाऊदी, सैयद रजा अली।

स्वागत कारिणी के सभापति हकीम जमील खाँ, (हकीम अजमल खाँ के पुत्र) थे।

श्री० आगाखाँ ने सबसे पहिले सम्राट पंचमजार्ज की बीमारी के लिये चिन्ता प्रगट की। आगे चलकर उन्होंने कहा कि इस जमाने की तवारीख यह बतलाती है कि दुनिया में वे ही जातियाँ तरक्की करती हैं जिनकी नीति अपने देश के भले के लिये और सब लोगों को पसन्द होती है। अपनी जाति और देश की सच्ची हालत की भी जानकारी हासिल करना भी जरूरी है। हिन्दुस्थान के मुसलमानों के सामने ये दो बड़े अहद सवाल हैं—(१) साम्प्रदायिक चुनाव (२) गाय की कुरबानी।

साम्प्रदायिक चुनाव के मसले के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा तो काम इस मौके पर सिर्फ यह है कि कौंसिलों और एसेम्बली में मुसलिम जाति के सच्चे प्रतिनिधि पहुँच जावें जो अपने हितों की रक्षा कर सकें।

गाय की कुरबानी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इसलामी धर्म के अनुसार अनुचित है।

मुख्य प्रस्ताव—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया। सम्मेलन ने "एसेम्बली में ३३ प्रतिशत मेंबर मुसलमान होने चाहिये" ऐसी माँग का समर्थन किया।

---

४३ वीं इण्डियन नैशनल कांग्रेस

कलकत्ता—२९--३०-३१ दिसम्बर १९२८

२१ दिसम्बर १९२८ को प्रात काल प० मोतीलाल नेहरू मनोनीत सभापति राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता पहुँचे। उनके स्वागत के लिये स्वागत समिति के सभापति श्री० जे० एम० सेनगुप्ता, श्री० बी० के० भट्टाचार्या, श्री० सुभाष चन्द्र बोस के अतिरिक्त लगभग १ लाख मनुष्य प्लेटफारम के बाहर मौजूद थे।

पं० मोतीलाल जी को ३४ सफेद घोड़ों की गाड़ी में बिठलाया गया और शहर में जलूस निकाला गया।

राष्ट्रीय झन्डा।

राष्ट्रीय झन्डा ता० २२ दिसम्बर १९२८ को पं० मोतीलाल ने फहराया। और छोटे से भाषण में राष्ट्रीय झन्डे का मान रखना प्रत्येक भारतवासी का धर्म है ऐसा बताया।

कांग्रेस का कार्यक्रम।

इस कांग्रेस में विदेशों से बहुत संदेश आये। इंग्लैंड से युद्ध विरोधी अन्तर जातीय सभा के सभापति श्री फैनर ब्राकवे ने बड़ा उत्साह जनक सन्देश भेजा। डा० सुन्यत सेन की धर्म पत्नी का सन्देश चीन से आया। श्रीमती सरोजनी नायडू का न्यूयार्क से श्री. सकलतवाला का इंग्लैंड तथा अनेक संदेशे जर्मनी ईरान आदि देशों से आये।

श्री० जतीन्द्र मोहन सेन गुप्त स्वागताध्यक्ष ने ला० लाजपतराय की पुलिस द्वारा पहुची हुई चोटों के कारण मृत्यु पर शोक प्रदर्शित करते हुये कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं का अन्त कैसे किया जावे एकता ही इसका उपाय है। नेहरूकमेटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में उन्हों ने कहा कि उसे सब दलों को मान लेना चाहिये दल बन्दी न करना चाहिये। सहयोग करके हमने देख लिया कि सरकार ने हमें स्वराज नहीं दिया। स्वराज मिलने का केवल एक ही मार्ग है हम अपने पैरों पर खड़े हो जावें।

पं० मोतीलाल नेहरू का भाषण बड़ा प्रभावशाली था उन्होंने देश की परिस्थिति पर विचार सब दृष्टि से किया और व्यवहारिक दृष्टि से अब हमें क्या करना चाहिये यह भी बताया। अपने भाषण में उन्होंने कहा—राजनीति में आदर्श का स्थान है किन्तु वास्तविक स्थिति का ध्यान रखना चाहिये। कोरे आदर्शवाद से काम नहीं चल सकता।

हमारे सामने क्या काम है इसको समझने के लिए तीन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है (१) हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? [२] हमारा ध्येय क्या है? [३] हम अपने ध्येय तक कैसे पहुंच सकते हैं।

१—पहिले प्रश्न के दो पहलू हैं [क] सरकार के प्रति हमारी स्थिति। यह स्पष्ट है कि हमारी कुल स्वतन्त्रता व हमारे कुल अधिकार सरकार द्वारा दिए हुए हैं और उसी की मर्जी पर हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है इसका उदाहरण सायमन कमीशन है जिसे भारत नहीं चाहता। किन्तु सरकार ने उसे सिर पर लाद ही दिया। फिर [ख] हमारी स्थिति देखिये कि लाहौर आदि स्थानों में कितना अत्याचार हुआ तो भी हम कुछ कर नहीं सकते। लाहौर, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों में जो दुर्घटनाएं हुईं वैसी यदि दूसरे देशों में होतीं तो क्या हाल होता और सरकार कितने दिन कायम रहती। हमारी सामाजिक बुरा-

हुयी कितनी हैं, हमने राजनीति और धर्म को किस प्रकार मिला रक्खा है यह हमको देखना चाहिये।

[२] हमारा ध्येय क्या है, इस पर बिचार प्रकट करते हुये प० मोतीलाल ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट का "डोमीनियन शासन" पूर्ण स्वातन्त्र्य के विरुद्ध नहीं हो। पूर्ण स्वाधीनता के रास्ते में औपनिवेशिक शासन पड़ता है। डोमीनियन शासन नहीं मिला तो हमें पीछे नहीं लौटना पड़ेगा हमारा किया हुआ कुल काम सार्थक रहेगा।

[३] हमें क्या करना चाहिए, इस पर बिचार प्रगट करते हुए पंडितजी ने कहा कि मद्रास की कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी अन्य राजनैतिक दलों से मिलकर एक शासक विधान भारत के लिए बनावे। उसी प्रस्तावानुसार कमेटी के प्रयत्नों से सर्व दल सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का फल स्वरूप नेहरू कमेटी रिपोर्ट है। फिर क्या कारण है कि उसे स्वीकार न किया जावे। अन्य दलों के लोग यह मानते हैं कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता चाहिती है किंतु उनका यह कहना है कि औपनिवेशिक स्वराज्य तक वे साथ हैं जब वह मिल जावे तो आगे कांग्रेस जाना चाहे तो जा सकती है। इस शर्त पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्य दलों से सहयोग क्यों न करें।

अन्त में पण्डितजी ने ध्येय प्राप्ति के लिये एक कार्यक्रम बताया [१] सर्वदल सम्मेलन द्वारा साम्प्रदायिक मत भेदों का फैसले का प्रचार किया जावे (२) पतितों का सुधार [३] मजदूरों का सङ्गठन [४] ग्राम सङ्गठन [५] विदेशी वस्त्र बायकाट [६] शराब व अफीम के खिलाफ आन्दोलन [७] प्रचार कार्य।

मुख्य प्रस्ताव—[१] ला० लाजपतराय हकीम अजमल खां, ला० सिन्हा की मृत्यु पर शोक।[२ लाहौर में सायमन कमीशन जाने पर पुलिस अत्याचारों की निन्दा।[३] लन्दन और न्यूयार्क में जो कांग्रेस कमेटियां खुली हैं उनकी स्वीकृति तथा अफ्रीका और इगलैण्ड में और कायम की जावें इसकी सिफारिश। [४] कांग्रेस का विदेशी विभाग कायम किया गया जो उन देशों से सम्बन्ध रक्खेगा जो साम्राज्य वाद के कारण दुख उठा चुके हैं या उठा रहे हैं। [५] वर्किङ्ग कमेटी एक एशिया के देशों का संघ कायम करने का प्रयत्न करे और १९३० में एक सम्मेलन बुलावे। [६] चीन को बधाई [७] मिश्र, सीरिया, पैलेसटाइ और इराक से सहानुभूति। [८] लीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म से सहानुभूति। [९] वर्तमान भारत सरकार भारतीयों की प्रतिनिधि नहीं है। आगामी युद्ध में भारतीय साथ न देंगे। [१०] विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। (११) बारडोली के लोगों को तथा श्री० वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा तथा बधाई । [१२] सरकारी कामों का बहिष्कार।

[१३] देशी रियासतों में उत्तरदायी राज्य कायम हो। [१४] ५ बंगालियों के जेल में मृत्यु पर उनके परिवारों से समवेदना। [१५] महात्मा गांधी द्वारा पेश किये हुये स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्ताव का सारांश—देश की राजनैतिक स्थिति को देखते हुये यह कांग्रेस नेहरू कमेटी की तैयार की हुई शासन पद्धित को ३१ दिसम्बर १९२९ तक स्वीकार करती है अगर उस समय तक ब्रिटिश पार्लीमेंट ने उसे स्वीकार न किया या उसे इस तारीख से पहिले ही अस्वीकार कर दिया तो ऐसी दशा में कांग्रेस देश को इस बात के लिये तैयार करके कि सरकार को न तो टैक्स दिया जावे और न कोई और मदद दी जावे अहिंसात्मक असहयोग संगठन शुरू कर देगी।

नोट—इस प्रस्ताव पर श्री० सुभाष चन्द्र बोष ने संशोधन पेश किया कि पूर्ण स्वाधीनता ही हमारा ध्येय होना चाहिये जैसा मद्रास कांग्रेस ने पास किया। पं० जवाहिर लाल ने समर्थन किया।

वोट लेने पर संशोधन के पक्ष में ९७३ वोट और विपक्ष में १३५० वोट आये इस कारण मुख्य प्रस्ताव पास हुआ।

(१६) कांग्रेस कार्यक्रम।

मजदूर आन्दोलन ।

भारतीय मजदूरों का आन्दोलन अब बडा जोर पकड रहा है श्री० नारायण मेघाजी लोखन्डे ने पहिला मजदूर सन्घ बम्बई में स० १८९० में खोला उन्होंने एक समाचार पत्र "दीन बन्धु" भी आरंभ किया । अनेक वर्षों तक मजदूर सन्घों की संख्या न बढी । इस के अनेक कारण थे—मुख्य मजदूरों की कुपढता तथा सुशिक्षितवर्ग का इस कार्य की ओर दुर्लक्ष ।

स० १९१० में दूसरा "यूनियन" मजदूर संघ खुला और धीरे २ प्रगति होने लगा । स० १९१८ में मि० बी. पी वाडिया ने मद्रास बकिंगहम और कर्नाटक मिलों के मजदूरों का संगठन किया । स० १९१९ में ४ 'यूनियन' और २०००० मेम्बर हो गये। अब इस समय प्रत्येक औद्योगिकेन्द्र में सब प्रकार के संघ मौजूद हैं और सदस्य लाखों की संख्या में हैं ।

स० १८८१ में पहिला फैक्टरी ऐक्ट पास किया और स० १८९१ में संशोधित हुआ । किन्तु इस ऐक्ट से कोई लाभ न हुआ मिल मालिक मजदूरों से ज्यादा घन्टे काम लेते रहे । उनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते रहे और अन्य प्रकार की असुविधायें भी उनके लिये बनी रहीं। जांच के बाद स० १९११ के फैक्टरी ऐक्ट ने दैनिक घन्टों को निश्चित कर दिया स० १९१९ में "लीग आफ नेशन्स" (राष्ट्र संघ) योरुप में बना। भारत को भी सदस्य के नाते मजदूरों के प्रश्नों पर विचार करना पडा। भारत के प्रतिनिधि "अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रेन्स" वाशिंगटन में सम्मिलित हुये और भारत पर भी मजदूरों के लिये उचित कानून बनाना बाध्य हुआ ।

दिसम्बर १९१९ में बम्बई के फैक्टरियों के मजदूरों की एक कांफ्रेंस हुई जिस में ७२ फैक्टरियों के सदस्य उपस्थित थे । उन्हों ने एक "मेमोरैंडम" बनाया जिस में 'दैनिक घन्टों' में कमी तथा मजदूरी में बढती की मांगें रक्खी गई । मिल मालिकों ने इस ओर कुछ ध्यान न दिया जिस के कारण अनेक हडतालें हुईं । सन् १९१९ से हडतालों का युग आरंभ होता है । कोई वर्ष इसके बाद ऐसा नहीं है जिस में मिलों के या रेलवे के मजदूरों की हडतालें न हुई हों । इसी साल में जी. आई. पी. रेलवे के वर्कशाप झांसी में हडताल हुई जिसमें करीब १०००० मजदूर २८ दिन तक काम पर नहीं गये । श्री० धुलेकर व श्री खेर मजदूरों का पक्ष लेकर बम्बई गये और राजीनामा करा दिया जिस में मजदूरों की मजदूरी में बढ़ती हो गई और छुट्टी व पासों में भी सुविधा हो गई ।

स० १९२० में मजदूर आन्दोलन जोर पकड गया और उसने राष्ट्रीय स्वरूप भी धारण कर लिया ३१ अक्टूबर

१९२० को बम्बई में "आलइन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस" ला० लाजपतराय की अध्यक्षता में हुई। दूसरी ट्रेड-यूनियन कांग्रेस झरिया में हुई। [नवम्बर १९२१]। इस कांग्रेस में १०००० प्रतिनिधि १०० संघों से आये थे। तीसरी कांग्रेस लाहौर में श्री० सी. आर. दास की अध्यक्षता में हुई। स० १९२७ की कांग्रेस कानपुर में हुई जिस के अध्यक्ष दीवान चिमनलाल थे। सन् १९२८ की ट्रेड यूनियन कांग्रेस झरिया (बंगाल) में हुई।

सन १९२२ में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेंस को स्वतन्त्र रूप से सदस्य बनाया गया और ८ महत्ववाली औद्योगिक राष्ट्रों में उसका स्थान है। इस प्रकार इस कान्फ्रेंस के सब प्रस्ताव भारत पर लागू हैं।

फैक्टरी कानून।

सन १९११ के फैक्टरी ऐक्ट के मुख्य अन्श यह हैं (१) फैक्टरी की परिभाषा में वे भी औद्योगिक फैक्टरियां रक्खीं गईं जो केवल फसल पर चलाई जाती हैं। (२) बच्चों और स्त्रियों के दैनिक घन्टों में कमी करके घण्टे निश्चित कर दिये गये और उन्हें रात में (सिवाय जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों के) सब में काम करने की मनाई कर दी गई। (३) मजदूरों का स्वास्थ्य, फैक्टरियों की जांच आदि के लिये भी नियम बनाये गये। (४) प्रौढ़ मजदूरों के दैनिक घण्टे (बुनाई की फैक्टरियों में) अधिक से अधिक १२ कर दिये गये।

वाशिंगटन कान्फ्रेंस के प्रस्तावों के कारण सन १९२२ में ऐक्ट फिर बदला गया जिसमें यह बातें रक्खी गईं (१) एक सप्ताह ६० घण्टे का रक्खा गया। (२) मजदूर बच्चों की उम्र ९ से १२ तक कर दी गई। १२ वर्ष की उम्र से नीचे कोई बच्चा काम न कर सकेगा। (३) स्त्रियां रात को काम न कर सकेंगी (४) छोटी २ फैक्टरियों को भी ऐक्ट लागू किया गया। यह ऐक्ट सन १९२३ में फिर संशोधित हुआ जिससे साप्ताहिक छुट्टी की सुविधा निश्चित कर दी गई।

एक कान्फ्रेंस चीफ इन्स्पेक्टरों की की गई जिन्होंने कुछ संशोधन १९२३ के ऐक्ट में किये जाने की सिफारिश की। फलतः सन १९२६ में प्रान्तीय सरकारों की राय लेकर व इन्स्पेक्टरों की उत्तम कान्फ्रेंसों की सिफारिशों को घटती पर १९२६ में फैक्टरी ऐक्ट पास किया गया।

सन १९२३ में एक ऐक्ट पास किया गया जिसके द्वारा मजदूरों को दुर्घटना से चोटें लगने पर फैक्टरी के मालिक ने मुआवजा देना अनिवार्य कर दिया गया।

ट्रेड यूनियन कानून।

मार्च स० १९२१ में मि० एन. एम. जोशी एम. एल. ए. ने ऐसेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि एक कानून बनाया जावे जिससे "ट्रेड यूनियनों" की रजिस्ट्री हो सके और उनकी रक्षा भी हो। भारत सरकार ने सितम्बर १९२१

में इस विषय पर सब प्रान्तीय सरकारों से राय माँगी. एक बिल बनाया गया जो पुनः राय के लिये भेजा जाकर ३१ अगस्त १९२५ को एसेम्बली में पेश हुआ। लेजिसलेटिव एसेम्बली ने उसे ८ फरवरी १९२६ को और कौंसिल आफ स्टेट ने उसे २५ फरवरी १९२६ को पास किया। इसके अनुसार संघ बनाना, उसके उद्देश्य पूर्ति के लिये आपस में कोई इकरार करना, कानूनी समझा जावेगा इसी प्रकार ट्रेड यूनियन या उसके सदस्यों के खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा न चलाया जावेगा इस कारण कि "ट्रेड डिस्प्यूट" (व्यापारी झगड़े) के सुलझाने के लिये कोई ऐसा काम किया गया है जिससे मजदूरों ने मालिकों के साथ अपना इकरार तोड़ दिया है या कुल मिलकर काम करने पर तैयार नहीं है।

मजदूर आन्दोलन का नया स्वरूप

हड़तालें धीरे २ बढ़ती जाती हैं और साथ २ मजदूर आन्दोलन एक नया रूप धारण करता जाता है। हडतालों का स्वरूप व्यापक हो जाता है। स्थानिक हडतालें भी प्रान्तीय रूप धारण कर लेती हैं और बहुत दिनों तक—कभी २ महीनों तक—चलाई जाती हैं।

सन १९२३ से जो हडताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने की वह १ अप्रैल सन १९२३ से ४ जून १९२३ तक चली। ४३,११३ मनुष्यों ने काम छोड़ दिया था। यदि १ आदमी के दिन लिये जावें तो १३,७०,९३३ दिन काम बन्द रहा।

सन १९२४ में बम्बई में रुई की मिलों में हडताल हुई। झगड़ा 'बोनस' बन्द कर देने पर हुआ। १७ जनवरी से हडताल शुरू हुई और २५ मार्च तक चली। सरकार ने सर नोरमैन मैकलियड चीफ जस्टिस बम्बई हाइकोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियत की। कमेटी ने मजदूरों के विरुद्ध फैसला दिया।

सन १९२४ में १३३ झगड़े मिल मालिकों और मजदूरों में भारत में हुये। ३,१२,४६२ मजदूरों ने काम छोड़ा ८७,३०,९१८ दिन काम बन्द रहा। सन १९२५ में हडतालें व झगड़े बढ़ गये। झगड़े १३४, मजदूरों की संख्या जिन्होंने काम छोड़ा २,७०,४२३, और काम १,२५,७८,१२९ दिन बन्द रहा। सन १९२६ व १९२७ में भी यही हाल रहा।

सन १९२८ में अनेक हडतालें हुईं खडकपुर की हडताल कई मास चली। लिलुआ ई. आइ. आर. वर्कशाप की भी हडताल काफी बड़ी थी। बम्बई में जो हडताल मिलों के मजदूरों की हुई वह वर्षारम्भ से चलते २ छः मास तक चली। इस हडताल में श्री० डांगे, श्री० निम्बकर, मि० झाबवाला, मि० ब्रेडले, आदि कार्य कर्ताओं ने कार्य किया। यह हडताल इतनी बड़ी थी कि पीडितों के लिये बहुत सा रुपया

भारत में एकत्र हुआ और कुछ रुपया रूस के मजदूरों ने भी भेजा।

भारत में राजनैतिक जागृत बढती जाती है। दिन प्रति दिन अनाज का भाव चढ़ता जाता है। व्यापारी गडबड़ियां बढती जाती हैं। जनता में स्वाभिमान का भाव बढता जाता है। मजदूरों को अपनी असुविधाओं का ज्ञान होता जाता है। साथ २ मजदूर समाज संगठित होने से अपनी शक्ति को पहिचानने लगा है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूरों के लिये कार्य कर रही है। साथ २ राजनैतिक नेता मजदूरों में भी प्रवेश करने लगे हैं और उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारत अब जगत के बाजार में बैठा है ऐसी दशा हो गई है। बाहिर की सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक हवा तुरन्त भारत के वातावरण पर असर करती है। यह सब कारण हैं जिन्हों ने भारतीय मजदूरों के आन्दोलन को एक नया स्वरूप दे दिया है। भारत सरकार इस नये स्वरूप से बेचैन हो गई है और आन्दोलन के पीछे विदेशी हाथ है और विशेष कर रूसी बोलशेविक हाथ है ऐसा समझने लगी है। इस कारण भारत सरकार ने स० १९२८ में दो कानून नये बनाने का प्रयत्न किया [१] ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसके द्वारा जो मनुष्य बाहिरी अर्थात् विशिष्ट मजदूरों में से हों उनको सजा दे सकती है [२] पबलिक सेफटीबिल जिसके द्वारा विदेशी मनुष्यों को जो मजदूरों को भडकाते हों उन्हें निर्वासित कर सकती है।

बारडोली सत्याग्रह।

स. १९२८ के आरम्भ में गुजरात प्रदेश के कुछ भागों में बम्बई सरकार द्वारा मालगुजारी बढ़ाई गई जिसकी मात्रा २२ प्रतिशत थी। मात्रा अधिक होने के कारण किसानों ने उजर किया। बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे गये। समाचार पत्रों द्वारा भी आन्दोलन किया गया और कहा गया कि सरकार दुबारा जांच करे किन्तु सरकार ने न सुनी। अन्ततः श्री० वल्लभ भाई पटेल तथा अन्य सज्जनों ने किसानों का काम अपने हाथ में लिया और सरकार से लिखा पढ़ी की। किन्तु सरकार ने न सुना। बार्डोली ताल्लुका ने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया और मालगुजारी देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से दमन नीति जारी की गई। किसानों के पशु आदि सैकड़ों रुपये के थोड़े २ दामों में नीलाम किये गये किन्तु लेने वाले न मिले। ६९ पटेलों व १३ पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिये। स्त्रियों ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। सरकार ने कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। पठान सिपाहियों द्वारा अत्याचार कराया किन्तु किसान न दबे। १२ जून १९२८ को देश भर में बारडोली दिन मनाया गया। सरकार को अन्त में एक कमेटी मि० ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में नियत करनी पडी और उसको दुबारा जांच का काम सुपुर्द किया गया।

भारतवर्ष के उद्योग धन्धे ।

कृषि ।

भारतवर्ष कृषि में प्रधान देश है। ७५ प्रतिशत मनुष्य कृषि में लगे हुये हैं। भारतवर्ष से अन्य देशों को अनेक प्रकार के अनाज, तिलहन, जूट आदि पदार्थ जाते हैं। सारे जगत में यहां का जूट जाता है। रुई की उपज सारे जगत में द्वितीय श्रेणी में है। जगत को ४० प्रतिशत चाय भारत देता है।

गेहूं, चावल, चना, ज्वार मुख्य खाद्य पदार्थ हैं।

कृषि में लगे हुये मनुष्य।

प्रान्त व राज्य	कृषि में लगे हुये मनुष्य	औसत प्रति १०००	कृषक और उनके सहायकों का प्रतिशत औसत	
			कृषक	सहा-यक
भारत	२२४१०९१९०	७०९	४५	५५
अजमेर मारवाड़	२४८१२२	५०१	६५	३५
अंडमान नीकोबार	१०४२३	४००	६०	४०
आसाम	७०२७८७१	८८०	४५	५५
बिलोचिस्तान	५३६६९९	६७१	३२	६८
बंगाल	३६७६२४५५	७७३	३२	६८
बिहार और उड़ीसा	३०२७१२२५	७९७	४८	५२
बम्बई	१६४८५२७१	६१६	५३	४७
बरमा	९३१६०६७	७०७	५०	५०
मध्यप्रदेश और बरार	११८६३२९१	७४२	५९	४१
कुर्ग	१३६२९४	८३१	६१	३९
दिल्ली	१३८६६४	२८४	३१	६९
मद्रास	३०२९३१६५	७०८	४९	५१
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	१४८८७३५	६५०	३३	६७
पंजाब	१३८०४२४१	५९०	३४	६६
आगरा व अवध	३४८७०१०८	७५०	५४	४६
बड़ौदा राज्य	१३६०७४६	६४०	४०	६०
कोचीन ,,	४९१५१७	५०२	४१	५९
गवालियर ,,	२०६१९७०	६४७	६६	३४
हैदराबाद ,,	६२१५९२७	४९९	५३	४७
काशमीर ,,	२६१७९०४	८०३	३७	६३
मैसूर ,,	४७४७६४०	७९४	२५	७५
ट्रावनकोर ,,	२०४६८७९	५११	३१	६९

भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल भिन्न २ पदार्थों की खेती में लगा हुआ है और उससे जो उपज होती है वह नीचे दिये हुये कोष्ठक से मालूम होगा।

खेती के पदार्थ	क्षेत्रफल (एकड़ में)		पैदावार (टनों में)	
	१९२४-२५	१९२५-२६	१९२४-२५	१९२५-२६
चावल	८१४४१०००	८२३७८०००	३१०७२०००	३०६३७०००
गेहूं	३१७७८०००	३०४७००००	८८६६०००	८७०४०००
ऊख	२५३२०००	२६७९०००	२५४६०००	२९७७०००
चाय	७१४७००	७२८८००	३७५२५५९००	३६३५०६६००
रुई	२६८०१०००	२८४९१०००	६०८८०००	६२५००००
सन	२७७०००००	३१५५०००	८०६२०००	८९४००००
अलसी	३६९५००००	३५७२०००	५०१०००	४०२०००
मसूर	६४८३०००	५६०६०००	१२११०००	१०९००००
तिल	५२९३०००	४९७५०००	५१३०००	४२०००००
गुली	१४१००००	१४०१०००	१२४०००	१४४००००
मूगफली	२८८५०००	३९७३०००	१४८५०००	११९९००००
नील	९९३००	१३५३००	१८७००	२८२००
कहवा	१४२८००	१४८२००	३०४७५६००	२२१०६७००
रबड़	१२९४००	१३२६०	१५६०१३००	१९९७०२००

सरकारी मालगुजारी।

प्रान्त तथा जमीदारी की किस्में	मालगुजारी प्रतिजन			मालगुजारी जो पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है
मद्रास	रु०	आ०	पा०	रुपया
रैयतवारी	२	१	९	५९९७३३३८
जमींदारी (परमानेन्ट सैटलमेंट)	०	१२	५	६६६९०४३
कुल इनाम गांव	०	८	९	—
बंबई १९२५--२६				
रैयतवारी				३९२२९०८८
जमींदारी तथा भैयाचारा	२	१०	१	
टेम्पोररी सेटलमेंट				१३२७७८६
बंगाल १९२२--२३				
जमीदारी (परमानेन्ट) सेटिलमेंट	०	१०	२	२०९०७९५२

सरकारी मालगुजारी चालू।

प्रान्त तथा जमीदारी की किस्में	मालगुजारी प्रति जन			मालगुजारी जो पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है
जमीदारी (टेम्पोररी) सेटिलमेंट				६०७४५११
संयुक्त प्रान्त १९२१-२२				
जमीदारी तथा भैयाचारा (टेम्पोररी सेटिलमेंट)	१	९	७	६३४७५३१५
जमीदारी (टेम्पोररी सेटिलमेंट)	१	१	९	५५०९२४०
पंजाब १९२५--२६				
जमीदारी (टेम्पोररी सेटिलमेंट)	२	८	४	४९४२२७६३
वर्मा १९२५--२६				
रैयतवारी	४	१५	३	३८२१३७६८
बिहार और उड़ीसा १९२१--२२				
जमीदारी (परमानेन्ट सेटिलमेंट)				१०६९९४०३
जमीदारी (टेम्पोररी सेटिलमेंट)		७	४	४५३९४४६
मध्यप्रदेश व वरार १९२५--२६				
रैयतवारी				९४६५४५७
जमीदारी तथा भैयाचारा	१	३	५	—
टेम्पोररी सेटिलमेंट				११०४३९७१
सरकारी जंगल				—
आसाम				
रैयत वारी				७५४९७८७
जमीदारी तथा भैयाचारा	१	७	३	
टेम्पोररी सेटिलमेंट				६१८७३१
जमीदारी (परमानेन्ट सेटिलमेंट)				३७६४९७
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा				
जमीदारी टेंपररी सेटलमेंट	१	२	२	२३५३५५३
अजमेर मारवाड				
जमीदारी तथा भैयाचारा	१	७	०	
(टेम्पररी सेटलमेंट)				११८५७१
जमीदारी परमानेन्ट सेटलमेंट	०	१०	११	११४७३४
कुर्ग				
रैयतवारी	२	६	१	२८१७००
देहली १९२५--२६				
जमीदारी टेंपररी सेटलमेंट	०	१४	७	४४६२२३

रुई की उपज	१९२७-२८ एकड़ (हजार)	४०० पौंड के गट्ठे (हजार)
बंबई	६९१२	१४३१
मध्य प्रदेश व बरार	४८४८	११४५
मद्रास	१९४६	३९१
पंजाब	२०७४	६०५
संयुक्तप्रांत	६४७	२००
बर्मा	३४२	६७
बंगाल	७८	२०
बिहार और उडीसा	७७	१४
आसाम	४५	१५
अजमेर मारवाड	४२	१४
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	११	२
दिल्ली	२	१
हैदराबाद	३६३१	५५१
मध्य भारत	१२६३	२४७
बड़ोदा	८०६	१२७
ग्वालियर	५८५	११५
राजपूताना	४२२	११०
मैसूर	८१	२५
योग	२३८१२	५४८०

कच्ची रुई की निर्यात (वजन हंडरेडवेटों में)

देश	१९२४--२५	१९२५--२६	१९२६--२७	१९२७--२८
इंगलैंड	५७७,७६०	८०३,६२०	३०९,२८०	५७२,०००
जर्मनी	६२२,८००	७७७,६००	५१६,५६०	९१५,९८०
हालैंड	१६५,०८०	१६९,४८०	१०५,५६०	१२५,५६०
बेलजियम	७१८,०००	८६८,२००	५६६,७००	८२०,३२०
फ्रान्स	४७८,५८०	५८७,८००	४४०,३६०	६५९,७००
स्पेन	३४३,५००	२६०,२८०	१९२,५००	२१९,४६०
इटली	१७३१३६०	१,६२८,७६०	१,०८८,४००	१,१८०,५२०
आस्ट्रिया	२७,७४०	६,९००	३६४०	२००
सीलोन	१५,२६०	२४,४००	१५,१००	१३८,२६०
इन्डोचाईना	९६,४४०	१५५,९६०	७४,२८०	१८,१४०
चीन	१०१४४४०	१,५४८,१६०	१,४००,३००	३९८,९८०
जापान	५९६९१००	७,८४४,५४०	६,५७७,४६०	४,४०९,९०
यूनाइटेड स्टेटस अम्रीका	११७४००	११०,६४०	७४,७००	११६५८०
अन्य देश	२९५२०	१७,६६०	२०,९२०	१८,३८०
योग	११,८७७०४०	१४,९०४,०००	११३८५,७६०	९५९३,५८०

भारत में कपड़ा अत्यन्त प्राचीन काल से बनता है। यहाँ के कपड़े इतने अच्छे बनते थे कि रोमन साम्राज्य से लाखों रुपया भारत में आते थे। आधुनिक काल में इङ्गलैण्ड देश में इस कदर कपड़ा छींट, मलमल आदि जाता था कि इङ्गलैंड ने कानून द्वारा भारत के कपड़े की आयात बन्द करना १७०१ से आरम्भ की। १८३८ में मिल खोलने का प्रयत्न हुआ किन्तु असफल रहा। १८५६ में भारत में पहिली मिल खोली गई उस समय से भारत में मिलें बढ़ती जाती हैं।

भारत में मिलों की बढ़ती।

	मिलें	स्पिंडलें	करघे	मजदूरों का दैनिक औसत	कती हुई रुई का औसत	
					हण्डरेडवेट	गट्ठा ३९२ पौंड
१८८०	५६	१४६१५९०	१३५०२	४४४१०	१०७६७०८	३०७६३१
१८९०	१३७	३२७४१९६	२३४१२	१०२७२१	३५२९६१७	१००८४६२
१९००	१९३	४९४५७८३	४०१२४	१६११८९	५०८६७३२	१४५३३५२
१९०५	१९७	५१६३४८६	५०१३९	१९५२७७	६५७७३५४	१८७९२४४
१९१०	२६३	६१९५६७१	८२७२५	२३३६२४	६७७२५३५	१९३५०१०
१९१५	२७२	६८४८७४४	१०८००९	२६५३४६	७३५९२१२	२१०२६३२
१९२०	२५३	६७३३८७६	११९०१२	३११०७८	६८३३११३	१९५२३१८
१९२५	३३७	८५१०६३३	१५४२०२	३६७८७७	७७९२०८५	२२२६३१०
१९२६	३३४	८७१४१६८	१५९४६४	३७३५०८	७३९६८४४	२११३३८४
१९२७	३३६	८७०२७६०	१६१९५२	३८४६२३	८४६०९४२	२४१७४१२

भारत की मिलों में कते हुए सूत का वजन। (पौंडों में)

नम्बर (कौंट)	१९२५–२६	१९२६–२७	१९२७–२८
१—१०	९५७२३६९५	११४६४४५३०	१०५९७०९८७
११—२०	३४३९०२४५४१	४०१०३६३१०	३८८८१६७५१
२१—३०	२१३७८८३५७	२४८३१०८७५	२६३०५२९४८
३१—४०	११९७३७४८३	२७६५६८५३	३३७५७०९०
४० से ऊपर	५८३४३२४	११५३१४५८	११९४१८२१
अन्य	१५१४५३८	३९३६०९२	६१७२४३
	६८६,४२७,४७९	८०७,११६,११८	८०८,९१०,८४७

भारत में बुना हुआ कपड़ा।

	१९२५-२६	१९२६-२७	१९२७-२८
भूरे तथा साफ़ थान			
पौंड	३३९,२६२,१७४	३८१,७११,८०४	४०३,४६७,८६३
गज	१,४१४,३०३,८०५	१,५७७,२३७,५८७	१,६७५,००२,५८३
रंगीन थान			
पौंड	११६,६९५,३०६	१४५,३२०,३५९	१४८,२९७,६२१
गज	५४०,१५६ ८४५	६८१,४७७,३७३	३८१,५५७,२२२
थान भूरे तथा रंगीन			
पौंड	३,७२६,५११	४,१५१,३०२	४,२०५,१४७
गज	९५५,८०४	१,००६,५४८	९९२,१०७
मोजे बनियान आदि			
पौंड	८७२,२६१	९८३,३०८	१,२१०,३६६
दर्जन	३१६,५४६	३५१,९०९	४३७,२१५
मिश्रित			
पौंड	३,७७२,१२९	४,२८९,०२२	५,८२८,८६३
रुई रेशम तथा ऊन से मिश्रित			
थान	७०७,७१२	२,३१३,७६०	४,७९४,००२
जोड़ पौंड	४६५,०३९,०६९	५३८,७६९,३५३	५६७,८०३,८६२
गज	१,९५४,४६६,६६७	२,२५८,७१६,०६५	२,३५६,५५९,८०५
दर्जन	१,२७२,३५०	१,३५८,४६७	१,४२९,३२२

विदेशी कपड़ों की आयात

	करोड़
१९१८—१९	५७.४१
१९१९—२०	५६.१२
१९२०—२१	९७.३६
१९२१—२२	५४.६७
१९२२—२३	६७.७७
१९२३—२४	६४.७९
१९२४—२५	७९.९०
१९२५—२६	६२.३०
१९२६—२७	६१.६३
१९२७—२८	६१.९३

प्रत्येक भारतवासी के लिये प्रति वर्ष केवल १३ गज कपड़े का औसत पड़ता है। यदि केवल पिछले १० वर्ष का औसत लिया जावे तो केवल ९ गज प्रति मनुष्य पड़ता है।

जूट।

जूट के व्यापार का महत्व वर्तमान काल में अत्यन्त अधिक है। रिशडा (बंगाल) में स० १८५५ में पहिली जूट मिल खोली गई और १८५९ में भाप की शक्ति से चलनेवाला लूम (करगा) लगाया गया। इस समय

४००० टन प्रति दिन जूट का कपड़ा तैयार होता है। यह कपड़ा बोरे वगैरः के बनाने में काम आता है।

जूट की मिलों की सन्खया।

औसत	चालू मिलों की संख्या	मजदूरों का दैनिक औसत (हजारों में)
१८८०	२१	३८.८
१८९०	२६	६४.३
१९००	३६	११४.२
१९१०	६०	२०८.४
१९१८-१९	७६	२७५.५
१९२०-२१	७७	२८८.४
१९२३-२४	८९	३३०.४
१९२४-२५	९०	३४१.७
१९२५-२६	९०	३३१.३

जूट की निर्यात।

	जूट की बुनाई
	कीमत लाख रुपयों में
१८८०	१२४.९
१८९०	२८९.३
१९००	८२६.५
१९१०	२०२४.८
१९१५	४०१९.३
१९२०	५२९९.४
१९२५-२६	५७५२.१
१९२६-२७	५२८३.३
१९२७-२८	५३३०.९

ऊन।

भारत में ऊन बहुत उत्पन्न होता है और अफ़गानिस्तान व तिब्बत से भी आता है। सन १९२५-२६ में ऊन की आयात ४३ लाख रुपये की थी और देश में २ करोड ९२ लाख का कपडा बना। देश से कच्चे ऊन की निर्यात ३ करोड ८० लाख थी और ७८ लाख बने हुये कपड़ों की थी।

भारत में अनेक स्थानों पर अच्छे २ कालीन बनते हैं। पंजाब और कशमीर में अच्छे कम्बल व दुशाले बनते हैं।

भारत में स० १९०० से ऊन की मिलें खुलीं। मिलों की संख्या बढती जाती है।

मिलों की संख्या आदि।

	स० १९०२ में	१९१७ में
संख्या	३	५
पूंजी	३८५०००	२५६५००००
करघे	६२४	११५५
स्पिंडल	२३८००	३९६०८
मजदूर	२५५१	७८२४
वजन जो तैयार हुआ—		
पौंडों में	२१४८०००	९७४४२६४

इस समय ९ ऊन की मिलें हैं और ऊनी कपडे की तैयारी तथा खपत दोनों बढ गई हैं। जर्मन महायुद्ध में इन मिलों ने बहुत कपडा तैयार किया। लालिमली और धारीबाल ऊनी कपडा सारे भारत में खूब चलता है। कानपूर की जुगीलाल कमलापति मिल में भी ऊनी कपड़ा तैयार होने लगा है। इन मिलों के अतिरिक्त मुजफ्फर नगर में अच्छे कम्बल और मिरजापुर व झांसी में अच्छे कालीन तैयार होते हैं। पहिनने के ऊनी कपड़े मिलों में और काश्मीर देश में करघों से तैयार होते हैं।

रेशम।

भारत में प्राचीन काल से रेशम

के उत्तमोत्तम वस्त्र बनते आये हैं। तीन प्रकार के रेशमी कीडे खास भारतीय हैं (१) टसर (२) मून्गा (३) एंडी। अन्य प्रकार के रेशमी कीडे भी पाये जाते हैं।

सूरत, बनारस, एवला, भडोंच, मद्रास, जैसोर, आदि नगरों में रेशमी काम बहुत अच्छा बनता है। भारत से अन्य देशों को रेशम भेजा जाता है। सन १९१५-१६ में साढे २७ लाख रु० का व सन १९१६-१७ में ५५ लाख रु० का रेशम भेजा गया। सन १९२४-२५ में ३८ लाख रुपये का कच्चा रेशम बाहर गया और ३ लाख रुपये का रेशमी कपड़ा गया।—

तिलहन का व्यापार।

भारतवर्ष से अन्य देशों को करीब ३० करोड़ रुपये का तिलहन प्रत्येक वर्ष जाता है। सिवाय बड़े शहरों के तेल बहुधा बैल के कोल्हुओं द्वारा ही निकाला जाता है। इस प्रकार के कोल्हू ग्राम २ में पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में तिलहन से बची हुई खली का उपयोग साबुन बगैरः बनाने के काम में नहीं किया जाता इस कारण बहुत सा तिलहन अन्य देशों को बड़े सस्ते दामों में चला जाता है। यदि तेल निकलने के बाद की बची हुई खली का भी उपयोग मूल्यवान वस्तुयें बनाने में हो तो तिलहन इतना अधिक बाहर न जा सकेगा।

तिलहन की निर्यात। टन (हजार)

	१९२३—२४	१९२५—२६	१९२६—२७	१९२७—२८
अलसी	३६९	३०८	१९२	२२२
रेपसीड	३३७	११२	९४	६६
मूंगफली	२५७	४५५	३६८	६१३
अंडी	८५	११०	१०२	१२२
बिनौला	१५०	१९७	५१	१५३
तिल	...	४०	२	११
अन्य	५७	२८	२९	२३
जोड	१२५५	१२५०	८३८	१२१०

चाय।

चाय की उपज अधिकतर आसाम बङ्गाल और दक्षिणी भारत में होती है। वार्षिक उपज लगभग ३६ करोड पौंड है जिसमें से आसाम ६२ प्रतिशत उत्पन्न करता है, बङ्गाल (उत्तरी भारत) २५ प्रतिशत और दक्षिणी भारत केवल १३ प्रतिशत उत्पन्न करता है।

लगभग ४ लाख २० हजार एकड़ जमीन आसाम में, २ लाख ११ हजार एकड उत्तरी भारत में, और १ लाख १ हजार एकड दक्षिणी भारत में चाय की खेती में

लगीहुई है। करीब २ सब रुपया विदेशियों का ही इस व्यवसाय में लगा हुआ है।

वार्षिक उपज ३६ करोड़ पौंड है। नीचे के कोष्टक से उपज, निर्यात, तथा देश में खर्च कुछ वर्षों का ज्ञात होगा:—

चाय [पौंड]

	उपज	निर्यात चाय
१९२१-२२	२७४,२६३,७७१	३०४,८२९,५२३
१९२२-२३	३११,६३८,९३६	२८१,४९४,४३३
१९२३-२४	३७५,३५५,६८९	३२४,५३९,०७३
१९२४-२५	३७१,२५५,८७४	३३२,५२७,४८९
१९२५-२६	३६३,५०६,५७१	३१८,२१४,३५०

काफी।

काफी अधिकतर दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न होती है। और विदेशों में ही इस की अधिक खपत है।

स० १९२५-२६ में २,५३,४५५ एकड़ जमीन काफी की खेती थी। और २,२१,०६,७१७ पौंड काफी उत्पन्न हुई।

काफी की निर्यात।

	हन्डरेडवेट (हजार)
१९२२—२३	१६९
१९२३—२४	२१८
१९२४—२५	२४२
१९२५—२६	२०५
१९२६—२७	१५०
१९२७—२८	२७७

कोयला!

भारत में कोयला बहुतायत से पाया जाता है। सब से अधिक कोयला बंगाल विहार-उड़ीसा, व गोंडवाने में होता है। हैदराबाद में सिंगरेनी खान है और मध्य प्रान्त में भी खानें हैं।

खानोंसे कोयले की निकासी। (टन)

प्रान्त	१९२६	१९२७
आसाम	३०१०६१	३२३३४२
बिलोचिस्तान	१५५८६	१४४४४
बंगाल	५१३७६८८	५५५४९९०
विहार और उड़ीसा	१३९५५७७५	१४५१७८६६
मध्य भारत	२१६७०८	२१७६६१
मध्य प्रदेश	६३५२५२	६६६७५८
हैदराबाद	६३७७७९	७०७२१३
पंजाब	६८०४३	६२७०४
राजपूताना	३१२७५	१७३५८
योग	२०९९९१६७	२२०८२३३६

भारतीय व्यापार ।

सन	आयात (हजार)	निर्यात (हजार)
१९२३-२४	२२७६१२३	३४८८३६१
१९२४-२५	२४६६२५४	३८४६६५३
१९२५-२६	२२६१७७८	३७४८४२१
१९२६-२७	२३१२२०८	३०९४३५८
१९२७-२८	२४९८४६६	३१९१५३५

१९२७–२८

	आयात रुपया (लाख)
रुई का कपड़ा	६५१६
रुई का सूत	६७९
कच्ची ऊन का कपडा	३३७
नकली रेशम	५४९
कच्ची रेशम के कपड़े	५०६
धातु व धातु के वर्तन	२८४०
लोहा व स्टील	२११४
अन्य धातु	६९६
मशीन व कलें	१६९९
रेलवे प्लान्ट	९३५
मोटर साइकिल	६१८
सक्कर	१४९१
मट्टी का तेल	१०४४
खाद्य पदार्थ	६४१
शराव	३६७
कागज़	३०१
रसायन	२६३
नमक	१७५
कोयला	६२
माचिस	३९

१९२७–२८

	निर्यात रुपया (लाख)
जूट व जूट का कपडा	८४२३
रुई का कपडा	७०५२
आटा	४२९२
चाय	३२४८
तिली	२६६९
चमडा	१७८८
कच्ची ऊन	४३६
तेल	७१
धातु	८९७
लोहा	१५९

मोटरें व बाइसिकलें

३१ मार्च १९२८ तक निम्नलिखित हैं ।

	संख्या
मोटरें व टैक्सी	१०२६९२
मोटर साइकिलें	२३१६४
लोरीं	१९००८
योग	१४४८६४

इससे यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक वर्ष भारत से अधिक माल जाता है और कम आता है । यह अधिक माल जो करीब १५० करोड रुपये का विदेशों को जाता है । इस के कारण अनेक हैं ।

भारत के विदेशी व्यापार का ५१.४ प्रतिशत भाग इंग्लेंड के हाथ में है, जरमनी के हाथ में ५.९, जापान ८.० अम्रीका यूनाइटेडस्टेट ६.७ है । अन्य देशों के हाथ में बहुत थोडा है ।

मोटर की आयात ।

१९२६-२७	—	—	२.९४ करोड रु०
१९२७-२८	—	—	३.५४ ,,
१९२८-२९	—	—	६.१८ ,,

भारत के बाजार में अंग्रेजी माल (रुपयों में)

	सन १९२०	१९२३	१९२६
तम्बाकू	१,४१,९७,८८०	१,७७,७८,९५९	२,१२,८४,५४४
खिलौने	९१,९८,८५०	१३,७१,३२३	१४,६५,५७६
जूते	१५,५६,२८०	१८,०९,८८४	३०,५९,२५६
बाजे	४,४२,५९०	७,४०,९५२	१०,५४,५६५
जवाहिर	९,४१,९३०	१३,५१,२२३	३०,०४,६४३
साबुन	१,१२,२२,७४०	१,१४,५६,८५७	१,३८,३६,४४२

खादी।

भारतवर्ष के व्यापार में खादी का स्थान सदा से महत्व पूर्ण रहा है। विदेशी कपडे भी सब निवासियों की कपडों की आवश्यकता पूरी नहीं करते देश में लाखों चरखे और सहस्त्रों करघे चलते ही जाते हैं।

किन्तु विदेशी मिलों के कपडों के आक्रमण से लाखों कोरी व जुलाहे जिनका रोजगार केवल कपडा बिनना था बेकार हो गये हैं। और देश की निर्धनता बढती जाती है।

भिन्न २ उद्योगों में भारतवासी इस प्रकार लगे हुए हैं।

खेती	७०.९	प्रतिशत
व्यापार	६.०	"
ढुलाई (रेल आदि)	२.०	,,
प्रबन्ध	२.०	,,
मिल फैक्टरियां आदि	१.०	,,

इससे स्पष्ट है कि इतने वर्षों में "मशीनयुग" ने भी १ प्रतिशत से अधिक मनुष्यों को काम न दिया और न पेट भरा।

भारत में जुती हुई जमीन २२५ करोड एकड है। खेती में लगे हुये मनुष्यों के लिये १ एकड प्रति मनुष्य पडती है। भारत के खेतों (होलडिंग) का औसत इस प्रकार है—

प्रान्त	एकड
आसाम	२.९६
बंगाल	३.१२
बिहार उड़ीसा	३.०९
बम्बई	१२.१५
बर्मा	५.६५
मध्य प्रदेश	८.४८
मद्रास	४.९१
पश्चिमोत्तर प्रान्त	११.२२
पंजाब	९.१८
यू. पी.	२.५१

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ७०.१ मनुष्यों को मिलें व फेक्टरियां काम नहीं दे सकतीं। न इतने मनुष्य छोडकर शहरों में आकर मिलों में काम कर सकते हैं। इस कारण महात्मा गाँधी का कहना है कि खादी द्वारा ग्राम में रहने वाले ग्राम वासियों को ऐसा सहायक उद्योग दिया जा सकता है जो उन्हें खेती से बचे

हुये समय में ही कुछ धन सम्पादन करने में सहायता दे। चरखा और खादी पर इसी कारण बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई मनुष्य शहर में आकर मजदूरी करे तो उसकी मजदूरी से चरखा से सूत कातने की आमदनी की तुलना नहीं हो सकती। चरखा चलाना केवल 'सहायक उद्योग' है किन्तु बड़ा ही शक्तिवान उद्योग है।

असहयोग आन्दोलन (१९१९) के आरम्भ में ही महात्मा गांधी ने चरखा व खादी का प्रचार आरम्भ किया। सितम्बर १९२५ में अखिल भारतीय चरखा संघ महात्मा गांधी के प्रयत्नों द्वारा कायम हुआ। इस सन्घ के १७७ केन्द्र खादी बनाते हैं जिन में ६२ संघ द्वारा चलाये जाते हैं, ४१ को सहायता दी जाती है. और ७४ स्वतन्त्र रूप से का॰ करते हैं।

२०४ केन्द्र खादी बेचते हैं, जिनमें ११५ संघ द्वारा चलाये जाते हैं, ४५ सहायता पाते हैं, ४५ स्वतन्त्र रीति से चलते हैं।

लगभग ३००० ग्रामों में इस संघ द्वारा कार्य जारी है। संघ के कार्यकर्ताओं की सन्ख्या ४३५ है। इस संघ के लिये कार्यकर्ताओं के लिये विभाग खोला गया जिसमें ३५ मनुष्य कार्य सीख रहे हैं। संघ द्वारा सहायता प्राप्त सन्स्थाओं में २९३ कार्यकर्ता लगे हुये हैं। यह सन्स्थायें निम्नलिखित हैं—

खादी प्रतिष्ठान	बगाल
विद्या आश्रम	सिलहट
आराम बाग खादी कार्य	आरामबाग
प्रवर्तक सन्घ.	चन्द्र नगर
अभय आश्रम	कमरा
गांधी आश्रम	तिरचङ्ग गोदू
गांधी आश्रम	अकबरपूर
आलइंडिया खादी भण्डार	बम्बई

खादी की तैयारी व बिक्री १९२६-२७

	तैयारी (रु०)	बिक्री (रु०)
प्रान्त	१९२६-२७	१९२६-२७
अजमेर	१,३१,४८०	१,२८,२८७
आंध्र	३,८३,०३७	४,०३,७३७
विहार	१,८४,३४७	२,६७,३०२
बंगाल	२,४४,५९७	४,४०,१९७
बंबई		२,८७,८५८
बरमा		२५,४३८
देंहली	१४,६४१	१९,८११
गुजरात	५२,२५०	८९,४१०
करनाटक	५५,८४४	७८,११५
महाराष्ट्र	१८,७९४	१,६६,७७४
पंजाब	७५,६७१	१,६६,८२४
तामिलनाद तथा केरल	१०९४६३३	१०,७३,०२१
मध्यप्रान्त	९९,७५५	१,६२,५०४
उटकल	५१,३२१	४१,५८६
जोड	२४,०६,३७०	३३,४८,७९४

॥ समाप्तः ॥